चतुर्दश माला, खंड 35, अंक 8

शुक्रवार, 24 अक्तूबर, 2008
2 कार्तिक, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग-दो)
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 35-8
Dated 28 Oct. 2009

(खण्ड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 35, चौदहवां सत्र (भाग-दो), 2008/1930 (शक)
अंक 8, शुक्रवार, 24 अक्तूबर, 2008/2 कार्तिक, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 104 और 107	2-50
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 105, 106 और 108 से 120	51-111
अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 से 1228	111-466
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
ईसाई अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	466-467
अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय	
विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना	468-470
सभा पटल पर रखे गए पत्र	470-514
राज्य सभा से संदेश	
और	
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	514-516
53वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन	515
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
(एक) अध्ययन दौरा संबंधी प्रतिवेदन	516
(दो) विवरण	516
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
25वां प्रतिवेदन	517
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
32वां और 33वां प्रतिवेदन	517

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय — **कॉलम**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

(एक) 21वां और 22वां प्रतिवेदन 517-518

(दो) विवरण 518

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

87वां और 88वां प्रतिवेदन 518-519

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(एक) 32वां प्रतिवेदन 519

(दो) साक्ष्य 519

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पी.आर. किन्डिया 519-520

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 520-521

(तीन) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में समिति के 191वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 205वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्रीमती रेनुका चौधरी 521-522

(चार) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री विजय हान्डिक 522-524

(पांच) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री वायालार रवि 524-525

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन संबंधी अधिसूचना की स्वीकृति के बारे में सांविधिक संकल्प 525-526

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में संशोधन संबंधी अधिसूचना की स्वीकृति के बारे में सांविधिक संकल्प 526-527

नियम 193 के अधीन चर्चा

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, विशेषकर उड़ीसा और अन्य राज्यों में हुई घटनाओं के संदर्भ में 527

श्री बसुदेव आचार्य 528-550

श्री खारबेल स्वाईं 551-566

श्री मधुसूदन मिस्त्री 566-578

प्रो. रामगोपाल यादव 578-580

श्री एस.के. खारवेनथन 580-582

श्री पी.सी. थामस 582-584

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 584-588

श्री इलियास आज़मी 588-595

श्री भर्तृहरि महताब 595-604

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 604-610

श्री धर्मेन्द्र प्रधान 610-615

श्री मणि शंकर अय्यर 615-625

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 625-626

श्री सुग्रीव सिंह 626-629

श्री असादुद्दीन ओवेसी 629-635

श्री ब्रह्मानंद पंडा 635-636

श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 636-640

विषय	कॉलम
श्री रामदास आठवले	640-642
श्री कीरेन रिजीजू	642-650
श्री फ्रांसिस्कों कोज्मी सारदीना	650-652
श्री किन्जरपु येरननायडु	652-654
श्री टी.के. हमजा	654-655
श्री जुएल ओराम	655-658
श्री राम कृपाल यादव	658-663
श्री फ्रांसिस फैन्थम	663-666
श्री निखिल कुमार	666-668
डा. वल्लभभाई कथीरिया	668-670
श्री सर्वानन्द सोनोवाल	670-671
श्री अनवर हुसैन	671-674
श्री शिवराज वि. पाटील	674-686
सभा में अपने आचरण पर सदस्य द्वारा खेद के बारे में	550
राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008	686
विचार करने के लिए प्रस्ताव	687
खंड 2 से 5 और 1	687
पारित करने के लिए प्रस्ताव	688
उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	689
खंड 2 से 4 और 1	689
पारित करने के लिए प्रस्ताव	689
संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2008	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	689
खंड 2 और 1	690
पारित करने के लिए प्रस्ताव	690

विषय | कॉलम

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार (संशोधन) विधेयक, 2008

विचार करने के लिए प्रस्ताव 690

खंड 2 से 4 और 1 691

पारित करने के लिए प्रस्ताव 692

अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

दिनांक 10 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए सभा का स्थगन 692

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 693-694

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 694-700

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 701-702

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 701-704

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 24 अक्तूबर, 2008/2 कार्तिक, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आज सभा स्थगित हो जाएगी। हमें आधिकारिक तौर पर अभी तक सूचित नहीं किया गया है।

महोदय, 20 अक्तूबर को आपने हमसे कहा था कि हमारे विशेषाधिकार हनन की सूचना आपके विचाराधीन है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आज विनिर्णय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आपने हमसे कहा था कि आप इस पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, यह सक्रियता भी खत्म हो गई है और आज मैं आपको अपने विनिर्णय के बारे में बताऊंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैंने इस देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी है। सभा में जो उन्होंने कहा था उससे वे मुकर गए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, आपको इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैंने भी उसी मुद्दे पर सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैंने उसी प्रकार की सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने भी एक सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, मैं आपके विचारों का पूरी तरह समर्थन करता हूं। कृपया हेडफोन रखिये। कृपया मेरी बात सुनिये। मैं आपके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं।

आपने अपने पत्र में जो विचार व्यक्त किए हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। तथापि, कभी-कभी परिस्थितियों की तात्काल मांग होती है। मैं उस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि जब मैं पीठासीन नहीं था तो क्या हुआ। दूसरे माननीय सभापति यहां बैठे थे। मैं टिप्पणी नहीं कर सकता लेकिन मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं। वे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं आप से सहमत हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं पूरी तरह इसकी सराहना करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हम इन पर चर्चा करेंगे। अब हम प्रश्नकाल शुरू करेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 101 - श्री उदय सिंह।

समन्वित बाल संरक्षण योजना

***101.+ श्री उदय सिंह:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समन्वित बाल संरक्षण

योजना (आई.सी.पी.एस.) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या कई राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने योजना की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से XIवीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु 'समेकित बाल संरक्षण स्कीम' नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का निरुपण किया है। तथापि, इस स्कीम को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप पूरी तरह ठीक हैं?

श्रीमती रेनुका चौधरी: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: उनसे बहुत सवाल मत कीजिये क्योंकि वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं है।

श्री उदय सिंह: जी हां, महोदय। मैं यथासंभव अपने को नम्र रखने की कोशिश करूंगा।

मैंने पाया है कि यह विद्वेष जो सरकार के कार्यकरण का प्रतीक बन गया है, उत्तर में पूरी तरह प्रतिबिम्बित हो रहा है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजना की घोषणा अभी की जानी है।

माननीय मंत्री से मेरा पहला प्रश्न यह है - मेरी प्रार्थना है - कि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है और अब तक इसकी घोषणा क्यों नहीं हुई है।

श्रीमती रेनुका चौधरी: मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मुझे माननीय सदस्य को इस मुद्दे को उठाने के लिए धन्यवाद दूं या उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करूं कि उन्हें पता नहीं है कि एक नई योजना कैसे क्रियान्वित की जाती है। पूरे देश में शुरू होने वाली किसी योजना को शुरू करने से पूर्व कुछ कागजी काम पूरा करना होता है तथा कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। इसे कैबिनेट सचिवालय द्वारा पारित किया जाना है। बच्चों से संबंधित मुद्दे का संज्ञान लेने तथा आई.सी.पी.एस. को बनाने के लिए जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है के लिए इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए और पहली बार ऐसा हुआ है कि इसे बाल अधिकारों के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: इसका निर्माण किया जा रहा है।

श्री उदय सिंह: माननीय मंत्री मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं सरकार को उसके ऐसे कार्य के लिए धन्यवाद दूं जिसे उसने किया ही नहीं या जिसके बारे में सभी जानते हैं कि उसके लिए धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है।

बच्चों का शोषण, बाल-दुर्व्यापार भारत में एक जानी मानी समस्या है। इस योजना के अधिसूचना के बगैर भी क्या सरकार ने इन निराश्रित बच्चों की संख्या का पता करने तथा वे कौन हैं, कहां रहते हैं, यह जानने के लिए कोई कदम उठाया है, जिससे कि कोई सूची तैयार की जा सके? इस योजना में राज्य तथा जिला स्तर की यूनिटों का वर्णन हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय की समझ ने इसमें पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना ठीक है क्योंकि ये निराश्रित बच्चे वास्तव में वहीं से आते हैं।

श्रीमती रेनुका चौधरी: मैं नहीं समझता कि देश में कोई आंकड़ा है जो यह बताए कि पंचायती राज संस्थाओं से ही बच्चे आते हैं। समाज के सभी वर्गों के बच्चों का शोषण होता है और केवल समाज द्वारा नहीं बल्कि माता-पिता द्वारा भी उनका शोषण होता है। अन्यथा, हमारे यहां बाल श्रमिक नहीं होते, बाल-दुर्व्यापार अथवा बाल शोषण नहीं होता। इसलिए, इस संबंध में तथ्य यह है कि यह मौजूदा कानूनों का एक व्यापक संग्रह है जो ऐसे बच्चों, जिन्हें संरक्षण और देखभाल की जरूरत है जिनके साथ कानूनी अड़चनें हैं, के लिए समग्र कार्यान्वयन के लिए एक समावेशी योजना है।

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिसिंह चावड़ा - उपस्थित नहीं है। श्री ब्रह्मानंद पंडा।

श्री ब्रह्मानंद पंडा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य-दशा की समीक्षा की है। अत्याचारों और अन्य शोषण से बच्चों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया है/किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: यह विशेष प्रश्न है। क्या आप उत्तर देने की स्थिति में हैं?

श्रीमती रेनुका चौधरी: हमारे पास कई कानून हैं जिन्हें लागू किया जाता है। इन कानूनों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार के रूप में हमने पहली बार एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की है। हमने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य सरकार भी स्वयं राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन अवश्य करे। इन सभी को आई.सी.पी.एस. के अंतर्गत लाया जाएगा। ज्यों ही इसकी स्थापना होती है हम इसे दे सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम शीघ्र ही राष्ट्र के बच्चों को हम यह दे पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि अभी जिस स्कीम को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जिन राज्यों के अंदर बाल एवं महिलाओं के लिए अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे कि गुजरात में जन्म से लेकर महिलाओं की मृत्यु तक की अनेक स्कीमें चल रही हैं, उसके लिए भारत सरकार की तरफ से प्रशंसा हो रही है। जो विशेष कार्य कर रहे हैं, क्या ऐसे राज्यों को विशेष धनराशि आबंटित की जाएगी? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनुका चौधरी: महोदय, क्या आप नहीं सोचते कि यह जिम्मेदारी अपने-अपनें स्टेट की है, अगर वे इस कार्य को कर रहे हैं तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, यह उनकी जिम्मेदारी बनती है। यह बच्चों के भविष्य के फायदे में होता है। अगर स्टेट यह काम कर रही हैं और वे ज्यादा धनराशि चाहते हैं तो पहले उन्हें लिखित में देने दीजिए। हम उन्हें उतना ही देंगे, जैसे हम दूसरे स्टेट्स को देते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि वे लोग अपनी जिम्मेदारी अपने आप उठा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वर्मा जी, कृपया सहयोग करें। और कुछ बोलने की अनुमति नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजनाएं

***102.+ श्री हन्नान मोल्लाह:**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के कार्यान्वयन के लिए राज्य-वार कितना बजटीय आबंटन किया गया;

(ख) चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई;

(ग) क्या योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) घटक के अंतर्गत सात वर्षों की पूरी मिशन अवधि के लिए 25,500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू. आर.एम.)-यू.आई.जी. घटक के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के लिए बजट नियतन इस प्रकार हैं:-

2005-06	500.00 करोड़ रुपए
2006-07	2500.00 करोड़ रुपए
2007-08	2805.00 करोड़ रुपए

बजट में प्रावधान राज्यवार नहीं किया गया है, छोटे और मझोले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत 7 वर्षों की पूरी मिशन अवधि के लिए 6400 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान 2194.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

2005-06	90.00 करोड़ रुपए
2006-07	900.00 करोड़ रुपए
2007-08	1204.00 करोड़ रुपए

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. घटक के अंतर्गत 1181.69 करोड़ रुपए की निर्धारित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) से 2466.53 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत वाली 20 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न अनुबंध-I में दिए गए हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. घटकों में 60 परियोजनाओं के लिए 450.77 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) की पहली किश्त जारी की गई है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. घटक के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के लिए सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति द्वारा मासिक समीक्षा, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव (शहरी विकास) और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय समीक्षाओं, शहरों और राज्यों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एन.आई.यू.ए.) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी (एन.आई.पी.एफ.पी.) द्वारा सुधार कार्यान्वयन के मूल्यांकन तथा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों द्वारा मानीटरिंग के रूप में एक प्रणाली मौजूद है। परियोजनाओं की मंजूरी और बाद की किश्तों के समय सी.एस.एम.सी. भी संबंधित राज्य में परियोजनाओं और सुधारों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करती है और आवश्यक निर्देश देती है। दूसरी और बाद की किश्तें जारी करना भी पहले की किश्तों के उपयोग प्रमाण पत्रों और संतोषजनक प्रगति पर आधारित है। स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियां भी परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियोजित की जाती है।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को परियोजनाओं और सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी करनी अपेक्षित है। राज्य स्तरीय मंजूरी समिति भी कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी करती है। इसके अलावा, सी.एस.एम.सी. द्वारा मासिक समीक्षा और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव (यूडी), भारत सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर क्षेत्रीय समीक्षाएं की जाती हैं ताकि सुधारों का उचित कार्यान्वयन और उपलब्धियां सुनिश्चित की जा सके।

अनुबंध-I

वर्ष 2008-09 (30-09-2008 तक) के दौरान यू.आई.जी. घटक के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
1.	उत्तराखण्ड	1	2460.00	1968.00
2.	पश्चिम बंगाल	4	54068.63	18915.02

1	2	3	4	5
3.	गुजरात	2	51293.74	18325.37
4.	तमिलनाडु	1	4421.25	1574.43
5.	राजस्थान	2	14104.00	6648.00
6.	मेघालय	1	2446.00	2201.40
7.	महाराष्ट्र	5	39126.20	16187.56
8.	उड़ीसा	1	16690.00	13352.00
9.	दिल्ली	1	25378.00	8882.30
10.	त्रिपुरा	1	7826.00	7043.40
11.	झारखण्ड	1	28839.15	23071.32
	कुल	20	246652.97	118168.80

अनुबंध-II

वर्ष 2008-09 (30-09-2008) के दौरान यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्यों का नाम	कस्बों/शहरों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	पात्र केन्द्रीय अंश (अनुमोदित लागत का 80%/90%) (वचनबद्ध ए.सी.ए.)	प्रोत्साहन सहित जारी ए.सी.ए. की पहली किश्त
1	2	3	4	5	6	7
1.	गुजरात	16	16	12240.78	9792.62	4896.31
2.	हिमाचल प्रदेश	2	2	213.98	171.18	85.59
3.	कर्नाटक	7	7	18451.09	14760.87	7380.44
4.	मध्य प्रदेश	3	3	6602.44	5281.95	2640.98
5.	राजस्थान	8	8	26752.76	21402.21	10701.10
6.	तमिलनाडु	3	3	12195.63	9756.50	4878.25

1	2	3		4	5	
7.	उत्तर प्रदेश	16	16	23337.32	18669.86	9334.93
8.	पश्चिम बंगाल	5	5	12768.55	10267.13	5159.70
	कुल	60	60	112562.55	90102.33	45077.30

श्री हन्नान मोल्लाह: हम देख रहे हैं कि पूरे देश का शहरीकरण अत्यंत तेजी से हो रही है जिसके कारण सरकारों के सामने महानगरों में बड़े पैमाने पर पलायन की नई चुनौती उत्पन्न हो रही है। इस स्थिति में एक तरफ महानगरों को इस समस्या का सामना करने के लिए अपनी अवसंरचना का निर्माण करना होगा। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों, अन्य नए क्षेत्रों में जहां शहरीकरण हो रहा है उनका और छोटे शहरों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इन महानगरों की योजनाओं की निर्धारित लागत होती है। इस योजना में, 30 प्रतिशत हिस्से का व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अतः, ऐसी स्थिति में प्रस्ताव विभिन्न राज्यों की ओर से था जिसमें यह कहा गया था कि केंद्र के हिस्से को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। ऐसे में, निकटवर्ती क्षेत्रों में भूमि को खरीदना होगा। भूमि की लागत सम्मिलित नहीं की जाती है। उस संबंध में भी, वे समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में के.लो.नि.वि. अनुसूची दर में भी वृद्धि हो गई है। इसके अतिरिक्त, समितियों की मूल्य वृद्धि से भी समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः सामग्री की बढ़ी हुई लागत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए, कुल अंशदान में 50 प्रतिशत की वृद्धि, भूमि लागत और सामग्री लागत में वृद्धि, ये सभी तीन मुद्दे इसमें सम्मिलित हैं। इस नई स्थिति में, क्या केंद्र सरकार राज्यों के इस प्रस्ताव पर विचार करेगी?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, सम्माननीय सभा जानती है कि शहरी विकास प्रमुख रूप से राज्य का विषय है। पहली बार, भारत सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के रूप में बड़ा मिशन चलाया है।

मुझे यह बताते हुए गर्व है कि यह मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है। मिशन को आरंभ किए जाने से पूर्व राज्यों से पूर्णतः परामर्श किया गया था और इस फार्मूले पर सहमति हुई थी कि केवल 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को 35 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। मिशन के शहरों की सूची में हम 63 शहरों को 50 प्रतिशत से अधिक सहायता दे रहे हैं। कुछ शहरों में, जिन्हें मिशन शहरों की सूची में राज्यों की राजधानियों, संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों और मंदिर कस्बों के मुख्यालयों के रूप में सम्मिलित किया गया है उन्हें हम 80 प्रतिशत सहायता दे रहे हैं। भारत में केवल 6 शहर हैं जहां हमारा अंशदान 35 प्रतिशत है। मुझे नहीं लगता कि मिशन के बीच में इन आंकड़ों को संशोधित करना संभव होगा। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई सहित ये छह शहर इस भार को वहन कर सकते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में असमान विकास हमारी भारतीय व्यवस्था के लिए अभिशाप है और इसी कारण हम देखते हैं कि 8 बड़े राज्यों ने 80 प्रतिशत निधि पर कब्जा कर लिया है परंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र और छोटे तथा कमजोर राज्यों में, जहां शहर और कस्बे भी हैं और जहां बड़ी तेजी से शहरीकरण हो रहा है उनकी उपेक्षा की गई है। यदि हम इन क्षेत्रों का विकास करने पर विशेष जोर नहीं देते हैं तो यह असमानता कभी समाप्त नहीं होगी। यह एक अन्य समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है?

तत्पश्चात् नागरिकों को सहभागी बनाकर इस कार्यक्रम की समीक्षा की बहुत आवश्यकता है। अधिकारियों द्वारा समीक्षा सदैव सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार नागरिकों को सहभागी बनाकर कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कैसे कर सकती है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मिशन की अवधि में हमारा सांकेतिक राज्यवार सीमा द्वारा पूर्ण मार्गदर्शन किया गया है और राज्यवार सीमा को प्रत्येक राज्य की शहरी जनसंख्या को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। पूर्वोत्तर के मामले में हम 90 प्रतिशत दे रहे हैं। एक साथ रखे गए राज्य और शहरी निकाय को केवल 10 प्रतिशत

जुटाना होगा। मैं समझता हूं कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रिया एक समान नहीं है। ऐसे राज्य भी जो पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दे पाए हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि उन्हें निधियों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिल सके जो कि 7 वर्षों की मिशन अवधि राज्यवार सीमा के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री शाहनवाज हुसैन, मैं आपको देख नहीं सकता क्योंकि आप अपने स्थान पर नहीं हैं। तथापि आज मैं आपको अनुमति देता हूं। आपके नाम पर अनुपूरक प्रश्न है। क्या आप वह प्रश्न पूछना चाहेंगे?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: इस पर नहीं बल्कि प्रश्न संख्या 104 पर महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आपकी प्रश्न सं. 102 में रूचि नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदय, हाल में, इस वर्ष 3 अक्तूबर, को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक पत्र भेजा गया है और इससे जे.एन.एन.यू.आर.एम. की परियोजना से संबंधित आशंकाएं बढ़ी हैं। अतः, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के भाग को अन्य शहरों और कस्बों तक विस्तार करने का निर्णय लिया है और यदि गैर-मिशन शहर क्षमता निर्माण योजनाओं के प्रस्ताव भेजें तो क्या उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मिशन शहर केंद्रीय अनुदान लेने में आगे नहीं बढ़ रहे थे और इसी कारण केंद्र सरकार को इस योजना का विस्तार गैर मिशन शहरों तक भी करना पड़ा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, जैसा कि मैंने कहा 63 मिशन शहरों के लिए शहरी अवसंरचना व्यवस्था के अंतर्गत हमारे पास एक योजना है। हमारे पास छोटे और मझोले कस्बों के लिए अलग योजना अर्थात यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी. है। इसलिए, उस योजना के अंतर्गत हम उदार सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहूंगा कि हम उस योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत सहायता देते हैं। अनेक राज्य इस सहायता को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। वे अपनी राज्यवार सीमा की दिशा में लगभग दौड़ रहे हैं। मेरे विचार से उड़ीसा भी इसका लाभ उठा सकता है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैंने 3 अक्तूबर को उनके मंत्रालय द्वारा लिखे पत्र का उल्लेख किया जिसमें उल्लेख किया गया कि चूंकि कई राज्य जे.एन.यू.यू.आर.एम. के लिए आगे नहीं आ रहे हैं इसलिए इसे संशोधित किया जा रहा है और गैर-मिशन शहरों को क्षमता निर्माण हेतु लिया जा रहा है।

मोहम्मद सलीम: उन्होंने कटक के संबंध में उत्तर नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: हां, कटक भी।

अध्यक्ष महोदय: भटकिए मत।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, जब तक मैं पत्र न देख लूं, उनसे अलग से बात न कर लूं तब तक मैं उचित रूप से सही उत्तर नहीं दे पाऊंगा।

जहां तक कटक का संबंध है तो हम यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी. के अंतर्गत सहायता देने के लिए तैयार हैं।

श्री विजय बहुगुणा: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यह योजना अति प्रशंसनीय है। इससे शहरों का सौंदर्यीकरण होगा और बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। अब उन छावनी क्षेत्रों में अत्यधिक असंतोष है जो शहरों के अंग हैं। आप दोनों को द्विभाजित नहीं कर सकते।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्यों की राजधानियों में स्थित छावनी क्षेत्रों को भी इस योजना में शामिल करने पर विचार कर रही है ताकि सिविल जनसंख्या, जो काफी ज्यादा है, यथा दिल्ली और देहरादून, को भी योजना का लाभ मिल सके। क्या सरकार ऐसी योजना बना रही है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, यह मिशन सुधारपरक भी है। जब तक स्थानीय निकाय संविधान के 74वें संशोधन को शब्दशः कार्यान्वित नहीं करते, हम सहायता नहीं दे सकते। छावनी निकायों की समस्या यह है कि उनके चुनाव नहीं होते हैं। मैं धन किसको दूं? यही समस्या है। हम रक्षा मंत्रालय के साथ इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिल सका है। जब भी समाधान मिल जाएगा, हम उन्हें सहायता उपलब्ध करा देंगे।

लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। इस मिशन के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने से पहले शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, आज उनके अनुकरणीय व्यवहार के लिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और यू.पी.ए. सरकार के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी जिन्होंने इस सोच के तहत कि जिस तरह से समस्या गांव में है, उससे कम समस्या शहर में नहीं है। एक नयी पालिसी के तहत पूरे देश के 63 शहरों का जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत चयन किया गया। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बिहार में भी मेरे संसदीय क्षेत्र पटना और बोधगया का इसके लिए सिलैक्शन हुआ। पटना बिहार की राजधानी है। वहां बहुत सारी समस्याएं हैं - पानी, रोड, बिजली, कम्युनिटी हाल, पार्क वगैरह-वगैरह, जो कि आम समस्यायें हैं। हर रोज बहुत सी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं।

साढ़े तीन-चार वर्ष पूर्व इस योजना के तहत पटना और बोधगया का सेलेक्शन हुआ। मगर दुर्भाग्य यह है कि जो अभी राज्यवार लिस्ट जारी की गयी है, उसमें पटना, बिहार का नाम कहीं नहीं है, उसमें बोधगया का नाम कहीं नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वजह है कि पटना शहर और बोधगया में अभी तक एक रुपया भी आपने आबंटित नहीं किया है? क्या कारण है जिसकी वजह से पटना और बोधगया के लोग वंचित हैं? बोधगया की ऐतिहासिक महत्ता है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मिनिस्टर साहब आपका प्रश्न समझ गए हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: कुछ ऐसे राज्य हैं जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सहायता प्राप्त नहीं कर सके थे। बिहार के मामले में, श्री राम कृपालजी के निर्वाचन क्षेत्र में हमने एक परियोजना को मंजूरी दी थी और हम बिहार के अन्य शहरों, विशेषकर इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए, बोधगया के लिए मंजूरी देने को तैयार हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य के लिए निश्चित धनराशि आरक्षित की गई है।

अब तक हमने 18.47 करोड़ रुपए की केवल एक परियोजना मंजूर की है। उनके लिए 423 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध है। तीन वर्ष समाप्त होने वाले हैं। अब भी चार वर्ष बचे हैं। मैं राज्यों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जो राज्य सहायता प्राप्त नहीं कर पाए हैं वे अब भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास मिशन की चार वर्ष की अवधि बाकी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अच्छा हो गया, आपको सब मिल गया।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने वाटर सप्लाई स्कीम और एम.एस.डी.पी.-2 के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन एम.एस.डी.पी. कम्पोनैंट-2 और पाइपलाइन जो तान्सा, गुंडोली से जाती है, उसके लिए मुम्बई शहर के लिए पैसे कब देने वाले हैं? दूसरा, आपने कहा कि आप अभी अस्सी प्रतिशत गांवों के लिए दे रहे हैं। उसमें स्लम डैवलपमैंट के लिए सिर्फ अस्सी हजार रुपये दे रहे हैं। उसमें 269 स्कवायर फीट कैसे हो सकता है, घर कैसे बन सकता है? क्या इसे इनहांस करके दो लाख रुपये करेंगे? हमारे मुम्बई शहर में चार लाख लोग सालाना आते हैं जिसके कारण मुम्बई में झुग्गी-झोंपड़ियां बसती हैं और पानी, गंदगी फैलती है। वैसे मुम्बई की झुग्गी-झोपड़ियों में एक करोड़ बीस लाख लोग रहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आप कहां से कहां चले गए?

श्री मोहन रावले: सर, मैं उसी पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप उस पर नहीं हैं।

श्री मोहन रावले: यह केवल स्लम डैवलपमैंट से ही संबंधित है। क्या आप मुम्बई शहर को एक स्पैशल पैकेज देंगे? हमारी तरफ से आपके यहां सालाना एक लाख करोड़ रुपये आते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुम्बई में बहुत कुछ स्पैशल चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मुंबई का विशेष ढंग से ध्यान रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने मुंबई में गहरी और

विशेष रूचि दर्शाई है जिसके परिणामस्वरूप मुंबई एकमात्र ऐसा शहर था जिसके लिए मुंबई के शहरी स्थानीय निकाय अथवा महाराष्ट्र के योगदान के बिना ही 'बी.आर.आई.एम.एस. टी.ओ.डब्ल्यू.ए.डी.' योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। महोदय, जहां तक मुंबई की बात है, मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वे इस मिशन के अंतर्गत सभी संभव सहायता प्राप्त कर चुके हैं। और प्रस्ताव भेजना राज्य सरकार का कार्य है। लेकिन वे राज्यवार सीमा से आगे नहीं जा सकते। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मुंबई सबसे ज्यादा सहायता प्राप्त करने वाला शहर है; महाराष्ट्र सबसे ज्यादा सहायता प्राप्त करने वाला राज्य है। जिस योजना विशेष की आप बात कर रहे हैं उनकी जांच की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: मेरी एक शिकायत है। कोलकाता से मेरी एक शिकायत है। आपको सब कुछ मिल रहा है।

सफल संचालन के लिए श्री कलमाडी को विशेष अवसर...

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: कोलकाता के संबंध में पश्चिम सरकार द्वारा संदर्भित सभी योजनाओं पर ध्यान दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, थोड़े से पक्षपात की तो अनुमति है।

श्री सुरेश कलमाडी: पुणे शहर के विकास के लिए काफी धनराशि देने के लिए मैं श्री जयपाल रेड्डी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि वहां राष्ट्रमंडल युवा खेल होने हैं। वे 'जे.एन.एन.यू.आर.एम.' के अंतर्गत शहर के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक दे चुके हैं। 'जे.एन.एन.यू.आर.एम.' से नए शहरों की स्थापना की गई; नई सड़कों का निर्माण किया गया और नदी के साथ-साथ विकास कार्य आदि कराए गए।

मेरी एकमात्र समस्या यही है जो श्री विजय बहुगुणा ने बताया है अर्थात यह शहर खुश है लेकिन छावनी क्षेत्र नाखुश है क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय: वे पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मुझे यह कहते हुए खुशी और गर्व दोनों हैं कि पुणे को राष्ट्रमंडल युवा खेलों के लिए उचित प्रकार से तैयार किया गया था; इसलिए हमारे मिशन के अंतर्गत निधियां दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय: अच्छा। यह जाने बिना ही मैंने उन्हें बधाई दे दी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: लेकिन, महोदय, श्रेय तो उन्हीं को मिलना चाहिए क्योंकि वे मुझसे यह धन ऐंठने में सफल रहे हैं।

महोदय, मैं कोई बहुत उदार व्यक्ति नहीं हूं।...*(व्यवधान)*

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं उनसे सहमत हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह दर्शाता है कि वे कैसे खिलाड़ी हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, जहां तक छावनी समस्या का संबंध है, यह सैद्धांतिक रूप से हल की जानी चाहिए। हम रक्षा मंत्रालय से पत्राचार कर रहे हैं।

मोहम्मद सलीम: महोदय, स्वयं 'जे.एन.एन.यू.आर.एम.' नाम से पता लग जाता है कि वर्तमान शहरी सुविधाओं के पुनरुद्धार, नवीकरण और उन्हें सशक्त बनाने का प्रश्न है। लेकिन स्वतंत्रता के साठ वर्ष पश्चात भी, हम छोटे कस्बों, मध्यम कस्बों और बड़े शहरों में इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

यद्यपि यह योजना अत्यंत उपयुक्त है, सुनियोजित है और दीर्घकाल तक इसकी आवश्यकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार का शहरी विकास मंत्रालय यह जानने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार करेगा कि वे नई सुविधाएं तैयार करने के लिए, नए निर्माण के लिए; 'जे.एन.एन.यू.आर.एम.' के अंतर्गत क्या मंजूर कर रहे हैं; और वे मौजूदा परंपरागत शहरी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के पुनरुद्धार, उन्हें मजबूत बनाने, पुनर्निर्माण के लिए वे क्या कर रहे हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, नाम अपर्याप्त हो सकता है लेकिन हम पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण तक सीमित नहीं है। हम पुराने शहरों के नए विकसित हुए क्षेत्रों और नए कस्बों के लिए भी परियोजनाएं मंजूर कर रहे हैं। हमें ज्ञात है कि शहरीकरण तेजी से हो रहा है और भविष्य में अत्यधिक शहरीकरण होगा। इसलिए, इस मिशन में नए विकास का ध्यान रखा जाएगा।

बैंकों के विरुद्ध शिकायतें

*103. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकों के पास उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध अधिकांश शिकायतों का निपटान समयबद्ध तरीके से करने के लिए कोई तंत्र बनाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है जो ऐसी शिकायतों का शीघ्र निवारण नहीं करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) बैंकों में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के लिए और ग्राहक सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने चार स्तरीय संस्थागत व्यवस्था निर्धारित की है, जिसमें (i) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, (ii) ग्राहक सेवा के संबंध में कार्यपालकों की एक स्थायी समिति, (iii) प्रधान कार्यालय और नियंत्रक कार्यालयों में ग्राहक सेवा के लिए एक नोडल विभाग/अधिकारी और (iv) शाखा स्तर पर एक ग्राहक सेवा समिति शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 मई, 2008 के अपने परिपत्र के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया है कि ग्राहकों/संघटकों से शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए उपयुक्त तंत्र विद्यमान हो, जिसमें शिकायतों के स्रोत पर ध्यान दिए बिना ऐसी शिकायतों का निष्पक्षतापूर्वक और शीघ्र समाधान करने पर विशेष बल दिया जाए। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि सभी बैंकों में शिकायतों की पावती देने की प्रणाली होनी चाहिए, शिकायतों का समाधान करने की समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली और प्राथमिकता क्षेत्र तथा सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित शिकायतों का निवारण भी उपर्युक्त प्रक्रिया का भाग हों। भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) ने भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बी.सी.एस.बी.आई.) द्वारा तैयार की गई "ग्राहकों के प्रति बैंकों द्वारा प्रतिबद्धता की संहिता" के एकसमान कार्यान्वयन को सहज बनाने के लिए बैंकों में शिकायत निवारण के संबंध में एक माडल नीति जारी की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके ग्राहकों/संघटकों से शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें ऐसी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान करने पर विशेष बल दिया जाए। इसके अलावा, आई.बी.ए. ने यह परामर्श दिया है कि बैंकों को शिकायत निवारण तंत्र का विज्ञापनों के माध्यम से और उसे अपनी वेबसाइटों पर भी डालकर व्यापक प्रचार करना चाहिए, आदि।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अधिसूचित की गई है। इस योजना का उद्देश्य बैंकों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण की प्रणाली का प्रावधान करना है। यह योजना वर्ष 1995 से चल रही है और वर्ष 2002 और 2007 के दौरान इसे संशोधित किया गया है। पूरे देश में 15 बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालय स्थित हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन एक स्वतंत्र निकाय है, जिसे विवादों का शीघ्र और किफायती समाधान करने की शक्तियां प्राप्त हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन बैंकिंग या अन्य सेवाओं में कमियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त करता है और उन पर विचार करता है और संबंधित बैंक तथा पीड़ित पार्टियों के बीच करार द्वारा या बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से या अपने क्षेत्राधिकार के अंदर योजना के अनुसार अधिनिर्णय पारित करके उसके समाधान या निपटान को सहज बनाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 दिसम्बर, 2005 की अपनी अधिसूचना के तहत सभी वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006 का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड स्तर, कार्यकारी स्तर तथा नोडल एजेंसी के स्तर पर तथा शाखा-स्तर पर भी चार-स्तरीय संस्थागत व्यवस्था की है। ओम्बड्समैन नामक एक अलग योजना भी है जो ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है। इस समय भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेवा की गुणवत्ता काफी गिरी है।

कई वर्षों से अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की संख्या कई गुणा बढ़ गई है। इस वृद्धि के साथ ही शिकायतों की संख्या में वृद्धि अवश्यंभावी है। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में एक कारगर शिकायत निवारण प्रणाली की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उन्हें हर प्रकार की शिकायत को स्वीकार करना चाहिए; शिकायत को दूर करने के लिए एक समय-सीमा तय करनी चाहिए और विज्ञापनों के माध्यम ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र के बारे में व्यापक प्रचार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना अनुपूरक रखिये।

श्री किन्जरपु येरननायडु: देश में अन्यत्र ऐसा कभी नहीं हुआ है। यही कारण है कि मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध, ग्राहकों में खातों से अवैध तथा अनधिकृत धन-निकासी सहित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है तथा इन बैंकों, बैंक कर्मियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राज्य-वार ब्यौरा वे कैसे दे सकते हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, सर्वप्रथम में अत्यंत आदर के साथ, माननीय मंत्री से असहमति जताता हूं जब वे यह कहते हैं कि बैंकिंग सेवाओं के स्तर गें गिरावट आ रही है। वास्तव में, रिकार्ड यह दर्शाते हैं कि तथा आम धारणा यह है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र उत्तम सेवा दे रहा है। खातों की संख्या और बैंकिंग कारोबार की तुलना में ओम्बड्समैन के समक्ष दायर की गई शिकायतों की संख्या बहुत ही नगण्य है, यदि आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

महोदय, विशिष्टताओं की चर्चा करते हुए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2002-03 से 2006-07 के शुरुआत से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सिड्यूल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, कुल मिलाकर इन वर्षों में शिकायतें एक लाख के लगभग हैं और ओम्बड्समैन ने अधिकांश शिकायतों का समाधान किया है। वास्तव में, लगभग सभी शिकायतें दूर कर दी गई हैं।

इसलिए, फरवरी, 2008 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एक बड़ा तंत्र काम कर रहा है। वास्तव में, बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे शिकायतों के लिए शाखा स्तर पर एक रजिस्टर अवश्य रखें तथा शिकायतों के निवारण के लिए उनके पास एक समय-सीमा अवश्य होनी चाहिए।

महोदय, मैं पूरी संतुष्टि के साथ कह सकता हूं कि उन दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, यद्यपि, शाखा स्तर पर समितियां तथा कार्यकारी स्तर पर नोडल एजेंसियां हैं लेकिन वे अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं। यदि कोई संसद सदस्य या विधायक कोई शिकायत करता है तो उसे अपनी शिकायत की पावती मिलती है। लेकिन यदि कोई सामान्य नागरिक ने कोई शिकायत की हो तो उसकी शिकायत की कोई पावती नहीं दी जाती। यही कारण है कि माननीय मंत्री द्वारा दिखाई गई शिकायतों की संख्या कम है। लेकिन व्यवहार में यह संख्या, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी है। इसीलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें। प्रत्येक शिकायत के लिए पावती दी जानी चाहिए। तभी, हमें पता होगा कि शिकायतों का निवारण हुआ अथवा नहीं।

महोदय, अब मैं दूसरी अनुपूरक की बात करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इतना लम्बा क्या था जिसका उल्लेख आपने किया?

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, यह मात्र पृष्ठभूमि थी।...*(व्यवधान)*

महोदय, आप अवश्य ज्ञात होगा कि बैंकों के स्वंचालित गणक मशीनों (ए.टी.एम.) में भी बड़ी संख्या में जाली नोट पाए गए हैं। ये जाली नोट निर्दोष ग्राहकों के हाथों में चले गए।

ऐसे कितने मामले सरकार की नजरों में आए हैं और उन जाली नोटों के विनिमय के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जो ग्राहकों के हाथों में चले गए हैं?

अध्यक्ष महोदय: इस अनुपूरक से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देने की स्थिति में हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, जहां तक इनके दूसरे

अनुपूरक का संबंध है, यह उसके दूसरे अनुपूरक की पुनरावृत्ति थी।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आप इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। आप उनके दूसरे अनुपूरक के दूसरे भाग का उत्तर दे सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: उनके दूसरे अनुपूरक के दूसरे भाग का इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है...*(व्यवधान)* हमें नकली नोट मिल रहे हैं। यह भी एक शिकायत है।

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसे लोगों से बचें।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, जाली नोटों के मामले में समय पर कार्रवाई की जाती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम सभी को ऐसे लेन-देन से बचना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल ठीक है कि नेपाल से सटी हुई भारत की जो सीमा है, उस पर भारत देश के बाहर से बहुत सारे फर्जी नोटों का कारोबार पिछले चार-पांच वर्षों से चल रहा है। मैंने इस पार्लियामेंट में एक साल पहले सवाल किया था और उत्तर प्रदेश का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय है, उसे मैंने अनेक पत्र लिखे, लेकिन इसके ऊपर जगने का काम बैंक के अधिकारी और कर्मचारी, मैं इल्जाम लगा सकता हूं कि भारत सरकार ने भी जगने का काम नहीं किया और अरबों रुपये के नोट भारत में आ गये। इस पर भारत सरकार को एक चर्चा करनी चाहिए और मंत्री जी को एक वक्तव्य देना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकों में कितने बड़े पैमाने पर फर्जी नोट बाहर से आये हैं और उन फर्जी नोटों को बाजार से बाहर करने और जो कुछ भी आज प्रचलन में बाहर नोट रह गये हैं, उनको अपने दायरे में लाने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री पवन कुमार बंसल: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही नोट छापती है, जो नोट लीगल टेंडर होते हैं। जो फेक करेंसी होती है, वह कहीं बाहर से होती है, कोई बाहर से करता है। जब भी कोई नोटिस या इल्म में बात आती है, तो उसके मुताबिक एक्शन लिया जाता है और इसमें सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ताल्लुक नहीं है, इसमें अलग-अलग जगह जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या अपनी-अपनी स्टेट में पुलिस की फोर्सेज हैं, उन सभी का रोल उसमें डिटेक्ट करने का होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी कभी कोई शिकायत आती है, उस पर सही कार्रवाई होती है, लेकिन जो इन्फोर्मेशन यह चाहते हैं, वह इस प्रश्न का हिस्सा नहीं है। अगर माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं, तो वह अलग से क्वश्चेन रेज करें। हम उसका जवाब देंगे।

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, मैं बैंकों के विरुद्ध शिकायतों से संबंधित छोटे मुद्दों के अतिरिक्त, एक ऐसे बड़े मुद्दे के बारे में जानना चाहता हूं जिसमें बैंकों ने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को मदद करने का वचन दिया है।

संसद सदस्य के रूप में हमने जिला स्तर पर कई बैठकें की है। जिला स्तर पर समन्वय का स्तर बहुत कम है। इस संबंध में मैं एक योजना के बारे में बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बहुत संक्षेप में तथा विशिष्ट बातें ही बतायें।

श्री कीरेन रिजीजू: जी हां, महोदय। यह बहुत ही विशिष्ट प्रश्न है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक कार्यक्रम है। मेरा कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए बैंकों से सहायता नहीं मिल रही है। कई शिकायतें भी दर्ज हुई है। मैंने भी महिला स्व-सहायता समूहों के बारे में विशिष्ट रूप से लिखा है कि बैंकों द्वारा उनकी मदद नहीं की जा रही है।

इसलिए, इस विषय में सरकार क्या कर रही है?

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: इस समय देश में 30 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं। प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 12-15 मेम्बर्स हैं, इस हिसाब से चार करोड़ से अधिक

लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं। इतने लोगों के परिवार इनसे जुड़े हुए हैं, इस तरह अगर हम इस संख्या को चार से जरब कर दें, तो तकरीबन 20 करोड़ की आबादी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हुई है। हमारा अनुभव यह है कि सभी जगह उनसे काम अच्छा हुआ है। स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल बैंकर्स की मीटिंग्स होती हैं, तीन-तीन महीने पर वहां समीक्षा होती है, जहां-जहां मुख्यमंत्री चाहते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं और अधिकारीगण वहां आते हैं। मैंने खुद वहां जाकर देखा है कि उन मीटिंग्स में अच्छी चर्चा होती है और प्रान्तीय सरकारें वहां काफी कुछ बैंक्स के जरिए हासिल कर सकती हैं। जिला स्तर पर डी.एल.सी.सी. और डी.एल.आर.सी. होती है, जिसमें उस स्थान के संसद सदस्य मेम्बर होते हैं, उनको मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण दिया जाता है, वे उसमें हिस्सा लेते हैं। वहां पर समीक्षा होती है कि जितनी भी लघु स्कीम्स हैं, उनके तहत कैसे आगे कार्यवाही हो सके। वे संसद सदस्य उसमें हिस्सा ले सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री सुधाकर रेड्डी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है। इसको कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**...

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं। बाहर से कार्य कराने वाली एस.बी.आई. की एजेंसियों तथा अन्य बैंकों द्वारा बैंकों के क्रेडिट कार्ड के उपयोग के बारे में आई बड़ी संख्या में शिकायतों के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि हमसे ग्राहकों को नुकसान हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, बैंक क्रेडिट कार्ड्स के वर्ष 2006-07 के जो आंकड़े हमारे पास हैं, उनमें सभी बैंक्स को मिलाकर 7,688 कंप्लेन्ट्स थीं और जैसा मैंने पहले अर्ज किया था, जो कंप्लेन्ट्स ओम्बड्समैन के पास आती हैं, उनमें उस हिसाब से कार्यवाही होती है। जो शिकायतें रिकवरी एजेंट्स वगैरह से सम्बन्धित होती हैं, उनके बारे में आर.बी.आई. की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कहीं भी गैर-कानूनन तरीके से कोई भी अख्तियारात बैंक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मुझको भी बोलने का मौका दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, अपने स्थान पर जाइये। मैं आपको देखना नहीं चाहता।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': महोदय, बैंक की कार्य-प्रणाली दो तरह की होती है, एक तो यह कि कस्टमर्स जो पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं और दूसरी महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली किसानों को क्रेडिट कार्ड देना, उनको ऋण स्वीकृत करना, बेरोजगार नौजवानों को ऋण देना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमने दो प्रश्न में 40 मिनट बर्बाद कर दिये।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': माननीय मंत्री जी ने यह ठीक बात कही है कि जो कस्टमर्स बैंक में पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, उसमें कोई शिकायत नहीं होती है, लेकिन बैंक्स की कार्यप्रणाली का जो दूसरा पार्ट है, किसानों को ऋण स्वीकृत करना, बेरोजगारों को ऋण स्वीकृत करना, उसमें जो कंप्लेन्ट्स आती हैं, उनका कोई निवारण नहीं होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में है।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': मैं उसी के बारे में बता

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहा हूं। ऐसी शिकायतों का कोई निवारण नहीं होता है और वर्षों तक किसान एवं बेरोजगार बैंकों में भटकते रहते हैं, उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होता है। आपका मैकेनिज्म जरूर है, लेकिन कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि किसानों और बेरोजगारों को ऋण देने के मामले में, क्रेडिट कार्ड के मामले में, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ऋण देने के मामले में अपने मैकेनिज्म को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सी कार्यवाही करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: दोनों पक्षों को संक्षेप में बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इस वक्त देश में किसान क्रेडिट कार्ड सात करोड़ से अधिक लोगों को जारी किए जा चुके हैं। उनमें अक्सर यह होता है कि किसानों को अगर किसी वक्त 25-50 हजार रुपए तक की जरूरत होती है, तो वह उनको मिलता है। इसमें हम खासतौर पर यह ध्यान रखते हैं कि उनकी शिकायतों का निवारण हो। अगर कभी कोई शिकायत आ भी जाती है तो उसको हम यहां देखते हैं। अगर माननीय सदस्य के पास कोई स्पेशिफिक शिकायत है, हमें उसकी जानकारी देना चाहेंगे, तो मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उस पर गौर किया जाएगा और कार्यवाही भी की जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': महोदय, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, अगर माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं तो मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि सरकार की...*(व्यवधान)* है। उसके तहत 100 फीसदी वित्तीय समावेश हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': लेकिन बेरोजगारों के बारे में क्या किया गया है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राजीव रंजन जी, यह ठीक नहीं है। मैंने आपको अपनी बात कहने का मौका दिया। आपने बहुत लंबा प्रश्न किया।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, हमें सभी को बैंकिंग के दायरे में लाना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया, शांत रहिये। आपके व्यवधान में चलते मैं उनका उत्तर सुन नहीं पा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, वित्तीय समावेश की नीति के तहत सभी को बैंकिंग प्रणाली में लाकर, सभी को ऋण मिल सके, इसके लिए यह सरकार की योजना है और इसके लिए प्रान्तों में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और आगे काम चल रहा है।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था कि छोटे लोगों को बड़ा बनाया जा सके। लेकिन आज हम देखते हैं कि बैंक वाले केवल बड़े लोगों को और बड़ा बनाने के लिए ही पैसा देते हैं, छोटे लोगों को नहीं देते हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या एस.सी., एस.टी. और गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऋण देकर उनका स्तर उठाने के लिए सरकार बैंकों को कोई दिशा-निर्देश देगी, क्योंकि इस बात की बहुत आवश्यकता है कि इन गरीब लोगों को बड़ा बनाने के लिए ज्यादा ऋण दिया जाए, न कि अमीरों को और अमीर बनाने के लिए उन्हें पैसा दिया जाए?

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने कभी इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की है?

श्री रामदास आठवले: मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि गरीब लोगों को अमीर बनाएं। इसके लिए वह क्या कर रहे हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, बैंकों की तरफ से जितना ऋण दिया जाता है उसमें 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र में दिया जाता है और दस फीसदी वीकर सेक्शन को दिया जाता है। अभी जो 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं,

आप उसे वर्क आउट कर सकते हैं, हमने पर्सेंटेज के हिसाब से ज्यादा दिया है, कम नहीं दिया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

*104.+ श्री टेक लाल महतो:

श्री एस. अजय कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की सामाजिक लेखा-परीक्षा करवाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कई राज्य योजना का कार्यान्वयन करने में पिछड़ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) योजना का कार्यान्वयन कारगर तरीके से करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या कुछ राज्यों ने योजना के अंतर्गत अधिक धनराशि आबंटित करने की मांग की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने तथा सार्वजनिक सहभागिता शुरू करने के लिए निम्नलिखित सहित अनेकों कदम उठाए हैं -

(i) आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत शामिल किए गए गांवों तथा किए गए कार्य के विवरण इंटरएक्टिव वेबसाइट www.rggvy.gov.in पर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। जन प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं तथा उन पर ध्यान दिया जा रहा है।

(ii) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति के प्रबोधन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(5) के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा जिला समितियों की स्थापना किया जाना अपेक्षित है। जिला पंचायत/जिला नियोजन समिति के अध्यक्ष/जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित ऐसी जिला समितियों में अन्य के साथ-साथ विभिन्न संबंधित जिला स्तरीय एजेंसियों, उपभोक्ता संस्थाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण पणधारियों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाने चाहिए।

(iii) आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत कार्य के पूरा होने के प्रमाण के रूप में ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र अपेक्षित है।

(iv) योजना के तहत परियोजनाएं XIवीं योजना में त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रबोधन तंत्र के शर्त्ताधीन हैं।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों में आर.जी.जी.वी.वाई. का निष्पादन मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से पिछड़ा है -

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) की प्राप्ति में विलंब।
- कुछ राज्यों द्वारा बी.पी.एल. सूचियों को अंतिम रूप देने में विलंब।
- वन संबंधी मंजूरी में विलंब।
- 33/11 केवी उप-केन्द्रों के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब।
- टर्नकी ठेकों के निष्पादन के लिए उपलब्ध अच्छी एजेंसियों की सीमित संख्या।
- अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा बहुत अधिक दरें उद्धरित करना।
- खंभे आदि सामग्री की कमी और ऊंची कीमत।
- राज्यों द्वारा रोड परमिट एवं वे बिल जारी करने में देरी।
- राज्य यूटिलिटियों द्वारा, केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) द्वारा भौतिक परिसंपत्तियों को अधिकार में लेने में देरी।
- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पंचायत प्रमाण पत्र जारी करने में देरी।

- ग्रामीणों में नए कनेक्शन लेने के प्रति जागरूकता न होना।
- कुछ राज्यों में ग्रामीण विद्युत के ऊपरी आधारभूत ढांचे की अत्यंत दुर्बल स्थिति।
- कुछ राज्यों द्वारा लाइन सामग्री को राज्य एवं स्थानीय करों से मुक्त करने में देरी अथवा इंकार करना।
- कुछ राज्यों में कठिन भू-क्षेत्र और बाढ़।

आर.जी.जी.वी.वाई. का राज्यवार एवं वर्षवार भौतिक तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I और II में दिया गया है।

(ङ) आर.जी.जी.वी.वाई. के कारगर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

- भारत सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयीन निगरानी समिति बनायी है जिसकी बैठकें, परियोजनाएं स्वीकृत करने और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सावधिक रूप से आयोजित की जाती हैं।
- राज्यों को, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिए जिला समितियां बनाने की सलाह दी गई है। अधिकतर राज्यों ने जिला समितियों का गठन अधिसूचित कर दिया है।
- भारत सरकार और आर.जी.जी.वी.वाई. की नोडल एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) भी, सहमत कार्यक्रमों के अनुसार योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सभी स्टेक होल्डरों, संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बारंबार समीक्षा बैठकें संचालित करते हैं।
- परियोजनाओं के तेज एवं कारगर कार्यान्वयन के लिए, उनका निर्माण टर्न-की आधार पर शुरू किया गया है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों का गुणात्मक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया लागू की गई है।
- बी.पी.एल. कनेक्शन के लिए अनुदान राशि को 1500/- रुपए से बढ़ाकर 2200/- रुपये कर दिया गया है।
- लागत बढ़ोत्तरी से निपटने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु लागत मानदंडों को संशोधित कर बढ़ाया गया है।
- सामग्रियों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आई.ई.ई.एम.ए. के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।
- फंडों के पैकेज से बचने के लिए ई-ट्रांसफर का उपयोग करके फंड फ्लो को दुरुस्त किया गया है।
- मुख्यमन्त्रियों से योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया गया है।
- योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर के मुद्दों के समाधान हेतु मुख्यमंत्रियों तथा राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति गठित करने का अनुरोध से किया गया है।

(च) और (छ) इस स्तर पर सरकार द्वारा दसवीं तथा ग्यारहवीं योजना के चरण-I हेतु आर.जी.जी.वी.वाई. के लिए 33,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। यह धनराशि 530 जिलों में चलाई जा रही 558 विद्युतीकरण परियोजनाओं हेतु पर्याप्त है। कुछ राज्यों द्वारा पहले से विद्युतीकृत गांवों के सघन विद्युतीकरण हेतु पूरक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। सरकार ग्यारहवीं योजना के चरण-II की अवधि के लिए ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देने पर विचार कर सकती है जिन पर अभी अनुमोदन दिया जाना है।

अनुबंध-I

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति

01-10-08 के अनुसार

क्र. सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		संचयी लक्ष्य	1-10-2008 के अनुसार संचयी उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	1-10-2008 के अनुसार उपलब्धि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	365	0	365	0
3.	असम	0	0	140	0	50	84	959	118	1149	202
4.	बिहार	1600	1600	10097	8415	6000	3347	5249	394	22946	13756
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	50	0	117	0	167	0
6.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	झारखण्ड	0	0	1918	0	2150	1259	8228	1417	12296	2676
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	10	0	0	0	103	0	113	0
11.	कर्नाटक	35	47	0	0	0	0	34	0	69	47
12.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0	100	0	50	15	100	6	250	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मणिपुर	0	0	30	0	0	36	150	40	180	76
16.	मेघालय	0	0	10	0	0	0	174	32	184	32
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
18.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0
19.	उड़ीसा	0	0	500	0	350	0	2672	258	3522	258
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	124	230	1250	765	500	633	367	8	2241	1636
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	16	0	16	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	48	0	48	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	7355	7503	21956	16620	4000	2862	1964	414	35275	27399
26.	उत्तराखण्ड	230	87	850	798	350	341	198	98	1628	1324
27.	पश्चिम बंगाल	656	352	3240	2108	1500	724	769	329	6165	3513
	कुल	10000	9819	40101	28706	15000	9301	21625	3114	86726	50940

अनुबंध-II

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत राज्यवार और वर्ष-वार संवितरित राशि

01-10-08 के अनुसार

क्र. सं.	राज्य	आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत संवितरित राशि					कुल (करोड़ रुपये में)
		2004-05 के दौरान	2005-06 के दौरान	2006-07 के दौरान	2007-08 के दौरान	2008-09 के दौरान	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	9.12	94.35	265.44	24.64	393.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.25	0.00	179.84	0.00	182.09
3.	असम	0.00	1.80	39.23	64.99	27.58	133.60
4.	बिहार	200.24	185.00	470.14	747.03	16.73	1619.14
5.	छत्तीसगढ़	0.00	16.94	36.27	47.44	71.68	172.33
6.	गुजरात	0.00	0.23	13.36	17.93	16.08	47.60
7.	हरियाणा	0.00	0.74	12.33	24.66	0.00	37.73
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.18	7.48		0.00	7.66
9.	झारखण्ड	0.00	4.94	285.24	598.96	200.48	1089.62
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	19.59	29.81	19.59	68.99
11.	कर्नाटक	0.00	72.59	87.36	324.91	0.00	484.86
12.	केरल	0.00	15	5.12		0.84	20.96
13.	मध्य प्रदेश	0.00	2.02	104.66	156.19	0.00	262.87

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	महाराष्ट्र	0.00	0.4	10.02	16.61	46.92	73.95
15.	मणिपुर	0.00	0.00	13.53	5.05	13.53	32.11
16.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	19.93	9.59	29.52
17.	मिजोरम	0.00	0.64	0.00	0.00	78.75	79.39
18.	नागालैण्ड	0.00	0.27	4.23	5.57	0.00	10.07
19.	उड़ीसा	0.00	3.50	62.40	177.19	396.82	639.91
20.	पंजाब	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21.	राजस्थान	9.33	47.21	87.19	180.56	104.90	429.19
22.	त्रिपुरा	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08
23.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	100.77	0.00	100.77
24.	उत्तर प्रदेश	639.96	172.64	1543.82	563.84	0.00	2920.26
25.	उत्तराखण्ड	0.00	63.04	278.28	133.04	30.64	505.00
26.	पश्चिम बंगाल	114.49	0.93	204.76	81.10	102.72	504.00
27.	एजेंसी प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	964.02	603.52	3379.37	3740.86	1161.49	9849.15

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, प्रश्न सं. (50) के 9, पृष्ठ सं. 3 पर शुद्धि के साथ ही सभा पटल पर एक वक्तव्य रखा जाता है - 'पैकेज' के स्थान पर 'पार्किंग' पढ़ा जाए।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो: अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में देखा है कि झारखंड राज्य में वर्ष 2008-2009 में 8228 गांवों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना के तहत विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक 1-10-2008 तक केवल 1417 गांवों में ही विद्युत पहुंचाई गई है, क्या शेष अवधि के बाकी बचे गांवों में विद्युत पहुंचाने का निर्धारित लक्ष्य आप पूरा कर लेंगे?

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, हमने लिखित जवाब के पेज नम्बर दो में बताया है। हमें अभी 28,000 करोड़ रुपए की राशि इस काम के लिए मिली है, तो हमने यह निर्णय लिया है कि जो भी आदिवासी एरिया है, डिफिकल्ट एरिया है, वहां उच्च प्राथमिकता पर पहले चरण में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम तुरंत किया जाएगा। यह मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री टेक लाल महतो: महोदय, क्या इसके लिए मंत्री जी ने कोई राशि उपलब्ध कराई है? साथ ही झारखंड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना के तहत वहां तीन चरण में बिजली की व्यवस्था हो रही है। मेरे यहां डी.वी.सी. द्वारा बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है। वन अधिनियम के तहत वहां बहुत से अवरोध पैदा किए जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में 10 के.वी. का ट्रांसफारमर दिया जा रहा है। इस वजह से वहां घरों में बिजली नहीं आ पाती है और लोगों को लालटेन या ढबरी का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रहपूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या वहां 100 के.वी. या उससे अधिक का ट्रांसफारमर लगाने का सरकार कोई विचार करेगी?

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना के तहत जो निर्णय लिया गया है, वही ट्रांसफारमर हम सभी जगह लगाते हैं। किसी विशिष्ट गांव में इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता।

[अनुवाद]

श्री एस. अजय कुमार: महोदय, धन्यवाद। महोदय, केरल में सात जिलों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत धन स्वीकृत किया गया था। लेकिन केरल राज्य विद्युत बोर्ड में फ्रेंचाइजी नहीं बन पाने के कारण राशियों की निर्मुक्ति को दूसरे चरण के लिए टाल दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि राज्य के विद्युत बोर्डों में निजी फ्रेंचाइजी के नहीं बन पाने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होता है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, केरल में 14 जिले हैं। हमारे पास एक जिले में पूर्ण विद्युतीकरण तथा शेष जिलों में गहन विद्युतीकरण का प्रस्ताव आया है। केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पहले ही विद्युतीकरण हो चुका है। इसके लिए हमने 33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह विद्युत बोर्ड के दो भागों में बंटने के कारण नहीं हुआ है और इसके कारण विलम्ब हुआ है। बल्कि यह दूसरा कारण है क्योंकि हमने सीमावर्ती तथा आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि प्राथमिकता में इसे दूसरे स्थान पर रखा गया।

श्री दुष्यंत सिंह: महोदय, आपने मुझे बोलने तथा मंत्री महोदय से प्रश्न पूछने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि राजस्थान में करीब 39,000 रेवेन्यू विलेजेज हैं और 81,000 ढाणियां यानि हैमलेट्स हैं, जहां 100 से 300 लोग रहते हैं। आपने भारत निर्माण के बारे में कहा है। आप राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना की बात कर रहे हैं तो क्या इन ढाणियों में जहां 100 से 300 लोग रहते हैं, वहां भी बिजली देने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने भी इस बारे में आपको काफी लिखा है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, जो हरिजन बस्तियां हैं, आदिवासी बस्तियां हैं, वहां कई जगह हमने विद्युत पहुंचाने का काम कर दिया है। पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब यह था कि सिर्फ गांवों को ही इसमें कवर किया जाता था। यह चीज जब हमारी नजर में आई तो पिछले साल हमने इसकी परिभाषा बदल दी। नई परिभाषा के अनुसार 100 से ऊपर के जो भी गांव हैं, वहां भी हम बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें इस योजना में ले रहे हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना का लक्ष्य था कि सन् 2009 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। लेकिन अभी तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, तो इसका आखिरी लक्ष्य क्या है? क्या आप इसे बदलकर 2010, 2011 या 2012 कर रहे हैं? इसके अलावा जहां पर बिजली पहुंचाने का काम लम्बित है, बाढ़ आ गई है, वहां के लिए आपने क्या लक्ष्य रखा है? जहां पर पोल और तारें तो दिखाई देती हैं, पहले राज्य सरकार से थोड़ी-बहुत मदद मिल जाती थी। लेकिन अब पूछने पर राज्य सरकार कहती है कि अब यह हमारा काम नहीं है, यह सेंटर का काम है, क्योंकि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना उसके द्वारा संचालित है। इससे तो नहीं लगता कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति आप इस अवधि में कर लेंगे। क्या आप अपने लक्ष्य को बदल कर 2010 या 2011 तक करने का विचार कर रहे हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, पावर सब्जेक्ट कंक्रेंट लिस्ट में है। इसलिए यह राज्य का मामला है और हम तो सिर्फ सप्लीमेंटरी भूमिका के रूप में देश की मदद कर रहे हैं। राज्य इस मामले में कभी भी अपने लोगों की मदद कर सकता है। पहले 1,20,000 हजार गांवों को विद्युतीकृत करना था। लेकिन अब यह परिभाषा बदल दी गई है। ओरिजनल परिभाषा सन् 2004 की जो थी, उसके अनुसार 1,19,570 गांव थे। नई परिभाषा के अनुसार 1,34,246 गांव हो गए हैं। अभी तक हमने 42,183 गांवों को विद्युतीकृत किया है, 50,940 ग्राम पंचायतों का सर्टिफिकेट रिसीव किया है। हमें जो 28,000 करोड़ रुपए की राशि अभी मिली है, उससे हम सभी राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर यह काम करना चाहते हैं। यू.पी.ए. सरकार का वादा है कि देश के सभी राज्यों को सन् 2009 तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। यह हमारा वादा है और हम इसे पूरा करेंगे।

श्री मुन्शी राम: महोदय, मंत्री जी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए सभी उपाय किए हैं। जैसे जिला निगरानी समितियों का गठन किया गया है, लेकिन प्रदेश सरकारों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, वे मानकों के अनुसार नहीं हैं। कई गांवों में तो एक पोल से दूसरे पोल की दूरी अधिक है, तार लगाकर बाकी काम छोड़ दिया जाता है। क्या भारत सरकार की तरफ से इस प्रकार के कामों की निगरानी नहीं की जाती है? उत्तर प्रदेश में 27,399 गांव बिना बिजली के हैं। पिछले चार वर्षों में कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई है और बाकी के गांवों में कब तक बिजली पहुंचने की सम्भावना है?

अध्यक्ष महोदय: अब बस कीजिए, क्योंकि आप दो प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री मुन्शी राम: महोदय, उत्तर प्रदेश के सन् 2008-09 में इस कार्य के लिए धन का आबंटन छह माह पश्चात् शून्य है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, उत्तर प्रदेश के आंकड़े मेरे पास हैं और वह मैंने आपको दे दिए हैं। हम सभी जगह प्राथमिकता पर काम करना चाहते हैं। इसमें जो मानिटरिंग कमेटी की बात है, उसे भी हमने थ्री टियर बनाया है। एक इम्प्लीमेंटशन का काम करता है, दूसरा आर.ए.सी. करता है और तीसरा राज्य के लोग हैं, जिसमें मुख्य सचिव, बड़े मिनिस्टर या मुख्य मंत्री हों, वह भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमने इसे थ्री टियर बनाया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री फ्रांसिस जार्ज को दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए बुलाता हूं। कृपया विशिष्ट प्रश्न पूछिये।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: पूरे देश के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विभिन्न राज्यों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए केरल में, जैसा कि बताया गया है, इस विशेष योजना के लिए गांव की परिभाषा को संशोधित किया जाना चाहिए क्योंकि केरल जैसे राज्यों में जहां आबादी बहुत अधिक है, कानून यह है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया विशिष्ट प्रश्न पूछिए। अनुपूरक पूछते समय सभी लम्बा भाषण कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मैं व्यावहारिक समस्या के बारे में बता रहा हूं। सिर्फ 1 कि. मीटर या ½ कि. मीटर का एल.टी. लाइन और 25 के.वी. का ट्रांसफार्मर हो सकता है। व्यवहार में, इस योजना को वहां क्रियान्वित करना असंभव है।

पुनः आर.ई.सी. द्वारा पालघाट और वायानाड के लिए दो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

अध्यक्ष महोदय: यह सही तरीका नहीं है।

...(*व्यवधान*)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस व्यावहारिक समस्या का समाधान होगा? क्या राज्य में आबादी के हिसाब से गांव की परिभाषा बदली जाएगी?...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है।

...(*व्यवधान*)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: यह कानून है कि केवल 1 कि. मीटर का एल.टी. लाइन या ½ कि.मीटर की एल.टी. लाइन उस गांव में...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री बोलेंगे। किसी और बात की अनुमति नहीं होगी।

...(*व्यवधान*)

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, यह सत्य है कि बहुत से राज्यों में डी.पी.आर. में भारी खर्च दिखाया गया है। मैं कुछ स्थानों पर जांच के लिए अधिकारियों को भेजता रहा हूं।...(*व्यवधान*) लेकिन जहां तक केरल की बात है मैं इसकी जांच करूंगा और देखूंगा कि वहां सर्वोत्तम क्या किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि विद्युत विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है, आपको स्पष्टीकरण के माध्यम से इसका उत्तर देना होगा।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आपने इस विशेष प्रश्न के संबंध में सात अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं।

प्रश्न सं. 105 - श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार - उपस्थित नहीं।

श्री जुएल ओराम - उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 106 - श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम - उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 107- श्री एकनाथ महादेव गायकवाड - उपस्थित नहीं।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी

विद्युत उत्पादन

***107.+ श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विद्युत उत्पादन का लक्ष्य अगले चार वर्षों तक प्राप्त हो पाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सभी पणधारकों को सचेत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुस्पष्ट उपाय किये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विद्युत उत्पादन का लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है न कि संपूर्ण पंचवर्षीय योजना के लिए। हालांकि वर्ष 2007-08 के लिए 710 बिलियन के.डब्ल्यू.एच. (बी.यू.) का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथापि वर्ष 2008-09 के लिए यह लक्ष्य 774.3 बी.यू. है। इसके अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन 704.5 बी.यू. था। जो लक्ष्य का 99.2 प्रतिशत है। वर्ष 2008-09 में अप्रैल-सितम्बर, 2008 की अवधि के लिए उत्पादन का लक्ष्य 387.5 बी.यू. था, जिस में से 359.0 बी.यू. (92.7 प्रतिशत) की उपलब्धि हुई। चालू वर्ष अर्थात वर्ष 2008-09 के दौरान कम उपलब्धि के मुख्य कारण इस प्रकार है:-

- कुछ नये थर्मल उत्पादन यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन को शुरू करने में बिलम्ब।
- गैस, कोयला और न्यूक्लियर ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण उत्पादन में हानि।
- जलाशयों और जलविद्युत स्टेशनों के कैचमेंट क्षेत्रों में विलंबित और अपर्याप्त वर्षा।

– मानसून के दौरान पानी में अधिक गाद हो जाने के कारण एन.एच.पी.सी. और एस.जे.वी.एन.एल. के बहते नदी जल पर कुछ हाइड्रो पावर स्टेशनों में उत्पादन में हानि।

(ग) और (घ) सभी स्त्रोतों से अधिकतम उत्पादन, तरल ईंधन जो कि बहुत महंगा है, पर गैस आधारित विद्युत उत्पादन की अनापेक्षित क्षमता का उपयोग, उत्पादन यूनिटों के अनिर्धारित आउटेज से बचने के लिए बेहतर रखरखाव और कोयले का तत्परता से आयात करने की विद्युत यूटिलिटीज को सलाह दी गई है। कोयला मंत्रालय से भी अनुरोध किया गया है कि वे कोल इण्डिया लिमिटेड को सलाह दें कि वे थर्मल पावर स्टेशनों के लिए अपना प्रस्ताव बढ़ायें ताकि उत्पादन हानि से बचा जा सके।

नये थर्मल पावर स्टेशनों को शीघ्र चालू करने के लिए परियोजनाओं के निर्माण की सतत् निगरानी की जा रही है और सभी संबंधित उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए उच्च प्राथमिकता आधार पर गैस आधारित विद्युत स्टेशनों को अतिरिक्त गैस उपलब्ध करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) लक्ष्यों के साथ-साथ भावी आवश्यकताओं को पूरा करने और देश में विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(i) वर्तमान उत्पादन स्टेशनों के प्रचालन और 11वीं योजना में प्रस्तावित चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि की सख्ती से निगरानी की जा रही है।

(ii) घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता और मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए व्यापक विक्रेता आधार को बनाने और कोयला हैंडिलिंग संयंत्र, राख हैंडलिंग संयंत्र, जल संसाधन संयंत्र आदि जैसे संयंत्र संतुलन के लिए इस उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से सुग्राह्य बनाना। संयंत्र संतुलन जैसे जटिल विद्युत संयंत्र उपस्कर के विनिर्माण लिए एन.टी.पी.सी. और बी.एच.ई.एल. की एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की गई है।

(iii) प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली आधारित टैरिफ के अधीन प्रत्येक 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं का विकास।

(iv) अतिरिक्त कैपटिव विद्युत को ग्रिड में डालना।

(v) कोयले की घरेलू उपलब्धता और इसकी आवश्यकता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए कोयले का आयात।

(vi) भारत में जल विद्युत के आयात के लिए भूटान में नई जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करना।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, यह सच है कि - विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रमुख मशीन आपूर्तिकर्ता - भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) उत्पादन बहुत कम होने के कारण आवश्यक मशीनों की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है। वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए भेल की क्षमता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: वास्तव में, यह प्रश्न इस मंत्रालय के दायरे में नहीं आता है, और यह भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। परंतु यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में उत्तर दीजिए, इसका उत्तर बड़ा नहीं होना चाहिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं आपको बता दूं कि जब यह बात हमारे ध्यान में आई कि भेल की क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है तो हमने इस देश की क्षमता में 1,25,000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि करने का निर्णय लिया। जर्मन कंपनी सिमंस के साथ समझौता किया गया है। अन्य कंपनी के साथ भी समझौता किया गया है।

इसके अतिरिक्त, हमने देश में और विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है। लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) अन्य कंपनी है जिसने एम.एच.आई. के साथ समझौता किया है और भारत फोर्ज लिमिटेड ने एन.टी.पी.सी. के साथ समझौता किया है। दो अन्य कंपनियां भी इन नई विनिर्माण कंपनियों की स्थापना करने जा रही हैं। हमने यह इसलिए किया है क्योंकि देश बड़ी तेजी से विकास कर रहा है और हमें देश में और विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने यह निर्णय लिया

है। 'भेल' हमारी अपनी कंपनी है और हमें 'भेल' को भी मजबूत करना है।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: महोदय, अन्य विकसित देशों के साथ तुलना करते समय हमारे देश में पारेषण और वितरण घाटा बहुत अधिक है जो कि 22-23 प्रतिशत है। विद्युत के इन घाटों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: न सिर्फ वितरण के घाटे, बल्कि अन्य निर्यात पक्ष जैसे चोरी के कारण होने वाले घाटे को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, हम ए.पी.डी.आर.पी. के घाटे को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। यह कई स्थानों पर 43 प्रतिशत से नीचे आया है; मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परंतु अब यह घटकर 22 प्रतिशत हो गया है। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस मुद्दे पर बिल्कुल सतर्क हैं और हम इस पर कार्य कर रहे हैं। एक बार हम इस घाटे को कम कर दें तो उत्पादन काफी ऊपर हो जाएगा।

डा. सुजान चक्रवर्ती: आनुक्रमिक योजना अवधियों में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। लंबे समय से ऐसा हो रहा है, जबकि बिजली की आवश्यकता में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस अंतर को पाटने के लिए हमें अन्य पहलुओं पर विचार करना होगा। यद्यपि हमारे पास पर्याप्त जलविद्युत क्षमता है तथापि इसका दोहन नहीं किया गया है। अरूणाचल प्रदेश में लगभग 67,000 मेगावाट की क्षमता है। मंत्रालय इस संबंध में क्या करने की योजना बना रहा है। स्पष्ट है कि हमें सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता का भी दोहन करना होगा। यद्यपि, ये अपारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं तो इनका कितने बेहतर तरीके से अर्थात देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने हेतु कितने प्रभावी ढंग से दोहन किया जा रहा है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं इस बात को सभा के ध्यान में लाकर प्रसन्न हूं कि गत तीन अर्थात आठवीं, नौवीं और दसवीं योजनाओं के दौरान हमारी क्षमता में 56000 मेगावाट की वृद्धि हुई परंतु तथ्य पर विचार करते हुए हम असफल हुए, हमने आत्म-निरीक्षण किया और आज केवल ग्यारहवीं योजना में लगभग 78577 मेगावाट क्षमता वृद्धि की है। मैंने इसमें 11,000 मेगावाट की रक्षित विद्युत का आकलन नहीं किया है। यदि मैं इसका आकलन करूं तो यह मात्र इस पंचवर्षीय योजना में ही बढ़कर 90,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी।

जहां तक अरूणाचल प्रदेश का संबंध है तो हाल में हमने इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जल विद्युत के क्षेत्र में 6000 से ज्यादा मेगावाट की परियोजना पर पहले ही कार्य आरंभ किया जा चुका है। सिर्फ यही नहीं, हमने पूरी जल विद्युत नीति में परिवर्तन किया है। हमने 40 प्रतिशत मर्चेंट पावर को बेचने की अनुमति दी है ताकि बहुत से व्यक्ति इस क्षेत्र में आ सकें। यही हमारा मुख्य आशय है। मैं आशा करता हूं कि लोग इस क्षेत्र में भारी निवेश करेंगे।

डा. सुजान चक्रवर्ती: सौर एवं पवन ऊर्जा के बारे में क्या विचार हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: सौर ऊर्जा मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं आती है परंतु मैं आपको बता दूं कि सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा है। यद्यपि इसकी लागत अधिक है तथापि हम अति उत्साहपूर्वक इस पर कार्य कर रहे हैं। हम कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं और सौर ऊर्जा की उत्पादन लागत को घटाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रविचंद्रन, अति संक्षिप्त प्रश्न पूछिए क्योंकि आधा मिनट बचा है।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: प्रतिदिन बिजली की कमी होती है और इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु में आठ घंटे से अधिक बिजली कटौती की जाती है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार का तमिलनाडु में एन.टी.पी.सी. के माध्यम से नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: जी हां, महोदय, सरकार और एन.टी.पी.सी. का 4000 मेगावाट क्षमता वाली अलग-अलग दो अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है और इनमें प्रत्येक की 16000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत होगी। अपने राज्य में इन परियोजनाओं के होने से तमिलनाडु से प्रश्न होना चाहिए। हाल में हमने भूमि अधिगृहित की है। जहां तक दूसरी इकाई का संबंध है तो वे इस पर सरकार और एन.टी.पी.सी. के साथ चर्चा करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी

*105. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:**

श्री जुएल ओराम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में प्रत्येक ताप विद्युत केन्द्र के मामले में कोयले की उपलब्धता एवं कमी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक संयंत्र के लिए कोयले की आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोयले की कमी को ध्यान में रखते हुए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) देश में थर्मल पावर विद्युत स्टेशनों (टी.पी.एस.एस.) को कोयला आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके परिणामतः देश के अधिकांश विद्युत केन्द्रों में कोयले का स्टॉक घट रहा है। संपूर्ण भारत के विद्युत केंद्रों में कोयले का स्टॉक 1 अप्रैल 2008 को 11.04 मिलियन टन से घटकर 19 अक्तूबर, 2008 को 4.856 मिलियन टन हो गया, जबकि लगभग 22 मिलियन टन की आवश्यकता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा निगरानी किए गए 77 थर्मल स्टेशनों में से 55 थर्मल पावर स्टेशनों में कोयले की स्थिति इतनी संकटपूर्ण थी कि उनके पास सात दिन से भी कम का स्टॉक था। इनमें से 35 की स्थिति "बहुत संकटपूर्ण" थी। उनके पास चार दिन से भी कम का स्टॉक था। 19 अक्तूबर, 2008 को देश के विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों के कोयले के स्टॉक का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

एन.टी.पी.सी. के प्रत्येक थर्मल पावर स्टेशन के संबंध में वर्ष 2008-09 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान लिंकेज के संबंध में कोयले का लिंकेज, उसकी प्राप्ति और कार्यान्वयन का प्रतिशत संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कोयले की कमी को पूरा करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय निम्नलिखित हैं:-

(i) विभिन्न स्रोतों से पावर स्टेशनों को कोयले की अधिकतम आपूर्ति के लिए पावर स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की कड़ी निगरानी।

(ii) कोयला मंत्रालय देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है।

(iii) कोयले की घरेलू उपलब्धता में आई कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात।

(iv) कोयला मंत्रालय द्वारा कैप्टिव खदान के लिए विद्युत उत्पादकों/यूटिलिटीज को उनके विद्युत संयंत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया कर रहा है।

इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से पावर यूटिलिटीज को वर्ष 2008-09 के दौरान 20 मिलियन टन कोयले का आयात करने की सलाह दी गई थी जिसमें एन.टी.पी.सी. का 8.25 मि. टन भी शामिल है। अप्रैल से सितम्बर, 2008 की अवधि के दौरान पावर यूटिलिटीज ने लगभग 5.398 मिलियन टन कोयले का आयात किया है। इन यूटिलिटीज को तत्परता से आयात करने को कहा जा रहा। विद्युत मंत्रालय, विद्युत यूटिलिटीज की जाने वाली कोयले की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए भी कोयला मंत्रालय पर दबाव डाल रहा है।

विवरण-I

19-10-2008 की स्थिति अनुसार देश के विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों में कोयला स्टॉक की स्थिति

क्षेत्र/ राज्य	क्र. सं.	यातायात का साधन	थर्मल पावर स्टेशन का नाम	क्षमता (मे.वा. में)	पंजीकृत नामिनेटिव स्टॉक (दिनों में)	दैनिक लिंकेज, 000 में	वास्तविक स्टॉक 000 टन में	वास्तविक स्टॉक दिन में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
दिल्ली	1	रेल	इन्द्रप्रस्थ स्टेशन	248	25	3.2	53	17
	2	रेल	राजघाट	135	25	2.2	36	17
	3	रेल	बदरपुर (एस)	720	30	14.2	39	3
हरियाणा	4	रेल	फरीदाबाद विस्तार	180	25	2.5	39	16
	5	रेल	पानीपत	1360	25	23.3	106	5
	6	रेल	यमुना नगर	600	25	8.8	0	0
पंजाब	7	रेल	जी.एच.टी.पी. (लेहरामोहब्बत)	920	30	15.8	88	6
	8	रेल	जी.एन.डी.टी.पी. (भटिंडा)	440	30	8.2	18	2
	9	रेल	रोपड़	1260	30	20.8	57	3
राजस्थान	10	रेल	कोटा	1045	30	21.0	118	6
	11	रेल	सुरतगढ़	1250	30	24.0	75	3
उत्तर प्रदेश	12	पी.एच.	अनपारा	1630	15	25.8	35	1
	13	रेल	हरदुआगंज "बी"	225	25	2.8	41	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14	रेल	ओबरा	1482	20	15.3	51	3
	15	रेल	पनकी	210	30	3.3	12	4
	16	रेल	परीच्छा	640	30	9.8	50	5
	17	रेल	दादरी (एन.सी.पी.पी.) ($)	840	30	14.2	98	7
	18	पी.एच.	रिहंद एस.टी.पी.एस. ($)	2000	15	34.0	0	0
	19	पी.एच.	सिंगरौली एस.टी.पी.एस. ($)	2000	15	32.0	0	0
	20	रेल	टांडा ($)	440	25	7.3	30	4
	21	रेल	ऊंचाहार ($)	1050	25	18.3	0	0
कुल क्षेत्र				**18675**	**24**	**307.0**	**946**	**3**
पश्चिमी क्षेत्र								
छत्तीसगढ	22	रेल	कोरबा ईस्ट-V	500	15	10.0	29	3
	23	पी.एच.	कोरबा (ईस्ट)	440	15	8.3	63	8
	24	पी.एच.	कोरबा वेस्ट	840	15	11.8	361	31
	25	पी.एच.	कोरबा एस.टी.पी.एस. ($)	2100	15	32.7	777	24
	26	पी.एच.	सिपत एस.टी.पी.एस.	1000	15	10.0	74	7
गुजरांत	27	रेल	गांधी नगर	870	30	13.3	129	10
	28	रेल	सिक्का आर.ई.पी.	240	30	3.7	86	23
	29	रेल	ऊकाई	850	30	10.6	120	11
	30	रेल	वानकबोरी	1470	30	22.0	134	6
	31	रेल	टोरेंट पावर	390	30	5.7	34	6

मध्य प्रदेश	32	पी.एच.	अमरकंटक	510	15	5.3	102	19
	33	रेल	संजय गांधी	1340	20	21.7	74	3
	34	पी.एच.	सतपुड़ा	1143	20	20.7	132	6
	35	पी.एच.	विंध्याचल एस.टी.पी.एस.	3260	15	51.7	42	1
महाराष्ट्र	36	रेल	भुसावल	475	25	8.7	13	2
	37	रेल	चंद्रपुर	2340	20	36.5	89	2
	38	रेल	खापरखेड़ा-II	840	20	15.8	38	2
	39	रेल	कोराडीह	1040	25	17.3	54	3
	40	रेल	नासिक	880	25	15.0	46	3
	41	रेल	पारली	920	25	13.2	72	5
	42	रेल	पारस	305	20	5.7	95	17
	43	रेल	दहाणु	500	25	9.7	63	7
कुल क्षेत्र				**22253**	**21**	**349.3**	**2627**	**8**
दक्षिणी क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश	44	रेल	डा. एन. टाटा राव	1260	25	20.0	1	0
	45	रेल	कोथागुडेम	1180	20	15.8	34	2
	46	सड़क	रामागुंडम "बी"	63	20	0.8	19	23
	47	रेल	रायलसीमा	840	25	14.3	19	1
	48	पी.एच.	रामागुंडम ($)	2600	15	40.7	176	4
	49	रेल	सिम्हाद्री ($)	1000	25	20.0	27	1
कर्नाटक	50	रेल	रायचुर	1470	30	30.3	173	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु	51	आई.एम.	एन्नौर	450	30	7.5	30	4
	52	आई.एम.	मेट्टूर	840	30	15.8	94	6
	53	आई.एम.	नार्थ चेन्नई	630	30	13.2	83	6
	54	आई.एम.	तूतीकोरीन	1050	30	18.5	46	2
कुल क्षेत्र				11383	25	197.0	702	4
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	55	रेल	बरौनी	320	20	1.0	18	18
	56	रेल	मुजफ्फरपुर	220	20	1.0	25	25
	57	पी.एच.	कहलगांव ($)	1840	15	27.7	0	0
उड़ीसा	58	पी.एच.	ईब वैली टी.पी.एस.	420	15	5.3	16	3
	59	पी.एच.	तालचेर टी.पी.एस. ($)	470	15	7.9	50	6
	60	पी.एच.	तालचेर एस.टी.पी.एस. ($)	3000	15	60.0	38	1
झारखण्ड	61	रेल	पतरातू	840	20	3.7	13	4
	62	सड़क	तेनुघाट	420	20	3.7	7	2
	63	रेल	बोकारो "बी" (डी.वी.सी.)	630	20	8.3	66	8
	64	रेल	चंद्रपुरा (डी.वी.सी.)	750	20	6.0	50	8
पश्चिम बंगाल	65	रेल	दुर्गापुर (डी.वी.सी.)	340	20	7.0	46	7
	66	रेल	मेजिया (डी.वी.सी.)	1340	20	22.0	25	1
	67	रेल	बकरेश्वर	840	25	13.0	2	0
	68	रेल	बंडेल	450	20	4.7	8	2

	69	रेल	दुर्गापुर (डी.पी.एल.)	695	20	9.2	40	4
	70	रेल	कोलाघाट	1260	25	18.3	77	4
	71	रेल	सागरदिघी	600	20	6.7	24	4
	72	रेल	संतालडीह	730	20	6.8	53	8
	73	रेल	बज बज	500	20	7.5	11	1
	74	रेल	न्यू कोसीपुर	160	20	1.3	3	2
	75	रेल	साऊदर्न आर.ई.पी.एल.	135	25	2.5	5	2
	76	रेल	टीटागढ	240	20	3.8	4	1
	77	पी.एच.	फरक्का एस.टी.पी.एस. ($)	1600	15	32.3	0	0
कुल क्षेत्र				17800	18	260	581	2
अखिल भारत				70110	22	1113.0	4856	4

($)=एन.टी.पी.सी. आई.एम.=इंटर मॉडल पी.एच.=पिटहेड

विवरण-II

वर्तमान वर्ष (सितम्बर, 08 तक) में एन.टी.पी.सी. के पावर स्टेशनों को की गई कोयले की आपूर्ति की स्थिति

आंकड़े 000 मि. टन में

स्टेशन	प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून '08)				प्रथम तिमाही (जुलाई-सितम्बर '08)			
	लिंकेज	प्राप्ति	लिंकेज के संदर्भ में उपभोग का %	30-09-08 के अनुसार स्टॉक (दिनों में)	लिंकेज	प्राप्ति	लिंकेज के संदर्भ में उपभोग का %	30-09-08 के अनुसार स्टॉक (दिनों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एस.एस.टी.पी.	2250	2226	99	4.4	2700	2741	102	1.8
के.एस.टी.पी.एस.	2940	3064	104	14.3	2610	3044	117	20.0
आर.एस.टी.पी.एस.	3300	3295	100	3.5	3300	3389	103	2.7
एफ.एस.टी.पी.एस.	2700	1977	73	0.7	2184	1787	82	1.0
के.एच.एस.टी.पी.पी.	2055	1308	64	7.0	2349	1603	68	0.7
वी.एस.टी.पी.एस.	3693	3817	103	1.5	4200	4031	96	1.5
आर.एच.एस.टी.पी.एस.	2283	2297	101	1.7	2700	2494	92	1.2
एफ.जी.यू.टी.पी.पी.	1710	1346	79	5.7	1800	1235	69	1.5
एन.सी.पी.पी.	1200	1172	98	13.5	1140	1156	101	12.6

टी.एस.टी.पी.एस.	4650	3785	81	1.8	4950	4008	81	1.5
टी.टी.पी.एस.	750	655	87	21.3	600	615	103	8.1
टी.एन.टी.पी.पी.	660	567	86	15.3	570	582	102	2.3
एस.एम.एस.टी.पी.एस.	1650	1500	91	1.9	1500	1438	96	2.6
बी.टी.पी.एस.	1050	868	83	18.6	1140	977	86	3.9
सिपत	600	190	32	23.3	630	613	97	9.6
कुल	31491	28067	89		32373	29713	92	

गांवों में लघु मलजल उपचार संयंत्र

*106. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मलजल निपटान प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में देश के गांवों में लघु मलजल उपचार संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जी, हां। संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के घटकों में से एक के अंतर्गत गांव में ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन की प्रणाली स्थापित करनी है। टी.एस.सी. में यह घटक वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को कूड़ा जमा करने और उसके निपटान तथा जल जमाव को रोकने के लिए तंत्र बनाना पड़ता है। परियोजना लागत का 10% भाग इस घटक के अंतर्गत खर्च की जाने वाली पूंजी लागत को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। केन्द्र, राज्य और पंचायत/समुदाय के बीच निधियों की हिस्सेदारी का मानदंड 60:20:20 के अनुपात में है। इस घटक के अंतर्गत सामान्य कम्पोस्ट गढ्ढे, कम लागत वाली नाली, सोख्ता नाली/गढ्ढे, गंदे जल का पुनः उपयोग, घरेलू अपशिष्ट आदि के संग्रहण, पृथक्करण और निपटान की प्रणाली जैसे क्रियाकलाप शुरू किए जा सकते हैं।

देश के सभी ग्रामीण जिलों के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज तक 590 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन कार्य शुरू करने के लिए निधियां आबंटित की गई हैं और 10569 गांवों ने ऐसे कार्य पहले ही शुरू कर दिए हैं। इन गांवों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उन गांवों की राज्यवार संख्या जहां ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन कार्य शुरू किए गए हैं

क्र.सं.	राज्य	गांवों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	105
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	43
4.	बिहार	45
5.	छत्तीसगढ़	680
6.	दादरा और नगर हवेली	0
7.	गोवा	0
8.	गुजरात	630
9.	हरियाणा	2074
10.	हिमाचल प्रदेश	584
11.	जम्मू-कश्मीर	3
12.	झारखण्ड	244
13.	कर्नाटक	644
14.	केरल	88
15.	मध्य प्रदेश	1581
16.	महाराष्ट्र	680
17.	मणिपुर	0
18.	मेघालय	1
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैण्ड	0
21.	उड़ीसा	403
22.	पांडिचेरी	0
23.	पंजाब	0
24.	राजस्थान	269
25.	सिक्किम	3
26.	तमिलनाडु	116
27.	त्रिपुरा	385

क्र.सं.	राज्य	गांवों की संख्या
28.	उत्तर प्रदेश	1802
29.	उत्तराखंड	0
30.	पश्चिम बंगाल	189
	कुल योग	10569

ऋण माफी योजना - शिकायतों का निवारण

***108. श्री सुब्रत बोस:**

श्रीमती करुणा शुक्ला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन किसानों को ऋण माफी योजना में शामिल करने के लिए कोई योजना तैयार की है जिन्होंने निजी साहूकारों से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को ऋण माफी योजना के दायरे के विस्तार के लिए जन सामान्य/राज्य सरकारों से ज्ञापन/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) नोटिस बोर्ड पर लाभार्थियों की सूची लगाने के लिए सरकार द्वारा बैंकों कों जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(च) ऋण माफी योजना में कब तक के ऋण माफ किए गए हैं;

(छ) क्या सरकार ने योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किसी तंत्र तथा किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत (ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर.) योजना, 2008 किसानों द्वारा निजी साहूकार से लिए गए ऋणों को कवर नहीं करती है। संबंधित राज्य के विधान द्वारा साहूकारी को विनियमित किया जाता है। इसके अलावा, संस्थागत ऋणों और साहूकारों को देय ऋण में यह भिन्नता है कि साहूकारों को देय ऋण के मामले में, वास्तविकता, दस्तावेजों, इत्यादि के मसले होते हैं।

(ग) और (घ) ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना के क्षेत्र के विस्तार के लिए विभिन्न क्षेत्रों से कई सुझाव प्राप्त हुए। सुझावों पर विचार करने के बाद, योजना क्षेत्र का विस्तार करते हुए, मई 2008 में दिशानिर्देश जारी किए गए, जो निम्नानुसार हैं:

(i) सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और प्रधान मंत्री विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत आने वाले जिलों के अन्य किसानों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई। बजट भाषण में घोषित, अतिदेय के 25 प्रतिशत के एकबारगी निपटान के बदले दिशानिर्देशों में उन जिलों के लिए 20,000 रुपए अथवा 25 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो, का एकबारगी निपटान का प्रावधान किया गया है।

(ii) इन दिशानिर्देशों ने व्यक्तिगत किसानों के समूह (जैसे स्वयं सहायता समूह अथवा संयुक्त दायित्व समूहों) को दिए गए ऋण को भी इस योजना के अंतर्गत ला दिया है, बशर्ते कि ऋणदात्री संस्थाओं ने उस समूह के प्रत्येक किसानों को दिए गए ऋण का अलग-अलग आंकड़े बनाए रखे हैं। ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा आंकड़े को बनाए रखने की अपेक्षाओं को व्यक्तिगत किसान समूहों, जहां समूह प्रत्येक किसानों के अलग-अलग आंकड़े अपने स्तर पर ही बनाए रखते हैं, के संबंध में और शिथिल कर दिया गया, जो ऋणदात्री संस्थाओं की संतुष्टि के अध्यधीन होगी।

(ङ) ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ऋण संस्थान, शहरी सहकारी बैंक और इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए स्थानीय बैंक को दो सूचियां बनानी होंगी, एक "छोटे और सीमांत किसानों" की जो ऋण माफी के पात्र हैं और दूसरी सूची "अन्य किसानों" की जो इस योजना के अंतर्गत ऋण राहत के पात्र हैं।

सूचियों में, भूमि-धारिता संबंधी विवरण, माफी योग्य राशि और प्रत्येक मामले में प्रस्तावित ऋण माफी अथवा ऋण राहत की राशि शामिल होनी चाहिए। ये सूचियां बैंक/संस्था की शाखा के सूचना पटल पर 30 जून, 2008 को या उससे पहले लगा दी जानी चाहिएं।

(च) ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा, 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के दौरान संवितरित सभी प्रत्यक्ष कृषि ऋण, जो 31 दिसम्बर, 2007 तक अतिदेय थे और जिनका 29 फरवरी, 2008 तक भुगतान नहीं किया गया था, इस योजना के अंतर्गत कवर हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने 2004 और 2006 में घोषित विशेष पैकेजों के द्वारा, किसानों को एक सुविधा दी जिसमें उनके अतिदेय ऋणों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाना/ऋण की अवधि का पुनर्निर्धारण किया गया था और उन्हें नए ऋण के लिए पात्र बनाया गया था। यह योजना ऐसे सभी पुनर्निर्धारित भुगतान अनुसूची वाले कृषि ऋणों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य तौर पर पुनर्निर्धारित भुगतान अनुसूची वाले कृषि ऋण, जिसका संवितरण 1-4-1997 से पूर्व किए जाने और उसके बाद भुगतान अनुसूची फिर से बनाए जाने के बावजूद भी ऐसे ऋणों को कवर करती है।

(छ) और (ज) ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस दिशानिर्देश में प्रावधान है कि प्रत्येक ऋणदात्री संस्था, प्रत्येक राज्य के लिए (उस राज्य में मौजूद शाखाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए) एक या अधिक शिकायत निपटान अधिकारी (जी.आर.ओ.) नियुक्त करेगी। संबंधित जी.आर.ओ. का नाम व पता ऋणदात्री संस्था की प्रत्येक शाखा में प्रदर्शित किया जाएगा। जी.आर.ओ. को पीड़ित किसानों से अभ्यावेदन प्राप्त करने और उस पर समुचित आदेश जारी करने का अधिकार होगा। कोई पीड़ित किसान, इस कारण कि उपर्युक्त अनुच्छेद (ड) में उल्लिखित दो सूचियों में किसी सूची में नाम नहीं शामिल होने अथवा इस कारण कि उसका नाम गलत सूची में शामिल किया गया है अथवा इस कारण कि उनको प्रदत्त राहत की गणना गलत ढंग से की गई है, उस शाखा के द्वारा, जहां से उसने ऋण प्राप्त किया है अथवा संबंधित ऋणदात्री संस्था के जी.आर.ओ. को सीधे ही अभ्यावेदन दे सकता है और ऐसे सभी अभ्यावेदन को इसकी प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर निपटा लिया जाना चाहिए।

मुद्रा वायदा व्यापार

*109. **श्री आर. प्रभु:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मुद्रा वायदा व्यापार शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ भारतीय रुपए को पूंजीगत लेखा में परिवर्तनीय बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.एस.ई.) में मुद्रा वायदा व्यापार 29 अगस्त, 2008 को शुरू हुआ। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

महीना	संविदाओं की संख्या	संविदाओं का मूल्य (करोड़ रुपए)
अगस्त	65798	291
सितम्बर	1192301	5472
अक्तूबर	1293251	6240

एक्सचेंज प्लेटफार्म पर मुद्रा वायदा व्यापार के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं: सक्षम मूल्य अन्वेषण, बेहतर जोखिम प्रबंधन, प्रास्थिति स्तर की मॉनीटरिंग के संदर्भ में बेहतर बाजार अखंडता, प्रतिपक्षी गारंटी के माध्यम से प्रतिपक्षी जोखिम का निरसन और निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों की और अधिक भागीदारी जिनमें खुदरा निवेशक भी शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि मुद्रा वायदा व्यापार का परिनिर्धारण केवल भारतीय रुपए में किया जाता है और अमरीकी डालरों का कोई परिदाय नहीं किया जाता, इस प्रयोजनार्थ भारतीय रुपए को पूंजीगत लेखा में रूपांतरणीय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा केवल

भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग

***110. श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) की सिफारिशों को मात्र सुझाव माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने "नेशनल पॉलिसी ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर" शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 10(2) के अंतर्गत केन्द्र सरकार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली आयोग की सभी रिपोर्टों को एक ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करेगी, जिसमें संघ सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई और उन सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के कारण, यदि कोई हों, को स्पष्ट किया जाएगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग 'कृषि में महिलाओं पर राष्ट्रीय नीति' को अंतिम रूप दे रहा है।

राष्ट्रीय भवन संहिता

***111. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में भवनों के सुरक्षित निर्माण के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार की गई भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता-2005 लोक निर्माण विभागों, स्थानीय निकायों और अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगी। राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकारी एजेंसियों/अन्य सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी निर्माण एजेंसियों उसमें निहित प्रावधानों को लागू कराना सुनिश्चित करें।

शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से शहरों/कस्बों के अपने संबंधित भवन उप-नियमों में राष्ट्रीय भवन संहिता-2005 के अनुसार संरचनात्मक सुरक्षा के प्रावधान शामिल करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक मॉडल भवन उप-नियम भी भेजा है जिसमें संरचनात्मक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। अब तक, 23 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों ने यह सूचित किया है कि उन्होंने इसे अपनाने के लिए कदम उठा लिए हैं।

[अनुवाद]

विदेशी पूंजी का अंतर्वाह

***112. श्री अबु अयीश मंडल: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में घरेलू बाजार में विदेशी पूंजी का अंतर्वाह धीमा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भुगतान संतुलन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2008-09 की प्रथम तिमाही (अर्थात अप्रैल-जून, 2008) के दौरान भारत में सकल पूंजी अंतर्वाहों की राशि 88.4 बिलियन अमरीकी डालर (वर्ष 2007-08 की

पहली तिमाही में 68.5 बिलियन अमरीकी डालर) थी। वर्ष 2008-09 की प्रथम तिमाही के दौरान बहिर्प्रवाह की राशि 75.2 बिलियन अमरीकी डालर (2007-08 की पहली तिमाही में 51.2 बिलियन अमरीकी डालर) थी। इस प्रकार, वर्ष 2008-09 की प्रथम तिमाही में, निवल पूंजी अंतर्वाह (सकल अंतर्वाह-बहिर्प्रवाह) की राशि 13.2 बिलियन अमरीकी डालर थी, जो 2007-08 की प्रथम तिमाही में 17.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। अनुवर्ती अवधि के लिए उपलब्ध आंकड़े पूंजी अंतर्वाहों में कुछ संतुलन दर्शाते हैं। अभी तक वर्ष 2008-09 के लिए पूंजी अंतर्वाहों की कतिपय मदों संबंधी नवीनतम उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि:

(i) विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2008-09 के दौरान (10 अक्तूबर, 2008 तक), विगत वर्ष की इसी अवधि में निवल विदेशी संस्थागत निवेश अंतर्वाह (18.9 बिलियन अमरीकी डालर) की तुलना में, 7.3 बिलियन अमरीकी डालर के निवल बहिर्प्रवाह दर्ज किए;

(ii) भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह अप्रैल-अगस्त 2007 के दौरान 8.5 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि अप्रैल-अगस्त, 2008 के दौरान यह 16.7 बिलियन अमरीकी डालर रहा;

(iii) विदेशों में ए.डी.आर./जी.डी.आर. के निर्गमों के जरिए जुटाई गई निधियों की राशि अप्रैल-अगस्त, 2008 के दौरान 1.1 बिलियन अमरीकी डालर (अप्रैल-अगस्त, 2007 में 2.8 बिलियन अमरीकी डालर) रही;

(iv) अनिवासी भारतीय जमाराशियों में अप्रैल-अगस्त, 2007 के दौरान निवल बहिर्प्रवाह (168 मिलियन अमरीकी डालर) की तुलना में, अप्रैल-अगस्त, 2008 के दौरान 273 मिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया; और

(v) विदेशी वाणिज्यिक उधारों में अप्रैल-जून, 2007 के दौरान 6.99 बिलियन अमरीकी डालर के निवल अंतर्वाह की तुलना में, अप्रैल-जून, 2008 के दौरान 1.559 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया।

(ग) इस संबंध में सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी द्वारा निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए गए हैं:

(1) अनिवासी भारतीय जमाराशियां:

16 सितम्बर, 2008: एफ.सी.एन.आर. (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा में 50 आधार बिन्दुओं की वृद्धि की गई अर्थात लिबोर/यूरीबोर/स्वैप दर घटा 25 आधार बिन्दु।

एन.आर.(ई) आर.ए. जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा में 50 आधार बिन्दुओं की वृद्धि की गई अर्थात लिबोर/यूरीबोर/स्वैप दर जमा 50 आधार बिन्दु।

15 अक्तूबर 2008: एफ.सी.एन.आर. (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा में 50 आधार बिन्दुओं की वृद्धि की गई अर्थात लिबोर/यूरीबोर/स्वैप दर जमा 25 आधार बिन्दु।

एन.आर.(ई) आर.ए. जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा में 50 आधार बिन्दु की वृद्धि की गई अर्थात लिबोर/यूरीबोर/स्वैप दर जमा 100 आधार बिन्दु।

2. बैंक विदेशी उधार

15 अक्तूबर, 2008: बैंकों को विगत तिमाही के अंत की स्थिति के अनुसार उनकी अक्षत टीयर-I पूंजी के 50 प्रतिशत की सीमा तक अथवा 10 मिलियन अमरीकी डालर तक की निधियां, जो भी उच्चतर हो, अपनी विदेशी शाखाओं तथा संबद्ध बैंकों से लेने की अनुमति दी गई जबकि विद्यमान सीमा 25 प्रतिशत है।

3. विदेशी वाणिज्यिक उधार:

22 सितम्बर, 2008: अनुमोदन मार्ग के अधीन रुपया व्यय के लिए अवसंरचना क्षेत्र में उधारकर्ताओं के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की सीमा 100 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 500 मिलियन अमरीकी डालर कर प्रति वित्त वर्ष कर दी गई। रुपया व्यय के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक विदेशी वाणिज्यिक उधार के लिए परिपक्वता अवधि कम से कम सात वर्ष होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में क्रेडिट का विस्तार बढ़ाने के दृष्टिगत, सात वर्ष से अधिक के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार हेतु समग्र लागत सीमा की उच्चतम सीमा में उर्ध्वमुखी संशोधन करके उसे 350 आधार बिन्दुओं से बढ़ाकर 450 आधार बिन्दु कर दिया गया है।

8 अक्तूबर, 2008: विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार, अवसंरचना में विद्युत, टेलीकॉम, रेलवे, सड़कें (पुलों

सहित), बंदरगाह तथा हवाई अड्डे, औद्योगिक पार्क और शहरी अवसंरचना (जलापूर्ति, स्वच्छता और मल-जल निकासी परियोजनाएं) शामिल हैं। खनन, खोज और परिशोधन फर्मों को शामिल करने के लिए, 8 अक्तूबर, 2008 को अवसंरचना की परिभाषा में संशोधन किया गया।

4. पार्टिसिपेटरी नोट्स:

7 अक्तूबर, 2008: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट के निर्गम पर लगी पाबंदी हटाने का निर्णय लिया। नकदी और व्युत्पन्न दोनों खंडों के लिए पार्टिसिपेटरी नोट के निर्गम के लिए विनियामक, 40% पाबंदी हटा देगा।

5. ऋण में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश:

15 अक्तूबर, 2008: भारत सरकार की घोषणा का अनुसरण करते हुए, सेबी ने कारपोरेट ऋण सीमा में विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश 3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 6 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया। इक्विटी और ऋण में निवेश आवंटित करने के लिए एफ.आई.आई. को नम्यता प्रदान करने हेतु क्रमशः इक्विटी और ऋण में निवेश के अनुपात में 70:30 की पाबंदी संबंधी शर्तों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

अमरीकी वित्तीय संकट तथा आर्थिक सुधार

***113. श्री बापू हरी चौरे:**

श्री सांताश्री चटर्जी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका में वर्तमान वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश में आर्थिक सुधारों को टालने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन को अधिक स्वायत्तता देने तथा बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की इक्विटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने के मुद्दे पर पुनर्विचार कर रही है;

(ग) क्या उपर्युक्त के मद्देनजर सरकार का विचार बैंकिंग, बीमा तथा पेंशन सुधारों पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) आर्थिक सुधारों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में लोक नीतियों और ऐसी नीतियों को संचालित तथा कार्यान्वित करने वाली संस्थाओं की निरन्तर समीक्षा शामिल है। इसमें अवसरों को सुधारने और अर्थव्यवस्था पर विशिष्ट राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के प्रतिकूल प्रभावों को कम से कम करने की दृष्टि से नीतिगत प्राथमिकताओं की पुनरीक्षा करना भी शामिल है।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को और अधिक प्रबंधकीय स्वायत्तता देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर सरकार का कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है। विधायी संशोधन जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की इक्विटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाना शामिल है, विचाराधीन है।

(ग) और (घ) बैंकिंग, बीमा और पेंशन सुधारों के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों हेतु मानदंडों की समीक्षा

***114. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (बी.पी.एल.) की पहचान संबंधी मानदंडों/पैरामीटर्स की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ किसी विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उपर्युक्त समूह की क्या टिप्पणियां हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के मद्देनजर देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची को प्रतिवर्ष अद्यतन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) मंत्रालय ने श्री एम. शंकर, भूतपूर्व सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में 12 अगस्त, 2008 को विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि शैक्षणिक, प्रशासन और सिविल सोसाइटी इत्यादि के 16 अन्य सदस्य शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञ समूह के विचारणीय मुद्दे इस प्रकार हैं:

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने के लिए बी.पी.एल. के निर्धारण हेतु सरल, पारदर्शी और उद्देश्यपरक संकेतकों के साथ बी.पी.एल. की अगली जनगणना कराने के लिए अधिक उपयुक्त क्रियाविधि की सिफारिश करना।

(ii) सर्वेक्षण कराने, आंकड़ों को वैधीकृत करने और विभिन्न स्तरों पर बी.पी.एल. सूची की अनुमोदन के संस्थागत प्रणाली की सिफारिश करना।

(iii) बी.पी.एल. सूची में नाम हटाने/शामिल करने के संबंध में लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए संस्थागत प्रणाली की सिफारिश करना।

(iv) गरीबों के अनुमान तथा निर्धारण और निर्धारित किए जाने वाले बी.पी.एल. परिवारों की कुल संख्या संबंधी सीमा के मुद्दे के बीच के संबंधों पर बारीक नजर रखना।

(v) बी.पी.एल. जनगणना को सरल तथा स्वीकार योग्य बनाने की कोई अन्य सिफारिश।

विशेषज्ञ समूह 6 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

बी.आर.टी. सिस्टम

***115. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी.आर.टी.एस.) हेतु स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य राज्यों में इन परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय दिल्ली में बी.आर.टी.एस. के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बी.आर.टी. परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय पदयात्रियों की सुरक्षा पर समुचित ध्यान दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यू.आई.जी.) घटक के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिए सरकार द्वारा, विभिन्न राज्यों से प्राप्त 408458.70 लाख रु. की अनुमोदित लागत तथा 189508.05 लाख रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वाली 16 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) से (ङ) बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम भारत में पहली बार लगाया जा रहा है जबकि में यह पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से स्थापित प्रणाली है। इस प्रकार किसी भी शहर में प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखा जा रहा है और नियमित कार्यशालाएं आयोजित करके अन्य शहरों को इस अनुभव से अवगत किया जा रहा है। शहरों को अपनी बी.आर.टी.एस. परियोजनाओं की विस्तृत डिजाइनों में इन सभी अनुभवों को पर्याप्त रूप से सम्मिलित करने का परामर्श दिया गया है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी बी.आर.टी.एस. परियोजना कारीडोरों में परियोजना के भाग के रूप में अनन्य रूप से पृथक मार्ग शामिल किया गया है। इसके समानान्तर पैदल यात्रियों के लिए क्रासिंग भी यातायात सिग्नलों के जरिए नियंत्रित और संरक्षित किए जाते हैं।

विवरण

क्रम सं.	क्षेत्र	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	सी.एस.एम.सी. द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदित लागत (लाख रु.)	ए.सी.ए. की बचनबद्धता (लाख रु.)	जारी की गई निधियां (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा (i) एम.जी. रोड (ii) नुजीबीडू रोड (iii) येलूरो रोड (iv) रुट सं. 5 (v) एस.एन. पुरम रोड (vi) लूप रोड हेतु बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	26-मार्च-07	15264.00	7632.00	1908.00
2.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापटनम	विशाखापटनम (i) टनल सहित सिम्हाचलम ट्रांजिट कोरीडोर (ii) पेंडुरथी हेतु बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	18-मई-07	45293.00	22646.50	5661.63
3.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	गुजरात	अहमदाबाद	बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम-12 किमी. लंबे बी.आर.टी. सड़क मार्ग (फेज-1 का खंड 1) का निर्माण तथा विस्तृत अध्ययन करना और शेष खंडों की इंजीनियरिंग	11-अगस्त-06	8760.00	3066.00	766.50
4.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	गुजरात	अहमदाबाद	बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (46 कमी.)	6-अक्तूबर-06	40572.00	14200.20	3550.05
5.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	गुजरात	अहमदाबाद	बी.आर.टी.एस. फेज-II	19-अगस्त-08	48813.00	17085.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	गुजरात	राजकोट	बस रैपिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेज-I (ब्लू कोरीडोर पार्ट I का निर्माण)	20-जुलाई-07	11000.00	5500.00	1375.00
7.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	गुजरात	सूरत	सूरत के लिए बी.आर.टी.एस. का विकास	7-मार्च-08	46902.00	23451.00	5862.75
8.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	मध्य प्रदेश	भोपाल	बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए पायलेट कोरीडोर (विश्व-विद्यालय के लिए नई मार्किट 21.715 किमी.)	10-नवम्बर-06	23776.00	11888.00	2972.00
9.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	मध्य प्रदेश	इंदौर	बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पायलेट प्रोजैक्ट	10-अगस्त-06	9845.00	4922.50	2461.24
10.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर के लिए बीआरटी पायलेट परियोजना (कटराज स्वारगेट हडपसर मार्ग 13.6 किमी.)	11-अगस्त-06	10313.50	5156.75	2337.00
11.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	महाराष्ट्र	पुणे	बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (राष्ट्र-मंडल युवा खेल 2008 के लिए अवस्थापना का विकास)	5-मार्च-07	43422.00	21711.00	3358.13
12.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर कै लिए बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेज-I	25-अक्तूबर-06	47662.20	23831.10	11903.88
13.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	महाराष्ट्र	पुणे	मुम्बई पुणे राजमार्ग (8.5 किमी. तथा औंध रावेत रोड (14.5 किमी.)	28-दिसम्बर-07	31214.00	15607.00	3901.75

14.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे के लिए बी.आर.टी. कोरीडोर के रूप में न्यू अलंगी रोड (विकारांतवाड़ी से डिघी-नागाचुंगी तक 13.9 किमी. का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण)	19-अगस्त-08	3703.00	1851.50	462.88
15.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	राजस्थान	जयपुर	सी जोन बाईपास क्रॉसिंग से वाया सीकर रोड पानीपेच तक बी.आर.टी.एस. परियोजना प्रस्ताव (पैकेज आई.बी.)	20-जुलाई-07	7519.00	3759.50	1879.76
16.	मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	राजस्थान	जयपुर	पैकेज टूर के अंतर्गत बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम	28-दिसम्बर-07	14400.00	7200.00	1800.00
				कुल		408458.70	189508.05	54471.57

अर्थव्यवस्था की विकास दर

*116. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश के आर्थिक विकास में गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उच्च विकास दर प्राप्त करने के मार्ग में आड़े आ रहे अवसंरचात्मक गतिरोधों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे गतिरोधों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) सकल घरेलू उत्पाद और इसके प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि नीचे दर्शाई गई है:

क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (पहली तिमाही)
कृषि	0.0	5.9	3.8	4.5	3.0
उद्योग	10.3	10.2	11.0	8.6	6.9
सेवा	9.1	10.3	11.1	10.8	10.0
उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (1999-2000)	7.5	9.4	9.6	9.0	7.9

स्थावर संपदा क्षेत्र के अपेक्षाकृत धीमे विकास और वैश्विक आर्थिक विकास में कमी होने के कारण वर्ष 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद की समग्र वृद्धि में कुछ मंदी दिखाई देने की संभावना है।

(ग) से (ङ) बिजली, रेलवे, बंदरगाहों, विमान पत्तन, सिंचाई और शहरी व ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता जैसी भौतिक अवसंरचना क्षमताओं के संदर्भ में भारी अभाव से ग्रस्त हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में पता लगाई गई इन कमियों का स्वरूप और मात्रा निम्नानुसार है:

क्षेत्र	पता लगाई गई कमी
सड़क/राजमार्ग	65590 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग में नेटवर्क का 2% ही शामिल है, यातायात का 40% हिस्सा ढोता है, 4-लेन वाला 12%, 2 लेन वाला 50% और एक लेन वाला 38%।
बंदरगाह	अपर्याप्त घाट और रेल/सड़क संपर्क।
विमान पत्तन	अपर्याप्त रनवे, वायुयान संचालन क्षमता, पार्किंग स्थल और टर्मिनल भवन।
रेलवे	पुरानी प्रौद्योगिकी, पूर्णतया व्यस्त मार्ग, मंद गति (माल: 22 किमी. प्रति घंटा; यात्री: 50 किमी. प्रति घंटा) खाली और लदे हुए का कम अनुपात (2:5)।
विद्युत	13.8 प्रतिशत शीर्ष घाटा; 9.6% ऊर्जा की कमी: 40% पारेषण और वितरण हानियां; प्रतिस्पर्धा का न होना।

क्षेत्र	पता लगाई गई कमी
सिंचाई	1123 बी.सी.एम. प्रयोज्य जल संसाधन; प्रति व्यक्ति उपलब्धता और भंडारण में अभी संकट जैसी स्थिति; निवल बुआई क्षेत्र का केवल 43% सिंचित।
दूर संचार/सूचना प्रौद्योगिकी	सिर्फ 18% बाजार तक पहुंच; पुराना हार्डवेयर; प्रशिक्षित मानव संसाधनों की अत्यधिक कमी।

ग्यारहवीं योजना के दौरान अवसंरचना में सुधार करने की बात कही गई है। भौतिक अवसंरचना में किए जाने वाले निवेश को योजना के आधार वर्ष (2006-07) के सकल घरेलू उत्पाद के 5.4 प्रतिशत से बढ़ाकर योजना अवधि के अन्त तक प्रत्यक्ष सरकारी व्यवस्था और विशेष प्रयोजन साधनों के माध्यम से संसाधन जुटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 9.3 प्रतिशत कर देने की परिकल्पना की गई है।

निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों की भूमिका

***117. श्री के. सुब्बारायण:**

श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की राज्य-वार और बैंक-वार कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन बैंकों द्वारा जुटाई गई धनराशि और प्रदान किए गए ऋण का राज्य-वार, बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बैंकों ने कृषि और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश की बैंकिंग प्रणाली में निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों द्वारा बेहतर सामाजिक भूमिका निभाए जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल 8,270 शाखाएं और विदेशी बैंकों की 279 शाखाएं कार्यरत थीं। राज्य-वार, बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I से III में है।

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए राज्य-वार, बैंक-वार बकाया ऋण और जमाराशियों का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है और नियत समयावधि के संकलित करके सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। तथापि, विगत तीन वर्षों के लिए बैंक-वार समग्र ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	मार्च, 2006		मार्च, 2007		मार्च, 2008	
	कुल जमा राशियां	कुल बकाया अग्रिम	कुल जमा राशियां	कुल बकाया अग्रिम	कुल जमा राशियां	कुल बकाया अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7
विदेशी बैंक	113471	98862	150795	127868	191198	162999
गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंक	289434	219664	404721	298117	501007	359305

1	2	3	4	5	6	7
गैर-सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंक	130088	84129	138250	93752	165628	113040

आंकड़ों का स्रोत: स्थलेत्तर विवरणियां, भारतीय रिजर्व बैंक

(ग) से (ङ) घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जिनमें गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं, से अपेक्षित है कि वे इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण दें। विगत 3 वर्षों के दौरान अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र और विदेशी बैंकों द्वारा कृषि और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋण संबंधी आंकड़े विवरण-IV में दिए गए हैं। लक्ष्यों के सापेक्ष निष्पादन भी उसमें दिया गया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को पूरा न कर पाने पर, कमी की एक नियत राशि का नाबार्ड द्वारा संचालित आर.आई.डी.एफ. में अंशदान इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई है। यह गैर-सरकारी बैंकों सहित घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनिवार्य है।

विदेशी बैंकों के लिए, कमी की राशियां, सिडबी में अथवा समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित उद्देश्यों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य वित्तीय संस्थाओं की निधियों में जमा की जाती हैं।

विवरण-I

देश में कार्यरत गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	कार्यरत गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या			कार्यरत विदेशी बैंको की शाखाओं की संख्या		
		31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2006 की की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार	1	1	1	–	–	–
2.	आन्ध्र प्रदेश	477	540	610	11	11	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	1	1	–	–	–
4.	असम	13	28	45	1	1	1
5.	बिहार	19	29	32	1	2	2
6.	चण्डीगढ़	35	39	43	3	3	3
7.	छत्तीसगढ़	21	29	40	–	1	1
8.	दादरा एवं नगर हवेली	3	8	9	–	–	–
9.	दमन एवं दीव	2	4	4	–	–	–
10.	दिल्ली	339	366	421	40	42	44
11.	गोवा	57	61	65	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	गुजरात	243	299	334	14	15	16
13.	हरियाणा	115	145	192	8	8	9
14.	हिमाचल प्रदेश	11	25	28	–	–	–
15.	जम्मू-कश्मीर	362	372	401	–	–	–
16.	झारखण्ड	27	38	49	–	–	–
17.	कर्नाटक	652	697	776	17	18	18
18.	केरल	1200	1258	1323	6	6	6
19.	मध्य प्रदेश	82	98	126	5	5	5
20.	महाराष्ट्र	980	883	1010	74	76	78
21.	मेघालय	4	4	4	–	–	–
22.	मिजोरम	–	1	2	–	–	–
23.	नागालैण्ड	1	4	4	–	–	–
24.	उड़ीसा	36	59	86	2	2	2
25.	पुडुचेरी	22	22	22	1	1	1
26.	पंजाब	207	248	287	6	6	6
27.	राजस्थान	338	388	437	3	5	5
28.	सिक्किम	3	6	6	–	–	–
29.	तमिलनाडु	1168	1250	1307	23	25	25

30. त्रिपुरा	1	3	4	–	–	–
31. उत्तर प्रदेश	167	205	264	11	12	12
32. उत्तराखण्ड	56	69	83	–	–	–
33. पश्चिम बंगाल	177	221	254	33	33	34
कुल योग	6819	7401	8270.	259	272	279

स्रोत: बैंक संबंधी मास्टर ऑफिस फाइल (अद्यतन संस्करण)

टिप्पणी 1. '–' का अर्थ है 'शून्य'

विवरण-II

देश में कार्यरत गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या का बैंक-वार ब्यौरा

क्रम सं.	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम	कार्यरत शाखाओं की संख्या		
		31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
1.	ऐक्सिस बैंक लि.	352	501	644
2.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	418	458	478
3.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	103	103	–
4.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	327	345	363
5.	सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लि.	242	280	419
6.	सिटी यूनियन बैंक लि.	143	164	183
7.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	91	93	104
8.	फेडरल बैंक लि.	487	552	618
9.	गणेश बैंक आफ कुरुंदवाड लि.	33	–	–
10.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.	516	666	745
11.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि.	569	716	1269
12.	इंडसइंड बैंक लि.	152	185	195
13.	आई.एन.जी. वैश्य बैंक लि.	388	413	421
14.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	455	461	499
15.	कर्नाटक बैंक लि.	412	428	453
16.	करुर वैश्य बैंक लि.	263	289	296
17.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	79	110	182
18.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	241	250	253
19.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	119	119	–

1	2	3	4	5
20.	नैनीताल बैंक लि.	81	82	89
21.	रतनाकर बैंक लि.	78	80	81
22.	सांगली बैंक लि.	194	195	–
23.	एस.बी.आई. कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	3	3	3
24.	साउथ इंडियन बैंक लि.	458	484	508
25.	तमिलनाड मर्कैंटाइल बैंक लि.	184	194	217
26.	दि धनलक्ष्मी बैंक लि.	186	189	189
27.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	236	–	–
28.	यस बैंक लि.	9	41	61
	कुल योग	6819	7401	8270

विवरण-III

देश में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या का बैंक-वार ब्यौरा

क्रम सं.	विदेशी बैंकों के नाम	कार्यरत शाखाओं की संख्या		
		31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
1.	एबी बैंक लि.	1	1	1
2.	ए.बी.एन. आमरो बैंक एन.वी.	23	28	28
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	2	2	2
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	8	8	–
5.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन	–	–	2
6.	एंटवर्प डायमंड बैंक एन.वी.	1	1	1
7.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	1	1	1

1	2	3	4	5
8.	बैंक आफ अमेरिका एन.टी. एंड एस.ए.	5	5	5
9.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी.	2	2	2
10.	बैंक आफ सिलोन	1	1	1
11.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	5	5	5
12.	बार्कलेज बैंक पी.एल.सी.	1	3	5
13.	बी.एन.पी. परिबास	9	9	9
14.	केल्योन बैंक	6	6	6
15.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	1	1	1
16.	सिटी बैंक एन.ए.	40	40	40
17.	डी.बी.एस. बैंक लि.	2	2	2
18.	ड्यूश बैंक (एशिया)	8	8	10
19.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	43	47	47
20.	जे.पी. मोरगन चेस बैंक नेशनल एसोसिएशन	1	1	1
21.	करुंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लि.	1	1	1
22.	मशरेक बैंक पी.एस.सी.	2	2	2
23.	मिजुहो कारपोरेट बैंक लि.	1	2	2
24.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	2	2	2
25.	शिनहैन बैंक	1	2	2
26.	सोसिएट जनरेल	2	2	2
27.	सोनाली बैंक	2	2	2
28.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	82	82	91
29.	स्टेट बैंक आफ मरीशस लि.	3	3	3
30.	दि बैंक आफ टेक्यो-मित्सुबिसी यू.एफ.जे. लि.	3	3	3
	कुल योग	259	272	279

स्रोत: बैंक संबंधी मास्टर ऑफिस फाइल (अद्यतन संस्करण)

टिप्पणी 1. '–' का अर्थ है 'शून्य'

विवरण-IV

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम (अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	मार्च, 2006		मार्च, 2007		मार्च, 2008@	
	राशि	निवल बैंक ऋण में प्रतिशतता	राशि	निवल बैंक ऋण में प्रतिशतता	राशि	निवल बैंक ऋण में प्रतिशतता**
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम*	1,06,586	42.8	1,44,549	42.9	1,63,223	47.5
जिनमें से:						
I. कृषि	36,712	13.6	52,034	12.7	57,702	15.4
II. लघु उद्योग	10,421	4.2	13,136	3.9	–	–
III. लघु उद्यम	–	–	–	–	46,069	13.4
IV. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	57,777	23.2	76,919	22.9	–	–
V. खुदरा व्यापार	–	–	–	–	8,065	2.4
VI. सूक्ष्म ऋण	–	–	–	–	3,883	1.2
VII. शिक्षा	–	–	–	–	509	0.2
VIII. आवास	–	–	–	–	46,990	14.0

विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम (अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	मार्च, 2006		मार्च, 2007		मार्च, 2008@	
	राशि	निवल बैंक ऋण में प्रतिशतता	राशि	निवल बैंक ऋण में प्रतिशतता	राशि	निवल बैंक ऋण में प्रतिशतता**
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम*	30,439	34.4	37,831	33.4	50,301	39.5
जिनमें से:						
I. निर्यात ऋण	17,326	19.6	20,711	18.3	29,007	22.8

1	2	3	4	5	6	7
II. लघु उद्योग	8,430	9.5	11,637	10.3	15,489	12.2

●आंकड़े अनंतिम हैं।

* प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अग्रिमों के वर्गों में कृषि, लघु उद्यम क्षेत्र, खुदरा व्यापार, सूक्ष्म ऋण, शिक्षा और आवास शामिल हैं।

** तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर।

टिप्पणी: कृषि की प्रतिशतता की गणना के लिए अप्रत्यक्ष कृषि समायोजित निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत तक माना जाता है।

ए.एन.बी.सी. के 40% के कुल पी.एस.एल. लक्ष्य के तहत घरेलू वाणिज्यिक बैंकों (गैर-सरकारी बैंकों सहित) के लिए उप-लक्ष्य

कृषि (18%)

लघु उद्यम (समग्र 40% के अंतर्गत),

लघु उद्यमों के ही अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम (लघु उद्यमों को कुल अग्रिमों का 40%, 5 लाख रुपए तक सूक्ष्म विनिर्माण और 2 लाख रुपए तक सूक्ष्म सेवा उद्यमों के लिये तथा 20%, 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक सूक्ष्म विनिर्माण और 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक सूक्ष्म सेवा के लिये),

कमजोर वर्ग (10%)

डी.आर.आई. (1%)

ए.एन.बी.सी. के 32% के समग्र पी.एस.एल. लक्ष्य के अंतर्गत विदेशी बैंकों के लिये उप-लक्ष्य

लघु उद्यम (10%)

लघु उद्यमों के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम (घरेलू बैंकों के समान)

निर्यात ऋण (12%)

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

***118. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को सरकार की ऋण माफी योजना का लाभ उठाने के पश्चात् नए ऋण लेने में कठिनाइयां पेश आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छह प्रतिशत की ब्याज दर पर कृषि ऋण देने और किसानों को दिए गए ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज का भी भार वहन करने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने किसानों को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से नौ प्रतिशत की उच्च दर पर ऋण देने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) किसानों को उचित दरों पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसी कोई विशेष रिपोर्ट नहीं है जो सरकार की ऋण माफी योजना का लाभ उठाने के पश्चात् नए ऋण लेने में पात्र किसानों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दर्शाती है। सभी किसान, जिन्हें ऋण माफी अथवा ऋण राहत प्रदान की गई है, वे नए ऋणों के लिए पात्र हैं।

(ग), (घ) और (छ) खरीफ 2006-07 से भारत सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) तथा सहकारी बैंकों को उनकी स्वयं की निधियों पर ब्याज सहायता तथा वर्ष 2005-06 में 01 लाख रुपए तक तथा तत्पश्चात 03 लाख रुपए तक किसानों को बुनियादी स्तर पर प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि

ऋण सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान कर रही है। ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों को प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर पर कृषि ऋणों का संवितरण जारी रखने के लिए सक्षम बनाए रखने हेतु निधियों की लागत में वृद्धि के बावजूद सरकार ने ब्याज पर आर्थिक सहायता की दर में वर्ष 2007-08 में 2% से वर्ष 2008-09 में 3% तक की वृद्धि की है।

(ङ) और (च) नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी.) को प्रतिभूतियों में अपेक्षा से अधिक अधिशेष निवेशों में ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहा है ताकि वे ऐसे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.), जो अन्यथा पात्र नहीं हैं, को ऋण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दे सकें। यह सीमा अनुमोदित प्रतिभूतियों को गिरवी रख कर प्रति वर्ष 9.5% तक बढ़ा दी गई है।

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड कृषि और मत्स्यपालन संबंधी विपणन कार्य के लिए जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ऋण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को 9% की दर पर प्रति वर्ष पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर रहा है। नाबार्ड सरकार से किसी आर्थिक सहायता के बिना अपनी उधार ली गई निधियों में से यह ऋण सहायता प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

विदेशी ऋण

*119. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत का विदेशी ऋण बढ़कर कई गुना हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) भारत के विदेशी ऋण में वर्ष 2005-06 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2007-08 में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान भारत के अल्पावधिक ऋण में भी काफी वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) भारत का विदेशी ऋण मार्चान्त 2005, 2006, 2007 और 2008 में क्रमशः 133.0 बिलियन अमरीकी डालर, 138.1 बिलियन अमरीकी डालर, 169.7 बिलियन अमरीकी डालर और 220.7 बिलियन अमरीकी डालर था।

(घ) और (ङ) अल्पावधिक विदेशी ऋण, 31 मार्च, 2007 के 26.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में, मार्च 2008 के अंत में 43.8 बिलियन अमरीकी डालर था। 2007-08 के दौरान अल्पावधिक ऋण में हुई वृद्धि मूलतः आयातों में आए उछाल के कारण व्यापार ऋणों में बढ़ोतरी के चलते हुई थी।

(च) सरकार की विदेशी ऋण प्रबंधन नीति का लक्ष्य विदेशी ऋण को नियंत्रणीय सीमा में रखना है। इसमें दीर्घावधिक परिपक्वताओं वाले रियायती शर्तों वाले सरकारी ऋण जुटाने, आवश्यकतानुसार उच्च लागत वाले ऋणों की समयपूर्व अदायगी करने, अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने, विदेशी वाणिज्यिक उधारों के अंतिम प्रयोग को विनियमित करने, अल्पावधिक ऋण की निगरानी और ऋण सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाहों को प्रोत्साहन देने पर बल देना शामिल हैं।

आर्सेनिक मुक्त पेय जल

*120. श्री बसुदेव आचार्य: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में लोगों को आर्सेनिक मुक्त पेय जल उपलब्ध कराने के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कृतिक बल गठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसने क्या सिफारिशें की हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता समस्या को संकेंद्रित तरीके से हल करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 में जल गुणवत्ता संबंधी संशोधित उप मिशन शुरू किया।

इस घटक के अंतर्गत, ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों का 20% हिस्सा जल गुणवत्ता समस्याओं जिसमें आर्सेनिक संदूषण शामिल है, को हल करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जल गुणवत्ता संबंधी संशोधित उप मिशन में आर्सेनिक संदूषण की समस्या को हल करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक संदूषण को दूर करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने अगस्त, 2005 में एक कार्यबल गठित किया था। कार्यबल ने जुलाई, 2007 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। कार्यबल की मुख्य सिफारिशें यह थी कि आर्सेनिक की समस्या का बेहतर समाधान भू-जल स्रोतों से पानी निकालकर आर्सेनिक मुक्त जल का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना है न कि आर्सेनिक का उपचार करना जिसमें इसे भूजल से खींचा जाता है तथा यह सतह में घुल जाता है। यह भी बताया गया था कि आर्सेनिक का उपचार तथा निस्सारियों का असुरक्षित निपटान उसी जगह असंदूषित सतही जल तथा सामान्य पर्यावरण में घुलने के साथ-साथ जल संदूषण की गंभीर समस्या को और बढ़ा सकता है। योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल ने गहन शिक्षा, सामुदायिक जागरूकता और जल गुणवत्ता निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया ताकि पीने तथा खाना पकाने के लिए आर्सेनिक संदूषित जल के सतत अथवा बढ़े हुए उपयोग को रोका जा सके।

कार्यबल की रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा तैयार किया गया कार्यनीति पत्र उन राज्यों को भेज दिया गया है जहां भूजल में आर्सेनिक संदूषण की गंभीर समस्या है। चूंकि आर्सेनिक सतह के उप स्तर में रहता है इसलिए आर्सेनिक संदूषण की संभावना के बारे में राज्यों को पहले से आगाह करने के लिए सैटेलाइट आंकड़ों का उपयोग करके जल भू-स्थलाकृति मानचित्र (भूजल की संभावना दर्शाने वाला मानचित्र) तैयार करने के गहन प्रयास भी किए जा रहे हैं।

विभाग आर्सेनिक उपशमन के सभी प्रयासों की सतत निगरानी कर रहा है तथा संबंधित राज्यों द्वारा यथाप्रस्तावित अनुरोध के अनुसार पर्याप्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है।

घरेलू बाजार में नकदी

1083. श्री ई. दयाकर राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोर्टफोलियो पूंजी के बहिर्प्रवाह से रुपए की गिरावट में तेजी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या टिप्पणियां हैं; और

(ग) घरेलू बाजार में डालर की आपूर्ति में वृद्धि करने तथा नकदी बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) विनिमय दर में घट-बढ़ मोटे तौर पर विदेशी मुद्रा बाजार में मांग-आपूर्ति की दशाओं से निर्धारित होती है। चालू वित्तीय वर्ष में अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट मुख्यतया इन कारणों से हुई: वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल से उत्पन्न आपूर्ति पक्ष पर निवल पूंजी अंतर्वाहों के कम स्तर जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों के कारण हुआ निवल बहिर्वाह प्रमुख घटक हैं; बाजार भागीदारों से बढ़ती हुई मांग खासकर कच्चे पेट्रोलियम के ऊंचे अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के कारण; और सितम्बर, 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बिगड़ने के बाद से प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मूल्यवृद्धि। हाल के वर्षों में विनिमय दर की नीति सजग मानीटरिंग और लचीलेपन के साथ विनिमय दरों के प्रबंधन के मुख्य सिद्धांतों से मार्गदर्शित होती रही है जिसमें कोई नियत लक्ष्य या पूर्वघोषित लक्ष्य या सीमा न रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करने की क्षमता भी शामिल है। विनिमय दर की घट-बढ़ों पर कड़ी नजर रखी जाती है और बाजार की समग्र दशाओं पर निर्भर रहते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू विदेशी मुद्रा बाजारों में आवश्यक समझे जाने वाले हस्तक्षेप किए जाते हैं।

(ग) हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू और विदेशी मुद्रा की नकदी की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जो निम्नानुसार है:

- 20 अक्तूबर, 2008 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 9 प्रतिशत के पूर्ववर्ती स्तर से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया।

- 16 सितम्बर, 2008 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह मांग-आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए प्रत्यक्षतः अथवा एजेंट बैंकों के माध्यम से डालरों की आपूर्ति करना जारी रखेगा; पूंजीगत प्रवाहों को आकर्षित करने के लिए अनिवासी

जमाराशियों पर ब्याज-दरों को समायोजित किया गया; पूर्णतः अस्थायी उपाय के तौर पर अनुसूचित बैंकों को उनकी निवल मांग और समयबद्ध देनदारी के एक प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त नकदी सहायता लेने की अनुमति दी गई जिसमें 15 अक्तूबर को और 0.5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई; 1 अगस्त, 2008 से रिपोर्टिंग शुक्रवार (प्रत्येक दो सप्ताह) से शुरू की गई दूसरी नकदी समायोजन सुविधा 17 सितंबर, 2008 से दैनिक सुविधा (एल.ए.एफ.) बना दी गई।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने आरक्षित नकदी अनुपात को 10 अक्तूबर, 2008 के 9.0 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 11 अक्तूबर, 2008 से 6.5 प्रतिशत कर दिया जिससे लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी-निधियां जारी की गईं।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फण्डों की नकदी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एल.ए.एफ. के तहत 20,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए 14 अक्तूबर, 2008 को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर एक विशेष 15-दिवसीय रेपो भी संचालित किया। यह सुविधा 15 अक्तूबर, 2008 को दैनिक आधार वाली बना दी गई।
- सरकार के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 अक्तूबर, 2008 को घोषणा की कि वह कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के अंतर्गत संबंधित वित्तीय संस्थाओं को नकदी सहायता के रूप में पहली किस्त के तौर पर तत्काल 25,000 करोड़ रुपये मुहैया कराएगा।
- 15 अक्तूबर, 2008 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि बैंकों को पिछली तिमाही के समाप्त होने पर उनकी अक्षत टियर-1 पूंजी के 50 प्रतिशत तक की सीमा तक अथवा 10 मिलियन अमरीकी डालर, जो भी 25 प्रतिशत की वर्तमान सीमा की तुलना में अधिक हो, की निधियां अपनी विदेश स्थित शाखाओं और सह-संबंधी बैंकों से उधार लेने की अनुमति दी गई है।

पहले मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजारों में तंगी से उत्पन्न होने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को जून-जुलाई, 2008 में तेल बांडों के लिए विशेष बाजार प्रचालनों के माध्यम से सुविधा दी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त सेबी ने अपतटीय व्युत्पाद लिखतों संबंधी प्रतिबंधों में छूट दी है और विदेशी संस्थागत निवेशकों के कारपोरेट बांडों में निवेश की सीमा 3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 6 बिलियन अमरीकी डॉलर करने का निर्णय लिया है।

सरकारी कालोनियों में अप्राधिकृत कार्यकलाप

1084. श्री नकुल दास राई: क्या शहरी विकास मंत्री सरकारी कालोनियों में अप्राधिकृत कार्यकलाप के बारे में 15 अप्रैल, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3253 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सूचना कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संबद्ध एजेंसियों/कार्यालयों से सूचना एकत्र की जाएगी और प्राप्त होते ही पटल पर रख दी जाएगी।

पाम ऑयल पर सीमा शुल्क

1085. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाम ऑयल के आयात पर वर्तमान में प्रयोज्य सीमा शुल्क की दरें क्या हैं;

(ख) क्या देश में भारी मात्रा में पाम ऑयल की तस्करी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्तमान सीमा शुल्क दर कच्चे पाम आयल के आयात पर शून्य और परिशोधित पाम आयल के आयात पर 7.5% है।

(ख) और (ग) वर्ष 2005-06 से 2008-09 (अप्रैल-सितम्बर, 2008 तक) की अवधि के दौरान पाम आयल की तस्करी से संबंधित दर्ज मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	मामलों की सं.	पाम आयल की मात्रा (मी. टन में)	निहित मूल्य (लाख रुपये में)
2005-06	295	20541.49	4031.98
2006-07	47	492.8	156.51
2007-08	2	453.7	95.99
2008-09		शून्य	

क्षेत्रीय कार्यालयों और राजस्व आसूचना महानिदेशालय को निर्देश दिया गया है कि वे सावधान तथा सतर्क रहें जिससे कि देश में पाम आयल की तस्करी के किसी भी प्रयास को रोका जा सके।

मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

1086. श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री के. फ्रांसिस जार्ज:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एम.आर.टी.एस.) योजना के अंतर्गत मैट्रो रेल/उप-नगरीय रेल शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बस रैपिड ट्रांजिट (बी.आर.टी.) प्रणाली के स्थान पर मेट्रो-रेल/उप नगरीय रेल को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) पर उप मिशन के तहत निम्नलिखित से संबंधित परियोजनाएं स्वीकार्य हैं :-

(i) सड़कों, राजमार्गों/एक्सप्रेसवे/एम.आर.टी.एस./मेट्रो परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन।

(ii) सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर पार्किंग स्थलों/स्थानों।

सरकार सफाई व्यवस्था, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, जल निकास, सड़कों सहित शहरी परिवहन के साथ शहरी नवीकरण, जल आपूर्ति परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु उच्च प्राथमिकता देगी।

(ग) और (घ) शहरी स्वरूप, भूभाग, जल मार्गों की उपलब्धता, मांग का स्तर, अव्यवस्थित फैलाव का विस्तार, भावी विकास के लिए अनुमान, जनसंख्या घनत्व की सीमा, निर्माण लागत, शामिल प्रचालन और अनुरक्षण लागत, शहरों की सौंदर्यपरकता पर प्रभाव आदि जैसे विभिन्न घटकों पर सार्वजनिक परिवहन के लिए प्रौद्योगिकी के चयन पर निर्भर करता है। इसलिए, जैसा कि राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति में विचार किया गया है, केन्द्र सरकार सभी प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगी तथा किसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित नहीं करेगी।

मुद्रास्फीति की अलग-अलग दरें

1087. श्री रनेन बर्मन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दरें अलग-अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति सकल घरेलू उत्पाद - अपस्फीतिकारक, थोक मूल्य सूचकांक तथा औद्योगिक कामगार, शहरी श्रमिकेतर कर्मचारी, कृषि मजदूर एवं ग्रामीण मजदूरों के चार प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संदर्भ में मापी जाती है। मुद्रास्फीति की दरों में भिन्नता विभिन्न वस्तु समूह वाले विभिन्न उपभोक्ता समूह जिनके लिए अलग-अलग सूचकांक बनाए गए हैं, से निर्मित होती है। हाल के महीनों की मुद्रास्फीति का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

माह	डब्ल्यू.पी.आई.	सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.	सी.पी.आई.-यू.एन.एम.ई.	सी.पी.आई.-आर.एल.	सी.पी.आई.-ए.एल.
अप्रैल-2008	8.04	7.81	7.0	8.6	8.9
मई-2008	8.86	7.75	6.8	8.8	9.1
जून, 2008	11.82	7.69	7.3	8.8	8.8
जुलाई, 2008	12.36	8.33	7.4	9.4	9.4
अगस्त, 2008	12.49 अ.	9.02	8.5	10.3	10.3
सितंबर, 2008	12.04 अ.	उ.न.	उ.न.	11.0	11.0

यह प्रस्ताव है कि समूचे शहरी क्षेत्र के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) अलग से संकलित किया जाए। सी.पी.आई. (शहरी) के लिए मूल्य आंकड़ा संग्रहण से संबंधित क्षेत्र-कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। सी.पी.आई. (ग्रामीण) के संकलन हेतु ग्रामीण मूल्य आंकड़ों के संग्रहण के लिए अभिकरण पर अंतिम निर्णय लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के संशोधन संबंधी कार्यदल ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें उन्होंने 1993-94 के आधार वर्ष वाली वर्तमान शृंखला के एवज में डब्ल्यू.पी.आई. की नई शृंखला के लिए आधार वर्ष बदलकर 2004-05 करने की अनुशंसा की है। डब्ल्यू.पी.आई. की नई शृंखला के लिए कुल 1225 वस्तुओं की पहचान की गई है। फिर भी, स्रोतों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर उत्पाद समूह में फेर-बदल की आवश्यकता पड़ेगी।

कोल्लम पत्तन

1088. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कोल्लम पत्तन को सीमा शुल्क पत्तन घोषित करने के लिए केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। केरल सरकार से कोल्लम पत्तन को सीमा शुल्क पत्तन के रूप में घोषित करने संबंधी एक अनुरोध अप्रैल, 2007 में प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) जी हां। भारत सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत कोल्लम पत्तन को सीमा शुल्क पत्तन के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। कोल्लम पत्तन को सीमा शुल्क पत्तन के रूप में अधिसूचित करने वाली अधिसूचना सं. 66/2007 (गै.टै.)-सीमा शुल्क, दिनांक 27-06-2007 पहले ही जारी की जा चुकी है।

बैंकों में धोखाधड़ी

1089. श्री एस.के. खारवेन्थन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को धोखाधड़ी के कारण काफी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं का पता लगाने तथा बैंकों को हुई क्षतियों को वसूल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय

रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 2006, वर्ष 2007 और वर्ष 2008 (जून तक) के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार क्रमशः 30,31,047 करोड़ रुपए, 37,11,303 करोड़ रुपए और 31,39,406 करोड़ रुपए की तुलना में, वर्ष 2006, वर्ष 2007 और वर्ष 2008 (जून तक) के दौरान धोखाधड़ी के मामलों में उनकी क्षति राशि क्रमशः 614.45 करोड़ रुपए, 617.91 करोड़ रुपए और 330.55 करोड़ रुपए थी। उपरोक्त अवधि के दौरान धोखाधड़ी के मामलों में क्षति राशि, उनके कुल कारोबार का मात्र 0.02%, 0.02% और 0.01% थी। इससे स्पष्ट है कि बैंकों की धोखाधड़ी में क्षति राशि बहुत ज्यादा नहीं है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में, समय-समय पर बैंकों को सामान्य धोखाधड़ी के क्षेत्रों, धोखाधड़ी के तरीकों और बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सचेत करता रहता है।

बैंकों से धोखाधड़ी की सूचना की प्राप्ति पर, भारतीय रिजर्व बैंक संबंधित बैंकों को मामले की सूचना कर्मचारियों की जवाबदेही का पता लगाने के लिए सी.बी.आई./पुलिस/एस.एफ.आई.ओ. को सूचित करने और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शीघ्र पूरी करने, धोखाधड़ी में सम्मिलित राशि की वसूली करने के लिए कदम उठाने, बीमा दावा, जहां लागू है, करने और प्रणाली एवं प्रक्रिया को चुस्त-दुरुस्त करने, ताकि धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, सुझाव देता है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं :-

- समवर्ती लेखा-परीक्षा की शुरुआत।
- निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा बैंकों के आंतरिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा तंत्र के काम-काज की समीक्षा करना।
- विशेष रूप से 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन।
- कर्मचारी की संलिप्तता की जांच करना और धोखाधड़ी में कर्मचारी संलिप्तता के विरुद्ध शीघ्रता से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना।
- बैंक धोखाधड़ी के कानूनी पहलुओं पर मित्रा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, बैंकों को विभिन्न निवारक उपायों जैसे सर्वोत्तम व्यवहार संहिता (बी.पी.सी.) का विकास, बी.पी.सी. की आंतरिक क्रियान्वयन प्रक्रिया, आंतरिक जांच बिंदुओं और आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना और कानूनी अनुपालन लेखा-परीक्षा की शुरुआत, जैसे कदम उठाने की सलाह दी है।
- चूंकि आवास ऋण के क्षेत्र में धोखाधड़ियों की संख्या बढ़ रही थी, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों, उधारकर्ता/भवन निर्माता के अध्यवसाय की पड़ताल करने, दस्तावेजों की कानूनी विशेषज्ञों से सत्यापन करवाने, उधारकर्ता की पहचान का सत्यापन करने, निर्णय लेने की बहु स्तरीय प्रक्रिया, परियोजना स्थल का ऋण संस्वीकृति पूर्व दौरा और संवितरण पश्चात गहन पर्यवेक्षण इत्यादि सहित कई परिपत्र जारी किए हैं।

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी. यूनिटों को बंद किया जाना

1090. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एन.टी.पी.सी. के कई यूनिट ईंधन की कमी के कारण बंद कर दिये गए हैं अथवा बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी नहीं, तथापि, ईंधन की कमी के कारण चालू वर्ष में उत्पादन में कमी आई है। कोयले की कमी के कारण फरक्का यूनिट-1 और यूनिट-2 कुछ दिनों के लिए (यूनिट 1 जून, 2008 में 12 दिन के लिए और यूनिट 2 अक्तूबर, 2008 में 2 दिन के लिए) बंद की गई थीं।

(ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा ताप विद्युत स्टेशनों को कोयला आपूर्ति की स्थिति की दैनिक

आधार पर निगरानी की जाती है कोयले की कमी की निगरानी, कोयला मंत्रालय (एम.ओ.सी.) के तत्वाधान में सचिव (समन्वय) मंत्रिमंडल सचिवालय के नेतृत्व में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंटस रिव्यू कमेटी और उसके उपदल द्वारा की जाती है। देश में कोयले की उपलब्धता तथा जरूरत के बीच के अंतर को पाटने के लिए, एन.टी.पी.सी. लि. को वर्ष 2008-09 के दौरान कोयले के आयात की सलाह मंत्रालय द्वारा दी गई थी। एन.टी.पी.सी. लिमिटेड ने आयातित कोयले के 8.25 मिलियन टन की आपूर्ति हेतु मैसर्स एस.टी.सी. के आशय पत्र (लेटर आफ इंटेंट) जारी किया था। एन.टी.पी.सी. लिमिटेड ने अप्रैल से सितम्बर, 2008 के दौरान लगभग 0.8 मिलियन टन कोयले का आयात किया है।

एन.टी.पी.सी. लिमिटेड के संयंत्रों में गैस की कमी स्पाट आर.एल.एन.जी. की समय-समय पर मुख्य घरेलू आपूर्तिकर्त्ताओं अर्थात गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.), भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.), गुजरात स्टेट पैट्रोलियम कारपोरेशन (जी.एस.पी.सी.) हजीरा एल.एन.जी. लिमिटेड (एच.एल.एल.) से स्पाट पुनर्गैसीकृत लिमिटेड (आर.एल.एन.जी.) की आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर की गई व्यवस्था द्वारा आंशिक रूप से पूरा कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एन.टीं.पी.सी. लिमिटेड ने सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर मई, 2008 के प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिए गेल से 1 एम.एम.एस.सी.एम. की पन्ना-मुक्ती-तपती (पी.एम.टी.) स्पाट गैस का ठेका दिया है। इस वित्तीय वर्ष (अप्रैल से सितम्बर, 2008) के लिए प्राप्त पी.एम.टी. स्पाट गैस आपूर्ति 0.10 एम.एम.एस.सी.एम. ही है। भावी घरेलू गैस/आर.एल.एन.जी. की बातचीत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निम्नलिखित सहित घरेलू बाजार के लिए आपूर्ति की गई गैस की वृद्धि हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं:-

(i) डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोजेक्शन (ई व पी) कार्यों का सघनीकरण।

(ii) कोल बेड मीथेन (सी.बी.एम.) गैस का दोहन।

(iii) हाईड्रेट संसाधनों के मूल्यांकन हेतु प्राकृतिक गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एन.जी.एच.पी.) का कार्यान्वयन और उनका संभाव्य वाणिज्यिक दोहन।

(iv) जलीय प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) आयात और

(v) ट्रांसनैशनल गैस पाइपलाइनों के माध्यम से गैस स्रोत।

[अनुवाद]

इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882

1091. श्री के.एस. राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) न्यासों द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेश संबंधी कुछ अव्यवहार्य प्रावधानों संबंधी कार्रवाई करने के लिए भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायतें

1092. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सराकर ने बीमाधारकों के हितों के संरक्षण हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीमाधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण के उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करना भी शामिल है। तदनुसार, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण ने बीमा तथा विकास प्राधिकरण (पालिसीधारकों के हितों की रक्षा) विनियमावली, 2002 अधिसूचित की है।

यह विनियमावली बीमा संविदा के संबंध में, बिक्री और दावे के संदर्भ में, दोनों स्थितियों में, बीमा कंपनियों और पालिसीधारकों के कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करने तथा बीमा कंपनियों में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करती है। इस विनियमावली के अनुपालन में, कंपनियों ने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, दावों के निपटान से संबंधित शिकायतों के लिए पालिसीधारक बीमा लोकपाल, आई.आर.डी.ए. शिकायत कक्ष, उपभोक्ता मंच या कोर्ट से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

दावों के निपटान से संबंधित जनता की शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बीमा क्षेत्र में 11 नवम्बर, 1998 से एक लोकपाल प्रणाली आरम्भ की है। इस समय 12 शहरों में बीमा लोकपाल स्थित हैं। प्रत्येक लोकपाल को, बीमा संविदाओं के संबंध में जहां बीमित राशि 20 लाख रुपए से कम है, वहां वैयक्तिक आधार पर, उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। बीमा कंपनी शिकायतकर्ता से स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय का अनुपालन करेगी और इस अनुपालन की सूचना लोकपाल को देगी।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1093. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत सहकर्मियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग करते हुए हाल में एक हड़ताल की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

1094. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के विनिवेश के परिणामस्वरूप क्षेत्र-वार कितनी वसूली की गई तथा अब तक कितना निवेश किया गया; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न विभागों में अब तक किए गए विनिवेश के परिणामस्वरूप कुल कितने कर्मचारी तथा अधिकारी अतिरिक्त हो गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 1991-92 से आज तक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में विनिवेश से कुल 53,423.03 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश से प्राप्त की गई धनराशि जमा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना 23 नवम्बर, 2005 को की गई थी। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना से पूर्व विनिवेश से प्राप्त की गई धनराशि भारत के संचित कोष में जमा कराई जाती थी। अब तक विनिवेश से प्राप्त की गई 1814.45 करोड़ रुपए की धनराशि राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई।

(ख) वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के दौरान संपन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इकाइयों की सामरिक बिक्री के माध्यम से विनिवेश के संबंध में सरकार और सामरिक भागीदार के बीच संपन्न करार में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि करार की तारीख को कंपनी के कर्मचारी संबंधित कंपनी की नौकरी में बने रहेंगे और यह भी व्यवस्था की गई है कि लागू कर्मचारी विनियमों तथा कंपनी के स्थायी आदेशों या लागू कानूनों के अनुसार बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति को छोड़कर सामरिक भागीदार, अंतिम/हस्तांतरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं करेगा। इसके अलावा, करार में कर्मचारियों के रोजगार के निबंधनों और शर्तों के उचित संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। वर्ष 2003-04 के बाद कोई सामरिक बिक्री नहीं की गई है।

विवरण

वर्ष 1991-92 से 20-10-2008 : विनिवेश से प्राप्तियों का सारांश

वर्ष	के.सा.क्षे. के उद्यमों में अल्पांश शेयरों की बिक्री से प्राप्तियां (करोड़ रु.)	एक के.सा.क्षे. के उद्यम से दूसरे के.सा.क्षे. के उद्यम को अधिकांश शेयरों की बिक्री से प्राप्ति (करोड़ रु.)	सामरिक बिक्री से प्राप्ति (करोड़ रु.)	अन्य संबंधित सौदों से प्राप्ति (करोड़ रु.)	विनिवेशित के.सा.क्षे. के उद्यमों/कंपनियों में अवशिष्ट शेयरधारिता की बिक्री से प्राप्तियां (करोड़ रु.)	कुल प्राप्ति (करोड़ रु.)	सौदे
1	2	3	4	5	6	7	8
1991-92	3,037.74	–	–	–	–	3,037.74	दिसम्बर 1991 और फरवरी 1992 में "बहुत अच्छी" "अच्छी" तथा "औसत" कंपनियों के अल्पांश शेयर नीलामी पद्धति द्वारा बण्डलों में बेचे गए।
1992-93	1,912.51	–	–	–	–	1.912.51	नीलामी पद्धति द्वारा प्रत्येक कंपनी के अलग-अलग शेयर बेचे गए।
1993-94	–	–	–	–	–	–	6 कंपनियों की इक्विटी नीलामी पद्धति द्वारा बेची गई लेकिन इसका अर्थागम 94-95 में प्राप्त हुआ।
1994-95	4,843.10	–	–	–	–	4,843.10	शेयरों को नीलामी पद्धति द्वारा बेचा गया।
1995-96	168.48	–	–	–	–	168.48	शेयरों को नीलामी पद्धति द्वारा बेचा गया।
1996.97	379.67	–	–	–	–	379.67	जी.डी.आर.-वी.एस.एन.एल.
1997-98	910.00	–	–	–	–	910.00	जी.डी.आर.-एम.टी.एन.एल.
1998-99	*5,371.11	–	–	–	–	5,371.11	जी.डी.आर.-वी.एस.एन.एल.; स्वदेशी पेशकश-कॉन्कोर और गेल; तेल क्षेत्र की 3 कंपनियों अर्थात गेल, ओ.एन.जी.सी. तथा आई.ओ.सी. द्वारा परस्पर खरीद।

1	2	3	4	5	6	7	8
1999-00	**1,479.27	–	105.45	275.42	–	1,860.14	जी.डी.आर.-गेल, वी.एस.एन.एल. की घरेलू पेशकश; बाल्को की पूंजी में कमी तथा लाभांश; मॉडर्न फूड इण्डिया लि. की सामरिक बिक्री।
2000-01	–	1317.23	554.03	–	–	1,871.26	के.आर.एल., सी.पी.सी.एल. और बी.आर.पी.एल. की केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बिक्री; बाल्को और एल.जे.एम.सी. की सामरिक बिक्री।
2001-02	–	–	3,090.09	2,567.60	–	5,657.69	सी.एम.सी., एच.टी.एल., वी.एस.एन.एल., आई.बी.पी., पी.पी.एल., आई.टी.डी.सी. एवं एच.सी.आई. की होटल सम्पत्तियों की सामरिक बिक्री; संतूर होटल जुहू बीच, मुम्बई की स्लम्प सेल, तथा अशोक बंगलौर को पट्टे पर देना; बी.एस.एन.एल., एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. से विशेष लाभांश; बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों को शेयरों की बिक्री।
2002-03	–	–	2,252.72	1,095.26	–	3,347.98	एच.जैड.एल., आई.पी.सी.एल. और आई.टी.डी.सी. की होटल संपत्तियों की सामरिक बिक्री; संतूर होटल एयरपोर्ट, मुम्बई की स्लम्प सेल; एस.एम.सी. के पक्ष में राइटस इश्यू के परित्याग से प्रीमियम; एम.एफ.आई.एल. का विक्रय विकल्प; एच.जैड.एल. और सी.एम.सी. के कर्मचारियों को शेयरों की बिक्री।
2003-04	12,741.62	–	342.06	–	2,463.73	15,547.41	जे.सी.एल. की सामरिक बिक्री: एच.जैड.एल. का क्रय विकल्प; एम.यू.एल., आई.बी.पी., आई.पी.सी.एल., सी.एम.सी., डी.सी.आई., गेल और ओ.एन.जी.सी. की बिक्री की पेशकश; आई.सी.आई. लि. के शेयरों की बिक्री।
2004-05	2700.06	–	–	64.81	–	2,764.87	एन.टी.पी.सी. की बिक्री की पेशकश और

							ओ.एन.जी.सी. का स्पिल ओवर; आई.पी.सी.एल. के कर्मचारियों को शेयरों की बिक्री।
2005-06	–	–	–	2.08	1,567.60	1,569.68	एम.यू.एल. के शेयरों की भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों और कर्मचारियों को बिक्री।
2006-07	–	–	–	–	–	–	
2007-08	1814-45	–	–	–	2,366.94	4,181.39	एम.यू.एल. के शेयरों की सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय म्युचुअल फण्डों को बिक्री और बिक्री की पेशकश के माध्यम से पी.जी.सी.आई.एल. और आर.ई.सी. के शेयरों की बिक्री।
कुल	35,358.01	1,317.23	6,344.35	4,005.17	6,398.27	5,3423.03	

*5371.11 करोड़ रुपए में से 4184 करोड़ रुपए ओ.एन.जी.सी., गेल और आई.ओ.सी. के शेयरों की परस्पर खरीद से प्राप्त हुए।

**1479.27 करोड़ रुपए में से 459.27 करोड़ रुपए ओ.एन.जी.सी., गेल और आई.ओ.सी. के शेयरों की परस्पर खरीद से प्राप्त हुए।

बाल्को	भारत अल्युमिनियम कम्पनी लि.
बी.आर.पी.एल.	बोंगाईगांव रिफाइनिरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.
सी.पी.सी.एल.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
सी.एम.सी.	सी.एम.सी. लि.
सी.ओ.एन.सी.ओ.आर.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
सी.पी.एस.ई.एस.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
डी.सी.आई./डी.सी.आई.एल.	ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया
जी.ए.आई.एल.	गेल इण्डिया लि.
जी.डी.आर.	विश्वव्यापी डिपॉजिटरी रसीद
एच.टी.एल.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि.

1	2	3	4	5	6	7	8
	एच.जैड.एल.		हिन्दुस्तान जिंक लि.				
	एच.सी.आई.		होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.				
	आई.बी.पी.		आई.बी.पी. कम्पनी लि.				
	आई.सी.आई.		आई.सी.आई. लि.				
	आई.ओ.सी.		भारतीय तेल निगम				
	आई.टी.डी.सी.		भारत पर्यटन विकास निगम लि.				
	आई.पी.सी.एल.		भारतीय पेट्रो रसायन निगम लि.				
	जे.सी.एल.		जैसप एण्ड कम्पनी लि.				
	के.आर.एल.		कोच्चि रिफाइनिरीज लि.				
	एल.जे.एम.सी.		लगन जूट मशीनरी कंपनी लि.				
	एम.यू.एल.		मारुति उद्योग लि.				
	एम.एम.टी.सी.		भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.				
	एम.एफ.आई.एल.		माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि.				
	एन.टी.पी.सी.		राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम				
	ओ.एन.जी.सी.		तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.				
	पी.पी.एल.		पारादीप फॉस्फेट्स लि.				
	पी.जी.सी.आई.एल.		पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.				
	आर.ई.सी.		ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.				
	एस.टी.सी.		भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.				
	एस.एम.सी.		सुजुकी मोटर कार्पोरेशन				
	वी.एस.एन.एल.		विदेश संचार निगम लि.				

शहरी गरीबों के घरों हेतु ब्याज राजसहायता

1095. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी गरीबों के घरों हेतु ब्याज राजसहायता प्रदान करने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) शहरी गरीबों के लिए घर मुहैया करने हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम के लिए इस मंत्रालय के वर्ष 2008-09 के बजट में 95 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। स्कीम के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

मूल्य वृद्धि

1096. श्री हितेन बर्मन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आई.एफ.पी.आर.आई.) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा आयात और निर्यात को नियंत्रित करने हेतु उठाए जा रहे कदम विकास अनुकूल नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आई.एफ.पी.आर.आई.) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए कई देशों ने खाद्य निर्यातों पर प्रतिबंध लगाने तथा टैरिफ घटाकर आयातों पर लगे प्रतिबंधों को कम करने का सहारा लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे मूल्य नियंत्रणों और आयात तथा निर्यात की नीतियों में परिवर्तन करने से गरीब उपभोक्ताओं की समस्या हल हो सकती है किन्तु इनमें से कुछ नीतियों से अंतरराष्ट्रीय बाजार छोटा हो जाने और अधिक अस्थिर हो जाने की संभावना है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि खाद्य मूल्य स्थिर करने की किसी भी दीर्घावधिक कार्यनीति में वर्धित कृषि उत्पादन को शामिल करने की जरूरत होगी।

हालांकि सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि खाद्य मूल्य स्थिर करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ना चाहिए, फिर भी सरकार इस तर्क से सहमत नहीं है कि निर्यातों पर प्रतिबंध लगाने और आयात सुलभ बनाने से उत्पादन सीमित होगा। निर्यात प्रतिबंध और सुलभ आयात खाद्यान्नों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए होते हैं, ताकि उपभोक्ता वैश्विक मूल्य वृद्धि से सुरक्षित रह सकें। खाद्य मूल्य स्थिर करने की एक दीर्घावधिक कार्यनीति के रूप में सरकार ने चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में क्रमशः 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन तथा 2 मिलियन टन की वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की है। सरकार प्रमुख फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन भी दे रही है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को लाभ/हानि

1097. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) का लाभ गत तीन वर्षों के दौरान कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत पारेषण नेटवर्किंग में भारत-श्रीलंका सहयोग

1098. श्री अनन्त नायक: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा श्रीलंका दोनों देशों के बीच विद्युत वितरण नेटवर्क को मिलाने के लिए समुद्र के नीचे पारेषण लाइन बिछाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे दोनों देशों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत और श्रीलंका के बीच ओवरहेड तथा सब-मैरिन केबल का प्रयोग करके 1000 मेगावाट की उच्च वोल्टता डाइरेक्ट करंट (एच.वी.डी.सी.) ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रणाली के संपर्क के दोनों ओर दो एच.वी.डी.सी. टर्मिनल स्टेशन होंगे। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार एच.वी.डी.सी. लाइन की लंबाई लगभग 350 से 400 कि.मी. हो सकती है। इसमें से भारत में ओवरहेड एच.वी.डी.सी. लाइन लगभग 200 से 250 कि.मी. और समुद्र के नीचे 30 से 50 कि.मी. केबल और श्रीलंका में अंततः 125 से 150 कि.मी. ओवरहेड लाइन हो सकती है।

(ग) और (घ) इस अध्ययन से मार्ग सर्वेक्षण पर आधारित पूंजीगत लागत का अनुमान लगाने, उसके लाभ और आपस में जोड़ने के तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने में भी सुगमता होगी। यह परिकल्पना है कि प्रस्तावित परस्पर संपर्क से संसाधनों और आर्थिक पैमाने के इष्टतम उपयोग के माध्यम से दोनों देश पारस्परिक हित के लिए बिजली का आदान-प्रदान कर सकेंगे।

[हिन्दी]

दिल्ली में सरकारी कालोनियों में अनधिकृत निर्माण

1099. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में सरकारी कालोनियों में स्थान-वार पता लगाए गए अनधिकृत निर्माणों की संख्या क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/कर रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निजी/सरकारी भूमि पर खेती

1100. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के क्रियान्वयन हेतु विद्यमान मानदंडों में छूट देने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निजी/सरकारी भूमि पर खेती को शामिल करके इस स्कीम में छूट देने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) मंत्रालय को एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 200 दिन करने के संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसी तरह जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के दिनों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, संसद सदस्य (राज्य सभा) से मिला था। दोनों प्रस्तावों की जांच कर ली गई है तथा उन्हें यह सूचित कर दिया गया है कि एन.आर.ई.जी.ए. में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की सांविधिक गारंटी दी गई है। तथापि, एन.आर.ई.जी. अधिनियम, 2005 की धारा 3 (4) में यह व्यवस्था है कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर आवश्यकतानुसार अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत गारंटीयुक्त अवधि के अलावा किसी अन्य अवधि के लिए योजना के अंतर्गत किसी परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को कार्य उपलब्ध करा सकती है।

(ग) और (घ) एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत शुरू किए

जाने वाले कार्यों के क्रियाकलाप अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1 में दिए गए हैं। अनुसूची 1 के पैरा 1 के उप पैरा (iv) को दिनांक 6-3-2007 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है ताकि निजी जमीनों पर निम्नलिखित क्रियाकलाप किए जा सकें :

"अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों अथवा भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों की स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी, पौध-रोपण तथा भूमि विकास सुविधाओं का प्रावधान।"

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण

1101. **श्री सुभाष महरिया:** क्या विधि और न्याय मंत्री कमजोर वर्गों की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के बारे में 7 मार्च, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1238 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक इसे एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिशा-निर्देश

1102. **श्री जे.एम. आरून रशीद:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बैंकों से लेन-देन करने में वरिष्ठ नागरिकों को हो रही कई कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) तथा बीमा कंपनियों को दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्ध/रुग्ण/अशक्त व्यक्तियों के बैंक खातों के परिचालन के संबंध में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उन व्यक्तियों, जो बीमार होने के कारण चेक पर हस्ताक्षर करने में असक्षम हैं अथवा राशि आहरण के लिए बैंक में शारीरिक रूप से आने में असमर्थ हैं, द्वारा बैंक खातों का परिचालन भी शामिल है।

शाखा स्तर पर ग्राहकों और बैंक के बीच एक औपचारिक पारस्परिक संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को, ग्राहकों की अधिकाधिक भागीदारी के साथ, शाखा स्तर ग्राहक सेवा समिति को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के बैंकों में सामान्यतः एक महत्वपूर्ण घटक होने के कारण बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे शाखा स्तर समितियों में वरिष्ठ नागरिक को शामिल करने को प्राथमिकता दें।

आई.आर.डी.ए. ने भी सभी साधारण बीमा कंपनियों को अपने संगठन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पृथक शिकायत केन्द्र स्थापित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

आर्थिक विकास तथा आतंकवादी वित्तपोषण पर भारत-अमेरिका चर्चा

1103. **श्री अमिताभ नन्दी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आर्थिक विकास तथा आतंकवादी वित्तपोषण के संबंध में कोई चर्चा हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या समझौता हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आर्थिक विकास और आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने पर भारत-अमरीका विचार-विमर्श का ब्यौरा नीचे सूचीबद्ध हैं:-

(i) **द्विपक्षीय निवेश संधि:** नई दिल्ली में अप्रैल, 2008 और वाशिंगटन में जून, 2008 में आयोजित प्रस्तावित द्विपक्षीय निवेश संधि पर गहन बातचीत के दो दौरों के पश्चात दोनों पक्षों ने औपचारिक बातचीत आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इसके लिए तारीखें निश्चित की जा रही हैं। यह संधि परस्पर लाभप्रद रहेगी क्योंकि अमरीका भारत में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक रहा है और अमरीका में भारतीय निवेश भी तीव्रगति से बढ़ रहे हैं।

(ii) **राशीकरण करार:** अमरीकी सामाजिक सुरक्षा प्रशासन और विदेशों में भारतीय मामलों के मंत्रालय के बीच एक राशीकरण करार के लिए बातचीत का रास्ता खोलने के लिए भारत-अमरीका सामाजिक सुरक्षा सहयोग पर अनौपचारिक विचार-विमर्श के दो दौर दिसम्बर, 2007 और जून, 2008 में निष्पन्न हुए। दोनों पक्ष राशीकरण करार पर बातचीत आरम्भ करने के लिए शीघ्र मिलने पर सहमत हुए हैं। इस संबंध में अमरीकी सरकार से एक औपचारिक अनुरोध किया गया है।

(iii) **व्यापार नीति मंच:** भारत-अमरीका व्यापार नीति मंच की पांचवीं मंत्रालयी स्तर की बैठक 19 फरवरी, 2008 को शिकागों, अमरीका में हुई थी। दोनों देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा करार और द्विपक्षीय निवेश संधि और दोनों पक्षों के हितों की मदों के लिए बाजार की पहुंच मुहैया कराने सहित अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

(iv) **भारत-अमरीका वाणिज्यिक संवाद:** भारत-अमरीका वाणिज्यिक संवाद करार नई दिल्ली में मार्च, 2000 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस संवाद के अन्तर्गत द्विपक्षीय वाणिज्यिक मुद्दों पर दोनों पक्षों की चिन्ताओं का समाधान करने के लिए समय-समय पर पारस्परिक बातचीत होती रही है। भारत-अमरीका वाणिज्यिक संवाद के अन्तर्गत कार्य-योजना 2008 में (i) उद्यमवृत्ति कार्य-योजना और (ii) अमरीका-भारत मानक कार्यक्रम को शामिल किए जाने पर सहमति हुई है।

(v) **भारत-अमरीका वित्तीय और आर्थिक मंच:** चौथी मंत्रिमंडलीय स्तर की बैठक नई दिल्ली में 30 अक्तूबर, 2007 आयोजित हुई थी। बैठक में वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, पेंशन, सुरक्षा और कारपोरेट बांड बाजार जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक हितों के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

(vi) **भारत-अमरीका नागर-विमानन सहयोग कार्यक्रम (ए.सी.पी.):** ए.सी.पी. पर कार्रवाई करने के लिए भारत-अमरीका संचालन समिति गठित की गई है। संचालन समिति की पहली बैठक अक्तूबर, 2007 में हुई थी। भारत-अमरीका संचालन समिति ने विमान सेवाओं को बढ़िया बनाने, उड़ानों के मानकों और विमान पत्तनों तथा पर्यावरण पर कार्यदलों की स्थापना की है।

(vii) **भारत-अमरीका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) कार्यकारीदल:** छठे भारत-अमरीका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्यकारी दल की बैठक जून-जुलाई, 2008 में वाशिंगटन में आयोजित हुई। इस बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकारी सेवा, ई-कामर्स और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

(viii) **आतंकवादियों का वित्तपोषण:** आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए दसवें भारत-अमरीकी संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक में आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिकार करने के संबंध में नई दिल्ली में 25 अगस्त, 2008 को विचार-विमर्श हुआ। बैठक में राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय आसूचना यूनिट ने भाग लिया। बैठक में काले धन को रोकने संबंधी अधिनियम, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए भारत की सदस्यता के लिए चेष्टा से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

दहेज के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

1104. श्री सर्वे सत्यनारायण:

श्री एस.के. खारवेनथन:

श्री के. सुब्बारायण:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में विवाह के पश्चात् उपहार तथा दहेज के संबंध में कोई निर्णय दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) अप्पासाहेब तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में दायर वर्ष 2005 की दांडिक अपील संख्या 1613 पर दिनांक 05-01-2007 को दिए गए अपने निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि:

"किसी वित्तीय कठिनाई के कारण या किसी तात्कालिक घरेलू खर्च की पूर्ति के लिए की गई धन की मांग को उस अर्थ में दहेज की मांग नहीं माना जा सकता है, जिसे सामान्यतया 'दहेज' शब्द का अर्थ समझा जाता है। दहेज का अर्थ ऐसी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है, जो संबंधित पक्षों के विवाह के संबंध में उनके विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् किसी समय प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में दी जाती है या देने के लिए सहमति दी जाती है और इसलिए संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लेनदेन तथा संबंधित पक्षों के विवाह के बीच संबंध होना आवश्यक है।"

उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961' में संशोधनों का प्रस्ताव किया है, जिन पर विचार किया जा रहा है।

गोवारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित किया जाना

1105. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 से संबंधित संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त समिति ने महाराष्ट्र राज्य के अमरावती, भंडारा, बुल्धाना, चांडा, नागपुर, वर्धा तथा यवतमाल जिलों में गोवारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करने हेतु विधान पुरःस्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (ग) जी, हां। विधेयक, जिसे 1970 में लोक सभा में विचारार्थ लाया गया था, वह लोक सभा के भंग होने के साथ ही समाप्त हो गया।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में कुछ समुदायों को शामिल करने/हटाने के लिए दावों का निर्धारण जून, 1999 में अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों की सूची में "गोवारी" समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव को प्रक्रियात्मक रूप प्रदान कर दिया गया है। प्रविधियों के अनुसार, केवल वही प्रस्ताव, जिनकी औचित्यता और सिफारिश संबंधित राज्य सरकार और भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की जाती है, को विधायी संशोधन हेतु विचारार्थ रखा जाता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार "गोवारी" समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं है।

[हिन्दी]

पेट्रो उत्पादों के करों को युक्तिसंगत बनाना

1106. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मूल्य वृद्धि के

मद्देनजर पेट्रो उत्पादों के करों को युक्तिसंगत बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) 4 जून, 2008 के प्रभाव से क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों पर बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की दरों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे:

उत्पाद	शुल्क दर	
	से	तक
1. क्रूड	5%	शून्य
2. मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और एच.एस.डी.	7.5%	2.5%
3. अन्यपेट्रोलियम उत्पाद	10%	5%
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		
1. बिना ब्रांड नाम के विक्रय हेतु मोटर स्पिरिट (पेट्रोल)	6.35 रु./लीटर	5.35 रु./लीटर
2. बिना ब्रांड नाम के विक्रय हेतु एच.एस.डी.	2.60 रु./लीटर	1.60 रु./लीटर

वर्तमान समय में देश में मूल्य वृद्धि को देखते हुए पेट्रो उत्पादों पर करों को पुनः युक्तिसंगत बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार

1107. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिनमें विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार में लिप्त पाये गये व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कानून में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी नहीं, तथापि, उन मामलों में, जिनमें विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत की गई न्यायनिर्णयन कार्रवाई के परिणामस्वरूप न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं कि नोटिस दिये जाने वाला आरोपी दोषी है, उनमें उचित दोषमुक्ति के आदेश पास किये जाते हैं। विवरण निम्न प्रकार हैं:-

अवधि	उन मामलों की संख्या जिनमें नोटिस पाने वाले आरोपियों को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा दोषमुक्त किया गया
2005-06	87
2006-07	24
2007-08	05
2008-09 (सितम्बर 2008 तक)	116

(ग) और (घ) जी नहीं, न्याय निर्णयन प्राधिकारी प्रत्येक मामले में अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उचित

निर्णय लेते हैं। इसके अतिरिक्त, न्याय निर्णयन प्राधिकारी के आदेशों की राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विधिवत समीक्षा की जाती है, और जहां कहीं भी आवश्यक होता है वहां विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण के समक्ष न्याय-निर्णयन आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षा याचिका दाखिल की जाती है। उपरोक्त को देखते हुए सरकार द्वारा अन्य कोई कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नहीं होती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काउन्टर मैग्नेट एरिया

1108. **श्री संतोष गंगवार:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रिजनल प्लान 2021 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त प्लान में काउंटर मैग्नेट एरिया का विकास किए जाने के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इसमें अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अब तक स्वीकृत, वितरित और उपयोग में लायी गयी ऋण सहायता कितनी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) द्वारा दिनांक 17-9-2005 को अनुमोदित व अधिसूचित क्षेत्रीय योजना-2021 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु एक नीति दस्तावेज है। क्षेत्रीय योजना 2021 का उद्देश्य दिल्ली में आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप होने वाली भीड़भाड़ कम करने के लिए चयनित प्रमुख क्षेत्रों (मेट्रो केन्द्रों/क्षेत्रीय केन्द्रों) में आर्थिक आधार, सक्षम परिवहन नेटवर्क, विकसित भौतिक अवस्थापना, तर्कसंगत भू उपयोग प्रणाली, बेहतर पर्यावरण तथा जीवन स्तर उपलब्ध कराकर संपूर्ण क्षेत्र में प्रगति और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है।

(ख) क्षेत्रीय योजना 2001 के अनुसार काउंटर मैग्नेट क्षेत्र (सी.एम.ए.) विकसित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आबादी के प्रवसन को नियंत्रित करना तथा क्षेत्र में सुव्यवस्थित शहरीकरण के लिए इन कस्बों का क्षेत्रीय विकास केन्द्र के रूप में विकास करना है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अपनी स्थापना से लेकर अब तक पांच सी.एन.ए. कस्बों नामतः ग्वालियर, बरेली, कोटा, हिसार तथा पटियाला में 13 अवस्थापना परियोजनाओं के लिए 5907.58 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं तथा इन परियोजनाओं के लिए 927.82 करोड़ रु. की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है। बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं के लिए सितंबर 2008 तक कुल 461.94 करोड़ रु. की ऋण राशि वितरित्त की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने बताया है कि इन 13 परियोजनाओं पर कुल व्यय के संबंध में उपयोग सितंबर 2008 तक 1051.27 रु. है।

[अनुवाद]

कम्पनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति

1109. **मो. मुकीम:** क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनियों में स्वतंत्र निदेशकों तथा लेखापरीक्षा समितियों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कम्पनियां इस अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अनुपालन कर रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) "स्वतंत्र निदेशक" शब्द को कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित नहीं किया गया है। "लेखापरीक्षा समिति" का गठन और इसकी कार्य प्रणाली अधिनियम की धारा 292क में उपबंधित किए गए हैं।

(ख) और (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के सांविधिक उपबंधों का अनुपालन सभी कम्पनियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में जब और जैसे ही कोई उल्लंघन का मामला सरकार की जानकारी में आता है, चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध विधि के अनुसार विधिक कार्रवाई आरंभ की जाती है।

सरकारी बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

1110. **श्री निखिल कुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां लगातार बढ़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 जून, 1996 के अपने परिपत्र द्वारा राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी.) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) के लिए आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान हेतु विवेकपूर्ण मानदंड संबंधी प्रारंभिक मार्गनिर्देश जारी किए थे। इसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 अक्तूबर, 2000, 27 मार्च, 2002, 30 दिसम्बर, 2002 और 12 जुलाई, 2004 को इस विषय में चार और परिपत्र जारी किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार, आय की पहचान हेतु विवेकपूर्ण मानदंड व्यक्तिपरक प्रतिफल की बजाए वस्तुपरक एवं वसूली के रिकार्ड पर आधारित होनी चाहिए। इसी तरह, बैंक आपत्तियों का वर्गीकरण वस्तुपरक मानदंड के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे वसूली रिकार्ड पर आधारित मानदंडों का एक समान एवं सतत् प्रयोग किया जाना सुनिश्चित होगा। तद्नुसार, एस.सी.बी./ डी.सी.सी.बी. से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रिमों को (i) मानक (ii) अवमानक (iii) संदिग्ध एवं (iv) घाटे वाली आस्तियों में वर्गीकृत करे तथा इसी के अनुसार अवमानक आस्तियों के संबंध में 10% अग्रिमों के प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत स्तर पर निर्भर करते हुए संदिग्ध आस्तियों के संबंध में 20 से 100% तथा घाटे वाली आस्तियों के संबंध में 100% का प्रावधान करें।

(ग) और (घ) एस.सी.बी. और डी.सी.सी.बी. के संबंध में बकाया ऋणों की तुलना में अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर में पिछले तीन वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। पिछले तीन वर्षों के लिए अनुपयोज्य आस्तियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(आंकड़े % में)

एजेन्सी	2004-05	2005-06	2006-07
एस.सी.बी.	16.4	17.0	14.2
डी.सी.सी.बी.	20.1	19.8	18.5

बैंकों में बिना दावे वाली राशि

1111. श्री अविनाश राय खन्ना:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत कई वर्षों से व्यावसायिक बैंकों में बड़ी मात्रा में बिना दावे वाली राशि पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बिना दावे वाले खातों के वैध उत्तराधिकारियों का पता लगाने के लिए कोई अनुदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है; और

(ङ) बिना दावे की राशि के मामले में ऐसी राशि का उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा सूचित, दिनांक 31-12-2006 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत खातों में कुल अदावाकृत राशि 485,77,40,549.08 रुपये है। इसका बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही बैंकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उनकी शाखाएं, दो वर्षों से लेन-देन नहीं किए जा रहे जमाखाताओं को अलग करके एक पृथक बही खाता में रखें। एक वर्ष से निष्क्रिय खातों के मामले में, बैंकों को अपने ग्राहकों को सुझाव देना आवश्यक है। यदि सुझाव पत्र ग्राहक के नहीं मिलने के कारण वापस आ जाता है, तो शाखा द्वारा ऐसे ग्राहकों

अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारी के बारे में पता लगाना अपेक्षित है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 की अनुसार, प्रत्येक बैंककारी कंपनी को, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर, भारत के उन सभी खातों, जिनमें 10 वर्ष से ज्यादा से लेन-देन नहीं किए जा रहे हैं, के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में एक विवरणी जमा करना आवश्यक है। सरकारी क्षेत्र के ज्यादातर बैंकों ने सूचित किया है कि वे इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं।

विवरण

क्र.सं.	राष्ट्रीयकृत बैंक	बचत खाता	
		खातों की संख्या	राशि
1.	इलाहाबाद बैंक	14404	48546886.00
2.	आन्ध्रा बैंक	272206	170349863.00
3.	बैंक आफ बड़ौदा	354572	167008497.00
4.	बैंक आफ इंडिया	146394	97263925.00
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	220000	147184428.02
6.	केनरा बैंक	1497108	1474830964.73
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	300045	219307496.00
8.	कारपोरेशन बैंक	372903	35297325.00
9.	देना बैंक	60235	61957339.00
10.	इंडियन बैंक	258969	120587975.00
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	225963	321524931.00
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	53313	76551709.00
13.	पंजाब नेशनल बैंक	538559	974115000.00
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	48946	63562000.00
15.	सिंडिकेट बैंक	72849	62428674.00
16.	यूको बैंक	436019	443588335.87
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	99653	132770449.00
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	282926	184106796.55
19.	विजया बैंक	75139	56757954.00
	कुल	5339111	4857740549.08

सरकारी भूमि का अतिक्रमण

1112. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**

श्री गिरिधारी यादव:

श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी भूमि, दि.वि.प्रा. (डी.डी.ए.), नदिनप (एन.डी.एम.सी.) तथा दि.न.नि. (एम.सी.डी.) क्षेत्रों में स्थान-वार अतिक्रमण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दि.वि.प्रा. दि.न.नि. तथा राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन करने के लिए दि.वि.प्रा., दि.न.नि. और राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल्याण संस्था शीर्षक वाली सिविल रिट याचिका संख्या 4582/2003 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अतिक्रमण हटाना एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अधिग्रहण की गई लगभग 1398.53 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है। डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 2007-08 के दौरान 95.191 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त 32.69 एकड़ भूमि के बारे में यह बताया गया है कि अप्रैल से सितंबर 2008 की अवधि के दौरान इस भूमि से अतिक्रमण हटवाया गया है। दिल्ली नगर निगम ने सभी जोनल उपायुक्तों को यह हिदायत दी है कि वे समयबद्ध तरीके से प्रत्येक वार्ड में सरकारी नगर निगम की भूमि के संबंध में सर्वेक्षण करें कि कितनी भूमि का अतिक्रमण हुआ है ताकि अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने यह सूचित किया है कि उसने कृषि भूमि के दुरुपयोग तथा ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में दिल्ली सुधार अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अधीन कानूनी नोटिस जारी किए हैं।

अनुसूचित जनजाति की सूची में नए समुदायों को शामिल किया जाना

1113. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य सरकार से नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) केन्द्र सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की सं. 10) की दिनांक 08-01-2003 की अधिसूचना के बाद राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में नए समुदायों को शामिल करने के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई घर से निकलने वाले कचरे से बायो गैस

1114. **श्री किरिप चालिहा:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) से रसोई घर से निकलने वाले कचरे से बायोगैस उत्पादन करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

1115. श्री गिरधारी लाल भार्गव:

श्रीमती किरण माहेश्वरी:

श्री मदन लाल शर्मा:

प्रो. एम. रामदास:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न संबंधित एजेंसियों द्वारा स्वीकृति मिलने में विलम्ब के कारण लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निजी निवेश सामने नहीं आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) 23 राज्यों ने लघु पनबिजली (एस.एच.पी.) परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु नीति की घोषणा कर दी है। निजी क्षेत्र की पहल काफी अच्छी रही है। 10वीं योजना के दौरान, एस.एच.पी. परियोजनाओं से 537 मेगावाट के क्षमता संयोजन में से 336 मेगावाट की स्थापना निजी क्षेत्र द्वारा की गई है।

(ग) और (घ) एस.एच.पी. परियोजनाएं राज्य सरकार की नीतियों द्वारा चलाई जाती हैं। स्थलों के आवंटन तथा अन्य वैधानिक अनापत्तियों की प्रक्रियाओं में राज्य सरकारों में कुछ समय लगता है। देरी से बचने के लिए मंत्रालय प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए राज्यों से संपर्क करता रहा है।

किसान क्लब

1116. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री नन्द कुमार साय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार कितने किसान क्लब स्थापित किए गए तथा कितने कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन किसान क्लबों को बैंक किस प्रकार सहायता दे रहे हैं;

(ग) ऐसे क्लबों को अपने कार्यकरण में किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 30 सितम्बर, 2008 तक, कुल 31,800 किसान क्लब स्थापित कर दिए गए हैं और देश में कार्य कर रहे हैं। किसान क्लबों का वर्ष-वार संचयी ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	किसान क्लबों की संचयी संख्या
2005-06	17,976
2006-07	22,949
2007-08	28,226
2008-09 (30-09-2008 तक)	31,800

कार्यरत किसान-क्लबों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) प्रत्येक क्लब हेतु उनके नेमी कार्यकलापों के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए 10,000/- रुपये वार्षिक की सहायता प्रदान करता है। बैंक इसके बाद तीन वर्षों की अवधि के लिए क्लब को सहायता प्रदान करता है तथा तत्पश्चात्, यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वयं के संसाधनों से अगले दो वर्षों के लिए क्लब का अनुरक्षण करेंगे। नाबार्ड "गैर-नेमी" कार्यकलापों के लिए आवश्यकता आधारित सहायता भी प्रदान करता है। इसने 25 करोड़ रुपये के कॉपर्स से, किसान क्लबों को प्रौद्योगिकी एवं बाजारों से जोड़ने के लिए "किसान प्रौद्योगिकी अंतरण निधि (एफ.टी.टी.एफ.)" की स्थापना भी की है।

(ग) किसान क्लबों के समक्ष नेतृत्व, जागरुकता, ऋण तक पहुंच, सूचना प्रौद्योगिकी, बाजार, स्वयं को बनाए रखने की क्षमता, आदि में कमी जैसी कठिनाईयां आती हैं।

(घ) नाबार्ड ने बैंकों को क्लब के सदस्यों के लिए जागरुकता/अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने तथा एफ.टी.टी.एफ. से सहायता प्राप्त करने की सलाह दी है जिससे किसान क्लबों को प्रौद्योगिकियों एवं बाजार से जोड़ा जा सके। नाबार्ड ने बैंकों को सदस्यता शुल्क, बीमा उत्पादों के लिए एजेन्सी कमीशन, आदि के द्वारा किसान क्लबों की आधारभूत निधि सृजित करने की संभावना की तलाश करने की भी सलाह दी है।

विवरण

किसान क्लब - 30 सितम्बर, 2008 के अनुसार स्थिति

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	कार्यरत किसान क्लबों की राज्य-वार स्थिति
1	2	3
1.	अंडमान-निकोबार	21
2.	आन्ध्र प्रदेश	2014
3.	असम	554
4.	अरुणाचल प्रदेश	13
5.	बिहार	1549
6.	छत्तीसगढ	822
7.	दिल्ली	7
8.	गोवा	43
9.	गुजरात	2414
10.	हिमाचल प्रदेश	428
11.	जम्मू-कश्मीर	94
12.	झारखण्ड	971
13.	कर्नाटक	4159
14.	केरल	809
15.	मध्य प्रदेश	1836
16.	महाराष्ट्र	2274
17.	मणिपुर	20
18.	मेघालय	41
19.	मिजोरम	54
20.	नागालैण्ड	8
21.	उड़ीसा	869
22.	पंजाब	464
23.	हरियाणा	573
24.	राजस्थान	1992
25.	सिक्किम	128
26.	तमिलनाडु	1933
27.	त्रिपुरा	133
28.	उत्तर प्रदेश	5234
29.	उत्तराखण्ड	577
30.	पश्चिम बंगाल	1766
	कुल	31800

[हिन्दी]

एल.आई.सी. के डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए प्रोत्साहन

1117. **श्री महावीर भगोरा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए प्रोत्साहन घटाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

1118. **श्री सर्बानन्द सोनोवाल:**

श्री अनन्त नायक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन संयंत्रों की राज्य-वार अनुमानित लागत और क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी की मांग की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देश में इस समय निर्माणाधीन कुल 48561 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की अनुमानित लागत (केवल सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों की) तथा प्रत्येक संयंत्र की क्षमता सहित राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसमें केप्टिव विद्युत संयंत्र शामिल हैं। निजी क्षेत्र, निर्माणाधीन 48561 मेगावाट में से 14316 मेगावाट की क्षमता के विद्युत संयंत्रों की स्थापना में पहले से ही शामिल है।

विवरण

निर्माणाधीन कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं

22 अक्तूबर, 2008 की स्थिति अनुसार

राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्र	क्रियान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता मेगावाट	अनुमानित लागत लाख रुपये में
1	2	3	4	5	6	7
क. 11वीं योजना में चालू होने वाली परियोजनाएं						
आंध्र प्रदेश	काकटिया टी.पी.पी.	राज्य	एपीजेनको	यूनिट-1	500	205900
	कोठागुडम टी.पी.पी. एक्सटे.			यूनिट-1	500	220300
	लेनको कोंडापल्ली एक्सटे. फेज II	निजी	मैसर्स लेनको कोंडापल्ली	जी.टी.	236	
				एस.टी.	130	

1	2	3	4	5	6	7
	रॉयलसीमा स्टे. III	राज्य	एपीजेनको	यूनिट-5	210	280000
	सिम्हाद्री एस.टी.पी.पी एक्सटे.	केन्द्र	एन.टी.पी.सी.	यूनिट-3	500	503853
				यूनिट-4	500	
	विजयवाड़ा टी.पी.पी.-IV	राज्य	एपीजेनको	यूनिट-1	500	195000
असम	बेंगइगांव टी.पी.पी.	केन्द्र	एन.टी.पी.सी.	यूनिट-1	250	437535
				यूनिट-2	250	
				यूनिट-3	250	
बिहार	बाढ़ एस.टी.पी.पी.-I			यूनिट-1	660	869297
				यूनिट-2	660	
				यूनिट-3	660	
	कहलगांव स्टे-2, फेज-			यूनिट-7	500	586838
	नबी नगर टी.पी.पी. (रेलवे और एन.टी.पी.सी. का संयुक्त उद्यम)			यूनिट-1	250	535200
				यूनिट-2	250	
				यूनिट-3	250	
छत्तीसगढ़	भिलाई टी.पी.पी. एक्सपे.		एन.एस.पी.सी.एल.	यूनिट-2	250	269050
	कोरबा एस.टी.पी.पी.		एन.टी.पी.सी.	यूनिट-7	500	244849
	कोरबा प. स्टे.-III	राज्य	सी.एस.ई.बी.	यूनिट-1	500	216500
	लेनको अमरकंटक टी.पी.एस. फेज-1, यू-2	निजी	लेनको अमरकंटक पावर प्रा. लि.	यूनिट-2	300	263197
	लेनको		लेनको अमरकंटक	यूनिट-1	300	
	अमरकंटक टी.पी.एस. फेज-1	यू-1	पावर प्रा. लि.	1, यू-1		
	मारवा टी.पी.पी.	राज्य	सी.एस.ई.बी.	यूनिट-1	500	463984
				यूनिट-2	500	
	सिपत-I	केन्द्र	एन.टी.पी.सी.	यूनिट-1	660	832339
				यूनिट-2	660	

1	2	3	4	5	6	7
				यूनिट-3	660	
गुजरात	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा टी.पी.पी.	निजी	टाटा पावर कं.	यूनिट-1	800	
				यूनिट-2	800	
	उकाई टी.पी.पी. एक्सटे.	राज्य	जी.एस.ई.सी.एल.	यूनिट-6	490	221800
हरियाणा	इंदिरा गांधी टी.पी.पी.	केन्द्र	ए.पी.सी.पी.एल.	यूनिट-1	500	829300
				यूनिट-2	500	
				यूनिट-3	500	
	राजीव गांधी टी.पी.एस., हिसार	राज्य	एच.पी.जी.सी.एल.	यूनिट-1	600	429800
				यूनिट-2	600	
झारखण्ड	बोकारो टी.पी.एस. "ए" एक्सपेंशन	केन्द्र	डी.वी.सी.	यूनिट-1	500	231300
झारखण्ड	चंद्रपुरा टी.पी.एस. एक्सटे.	केन्द्र	डी.वी.सी.	यूनिट-7	250	206645
				यूनिट-8	250	
	कोडरमा टी.पी.पी.			यूनिट-1	500	431300
				यूनिट-2	500	
	मैथन आर.बी.सी.			यूनिट-1	525	445000
				यूनिट-2	525	
कर्नाटक	बेलारी टी.पी.पी. स्टे-II	राज्य	के.पी.सी.एल.	यूनिट-2	500	217100
	रायचूर यू-8			यूनिट-8	250	98600
महाराष्ट्र	चंद्रपुरा टी.पी.पी.		महाजेन	यूनिट-1	500	550000
				यूनिट-2	500	
महाराष्ट्र	भुसावल टी.पी.एस.		एम.एस.पी.जी.सी.एल.	यूनिट-1	500	412400
				यूनिट-2	500	

1	2	3	4	5	6	7
	खापरखेड़ा टी.पी.एस. एक्सटे.			यूनिट-1	500	217000
	न्यू परली टी.पी.पी.			यूनिट-2	250	109100
	पारस टी.पी.एस. एक्सटे.			यूनिट-2	250	122400
मध्य प्रदेश	सासन यू.एम.पी.पी.	निजी	रिलायंस पावर लि.	यूनिट-1	660	0
				यूनिट-2	660	
	सतपुड़ा टी.पी.पी. एक्सटे.	राज्य	एम.पी.पी.जी.सी.एल.	यूनिट-1	250	263700
				यूनिट-2	250	
उड़ीसा	स्टरलाइट टी.पी.पी.	निजी	स्टर्लाइट इनर्जी लि.	यूनिट-1	600	
पंजाब	गोइंदवाल साहिब		जी.वी.के. पावर	यूनिट-1	270	
				यूनिट-2	270	
राजस्थान	छाबड़ा एक्स.	राज्य	आर.आर.वी.यू.एन.एल.	यूनिट-1	250	220000
				यूनिट-2	250	
	छाबड़ा टी.पी.एस.			यूनिट-1	250	235000
				यूनिट-2	250	
	काली सिंध टी.पी.एस.			यूनिट-1	600	463000
				यूनिट-2	600	
	कोटा टी.पी.पी.			यूनिट-7	195	68000
	सुरतगढ़ टी.पी.पी.			यूनिट-6	250	111700
तमिलनाडु	मेट्टूर टी.पी.पी. एक्स.		टी.एन.ई.बी.	यूनिट-1	600	355004
	नॉर्थ चेन्नई एक्स.			यूनिट-1	600	271875
	नॉर्थ चेन्नई एक्स. यूनिट-2			यूनिट-2	600	
	वल्लूर टी.पी.पी.	केन्द्र	एन.टी.ई.सी.एल.	यूनिट-1	500	555278
				यूनिट-2	500	
उत्तर प्रदेश	अनपरा डी	राज्य	यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.	यूनिट- 1	500	535879

1	2	3	4	5	6	7
				यूनिट-2	500	
	अनुपरा-सी	निजी	लेनको अनपारा पावर प्रा. लि.	यूनिट-1	500	
				यूनिट-2	500	
	हरदुआगंज एक्स.	राज्य	यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.	यूनिट-8	250	222500
				यूनिट-9	250	
	राष्ट्रीय राजधानी पावर प्रोजेक्ट स्टेज-II, यूनिट-5	केन्द्र	एन.टी.पी.सी.	यूनिट-5	490	513533
उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजधानी पावर प्रोजेक्ट स्टेज-II, यूनिट-6	केन्द्र	एन.टी.पी.सी.	यूनिट-6	490	513533
	परीछा एक्स.	राज्य	यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.	यूनिट-5	250	210000
				यूनिट-6	250	
	रोजा टी.पी.पी.	निजी	रोजा पावर सप्लाई कॉ. लि.-रिलायंस इनर्जी	यूनिट-1	300	264100
				यूनिट-2	300	
	रोजा टी.पी.पी. स्टेज-II		रिलायंस पावर लि.	यूनिट-3	300	0
				यूनिट-4	300	
पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर टी.पी.एस.	राज्य	डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.एल.	यूनिट-5	210	210000
	बज-बज III	निजी	सी.ई.एस.सी.	यूनिट-3	250	106800
	दुर्गापुर स्टील टी.पी.एस.	केन्द्र	डी.वी.सी.	यूनिट-1	500	445700
				यूनिट-2	500	
	फरक्का एस.टी.पी.एस. स्टेज-III		एन.टी.पी.सी.	यूनिट-6	500	257044
	मेजिया एक्स.		डी.वी.सी.	यूनिट-1	500	467689
				यूनिट-2	500	
	रघुनाथपुर टी.पी.पी., फेज-I			यूनिट-1	600	412200

1	2	3	4	5	6	7
				यूनिट-2	600	
	संथालडीह टी.पी.पी. एक्स. फेज-2	राज्य	डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.एल.	यूनिट-6	250	100000
				उप-जोड़:	41471	
ख. 12वीं योजना में चालू होने वाली परियोजनाएं						
बिहार	नबी नगर टी.पी.पी. (जे.वी.) ऑफ एन.टी.पी.सी. एवं रेलवे	केन्द्र	एन.टी.पी.सी.	यूनिट-4	250	535200
गुजरात	मुंदरा अलट्रा मेगा टी.पी.पी.	निजी	टाटा पावर कं.	यूनिट-3	800	
				यूनिट-4	800	
				यूनिट-5	800	
मध्य प्रदेश	सासन यू.एम.पी.पी.		रिलायंस पावर लि.	यूनिट-3	660	0
				यूनिट-4	660	
				यूनिट-5	660	
				यूनिट-6	660	
उड़ीसा	स्टर्लाइट टी.पी.पी.		स्टर्लाइट एनर्जी लि.	यूनिट-2	600	
				यूनिट-3	600	
				यूनिट-4	600	
				उप-जोड़:	7090	
			कुल (निर्माणाधीन):		48561	

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य

1119. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत आवासों के निर्माण का निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में कोई कमियां पायी गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गयी है/किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) आई.ए.वाई. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त लक्ष्य निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
2005-06	1441241	1551923	107.67
2006-07	1533498	1498367	97.70
2007-08	2127184	1992349	93.66
कुल	5101923	5042639	98.83

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, लक्ष्यों की प्राप्ति वर्ष 2005-06 के दौरान 100% से अधिक तथा वर्ष 2006-07 तथा वर्ष 2007-08 के दौरान 90% से अधिक थी। लक्ष्यों की प्राप्ति में यह कमी का मुख्य कारण था एक वर्ष विशेष के दौरान निर्माणधीन मकानों का अगले वित्त वर्ष में पूरा होना।

(ग) से (ङ) कुल मिलाकर, इंदिरा आवास योजना संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। तथापि, जब कभी भी मंत्रालय द्वारा आई.ए.वाई. के कार्यान्वयन में कमी/अनियमितता पाई जाती है, मामले को उपचारात्मक कार्रवाई के लिए तुरंत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को भेजा जाता है।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. परियोजनाएं

1120. श्री अजय चक्रवर्ती:

श्री हरिन पाठक:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान देश में लघु और मध्यम स्तर के नगरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत शामिल की गयी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं हेतु जारी की गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) लघु और मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं और जारी धनराशियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	कस्बा/ शहर का नाम	स्कीम/घटक का नाम	एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित लागत	कुल पात्र केन्द्रीय अंश (80%)	वर्ष 2008-09 के दौरान जारी ए.सी.ए. (प्रोत्साहन सहित)
1	2	3	4	5	6
I. गुजरात					
1.	खेटा उदयपुर	जलापूर्ति	371.67	297.34	148.67

1	2	3	4	5	6
2.	बालासीनोर	जलापूर्ति	521.60	417.28	208.64
3.	वधवान	जलापूर्ति	1539.28	1231.42	615.71
4.	सुतरपाड़ा	जलापूर्ति	657.74	526.19	263.10
5.	खंभात	जलापूर्ति	881.93	705.54	352.77
6.	जसदान	जलापूर्ति	337.90	270.32	135.16
7.	माहुधा	जलापूर्ति	528.52	422.82	211.41
8.	उमरेथ	जलापूर्ति	762.96	610.37	305.18
9.	कथलाल	जलापूर्ति	392.44	313.95	156.98
10.	उपलेटा	जलापूर्ति	1450.48	1160.38	580.19
11.	कसोद	जलापूर्ति	1080.96	864.77	432.38
12.	गंदेवी	जलापूर्ति	362.94	290.35	145.18
13.	बरदोली	जलापूर्ति	512.64	410.11	205.06
14.	विरामगम	जलापूर्ति	770.22	616.18	308.09
15.	उंझा	जलापूर्ति	1699.78	1359.82	679.91
16.	शेहेरा	जलापूर्ति	369.72	295.78	147.89
उप-योग	**16**	**16**	**12240.78**	**9792.62**	**4896.31**
II. हिमाचल प्रदेश					
1.	हमीरपुर	भूअपरदन का पुनर्स्थापन	188.52	150.82	75.41
2.		जल निकायों का संरक्षण	25.46	20.37	10.18
उप-योग	**2**	**2**	**213.98**	**171.18**	**85.59**
III. कर्नाटक					
1.	मालबागालू	जलापूर्ति	1894.76	1515.81	757.90
2.	किरुर	जलापूर्ति	1173.23	938.58	469.29
3.	सौनदत्ती	सीवरेज	867.84	694.27	347.14
4.	मुनगोड	जलापूर्ति	376.58	301.26	150.63

1 2	3	4	5	6
5. बुजापुरा	जलापूर्ति	6277.57	5022.06	2511.03
6. चिकोडी	जलापूर्ति	2039.91	1631.93	815.96
7. हुनागुन्डा-ईकाल-कुसतागी	जलापूर्ति	5821.20	4656.96	2328.48
उप-योग 7	7	18451.09	14760.87	7380.44
IV. मध्य प्रदेश				
1. रेहती	जलापूर्ति	276.48	221.18	110.59
2. नसरुल्लागंज (सिहोर)	जलापूर्ति	488.96	391.17	195.58
3. देवास	जलापूर्ति	5837.00	4669.60	2334.80
उप-योग 3	3	6602.44	5281.95	2640.98
V. राजस्थान				
1. बीकानेर	सीवरेज	3876.10	3100.88	1550.44
2. माउंट आबू	सीवरेज	2715.00	2172.00	1086.00
3. किशनगढ़	सीवरेज	2601.00	2080.80	1040.40
4. हनुमानगढ़	सीवरेज	4279.00	3423.20	1711.60
5. पाली	सीवरेज	3329.53	2663.62	1331.81
6. विराटनगर	शहरी नवीकरण	102.41	81.93	40.96
7. बेउर	जलापूर्ति	4979.31	3983.45	1991.72
8. मकरना	जलापूर्ति	4870.41	3896.33	1948.16
उप-योग 8	8	26752.76	21402.21	10701.10
VI. तमिलनाडु				
1. होसुर	यू.जी. सीवरेज	5155.33	4124.26	2062.13
2. अरुप्पुकोट्टई	सीवरेज	4006.07	3204.86	1602.43
3. उदूमालपेट	सीवरेट	3034.23	2427.38	1213.69
उप-योग 3	3	12195.63	9756.50	4878.25

1	2	3	4	5	6
VII. उत्तर प्रदेश					
1.	गाजीपुर	जलापूर्ति	681.50	545.20	272.60
2.	बागपत	जलापूर्ति	318.15	254.52	127.26
3.	मिर्जापुर	ठोस कचरा प्रबंधन	1100.87	880.70	440.35
4.	हापुड़	जलापूर्ति	2848.96	2279.17	1139.58
5.	मोदीनगर	जलापूर्ति	2339.17	1871.34	935.67
6.	नानपारा	जलापूर्ति	237.78	190.22	95.11
7.	लहरपुर (सीतापुर)	जलापूर्ति	178.25	142.60	71.30
8.	जौनपुर	ठोस कचरा प्रबंधन	1220.39	976.31	488.16
9.	बाराबंकी	ठोस कचरा प्रबंधन	537.43	429.94	214.97
10.	खुर्जा	जलापूर्ति	1243.81	995.05	497.52
11.	लोनी	ठोस कचरा प्रबंधन	1181.28	945.02	472.51
12.	सांभल	जलापूर्ति	1201.29	961.03	480.52
13.	मुजफ्फरनगर	जलापूर्ति	3214.33	2571.464	1285.73
14.	मुरादाबाद	जलापूर्ति	3719.24	2975.392	1487.70
15.	फतहपुर	ठोस कचरा प्रबंधन	937.93	750.344	375.17
16.	बस्ती	सड़क	2376.94	1901.552	950.78
उप-योग	**16**	**16**	**23337.32**	**18669.85**	**9334.93**
VIII. पश्चिम बंगाल					
1.	कलियानगंज	जलापूर्ति	1167.84	934.27	484.65
2.	कोंटाई	जलापूर्ति	2317.88	1854.30	961.92
3.	धुलियान	जलापूर्ति	2062.64	1650.112	825.06
4.	डायमंड हार्बर	जलापूर्ति	3479.9	2783.92	1391.96
5.	कांडी	जलापूर्ति	3740.29	2992.232	1496.12
उप-योग	**5**	**5**	**12768.55**	**10214.84**	**5159.70**
सकल योग	60	60	112562.55	90102.32	45077.30

[हिन्दी]

एक्जिट पोल पर प्रतिबंध

1121. **श्री रामदास आठवले:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चुनावों के दौरान एक्जिट पोल और निर्वाचनोपरांत पोल सर्वेक्षण पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी हां। सरकार केवल निर्गम मत सर्वेक्षणों पर निर्बंधन अधिरोपित करने का प्रस्ताव करती है और इस प्रकार मतदानपश्च सर्वेक्षणों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) निर्गम मत सर्वेक्षणों को निर्बंधित करने के लिए, संसद् के चालू सत्र में एक संशोधन विधेयक पुरःस्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पहाड़ी/ग्रामीण क्षेत्रों में निःशक्त पेंशनभोगियों को पेंशन का संवितरण

1122. **श्री नन्द कुमार साय:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन का संवितरण बैंकों, ट्रेजरी और डाकघरों के माध्यम से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पहाड़ी, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के बुजुर्ग निःशक्त पेंशनभोगियों को, जिनके पास कोई चेक सुविधा उपलब्ध नहीं है, अपना पेंशन लेने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन्हें अत्यधिक असुविधा होती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियमों में छूट देते हुए, ऐसे निःशक्त/बुजुर्ग व्यक्तियों को उनके आवासों पर पेंशन के संवितरण की सुविधा मुहैया कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन "केन्द्रीय सिविल सरकार एवं अन्य गैर-सिविल मंत्रालयों/विभागों अर्थात रक्षा, रेलवे एवं दूरसंचार को पेंशन का भुगतान करने के लिए योजना" के अंतर्गत समूचे भारत में प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से संवितरित की जाती है। डाक विभाग अपना पेंशन से संबंधित कार्य स्वयं विभाग में ही देखता है।

"केन्द्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से पेंशन के भुगतान से संबंधित योजना" के पैरा 18.2 के अनुसार, पेंशनभोगी जो बूढ़ा, बीमार, अक्षम एवं विकलांग, बहुत बीमार होने के कारण हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तथा बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, निम्नलिखित प्रकार से अपने खाते में धन निकाल सकता है:-

(i) ऐसा पेंशनभोगी जो बहुत बीमार होने के कारण चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता हो तथा अपने खाते से धन निकालने के लिए बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकता हो, परन्तु चेक/निकासी फार्म पर अपने अंगूठे/पैर के अंगूठे की छाप लगा सकता हो, ऐसे मामले में अंगूठे अथवा पैर के अंगूठे की पहचान, बैंक द्वारा परिचित दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए, जिनमें से एक जिम्मेदार बैंक-कर्मचारी होगा।

(ii) ऐसा पेंशनभोगी जो बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित होने में न सिर्फ असमर्थ है अपितु कुछ शारीरिक कमी/अक्षमता के कारण चेक/निकासी फार्म पर अपने अंगूठे/पैर के अंगूठे की छाप लगाने में भी असमर्थ हो ऐसे मामले में चेक/निकासी फार्म पर उसी प्रकार एक चिन्ह लिया जा सकता है जिस प्रकार खाता खोलने के लिए निर्धारित किया गया है। ऐसे चिन्ह की पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए, जिनमें से एक जिम्मेदार बैंक-कर्मचारी होगा।

(iii) पेंशनभोगी को बैंक को यह भी बताने के लिए कहा जा सकता है कि उपर्युक्त के अनुसार प्राप्त किए गए चेक/निकासी फार्म के आधार पर बैंक से कौन पेंशन राशि निकालेगा और ऐसे व्यक्ति की पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जाएगी। वह व्यक्ति जो वास्तव में बैंक से धन निकाल रहा है से बैंक में अपने हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

[हिन्दी]

कोटा ताप विद्युत संयंत्र

1123. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापित क्षमता कितनी है तथा वर्तमान में इससे कुल कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ङ) क्या इस संयंत्र की आवश्यकता के अनुरूप इसे कोयले की आपूर्ति की जा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) वर्तमान में, राजस्थान में कोटा ताप विद्युत संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता 1045 मेगावाट है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल, 2008 से सितंबर, 2008 के दौरान उत्पादित विद्युत 4106 मि.यू. है।

(ख) से (घ) जी, हां। कोटा ताप विद्युत संयंत्र में वर्तमान में, 880.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 195 मेगावाट क्षमता वाला विस्तार यूनिट-7 निर्माणाधीन है। इस यूनिट के चालू होने की निर्धारित तारीख 15-03-2009 है।

(ङ) और (च) कोटा ताप विद्युत केंद्र के पास 147 हजार टन का कोयला स्टॉक था, जो कि 16 अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार विद्युत स्टेशन के 7 दिन के प्रचालन के लिए पर्याप्त है और अप्रैल से सितंबर, 2008 के दौरान विद्युत स्टेशन द्वारा कोई उत्पादन हानि सूचित नहीं की गई है।

मतदाता पहचान पत्र

1124. श्री पंकज चौधरी:

श्री महावीर भगोरा:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मतदाता पहचान पत्र तैयार करने में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में सरकार को कुछ राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा र.रकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मतदाता पहचान पत्र तैयार करने हेतु प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गयी तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गयी?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजातियों की सूची में धांगर समुदाय को शामिल किया जाना

1125. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा हेतु अनुसूचित जनजातियों की सूची में धांगर समुदाय को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ख) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) अनुसूचित जातीयों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में कुछ समुदायों को शामिल करने, हटाने और अन्य संशोधनों के दावों का निर्णय करने के लिए जून, 1999 में अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार गोवा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में "धांगर" समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है, जिस पर संबंधित राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

के साथ परामर्श करना आवश्यक है। इस संबंध में किसी विशिष्ट समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता। इस प्रस्ताव के समर्थन में राज्य सरकार द्वारा पुनः भेजा गया औचित्य भारत के महापंजीयक के कार्यालय में भेज दिया गया है। चूंकि परामर्श की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए इस संबंध में कोई विशिष्ट समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

कंपनियों के वित्तीय परिणाम

1126. श्रीमती जयाप्रदा:

श्री ई. दयाकर राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू शेयर बाजार में सूचीबद्ध अनेक कंपनियों ने अपने वित्तीय परिणामों में धांधली की है जैसाकि 23 सितम्बर, 2008 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा निवेशकों के हितों के रक्षार्थ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में "1200 सूचीबद्ध कंपनियों ने लेखों में धांधली की: एक अध्ययन" शीर्षक से एक लेख में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया है कि "कारपोरेट धोखाधड़ी के आरंभिक चेतावनी संकेतक" नामक रिपोर्ट जिसे इंडिया फोरेन्सिक कंसल्टेंसी सर्विसेज (आई.सी.एस. नामक) पूणे स्थित संगठन ने तैयार किया था के अनुसार घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कम से कम 1200 कंपनियों ने अपने वित्तीय परिणामों में धांधली की है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) ने दिनांक 24 सितम्बर, 2008 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि आई.सी.ए.आई. ने कभी भी आई.सी.एस. या किसी अन्य संगठन में "कारपोरेट धोखाधड़ियों के आरंभिक चेतावनी संकेतक" विषय पर कभी भी कोई सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया है।

सेबी ने उक्त लेख की विषयवस्तु से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी.एस.ई.) को अवगत करा दिया है और उन्हें मामले की जांच करने का सुझाव दिया है।

कर छूट सीमा में वृद्धि

1127. श्री एम. अप्पादुरई:

डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों हेतु कर छूट सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों के लिए कर छूट सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

वित्त अधिनियम, 2008 के तहत व्यष्टि करदाताओं के लिए बुनियादी छूट सीमा पहले ही बढ़ा दी गई है। 65 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के मामले में बुनियादी छूट सीमा 1,45,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दी गई है; 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यष्टि के मामले में छूट सीमा 1,95,000 रुपए से बढ़ाकर 2,25,000 रुपए कर दी गई है और अन्य सभी व्यष्टियों के मामले में छूट सीमा 1,10,000 रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दी गई है।

शिक्षा ऋण

1128. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण निर्धन विद्यार्थियों को राज्यवार, बैंकवार कितनी धनराशि का शिक्षा ऋण संवितरित किया गया;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक देश में ग्रामीण निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण संवितरित करने में आवश्यक दिशानिर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ग्रामीण निर्धन विद्यार्थियों को बिना किसी परेशानी के शिक्षा ऋण मुहैया कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2005-06, वर्ष 2006-07, वर्ष 2007-08 और वर्ष 2008-09 (सितम्बर, 2008 तक) के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा (बैंक-वार तथा राज्य-वार) संवितरित शिक्षा ऋण की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) की आदर्श शिक्षा ऋण योजना, इसका कार्यान्वयन करने वाले बैंकों के लिए विस्तृत परिचालनात्मक दिशानिर्देशों को नियत करती है। योजना में शामिल दिशानिर्देश देश के गरीब ग्रामीण विद्यार्थियों सहित सभी वर्गों के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होती है। आदर्श शिक्षा ऋण योजना, भारतीय बैंक संघ की वेबसाइट www.iba.org.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि ऋण आवेदनों को बिना किसी वैध आधार के अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) पूरे देश में विद्यार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ऋण आवेदनों की ऑन-लाइन प्रणाली स्थापित करने की सलाह दी है जो विद्यार्थियों को ऋण आवेदन-पत्र डाउनलोड करने, आन-लाइन आवेदन करने तथा अपने ऋण-आवेदन की स्थिति जानने में सक्षम बनाएगी।

विवरण-I

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (सितम्बर, 2008 तक) के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा-ऋण का बैंक-वार संवितरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	बैंकों के नाम	संवितरित शिक्षा ऋण			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (सितम्बर, 08)
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	1623	1555	1597	807
2.	आन्ध्र बैंक	9866	14769	21341	25134
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1433	2280	19404	13045
4.	बैंक ऑफ इंडिया	4245	5720	6005	4249
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	495	852	1354	951
6.	केनरा बैंक	11255	17828	24410	17180
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	806	2731	3134	1515

1	2	3	4	5	6
8.	कार्पोरेशन बैंक	729	1782	2506	1544
9.	देना बैंक	755	644	763	एन.आर.
10.	इंडियन बैंक	4305	6449	7468	5388
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2827	3692	5046	3965
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स*	321	381	1256	568
13.	पंजाब नैशनल बैंक	1649	2671	3998	2922
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	576	705	808	418
15.	सिंडिकेट बैंक	2228	3593	4291	2757
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1942	2247	1831	1208
18.	यूको बैंक	793	1078	1523	923
19.	विजया बैंक	739	1047	1513	898
20.	भारतीय स्टेट बैंक*	4889	5831	7833	1322
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	311	388	666	819
22.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	477	593	952	622
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदाराबाद	420	773	1234	581
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	133	781	1125	956
25.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	3105	2886	3709	2256
26.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	75	70	146	81
27.	आई.डी.बी.आई. बैंक लि.	–	–	314	38
	कुल बैंक	55998	81345	124227	90147

नोट: 1. *2008-09 के लिए आंकड़े जून, 2008 तक के है।

2. यूनियन बैंक के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

3. एन.आर.=सूचित नहीं।

विवरण-II

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (सितम्बर, 2008 तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण का राज्य-वार (संवितरण)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	संवितरित शिक्षा ऋण			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (सितम्बर, 08)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार	4	19	23	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	13036	18809	27280	27455
3.	अरुणाचल प्रदेश	25	14	26	21
4.	असम	518	414	467	268
5.	बिहार	640	911	2283	1764
6.	चण्डीगढ़	93	84	211	95
7.	छत्तीसगढ़	179	256	528	318
8.	दादर नगर	1	1	3	2
9.	दमन, दीव	2	2	8	0
10.	दिल्ली	580	820	1677	928
11.	गोवा	131	231	320	191
12.	गुजरात	1671	2236	5347	2706
13.	हरियाणा	720	892	1753	974
14.	हिमाचल प्रदेश	535	793	1211	733
15.	झारखंड	681	735	1336	923
16.	जम्मू-कश्मीर	60	146	283	65
17.	कर्नाटक	8197	14092	14788	10154
18.	केरल	7307	9940	14231	9094

1	2	3	4	5	6
19.	लक्षद्वीप	0	47	15	0
20.	मध्य प्रदेश	977	1391	2068	801
21.	महाराष्ट्र	2503	3559	7041	3995
22.	मणिपुर	27	24	129	43
23.	मेघालय	30	52	82	63
24.	मिजोरम	1	1	1	1
25.	नागालैण्ड	2	13	22	12
26.	उड़ीसा	1194	1582	3118	1668
27.	पुडुचेरी	281	341	449	402
28.	पंजाब	1481	2134	2779	1510
29.	राजस्थान	706	878	2553	2237
30.	सिक्किम	29	47	40	20
31.	तमिलनाडु	9440	14259	23822	16464
32.	त्रिपुरा	42	93	92	50
33.	उत्तर प्रदेश	2345	3045	5895	4608
34.	उत्तराखण्ड	545	929	1448	819
35.	पश्चिम बंगाल	2013	2554	2900	1760
	सम्पूर्ण भारत	55998	81345	124227	90147

नोट: 1. यूनियन बैंक के संदर्भ में सूचना उपलब्ध नहीं है।

2. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य पिछड़े वर्ग के संबंध में 2008-09 के लिए सूचना जून, 2008 तक थी।

भारतीय रिजर्व बैंक के पास अप्रयुक्त सरकारी धन

1129. **श्री नरहरि महतो:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के कई करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक के पास अप्रयुक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने वाले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी नहीं। नगद शेष दिन-प्रतिदिन के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं। भारत सरकार का नगद शेष राजस्व प्राप्तियों, बाजार उधारों, राज्य सरकारों द्वारा नीलामी राजकोष बिलों में निवेश, मध्यवर्ती राजकोष बिलों और सरकार के व्यय के विभिन्न मदों की पूर्ति हेतु नकद शेष पर आहरण द्वारा कमी के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। 17 अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा भारत सरकार की नगदी, 33,455 करोड़ रुपए के निवेश शेष सहित, 33,556 करोड़ रुपए थी। इसकी तुलना में 31 मार्च, 2008 को भारतीय रिजर्व बैंक में जमा भारत सरकार का नगदी शेष 20,000 करोड़ रुपए के निवेश शेष सहित 76,686 करोड़ रुपए था।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21(1) के अनुसार केन्द्र सरकार ऐसी शर्तों पर जिन पर सहमति हो जाए, अपना सारा धन, विप्रेषित धन, विनिमय और भारत में हुए बैंकिंग लेन-देनों और विशेषकर अपना नकदी शेष बिना किसी ब्याज के भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कर सकती है।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच दिनांक 26 मार्च, 1997 को हस्ताक्षरित अनुपूरक करार के पैरा (8) के अनुसार, सरकार के अधिशेष नकदी शेष को, जो न्यूनतम स्तर से अधिक और विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा तक हो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके अपने पोर्टफोलियो से, इसके द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतिभूतियों में अंकित मूल्य पर निवेश किया जाता है। ऐसे निवेश की उच्चतम सीमा 50,000 करोड़ रुपए है, जो कि दिनांक 15 अक्तूबर, 2008 से प्रभावी है।

बैंक कर्मचारियों की शिकायतें

1130. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लाइज ने सरकार से अनुरोध किया है कि बैंक कर्मचारियों की लम्बे-समय से चली आ रही मांगों/लम्बित शिकायतों का शीघ्र निपटान किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) द्वारा यथा सूचित, युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने अक्तूबर, 2007 में, अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति योजना, पेंशन हेतु अन्य विकल्प, बाहर से कार्य करवाना आदि सहित मजदूरी संशोधन तथा अन्य मुद्दों के लिए, उनके समक्ष मांग-पत्र प्रस्तुत किया था।

(ग) भारतीय बैंक संघ ने, इन मुद्दों पर यू.एफ.बी.यू. के साथ विचार-विमर्श प्रारम्भ किया है।

बारहवें वित्त आयोग के अनुसार ऋण राहत

1131. **श्री पी. करुणाकरन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवें वित्त आयोग की ऋण राहत योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या सरकार को बकाया ऋण राहत के लिए एकमात्र अंतिम तिथि के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) संघ सरकार द्वारा राज्यों को बारहवें वित्त आयोग की ऋण राहत योजना के तहत् जारी की गई वर्ष-वार राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्यों को दी गई ऋण राहत की वर्ष-वार राशि

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	483.23	703.08	703.08
2.	अरुणाचल प्रदेश		20.21	20.21
3.	असम			105.41
4.	छत्तीसगढ़	93.26	93.26	93.26
5.	गोवा		20.21	20.20
6.	गुजरात	315.89	471.87	471.87
7.	हरियाणा	96.67		96.67
8.	हिमाचल प्रदेश	27.20	45.29	45.29
9.	कर्नाटक	358.33	358.33	358.31
10.	मध्य प्रदेश	363.06	363.06	363.06
11.	महाराष्ट्र		339.97	339.97
12.	मणिपुर	37.54	37.54	37.54
13.	मेघालय		14.90	14.90
14.	मिजोरम		12.93	12.92
15.	नागालैण्ड		15.87	15.87
16.	उड़ीसा	381.90	381.90	381.90
17.	पंजाब	63.92	67.50	85.89
18.	राजस्थान	303.70	308.70	308.70
19.	तमिलनाडु	263.28	263.28	263.27
20.	त्रिपुरा	22.25		
21.	उत्तर प्रदेश	1063.71	1063.91	1063.91

1	2	3	4	5
22.	उत्तराखण्ड		13.08	9.40
	कुल	3878.94	4594.89	4811.63

निजी बीमा कंपनियों की निगरानी

1132. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निजी बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी के तंत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी बीमा कंपनियों सहित सभी बीमा कंपनियों के कार्य-निष्पादन की आवधिक अंतरालों पर निगरानी की जाती है। सभी बीमा कंपनियों को अपने वार्षिक लेखों तथा शोधन क्षमता स्थिति को तिमाही और वार्षिक आधार पर बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। बीमा कंपनियों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करते समय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि वे 150% के नियत शोधन क्षमता मार्जिन को पूरा करते हैं। बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों के पर्यवेक्षण करने और वित्तीय, बीमांकिक, निवेशों; तथा पुनर्बीमा जैसे व्यापक क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न विवरणियों के माध्यम से कंपनियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र की भी स्थापना की है। प्राधिकरण द्वारा प्रीमियम ब्यौरों, दावों तथा शिकायतों की भी निगरानी की जा रही है।

पेयजल संबंधी सम्मेलन

1133. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति पर चर्चा करने के लिए हाल ही में संघ तथा राज्य के मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों तथा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 4-5 जुलाई, 2007 को आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय सभी के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणाली तथा स्वच्छता क्षेत्र में स्थायित्व लाना था। सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान प्रधान मंत्री ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं तथा स्वच्छता क्षेत्र में स्थायित्व पर विषयपरक दस्तावेज जारी किए।

(ख) सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया:

- राज्य सरकारें सतही तथा भू-जल दोनों में पेयजल स्रोतों में स्थायित्व सुनिश्चित करें ताकि पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता तथा मात्रा के संबंध में चूक से बचा जा सके,
- एन.आर.ई.जी.ए., जल तथा मृदा संरक्षण पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.) जैसे अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ प्रभावी तालमेल की आवश्यकता,
- बारहवें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध कराए गए अनुदान के साथ निधियों को मिलाना,
- किफायती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक जल निकायों और पेयजल स्रोतों को पुनः सक्रिय बनाना,

– ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली के संबंध में प्रगति को नियमित आधार पर अद्यतन बनाना, और

– परियोजनाओं के नियोजन व कार्यान्वयन के लिए बेहतर आंकड़ा प्रबंधन।

(ग) राज्य सरकारें राज्य मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन की सिफारिशों तथा इस संबंध में विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई को कार्यान्वित करने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

आवास ऋण

1134. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आवास ऋण लेने वाले व्यक्तियों तथा बैंकों द्वारा क्षेत्र-वार, बैंक-वार कितनी धनराशि संवितरित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में अगस्त, 2008 तक आवास क्षेत्र में बैंक-वार बकाया ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आवास ऋण उधारकर्ताओं और बैंकों द्वारा संवितरित ऋण की राशि के क्षेत्र-वार एवं बैंक-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

गृह क्षेत्र में बकाया ऋण का बैंक-वार ब्यौरा

(करोड़ रु.)

बैंक	समाप्ति पर बकाया			
	मार्च, 2006	मार्च, 2007	मार्च, 2008	अगस्त, 2008
1	2	3	4	5
भारतीय स्टेट बैंक	32,002	37,975	45,683	48,608
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1,848	2,050	2,135	2,174
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2,262	2,689	3,211	3,392
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1,497	1,921	1,978	2,231
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2,886	3,537	3,075	2,813
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	954	1,110	1,226	1,305
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2,840	3,494	4,153	4,158
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	915	1,592	1,165	1,200
इलाहाबाद बैंक	2,473	3,749	3,634	3,137
आन्ध्रा बैंक	1,572	1,772	1,996	2,062
बैंक ऑफ बड़ौदा	4,241	6,083	7,130	7,527
बैंक ऑफ इंडिया	4,263	6,030	6,808	7,001

1	2	3	4	5
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2,681	3,298	4,514	4,765
केनरा बैंक	9,090	9,207	8,580	8,291
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2,885	3,784	3,813	7,192
कारपोरेशन बैंक	3,838	4,195	4,432	4,480
देना बैंक	1,089	1,516	1,853	1,749
इंडियन बैंक	3,275	3,897	4,549	4,796
इंडियन ओवरसीज बैंक	3,037	3,212	3,041	3,709
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,601	5,819	5,443	6,228
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4,587	6,560	7,106	7,370
पंजाब नैशनल बैंक	7,995	7,283	9,638	9,172
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1,766	1,797	1,733	1,741
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1,223	983	1,008	1,071
सिंडिकेट बैंक	4,119	5,105	5,671	6,286
विजया बैंक	3,361	5,223	4,114	4,285
यूको बैंक	2,372	3,864	4,251	4,758
आई.डी.बी.आई. बैंक	7,385	9,162	10,269	10,042
एक्सिस बैंक	779	759	1,630	8,675
इन्डसइंड बैंक	145	163	180	174
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	41,362	56,692	60,570	58,821
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	224	279	267	268
कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	340	356	351	342
करूर वैश्य बैंक लि.	398	486	540	667
तमिलनाड मर्किन्टाइल बैंक लि.	184	378	395	432
फैडरल बैंक लि.	1,659	2,494	3,210	3,741
कर्नाटक बैंक लि.	485	609	745	745

1	2	3	4	5
साऊथ इंडियन बैंक	801	1,066	1,455	1,617
वैश्य बैंक लि.	611	869	1,923	2,568
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	922	1,022	1,036	1,257
एच.डी.एफ.सी. बैंक	0	0	0	0
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	4	4	6	0*
बैंक ऑफ अमेरिका	2	0	0	0
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	6,250	5,879	5,321	5,195
सिटी बैंक एन.ए.	3,015	4,333	4,719	5,071
हांग कांग एंड शंघाई बैंक	5,469	6,197	5,918	5,563
ड्यूश बैंक	23	181	532	561
केल्योन बैंक	0	0	0	0
ए.बी.एन. आमरो बैंक	2,388	2,320	1,783	1,588
बी.एन.पी. परिबस	0	0	0	0
नोवा-स्कोटिया बैंक	0	0	0	0

*स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ विलयित

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।

बेघर महिलाएं

1135. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बेघर महिलाओं की संख्या के बारे में राज्य-वार सूचनाएं मांगी हैं;

(ख) उनके लिए राज्य-वार कितने पुनर्वास केन्द्र हैं;

(ग) क्या वर्तमान में पुनर्वास केन्द्रों की संख्या पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्यों/स्वैच्छिक एजेंसियों के सहयोग से ऐसे केंद्रों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने स्वाधार गृह तथा अल्पावास गृह संस्वीकृत किए हैं, जिनमें पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे गृहों की राज्य-वार सूची महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है, जो मंत्रालय की वैबसाइट www.wcd.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) बेघर महिलाओं के लिए यह मंत्रालय राज्यों/स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से इस प्रकार के और अधिक गृह लगातार संस्वीकृत करता रहता है।

एशियाई विकास बैंक से सहायता

1136. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) की वित्तीय सहायता से ग्रामीण ऋण संरचना का सुदृढ़ीकरण तथा सहकारी क्षेत्र में सुधार करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य को इस संबंध में राज्य-वार किस प्रकार से लाभ होगा;

(घ) क्या सरकार द्वारा राज्य-विशेष कार्यक्रमों या परियोजनाओं के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ग्रामीण अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे (एस.टी.सी.सी.एस.) को सुदृढ़ बना रही है और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके पुनरूद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में सुधार कर रही है।

पुनरूद्धार पैकेज के तीन संघटक हैं: (i) एस.टी.सी.सी.एस. का पुनर्पूंजीकरण; (ii) क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और कम्प्यूट्रीकरण तथा (iii) राज्य सरकारों द्वारा कानूनी सुधार। भाग लेने वाले राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी बशर्ते कि वे कानूनी तथा संस्थागत सुधार करें। भारत सरकार पुनरूद्धार पैकेज के कार्यान्वयन हेतु अपने ओ.सी.आर. उधार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक से एक बिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है। एशियाई विकास बैंक चार किस्तों में वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है। अभी तक 250 मिलियन अमरीकी डालर की पहली किस्त प्राप्त की गई है।

(ग) से (ङ) पांच राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को इसमें शामिल किया गया है। राज्य विशेष से संबंधित परियोजनाओं के लिए कोई राज्य विशेष आबंटन नहीं किया गया है। एशियाई विकास बैंक से प्राप्त सहायता का उपयोग अलग-अलग राज्यों की, विशेष लेखापरीक्षा, यूनिटों की संख्या और इन राज्यों द्वारा पुनरूद्धार पैकेज के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

[हिन्दी]

आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड से आवास ऋण

1137. **श्री मित्रसेन यादव:** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) आवास ऋण प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो आवास ऋण प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान हडको द्वारा संगठन-वार कितनी धनराशि का आवास ऋण प्रदान किया गया?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां।

(ख) अद्यतन वित्तीय मानकों की प्रति विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) हडको द्वारा मुहैया कराये गए ऋण की राशि निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	वर्ष	ऋण राशि* (रुपए करोड़ में)
1.	2005-06	1546
2.	2006-07	2879
3.	2007-08	2152
4.	2008-09 (सितम्बर, 2008 तक)	501

*हडको निवास सहित संगठन वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

वित्तीय मानक (1-10-2008 से प्रभावी)

आवास/अवस्थापना परियोजना ऋण और निकाला गया वित्त (हुडको निवास को छोड़कर)

क्र. सं.	श्रेणी	अधिकतम वित्त की सीमा (%)	फ्लोरिंग बेस रेट (बी.आर.)=14% प्रति वर्ष	नियत दर (एफ.आर.)= (बी.आर.+1%) प्रति वर्ष
1	2	3	4	5
1.	सभी ऋणी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आवास	90		
	(क) विधवाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से अक्षम, 35 वर्ष की आयु से ऊपर की अविवाहित महिला और प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र		बी.आर. से 1.75% कम	एफ.आर. से 1.75% कम
	(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीम और कार्य योजना परियोजनाओं सहित अन्य स्कीमें		बी.आर. से 1.25% कम	एफ.आर. से 1.25% कम
2.	सभी ऋण द्वारा निम्न आय वर्ग आवास परियोजनाएं	दिशानिर्देशानुसार	बी.आर. से 0.50% कम	एफ.आर. से 0.50% कम
3.	उपर्युक्त 1 और 2 के अलावा अर्थात सभी अन्य योजनाएं			
	(i) पुलिस संगठन और सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र ऋणी	90	बी.आर. पर	एफ.आर. पर
	(ii) सीधे सरकारी ऋण/रेटिड सरकारी एजेंसी (1क) और उपर्युक्त डी या सी.आर.आई.एस.आई.एल., आई.सी.आर.ए., सी.ए.आर.ई. और एफ.आई.टी.सी.एच. द्वारा समकक्ष रेटिंग और नवरत्न/मिनी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां और उनके एस.पी.वी.	90	बी.आर. से 0.25% कम	एफ.आर. से 0.25% कम
	(iii) अन्य ऋणी@	70		
	(क) रेटिंग नहीं की गई		बी.आर.+1%	एफ.आर.+1%

1	2	3	4	5
	(ख) रेटिड निजी कंपनियां (ए.ए. और उपर्युक्त या सी.आर.आई.एस.आई.एल., आई.सी.आर.ए., सी.ए.आई.ई. और एफ.आई.टी.सी.एच.)		बी.आर.+0.75%	एफ.आर.+0.75%
	सभी ऋणों के लिए ब्याज दर में छूट उपलब्ध			
	केवल बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत ऋण		0.25%	

- रियल एस्टेट परियोजनाओं (उदाहरणार्थ माल, मार्किट काम्पलेक्स, ऑफिस काम्पलेक्स, आई.टी. पार्क, होटल, रिसोर्ट, मनोरंजन, एस.ई.जैड. एस.पी.ए., हैल्थ क्लब; वैननैस सेंटर हेतु 3(iii) क हेतु बी.आर./एफ.आर.+2% की दर लागू होगी)
  - वित्त अधिकतम सीमा तक उपलब्ध है। तथापि वास्तविक ऋण इक्विटी अनुपात, डी.पी.आर. के अनुसार वित्तपोषण के स्रोत सिक्यूरिटी मांग की सीमा या वित्त की अधिकतम सीमा इनमें जो भी कम हो, पर आधारित होगा।
  - हडको आवश्यकता पड़ने पर फ्लोटिंग ठोस रेट (बी.आर.) की समीक्षा और संशोधन करने का अधिकार रखता है।
  - नियत दर पर स्वीकृत ऋण/जारी धनराशि पहली बार जारी होने की तिथि से उस समय प्रचलित नियत दर (एफ.आर.) पर स्वतः ही प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर पुनः निर्धारित की जाएगी।
  - सभी श्रेणियों के ऋणी को 100 करोड़ रुपये से अधिक ऋणों के लिए 0.25% की प्रतिवर्ष दी जाएगी।

विवरण-II

ब्याज दरों का संशोधन - हडको निवास-गृह ऋण

नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार दिनांक 1-10-2008 से ब्याज दर में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है

व्यैक्तिक ऋण

व्यैक्तिक ऋणों हेतु संशोधित ब्याज दर

20 लाख रुपए तक के ऋणों हेतु

विवरण	अवधि	फ्लोटिंग रेट	नियत दर
1	2	3	4
निर्माण/क्रय/मिश्रित ऋण/प्लाट की खरीद/ विस्तार/सुधार/वर्तमान आवासों का पंजीकरण/ पुनः वित्तपोषण	5 वर्षों तक	11.50%	13.00%
	15 वर्षों तक	11.75%	13.00%
	25 वर्षों तक	11.75%	13.00%
गैर आवासीय परिसरों के व्यवसायियों को ऋण	5 वर्षों तक	11.75%	14.00%

1	2	3	4
	10 वर्षों तक	12.50%	14.00%
आवासीय परिसरों के लिए ऋण	5 वर्षों तक	11.75%	14.00%
	10 वर्षों तक	12.50%	14.00%
20 लाख रुपए से अधिक के ऋण हेतु			
निर्माण/क्रय/मिश्रित ऋण/प्लाट की खरीद/ विस्तार/सुधार/वर्तमान आवासों का पंजीकरण/ पुनः वित्तपोषण	5 वर्षों तक	11.50%	13.00%
	15 वर्षों तक	11.75%	13.00%
	25 वर्षों तक	11.75%	13.00%
गैर आवासीय परिसरों के व्यवसायियों को ऋण	5 वर्षों तक	11.75%	14.00%
	10 वर्षों तक	12.50%	14.00%
आवासीय परिसरों के लिए ऋण	5 वर्षों तक	11.75%	14.00%
	10 वर्षों तक	12.50%	14.00%

- दिनांक 1 अक्तूबर, 2008 से नियत ब्याज दर 5 वर्षों की बजाय प्रत्येक 3 वर्ष के बाद स्वतः ही पुनः निर्धारित होगी।
- दिनांक 5-2-2004 से पहले (दिनांक 11 फरवरी, 2004 से ओ.सी./डी.एफ./2004-092 कार्य शुरू हुआ) निष्पादित ऋण करार के लिए नियतर दर का पुनः निर्धारण नहीं हुआ है और अब तक उन्हें संशोधित नहीं किया गया है।
- 5-2-2004 को और इसके बाद इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि तक निष्पादित ऋण करार प्रथम बार 5 वर्ष पूरे होने पर और इसके बाद प्रथम निर्धारण की तिथि से 3 वर्ष के बाद पुनः निर्धारण किया जाएगा।
- फ्लोटिंग रेट ऋण के मामले में, समान मासिक किश्तों पर संशोधित दरों का प्रभाव पड़ेगा। पुनः भुगतान अवधि बढ़ाते हुए समान मासिक किश्त अपरिवर्तित रखी जाए। परिणामतः कुछ मामलों में, 25 वर्षों से अधिक अवधि का विस्तार होगा। तथापि, ऐसे मामलों में, पुनः भुगतान की अंतिम तिथि 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी (या 70 वर्ष यदि क्षेत्रीय मुखिया द्वारा अनुमोदित किया जाए) ऐसे मामलों में जब हडको देय ब्याज की वसूली नहीं कर सके तो, तदनुसार समान मासिक किश्त परिवर्तित की जाए।

हडको निवास के अंतर्गत अधिक संख्या में ऋण

अद्यतन परियोजना वित्तपोषण पद्धति में आवास परियोजनाओं पर लागू ब्याज दर हडको निवास के अंतर्गत आने वाले भारी संख्या में ऋणों पर लागू होगी।

विवरण-III

दिनांक 1-4-2005 से 31-3-2006 के दौरान हडको द्वारा स्वीकृत ऋण

(रु. लाख में)

राज्य	एजेंसी	ऋण राशि
1	2	3
आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कार्पोरेशन लि.	.00

1	2	3
	आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कार्पोरेशन लि.	.00
	आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कार्पोरेशन लि.	.00
	आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कार्पोरेशन लि.	.00
	विजयवाड़ा, गुंटूर, तेनाली, मंगलागिरल, डी.ए.	.00
	मैसर्स वासुदेवा रियल्टर्स प्रा. लि.	955.00
योग		955.00
असम	गुवाहाटी मैट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथारिटी	5000.00
	इंडोकार्प बिल्डर्स प्रा. लि.	40.00
	लैंडमार्क एस्टेबिलिसमेंट (प्रा.) लि.	180.00
	सराय घाट हास्पिटल प्रा. लि.	80.00
	मैसर्स एस.आर. प्लाजा	150.00
	सन वैली डायबिटिक केयर एंड रिसर्च सेंटर	33.00
	टी.सी.जी. कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि.	150.00
योग		5633.00
बिहार	एडीसन कंस्ट्रक्शन लि.	50.00
	गोस्वामी डेवलपर्स प्रा. लि.	94.00
	माइल स्टोन इस्टेट्स प्रा. लि.	150.00
	नूतन कंस्ट्रक्शन हरिओम काम्प्लेक्स	200.00
	नगर परिषद बेगूसराय	.00
	सविता बिल्डवेल (प्रा.) लि.	50.00
	सरोत्तम मल्टीकन प्रा. लि.	50.00
योग		594.00
चंडीगढ़	सुलभ इंटरनेशनल चंडीगढ़	35.00
योग		35.00
छत्तीसगढ़	मैसर्स आरती बिल्डकॉन प्रा. लि.	248.00
	मैसर्स डॉल्फिन प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स	380.00

1	2	3
	मैसर्स गोकुल एजुकेशन एंड डेवलपर्स प्रा. लि.	250.00
	म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, कोरबा	531.00
	मैसर्स सिंधानिया बिल्डकॉन प्रा. लि.	150.00
	रायपुर विकास प्राधिकरण	2020.00
	रायपुर विकास प्राधिकरण	653.41
	स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी छत्तीसगढ़	400.00
योग		4632.41
गुजरात	आर्शिवाद कामर्शियल प्रापर्टीज प्रा. लि.	500.00
	अभिषेक इस्टेट लि.	300.00
	एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किट कमेटी	200.00
	मैसर्स लाभ प्रापर्टी प्रा. लि.	1200.00
	राजकोट म्यूनिसिपल कार्पोरेशन	.00
	नवसारी एन.पी.	.00
	मैसर्स न्यू स्टार सी.टी. मल्टीप्लेक्स प्रा. लि.	470.00
	पिंकी फैब्रिक्स प्रा. लि.	170.00
	साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.	35000.00
	विश्वमंगलम शारदा ग्राम ट्रस्ट	200.00
योग		38040.00
हरियाणा	ओमेक्स लि.	10000.00
योग		10000.00
हिमाचल प्रदेश	एच.पी. हाउसिंग बोर्ड	118.88
	हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथारिटी	378.85
योग		497.73
झारखंड	गौतम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्रा. लि.	250.00
	मोंट ब्लैंक कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.	250.00
	यू.डी.डी., झारखंड सरकार	.00

1	2	3
	वेलफेयर डिपार्टमेंट झारखंड सरकार	4800.00
योग		**5300.00**
कर्नाटक	कर्नाटक स्लम क्लीयरेंस बोर्ड	.00
	राजीव गांधी रुरल हाउसिंग कार्पोरेशन लि.	12500.00
योग		**12500.00**
केरल	केरल स्टेट हाउसिंग बोर्ड	3723.72
	कुदुम्बश्री	.00
योग		**3723.72**
मध्य प्रदेश	बसेरा बिल्डिंग सेंटर	10.00
	मैसर्स ई-2 सिक्यूरिटी एंड डी.के. कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	354.06
	ग्लोबल मेगा बेंचर्स प्रा. लि.	994.92
	इंदौर विकास प्राधिकरण	191.00
	जे.आर. एंड कंपनी, भोपाल	100.00
	म्यूनिसिपल कारपोरेशन भोपाल	303.50
	एम.पी. हाउसिंग बोर्ड	.00
	नगर पंचायत महेश्वर	.00
	मैसर्स शांति कालोनीसर्स एंड डेवलपर्स	100.00
	मैसर्स सौम्या होम प्रा. लि.	550.00
योग		**2603.48**
महाराष्ट्र	गोयल गंगा कंस्ट्रक्शन	2250.00
	गोयल प्रापर्टीज	700.00
	गोयल रायसोनी एसोसिएट	1175.00
	जय जिनेन्द्र बिल्डर्स	600.00
	कुकरेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी	1250.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00

1	2	3
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	महाराष्ट्र एच.एस.जी. एरिया डेवलपमेंट अथारिटी	.00
	मैसर्स नेप्च्यून इंटरप्राइजेज	9500.00
	पदमहस्त डेवलपर्स प्रा. लि.	1240.00
	श्री मणेश कंस्ट्रक्शन	1235.00
योग		17950.00
मणिपुर	मणिपुर अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी	.00
योग		.00
मिजोरम	जोरम इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन	.835.00
	जोरम इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन	165.00
योग		1000.00
नागालैंड	सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स डिवीजन	300.00
	नागालैंड सरकार, वर्क्स एंड एच.एस. डिपार्टमेंट	800.00
	होम डिपार्टमेंट, नागालैंड सरकार	1000.00

1	2	3
	हॉर्नबिल फाइनेंस लिमिटेड, नागालैंड	250.00
	लुक ईस्ट कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	250.00
	लैंड रिर्सोसेज डेवलपमेंट	15.00
	नागालैंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.	200.00
	पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (हाऊसिंग)	150.00
	नागालैंड/सुडा	.00
	टैक्सेसन डिपार्टमेंट	50.00
योग		3015.00
उड़ीसा	नीलांचल बिल्डर्स एंड रिसोर्ट प्रा. लि.	200.00
योग		200.00
पंजाब	अधिनाथ टैक्सटाइल लिमिटेड	4.16
योग		4.16
राजस्थान	मैसर्स पी.एस.आई.डी.एल. टाउनशिप प्रा. लि.	9800.00
योग		9800.00
तमिलनाडु	कंसेप्ट होम्स इंडिया प्रा. लि.	154.00
	के.जी.ई.वाई.ई.एस. रेजीडेंसी प्रा. लि.	757.00
	के.जी.ई.वाई.ई.एस. रेजीडेंसी प्रा. लि.	226.00
	के.जी.ई.वाई.ई.एस. रेजीडेंसी प्रा. लि.	315.00
	विरगो प्रापर्टी प्रा. लि.	354.00
योग		1806.83
त्रिपुरा	म्यूनिसिपल काउंसिल अगरतला	.00
योग		.00
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ डेवलपमेंट अथारिटी	475.00
	कानपुर डेवलपमेंट अथारिटी	8092.00
	मैसर्स सुपरटेक लिमिटेड	10000.00
योग		18567.00

1	2	3
उत्तरांचल	मैसर्स दिल्ली अपार्टमेंट प्रा. लि.	2500.00
	मैसर्स जे.जे. बिल्ड-टेक पार्टनशिप फर्म	125.00
योग		2625.00
पश्चिम बंगाल	मैसर्स एस्टर क्रीएसंस प्रा. लि.	547.00
	बी घोष एंड एसोसिएट	270.00
	मैसर्स जोईता इंटरप्राइज प्रा. लि.	550.00
	बारासात में लरीका टाउनशिप	900.00
	नमन कामर्शियल प्रा. लि.	340.00
	प्रगति रेजीडेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	1500.00
	मैसर्स सुनसम प्रगति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि.	5105.00
	स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, पश्चिम बंगाल	.00
	स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी	.00
	स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी	.00
	स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी	.00
	स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी	.00
योग		9212.00
योग		148694.33
123 चुनी गई पंक्ति	हडको निवास	5881.00
		154575.33

दिनांक 1-4-2006 से 31-3-2007 के दौरान हडको द्वारा स्वीकृत ऋण

(रु. लाख में)

राज्य	एजेंसी	ऋण राशि
1	2	3
आंध्र प्रदेश	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण	.00

1	2	3
	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण	.00
	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण	.00
	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण	.00
	ए.पी. स्टेट पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन	20200.00
	ए.पी. स्टेट हाउसिंग कार्पोरेशन लि.	907.20
	ए.पी. स्टेट हाउसिंग कार्पोरेशन लि.	14000.00
	मै. मंजिरा कंस्ट्रक्शन लि.	1240.00
	पंचायत राज सर्किल नेल्लोर	.00
	मैसर्स राधा रियल्टर्स प्रा. लि.	2500.00
	मैसर्स स्पेल्डिड अपर्णा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	5000.00
	मैसर्स टायलेट्स एंड टायलेट्स प्रा. लि.	.00
योग		43847.20
अरुणाचल प्रदेश	नियोसा सी.डी. ब्लॉक लांगडिंग	.00
योग		.00
असम	असम स्टेट कुप एच.एस.जी. सोसाइटी	500.00
	असम स्टेट कुप एच.एस.जी. सोसाइटी	2300.00
	मेडी एड्स प्रा. लि.	200.00
	मेगस कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	100.00
	मेघामल्हार इस्टेट्स एंड सर्विसेज प्रा. लि.	100.00
योग		3200.00
बिहार	मैसर्स आवास कंस्ट्रक्शन	51.00
	मैसर्स आशा कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.	70.00
	आदर्श रहनुमा विकास संस्थान	.00
	बेटर एंड बेस्ट ब्रिक्स	75.00
	सिटी सर्विस	250.00

1	2	3
	दुर्गा मैकेनाइज्ड ब्रिक्स इंडस्ट्रीज	150.00
	गंगोतरी क्रिएटिव (प्रा.) लि.	151.00
	हाई-टेक आशियाना (प्रा.) लि.	100.00
	मैसर्स इम्पीरियल फाउंडेशन	125.00
	कामिनी डेवलपर्स (प्रा.) लि.	100.00
	मोन्ट ब्लैंक कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.	125.00
	मेरिडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया लि.	75.00
	मा सुदामा कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.	100.00
	प्रसांभी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.	250.00
	प्रेम नगर कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.	200.00
	मैसर्स क्विक एंड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.	100.00
	मैसर्स शालीमार बिल्डर्स एंड डेवलेपर्स	150.00
	मैसर्स एस.आर.के. कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.	185.00
योग		2257.00
चंडीगढ	मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलेपर्स लि.	4000.00
	शुलभ इन्टरनेशनल चंडीगढ	3.37
योग		4003.37
छत्तीसगढ	मैसर्स एटी बिल्डकोन (प्रा.) लि.	850.00
	मैसर्स पिरीपाल बिल्डर्स एंड कांट्रेक्टर्स	217.00
	जयश्री बिल्डर्स	220.00
	के.एल. रियल एस्टेट (प्रा.) लि.	230.00
	नया रायपुर डेवलेपमेंट अथारिटी	55500.00
	रायपुर इंटरटेन्मेंट वर्ल्ड (प्रा.) लि.	9000.00
	आर.पी. रियल एस्टेट (प्रा.) लि.	400.00
	श्रीवास्तव एसोसिएट बिल्डर्स	230.00

1	2	3
	मैसर्स सिंघानिया बिल्डकोन (प्रा.) लि.	95.00
	मैसर्स सूर्या लैंड डेवलेपर्स	503.04
	स्टेट अर्बन डेवेलपमेंट एजेंसी	43.83
	स्टेट अर्बन डेवेलपमेंट एजेंसी	42.20
	स्टेट अर्बन डेवेलपमेंट एजेंसी	90.31
	स्टेट अर्बन डेवेलपमेंट एजेंसी	43.83
	स्टेट अर्बन डेवेलपमेंट एजेंसी	3902.00
	स्टेट अर्बन डेवेलपमेंट एजेंसी	62.80
	स्टेट अर्बन डेवेलपमेंट एजेंसी	.00
योग		71430.01
दिल्ली	जस टेक्नो कंस्ट्रक्शन	1000.00
योग		1000.00
गुजरात	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण	.00
	अखिल भारतीय पर्यावरण ई.जी.वी. संगठन	.00
	मैसर्स एकादशी इंटरप्राइजेज	400.00
	अभिषेक इस्टेट लि.	1130.00
	मैसर्स गांधीनगर होटल्स लि.	181.00
	गुजरात मेरीटाइम बोर्ड	.00
	गुजरात म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड	.00
	मैसर्स हस्त बिल्डर्स	650.00
	मैसर्स हरेकृष्णा डेवलेपर्स	850.00
	मैसर्स हरेकृष्णा डेवलेपर्स	500.00
	मैसर्स कष्टभंजन देव डेवलेपर्स	275.00
	मैसर्स मैक्सिम एसोसिएट	425.00
	मैसर्स मनपसंद बिल्डर्स (प्रा.) लि.	374.00

1	2	3
	मैसर्स चाणक्य बिल्डकोन	698.00
	मैसर्स मानव इन्फ्रस्ट्रक्चर (प्रा.) लि.	1000.00
	मैसर्स सामर्थ डेवलपर्स	587.00
	मैसर्स सन्मय कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.	320.00
	मैसर्स संगिनी इन्फ्रास्ट्रक्चर	851.00
	सुजान इन्फ्रास्ट्रक्चर	900.00
	मैसर्स तक्षशीला गृह निर्माण	1175.00
	मैसर्स उमा कंस्ट्रक्शन कम्पनी	220.00
योग		**10536.00**
हरियाणा	मैसर्स सी.एच.डी. डेवलेपर्स लि.	4486.02
	मैसर्स जे.टी.पी.एल. टाऊनशिप (प्रा.) लि.	3700.00
	मैसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि.	7500.00
	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन	.00
योग		**15686.02**
हिमाचल प्रदेश	एल.पी. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट अथॉर्टी	4500.00
	सुलभ इंटरनेशनल	2.10
	सुलभ इंटरनेशनल	7.80
योग		**4509.90**
झारखण्ड	अनुमेहा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स (प्रा.) लि.	250.00
	गौतम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलेपर्स (प्रा.) लि.	250.00
	कश्यप कंस्ट्रक्शन पटना	125.00
	केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडी	100.00
	मोन्ट ब्लैंक कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.	125.00
	श्री त्रिवेणी डेवलपर्स (प्रा.) लि.	975.00
योग		**1825.00**

1	2	3
कर्नाटक	अरुण शेल्टर्स (प्रा.) लि.	1000.00
	गोयल रीएलिटी (प्रा.) लि.	1150.00
	मैसर्स टायलेट्स एंड टायलेट्स (प्रा.) लि.	.00
	मैसर्स उपकार डेवलेपर्स (I) (प्रा.) लि.	4600.00
योग		**6750.00**
केरल	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन	14.24
योग		**14.24**
मध्य प्रदेश	मैसर्स आदर्श आवास विकास (प्रा.) लि.	200.00
	मैसर्स इलिक्सिर इन्फ्रास्ट्रक्चर, भोपाल	550.00
	मैसर्स फॉरचून एसोसिएट भोपाल	200.00
	मैसर्स फॉरचून बिल्डर भोपाल	425.00
	मैसर्स इशान बिल्डर एंड डेवलेपर्स	610.00
	मैसर्स इंडस क्लोनिसर्स (प्रा.) लि. भोपाल	350.00
	म्युनिसिपल कार्पोरेशन भोपाल	2199.00
	इंदौर म्युनिसिपल कार्पोरेशन	.00
	पछोरवाला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स (प्रा.) लि.	130.00
	मैसर्स श्री ऋषिकेश कंस्ट्रक्शन	350.00
योग		**5014.00**
महाराष्ट्र	अधिराज कंस्ट्रक्शन कं. (प्रा.) लि.	4000.00
	बालाजी डेवलपर्स	1240.00
	गोयल गंगा कंस्ट्रक्शन	2400.00
	गंगा गेलैक्सी डेवलपर्स	615.00
	गोयल रायसोनी एसोशिएट	1225.00
	मैसर्स नेप्च्यून इंटरप्राइजेज	6100.00
	मैसर्स रीवार्ड रिएल एस्टेट कं. लि.	7000.00
योग		**22580.00**

1	2	3
मणिपुर	म्युनिसिपल एडमि. एच.एस.जी. एंड अर्बन डेवलेपमेंट	.00
योग		.00
मिजोरम	मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल	100.00
योग		100.00
नागालैंड	सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स डिवीजन	360.00
	डिपार्टमेंट ऑफ पावर	420.00
	होम डिपार्टमेंट, नागालैंड सरकार	1000.00
	पी.डब्ल्यू.डी., नागालैंड सरकार	200.00
	टैक्सेसन डिपार्टमेंट	50.00
योग		2030.00
उड़ीसा	आइकन प्रॉपर्टीज (प्रा.) लि.	100.00
	निलांचल बिल्डर्स एंड रीसॉर्ट (प्रा.) लि.	300.00
	निलांचल बिल्डर्स एंड रीसॉर्ट (प्रा.) लि.	100.00
योग		500.00
पंजाब	मैसर्स मेटकॉफ प्रोपर्टीज (प्रा.) लि.	4000.00
योग		4000.00
राजस्थान	अखिल भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण	.00
	कटिहार डिस्ट्रिक्ट सुलभ शौचालय संस्थान	.00
	राजस्थान स्टेट रोड डेवलेपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन	45125.00
	मैसर्स सिद्धार्थ पी.एस.आई.डी.एल., टाउनशिप (प्रा.) लि.	5000.00
योग		50125.00
तमिलनाडु	मैसर्स के.जी.ई.वाई.ई.एस. नेल्सन प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लि.	1035.00
	मैसर्स के.जी.ई.वाई.ई.एस. नेल्सन प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लि.	4000.00
	मार्ग कंस्ट्रक्शन लि.	1240.00
	मैसर्स प्रगति हाउसिंग (प्रा.) लि.	350.00
	मैसर्स सबरी कंस्ट्रक्शन एंड एच.एस.जी. (प्रा.) लि.	135.00

1	2	3
	एस.एफ.एल. प्रोपर्टीज (प्रा.) लि.	4042.00
	मैसर्स वाईराम कंस्ट्रक्शन	275.00
	विर्गो प्रोपर्टीज (प्रा.) लि.	1180.00
	विर्गो प्रोपर्टीज (प्रा.) लि.	510.80
योग		12767.80
उत्तर प्रदेश	लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथर्टी	7320.50
	मथुरा, वृन्दावन डेवलपमेंट अथर्टी	1900.00
	रायबरेली डेवलेपमेंट अथर्टी	412.00
	रामनाथ हाउसिंग (प्रा.) लि.	550.00
	इस्टेट अर्बन डेवलेपमेंट एजेंसी, यू.पी.	.00
	उन्नाव, शुक्लागनी डेवलपमेंट अथर्टी	600.00
योग		10782.50
उत्तराखंड	मैसर्स दिल्ली अपार्टमेंट (प्रा.) लि.	2388.00
	मैसर्स पी.सी. डेवलेपर्स (प्रा.) लि.	800.00
	मैसर्स प्रगति प्रमोटर्स एंड डेवलेपर्स	500.00
	मैसर्स एस.जी. इस्टेट्स लि.	220.00
	मैसर्स सिद्धांत प्रोमोटर्स (प्रा.) लि.	200.00
योग		4108.00
पश्चिम बंगाल	अद्या काम्प्लेक्स (प्रा.) लि.	165.00
	एजे बिल्डर्स एंड डेवलेपर्स	84.00
	अवानी प्रोजेक्ट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	4000.00
	मर्लिन प्रोजेक्ट्स लि.	500.00
	सिंघी कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.	600.00
योग		5349.00
योग		282415.04

1	2	3
हडको निवास		5444.00
		287859.04

दिनांक 1-4-2007 से 31-3-2008 के दौरान हडको द्वारा स्वीकृत ऋण

(लाख रु.)

राज्य	एजेंसी	ऋण राशि
1	2	3
आंध्र प्रदेश	अखिल भारतीय पर्यावरण एवम् ग्रामीण	0.00
	मैसर्स कैप्सटोन कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	177.50
	घरोंदा बिल्डर्स एंड डवेलपर्स	1106.00
	मैसर्स ग्लोबल शैल्टर प्रा. लि.	9000.00
	मैसर्स लिववैल कंस्ट्रक्शन	125.00
	मैसर्स इनकौर आई.एन.एफ. प्रा. लि.	2500.00
	मैसर्स एम.वी.एस. सूर्यनारायण राजू एंड अदर्स	130.00
	मैसर्स वरटैक्स प्रा. लि.	900.00
योग		13938.50
असम	तिनसुकिया देव ओठ	968.00
योग		968.00
बिहार	मैसर्स आशा कंस्ट्र. (प्रा.) लि.	77.00
	अमर होम्स प्रा. लि.	150.00
	मैसर्स बिहार स्टेट रुरल को-ओप. एच.एस.जी. एफ.ई.डी.	890.56
	मैसर्स फ्रैंडलीज एस्टेट एंड एशेंशियल प्रा.	250.00
	मैसर्स इंपिरियल फाउंडेशन	125.00
	कश्यप कंस्ट्रक्शन, प्रा. लि.	170.00
	कामिनी डवैलेपर्स प्रा. लि.	80.00

1	2	3
	कामिनी डवैलेपर्स प्रा. लि.	200.00
	मैसर्स लखन होम्स एंड रिसोर्ट प्रा. लि.	75.00
	लखन होम्स लि.	160.00
	लखन होम्स लि.	140.00
	लखन होम्स लि.	155.00
	मोन्ट ब्लैक कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	86.00
	मैसर्स मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन एंड डवैलपर्स	123.00
	मैरिडियन कंस्ट्रक्शन, इण्डिया लि.	150.00
	एम.के.एस. एंगीकोन प्रा. लि.	185.00
	ओ.आर.बी. डवैलेपर्स प्रा. लि.	50.00
	प्रासंभि डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	125.00
	मैसर्स स्टार इण्डिया कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	220.00
	मैसर्स स्टार इण्डिया कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	80.00
	मैसर्स एस.आर.के. कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	100.00
	सार्क एंगीकोन	200.00
	मैसर्स तिरुपति होम्स प्रा. लि.	100.00
	मैसर्स तिरुपति होम्स प्रा. लि.	65.00
	मैसर्स तिरुपति होम्स प्रा. लि.	200.00
योग		**4156.56**
चंडीगढ़	इंडियन रेलवे वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	25000.00
योग		**25000.00**
छत्तीसगढ़	अमृत होम्स प्रा. लि.	250.00
	अमृत होम्स प्रा. लि.	185.00
	मैसर्स प्रयास	200.00
	गौरव परमोटर्स एंड बिल्डर्स	100.00
	मैसर्स हर्ष जैन	229.81

1	2	3
	म्युनिसिपल कारपोरेशन बिलासपुर	0.00
	म्युनिसिपल कारपोरेशन जगदालपुर	169.36
	रायपुर देवओठ	2880.00
	रायपुर देवओठ	1555.20
	सीताराम अग्रवाल एंड संस	120.00
	स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी	328.84
	स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी	420.42
	स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी	44.97
	स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी	1961.87
	स्टेट अर्बन डवलपमेंट एजेंसी	43.82
योग		**8489.29**
दिल्ली	एरियंस बिल्डर प्रा.लि.	2500.00
	एसोटेक सुपरटेक ज्वाइंट वेंचर	10000.00
योग		**12500.00**
गुजरात	मैसर्स भगवती एंटरप्राइज	600.00
	दुबारिया डवैलपर्स	500.00
	गहलानी बिल्डर्स	790.00
	गहलानी बिल्डर्स	4800.00
	मैसर्स कंतन कोरपोरेशन	81.90
	मैसर्स जगदम्बा कोरपोरेशन	400.00
	मैसर्स जौली डवैलपर्स	1000.00
	जय केसर भवानी डवैलपर्स प्रा. लि.	1250.00
	जय केसर भवानी डवैलपर्स प्रा. लि.	750.00
	मैसर्स मानव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	720.00
	मैसर्स मानव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	850.00
	मैसर्स मुर्गी ट्रेडर्स एंड डवैलपर्स	103.18

1	2	3
	मैसर्स वर्ज डवैलपर्स	725.00
	निर्मल कोरपोरेशन	200.00
	मैसर्स नीत एंटरप्राईज	1000.00
	मैसर्स रेखा कंस्ट्रक्शन कम्पनी	1150.00
	राजहंस कंस्ट्रक्शन, प्रा. लि.	1175.00
	मैसर्स सूर्यम डवैलपर्स	435.00
	सन डवैलपर्स	500.00
	मैसर्स सारसवत एंटरप्राईज	417.00
	मैसर्स समर्थय इंफ्रास्ट्रक्चर	590.00
	श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर	400.00
	मैसर्स सालासार कारपोरेशन	700.00
	वेद कोरपोरेशन	300.00
	मैसर्स यश डवैलेपर्स	250.00
योग		19687.00
हरियाणा	हरियाणा पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन	6000.00
	ट्यूलिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	2500.00
योग		8500.00
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डवैलपमेंट अथोरिटी	2500.00
योग		2500.00
झारखंड	अनुशका बिल्डकोन प्रा. लि.	160.00
	अनुमेहा कंस्ट्रक्शन एंड डवैलपर्स प्रा. लि.	250.00
	बी.एन. सिविटेक जमशेदपुर	250.00
	दीपक एंड एशोशिएट	125.00
	लता कलोनिज प्रा. लि.	80.00
	लता क्लोनिज प्रा. लि.	143.00

1	2	3
	त्रिमूर्ती अपार्टमेंट प्रा. लि.	250.00
योग		1258.00
कर्नाटक	अव्वा डवैलपर्स	275.00
	अस्तित्व परमोटर्स एंड डवैलपर्स प्रा. लि.	4000.00
	दोनता डवैलपर्स	522.60
	धम्मंगी डवैलेपर्स प्रा. लि.	2275.00
	जी.आर. कंस्ट्रक्शन	900.00
	इनफाईनाइट बिल्डर्स एंड डवैलपर्स	487.00
	इनफाईनाइट बिल्डर्स एंड डवैलेपर्स	790.00
	क्रिस्टल प्रौजक्ट (इण्डिया) प्रा. लि.	470.00
	मंजूनाथ लैंड डवैलेपर्स एंड कंस्ट्रक्शन	1170.00
	महावीर एस्टेटस	1100.00
	एस.एल.एन. इंफ्राटेक प्रा. लि.	10000.00
	स्पैक्ट्रम रिअलटर्स	850.00
	साई स्निगधा कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	400.00
योग		23239.60
केरल	क्रिस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	1200.00
	त्रिवेन्द्रम में गोल्फ व्यू प्रोजक्ट	326.00
योग		1526.00
मध्य प्रदेश	आकृति डवैलिंग प्रा. लि.	2300.00
	मैसर्स एलिक्सियर इंफ्रास्ट्रक्चर भोपाल	600.00
	मैसर्स ई2 सिक्योरिटीज एंड डी.के. कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	550.00
	मैसर्स आइडियल प्रोपर्टीज जबलपुर	618.00
	कृष्णा बिल्डर्स एंड डवैलपर्स जबलपुर	615.00
	एल.पी. हाउसिंग बोर्ड	918.00
	मैसर्स श्री बिल्डर एंड डवैलपर्स	550.00

1	2	3
	श्री कबरा होम्स एंड फिक्स लि. इन्दौर	250.00
योग		6401.36
महाराष्ट्र	मैसर्स बंसल इस्पात प्रा. लि.	1100.00
	ईफिल डवैलेपर्स एंड रिलेटर्स प्रा. लि.	1250.00
	ईफिल डवैलेपर्स एंड रिलेटर्स प्रा. लि.	1250.00
	गोयल ब्रदर्स एंड रायसोनी देव प्रा. लि.	675.00
	गोयल गंगा एसोशिएट	800.00
	गोयल गंगा कंस्ट्रक्शन	950.00
	गंगा ग्लैक्सी डवैलपर्स	1250.00
	गोयल प्रोपर्टीज	1130.00
	नन्दगुडे पाटील डवैलपर्स प्रा. लि.	1250.00
	शक्ति डवैलपर्स	865.00
	श्री गणेश कंस्ट्रक्शन	1240.00
योग		11760.00
मिजोरम	जोरम इंडस्ट्रीयल डवैलेपमेंट कार्पोरेशन	723.30
योग		723.30
नागालैंड	सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स डिविजन	250.00
	डिपार्टमेंट आफ फोरेस्ट, नागालैंड सरकार	800.00
	डिपार्टमेंट ऑफ फोरेस्ट, नागालैंड सरकार	100.00
	डिपार्टमेंट ऑफ एक्साईज, नागालैंड सरकार	100.00
	जियोलोजी एंड माईनिंग डिपार्टमेंट	150.00
	होम डिपार्टमेंट नागालैंड सरकार	427.00
	होम डिपार्टमेंट नागालैंड सरकार	1000.00
	होम डिपार्टमेंट नागालैंड सरकार	900.00
	इंफोरमेशन एंड पब्लिक रिलेशन	194.00

1	2	3
	नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट	118.00
	पी.डब्ल्यू.डी. नागालैंड सरकार	400.00
	टैक्सेसन डिपार्टमेंट	50.00
योग		4489.00
उड़ीसा	सरबनी कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	116.00
योग		116.00
पंजाब	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलोइज वैलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन	2200.00
	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलोइज वैलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन	2000.00
	सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलोइज वैलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन	15000.00
योग		19200.00
तमिलनाडु	कुमारराजा फाउंडेशन	486.96
	मैसर्स केजीयेस नेलसन प्रोजेक्ट प्रा. लि.	1190.00
	केजीयेस रेजिडेंसी प्रा. लि.	425.00
	वर्गोरिलेटर प्रा. लि.	4242.00
योग		6343.96
उत्तर प्रदेश	आम्रपाली होम्स प्रो. प्रा. लि.	2200.00
	जयकिशन एस्टेट प्रा. लि.	2500.00
	मथुरा वृन्दावन देव ओठ	3142.00
	निखिल होम्स लि.	1200.00
	मैसर्स एस.जी. एस्टेट लि.	1500.00
	शमीहा इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्रा. लि.	1924.00
योग		12466.00
उत्तरांचल	मैसर्स हंसमुखी प्रोजेक्ट प्रा. लि.	1350.00
	शमीहा इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्रा. लि.	2400.00
योग		3750.00

1	2	3
पश्चिम बंगाल	कोलकाता मेट्रोपोलिटन डेवेलपर्स अथॉरिटी	20000.00
	ओयसिस इन्फ्राकॉन लि.	128.00
	ओयसिस इन्फ्राकॉन लि.	97.00
	आर.डी.वी. इन्डस्ट्रीज लि.	1000.00
	शराची डेवलपर्स	840.00
	शताब्दी मर्चेन्ट्स प्रा. लि.	200.00
योग		22265.00
योग		209277.65
हडको निवास		5909.00
		215186.65

दिनांक 1-4-2008 से 30-9-2008 के दौरान हडको द्वारा स्वीकृत ऋण

(लाख रु. में)

राज्य	एजेंसी	ऋण-धनराशि
1	2	3
आंध्र प्रदेश	इन्दु रोयल होम्स प्रा. लि.	1000.00
	मैसर्स लक्ष्मी इन्फ्राटेक इंडिया लि.	470.00
	एम.एन.आर. एंड संस	580.00
	मैसर्स संवित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रा.	500.00
	मैसर्स वासुदेवा रिलेटर्स प्रा. लि.	1250.00
योग		3800.00
बिहार	मैसर्स फ्रेंडलीज एस्टेट एंड एसेंशियल प्रा.	250.00
	सुगंध एग्रो प्रा. लि.	100.00
योग		350.00
छत्तीसगढ	दद्दू बिल्डर्स एंड. डेवलपर्स	190.00
योग		190.00

1	2	3
गुजरात	अमरुत इन्टरप्राइजेज	600.00
	मैसर्स मानव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	415.00
	मैसर्स मुर्गी ट्रेडर्स एंड डेवलेपर्स	327.32
	स्वागत इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	2500.00
	तिलक रियलटी एस्टेट प्रा. लि.	590.00
योग		**4432.32**
हरियाणा	मैप्सको बिल्डर्स प्रा. लि.	9157.00
योग		**9157.00**
झारखंड	अनुषका बिल्डकोन प्रा. लि.	90.00
	अनुषका बिल्डकोन प्रा. लि.	100.00
	बी.एन.सी.वी. टेक जमशेदपुर	248.00
	त्रिभुवन आवास प्रा. लि.	100.00
	विक्रमशिला इंजीकोन प्रा. लि.	250.00
योग		**788.00**
कर्नाटक	कन्कोर्ड ग्रुप	10000.00
	डाडीज डेवलेपर्स एंड बिल्डर्स	972.00
योग		**10972.00**
मध्य प्रदेश	अटलांटा कंस्ट्रक्शन कं.	250.00
	मेसर्स मंगलमय	425.00
	मॉडर्न बिल्डर्स एंड डेवलेपर्स	180.00
	मैसर्स रामनाथ हाउसिंग प्रा. लि.	1600.00
योग		**2455.00**
महाराष्ट्र	महानगर एसोसिएट्स	1000.00
	मंत्री रियलिटी लि.	3759.13
	स्काई होम मेकर्स	360.00

1	2	3
	सत्यम डेवलेपर्स	700.00
योग		5819.13
नागालैंड	होम डिपार्टमेंट, नागालैंड सरकार	1000.00
	होम डिपार्टमेंट, नागालैंड सरकार	900.00
	होम डिपार्टमेंट, नागालैंड सरकार	400.00
	होम डिपार्टमेंट, नागालैंड सरकार	400.00
	होम डिपार्टमेंट, नागालैंड सरकार	1000.00
	होम डिपार्टमेंट, नागालैंड सरकार	400.00
	होम डिपार्टमेंट, नागालैंड सरकार	400.00
	जस्टिस एंड लॉ डिपार्टमेंट	400.00
योग		4900.00
उड़ीसा	नीलांचल बिल्ड टेक एंड रिसोर्ट प्रा. लि.	200.00
योग		200.00
पंजाब	जे.एम.डी. टाउनशिप प्रा. लि.	2490.00
योग		2490.00
तमिलनाडु	कुमारराजा फाउंडेशन	1175.00
योग		1175.00
उत्तरांचल	दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस लि.	240.00
योग		240.00
पश्चिम बंगाल	बंगाल सृष्टि इन्फ्रास्ट्रक्चर देव लि.	970.00
योग		970.00
योग		47938.45
हुडको निवास		3188.00
		50126.45

राजसहायता के संबंध में राष्ट्रीय नीति

1138. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रदान की गई राजसहायता का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

(ख) सरकार द्वारा वास्तविक जरूरतमन्दों को उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों तथा खाद्यान्नों पर राजसहायता लक्ष्य निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजसहायता के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष दी गई राजसहायता (सब्सिडी) का क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये)

	2005-06	2006-07	2007-08
क. प्रमुख सब्सिडियां	44480	53495	65689
1. खाद्य सब्सिडी	23077	24014	31546
2. देशीय (यूरिया) उर्वरक	10653	12650	12900
3. आयातित (यूरिया) उर्वरक	1211	3274	6754
4. किसानों को रियायत देते हुए विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री	6596	10298	10847
5. पेट्रोलियम सब्सिडी	2683	2699	2882
6. एम.आई.एस./पी.पी.एस. के लिए नेफेड को दिए गए अनुदान	260	560	760
ख. अन्य सब्सिडियां	3042	3630	4053
7. ब्याज सब्सिडियां	2177	2809	2658
8. अन्य सब्सिडियां	865	821	1395
कुल सब्सिडियां	47522	57125	69742

स्रोत: व्यय बजट, खण्ड-I (2008-09)

(ख) से (घ) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) में सरकार को समस्त सब्सिडी को निर्धनों और समाज के वास्तविक रूप से जरूरतमन्द वर्गों को लक्षित करने का अधिदेश दिया गया है। जहां खाद्य-पदार्थों और मिट्टी के तेल पर सब्सिडी मुख्यत: गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन कर रहे लोगों को दिए जाने के लिए है, वहीं उर्वरकों एवं एल.पी.जी. पर दी जाने वाली सब्सिडी सभी प्रयोक्ताओं/ग्राहकों को उपलब्ध है। विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों एवं राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार, पर केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा मिलकर एक नौ-सूत्री कार्य योजना तैयार की गई है ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) को सुव्यवस्थित

बनाया जा सके। इसमें बी.पी.एल. और अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) की सूचियों की नियमित समीक्षा करना शामिल है ताकि पात्र परिवारों को इसमें शामिल किया जाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सार्वजनिक वितरण के प्रचालनों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना इत्यादि सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने गरीबों और वास्तव में जरूरतमंद लोगों के लिए सब्सिडी को लक्षित करने का प्रयास किया है और इस संबंध में समय-समय पर अपेक्षित नीतिगत उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋण का संवितरण

1139. **श्री परसुराम माझी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित ऋण का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों के किसानों को कृषि ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दी गई कुल ऋण राशि का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नवत् है :-

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	2005-06	2006-07	2007-08*	2008-09**
1.	उत्तरी	50448.38	63458.00	21483.23	9470.04
2.	उत्तरी पूर्वी	935.71	825.29	177.91	79.14
3.	पूर्वी	12216.27	15393.56	4365.24	1569.18
4.	मध्य	23133.65	31293.12	13536.77	4224.13
5.	पश्चिमी	26177.93	33520.62	10418.13	4616.84
6.	दक्षिणी	63512.06	80212.63	18516.50	6452.74
7.	अन्य	4061.57	4696.66	–	–
8.	वाणिज्यिक बैंक	–	–	175072.13 #	53,296.76 #
	कुल	180485.57	229399.88	243569.91	79708.83

* मार्च, 2008 तक के अनंतिम आंकड़े

** अगस्त, 2008 तक के अनंतिम आंकड़े

राज्य/क्षेत्र-वार आंकड़े अभी तैयार करना बाकी है।

(ख) और (ग) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि उड़ीसा सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों के किसानों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने किसानों की ऋण पहुंच बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- खरीफ 2006-07 से भारत सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनकी अपनी निधि पर ब्याज सहायता और सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा वर्ष 2005-06 में एक लाख रुपए तक और उसके बाद तीन लाख रुपए तक 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर किसानों को ऋण सुनिश्चित करने के लिए रियायती पुनर्वित्त प्रदान करती है। ऋणदात्री संस्थाओं को उनकी निधियों की लागत में हुई वृद्धि के बावजूद 7% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण संवितरित करते रहने के लिए भारत सरकार ने ब्याज सहायता को वर्ष 2007-08 तक 2% से बढ़ाकर वर्ष 2008-09 तक 3% कर दिया है।

- बैंकों ने कृषि ऋणों हेतु प्रलेखीकरण प्रक्रिया को सरल किया है।

- 50,000/- रुपए तक के ऋणों को सम्पार्श्विक तथा मार्जिन राशि मुक्त बना दिया गया है और "अदेयता प्रमाण" पत्र की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

- बैंकों को, सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की सलाह दी गई है।

- बैंकों को, परिवारों को जनरल क्रेडिट कार्ड प्रदान करके वित्तीय पहुंच प्राप्त करने, सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के साथ, अतिरिक्त सुविधा रहित खाता खोलने, नागरिक सामाजिक संगठनों, जैसे किसान क्लबों, गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), डाकघरों की सेवाओं का कारबार सुविधा प्रदाता/कारबार सम्पर्की माडल, आदि के रूप में उपयोग करके वित्तीय पहुंच बढ़ाने के निदेश दे दिए गए हैं।

[हिन्दी]

आदिम जनजातियों का संरक्षण

1140. श्री अजीत जोगी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ भागों में आदिम जनजातियां समाप्त होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय को किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से इस आशय की औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि आदिम जनजातीय समूह (पी.टी.जी.) समाप्त होने के कगार पर है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) के समग्र विकास हेतु "आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) का विकास" नामक 100% केन्द्रीय सहायता वाली योजना 1998-99 से क्रियान्वित करता रहा है। यह योजना अत्यंत लचीली है। पी.टी.जी. की उत्तरजीविता, सुरक्षा एवं विकास से संबंधित कोई भी गतिविधि/कार्य इस योजना के अंतर्गत किए जा सकते हैं। इन गतिविधियों/कार्यों में गृहनिर्माण हेतु प्रावधान भूमि विकास, कृषि विकास, मवेशी विकास, आय सृजनात्मक कार्यक्रम, स्वास्थ्य परिचर्या, अवसंरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि शामिल हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा प्रस्तावित वार्षिक गतिविधियों के आधार पर 105.03 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत 4.09 लाख पी.टी.जी. परिवारों के प्रमुखों को बीमा सुरक्षा हेतु निर्मुक्त 20.48 करोड़ रुपये शामिल हैं। साथ ही, 11वीं पंचवर्षीय योजना से संपूर्ण योजना अवधि हेतु दीर्घकालीन संरक्षण-सह-विकास (सी.सी.डी.) योजना हेतु निधि देना प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य उनके द्वारा बेसलाइन सर्वेक्षण में अथवा अन्य सर्वेक्षणों द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा तैयार योजना के अनुसार कस्बा/आवास विकास करना है। इन सी.सी.डी. योजनाओं के अधीन वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान (22-10-2008 तक)

क्रमशः 57.46 करोड़ तथा 97.99 करोड़ रुपए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त किए गए हैं।

[अनुवाद]

मदर डेयरी के बूथों के लिए भूमि

1141. श्री बची सिंह रावत 'बचदा':

श्री के.सी. सिंह 'बाबा':

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में मदर डेयरी के दुग्ध तथा सब्जियों के बूथ खोले जाने के लिए भूमि का आबंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में मदर डेयरी तथा सब्जियों के बूथ के लिए आबंटित भूमि के ब्यौरे निम्नवत हैं -

	स्थान/क्षेत्र	आबंटन की तारीख
(1)	स्थानीय विपणन केन्द्र (एल.एस.सी.) गाजीपुर, दुग्ध बूथ, क्षेत्र-25 व.मी.	1-2-2008
(2)	स्थानीय विपणन केन्द्र (एल.एस.सी.-2), सेक्टर-3, द्वारका, दुग्ध एवं सब्जी बूथ क्षेत्र-74 व.मी.	1-2-2008
(3)	सी-10 यमुना विहार, दुग्ध बूथ। क्षेत्र-25 व.मी.	6-2-2008
(4)	वसंत अपार्टमेंट, वसंत विहार, दुग्ध बूथ क्षेत्र-25 व.मी.	31-7-2008

अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट

1142. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यू.एम.पी.पी.) भूमि की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं। 4000 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सौंपी गई परियोजनाओं के बारे में भूमि की कमी की कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम में इंजीनियर

1143. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) प्रशिक्षित इंजीनियरों की कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू निर्माण परियोजनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए इंजीनियरों की कमी को दूर करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मास्टर प्लान दिल्ली, 2021 में संशोधन

1144. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फरवरी, 2007 में मास्टर प्लान दिल्ली, 2021 की अधिसूचना जारी करने के बाद इसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 12 अगस्त, 2008 को दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में कुछ संशोधन किए हैं। ये संशोधन विभिन्न प्रावधानों जैसे रिहायशी परिसरों में भवन (भवनों) के लिए नियंत्रण, होटलों के लिए विकास नियंत्रण मानदंड, परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उप-उपयोग जोनों में अनुमत्य कार्यकलाप, मिश्रित उपयोग विनियम, विशेष क्षेत्र विनियम तथा उपयोग जोन में उपयोग परिसरों से संबंधित हैं। ये संशोधन दिनांक 12 अगस्त, 2008 की सा.का. सं. 2035-इ द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। दिल्ली मास्टर प्लान के प्रावधान नगर की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। अतः समय-समय पर दिल्ली मास्टर प्लान में यथापेक्षित संशोधन किए जाते हैं।

राजस्थान में शहरी विकास योजनाएं

1145. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या शहरी विकास मंत्री 23 नवंबर, 2007 के अतारांकित प्रश्न सं. 1133 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना कब तक एकत्रित कर ली जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) राजस्थान में शहरी अवस्थापना विकास से संबंधित लोक सभा के दिनांक 23 नवंबर 2007 के अतारांकित प्रश्न सं. 1133 के संबंध में सूचना एकत्र की गई थी और इस मंत्रालय के दिनांक 09 जून, 2008 के का.ज्ञा. सं. एच-11016/34/2007-समन्वय के तहत कार्यान्वयन रिपोर्ट द्वारा आश्वासन पूरा किया गया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शिशु सदनों की सुविधा

1146. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ऐसे स्थानों पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिशुसदनों (क्रेचों) की सुविधा प्रदान की जा रही है जहां इन बच्चों की माताएं उक्त योजना के अंतर्गत कार्य कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) एन.आर.ई.जी. अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II के पैरा 27 में व्यवस्था है कि स्वच्छ पेय जल, बच्चों के लिए शिशु सदन एवं विश्राम अवधि, लगी छोटी-मोटी चोटों तथा किए जा रहे कार्य से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी अन्य खतरों का आकस्मिक उपचार करने के लिए पर्याप्त सामग्री वाला प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स इत्यादि सुविधाएं कार्यस्थल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूची के पैरा 28 में आगे यह प्रावधान है कि यदि किसी भी कार्यस्थल पर कार्य कर रही महिलाओं के साथ छह साल से कम आयु के बच्चों की संख्या पांच या उससे अधिक है तो उन बच्चों की देखभाल के लिए उनमें से एक महिला मजदूर को नियुक्त करने का प्रावधान किया जाएगा। कार्यस्थल सुविधाओं के लिए किया गया व्यय केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये 4% प्रशासनिक व्यय से पूरा किया जाएगा। चूंकि कार्य स्थल पर कार्य कर रही महिलाओं के साथ पांच अथवा अधिक बच्चे होने पर उनकी देख रेख के लिए एक महिला नियुक्त किए जाने में दैनिक आधार पर परिवर्तन आ सकता है तथा यह सुविधा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दी जानी होती है, इसलिए केंद्र स्तर पर इस संबंध में जानकारी नहीं रखी जाती।

[हिन्दी]

स्वयंसिद्धा योजना

1147. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्वयंसिद्धा योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय ऊर्जा कांग्रेस

1148. श्री ई. दयाकर राव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय ऊर्जा कांग्रेस का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्मेलन में किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) भारतीय ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन 22 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का ब्यौरा मंत्रालय को अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

कम कारोबार करने वाले बैंकों का विलय

1149. श्री हितेन बर्मन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने देश में छोटे और कम कारोबार करने वाले बैंकों को बेचने संबंधी प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार छोटे और कम कारोबार करने वाले बैंकों को बेचने के बजाय लाभ कमाने वाले बैंकों के साथ इनका विलय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) योजना आयोग ने वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यसूची की ऐसी रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से, जिसमें सरकार द्वारा ध्यान में रखी जा रही प्राथमिकताओं और क्रमबद्ध निर्णय का विशेष रूप से उल्लेख हो, श्री रघुराम जी राजन के नेतृत्व में वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। सरकारी क्षेत्र के कम कारोबार वाले छोटे बैंकों को यथा संभव किसी अन्य बैंक को या अनुकूल निवेशक को बेचने के प्रस्ताव पर इस प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त करने और परिणामों का आकलन करने के उद्देश्य से समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित राय दी है:-

"सरकारी क्षेत्र के बहुत बड़े बैंकों के लिए विकल्प बहुत सीमित हैं। सरकारी क्षेत्र के बड़े बैंकों को गैर-सरकार क्षेत्र के बड़े बैंकों को बेचने से संकेन्द्रण सम्बंधित मुद्दे उठेंगे। बैंकों को औद्योगिक घरानों को बेचना विश्वभर में वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में समस्याजनक रहा है, क्योंकि इन घरानों की "स्व-ऋणों" के लिए बैंकों का अनुचित दोहन करने की प्रवृत्ति रही है। भारतीय व्यवस्था में संबंधित पक्ष के लेन-देनों को नियंत्रित करने और असफल बैंकों को बंद करने की क्षमता में पर्याप्त सुधार किए बिना ऐसा करना वित्तीय संकट को न्यौता देना होगा। उस स्थिति में, जब बड़े अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा हमारे बड़े-बड़े बैंकों को निगल लिए जाने की आशंका है, कम से कम आने वाले समय में इसे राजनैतिक रूप से स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। इसे देखते हुए केवल सार्वजनिक निर्गम के जरिए बिक्री किए जाने का रास्ता ही बचता है। परन्तु ऐसी बिक्री के लिए इन उद्यमों के कंपनी अभिशासन में विश्वास रखना अपेक्षित होगा, ताकि ऊंची कीमत वसूली जा सके। अतः, समिति का मानना है कि विशेषतः सरकारी क्षेत्र के बड़े और बेहतर कारोबार करने वाले बैंकों के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण का दूसरा पहलू निजीकरण के संबंध में अनुभव, जनता की मनः स्थिति और राजनैतिक परिवेश के आधार पर निर्धारित संभावित व्यवस्था के अनुसार अनुकूल भागीदार लेते समय अभिशासन संरचना सुधारने पर केन्द्रित होना चाहिए।"

समिति की रिपोर्ट का मसौदा योजना आयोग की वेबसाइट www.planningcommssion.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक में सरकार का पण बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक समेकन का संबंध है, सरकार का विचार है कि सरकारी क्षेत्र के

एक बैंक के सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक में विलयन, आदि के जरिए समेकन का ऐसा प्रस्ताव संबंधित बैंकों से आना चाहिए, जिसमें सरकार केवल एक समर्थक की भूमिका निभाएगी।

सरकारी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक

1150. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने विदेशी बैंकों की चुनौतियों का सामना करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ विलय की अनुमति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण और भारत में विदेशी बैंकों, जो अधिक दक्ष है एवं जिनकी विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधकीय संसाधनों तक पहुंच है, की बढ़ती उपस्थिति से, सरकार क्षेत्र के बैंकों ने प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कई पहलें की है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रौद्योगिकी का प्रवेश एवं उन्नयन, अपने शाखा नेटवर्क को कोर बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस.) के अंतर्गत लाना, स्वचालित गणक मशीनों (ए.टी.एम.) का संस्थापन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं इसमें सुधार, तत्काल निपटान (आर.टी.जी.एस.) प्रणाली का अधिक उपयोग, बैंक शाखाओं का युक्तिकरण एवं उन्नत प्रबंधन तकनीकी का उपयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध मानव शक्ति की सेवाओं का लाभकारी उपयोग करने एवं ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र के बैंक विभिन्न विकल्पों की जांच कर रहे हैं जिनमें शाखाओं में काम के ज्यादा घंटे, बीमा क्षेत्र में प्रवेश, बिजनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) सेवाओं के लिए अनुषंगियों की स्थापना, अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) की वसूली तथा उत्पादों एवं सेवाओं के विपणन के लिए स्टाफ नियोजित करना, बैंकिंग एवं बीमा उत्पादों की परस्पर बिक्री, आदि शामिल हैं। सरकार ने, इन बैंकों में प्रधान शेयरधारक के रूप में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को त्वरित कुशलता से निर्णय लेने के लिए समर्थ बनाने हेतु इन्हें अधिक प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान की है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

मेट्रो रेल में सिस्मिक मीटर

1151. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) का भूकम्प आने की स्थिति में अलार्म बजाने के लिए सिस्मिक मीटरों को लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें लगाने के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डी.एम.आर.सी.) लिमिटेड ने यह सूचना दी है कि दो स्थानों नामतः विधान सभा और पटेल चौक पर पहले से ही सिस्मिक मीटर लगाये गए हैं।

बैंक प्रभार

1152. श्री उदय सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाया है कि वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट कार्डों और चालू खातों पर भारी प्रभार वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या लाइसेंस की निबंधन और शर्तों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक का इन पर कोई नियन्त्रण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच करने और इन बैंकों के लिए निदेश जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सामान्यतः बैंक अपने ग्राहकों से उनके स्वयं के खातों में रुपए जमा

करने पर कोई प्रभार नहीं लगाता है। तथापि, कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड बिलों के नगद भुगतान पर प्रभार लगाते हैं। ये प्रभार नगदी प्राप्त करते समय लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को दरों अथवा प्रभारों में परिवर्तन करने के बारे में इन्हें लागू करने से एक माह पूर्व ग्राहकों को सूचित करना अपेक्षित है।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 7 सितंबर 1999 के अपने परिपत्र द्वारा बैंकों को सेवा प्रभारों को निर्धारित करने अथवा ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं देने की स्वतंत्रता दे दी है। बैंकों को सेवा देने की लागत को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रभार निर्धारित करने के लिए कहा गया है। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है कि ये प्रभार युक्तिसंगत हों और सेवाओं को प्रदान करने की औसत लागत के अनुसार ही हों। बैंकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कम राशि के लेन-देन पर जुर्माना न लगाया जाए।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 7 मई, 2007 के अपने परिपत्र द्वारा सुझाव दिया है कि बैंक के निदेशक मंडल को समुचित आंतरिक नियम एवं प्रक्रिया तय करनी चाहिए ताकि प्रक्रिया और अन्य प्रभारों सहित, अत्याधिक ब्याज दरें नहीं लगाई जा सकें।

लघु और मध्यम उद्यमों के लिए स्टॉक एक्सचेंज

1153. श्री के.एस. राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक पृथक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त एक्सचेंज खोलने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लघु और मध्यम उद्यमों संबंधी स्टॉक एक्सचेंज में निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु नए और प्रभावी सुरक्षोपाय करने तथा उक्त प्रयोजनार्थ एक पृथक विनियामक नियुक्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सेबी ने लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा जारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने और उनका कारोबार करने के लिए एक्सचेंजों और/अथवा एक्सचेंजों के प्लेटफॉर्मों के संवर्धन को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, सेबी ने यह निर्णय लिया है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, इस प्रयोजनार्थ एक से अधिक प्लेटफॉर्म की अनुमति दी जाए।

(ग) ऐसे एक्सचेंजों को खोलने के लिए, सेबी द्वारा चर्चा पत्र में दिए गए व्यापक मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) किसी विद्यमान एक्सचेंज के प्लेटफार्म/लघु और मध्यम उद्यम एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए, कंपनी के पास अधिकतम 25 करोड़ रुपए की पश्च निर्गम प्रदत्त पूंजी होनी चाहिए।

(ii) विद्यमान डी.आई.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार, पूर्ववर्ती तीन पूर्ण वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम 3 करोड़ रुपए की निवल मूर्त परिसंपत्तियां होने, तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों में वितरणयोग्य लाभों का कार्यनिष्पादन रिकार्ड होने और पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम 1 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति होने की अपेक्षाओं से लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पूरी तरह छूट दी जाए।

(iii) लघु और मध्यम उद्यम एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियां अलेखापरीक्षित परिणामों की सूचना तिमाही आधार के बजाए अर्द्ध वार्षिक आधार पर दें।

(iv) कंपनियां अपनी वेबसाइट और एक्सचेंज की वेबसाइट पर अपनी वार्षिक रिपोर्टें पोस्ट करें। इनकी कागज प्रतिलिपियां शेयरधारकों को केवल उनके विशिष्ट अनुरोध पर दी जाएं। सभी शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्टें भेजने की अपेक्षा को समाप्त किया जाए।

(v) जब और जैसे लघु और मध्यम उद्यम एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियां, बड़े एक्सचेंजों की सूचीयन अपेक्षाओं को पूरा करती हैं, उन्हें बड़े एक्सचेंजों में अंतरण करने की अनुमति दी जाए।

(घ) और (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुविज्ञ, वित्तीय रूप से सक्षम और पूरी तरह जांचे-परखे निवेशक, जिनके पास कतिपय जोखिम ग्रहण सक्षमता है, ही किसी

विद्यमान एक्सचेंज के ऐसे प्लेटफार्म/एक्सचेंज में भाग लें, चर्चा पत्र में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में न्यूनतम 1 लाख रुपए की आवेदन राशि और द्वितीयक बाजार में न्यूनतम 1 लाख रुपए में व्यापारित लॉट का निर्धारण किया गया है।

अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आबंटन

1154. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 10 किलोग्राम निःशुल्क चावल वितरित करने के संबंध में अनेक राज्यों को केंद्रीय सहायता देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) जिसमें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा शामिल है, के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में संयुक्त आबंटन के रूप में रिलीज की जाती है। राज्यों को एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन लोचशीलता अपनाने की छूट दी गई है। 2008-09 के दौरान एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत अब तक 173487 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं।

[हिन्दी]

जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा

1155. श्री सुभाष महरिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वित्तीय संस्थाओं में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कोई विशेष कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम छोटे जमाकर्ताओं को भी बीमा सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि लघु निवेशकों का देश की बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास बना रहे। निक्षेप बीमा देश के सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है और निक्षेप बीमा योजना में भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित स्थानीय बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं गैर-सरकारी बैंक (विदेशी निजी बैंकों सहित) शामिल हैं।

किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन/पुनर्निर्माण/समामेलन होने की स्थिति में उस बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता एक लाख रु. तक की मौद्रिक उच्चतम सीमा तक उस बैंक की सभी शाखाओं में उसी अधिकार एवं उसी हैसियत से अपनी धारित जमा राशि की वापसी अदायगी का हकदार है। मार्च, 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार, पूर्णतः सुरक्षित जमा खाते, जमा खातों की कुल संख्या का 92.6 प्रतिशत थे।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास में अप्रवासी भारतीय तथा निजी संस्थाएं

1156. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास संबंधी परियोजनाओं में अप्रवासी भारतीयों तथा निजी संस्थाओं को शामिल कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) अप्रवासी भारतीयों को मंत्रालय के ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजनाओं में शामिल नहीं किया जाता है। लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्व-शासी निकाय है जो गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है, उसे बढ़ावा देता है तथा उसमें सहायता करता है। कपार्ट ने वर्ष 2007-08 में 759 परियोजनाओं के लिए

26.45 करोड़ रु. तथा वर्ष 2008-09 (सितंबर, 2008 तक) में 131 परियोजनाओं के लिए 10.42 करोड़ रु. रिलीज किए।

राजस्व हानि का बांटना

1157. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से कर तथा ईंधन में शुल्क कटौती के कारण हुई राजस्व हानि के एक भाग को वहन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। राज्य सरकारों ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (अ.प्रा.स.) के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को ईंधनों पर की गयी कर तथा शुल्कों की कटौती के कारण उनके द्वारा छोड़े गए राजस्व के एक भाग को वहन करने का अनुरोध किया था।

(ख) राज्यों ने अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से भारत सरकार को राज्यों को होने वाली संभावित हानि की कम से कम 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति करने का अनुरोध किया था जिसका जून, 2008 से मार्च, 2009 तक की दस माह की अवधि में 8000 करोड़ रुपये होने का अनुमान था। केन्द्रीय सरकार ने इस अनुरोध की जांच की थी और इसे न्यायसंगत नहीं पाया।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

1158. श्री किन्जरुपु येरननायडु:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिविल सेवाओं की तर्ज पर एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा प्रणाली आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने, संविधान के अनुच्छेद 312(3) के उपबंधों के अनुसार जिला न्यायाधीशों के काडर में एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने की सिफारिश की थी। उन्होंने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए सरकार के विचारार्थ व्यापक रूपरेखा का भी प्रस्ताव किया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करती थी कि सीधी भर्ती के लिए चयन राष्ट्रीय न्यायिक आयोग/यू.पी.एस.सी. द्वारा किया जाना चाहिए और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

2. इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार और टिप्पणियां मांगी गई है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत संयंत्रों के विस्थापित कर्मचारियों को रोजगार

1159. श्री टेकलाल महतो: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो ताप विद्युत संयंत्र दामोदर वैली कारपोरेशन तथा अन्य ताप विद्युत संयंत्रों के विस्थापित कर्मचारियों को अब तक रोजगार प्रदान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु एक विशेष अभियान आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) दामोदर वैली कारपोरेशन (डी.वी.सी.) ने सूचित

किया है कि अकुशल पदों में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर अनुकंपा वाले मामलों, अनियमित और अनुबंध श्रमिकों जैसे सूची में शामिल पात्र भूमिदाताओं को संबंधित परियोजनाओं में आमेलित किया जाता है। दामोदर वैली कारपोरेशन (डी.वी.सी.) की संबंधित परियोजनाओं में, सूची में शामिल पात्र भूमिदाताओं को रोजगार की स्थिति निम्नानुसार है:-

(i) बोकारो थर्मल पावर स्टेशन: सूची में शामिल सभी पात्र भूमिदाताओं को या तो रोजगार उपलब्ध कराया गया है अथवा रोजगार के बदले 3 लाख रुपए की राशि एकमुश्त प्रदान की गई है।

(ii) चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन और मेजिया थर्मल पावर स्टेशन: सभी पात्र और सूची में शामिल भूमिदाताओं को रोजगार प्रदान किया गया है।

(iii) दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन: सूची में शामिल अधिकांश भूमिदाताओं को या तो रोजगार उपलब्ध कराया गया है अथवा रोजगार के बदले 3 लाख रुपए की राशि एकमुश्त प्रदान की गई है। तथापि भूमिदाताओं के 18 मामले बचे हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार

1160. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री मधु गौड यास्खी:

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आए हैं जहां ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले (बी.पी.एल.) लोगों द्वारा रिश्वत दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त विषय पर सरकार, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) पिछले 2 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में दी जा रही रिश्वत की दो शिकायतें ग्रामीण विकास मंत्रालय के नोटिस में लाई गई हैं। प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का सार
1.	श्री संजय कुमार गुप्ता, बिहार विधान सभा के सदस्य, सिहोर, बिहार द्वारा 2-1-2006 को की गई शिकायत।	उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार राज्य के सिहोर जिले में आई.ए.वाई. के लाभार्थियों के चयन में काफी भ्रष्टाचार हुआ था।
2.	जून, 2006 को बिहार के वैशाली जिले के जलालपुर गंगती, गांव वालों से प्राप्त शिकायत।	उन्होने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के मुखिया ने प्रत्येक लाभार्थी से 5000 रु. की रिश्वत ली थी।

(ग) और (घ) ट्रांसपरेसी इंटरनेशनल इंडिया ने बी.पी.एल. परिवारों को संकेन्द्रित करते हुए टी.आई.आई. - सी.एम.एस. क्रप्शन स्टडी 2007 नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि ग्रामीण बी.पी.एल. परिवार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत देते हैं। तथापि, ऐसे ग्रामीण बी.पी.एल. परिवार जिन्होंने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत दी, का रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से

उल्लेख नहीं किया गया है।

(ङ) यदि ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता को मंत्रालय के नोटिस में लाया जाता है तो उस मामले को तत्काल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के साथ उठाया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो मंत्रालय के पैनल पर रखे गए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं को शिकायतों की जांच करने के लिए कहा जाता है।

[हिन्दी]

वनग्रामों का विकास

1161. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनग्रामों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) दसवीं योजना के दौरान, 2005-06 में वन ग्रामों के विकास हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। 2474 वन ग्राम/आवास, देश के 12 राज्यों में फैले हुए हैं तथा इन 12 राज्यों में 2413 वन ग्रामों को कवर करने वाले प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है तथा इस उद्देश्य हेतु 59856.26 लाख रुपए जारी किए गए हैं। 2005-06 से राज्यवार निधियों को जारी करने वाला विवरण संलग्न है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत मूलभूत सेवाओं और सुविधाओं अर्थात पहुंच मार्गों, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, वर्षा जल संग्रहण, पेयजल, स्वच्छता, समुदाय भवन आदि से संबंधित आधारभूत संरचनात्मक कार्यों और जीवन-निर्वाह से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन कार्य प्रारंभ किए गए हैं क्योंकि इन आवास स्थलों के निवासी राजस्व ग्रामों में उपलब्ध विकास से परंपरागत रूप से वंचित हैं।

प्रारंभ में इस कार्यक्रम को 10वीं योजना तक समाप्त होने की आशा थी, परंतु इन वन ग्रामों को पर्याप्त सुविधाएं देने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इसे 11वीं योजना की अवधि तक जारी रखा जा रहा है।

विवरण

वनग्रामों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त राज्य-वार निधि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	वन ग्रामों की कुल सं.	निर्मुक्त निधि				अब तक निर्मुक्त कुल निधि
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
1.	असम	499	4059.00	1817.42	0.00	4696.05	10572.47
2.	छत्तीसगढ़	425	4359.00	4161.37	1034.00	0.00	9554.37
3.	गुजरात	199	1979.00	1434.38	593.62	0.00	4007.00
4.	झारखंड	24	129.71	173.87	0.00	0.00	303.58
5.	मेघालय	23	0.00	390.71	0.00	0.00	390.71
6.	मध्य प्रदेश	893	6190.65	10472.42	2829.00	6502.50	25994.57
7.	मिजोरम	85	202.50	1317.5	190.00	435.00	2145.00
8.	उड़ीसा	20	157.14	133.46	0.00	180.00	470.60
9.	त्रिपुरा	62	0.00	930.00	0.00	558.00	1488.00
10.	उत्तराखंड	61	0.00	566.96	0.00	0.00	566.96
11.	उत्तर प्रदेश	13	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
12.	पश्चिम बंगाल	170	2104.00	699.00	0.00	1530.00	4333.00
	कुल	2474	19181.00	22097.09	4646.62	13931.55	59856.26

ग्राम विद्युतीकरण

1162. **श्री हंसराज गं. अहीर:**

श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में विद्युतीकरण में इसका अनुपात कितना है;

(ख) क्या सरकार को हाल में कुछ राज्य सरकारों से देश के दूरस्थ तथा जनजातीय ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के सृजन हेतु विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) यह अनुमान है कि अब तक संस्थापित विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 13450 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता के माध्यम से ग्रिड को आपूर्ति हेतु लगभग 31.7 बिलियन यूनिट बिजली का प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाएगा। यह विद्युत ऊर्जा ग्रिड को दी जाती है। वर्तमान में ग्रिड को दी जा रही अधिकांश बिजली, पारंपरिक प्रकार की है। तदनुसार विभिन्न उपयोगों के लिए इसका अनुवर्ती प्रयोग, जैसे कि ग्रामीण विद्युतीकरण, व्यवहार्य नहीं है। तथापि, दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण हेतु एक पृथक कार्यक्रम के अंतर्गत, मंत्रालय ने 8719 गांवों में रोशनी/आधारभूत बिजली की सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां और विकेन्द्रित लघु पनबिजली एवं बायोमास गैसीकरण प्रणालियां शामिल हैं।

(ख) और (ग) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय गांवों सहित पात्र दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवों और बस्तियों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से रोशनी/आधारभूत बिजली की सुविधाओं हेतु वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रस्तावों को सभी प्रकार से पूर्ण होने तथा दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुरूप होने पर बजट प्रावधानों के अध्यधीन, स्वीकृति दी जाती है। वर्ष 2007-08 के दौरान प्राप्त ऐसे प्रस्तावों और स्वीकृति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग की जाती है। ऐसी मॉनीटरिंग, कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले अधिकारियों द्वारा स्वयं अथवा अन्य स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा भी प्रतिष्ठित मानीटरिंग एजेंसियों के माध्यम से यादृच्छिक नमूना (रैंडम सैंपल) आधार पर कार्यक्रमों का समय-समय पर स्वतंत्र मानीटरिंग और मूल्यांकन किया जाता है।

विवरण

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृति का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	प्रस्ताव में सम्मिलित गांवों की संख्या
1	2	3
1.	असम	1485
2.	छत्तीसगढ़	36
3.	जम्मू-कश्मीर	27
4.	कर्नाटक	46
5.	केरल	49
6.	मध्य प्रदेश	75
7.	मणिपुर	14
8.	तमिलनाडु	32

1	2	3
9.	त्रिपुरा	205
10.	उत्तराखंड	23
	कुल	1992

[अनुवाद]

राजीव रत्न आवास योजना

1163. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजीव रत्न आवास योजना (आर.आर. ए.वाई.) के अंतर्गत धनराशि प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो आर.आर.ए. योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों में रहने वालों तथा शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए बहुमंजिला फ्लैटों हेतु पंजीकरण में राज्य-वार क्या प्रगति हुई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) भारत सरकार शहरी गरीबों को आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

माता-पिता को समान दर्जा

1164. **श्री बापू हरी चौरे:**
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बच्चे के पिता के नाम के साथ ही माता के नाम को लिखना अनिवार्य करने हेतु कानूनी उपबंध करने का है, जैसा कि दिनांक 19 सितंबर, 2008 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बैंकिंग प्रणाली हेतु धन उपलब्ध कराना

1165. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की बैंकिंग प्रणाली हेतु 84,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सब-प्राइम संकट की पृष्ठभूमि में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने भारत में बैंकों पर इसके प्रभाव का आकलन करने और आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए सितम्बर, 2007 के महीने में पन्द्रह प्रमुख बैंकों के साथ कई बैठकें कीं। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को निर्बाध और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने कुछ व्यवहार्य उपाय किए हैं जैसे-

(i) 11 अक्तूबर, 2008 से शुरू होने वाले पखवाड़े से बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 250 आधार बिन्दुओं की कमी करके उसे उनकी निवल मांग और सावधि देयताओं (एन.डी.टी.एल.) के 9.00% से 6.50% करना, और उसके द्वारा प्रणाली में अतिरिक्त चल निधि जारी करना,

(ii) बैंकों को अपने ग्राहकों को स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं के आहरण की अनुमति प्रदान करने और लघु एवं मझौले उद्यमों की देयराशियों के पुनर्निर्धारण पर विचार करने की अनुमति प्रदान करना,

(iii) दिनांक 17-9-2008 से बैंकों को उनके एन.डी.टी.एल. के 1% सीमा तक अतिरिक्त चल निधि सहायता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की,

(iv) बैंकों को म्यूचुअल फंडों की चल निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एस.एल.आर. प्रतिभूतियों के बदले उनके एन.डी.टी.एल. के 0.5% तक 9% वार्षिक की नियत दर पर विशेष पुनर्खरीद करना।

(v) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के तहत वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं को पहली किस्त के रूप में तत्काल 25,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करना,

(vi) दिनांक 15-10-2008 से एफ.सी.एन.आर. (बी) और एन.आर. (ई) आर.ए. जमाराशियों पर ब्याज दरों में वृद्धि की,

(vii) बैंकों को विद्यमान 25% सीमा की तुलना में उनकी विदेशी शाखाओं और समनुरूपी बैंकों से अपनी अक्षत टीयर-I पूंजी अथवा 10 मिलियन अमेरिकी डालर, जो भी उच्चतर हो, उधार लेने की अनुमति प्रदान की,

(viii) चलनिधि पर दबाब को कम करने और विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता बनाये रखने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 20-10-2008 से चलनिधि समायोजना सुविधा (एल.ए.एफ.) के तहत पुन:खरीद पर (रेपो रेट) को 100 आधार बिन्दु कम करके 8.0 प्रतिशत कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक सामने आने वाली चलनिधि परिस्थितियों के आलोक में, इन उपायों की निरंतर आधार पर समीक्षा करेगा तथा घरेलू वित्तीय स्थिरता पर बाधा पहुंचाने वाले किसी भी प्रतिकूल बाह्य घटनाक्रमों के प्रति यथा समय त्वरित प्रतिक्रिया करेगा।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में भारत-तुर्कमेनिस्तान सहयोग

1166. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और तुर्कमेनिस्तान ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इससे दोनों देशों को कितना लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सौर ऊर्जा उत्पादन

1167. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री एस. अजय कुमार:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश लगभग पांच ट्रिलियन किलोवाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम है, जैसा कि दिनांक 24 अगस्त, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने/लोकप्रिय बनाने हेतु एक सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को सौर ऊर्जा उत्पादन के संबंध में किसी देश से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री

(श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) देश के भूमि क्षेत्र पर सौर ऊर्जा आपतन की मात्रा लगभग पांच ट्रिलियन किलोवाट घंटा होती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में सौर ऊर्जा के संवर्धन पर स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। देश में कुल 4.02 लाख सौर घरेलू रोशनी, 6.7 लाख सौर लालटेन, 70,500 सौर सड़क रोशनी, 7148 सौर पंप, 5 मेवा.पी. के ऑफ ग्रिड तथा ग्रिड युक्त प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र, 2.45 मिलियन वर्ग मी. सौर संग्रहक क्षेत्र और 6.2 लाख सौर कुकर संस्थापित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा प्रणालियों से विद्युतीकरण/रोशनी के लिए लगभग 8,000 दूरस्थ गांवों तथा बस्तियों की सहायता की गई है। तथापि, इस समय सौर ऊर्जा प्रणालियों की उच्च आरंभिक लागत इनके बड़े पैमाने पर उपयोग में एक बाधा है।

(ग) और (घ) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में एक सौर मिशन की स्थापना करके देश में सौर ऊर्जा के विकास का प्रस्ताव किया गया है। इस सौर मिशन के विवरण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) और (च) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को अभी तक किसी देश से सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थाओं को आबंटन

1168. श्री हरिसिंह चावडा:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की पंचायती राज संस्थाओं को केन्द्रीय कोष से कुछ निर्धारित प्रतिशत आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

शेयर बाजार में पेंशन निधि का निवेश

1169. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न श्रमिक संघ शेयर बाजार में पेंशन निधियों का निवेश करने संबंधी कदम का विरोध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवार्षिता निधियों और उपदान निधियों को निवेश के लिए व्यापक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से जनवरी, 2005 में इन निधियों की निवेश पद्धति में संशोधन किया गया। इस निवेश पद्धति में उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करने का विकल्प दिया गया है जिनका कम से कम दो साख श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड ऋण श्रेणी निर्धारण किया गया हो। निवेश संबंधी निर्णय निधियों के न्यासियों द्वारा उनके जोखिम प्रतिलाभ तालमेल के मूल्यांकन के आधार पर लिए जाते हैं। इस मामले पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा विचार-विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि स्टॉक बाजार में कोई निवेश नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय ऊर्जा कोष

1170. श्री निखिल कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में विद्युत क्षेत्र में पारेषण और वितरण हानि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पारेषण और वितरण हानि को रोकने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों की सहायता के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय ऊर्जा कोष की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) वर्ष 2001-02 से पूर्व, यूटिलिटियां पारेषण एवं वितरण (टी व डी) हानियों की निगरानी किया करती थीं। सकल तकनीकी एवं वाणिज्यक (ए.टी. व सी.) हानि की अवधारणा 2001-02 में शुरू की गई थी। सकल, तकनीकी एवं वाणिज्यिक के अधिकार में हानि न केवल तकनीकी हानियां आती हैं बल्कि उठाईगीरी तथा खराब मीटरिंग और बिलिंग तथा बकाया की गैर वसूली के कारण होने वाली वाणिज्यिक हानियां भी शामिल हैं। विद्युत वित्त निगम द्वारा तैयार की गई वर्ष 2005-06 से 2006-07 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों की निष्पादन संबंधी प्रारूप रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य विद्युत यूटिलिटियों की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि विक्रय हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा का क्रमशः 34.82%, 35.18% तथा 33.07% थी।

(ग) और (घ) वित्त मंत्री (एफ.एम.) ने 29-02-2008 के अपने बजट भाषण में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के लिए 2008-09 में 800 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह पारेषण एवं वितरण (टी व डी) की खराब स्थिति ही है जो कि इस क्षेत्र में एक बाधा है और टी व डी में भारी, किन्तु मूल सुधारों से संबद्ध निवेश किए जाने की आवश्यकता है अतः वित्त मंत्री द्वारा पारेषण एवं वितरण सुधार हेतु राष्ट्रीय निधि के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय निधि के निर्माण हेतु बजट भाषण (2008-09) में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, नैशनल राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन.ई.एफ.) की स्थापना के विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के लिए सदस्य (विद्युत), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

आवास क्षेत्र में काला धन

1171. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने आवास क्षेत्र से काले धन के प्रचलन को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके निष्कर्ष क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहरी स्थानीय निकाय

1172. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के परियोजना कार्यान्वयन के संबंध में वित्तीय निष्पादन और क्षमताओं का आकलन करने का कार्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या शहरी स्थानीय निकाय यू.एल.बी. अब विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे ऋणदाता संस्थाओं से सीधे तौर पर निधियों को प्राप्त करने के पात्र होंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) चार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों नामतः इण्डियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लि. (आई.सी.आर.ए.), एफ.आई.टी.सी.एच. रेटिंग इण्डिया लि., क्रेडिट एनलिसिस एण्ड रिसर्च लि. (सी.ए. आर.आई.) तथा सी.आर.ई.एस.आई.एल. लि. को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत 69 शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। नगरों की क्रेडिट रेटिंग करने से उन्हें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से तथा म्यूनिसिपल बांड मार्केट से अन्य अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर निधियां प्राप्त करने में आसानी होगी।

(ख) और (ग) शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) विश्व

बैंक तथा एशिया विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय ऋण अदायगी संस्थाओं से सीधे ऋण नहीं ले सकते है। तथापि यू.एल.बी. संबंधित राज्य सरकार की अनुमति से इन संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। राज्य सरकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार से इस संबंध में पूर्व अनुमति लेनी होगी।

जनजातियों का विस्थापन

1173. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के वन क्षेत्रों में बाधों, नहरों के निर्माण, रक्षा संबंधी कार्यों और खनन के कारण कितने जनजातीय परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ख) कितने जनजातीय परिवारों का पुनर्वास किया गया है और इस संबंध में सरकार द्वारा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या सरकार ने शेष प्रभावित परिवारों का पुनर्वास करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) से (घ) संविधान के अंतर्गत "भूमि" राज्य का विषय है। अतः विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप, अनुसूचित जनजातियों सहित लोगों का विस्थापन होता है। अनुसूचित जनजातियों सहित विस्थापित लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो इसका नोडल मंत्रालय है, द्वारा अधिसूचित "राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति (एन.आर.आर.पी.) 2007" में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। तथापि, राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकरणों को एन.आर.आर.पी., 2007 में निर्धारित लाभों से अपेक्षाकृत अधिक लाभ स्तर प्रदान करने की छूट है और संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तदनुसार विस्थापित, पुनर्स्थापित और पुनः बसाए गए व्यक्तियों के दावों का तदनुसार निपटान करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय एन.आर.आर.पी. 2007 के प्रावधानों के अनुसार केवल राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सिंचाई/बाढ़ नियंत्रित परियोजनाओं की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास (आर एंड आर) योजना की मात्र क्लीयरेंस से संबंधित है और अनुसूचित जनजाति परियोजना के प्रभावित परिवारों से संबंधित है। ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसके तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विस्थापित/परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें।

कैंसर औषधियों पर आयात शुल्क

1174. श्री मधु गौड यास्खी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कैंसर औषधियों पर 35 प्रतिशत तक आयात शुल्क है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 2007 में जीवनरक्षक कैंसर औषधियों पर आयात शुल्क में छूट दी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को सीमा शुल्क सूची में अधिकांश कैंसर औषधियों को अधिसूचित करना है;

(ङ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(च) क्या इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वर्तमान समय में औषधियों और दवाओं पर 10% की दर से बुनियादी सीमा शुल्क, 8% की दर से उत्पाद शुल्क के बराबर समतुल्य शुल्क तथा राज्य/स्थानीय करों के एवज में 4% की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क लगता है। इसके अलावा ऐसी औषधियों पर कुल सीमा शुल्क के 3% की दर से शिक्षा उपकर भी लगाया जाता है। इस प्रकार कैंसर औषधियों सहित औषधियों और दवाओं पर कुल आयात शुल्क लगभग 24.55% है, जब तक उन पर कोई अन्य छूट नहीं हो।

(ग) और (घ) वर्ष 2007 में कैंसर औषधियों सहित किसी भी जीवन रक्षक औषधि को शुल्क मुक्त नहीं किया गया था। कैंसर औषधियों सहित विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों पर समय-समय पर सरकार द्वारा सीमा शुल्क छूट/सीमा शुल्क की रियायती दर प्रदान की जाती है और इसके लिए सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाता है जैसे, स्थानीय उपलब्धता, घरेलू उत्पादन, देश में ऐसी औषधियों की आवश्यकता, औषधि की सुरक्षा और प्रभावोत्पादकता, ऐसी औषधियां जीवन रक्षक प्रकृति की हैं अथवा नहीं, आदि।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एल.आई.सी. का निजीकरण

1175. श्री महावीर भगोरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) और अन्य बीमा कंपनियों का निजीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एल.आई.सी. के पास मौजूदा बाजार शेयरों में भारी गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम एल.आई.सी. ने सूचित किया है कि बाजार हिस्से में गिरावट बीमा उद्योग में नई बीमा कम्पनियों के प्रवेश करने का ही सहज परिणाम है। तथापि, एल.आई.सी. ने प्रथम प्रीमियम आय (एफ.पी.आई.) में सतत् वृद्धि दर्शायी है।

विगत तीन वर्षों की वृद्धि दर निम्नानुसार है:-

वर्ष	पालिसियों की संख्या	एफ.पी.आई.	वृद्धि दर	बाजार हिस्सा	
			एफ.पी.आई.	एफ.पी.आई.	एन.ओ.पी.
2005-06	31572547	18085.49	48.56	71.44	89.08
2006-07	38208575	39549.58	118.64	71.18	82.83
2007-08	37589995	43812.86	10.80	63.64	73.93
2008-09 (30-09-2008) तक	11933094	10909.51	-35.72	*	*

*आदिनांक अनुपलब्ध

एल.आई.सी. ने अपने बाजार-हिस्से में सुधार करने के लिए, विकास अधिकारियों की बड़ी संख्या में भर्ती, क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना, वरिष्ठ एवं अनुभवी अभिकर्ताओं के अधीन पर्यवेक्षी अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करने हेतु उनके लिए मुख्य जीवन बीमा एजेन्ट (सी.एल.आई.ए.) योजना का प्रारंभ, आदि जैसे उपाय शुरू किए हैं।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त डी.पी.आई.पी.

1176. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश के चुनिंदा प्रखंडों में जिला गरीबी पहल परियोजना (डी.पी.आई.पी.) का द्वितीय चरण शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) डी.पी.आई.पी. के दूसरे चरण की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) डी.पी.आई.पी. के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक द्वारा राज्य-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) आर्थिक कार्य विभाग द्वारा की गई जानकारी के अनुसार 2 डी.पी.आई.पी. चरण-II परियोजनाएं हैं जिनके लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी गई है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना परिव्यय	उद्देश्य	स्थिति
1.	मध्य प्रदेश जिला गरीबी पहल परियोजना-चरण-II	मध्य प्रदेश	5400 करोड़ रु. (अनुमानित)	ग्रामीण विकास	5-9-2007 को विश्व बैंक से 100 मिलियन अमरीकी डालर मांगे गए। वर्ल्ड बैंक प्रेपरेशन मिशन ने 17 से 27 जून, 2008 के दौरान राज्य का दौरा किया।
2.	राजस्थान जिला गरीबी पहल परियोजना-चरण-II	राजस्थान	825 करोड़ रु. (अनुमानित)	ग्रामीण विकास	25-7-2008 को विश्व बैंक से 600 करोड़ रु. मांगे गए।

शहरी अवसंरचना के लिए जे.बी.आई.सी. सहायता

1177. श्री भर्तृहरि महताब: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जे.बी.आई.सी.) देश में शहरी अवसंरचना के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराता रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जे.बी.आई.सी. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जे.बी.आई.सी. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड फेज-I परियोजना पूर्ण कर ली गई है और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना
1.	दिल्ली	(i) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. फेज-I
		(ii) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. फेज-II

क्र.सं.	राज्य	परियोजना
		(iii) दिल्ली मास रैपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम परियोजना, फेज-2 (iii)
2.	कर्नाटक	(i) बंगलौर मैट्रो रेल लि.
		(ii) बंगलौर जल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजना
		(iii) बंगलौर जल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजना-II
		(iv) बंगलौर वितरण उन्नयन परियोजना
3.	पश्चिम बंगाल	(i) कोलकाता मैट्रो रेल लि.
		(ii) कोलकाता कचरा प्रबंधन सुधार परियोजना (फेज-II)
4.	आन्ध्र प्रदेश	(i) हैदराबाद बाहरी रिंगरोड फेज-IIबी
		(ii) हुसैनसागर लेक और कैचमेन्ट एरिया सुधार परियोजना
		(iii) हैदराबाद में ट्रांसमिसन प्रणाली आधुनिकीकरण परियोजना
5.	पंजाब	अमृतसर नगर में जल आपूर्ति और सीवरेज और सीवेज शोधन
6.	उत्तर प्रदेश	(i) आगरा शहर में पेय जल आपूर्ति के लिए गंगा जल परियोजना
		(ii) गंगा कार्य योजना परियोजना (वाराणसी)
7.	उड़ीसा	उड़ीसा में भुवनेश्वर और कटक नगरों के लिए एकीकृत सीवरेज और सफाई परियोजना
8.	गोवा	गोवा के लिए जल और सफाई परियोजना
9.	केरल	तिरुअनन्तपुरम, कोजीखोड, पट्टुवम, मीनाड और समीपवर्ती गांवों के लिए केरल जल आपूर्ति परियोजना
10.	तमिलनाडु	शहरी अवस्थापना परियोजना

एस.जे.एस.आर.वाई.

1178. **श्री अजय चक्रवर्ती: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यकलापों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इससे राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) की स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कार्यकलाप और इसके तहत लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत राज्यवार, वर्षवार जारी धनराशियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत वर्षवार, राज्यवार वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2005-06			2006-07			2007-08		
		व्यक्तिगत/सामूहिक लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए शहरी गरीबों की संख्या	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम-सृजित कार्य दिवसों की संख्या (लाखों में)	व्यक्तिगत/सामूहिक लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए शहरी गरीबों की संख्या	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम-सृजित कार्य दिवसों की संख्या (लाखों में)	व्यक्तिगत/सामूहिक लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए शहरी गरीबों की संख्या	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम-सृजित कार्य दिवसों की संख्या (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	5887	11613	0.00	2195	4945	0.11	16436	27599	5.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	36	100	2.59	23	3	0.00	0	0	0.07
3.	असम	0	2085	0.63	1305	0	0.26	30	102	1.89
4.	बिहार	0	0	0.00	8315	31	26.11	0	0	0.00
5.	छत्तीसगढ़	2155	602	0.38	2814	6203	0.63	3910	3247	0.77
6.	गोवा	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
7.	गुजरात	4892	2776	0.12	8339	4171	1.44	8707	11283	0.58
8.	हरियाणा		7985	0.69	4413	6226	0.61	4427	6638	0.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	हिमाचल प्रदेश	89	394	0.06	370	962	0.00	166	243	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	918	5165	0.00	350	0	0.38	488	1347	0.90
11.	झारखण्ड	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
12.	कर्नाटक	3451	1241	0.58	7359	5084	6.68	13955	11502	11.47
13.	केरल	3847	4527	0.53	4420	4908	1.21	3432	3982	0.16
14.	मध्य प्रदेश	9187	19645	0.52	10200	39078	2.60	17043	14200	4.91
15.	महाराष्ट्र	20611	20140	2.77	21422	31436	0.76	42370	78002	5.02
16.	मणिपुर	0	0	2.47	0	628	0.76	6	1256	0.37
17.	मेघालय	0	0	0.00	0	0	0.00	144	1692	0.76
18.	मिजोरम	48	1346	22.36	0	1906	1.44	0	2149	1.84
19.	नागालैण्ड	0	333	0.53	520	18	0.00	255	255	0.47
20.	उड़ीसा	8375	1703	0.00	7671	5770	0.78	9719	7657	0.78
21.	पंजाब	17	597	0.01	0	1185	0.15	0	1315	0.32
22.	राजस्थान	6643	3340	0.16	9301	6036	0.82	8832	4645	0.96
23.	सिक्किम	44	118	0.00	0	0	0.00	71	350	0.19
24.	तमिलनाडु	7433	19920	0.00	21574	12763	20.51	13026	8193	0.78
25.	त्रिपुरा	578	4253	0.48	1286	1728	0.17	655	4316	0.24
26.	उत्तरांचल	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

27.	उत्तर प्रदेश	11789	24255	4.69	18880	31997	9.99	26080	54869	5.20
28.	पश्चिम बंगाल	5349	3986	1.46	4859	876	6.38	9468	1547	0.38
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	0	0.62	21	0	0.00	53	0	0.00
30.	चंडीगढ़	24	794	0.00	36	937	0.00	30	745	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
32.	दमन और द्वीव	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
33.	दिल्ली	624	775	0.00	107	230	0.00	1297	250	0.00
34.	पांडिचेरी	2738	4400	1.83	398	263	0.43	450	880	0.86
	योग	94741	142073	43.48	136178	167364	82.209	181050	248264	45.385

विवरण-II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान राज्यवार व वर्षवार जारी केन्द्रीय धन राशियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2005-2006 जारी केन्द्रीय निधियां	2006-2007 जारी केन्द्रीय निधियां	2007-2008 जारी केन्द्रीय निधियां
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1526.17	2295.94	2058.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	46.68	148.64
3.	असम	0.00	368.27	1974.81
4.	बिहार	681.66	586.83	1225.54
5.	छत्तीसगढ़	405.67	698.46	741.48
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	894.65	958.18
8.	हरियाणा	681.12	571.67	553.03
9.	हिमाचल प्रदेश	45.36	9.24	7.69
10.	जम्मू-कश्मीर	9.06	849.38	105.86
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	480.90
12.	कर्नाटक	822.99	1416.98	2410.37
13.	केरल	681.26	639.22	629.74
14.	मध्य प्रदेश	1596.76	2388.35	3120.18
15.	महाराष्ट्र	2552.92	3776.34	5944.50
16.	मणिपुर	111.39	0.00	297.28
17.	मेघालय	0.00	97.65	254.81
18.	मिजोरम	351.90	533.40	233.58
19.	नागालैण्ड	194.51	145.23	191.11
20.	उड़ीसा	469.86	806.97	1099.33

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	39.68	135.71	159.24
22.	राजस्थान	495.38	852.93	1832.21
23.	सिक्किम	0.00	10.38	115.77
24.	तमिलनाडु	924.36	1891.51	2650.59
25.	त्रिपुरा	0.00	127.08	297.28
26.	उत्तरांचल	309.14	93.96	350.61
27.	उत्तर प्रदेश	3071.43	4566.49	4545.23
28.	पश्चिम बंगाल	617.47	1063.13	1205.19
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	0.00	0.00	100.00
	कुल	15588.09	24868.45	33691.56

[हिन्दी]

ट्राईफेड

1179. श्री रामदास आठवले: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) ने जनजातियों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए कोई सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जनजातियों को अपने उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) जनजातीय उत्पादों के निम्न प्रकार से विपणन विकास से जुड़े हैं।

(1) ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों से जनजातीय उत्पादों का क्रय करता है। जनजातीय स्वयं सहायक समूह (एस.एच.जी.) संगठन जनजातीय लोगों इत्यादि के साथ कार्य करते हैं तथा ट्राइफेड इन उत्पादों को देशभर में स्थित 35 खुदरा विक्रय केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से बेचता है।

(2) ट्राइफेड ने दिल्ली हॉट, पीतमपुरा, दिल्ली में दीर्घावधि पट्टे पर आठ स्टॉल लिए हैं तथा विभिन्न राज्यों से जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने हेतु बारी-बारी से यहां बुलाया जाता है। उन्हें यातायात तथा ठहरने हेतु निःशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं।

(3) ट्राइफेड प्रत्येक जनजातीय व्यक्ति तक उनकी कला

तथा हस्तशिल्प मदों को संसाधित करने के अपने प्रयास में जनजातीय कारीगर मेलों का आयोजन करता है। इन्हें राज्य/जिला स्तर पर आयोजित किया जाता है। ट्राइफेड के वाणिज्यिक दल इन मेलों का दौरा करते हैं ताकि उनके उत्पाद मदों को संसाधित कर सकें तथा उन उत्पादों को और अधिक विपणनीय बनाने हेतु उन्हें जानकारी देता है।

(4) ट्राइफेड राष्ट्रीय जनजातीय कला एक्सपो (जिसे आदिशिल्प कहा जाता है) का आयोजन करता रहा है, जिसके माध्यम से जनजातीय कारीगरों को अपनी कला तथा उत्पादों के प्रदर्शन हेतु स्थान उपलब्ध कराता है।

(5) ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों के साथ ऐसे प्रदर्शनियों/शिल्प मेलों में भी भाग लेता है जो पूरे देश में कहीं भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं तथा वहां वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं और उनका विक्रय करते हैं।

(6) ट्राइफेड हस्तशिल्प उत्पादों हेतु कौशल उन्नयन एवं डिजाइन विकास प्रशिक्षण भी देता है तथा मधु एवं गम कराया जैसे लघु वन उत्पादों को एकत्रित करने वाले जनजातियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण देता है। इन प्रशिक्षणों से जनजातीय कारीगरों को गुणवत्तापूर्ण अपने उत्पाद तैयार करने में सहायता मिलती है जिसके बदले संपोषणीय आधार पर उन्हें पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त होता है।

(ग) भारत सरकार "जनजातीय उत्पाद/उपज के विपणन विकास" नामक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत ट्राइफेड को निम्नांकित चार प्रमुख गतिविधियों हेतु सहायता अनुदान देता रहा है ताकि जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पादों हेतु पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त हो सकें।

(1) खुदरा विपणन विकास गतिविधि

(2) लघु वन उत्पाद विपणन विकास गतिविधि

(3) अनुसूचित जनजाति कारीगरों तथा लघु विकास संग्राहकों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन तथा क्षमता निर्माण

(4) अनुसंधान एवं विकास/बौधिक संपदा अधिकार गतिविधियां

[अनुवाद]

छोटे और मध्यम उद्यमियों को सहायता

1180. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री अमिताभ नन्दी:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकों के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमियों (एस.एम.ई.) की उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छोटे और मध्यम उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाने वाला ऋण औद्योगिक क्षेत्र को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण की तुलना में काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया है कि बैंक छोटे और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सुविधाओं से पूर्णरूप से युक्त नहीं हैं और उन्हें बैंकों द्वारा समुचित रूप से वित्तपोषित नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में छोटे और मध्यम उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए बैंककारी मानदंडों को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र सहित व्यावसायिक संगठनों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उपलब्ध सामान्य ऋण सुविधाओं के अतिरिक्त, सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा लघु और मध्यम उद्यमों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) द्वारा गारंटीशुदा, प्रति उधारकर्ता 50 लाख रु. की अधिकतम सीमा तक, विशेष संपार्श्विक रहित और अन्य पक्ष/गारंटी रहित, ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान

बैंकों द्वारा औद्योगिक और लघु एवं मध्यम उद्यम (एस.एम.ई.) क्षेत्र को प्रदान किए गए ऋण की मात्रा नीचे दी गई है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निम्नलिखित क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल ऋण	
	एस.एम.ई. क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र
2005	68000	438503
2006	82434	556357
2007	127322	731157

(घ) और (ङ) "उभरते मुद्दे और चुनौतियां" के बारे में, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में मुद्रा और वित्त से संबंधित रिपोर्ट 2006-08 (खण्ड-II) में, भारतीय रिजर्व बैंक ने टिप्पणी की है कि एस.एम.ई. को ऋण प्रदान करने में बैंकों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों मुख्य रूप से अनौपचारिक अपारदर्शिता और ऋण के पूर्ववृत्त के अभाव की वजह से उत्पन्न होती हैं। बड़े निगमों के विपरीत, छोटे व्यवसाय विशिष्ट रूप से सूचना की दृष्टि से काफी अधिक अपारदर्शी होते हैं, क्योंकि उनके पास नियमित आधार पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना देने के लिए प्रमाणित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण नहीं होते हैं। साथ ही, इन फर्मों के पास सामान्यतया प्रचार द्वारा की गई व्यापारिक इक्विटी या ऋण नहीं होते है जिनसे कोई बाजार मूल्य या सार्वजनिक रेटिंग नहीं प्राप्त होती है जिससे उनकी गुणवत्ता का पता चल सके..."एस.एम.ई. ऋणों में कम वृद्धि के लिए बैंकों द्वारा प्रायः बताए गए अन्य कारण ये हैं (i) अपंजीकृत उद्यमों की अधिक संख्या, जिनके लिए भिन्न उधार और जोखिम प्रबंधन तकनीकें, प्रक्रियायें और क्षमताएं अपेक्षित होती हैं; (ii) चल संपत्तियों के समनुदेशन और पंजीकरण को विनमित करने के लिए प्रतिभूत लेन-देन कानून का अभाव और (iii) संपत्ति के पंजीकरण और संविदाओं के प्रवर्तन की कठिनाई और अधिक लागत।"

(च) भारत सरकार ने, 10 अगस्त, 2005 को संसद में एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को एस.एम.ई. क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में प्रतिवर्ष न्यूनतम 20% की वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से एस.एम.ई. को निधियां प्रदान करने के लिए स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करने का परामर्श दिया गया था। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने परिचालन संबंधी परस्पर सम्मत तौर तरीकों के आधार पर एस.एम.ई. के सह वित्तपोषण के लिए बैंकों को अपनी शाखाओं और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की है। एस.एम.ई. क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के उन्नयन के लिए ऋण से सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी योजना में संशोधन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा क्रेडिट रेटिंग योजना की शुरुआत और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एस.एम.ई. रेटिंग एजेंसी की स्थापना करना, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कुछ अन्य उपाय हैं। इसके अलावा, एस.एम.ई. क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है। वर्ष 2008-09 की बजट घोषणा के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को एम.एस.एम.ई. (पुनर्वित्त) विधि के लिए 1600 करोड़ रु. और एम.एस.एम.ई. (जोखिम पूंजी) निधि के लिए 1000 करोड़ रु. आवंटित किए हैं।

बैंकों द्वारा संस्वीकृत ऋण

1181. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बीज) द्वारा राज्य-वार और बैंक-वार कितना ऋण संस्वीकृत किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा किसानों को राज्य-वार और बैंक-वार कितना प्रतिशत और कितनी मात्रा में ऋण संवितरित किया गया और किसानों द्वारा कितना ऋण वापिस किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के लिए सकल बकाया अग्रिम एवं कुल बकाया कृषि ऋण संबंधी बैंक-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गये हैं। इनमें कुल बकाया अग्रिम के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया कृषि ऋण संबंधी आंकड़े भी हैं। किसानों द्वारा वापस की गई धनराशि सहित किसानों को संवितरित ऋण की बैंक-वार एवं राज्य-वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आंकड़े कुल बकाया अग्रिम

(राशि करोड़ रु. में)

बैंक का नाम	मार्च, 2006			मार्च, 2007			मार्च, 2008		
	कुल बकाया कृषि ऋण	कुल सकल अग्रिम	कुल सकल अग्रिम के % के रूप में कृषि ऋण	कुल बकाया कृषि ऋण	कुल सकल अग्रिम		कुल बकाया कृषि ऋण	कुल सकल अग्रिम	
	ए	बी	सी=100*ए/बी	डी	ई	एफ=100* डी/ई	जी	एच	आई=100* जी/एच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
इलाहाबाद बैंक	5725	30061	19.04	7986	41914	19.05	9146	50152	18.24
आन्ध्रा बैंक	3810	22481	16.95	4975	28233	17.62	6156	34556	17.82
बैंक ऑफ बड़ौदा	6624	51685	12.82	9976	68236	14.62	11940	85352	13.99
बैंक ऑफ इंडिया	8379	54023	15.51	10664	69411	15.36	12689	91388	13.89
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2750	17075	16.10	3588	23461	15.29	4936	29797	16.57
केनरा बैंक	10474	79735	13.14	15521	98172	15.81	17996	106223	16.94
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6967	37800	18.43	7861	51989	15.12	10681	72562	14.72
कारपोरेशन बैंक	1743	24423	7.14	2325	30422	7.64	3228	39664	8.14

देना बैंक	2378	14527	16.37	3125	18258	17.12	2765	23181	11.93
आई.डी.बी.आई. बैंक लि.	1050	53419	1.97	1208	62831	1.92	2769	82632	3.35
इंडियन बैंक	4249	21627	19.65	5761	28141	20.47	6294	38204	16.47
इंडियन ओवरसीज बैंक	5954	33714	17.66	8099	45107	17.96	8689	57260	15.17
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	3583	35549	10.08	4740	45395	10.44	6021	55327	10.88
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1558	9800	15.89	2424	11948	20.29	2371	18409	12.88
पंजाब नेशनल बैंक	12418	76501	16.23	15206	98206	15.48	16522	120932	13.66
सिंडिकेट बैंक	5339	33247	16.06	7238	47233	15.32	9037	59188	15.27
यूको बैंक	4922	35543	13.85	6153	43338	14.20	7998	51129	15.64
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	7182	54644	13.14	9618	63658	15.11	9772	75879	12.88
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1710	15963	10.71	1995	22640	8.81	2465	28152	8.76
विजया बैंक	2456	17062	14.39	3029	24644	12.29	3959	32019	12.37
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	2889	16096	17.95	3765	20766	18.13	4493	25304	17.76
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2879	21141	13.62	3799	28299	13.42	5290	35901	14.73
भारतीय स्टेट बैंक	25872	240458	10.76	33857	303937	11.14	42613	365985	11.64
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2131	12022	17.73	2645	15487	17.08	3018	18356	16.44
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1658	12063	13.74	2181	16783	13.00	2911	21305	13.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3128	22503	13.90	3643	29077	12.53	4585	36724	12.48
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1268	8513	14.90	1931	11132	17.35	2190	12309	17.79
स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर	1801	19197	9.38	2561	25059	10.22	3266	28440	11.48
कुल (सरकारी क्षेत्र के बैंक)	140895	1070872	13.16	185873	1373777	13.53	223801	1696333	13.19

आंकड़ा स्रोत: स्थलेतर विवरणियां (घरेलू, गैर-लेखा परीक्षित एवं अनान्दय)

पूर्वोत्तर औद्योगिक तकनीकी परामर्श संगठन

1182. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.बी.आई. आई.डी.बी.आई. तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित पूर्वोत्तर औद्योगिक परामर्श संगठन के व्यावसायिक कार्यकलाप संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इसके पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी हां। आई.डी.बी.आई. बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदात्री संगठन (एन.ई.आई.टी.सी.ओ.) को मुख्यतया पूर्वोत्तर क्षेत्र के बहुत धीमी गति से औद्योगीकरण होने से उनकी सेवाओं के लिए अवसरों की कमी होने के कारण तथा विभिन्न अन्य कारणों से 1996 के बाद हानियां होनी शुरू हो गई थी। आई.डी.बी.आई. ने एन.ई.आई.टी.सी.ओ. की लाभप्रदता संबंधी अध्ययन करने के लिए वर्ष 2002 में परामर्शदाता के रूप में मुरे रोलैंड कन्सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया था जिन्होंने इसे समाप्त करने के लिए कहा था क्योंकि इसकी दीर्घकालिक अर्थक्षमता समाप्त हो चुकी थी। आई.डी.बी.आई. ने आई.सी.आई.सी.ओ. बैंक लिमिटेड तथा आई.एफ.सी.आई. लिमिटेड के परामर्श से एक स्थिति-पत्र तैयार किया था जिन्होंने एन.ई.आई.टी.सी.ओ. को व्यय एवं कार्य की आवृति को कम करने और कारगर रूप से कार्यनिष्पादन करने के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक परामर्शदाता लिमिटेड (एन.ई.सी.ओ.एन.) में विलय करने की सिफारिश की थी। तथापि एन.ई.सी.ओ.एफ. के बोर्ड ने यह निर्णय किया कि विलय व्यवहार्य नहीं है। तत्पश्चात्, भारत सरकार के अनुमोदन से, आई.डी.बी.आई. द्वारा पूर्वोत्तर परिषद को एन.ई.आई.टी.सी.ओ. का प्रबन्धन-नियंत्रण एवं परिचालन अपने अधिकार में लेने का अनुरोध कर दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम, 2006

1183. श्री एल. राजगोपाल:

श्री ई. दयाकर राव:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वनों में रह रहे अनुसूचित जनजातियों तथा वन में रहने वाले अन्य लोगों को वन अधिकारों की मान्यता तथा उन्हें यह अधिकार प्रदान करने हेतु समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को मनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित समितियों का गठन किया है और अधिनियम के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों में प्रगति की है :

राज्य: आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल,

संघ राज्य क्षेत्र: दादरा और नगर हवेली

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ अधिनियम के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करते हुए परस्पर बातचीत करता रहा है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और मंत्रालय के अधिकारी भी कार्यान्वयन की गति का मूल्यांकन और दिशानिर्देश देने हेतु राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

एल.आई.सी. और नोमुरा के बीच समझौता ज्ञापन

1184. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने संबंधों का विस्तार करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जापानी वित्तीय सेवा के नोमुरा ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जैसाकि दिनांक 6 जुलाई, 2008 के "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निबंधन और शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने सूचित किया है कि उन्होंने 30 जून, 2008 को एल.आई.सी. म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी सहित नोमुरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ छः महीने के लिए त्रिपक्षीय, गैर-बाध्यकारी, अनन्य एवं गोपनीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) इस समझौता ज्ञापन का प्रयोजन आस्ति प्रबंधन मंच बनाने के लिए अनुकूल साझेदारी हेतु तरीका ढूंढना है, ताकि भारतीय वित्तीय सेवा परिदृश्य द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण अवसरों का अनुसरण किया जा सके।

किराए के माध्यम से एल.आई.सी. की आय

1185. श्री जुएल ओराम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के स्वामित्व में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने भवन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन भवनों को किराए पर देने से एल.आई.सी. को कितनी आय हुई;

(ग) क्या इनमें से कुछ भवनों के किराए में पिछले काफी समय से संशोधन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के स्वामित्व में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार भवनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (दिनांक 30-09-2008 तक) के दौरान इन भवनों को किराए पर देने से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित आय इस प्रकार है :-

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (30-9-08 तक)
किराए से प्राप्त आय (रु. करोड़ में)	143.13	155.99	182.31	51.05

(ग) और (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम, किराएदारों द्वारा स्थानीय किराया नियंत्रण कानूनों की शरण लेने, एल.आई.सी. द्वारा प्रस्तावित किराए में संशोधन के विरुद्ध किराएदारों द्वारा आरंभ किए गए मुकदमों और कई सरकारी विभागों के संबंध में किराया संशोधन लंबित हैं क्योंकि सरकारी विभाग के.लो.नि.वि./लो.नि.वि. द्वारा निर्धारित किराया अदा करते हैं, जैसे कारणों से अपने कुछ भवनों के किराए में संशोधन नहीं कर सकी है।

विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वामित्व वाले राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार भवन

क्रम संख्या	राज्य	भवनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	135
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	36
4.	बिहार	17
5.	छत्तीसगढ़	32
6.	गोवा	16
7.	गुजरात	74

1	2	3
8.	हरियाणा	18
9.	हिमाचल प्रदेश	38
10.	जम्मू-कश्मीर	2
11.	झारखण्ड	19
12.	कर्नाटक	118
13.	केरल	65
14.	मध्य प्रदेश	119
15.	महाराष्ट्र	246
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	0
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैण्ड	0
20.	उड़ीसा	59
21.	पंजाब	32
22.	राजस्थान	108
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	129
25.	त्रिपुरा	0
26.	उत्तराखण्ड	19
27.	उत्तर प्रदेश	114
28.	पश्चिम बंगाल	125
	कुल	1521
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
2.	चंडीगढ़	19
3.	दिल्ली	65
4.	दादरा एवं नगर हवेली	0
5.	दमन एवं दीव	0
6.	लक्षद्वीप	0
7.	पुदुच्चेरी	1
	कुल	86

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रशिक्षण संस्थान

1186. **श्री अनन्त नायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित संस्थानों का बैंक-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने हेतु मानदण्ड क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों द्वारा लिये जाने वाला शुल्क

1187. **श्री बची सिंह रावत "बचदा":** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने उपभोक्ताओं से उनके अपने खाते अथवा किसी अन्य शाखा के खाते में उनके द्वारा चैक/नगद धनराशि जमा कराने पर शुल्क ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह शुल्क कब से लिया जा रहा है;

(घ) क्या बैंकों ने उक्त शुल्कों के बारे में अपने उपभोक्ताओं को अवगत कराया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय

में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) ने सूचित किया है कि आम तौर पर, बैंक ग्राहकों से अपने खाते में पैसा जमा करने के लिए शुल्क नहीं लेते हैं। तथापि, कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड बिलों के लिए नगद भुगतान हेतु प्रभार लेते हैं।

(ग) से (ङ) सामान्यतया ये शुल्क नगदी प्राप्त करते समय लिए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपने ग्राहक का किराए अथवा प्रभारों में परिवर्तन के बारे में एक महीने पहले सूचित करना अपेक्षित होता है।

[हिन्दी]

आई.आर.ई.डी.ए. द्वारा ऋण दिया जाना

1188. श्री अजीत जोगी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आई.आर.ई.डी.ए.) राज्यों को देश में गैर-परंपरागत ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु ऋण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य को ऋण की कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान किसी राज्य ने ऋण वापस करने में चूक की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) राज्य सरकार विभागों को ऋण उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि, पात्र परियोजना प्रमोटरों/विकासकर्त्ताओं को अक्षय ऊर्जा/ऊर्जा संरक्षण परियोजना स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष यथा 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (दिनांक 30-9-2008 तक) के दौरान इरेडा द्वारा प्रमोटरों/विकासकर्त्ताओं को संवितरित ऋणों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) इरेडा द्वारा कुछ उधारकर्त्ताओं को मंजूर किए गए ऋण, गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियां (एन.पी.ए.) बन गए हैं। दिनांक 31-3-2008 के अनुसार गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) इरेडा ने ऋण वसूली के लिए बकायादारों के विरुद्ध कई कदम उठाए हैं जिनमें प्रत्याह्वान नोटिस भेजना, ऋण वसूली अधिकरण और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष मामला दायर करना और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन कदम उठाना शामिल है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इरेडा द्वारा संवितरित ऋण के राज्यवार ब्यौरे
(दिनांक 30-9-2008 के अनुसार)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09(*)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	37.49	6.01	25.21	8.34
2.	छत्तीसगढ	35.72	21.56	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	गोवा	0.00	0.00	0.13	0.00
4.	गुजरात	0.00	3.99	77.75	0.00
5.	हरियाणा	0.40	0.00	0.00	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	27.30	37.74	46.99	1.03
7.	कर्नाटक	115.87	86.69	118.00	76.25
8.	मध्य प्रदेश	0.65	0.87	0.00	20.79
9.	महाराष्ट्र	26.04	162.45	137.41	7.09
10.	नागालैंड	0.04	0.07	0.00	0.00
11.	उड़ीसा	28.37	31.75	14.22	3.02
12.	पंजाब	4.13	0.51	0.00	0.00
13.	राजस्थान	2.34	41.14	1.00	6.00
14.	तमिलनाडु	20.19	17.15	17.30	1.80
15.	उत्तर प्रदेश	0.44	0.40	68.30	0.00
16.	उत्तराखंड	0.00	0.00	46.79	36.57
17.	पश्चिम बंगाल	3.53	0.54	0.54	0.00
	कुल	302.51	410.87	553.64	160.89

(*) 30-9-2008 के अनुसार

विवरण-II

दिनांक 31-3-2008 के अनुसार गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों (एन.पी.ए.) के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य	एन.पी.ए.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	130.70
2.	असम	0.001
3.	बिहार	0.03
4.	छत्तीसगढ़	3.24
5.	गुजरात	0.01
6.	हिमाचल प्रदेश	0.001
7.	कर्नाटक	61.64
8.	केरल	8.90
9.	मध्य प्रदेश	0.33

1	2	3
10.	महाराष्ट्र	78.59
11.	नागालैंड	0.66
12.	उड़ीसा	47.07
13.	तमिलनाडु	73.46
14.	उत्तर प्रदेश	0.002
15.	पश्चिम बंगाल	9.65
16.	दिल्ली	1.63
	कुल	415.914

[अनुवाद]

एन.आर.ई.जी.एस. का मूल्यांकन

1189. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आई.आई.एम.) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के प्रभाव का मूल्यांकन कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिनांक 01-08-2008 को एन.आर.ई.जी.ए. को व्यावसायिक सहायता संबंधी एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें आई.आई.टी. (आई.आई.टी., मुंबई, आई.आई.टी., रुड़की, आई.आई.टी., दिल्ली एवं आई.आई.टी., खड़गपुर); आई.आई.एम. (आई.आई.एम., अहमदाबाद, आई.आई.एम., कोलकाता एवं आई.आई.एम., शिलांग); कृषि विश्वविद्यालयों तथा संपूर्ण भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन का उद्देश्य एन.आर.ई.जी.ए. के कार्यान्वयन के साथ व्यावसायिक संस्थाओं को विविध क्रियाकलापों जैसे परिचर्चाओं, संगोष्ठियों, शोध, कार्य अनुसंधान अंतःशिक्षण, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, निगरानी एवं मूल्यांकन के माध्यम से शामिल करना था। अब तक कोई भी प्रस्ताव आई.आई.टी. एवं आई.आई.एम. से प्राप्त नहीं हुआ है, जिनके प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया था।

[हिन्दी]

ऋण की वसूली संबंधी मानदण्डों में छूट

1190. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों की वसूली में कतिपय उपभोक्ताओं को छूट दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अपनाए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में गैर-कृषि ऋणों पर दी गई छूट का राज्य-वार तथा बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि एकबारगी निपटान योजना के संबंध में, जनवरी, 2003 से कोई नए दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। एकबारगी निपटान के संबंध में जारी दिशानिर्देशों को, 18 दिसम्बर, 2006 के परिपत्र के तहत वापिस ले लिया गया था। तथापि, बैंकों को, दिनांक 28 जुलाई, 1995 के परिपत्र के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों को समझौते अथवा बातचीत द्वारा निपटान की अनुमति दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित, डाटा-बेस द्वारा गैर-कृषि ऋणों को दी गई छूट के संबंध में जानकारी नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

नई पेंशन योजना

1191. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई पेंशन योजना की शुरुआत से कुल कितनी धनराशि जमा हुई है तथा उस पर कितना ब्याज मिला;

(ख) इस कायिक निधि के प्रबंधन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अंशदाताओं को क्या लाभ उपलब्ध हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 19-10-2008 की स्थिति के अनुसार नई पेंशन प्रणाली न्यास को अन्तरित कुल राशि जिसमें 1 जनवरी, 2004 से नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के तहत शामिल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संचित अंशदानों को दर्शाया गया है, लगभग 1545.94 करोड़ रुपए है।

(ख) 1-4-2008 से एन.पी.एस. के तहत संचयनों का प्रबंध पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए तीन पेंशन निधि प्रबंधकों नामतः एस.बी.आई. पेंशन फंड प्रा. लि., एल.आई.सी. पेंशन फंड प्रा. लि. और यू.टी.आई. रिटायरमेंट साल्युशंस लि., द्वारा किया जा रहा है। ये पेंशन निधि कंपनियां हैं जिन्हें उनके प्रायोजकों अर्थात् क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट न्यास आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित किया गया है।

इन पेंशन निधियों द्वारा नई पेंशन योजना की निधियों का निवेश सरकार द्वारा गैर-भविष्य निधि, अधिवार्षिता निधि और उपदान निधि के संबंध में जारी किए गए निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देशित होता है।

(ग) एन.पी.एस. अभिदाता अधिवर्षिता की आयु पूरी करने/सेवा छोड़ने पर अपने एन.पी.एस. खाते में संचित अंशदानों की कुल राशि (सरकार का अंशदान जमा कर्मचारी का अंशदान) उन पर प्राप्त प्रतिलाभों सहित प्राप्त करने का हकदार होंगे। अधिवर्षिता/सेवा छोड़ने पर अभिदाताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने संचित पेंशन धन की 40 प्रतिशत रकम बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित जीवन बीमा कंपनी से वार्षिकी की खरीद करने में निवेश करें।

कामकाजी महिला होस्टल

1192. श्री हितेन बर्मन: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कामकाजी महिला होस्टलों की राज्य-वार तथा स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य-वार कितनी सहायता जारी की गई;

(ग) क्या देश में नए होस्टल स्थापित किए जाने हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) देश में कामकाजी महिला होस्टलों की राज्य-वार संख्या मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा वैबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) कामकाजी महिला होस्टल/स्कीम के अंतर्गत होस्टल भवन के निर्माणार्थ वित्तीय सहायता सीधे आवेदक संगठन को दी जाती है और किसी राज्य सरकार को कोई अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) नए होस्टल खोलना राज्य सरकार द्वारा विधिवत् संस्तुत व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर करता है।

न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी

1193. श्री उदय सिंह: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 सितम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या तथा रिक्तियों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करने तथा निकट भविष्य में रिक्तियां भरने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) 30-09-2008 को उच्चतम न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित 26 न्यायाधीशों की अनुमोदित पदसंख्या में से 23 न्यायाधीश आसीन थे और भरे जाने के लिए 3 पद रिक्त थे। 30-09-2008 को उच्च न्यायालय में, 886 न्यायाधीशों की अनुमोदित पदसंख्या में से 620 न्यायाधीश आसीन थे और 266 पद भरे जाने के लिए रिक्त थे।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या का प्रत्येक तीन वर्षों में पुनर्विलोकन किया जाता है, ऐसा अंतिम पुनर्विलोकन वर्ष 2006 में किया गया था। न्यायालयों में भारी मात्रा में लंबित पड़े मामलों को देखते हुए, उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या का वर्ष 2007 और 2008 में भी पुनर्विलोकन किया गया था। वर्ष 2006, 2007 और

2008 के पुनर्विलोकनों के परिणामस्वरूप, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 163 पदों का सृजन किया गया है।

जहां तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है, सरकार ने पहले ही 29-04-2008 को लोक सभा में "उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2008" पुरःस्थापित कर दिया है। यह विधेयक उच्चतम न्यायालय की भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित 26 न्यायाधीशों की वर्तमान न्यायाधीश पदसंख्या को बढ़ाकर 31 न्यायाधीश करने की परिकल्पना करता है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र आदि के कारण रिक्तियां उद्‌भूत होती रहती हैं। उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसरण में, उच्चतम न्यायालय की दशा में, किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा चलाया जाता है जबकि उच्च न्यायालयों में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा चलाया जाता है। सरकार आवधिक रूप से उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को, उनके उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों और साथ ही ऐसे पदों को, जो आगामी छह मास के दौरान रिक्त होने वाले हैं, भरने के लिए प्रस्ताव चलाने का स्मरण कराती रही है। प्राप्त हुए प्रस्तावों पर सरकार द्वारा रिक्तियों को शीघ्र भरे जाने हेतु कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

बोकारो ताप विद्युत संयंत्र

1194. श्री टेक लाल महतो: क्या विद्युत मंत्री 25 नवम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 546 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो ताप विद्युत संयंत्र के विद्युत स्टेशन को पुनः खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक पुनः खोले जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) स्थापना के समय से ही बोकारो ताप विद्युत स्टेशन (बी.टी.पी.एस.) की यूनिट-4 में चली आ रही समस्या और खराब निष्पादन के कारण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) तथा एन.टी.पी.सी. लिमिटेड द्वारा एक संयुक्त आकलन किया गया था। इनकी सिफारिशों पर सी.ई.ए. ने बी.टी.पी.एस. की यूनिट-4 को 10 जून, 2005 से बन्द किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया। मई, 2006 में बोकारो "ए" ताप विद्युत केंद्र की 1, 2 व 3 यूनिटों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सी.ई.ए. ने सुझाव दिया था कि मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य में लगी ऊंची लागत (रुपये 2.42 करोड़ प्रति मेगावाट) तथा इसमें लगने वाले अधिक समय तथा इतना निवेश करने के बाद भी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) के मानदंडों को पूरा करने में आ रही कठिनाईयों के चलते इन यूनिटों को पुनः शुरू किये जाने तथा इन यूनिटों का पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण/आयु विस्तार (आर. एंड एम./एल.ई.) कार्य किए जाने का सुझाव तकनीकी आर्थिक दृष्टि से नहीं दिया जा सकता। सी.ई.ए. ने यह संस्तुति भी दी थी कि दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) बोकारो "ए" थर्मल पावर स्टेशन की वर्तमान यूनिटों को बन्द कर अधिक क्षमता वाली नई यूनिटों हेतु योजना बना सकता है। तदनुसार, डी.वी.सी. ने वर्तमान यूनिटों को बंद करके एक नई यूनिट (1x500 मेगावाट) स्थापित करने का निर्णय लिया।

[अनुवाद]

सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम पब्लिक धारिता

1195. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री मधु गौड यास्खी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत पब्लिक धारिता के संबंध में कोई निर्णय लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकार ने वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर एक परिचर्चा दस्तावेज डाला था, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुझाव दिया गया था कि न्यूनतम पब्लिक धारिता का आरंभिक स्तर निर्गमित पूंजी का 25% निर्धारित किया जाए। परिचर्चा दस्तावेज में यह सुझाव भी दिया गया है कि किसी कंपनी के लिए सूचीबद्ध होने और सूची में बने रहने के लिए इसके पास 25% का "पब्लिक" हिस्सा हो। यदि किसी कारण से पब्लिक धारिता 25% से कम हो जाती है तो प्रवर्तक, प्रबंधन और कंपनी को संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित तरीके से पब्लिक धारिता को 25% तक लाने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए।

इसका उद्देश्य बाजार में समुचित गहनता लाना है ताकि प्रतिभूतियों की कीमतें धांधली के लिए प्रवण न हों। चूंकि यह मुद्दा आरंभिक संकल्पना चरण पर है, अंतिम रूप से सम्मत दृष्टिकोण और उसके बाद निर्णय लेने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

घरेलू हिंसा अधिनियम

1196. श्री हंसराज गं. अहीर:

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं पर घरेलू हिंसा संबंधी कठोर कानून के अधिनियमन के बावजूद महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अधिनियम में पीड़ितों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा वित्तीय सहायता मुहैया करवाने संबंधी कोई उपबंध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दर्ज किए जा रहे मामलों की संख्या में बढ़ोतरी की प्रवत्ति दृष्टिगोचर होती है। यह संभव है कि अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात् ऐसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हों, जो पहले दर्ज नहीं किए जाते रहे।

(ख) वर्ष 2005, 2006 तथा 2007 के संबंध में गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़े संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) अधिनियमन को कड़ाई से लागू करने के लिए उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार:

(1) मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित महिला को उसका स्त्रीधन अथवा अन्य कोई सम्पत्ति अथवा मूल्यवान प्रतिभूति, जिसकी वह हकदार है, को वापस लौटाने का निदेश दे सकता है।

(2) मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप पीड़ित महिला और पीड़ित महिला के बच्चे को किए गए व्यय तथा नुकसान की पूर्ति हेतु सहायता राशि का भुगतान करने का निदेश दे सकता है।

विवरण

वर्ष 2005 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों, आरोप-पत्र दायर किए जाने वाले मामलों, दोष सिद्ध होने वाले मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित व्यक्तियों तथा दोषी सिद्ध हुए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज किए गए मामले	आरोप पत्र दायर किए जाने वाले मामले	दोष सिद्ध होने वाले मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	आरोपित व्यक्ति	दोषी सिद्ध हुए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश*						
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़	1390	1186	184	2076	1927	254
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके उपबंध इस राज्य पर लागू नहीं हैं।					
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	0	0	0	0	0	0

14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय*						
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा*						
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	4	2	0	4	2	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	21	13	0	26	44	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	1415	1201	184	2106	1973	254
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	5	3	0	11	7	0
30.	चण्डीगढ़**	75	56	0	148	120	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	2	2	0	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली*						
34.	लक्षद्वीप*						
35.	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**82**	**61**	**0**	**161**	**129**	**0**
	अखिल भारत	1497	1262	184	2267	2102	254

टिप्पणी: '*' दर्शाता है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

'**' भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज मामले भी शामिल हैं।

वर्ष 2006 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों, आरोप-पत्र दायर किए जाने वाले मामलों, दोष सिद्ध होने वाले मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित व्यक्तियों तथा दोषी सिद्ध हुए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज किए गए मामले	आरोप पत्र दायर किए जाने वाले मामले	दोष सिद्ध होने वाले मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	आरोपित व्यक्ति	दोषी सिद्ध हुए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश*						
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1	0	0	2	1	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ	1421	1214	139	2028	1977	182
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	150	147	1	382	371	0
8.	हरियाणा	1	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके उपबंध इस राज्य पर लागू नहीं है।					
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	2	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश*						

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	महाराष्ट्र	9	8	0	21	22	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय*						
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा*						
21.	पंजाब	17	11	0	43	41	0
22.	राजस्थान	3	2	0	4	4	0
23.	सिक्किम	6	5	1	6	5	1
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	13	7	0	20	29	0
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	1	0	1	0	0
	कुल राज्य	**1624**	**1395**	**141**	**2507**	**2450**	**183**
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	10	8	0	16	14	0
30.	चण्डीगढ़**	102	68	0	199	160	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0

32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली*						
34.	लक्षद्वीप*						
35.	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	112	76	0	215	174	0
	अखिल भारत	1736	1471	141	2722	2624	183

टिप्पणी: '*' दर्शाता है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

'**' भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज मामले भी शामिल हैं।

वर्ष 2007 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों, आरोप-पत्र दायर किए जाने वाले मामलों, दोष सिद्ध होने वाले मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित व्यक्तियों तथा दोषी सिद्ध हुए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज किए गए मामले	आरोप पत्र दायर किए जाने वाले मामले	दोष सिद्ध होने वाले मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	आरोपित व्यक्ति	दोषी सिद्ध हुए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश*						
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	2	0	0	1	1	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ	1651	1249	89	2206	2066	101
6.	गोवा	3	1	0	5	3	0
7.	गुजरात	883	862	27	2491	2231	6
8.	हरियाणा	17	10	0	21	21	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3	2	0	2	2	0
10.	जम्मू-कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके उपबंध इस राज्य पर लागू नहीं हैं।					
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	14	9	1	11	12	1
14.	मध्य प्रदेश*						

15.	महाराष्ट्र	117	109	1	480	495	3
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय*						
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा*						
21.	पंजाब	37	14	0	68	35	0
22.	राजस्थान	25	14	0	14	14	0
23.	सिक्किम	6	4	0	10	9	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	25	20	0	33	51	0
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	5	2	0	2	0	0
	कुल राज्य	**2788**	**2296**	**118**	**5344**	**4940**	**111**
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	20	6	0	37	7	0
30.	चण्डीगढ़**	112	37	0	142	75	0
31.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	1	1	0	3	3	0
33.	दिल्ली*						

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	लक्षद्वीप*						
35.	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	113	44	0	182	85	0
	अखिल भारत	2921	2340	118	5526	5025	111

टिप्पणी: '*' दर्शाता है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

'**' भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज मामले भी शामिल हैं।

दहेज प्रतिबंध अधिनियम

1197. श्री बापू हरी चौरे: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को और अधिक कठोर बनाने का है जैसा कि दिनांक 19 सितंबर, 2008 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961' में संशोधनों का प्रस्ताव किया है, जो विचाराधीन है।

[अनुवाद]

क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाएं

1198. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत किर्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का मूल्यांकन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या ये परियोजनाएं समय से पूरी हो गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) भूमि संसाधन विभाग तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात् सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इस विभाग के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्ण-कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.), हैदराबाद द्वारा प्रतिदर्श आधार पर इनका मूल्यांकन किया जा रहा था।

(ख) मूल्यांकन हेतु ली गई प्रतिदर्शी परियोजनाओं के संबंध में आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी. से प्राप्त अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि विभिन्न राज्यों में अवक्रमित और बंजरभूमि में कमी आई है, सिंचित क्षेत्रों और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

(ग) यद्यपि बड़ी संख्या में परियोजनाएं समय पर पूरी हुई हैं, तथापि ऐसी परियोजनाएं भी हैं जो निर्धारित परियोजनावधि के बाद भी चल रही हैं।

(घ) जो परियोजनाएं पूरी होने वाली थीं, उनमें से लगभग 43% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जिलों में परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा परियोजनाओं को शुरू करने में विलम्ब करना, गांव स्तर पर आपस में विरोध होना, राज्य सरकारों द्वारा सदृश भाग को देरी से जारी करना आदि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण हैं।

(ङ) विभाग ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु विभिन्न राज्यों में क्षेत्र अधिकारी भेजकर, ऑन-लाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करके और राज्यों के साथ इस मामले को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकारों के साथ हुई क्षेत्रीय बैठकों में इस संबंध में समय-समय पर गहन समीक्षा की है।

एन.आर.ई.जी.एस. निधि का अन्यत्र उपयोग

1199. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) हेतु आबंटित निधियों के अन्यत्र उपयोग की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	शिकायतकर्ता का नाम	लगाए गए आरोप	ग्रामीण विकास मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	श्री नग्यूरसंगलूर, सदस्य, मणिपुर विधान सभा	यह आरोप लगाया गया कि बांस में फूल लगने और कृंतकों के खतरे की वजह से अकाल के मद्देनजर एफ.सी.एस. चावल खरीदने के लिए मणिपुर सरकार एन.आर.ई.जी.एस. निधियों का अन्यत्र उपयोग कर रही है।	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वे रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एफ.सी.एस. चावल खरीदने के लिए एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत किसी निधि का अन्यत्र उपयोग नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन से एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत मजदूरी के हिस्से के रूप में खाद्यान्न के वितरण के संबंध में दिनांक 16-02-08 और 13-3-08 को आदेश जारी किया है।
2.	दिनांक 10-09-08 को "द हिन्दू" में और दिनांक 20-09-08 को "दि इंडियन एक्सप्रेस" में दो खबरें छपीं।	उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने राज्य के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के 7 जिलों में छोटे पौधे लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 409 करोड़ रु. में से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित निधियों से 219 करोड़ रु. का अन्यत्र उपयोग किया है।	शिकायत राज्य सरकार को अग्रेषित की गई। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि वनीकरण एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत एक अनुमोदित कार्य है और बुंदेलखण्ड क्षेत्र में लंबे समयांतराल के बाद अच्छे मानसून का बेहतर उपयोग करने के लिए सरकार ने क्षेत्र में व्यापक पौधरोपण अभियान शुरू किया है। बुंदेलखण्ड के 7 जिलों के जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा पौधरोपण के लिए वन विभाग को एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियां 56.01 करोड़ रु. है जिसमें से 30-09-08 तक 43.27 करोड़ रु. उपयोग कर लिए जाने की जानकारी दी गई है। राज्य सरकार ने अपने राज्य संसाधनों से पौधरोपण पर होने वाले खर्च वहन करने का निर्णय लिया है। एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत किसानों की अनुमोदित श्रेणी की जमीन पर फलदार वृक्षों को लगाने के लिए बागवानी विभाग को उपलब्ध कराई गई निधियां 4.25 करोड़ रु. है जिसके लिए अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है इसलिए एन.आर.ई.जी.ए. से 219 करोड़ रु. अंतरित करने और इसका

1	2	3	4
			दुरुपयोग करने संबंधी शिकायत सही नहीं है। राज्य सरकार ने इस मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। राज्य के अधिकारियों के जांच दल के निष्कर्षों से यह मालूम पड़ता है कि लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्त 2 राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं के दो दलों द्वारा भी इस मामले की जांच की गई। राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।

पुराने कानूनों की समीक्षा

1200. श्री निखिल कुमार:

श्री विजय कृष्ण:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को पुराने कानूनों की समीक्षा करने और अपनी विधिक प्रणाली की समीक्षा करने के लिए राज्य विधिक आयोग स्थापित करने के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी नहीं। तथापि, माननीय अध्यक्ष, भारत के विधि आयोग ने ऐसे 21 राज्यों के, जिन्होंने अभी तक राज्य विधि आयोगों का गठन नहीं किया है, मुख्यमंत्रियों को तारीख 17 सितंबर, 2008 का पत्र लिखा है, जिसमें उनसे विधि आयोग गठित करने के लिए कहा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बंद किए गए डीमैट खाते

1201. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में बंद किए गए डी-मैट खातों में अनुमानित कितनी धनराशि पड़ी हुई है;

(ख) क्या सरकार उक्त राशि को जब्त करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस सबंध में अपनायी जाने वाली क्रियाविधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त क्रियाविधि का अक्षरशः पालन किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 15 अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार दो निक्षेपागारों अर्थात नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सार्विसेज लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) में बंद किए गए खातों की संख्या और बंद किए गए खातों में जमा पूंजी का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

विवरण	बंद किए गए खातों की संख्या	बंद किए गए खातों में जमा पूंजी (करोड़ रुपए)
एन.एस.डी.एल.	7,35,179	10,476.34
सी.डी.एस.एल.	2,63,599	1,401.67
जोड़	9,98,778	11,878.01

(ख) से (ङ) अभी तक ऐसे किसी भी उपाय का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

सुरक्षित पेय जल

1202. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सुरक्षित पेय जल की गंभीर समस्या है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने जल के दोहन और उसकी बर्बादी को रोकने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 54वें राउंड के अनुसार 70% शहरी घरों में नल से और 21% में ट्यूबवैल अथवा हैंडपंप से पानी आता है। देश में पर्याप्त तथा साफ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास अपेक्षित हैं। इस संबंध में शहरी क्षेत्रों में भारत सरकार जावहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) तथा छोटे व मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत निर्माण के ग्रामीण पेय जल घटक तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

(ग) और (घ) पेय जल आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों जिसमें पानी का दुरुपयोग तथा बरबादी शामिल है, का व्यापक रूप से समाधान करने के लिए भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति, 2002 तैयार की है जिसमें अन्य सभी आवश्यकताओं की अपेक्षा पेय जल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) द्वारा सारे देश में भूमिगत जल के दुरुपयोग की मानीटरिंग की जा रही है।

इस मंत्रालय द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के माध्यम से जल क्षेत्र में अनेक सुधारों जैसे सभी भवनों में बरसाती पानी का संग्रहण अनिवार्य करने तथा रीसाइक्ल किए गए पानी का पुनःप्रयोग करने हेतु उपनियमों में संशोधन, को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा सेवा स्तरीय बैंचमार्क के कार्यान्वयन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पानी की बरबादी/रिसाव को अधिकतम 20% तक सीमित रखने का प्रावधान है।

जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं

1203. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री मित्रसेन यादव:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जनजातियों की बेहतरी और उन्नयन हेतु क्रियान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं और कल्याण योजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे कितने जनजातीय लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। इन योजनाओं का विवरण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2008 में उपलब्ध है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है तथा मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर भी उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (30-09-2008 तक) के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण निम्नवत है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	वास्तविक व्यय
2005-06	1391.95
2006-07	1647.73
2007-08	1524.32
2008-09 (30-9-2008 को)	871.88

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्मुक्त की गई निधियों के विवरण को संकलित किया जा रहा है, जिसे तैयार कर लिया जाएगा।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाएं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है तथा निधियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की जाती हैं, जिनको यह आश्वस्त कराने की आवश्यकता है कि इन योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचता है। लाभार्थियों की संख्या से संबंधित आंकड़े मंत्रालय में विशिष्ट रूप से रखे नहीं जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय लोगों के जीवन पर मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं के प्रभावों के आकलन के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन अध्ययन कराया है :-

(क) जल एवं ऊर्जा परामर्श सेवा के. लि., नई दिल्ली (डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस.) के माध्यम से "जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता" तथा "संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान" संबंधी मूल्यांकन योजना;

(ख) टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टी.आई.एस.एस.) मुम्बई के माध्यम से "अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" के आकलन संबंधी योजना;

(ग) भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली के द्वारा महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना, अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध, तथा आदिम जनजातीय समूहों की अध्ययन योजना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की अध्ययन योजना के मूल्यांकन संबंधी योजनाएं;

(घ) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से "आदिम जनजातीय समूहों के विकास" की योजना तथा "जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वी.टी.सी.)" की योजना का मूल्यांकन।

राज्यों पर केन्द्रीय कर और राज्य को अनुदान

1204. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य से संग्रहित केन्द्रीय करों तथा उन्हें मुहैया कराए गए सहायतानुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों का हिस्सा उनके अंशदान के अनुरूप नहीं होता;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए प्रत्यक्ष करों के ब्यौरे विवरण I, II और III में दिए गए हैं। तथापि, अप्रत्यक्ष कर राज्य-वार एकत्र नहीं किए जाते, विगत तीन वर्षों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एकत्र की गयी राशि विवरण-IV में दी गई हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को उपलब्ध करायी गयी सहायता अनुदान राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

(ख) से (घ) चूंकि केन्द्रीय करों से प्राप्त निवल राशि को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही राज्य सरकार को जारी किया जाता है, इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2005-2006 के लिए संग्रहण का राज्य एवं संघ क्षेत्र वार ब्यौरा (प्रत्यक्ष कर)

(आंकड़े करोड़ों में)

राज्य	0020 निगम कर	0021 आय कर	0023 होट. रेक्ट. कर	0024 ब्याज कर	0026 एफ.बी.टी.	0028 व्यय कर	0031 संपदाशु कर	0032 धन कर	0033 उपहार कर	0034 सेवा संव्यवहार कर	0036 बी.सी. टी.टी.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	4059.58	2477.86	4.25	0.48	121.09	1.60	0.00	5.95	0.50	1.46	20.54	6693.31
अरुणाचल प्रदेश	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
असम	498.86	1093.77	0.01	0.01	2.46	0.19	0.06	0.87	0.00	0.00	0.09	1596.12
बिहार	140.41	448.87	0.00	0.03	6.39	0.03	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	595.95
झारखण्ड	431.79	534.99	0.00	0.14	11.83	0.06	0.00	0.33	0.00	0.00	0.05	979.19
गोवा	810.15	258.91	0.00	0.01	12.71	0.06	0.00	1.24	0.00	0.00	0.04	1083.12
गुजरात	3080.89	2971.72	0.70	0.29	120.21	2.73	0.01	7.71	0.05	0.09	3.42	6187.82
हरियाणा	866.62	1218.87	0.01	0.02	125.00	0.10	0.00	1.13	0.00	0.00	0.24	2211.99
हिमाचल प्रदेश	60.97	169.82	0.00	0.00	3.28	0.62	0.00	0.07	-0.01	0.00	0.01	234.76
जम्मू-कश्मीर	128.48	109.81	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.38	243.91
कर्नाटक	7386.03	6224.82	0.03	0.94	406.54	3.12	0.00	9.41	1.13	2.54	41.12	14075.68
केरल	576.15	1069.56	0.04	4.54	29.72	0.07	0.00	3.61	0.14	0.00	10.63	1694.46
मध्य प्रदेश	1295.56	915.64	0.01	-0.14	36.20	0.00	-0.79	0.84	0.01	0.00	4.73	2252.06

छत्तीसगढ़	416.57	745.18	0.00	0.06	15.79	0.00	-0.14	25.19	0.00	0.00	0.07	1202.72
महाराष्ट्र	38011.81	17642.76	0.77	3.95	2170.53	6.28	0.04	104.28	-0.41	2546.42	170.64	60657.07
मणिपुर	3.85	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
मेघालय	9.09	30.21	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	40.30
मिजोरम	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
नागालैण्ड	1.04	3.88	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00
नई दिल्ली	18512.26	6769.71	0.00	0.94	847.20	1.70	0.04	36.88	0.50	0.60	32.23	26202.06
उड़ीसा	1766.00	634.81	0.00	0.01	13.95	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.09	2415.06
पंजाब	248.42	1407.72	0.01	0.40	30.44	1.56	0.03	3.30	-0.01	0.01	0.14	1692.02
राजस्थान	1177.09	912.48	0.01	0.11	64.95	2.76	0.00	2.03	0.00	0.00	2.58	2162.01
सिक्किम	0.87	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24
तमिलनाडु	6505.11	3929.50	0.05	0.34	287.19	2.44	0.03	16.99	0.03	3.27	19.10	10764.05
त्रिपुरा	6.30	25.62	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	31.95
उत्तर प्रदेश	1068.97	2073.27	0.00	0.41	78.04	5.90	0.00	7.74	0.00	0.38	0.53	3235.24
उत्तरांचल	8584.45	489.28	0.00	0.07	66.93	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.42.	9142.43
पश्चिम बंगाल	5042.43	2192.85	0.00	0.52	288.22	0.65	0.00	20.34	0.02	4.61	14.00	7563.64
योग (I)	100689.90	54374.04	5.89	13.13	4744.94	29.88	-0.72	249.69	1.96	2559.38	321.05	162989.14
संघ शासित क्षेत्र												
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	4.14	5.45	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83
चण्डीगढ़	261.29	360.69	0.00	0.11	25.77	0.80	0.00	0.61	0.00	0.00	0.28	649.55
दमन	8.69	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दीव	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
दादरा नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	43.73	51.70	0.00	0.00	1.33	0.01	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	96.82
लक्षद्वीप	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
सिलवासा	0.16	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
कुल-(II)	**318.17**	**420.58**	**0.00**	**0.11**	**27.34**	**0.81**	**0.00**	**0.66**	**0.00**	**0.00**	**0.28**	**767.95**
कुल-(I) और (II)	101008.07	54794.62	5.89	13.24	4772.28	30.69	-0.72	250.35	1.96	2559.38	321.33	163757.09
सी.टी.डी.एस.	269.08	1182.25										1451.33
कुल योग	101277.15	55976.87	5.89	13.24	4772.28	30.69	-0.72	250.35	1.96	2559.38	321.33	165208.42

विवरण-II

वर्ष 2006-2007 के लिए राज्यवार तथा संघ शासित प्रदेशवार एकत्र की गई राशि (प्रत्यक्ष कर) के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

राज्य	0020 निगम कर	0021 आय कर	0023 होट. रेक्ट. कर	0024 ब्याज कर	0026 एफ.बी.टी.	0028 व्यय कर	0031 संपदाशु कर	0032 धन कर	0033 दान कर	0034 सेवा संव्यवहार कर	0036 बी.सी. टी.टी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	5298.93	4607.63	0.08	0.55	230.60	4.72	0.00	7.95	0.02	1.95	20.57	10172.99
अरुणाचल प्रदेश	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
असम	202.62	1269.87	0.00	0.00	6.33	-17.14	0.01	0.82	0.00	0.00	0.11	1462.62
बिहार	100.94	445.81	0.00	0.11	6.69	0.01	0.00	0.28	0.00	0.00	0.03	553.87
झारखण्ड	672.84	763.96	0.00	0.08	24.76	0.62	0.00	0.29	0.00	0.00	0.07	1462.62
गोवा	1229.40	390.80	0.00	0.01	20.22	0.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.09	1642.32
गुजरात	4968.43	3941.97	0.07	0.68	182.78	2.64	0.03	7.23	0.00	0.18	4.44	9108.45
हरियाणा	1356.98	1716.00	0.00	0.29	118.21	0.58	0.00	3.05	0.00	0.00	1.04	3196.15
हिमाचल प्रदेश	241.21	168.52	0.00	0.00	5.82	0.86	0.00	0.04	0.00	0.00	0.01	416.46
जम्मू-कश्मीर	170.31	204.72	0.01	0.01	4.06	0.01	0.00	0.31	0.00	0.00	0.03	379.46
कर्नाटक	9931.98	8430.36	1.52	0.94	561.46	1.81	0.02	21.57	0.01	0.08	65.08	19014.83
केरल	784.86	1295.75	0.00	0.02	48.85	4.77	0.00	1.92	0.36	0.00	16.61	2153.14
मध्य प्रदेश	1765.28	758.81	0.04	0.11	39.58	-0.01	0.00	0.55	0.10	0.00	7.85	2572.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
छत्तीसगढ	857.07	659.38	0.00	0.03	8.63	0.00	0.00	0.25	2.14	0.01	0.12	1527.63
महाराष्ट्र	54591.89	24999.17	0.45	6.38	1986.08	17.13	0.68	99.66	0.42	4632.38	275.09	86709.33
मणिपुर	8.49	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	8.89
मेघालय	66.37	118.10	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.05	186.35
मिजोरम	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
नागालैण्ड	1.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	11.09
नई दिल्ली	29039.11	8180.46	0.00	1.33	1073.29	7.94	0.89	34.87	1.23	1.28	59.22	38399.62
उड़ीसा	1862.20	1425.17	0.00	0.00	21.20	0.01	0.00	0.54	0.00	0.00	0.23	3309.35
पंजाब	817.83	1322.10	0.02	0.15	51.52	3.66	0.00	5.06	0.00	0.02	0.34	2200.69
राजस्थान	2884.26	1446.25	0.00	0.02	58.01	7.75	0.00	4.12	0.01	0.00	1.05	4401.47
सिक्किम	1.15	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39
तमिलनाडु	9226.64	5060.27	0.05	0.34	381.29	16.97	0.02	20.33	0.04	7.87	33.72	14747.54
त्रिपुरा	26.51	89.56	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.07	118.57
उत्तर प्रदेश	1454.42	2712.46	0.00	0.16	80.68	6.76	0.00	5.93	0.01	0.22	1.56	4262.20
उत्तरांचल	9132.35	504.11	0.00	0.01	106.62	0.09	0.00	2.73	0.00	0.00	0.76	9746.67
पश्चिम बंगाल	6907.18	2587.47	0.02	-6.39	263.45	0.71	0.00	20.44	0.01	1.52	18.80	9793.21
कुल (I)	**143700.24**	**73133.75**	**2.26**	**4.83**	**5284.12**	**60.28**	**1.66**	**239.64**	**4.34**	**4645.50**	**506.95**	**227583.57**
संघ शासित												
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	3.21	7.35	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23

चण्डीगढ़	404.43	476.05	0.00	0.09	28.44	1.73	0.00	0.60	0.01	0.00	0.06	911.41
दमन	9.40	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
दीव	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
दादरा नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	64.58	68.77	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	136.25
लक्षद्वीप	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
सिलवासा	5.18	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
कुल-(II)	**487.57**	**553.51**	**0.00**	**0.09**	**31.92**	**1.73**	**0.00**	**0.69**	**0.01**	**0.00**	**0.06**	**1075.58**
कुल-(I) और (II)	**144187.57**	**73687.26**	**2.26**	**4.92**	**5316.04**	**62.01**	**1.66**	**240.33**	**4.35**	**4645.50**	**507.01**	**228659.15**
सी.टी.डी.एस. (अनंतिम)	130.14	1392.05										1522.19
कुल योग	144317.95	75079.31	2.26	4.92	5316.04	62.01	1.66	240.33	4.35	4645.50	507.01	230181.34

विवरण-III

वर्ष 2007-2008 के लिए संग्रहण का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा (प्रत्यक्ष कर)

(आंकड़े करोड़ में)

राज्य	0020 निगम कर	0021 आय कर	0023 होट. रेक्ट. कर	0024 ब्याज कर	0026 एफ.बी.टी.	0028 व्यय कर	0031 संपदाशु कर	0032 धन कर	0033 दान कर	0034 सेवा संव्यवहार कर	0036 बी.सी. टी.टी.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	6711.88	6736.57	3.86	0.51	336.74	3.15	0.00	15.79	0.29	4.22	22.64	13835.65
अरुणाचल प्रदेश	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
असम	902.52	739.67	0.00	0.09	6.25	-26.08	0.00	0.81	0.00	0.00	0.12	1623.38
बिहार	112.22	673.47	0.00	0.43	5.01	0.09	0.00	0.14	0.00	0.00	0.06	791.42
झारखण्ड	1088.70	843.49	0.00	0.06	25.51	0.11	0.00	0.38	0.00	0.00	0.32	1958.57
गोवा	1728.42	403.81	0.00	0.00	19.84	0.86	0.00	3.26	0.00	0.00	0.07	2156.26
गुजरात	6177.42	5459.79	0.07	0.79	247.86	3.19	0.05	10.60	0.00	0.28	9.09	11909.14
हरियाणा	2465.45	2599.48	0.00	0.06	176.64	0.77	0.00	3.66	0.00	0.00	0.20	5246.26
हिमाचल प्रदेश	237.55	217.63	0.00	0.00	9.60	0.52	0.00	0.01	0.00	0.00	0.22	465.53
जम्मू-कश्मीर	289.75	233.88	0.00	0.00	7.21	-0.04	0.00	0.12	0.00	0.00	2.42	533.34
कर्नाटक	17950.05	11904.58	0.21	-3.70	854.59	1.99	0.06	18.97	0.05	9.14	70.99	30806.93
केरल	1174.92	1514.89	0.02	0.33	65.07	1.73	0.00	2.27	-0.18	0.00	16.74	2775.79
मध्य प्रदेश	35.74	3461.36	0.00	0.09	60.14	0.03	0.02	-0.94	0.00	0.00	9.70	3566.14

छत्तीसगढ़	919.04	942.15	0.00	0.02	19.81	0.01	0.00	0.48	0.01	0.00	0.24	1881.76
महाराष्ट्र	81127.52	36507.58	0.13	0.37	2718.03	11.46	0.00	118.51	0.09	8545.38	324.76	129353.83
मणिपुर	10.02	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	11.06
मेघालय	75.40	129.10	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.05	206.66
मिजोरम	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
नागालैण्ड	1.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	11.21
नई दिल्ली	34804.51	10667.21	0.00	2.11	1329.91	1.34	0.10	91.98	1.14	0.90	62.19	46961.39
उड़ीसा	2015.42	2239.25	0.00	0.01	23.65	0.05	0.00	0.47	0.02	0.02	0.26	4279.15
पंजाब	656.68	1864.58	0.00	0.05	53.79	3.96	0.01	6.30	0.00	0.00	-0.89	2584.48
राजस्थान	3111.69	2064.75	0.00	0.04	50.04	7.27	0.00	3.91	0.00	0.00	3.01	5240.71
सिक्किम	1.21	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.91
तमिलनाडु	11092.72	7296.77	0.25	0.83	533.43	17.21	0.02	26.57	0.12	14.81	38.35	19021.08
त्रिपुरा	28.69	32.38	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.06	64.25
उत्तर प्रदेश	3972.14	2950.45	0.00	0.39	105.83	6.46	0.02	7.48	0.02	0.10	1.69	7044.58
उत्तरांचल	5377.17	1214.32	0.00	0.04	94.60	0.33	0.00	2.39	0.00	0.00	0.29	6689.14
पश्चिम बंगाल	8299.21	3364.88	0.00	0.06	313.64	2.11	0.00	25.40	-0.01	1.18	22.11	12028.58
कुल (I)	**190367.04**	**104996.65**	**4.54**	**2.58**	**7062.19**	**36.52**	**0.28**	**338.86**	**1.55**	**8578.03**	**584.70**	**311070.94**
संघ शासित क्षेत्र												
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	9.32	7.20	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.26
चण्डीगढ़	535.92	485.10	0.00	0.09	29.18	1.17	0.00	1.39	0.00	0.00	1.17	1054.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दमन	0.77	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
दीव	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
दादरा नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	59.99	79.62	0.00	0.00	4.27	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	143.96
लक्षद्वीप	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
सिलवासा	0.02	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
कुल-(II)	**606.02**	**574.58**	**0.00**	**0.09**	**38.19**	**1.17**	**0.00**	**1.47**	**0.00**	**0.00**	**1.17**	**1222.69**
कुल-(I) और (II)	**190973.06**	**104671.23**	**4.54**	**2.67**	**7100.38**	**37.69**	**0.28**	**340.33**	**1.55**	**8576.03**	**585.87**	**312293.63**
सी.टी.डी.एस. (एस.वाई.-I)	144.32	1894.65										2038.97
कुल योग	191117.38	106565.88	4.54	2.67	7100.38	37.69	0.28	340.33	1.55	8576.03	585.87	314332.60

विवरण-IV

विगत तीन वर्षों के लिए अप्रत्यक्षकरों से अखिल भारतीय स्तर पर एकत्र की गयी राशि

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	2005-2006	2006-2007	2007-2008 (अनंतिम)
सीमा शुल्क	65067	86327	104091
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	111226	117613	124245
सेवा कर	23055	37598	51224
सकल अप्रत्यक्ष कर	199348	241538	279560

विवरण-V

विगत तीन वर्षों अर्थात 2006-07 से 2008-09 के दौरान प्रत्येक राज्य को उपलब्ध करायी गयी सहायता अनुदान की राशि का ब्यौरा

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	राज्य			बजट अनुमान
		2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	8866.00	10493.06	13168.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	347.14	410.85	515.59
3.	असम	3898.99	4614.52	5791.07
4.	बिहार	13291.72	15730.96	19741.85
5.	छत्तीसगढ़	3198.80	3785.83	4751.1
6.	गोवा	312.11	369.39	463.56
7.	गुजरात	4301.63	5091.02	6389.09
8.	हरियाणा	1295.64	1533.42	1924.39
9.	हिमाचल प्रदेश	629.16	744.64	934.5
10.	जम्मू-कश्मीर	1413.33	1654.86	2071.04
11.	झारखंड	4050.90	4794.30	6016.68

1	2	9	10	11
12.	कर्नाटक	5374.33	6360.63	7982.38
13.	केरल	3212.04	3801.49	4770.76
14.	मध्य प्रदेश	8088.54	9572.92	12013.71
15.	महाराष्ट्र	6022.76	7128.05	8945.48
16.	मणिपुर	436.33	516.41	648.09
17.	मेघालय	447.18	529.24	664.17
18.	मिजोरम	288.05	340.89	427.81
19.	नागालैण्ड	316.93	375.08	470.73
20.	उड़ीसा	6220.42	7361.96	9239.02
21.	पंजाब	1565.65	1852.96	2325.39
22.	राजस्थान	6760.37	8001.04	10041.04
23.	सिक्किम	273.59	323.81	406.37
24.	तमिलनाडु	6393.86	7567.24	9496.64
25.	त्रिपुरा	515.78	610.43	766.08
26.	उत्तर प्रदेश	23218.31	27479.21	34485.55
27.	उत्तराखण्ड	1131.83	1339.54	1681.09
28.	पश्चिम बंगाल	8505.60	10066.54	12633.18
	कुल	120376.99	142450.29	178764.82

[हिन्दी]

भूमि आबंटन नियमों का उल्लंघन

1205. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों, सोसायटियों और संस्थानों को भूमि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनमें से कुछ ने भूमि आबंटन नियमों के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। डी.डी.ए. द्वारा दिया गया ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) डी.डी.ए. ने बताया है कि इस प्रकार के मामलों में लीज विलेख समाप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

मन्दिर/चर्च के लिए भूआवंटन की सूची

क्रम सं.	सोसायटी का नाम	क्षेत्र/स्थान	आवंटन की तारीख	कब्जा लेने की तारीख	प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सनातन धर्म महादेव मन्दिर सभा	180 वर्ग मी., सै.-7, रोहिणी	13-5-2003	अभी दिया नहीं गया है।	मन्दिर
2.	गोपाल कृष्ण मन्दिर समिति	115.52 वर्ग मी., सैक्टर-11, रोहिणी	3-06-2003	27-02-2004	मन्दिर
3.	सिन्धी पंचायत, पश्चिम विहार	400 वर्ग मी., सुषमा एनक्लेव पश्चिम विहार	13-6-2003	5-3-2004	मन्दिर
4.	तरुवर सोसायटी	351 वर्ग मी., सैक्टर-11, रोहिणी	17-6-2003	कोर्ट केस अभी दिया नहीं गया है।	मन्दिर
5.	दिल्ली भजन समाज	400 वर्ग मी. एच.ए.एफ., सै.-7 द्वारका	28-7-2003	5-3-2004	मन्दिर
6.	श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथी सभा	465 वर्ग मी. सैक्टर-14, ब्लाक बी, रोहिणी	8-8-2003	19-7-2004	मन्दिर
7.	डायोसिसन सोसायटी नार्थ ऑफ इंडिया चर्च	400 वर्ग मी. खिड़की गांव	6-2003	अभी दिया नहीं गया है।	चर्च
8.	न्यू दिल्ली चर्च ऑफ क्राइस्ट	400 वर्ग मी., चितरंजन पार्क	16-6-2003	अभी दिया नहीं गया है।	चर्च
9.	मानव कल्याण आध्यात्मिक संस्थान	236.46 वर्ग मी., लाजपत नगर फेज-I	30-6-2003	जुलाई, 2004	धार्मिक प्रयोजन
10.	एस.एस. जैन वर्मा सभा	289 वर्ग मी., कड़कड़डूमा गांव	26-8-2003	22-12-2003	जैन स्मारक मन्दिर

1	2	3	4	5	6
2.	**सामुदायिक केन्द्र के लिए भूआवंटन की सूची**				
1.	टूविंग्स वेलफेयर सोसायटी	628.75 वर्ग. मी., सै. 15, ब्लाक ए, रोहिणी	8-4-2003	15-12-2003	सामुदायिक केन्द्र
2.	सार धरम वेलफेयर सोसायटी	658 वर्ग मी. बी.यू. ब्लाक, प्लाट नं. 2, पीतमपुरा	8-4-2003	22-7-2003	सामुदायिक केन्द्र
3.	मिलनतार वेलफेयर सोसायटी	628.52 वर्ग. मी., सै. 15, ब्लाक ए, रोहिणी	8-4-2003	दे दिया गया	सामुदायिक केन्द्र
4.	संस्कृति शोशल वेलफेयर सोसायटी	658.52 वर्ग मी. बी.यू. ब्लाक, पीतमपुरा	24-4-2003	29-8-2003	सामुदायिक केन्द्र
5.	नेशनल कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी	493 वर्ग मी., राम विहार, दिल्ली-92	29-5-2003	14-6-2005	सामुदायिक केन्द्र
6.	ओसवाल समाज	774 वर्ग मी., झिलमिल बी ब्लाक, विवेक विहार फेज-I	19-6-2003	10-12-2003	सामुदायिक केन्द्र
7.	सेन्ट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल वर्कर्स सी.एच.बी.एस. सोसायटी	400 वर्ग मी., पीतमपुरा (आनन्द विहार)	9-9-2004	11-2-2005	सामुदायिक केन्द्र
3.	**नर्सरी विद्यालय के लिए भू आबंटन की सूची**				
1.	बैटर फ्यूचर एजुकेशन सोसायटी	772.50 वर्ग मी., सै. 15, ब्लाक ए, रोहिणी	7-4-2003	27-1-2004	नर्सरी विद्यालय
2.	श्री नारायणदास गोयल मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी	772.50 वर्ग मी., सै. 15, ब्लाक ए, रोहिणी	8-4-2003	10-3-2004	नर्सरी विद्यालय
3.	आधुनिक विज्ञान तथा कला एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी., एच.ए.एफ.-4, सै. 4, रोहिणी	8-4-2003	16-9-2004	नर्सरी विद्यालय
4.	न्यू कृष्णा एजुकेशन सोसायटी	1000 वर्ग मी., सै. 8, द्वारका	8-4-2003	16-9-2004	नर्सरी विद्यालय

5. विधाता एजुकेशनल सोसायटी	800 वर्ग मी. सै. 8, द्वारका	8-4-2003	17-11-2003	नर्सरी विद्यालय
6. दि मूनलाइट एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी., सै. 21, रोहिणी फेज-II	16-4-2003	24-11-2003	नर्सरी विद्यालय
7. स्पष्ट एजुकेशन सोसायटी	807 वर्ग मी., सै. बी.यू. ब्लाक, पीतमपुरा	24-4-2003	21-11-2003	नर्सरी विद्यालय
8. चाइल्ड वेलफेयर संगठन	800 वर्ग मी., एच.ए.एफ., पाकेट-ई, सैक्टर-12	13-5-2003	21-1-2004	नर्सरी विद्यालय
9. श्रीमती द्रौपती देवी मान एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी. सै. ए, पाकेट-2-3, वसंत कुंज	13-6-2003	25-11-2004	नर्सरी विद्यालय
10. शान्ति जनक सधदेवा एजुकेशन सोसायटी	989 वर्ग मी. दिलशाद गार्डन	16-6-2003	22-12-2003	नर्सरी विद्यालय
11. चिल्ड्रन मदर प्राइड एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी. प्रियदर्शनी विहार	17-6-2003	2-1-2004	नर्सरी विद्यालय
12. डा. अंबेडकर सेवा मिशन	800 वर्ग मी., सैक्टर-4, रोहिणी	17-6-2003	11-2-2003	नर्सरी विद्यालय
13. विकास दीप एजुकेशनल सोसायटी	800 वर्ग मी. ब्लॉक-सीपी पीतमपुरा	19-6-2003		नर्सरी विद्यालय
14. चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी	810 वर्ग मी. सेक्टर-25, रोहिणी	20-6-2003	18-12-2003	नर्सरी विद्यालय
15. के.के. मेहरा एंड डा. राजीव मेहरा मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी	627 वर्ग मी. योजना विहार ईस्ट जोन	20-6-2003	16-6-2004	नर्सरी विद्यालय
16. स्व. श्री रामभज वेद आश्रम संस्थान	971 वर्ग मी. जागृति एन्क्लेव	23-6-2003	25-5-2004	नर्सरी विद्यालय
17. प्राइम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी	814 वर्ग मी. विवेक विहार फेज-I	27-6-2003	12-12-2003	नर्सरी विद्यालय
18. शिवा शिक्षा समिति	850.50 वर्ग मी.	18-7-2003	31-10-2003	नर्सरी विद्यालय
19. दुर्गा एजुकेशन सोसाइटी	800 वर्ग मी.	28-7-2003	17-11-2003	नर्सरी विद्यालय

1	2	3	4	5	6
20.	ओजस शिक्षा संस्थान	800 वर्ग मी.	1-8-2003	16-12-2003	नर्सरी विद्यालय
21.	श्री एच.डी. गर्ग मेमोरियल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी	800 वर्ग मी. सेक्टर-11, द्वारका	18-8-2003	22-1-2004	नर्सरी विद्यालय
22.	प्रीति एजुकेशन सोसाइटी	800 वर्ग मी. एच-4, एच-5 पीतमपुरा	18-8-2003	हस्तांतरित नहीं किया गया	नर्सरी विद्यालय
23.	लार्ड गणेश एजुकेशनल सोसाइटी	800 वर्ग मी. सेक्टर-10, द्वारका	19-8-2003	23-9-2004	नर्सरी विद्यालय
24.	वेदना एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी	805 वर्ग मी. बी-5 बी-6, वसंत कुंज	21-8-2003	11-12-2003	नर्सरी विद्यालय
25.	मिहर एजुकेशनल कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी	799.96 वर्ग मी. एच.ए.एफ., पाकेट-ए, सेक्टर-22 द्वारका	21-8-2003	12-11-2003	नर्सरी विद्यालय

4. अस्पतालों के लिए भू आबंटन की सूची

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	क्षेत्र/स्थिति	आवंटन की तारीख	कब्जे की तारीख/क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट	0.9 हेक्ट./साकेत, 9050 वर्ग मी.	5-9-03	16-6-03
2.	मैसर्स पी.सी.एल.-जे.डी.आर.सी.	3.44 हेक्ट./द्वारका	वही	2-6-03
3.	आस्कर बायोटेक प्रा. लि.	2.97 हेक्ट./ब्लॉक-ए शालीमार बाग	22-12-03	30-06-05
4.	आकाश इंस्टीट्यूट प्रा. लि.	0.60 हेक्ट./सेक्टर-3 द्वारका	वही	27-10-04
5.	मेट्रो हॉस्पिटल	1.0 हेक्ट./सेक्टर ए-7	वही	17-11-04
6.	वाकहार्डट हॉस्पिटल	0.72 हेक्ट./एच. 4-एच-5 सड़क नं. 43 पीतमपुरा	वही	15-10-04
7.	मुथुत हॉस्पिटल लि.	3.50 हेक्ट./सेक्टर-10 द्वारका	वही	31-5-04
8.	डा. लाल पथ लैब प्रा. लि.	3717 वर्ग मी. रोहिणी/सेक्टर-18	28-4-04	17-11-04
9.	गणेश डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर	616.6 वर्ग मी., रोहिणी/सेक्टर-8	वही	30-11-04
10.	श्री अग्रसेन नार्थ एक्स वेलफेयर सोसाइटी	720 वर्ग मी. सी.एस.ई.-5, सेक्टर-1, रोहिणी	21-07-06	8-1-07
11.	संजीवनी हेल्थ केयर	0.276 हेक्ट. ए-7, प्लाट-19, नरेला	वही	
5.	विद्यालयों के लिए भू-आबंटन की सूची			
1.	फूलनवंती एजुकेशन सोसाइटी	2 एकड़ सेक्टर-10, द्वारका		2 एकड़
2.	फेडाउट एजु. सोसाइटी	2 एकड़ सेक्टर-12, द्वारका	16-6-2003	2 एकड़
3.	दिल्ली भारती शिक्षा सोसाइटी	8000 वर्ग मी. सेक्टर-23, द्वारका	12-10-2003	8000 वर्ग मी.
4.	जातिका एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी	800 वर्ग मी. ए-10, द्वारका		8000 वर्ग मी.

1	2	3	4	5
5.	डा. वालिया चैरीटेबल ट्रस्ट	6806.50 वर्ग मी. मयूर विहार	26-7-2003	6806.50 वर्ग मी.
6.	हाईब्रो एजुकेशन सोसाइटी	प्रीत विहार		
7.	नव जागृति निकेतन एजुकेशन सोसाइटी	2 एकड़ द्वारका	6-6-2003	2 एकड़
8.	लक्ष्मण दास सचदेवा मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी	2 एकड़ सेक्टर-18, द्वारका	23-1-2004	2 एकड़
9.	फेरी एजुकेशन सोसाइटी	4830 वर्ग मी. सेकट्र-6, द्वारका	8-8-2003	4830 वर्ग मी.
10.	श्री सोलारे एजुकेशन सोसाइटी	4000 वर्ग मी. पाकेट-ए, सेकट्र-12, द्वारका		4000 वर्ग मी.
11.	एम.डी. एजुकेशन सोसाइटी	4050 वर्ग मी. सेक्टर-24, रोहिणी	10-3-2004	4050 वर्ग मी.
12.	आशुदेश एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी	1.50 एकड़ सेक्टर-13, रोहिणी		1.50 एकड़
13.	कैलाश मेमोरियल सोसाइटी	8000 वर्ग मी. सेक्टर-19, द्वारका	10-10-2003	8000 वर्ग मी.
14.	मिलेनियम कल्चरल एजुकेशन सोसाइटी	4044 वर्ग मी. सेक्टर-10, द्वारका	13-1-2004	4000 वर्ग मी.
15.	वेद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी	4000 वर्ग मी., सेक्टर-10, द्वारका	13-1-2004	4000 वर्ग मी.
16.	मानव धर्म सोसाइटी	8220 वर्ग मी., सेक्टर-10, द्वारका		8220 वर्ग मी.
17.	दुर्गा प्रोवाली खेतान मेमोरियल सेंटर	8000 वर्ग मी., सेक्टर-8, द्वारका	30-6-2004	8000 वर्ग मी.
18.	फ्लोरेंस नाइटिंगल एजुकेशन सोसाइटी	3999.42 वर्ग मी. एच.ए.एफ.-पाकेट-ए, सेक्टर-16, द्वारका		3999.42 वर्ग मी.
19.	रितनन्द बलदेव एजुकेशन फाउंडेशन	5670 वर्ग मी. मयूर विहार फेज-I	1-7-2004	5670 वर्ग मी.
20.	नानकसर थाट ईश्वर दरबाद	2.74 एकड़ ग्रेटर कैलास-II		2.74 एकड़
21.	आनन्द एजुकेशन सोसाइटी	8000 वर्ग मी. सेक्टर-19, द्वारका		8000 वर्ग मी.

5. उच्च/तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए भू आवंटन की सूची

क्रम सं.	सोसायटी का नाम	क्षेत्र/स्थिति	आवंटन की तारीख	कब्जे की तारीख	उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
1.	टेमेंजियन एरिया वूमेंस एंड चिल्ड्रेनस बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट एसोसिएशन	2800 सक्येर मी.	5-6-2003	5-6-2003	महिला हॉस्टल
2.	चौ. देवीलाल मेमोरियल सोसायटी	3.4 एकड़ वसंत कुंज, फेज-II	26-2-2003	18-7-2003	इंस्टीट्यूशन सेंटर फार एग्रीकल्चर एंड एरिगेशन
3.	ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन	100 वर्ग मी. जनकपुरी	13-10-2003	22-9-2004	कार्यालय
4.	आस्कर बायोटेक प्रा. लि.	2.97 हेक्ट./ब्लॉक-ए शालीमार बाग	22-12-2003	30-6-2005	
5.	आकाश इंस्टीट्यूट प्रा. लि.	0.60 हेक्ट./सेक्टर-3, द्वारका	वही	27-10-2004	
6.	मेट्रो हॉस्पिटल	1.0 हेक्ट./सेक्टर-ए-7, नरेला	वही	17-11-2004	
7.	वाकहार्डट हॉस्पिटल लि.	0.72, हेक्ट./एच. 4-एच. 5 रोड नं. 43, पीतमपुरा	वही	15-10-2004	
8.	मुथुल हॉस्पिटल	3.50 हेक्ट./सेक्टर-10, द्वारका	वही	31-5-2004	
9.	डा. लाल पैथ लैब प्रा. लि.	3717 वर्ग मी. रोहिणी/सैक्टर-8	28-4-2004	17-11-2004	
10.	गणेश डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर	616.6 सक्वेयर रोहिणी/सेक्टर-8	वही	30-11-04	
11.	श्री अग्रसेन नार्थ एक्स. वेलफेयर सोसाइटी	720 वर्ग मी. सी.एस.ई.-5, सेक्टर-1, रोहिणी	21-7-06	8-1-07	

1	2	3	4	5
12.	संजीवनी हेल्थ केयर	0.276 हेक्ट. ए-7, प्लाट-19, नरेला	वही	
13.	मेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट	एफ.सी.-50, शालीमार बाग	17-12-07	1-10-2008
14.	अग्रसेन नार्थ एक्स. वेलफेयर सोसाइटी	सेक्टर-22, पी.एस.पी., रोहिणी	17-12-07	प्रक्रियाधीन
15.	महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल	सेक्टर-1, द्वारका	17-12-07	4-7-2008
16.	राकलैण्ड हास्पिटल लि.	सेक्टर-12, द्वारका फेज-I, एच.ए.एफ.बी.	17-12-07	कब्जा सौंप दिया गया
17.	डा. कुलदीप सिंह	सेक्टर-17, द्वारका, फेज-II, एच.ए.एफ.	17-12-07	प्रक्रियाधीन

[अनुवाद]

बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से विनियमन समाप्त करना

1206. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बैंक और बीमा क्षेत्र से आने और विनियमन समाप्त करने/पूरी तरह खोलने के निर्णय का विरोध करने संबंधी प्रस्ताव एवं निवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकार को, एफ.डी.आई. सीमा बढ़ाने, मताधिकारों पर लगी सीमा को हटाने के लिये सांविधिक उपबंधों को संशोधित करने, आदि के जरिये बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में और अधिक अवसर प्रदान करने के पक्ष तथा विपक्ष में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) बैंकिंग क्षेत्र में एफ.डी.आई. सीमा को बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय बीमा कंपनियों में एफ.डी.आई. सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। मताधिकारों पर लगी सीमा को हटाने के लिये बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के संगत उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव संसद द्वारा विचार किये जाने/पारित किये जाने हेतु लंबित है।

जाली मुद्रा

1207. श्री उदय सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश जाली मुद्रा का एक बड़ा केन्द्र बन गया है जैसा कि दिनांक 28 सितम्बर, 2008 के "दि हिन्दुस्तान टाईम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के दल ने बैंकों की कई शाखाओं पर छापे के दौरान कई लाख की जाली मुद्रा बरामद की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र बैंक की शाखाओं के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2008 में (जून तक) 31360 अदद जाली करेंसी नोट जब्त/बरामद किए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कानपुर और लखनऊ स्थित कार्यालयों ने नेपाल के सीमावर्ती जिलों और उत्तरोत्तर उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में स्थित करेंसी तिजोरियों का निरीक्षण किया जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, डुमरियागंज और ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, कविनगर, गाजियाबाद में जाली नोट पाए गए जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

बैंक का नाम	1000 रुपए	500 रुपए	100 रुपए	50 रुपए	कुल
भारतीय स्टेट बैंक डुमरियागंज	6948	65812	3524	09	76293
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	34	219	1	-	254

अन्य सभी करेंसी तिजोरियों में बहुत कम जाली नोट पाए गए।

भारत सरकार ने देश में जाली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता में तेजी लाना; अखबारों

और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से जनता में जागरूकता पैदा करना; समय-समय पर बैंक नोटों में सुरक्षा विशेषताओं की कोटि बढ़ाना; पुलिस महानिदेशकों की अध्यक्षता में, विशेष रूप से जाली करेंसी नोटों का पता लगाने के लिए, राज्य स्तर पर समितियों का गठन करना; जाली नोटों का पता लगाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों में तंत्र को सुदृढ़ बनाना और इस संबंध में राज्य सरकारों को सतर्क बने रहने हेतु समय-समय पर अनुदेश जारी करना शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक के लखनऊ और कानपुर स्थित कार्यालयों ने भारतीय स्टेट बैंक, डुमरियागंज में जाली नोटों का पता लगाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सभी 98 करेंसी तिजोरियों और उत्तरोत्तर उत्तर प्रदेश की उन सभी करेंसी तिजोरियों का जो संदेह के दायरे में आती हैं, निरीक्षण किया।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

1208. श्री टेकलाल महतो:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

श्री जुएल ओराम:

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मजदूरी-सामग्री अनुपात के संबंध में गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत किए गए खर्च का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा राज्य-वार खर्च की गई धनराशि का समानुपात क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) एन.आर.ई.जी. अधिनियम, 2005 की धारा 16(5) के अनुसार, किसी योजना के अंतर्गत लागत के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने होते हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा खर्च की गई निधियों के अनुपात से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत हुए व्यय का मजदूरी सामग्री अनुपात

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2006-07 संचयी व्यय (लाख रु.)				मजदूरी पर व्यय का प्रतिशत	सामग्री पर व्यय का प्रतिशत	वित्त वर्ष 2007-08 संचयी व्यय (लाख रु.)				मजदूरी पर व्यय का प्रतिशत	सामग्री पर व्यय का प्रतिशत
		मजदूरी पर	सामग्री पर	आकस्मिक	कुल			मजदूरी पर	सामग्री पर	आकस्मिक	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	58422.46	1196.14	8401.72	68020.32	85.89	1.76	166929.79	27474.56	13970.40	208374.75	80.11	13.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	218.91	0.00	2.43	221.34	98.90	0.00	187.28	111.01	5.61	303.90	61.63	36.53
3.	असम	318369.19	20002.56	881.18	59252.93	64.75	33.76	35749.39	17780.80	1384.75	54914.94	65.10	32.38
4.	बिहार	41859.88	28984.73	431.55	71276.16	58.73	40.67	68323.63	33991.79	2907.24	105222.66	64.93	32.30
5.	छत्तीसगढ़	43156.49	22677.09	1048.58	66882.16	64.53	33.91	90069.51	46901.46	3212.23	140183.20	64.25	33.46
6.	गुजरात	5583.01	1255.95	1746.06	8585.02	65.03	14.63	5785.81	1596.84	801.59	8184.24	70.69	19.51
7.	हरियाणा	2329.77	1213.14	51.76	3594.67	64.81	33.75	4440.87	659.25	134.89	5235.01	84.83	12.59
8.	हिमाचल प्रदेश	2057.58	1858.76	23.77	3940.11	52.22	47.18	7355.50	5103.24	106.12	12564.86	58.54	40.62
9.	जम्मू-कश्मीर	2242.15	1162.48	49.81	3454.44	64.91	33.65	2639.44	1488.11	72.70	4200.25	62.84	35.43
10.	झारखंड	41286.36	29020.46	848.31	71155.13	58.02	40.78	61595.90	42434.30	2223.65	106253.85	57.97	39.94
11.	कर्नाटक	14774.24	9769.23	286.20	24829.67	59.50	39.34	14306.79	8381.21	962.53	23650.53	60.49	35.44
12.	केरल	2474.63	139.03	176.07	2789.73	88.71	4.98	7139.51	870.87	326.45	8336.83	85.64	10.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	मध्य प्रदेश	117350.36	65999.60	2918.67	186268.63	63.00	35.43	175006.42	106934.72	7231.46	289172.60	60.52	36.98
14.	महाराष्ट्र	16517.89	859.88	83.41	17461.18	94.60	4.92	16585.97	1606.16	715.09	18907.22	87.72	8.49
15.	मणिपुर	1385.87	599.13	40.50	2025.50	68.42	29.58	4184.72	1810.60	280.83	6276.15	66.68	28.85
16.	मेघालय	1767.46	321.40	22.99	2111.85	83.69	15.22	3650.64	1280.70	159.84	5091.18	71.71	25.16
17.	मिजोरम	1375.63	190.11	77.37	1643.11	83.72	11.57	4020.62	20.53	159.56	4200.71	95.71	0.49
18.	नागालैंड	863.62	544.20	49.80	1457.62	59.25	37.33	1690.59	545.04	161.94	2397.57	70.51	22.73
19.	उड़ीसा	42197.66	30298.99	849.97	73346.62	57.53	41.31	31228.30	25183.25	1545.35	57956.90	53.88	43.45
20.	पंजाब	1464.01	975.06	61.14	2500.21	58.56	39.00	1939.67	1016.57	48.05	3004.29	64.56	33.84
21.	राजस्थान	50726.51	17658.71	920.92	69306.14	73.19	25.48	98424.20	45697.51	3612.01	147733.72	66.62	30.93
22.	सिक्किम	211.23	50.66	0.00	261.89	80.66	19.34	808.31	357.61	19.84	1185.76	68.17	30.16
23.	तमिलनाडु	14628.18	0.00	535.45	15163.63	96.47	0.00	49890.71	0.00	1751.67	51642.38	96.61	0.00
24.	त्रिपुरा	3007.80	1419.88	80.00	4507.68	66.73	31.50	13134.34	6804.19	921.80	20860.33	62.96	32.62
25.	उत्तर प्रदेश	46209.24	30267.35	1490.87	77967.46	59.27	38.82	126278.96	58784.26	4761.92	189825.14	66.52	30.97
26.	उत्तराखण्ड	2942.07	1748.55	159.08	4849.70	60.66	36.05	5930.12	3236.35	408.54	9575.01	61.93	33.80
27.	पश्चिम बंगाल	30814.68	7664.01	983.94	39462.63	78.09	19.42	76549.66	21675.67	2209.28	100434.61	76.22	21.58
	कुल	584236.88	275877.10	22221.55	882335.53	66.21	31.27	1073846.65	461746.60	50095.34	1585688.59	67.72	29.12

जनजातियों के विकास हेतु बजटीय सहायता

1209. **श्री हंसराज गं. अहीर:**

श्री अजीत जोगी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनजातियों को उनकी आबादी के समानुपात में बजटीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उपर्युक्त बजट सहायता का पूरा उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित करता है। मंत्रालय की योजनाओं के अधीन राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों को निधियों का आबंटन देश में जनजातीय आबादी की तुलना में उस राज्य की जनजातीय आबादी की प्रतिशतता आधार पर की जाती है।

(ख) वांछित विवरण निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक व्यय
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
2005-06	1498.82	1398.82	1391.95
2006-07	1656.90	1652.68	1647.73
2007-08	1719.71	1719.71	1524.32
2008-09 (30-9-2008 को)	2121.00	-	871.88

(ग) से (ङ) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त की गई निधियां स्वीकृति तिथि के 12 महीनों के भीतर उपयोग करनी होती हैं। राज्यों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता स्थिति यह दर्शाती है कि मेघालय सहित अधिकांश राज्यों ने 75% राशि निर्धारित समय-सीमा के अधीन निर्मुक्त की हैं। मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियों के उचित एवं शीघ्रतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पुनः कहा है कि निर्धारित समय-सीमा के तहत इन निधियों की उपयोगिता के आधार पर ही आगे निधियां निर्मुक्त की जाएंगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बैंकों की शाखाएं खोला जाना

1210. **श्री एस.के. खारवेन्थन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने हेतु तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों की मांगें काफी समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाओं के स्थान-वार और राज्य-वार कब तक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) नई बैंक शाखाएं खोलने संबंधी निर्णय, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों द्वारा अभिशासित होता है। राज्यों में विशिष्ट केन्द्रों पर नई शाखाएं खोलने संबंधी प्रस्ताव अलग-अलग बैंकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्यतया, इसके प्रस्तुत करने के चार सप्ताह के भीतर प्रस्ताव पर बैंक के साथ चर्चा की जाती है और तत्पश्चात् अनुमोदन की सूचना दी जाती है। शाखाएं खोलने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों द्वारा, विशेष रूप से कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों (जिलों) में दी गई बैंकिंग सुविधाओं के स्वरूप एवं कार्य-क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वास्तविक ऋण उपलब्धता, वित्तीय समावेशन के लिए समग्र प्रयास, आदि को महत्व देता है। बैंक, जिन केन्द्रों पर प्राधिकार की वैध अवधि अर्थात एक वर्ष के भीतर शाखा खोलने में असफल हो जाता है, वह इसे आगामी वार्षिक योजना में शामिल कर सकता है।

[हिन्दी]

महिलाओं पर तेजाब फेंकना

1211. श्री बापू हरी चौरे:
श्री ई. दयाकर राव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लड़कियों और महिलाओं पर तेजाब फेंकने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है जैसाकि दिनांक 19 सितंबर, 2008 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'अपराध (तेजाब द्वारा) निवारण अधिनियम, 2008' शीर्षक से एक विधान के प्रारूप का प्रस्ताव रखा है, जिसमें लड़कियों और महिलाओं पर तेजाब फेंकने के दोषी व्यक्तियों के लिए दण्ड का प्रावधान भी है। आयोग इस प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए व्यापक परामर्श बैठकें आयोजित कर रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वृत्तचित्र फिल्में

1212. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए वृत्तचित्र फिल्में बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विभिन्न पहलुओं को वृत्तचित्रित करने के लिए 18 फिल्में बनाई गई हैं।

(ग) इन फिल्मों के निर्माण पर 32.72 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

धनशोधन निवारण अधिनियम

1213. श्री निखिल कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को धनशोधन निवारण अधिनियम में कई खामियां मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने आतंक हेतु वित्तपोषण को धनशोधन निवारण अधिनियम की परिधि में शामिल करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार ने धनशोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया है ताकि धन-शोधन रोधी कानूनी ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा सके और आतंकवाद के वित्त-पोषण का मुकाबला किया जा सके। इस विधेयक का आशय कतिपय वित्तीय संस्थानों जैसे पूर्ण धन परिवर्तकों, धन अन्तरण उपलब्धकर्त्ताओं जैसे वैस्टर्न यूनियन एवं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान माध्यमों जिनमें वीजा तथा मास्टर कार्ड शामिल हैं उनको अधिनियम की सूचना शासन-प्रणाली के अंतर्गत लाना है। इस विधेयक में आतंकवाद के वित्त-पोषण का मुकाबला करने के उपबंध शामिल किए गए हैं तथा इसमें अपराधों की एक नयी श्रेणी रखी गयी है जिनका सीमा के आर-पार प्रभाव हो।

(ग) जी, हां।

(घ) धन-शोधन निवारण संशोधन विधेयक, 2008 का आशय अनुसूचित अपराधों की सूची का विस्तार करना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत अपराध भी शामिल हैं।

विदेशी मुद्रा भण्डार

1214. श्री निखिल कुमार:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत हाल ही में भारतीय विदेशी मुद्रा भण्डार में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी मुद्रा भण्डार में कमी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार मार्चान्त 2008 के 309.7 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से गिरकर 274.0 बिलियन अमरीकी डालर (10. अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार) के स्तर पर आ गया।

(ग) और (घ) पूंजीगत अंतर्वाहों की सीमा और विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली हस्तक्षेप-कार्रवाई का स्तर विदेशी मुद्रा भण्डार के स्तर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। वैश्विक वित्तीय बाजारों में हुई उथल-पुथल के परिणामस्वरूप आपूर्ति पक्ष पर पूंजीगत अंतर्वाहों के अपेक्षाकृत कम स्तर और बाजार भीगादीरों से आई अधिक मांग के कारण चालू वित्त वर्ष में अमरीकी डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में तेजी से गिरावट हुई है। विदेशी मुद्रा भण्डार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा एवं पूंजीगत अंतर्वाहों को सुव्यवस्थित ढंग से खपाने के साथ-साथ विनिमय दर को बनाए रखने तथा उनकी प्रबंध व्यवस्था करने के साधन हैं। चालू वित्त वर्ष में अपर्याप्त आपूर्ति को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सुव्यवस्थित स्थितियां बनाए रखने के लिए अमरीकी डालर की बिक्री के जरिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कार्रवाई की। इसीलिए विदेशी मुद्रा भण्डार में गिरावट हुई। भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति को बढ़ाने हेतु एजेंट बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा की बिक्री करने अथवा किसी भी प्रकार के मांग-आपूर्ति अन्तर को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना जारी रखेगा।

हाल के वर्षों में विनिमय दर की नीति सजग मानीटरिंग और लचीलेपन के साथ विनिमय दरों के प्रबंधन के मुख्य सिद्धांतों से मार्गदर्शित होती रही है जिसमें कोई नियत लक्ष्य या पूर्वघोषित लक्ष्य या सीमा न रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करने की क्षमता भी शामिल है। विदेशी मुद्रा बाजार में अमरीका डालर की आपूर्ति सुधारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं/घोषित किए हैं; पूंजी प्रवाह आकर्षित करने के लिए अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें कम की गईं; बैंकों को पिछली तिमाही के समाप्त होने पर उनकी अक्षत टियर-1 पूंजी के 50 प्रतिशत तक की सीमा तक अथवा 10 मिलियन अमरीकी डालर, जो भी 25 प्रतिशत की वर्तमान सीमा की तुलना में अधिक हो, की निधियां अपनी विदेश स्थित शाखाओं और सह-संबंधी बैंकों से उधार लेने की अनुमति दी गई है; मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजारों में तंगी से उत्पन्न होने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को, जून-जुलाई, 2008 में तेल बांडों के लिए विशेष बाजार प्रचालनों के माध्यम से सुविधा दी गई; अपतटीय व्युत्पाद लिखतों संबंधी प्रतिबंधों में छूट दी गई; और विदेशी संस्थागत

निवेशकों के कारपोरेट बांडों में निवेश की सीमा 3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 6 बिलियन अमरीकी डालर करने का निर्णय लिया गया है।

केन्द्रीय भंडार

1215. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडार को आवंटित सरकारी परिसरों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में सरकारी सेवकों हेतु सामान्य पूल आवास को बढ़ाने के लिए उन परिसरों को वापस लेने का निर्णय किया है, जहां इस समय केन्द्रीय भंडार स्थित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में केन्द्रीय भंडार के इन परिसरों को वैकल्पिक स्थान प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां। केन्द्रीय भंडार को आबंटित सरकारी परिसरों की स्थान-वार सूची संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2005 में यह निर्णय लिया था कि केन्द्रीय भंडार को आबंटित रिहायशी मकानों को तीन वर्षों की अवधि में एक चरणबद्ध ढंग से खाली कराया जाए, जिनमें एक तिहाई मकान नवम्बर, 2005 से, प्रत्येक कलेन्डर वर्ष (12 माह) के अंत में खाली कराए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) दिनांक 16-4-2008 को लिए गए निर्णय के अनुसार, मास्टरप्लान के पैरा 15.6.3 में सूचीबद्ध 24 मदों अथवा कार्यकलापों के व्यवसाय के लिए रिहायशी परिसरों के भूतल पर अधिकतम 20 वर्ग मी. क्षेत्र की दुकानों की, अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार केन्द्रीय भंडार को पेशकश की गई थी और केन्द्रीय भंडार ने पेशकश को स्वीकार कर लिया है।

विवरण-I

सं. 12035/2/94-पोल-II

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
संपदा निदेशालय

दिल्ली और अन्य स्थानों पर केन्द्रीय भंडार को आबंटित रिहायशी वास का ब्यौरा

क्र. सं.	दिल्ली में स्थित स्थान का नाम	आबंटित क्वार्टर का टाइप
1	2	3
1.	321, पंडारा रोड	VA
2.	12/143, देव नगर	III
3.	एस-II/1, सादिक नगर	III
4.	एस-IX/821, आर.के. पुरम	III
5.	एस-I/107/3, एम.बी. रोड	III
6.	10/165, लोधी कालोनी	III
7.	9/4, एंड्रयूज गंज	III
8.	11/4, एंड्रयूज गंज	III
9.	एफ-147, नारोजी नगर	III
10.	20/ए, वसंत विहार	III
11.	20/बी, वसंत विहार	III
12.	डी-808, मन्दिर मार्ग	III
13.	एच-634, सरोजिनी नगर	III
14.	एच-638, सरोजिनी नगर	III
15.	एस-VII/1013, आर.के. पुरम	II
16.	एस-VII/1015, आर.के. पुरम	II
17.	एस-V/299, आर.के. पुरम	II

1	2	3
18.	एच-379, नानक पुरा	II
19.	जी-519, एस.एन. पुरी	II
20.	एच-313, काली बाड़ी मार्ग	II
21.	एच-314, काली बाड़ी मार्ग	II
22.	एच-315, काली बाड़ी मार्ग	II
23.	बी-83, किदवई नगर	II
24.	बी-85, मोती बाग-I	II
25.	बी-87, मोती बाग-I	II
26.	535, तिमार पुर	II
27.	33, उत्तर पश्चिमी मोती बाग	III
28.	सै.-IX/329, आर.के. पुरम	II
29.	15/190, प्रेम नगर	I
30.	15/192, प्रेम नगर	I
31.	आई-437, कस्तूरबा नगर	I
32.	आई-441, कस्तूरबा नगर	I
33.	आई-445, कस्तूरबा नगर	I
34.	आई-433, कस्तूरबा नगर	I
35.	69, लांसर रोड	II
36.	बी-245, सरोजिनी नगर	III
37.	सै.-III/1115, आर.के. पुरम	II
38.	एन.एच.-IV, फरीदाबाद	VI
39.	इन्दिरा नगर चेन्नै	IV
40.	बेसंत नगर चेन्नै	IV
41.	थिरुमंगलम चेन्नै	III
42.	घाटकोपर, मुम्बई	V

विवरण-II

दिल्ली में केन्द्रीय भंडार को आबंटित कार्यालय स्थान का ब्यौरा

क्र. सं.	भवन का नाम	आबंटित कार्यालय स्थान
1.	ब्लाक सं. 12, सी.जी.ओ. कम्पलैक्स	500 वर्ग फुट
2.	ब्लाक सं. 9, सी.जी.ओ. कम्पलैक्स	700 वर्ग फुट
3.	धौलपुर हाऊस (गैरज सं. 7 और 8)	458 वर्ग फुट
4.	धौलपुर हाऊस (गैरज सं. 9)	205 वर्ग फुट
5.	पुष्पा भवन	14627 वर्ग फुट
6.	ईस्ट ब्लाक-X भूतल (साईकल स्टैंड) वेस्ट ब्लाक-III, विंग-III जी.एफ., आर.के. पुरम, नई दिल्ली	8000 वर्ग फुट

[हिन्दी]

दिल्ली में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास

1216. **श्री रामदास आठवले:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली में झुग्गी/झोपड़ी में रहने वाले लोगों का समयबद्ध तरीके से पुनर्वास करने हेतु किसी कार्य योजना का क्रियान्वयन करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य योजना पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके लिए भूमि आवंटित की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों का पुनर्वास किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी, वर्ष-वार, ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) डी.डी.ए. झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के पुनर्वास हेतु निम्नलिखित नीतियां अपना रहा है :-

(i) जे.एन.एन.यू.आर.एम. स्कीम के तहत ई.डब्ल्यू.एस. आवासों के निर्माण द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का पुनर्स्थापन।

(ii) झुग्गी/झोपड़ी निवासियों का स्व-स्थानें पुनर्वास, जिसके तहत झुग्गी-झोपड़ी वासियों के पुनर्स्थापन हेतु निम्नलिखित मामले प्रक्रिया में हैं।

जोन	झुग्गी झोंपड़ी समूह की कुल सं.	झुग्गियों की स्थिति	स्कीम का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	झुग्गियों की अस्थायी सं.	आवासीय इकाइयों की सं. (प्रस्तावित)
1	2	3	4	5	6
एस.डब्ल्यू.जेड.	3	कुसुमपुर पहाड़ी, बसंत विहार	17.32	5000	5000
		भंवर सिंह कैम्प, बसंत विहार	4.01	2500	2500
		शिव एण्ड सेवा कैम्प, वसंत विहार	0.37	244	244
डी.आई.आर. (एम.एम.)	6	विकासपुरी के पास कृष्णा पार्क	0.73	450	450
		इंदिरा कैम्प, जे-ब्लॉक केशोपुर, विकासपुरी	0.81	530	530
		श्याम नगर के ब्लॉक	0.40	400	400
		शंकर गार्डे, विकासपुरी	0.63	613	613
		जे.जे. कलस्टर सुभाष नगर-I	1.484	600	600
		बूस्टर पंप के पीछे रघुबीर नगर	1.760	4000	1161
रोहिणी	3	सै. 3 रोहिणी में डिस्ट्रिक्ट सेंटर,	1.17	850	850

1	2	3	4	5	6
		रोहिणी, सै. 34 और 35 में पुनर्स्थापन सै. 18, पाकेट बी, ई, एवं एफ. रोहिणी	1.64	850	850
		सै. 19, बी एवं सी रोहिणी के स्वास्थ्य सुविधा हेतु चिन्हित	2.00	1200	1200
नॉर्थ जोन	5	जेलर वाला बाग, अशोक विहार,	10.20	1200	1200
		कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो	5.364	2800	2800
		एच.एस.एस.जी.पी. ब्लॉक पीतमपुरा	1.00	1056	1056
		मैट्रो अपार्टमेंट जहांगीरपुरी	4.00	2000	2000
		एन-86 लारेंस रोड	0.30	198	198
ईस्ट जोन	3	डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिलशाद गार्डन	4.21	2779	2779
		संजय लेक के सामने, पटपड़गंज,	6.59	4349	4349
		खिचड़ीपुर, कल्याण पुरी एवं संजय लेक के सामने	0.93	613	613
एस.ई.जेड.	1	कालका जी एक्सटेंशन में जे.जे. कलस्टर	10.07	8086	6646
कुल	21		75	32992	36803

उपर्युक्त में से, कटपुतली कालोनी, जेलर वाला बाग, ब्लाक ई एण्ड एफ सेक्टर-18, रोहिणी तथा कैम्प-2 केशोपुर, विकासपुरी के लिए स्कीमों को अंतिम रूप दिया गया है तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए विकसित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए क्यू आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं।

(iii) 12.5 वर्ग मीटर और 18 वर्ग मीटर के भूखण्डों का आवंटन (पहले ही विकसित भूखण्डों के अलावा इसे बन्द किया जा रहा है)

(ख) स्व-स्थाने पुनर्वास के अलावा, पांच वर्षों में जे.एन.एन.यू.आर.एम. स्कीम के अंतर्गत 29200 ई.डब्ल्यू.एस. का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 6000 ई.डब्ल्यू.एस. मकान निर्मित किए जाएंगे। इसमें लगभग 900.00 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसके अतिरिक्त, उसी स्थान पर विकास करके अगले पांच वर्षों में लगभग 10,000 परिवारों को पुनर्स्थापित किए जाने की संभावना है।

(ग) डी.डी.ए. ने यह सूचित किया है कि वह इस प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार भूमि आवंटित कर रहा है। उसी स्थान पर पुनर्वास करने के लिए अलग से भूमि की आवश्यकता नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में लागू नहीं है।

(ङ) जी हां।

(च) डी.डी.ए. ने वर्ष 2006 और 2007 के दौरान सामान्य स्कीम के अंतर्गत क्रमशः 1184 और 507 झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को पुनर्स्थापित किया है। वर्ष 2008 के दौरान, लगभग 1650 झुग्गी-झोपड़ी वासियों को पुनर्वास प्रदान किया जाना है। इसमें लगभग 1949.44 लाख रुपए व्यय होगा।

[अनुवाद]

न्यायधीशों की नियुक्ति

1217. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री मधु गौड यास्खी:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने देश में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कुछ सिफारिशें दी हैं जैसाकि दिनांक 7 अक्तूबर, 2008 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

1218. श्री टेक लाल महतो: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एम.) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी-कितनी निधियां आबंटित/जारी और प्रयुक्त की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से कितने लाभभोगियों का चयन किया गया;

(ग) क्या अभी भी अनेक आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा शामिल है। वर्ष 2002-03 से यह कार्यक्रम राज्य योजना में अंतरित कर दिया गया है। राज्यों को एन.एस.ए.पी. के लिए संयुक्त आबंटन के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियां रिलीज की जाती हैं। राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकता के अनुसार एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत योजना को कार्यान्वित करने की छूट दी गई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्थात 2005-06 से 2007-08 तक एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत क्रमशः 118971 लाख रु., 248961.44 लाख रु. तथा 288973.21 लाख रु. रिलीज किए गए। 2008-09 के दौरान एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत अब तक 173487 लाख रु. रिलीज किए गए।

(ख) से (ङ) एन.एफ.बी.एस. सहित एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत लाभार्थियों के निर्धारण और आवेदनों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसलिए वैयक्तिक लाभार्थियों के ब्यौरे केन्द्र सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। 2007-08 के दौरान एन.एफ.बी.एस. के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या 3.34 लाख है। तथापि, राज्य सरकारों को दिशा-निर्देशों के अनुसार एन.एफ.बी.एस. सहित एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कहा जाता है।

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

1219. श्री हंसराज गं. अहीर:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में निर्माणाधीन सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनकी अनुमानित लागत, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र की वर्तमान में निर्माणाधीन ताप, जल तथा नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत, विद्युत उत्पादन क्षमता तथा इन पर किए गए खर्च और परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित तिथियों के विवरण संलग्न विवरण: I, II और III में दर्शाये गये हैं।

(घ) निर्माणाधीन परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

– फंड की कमी की वजह से अच्छी परियोजना का क्रियान्वयन बाधित न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए पी.एफ.सी. तथा आर.ई.सी. ने तैयारी कर रखी है।

– मानीटरिंग तंत्र को नीचे दिए जा रहे तरीकों से मजबूत किया गया है:

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) ने प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना के साथ एक नोडल अधिकारी को सम्बद्ध किया है जो कि कार्यस्थल का बार-बार दौरा करके तथा नियमित बातचीत करके कार्य की प्रगति की निरंतर मानीटरिंग करते हैं।
- विद्युत मंत्रालय नियमित रूप से सी.ई.ए., केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.एस.) तथा अन्य अंशधारकों के साथ बैठकें करके निर्माणाधीन परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण लक्ष्यों की समीक्षा करता है।
- मानीटरिंग तंत्र को और मजबूत करने के लिए पावर प्रोजेक्ट मानीटरिंग पैनल (पी.पी.एम.पी.) का स्थापना की गई है।

विवरण-I

केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्र	क्रियान्वयन एजेंसी	यूनिट संख्या	तुल्यकालन की प्रत्याशित क्षमता (मेगावाट में)	चालू होने की संभावित तिथि	परियोजना की अद्यतन लागत	2005-06 में किया गया व्यय	2006-07 में किया गया व्यय	2007-08 में किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश										
	सिम्हाद्री टी.पी.पी. विस्तार	केंद्रीय	एन.टी.पी.सी.	यू.3	500	11/2010	5038.53	0	273.98	173.06
				यू-4	500	05/2011				
	काकतिया टी.पी.पी.		ए.पी. जेनको	यू-1	500	09/2009	2059.00	110.50	287.22	712.84
	कोटागुडम टी.पी.पी. विस्तार			यू-1	500	03/2010	2203.00	0	89.52	157.11
	रायलसीमा चरण III			यू-5	210	12/2009	998.00	0	0	105.95
	डा. एन.टी. राव (विजयवाड़ा) टी.पी.पी. 4			यू-1	500	03/2009	1950.00	93.02	461.64	734.40
असम										
	बोंगाईगांव टी.पी.पी.	केन्द्रीय	एन.टी.पी.सी.	यू-1	250	11/2010	4375.35	0	0	238.31
				यू-2	250	03/2011				
				यू-3	250	07/2011				

	लकवा वेस्ट ही यूनिट	राज्य	ए.पी.जी.सी.एल.	एस.टी.	37.2	09/2009	236.40	0	0	110.10
बिहार										
	बाढ़ एस.टी.पी.पी. I	केंद्रीय	एन.टी.पी.सी.	यू-1	660	01/2011	8692.97	195.75	525.06	1283.57
				यू-2	660	07/2011				
				यू-3	660	01/2012				
	कहलगांव चरण-2 फेज-2 (फेज-1 सहित)		एन.टी.पी.सी.	यू-7	500	12/2008	5868.38 (फेज-I सहित)	1188.85	1341.52	626.20
	नवीनगर टी.पी.पी. (एन.टी.पी.सी. और रेलवे का संयुक्त उद्यम)			यू-1	250	12/2010	5352.00	0	0	250.00
				यू-2	250	04/2011				
				यू-3	250	08/2011				
				यू-4	250	12/2011				
छत्तीसगढ़										
	भिलाई टी.पी.पी. विस्तार	केंद्रीय	एन.एस.पी.सी.एल.	यू-2	250	12/2008	2690.50 (यू-1 सहित)	240.45	544.98	919.77
	कोरबा एस.टी.पी.पी.		एन.टी.पी.सी.	यू-7	500	02/2010	2448.49	130.06	160.10	519.59
	सीपत I		एन.टी.पी.सी.	यू-1	660	03/2009	8323.39	1079.41	1543.53	2019.38
				यू-2	660	09/2009				
				यू-3	660	03/2010				
	कोरबा वेस्ट चरण III	राज्य	सी.एस.ई.बी.	यू-1	500	10/2011	2309.34	10.44	0.59	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	गारवा टी.पी.पी.			यू-1	500	06/2011	4639.84	0.29	4.66	0.58
				यू-2	500					
दिल्ली										
	प्रगति सी.सी.जी.टी. III	राज्य	प्रगति पावर कारपोरेशन	जीटी-1	250	03/2010	5195.81	0	0	0
				जीटी-2	250	05/2010				
				जीटी-3	250	07/2010				
				जीटी-4	250	09/2010				
				एसटी-1	250	07/2010				
				एसटी-2	250	11/2010				
गुजरात										
	हजीरा सी.सी.पी.पी. विस्तार	राज्य	जी.एस.ई.सी.एल.	जीटी+एसटी	351	12/2010	1215.00	0	0	115.20
	कच्छ लिग्नाइट टी.पी.एस. विस्तार			यू-4	75	10/2008	490.00	0	292.03	162.16
	पिपावाब सी.सी.पी.पी.			ब्लॉक-1	351	09/2010	2334.30	0	0	232.13
				ब्लॉक-2	351	03/2011				
	सिक्का टी.पी.पी. विस्तार	राज्य		यू-3	250	01/2010	2282.00	0	0	155.00
				यू-4	250	05/2010				

	सूरत लिग्नाइट टी.पी.पी. विस्तार	राज्य	जी.आई.पी.सी.एल.	यू-3	125	02/2009	1455.85	0	273.98	460.73
				यू-4	125	03/2009				
	उकाई टी.पी.पी. विस्तार		जी.एस.ई.सी.एल.	यू-6	490	02/2011	2218.00	0	0	117.50
	उतरान सी.सी.पी.पी. विस्तार			जीटी+एसटी	374	08/2009	1263.00	0	20.79	295.52
हरियाणा										
	इंदिरा गांधी टी.पी.पी.	केंद्रीय	ए.पी.सी.पी.एल.	यू-1	500	07/2010	8293.00	0	0.57	1080.90
				यू-2	500	10/2010				
				यू-3	500	01/2011				
	राजीव गांधी टी.पी.एस. विस्तार	राज्य	एच.पी.जी.सी.एल.	यू-1	600	11/2009	4298.00	0	190.00	389.97
				यू-2	600	02/2010				
झारखंड										
	बोकारो टी.पी.एस. 'ए' विस्तार	केंद्रीय	डी.वी.सी.	यू-1	500	09/2011	2313.00	0	4.25	0
	चन्द्रपुरा टी.पी.एस. विस्तार			यू-7	250	10/2008	2066.45	403.06	588.11	463.06
				यू-8	250	02/2009				
	कोडरमा टी.पी.पी.			यू-1	500	05/2010	4313.00	0	25.30	275.56
				यू-2	500	09/2010				
	मैथन आर.बी.सी.			यू-1	525	08/2010	4450.00	0	14.25	1.84
				यू-2	525	01/2011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कर्नाटक										
	बेल्लारी टी.पी.पी. चरण II		के.पी.सी.एल.	यू-2	500	11/2010	2171.00	0	0.19	167.73
	रायचूर यू 8			यू-8	250	07/2009	986.00	0.31	53.69	134.42
महाराष्ट्र										
	चन्द्रपुर टी.पी.पी.		एम.एस.पी.जी. सी.एल.	यू-1	500	12/2011	5500.00	0	0	25-7-08 को आदेश दिया गया
				यू-2	500	03/2012		–	–	–
	भुसावल टी.पी.एस. विस्तार		एम.एस.पी.जी. सी.एल.	यू-1	500	05/2010	4124.00	0	0	169.20
				यू-2	500	09/2010		–	–	–
	कापसखेडा टी.पी.एस. विस्तार			यू-1	500	01/2010	2170.00	0	0	271.41
	न्यू पारली टी.पी.पी.			यू-2	250	04/2009	1091.00	0	6.47	376.85
	पारस टी.पी.एस. विस्तार			यू-2	250	07/2009	1224.00	0	0	365.20
मध्य प्रदेश										
	सतपुडा टी.पी.पी. विस्तार	राज्य	एम.पी.पी.जी. सी.एल.	यू-1	250	11/2010	2673.00	0	0	152.00
				यू-2	250	03/2011		–	–	–
राजस्थान										
	बरसिंगरार लिग्नाइट	केंद्रीय	एन.एल.सी.	यू-1	125	02/2009	1114.18	0	288.10	441.25

				यू-2	125	05/2009				
	छाबड़ा विस्तार	राज्य	आर.आर.वी.यू. एन.एल.	यू-1	250	08/2011	2200.00	0	0	0
				यू-2	250	10/2011				
	छाबड़ा टी.पी.एस.			यू-1	250	01/2009	2350.00	14.72	405.23	1063.26
				यू-2	250	08/2009				
	गिराल लिग्नाइट			यू-2	125	11/2008	750.00	40.30	172.04	321.75
	कोटा टी.पी.पी.			यू-7	195	03/2009	880.00	0	0	353.88
	सूरतगढ़ टी.पी.पी.			यू-6	250	02/2009	1117.00	0	0	455.53
	कालीसिंध			यू-1	600	10/2011	4600.00	0	0	10.73
				यू-2	600	01/2012				
तमिलनाडु										
	नैवेली टी.पी.एस. II विस्तार	केंद्रीय	एन.एल.सी.	यू-1	250	07/2009	2453.57	161.75	252.39	734.97
				यू-2	250	09/2009				
	वेल्लूर टी.पी.पी.		एन.टी.ई.सी.एल.	यू-1	500	11/2010	5552.78	0.28	2.96	393.88
				यू-2	500	05/2011				
	मेत्तूर टी.पी.पी. विस्तार	राज्य	टी.एन.ई.बी.	यू-1	600	06/2011	3550.04	0	0	2.20
	नॉर्थ चेन्नई विस्तार यू-1			यू-1	600	02/2011	3095.29	0	0	0
	नॉर्थ चेन्नई विस्तार यू-2			यू-2	600	08/2011	2718.75	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
त्रिपुरा										
	त्रिपुरा गैस	केंद्रीय	ओ.एन.जी.सी.	मॉड्यूल-1	375	06/2011	400.00	23-6-08 को आदेश दिया गया	–	–
				मॉड्यूल-2	375	12/2011	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश										
	नेशनल कैपिटल पावर प्रोजेक्ट चरण II		एन.टी.पी.सी.	यू-5	490	09/2009	5135.33	0	316.73	966.40
				यू-6	490	12/2009				
	अनपरा डी		यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.	यू-1	500	05/2011	5358.79	0	0	468.37
				यू-2	500	08/2011				
	हरदुआगंज विस्तार			यू-8	250	03/2010	2225.00	0	161.70	249.20
				यू-9	250	08/2010				
	परीक्षा विस्तार			यू-5	250	12/2009	2100.00	0	222.79	372.56
				यू-6	250	04/2010				
पश्चिम बंगाल										
	दुर्गापुर स्टील टी.पी.एस.	केंद्रीय	डी.वी.सी.	यू-1	500	06/2010	4457.00	0	0.32	387.32
				यू-2	500	10/2010				
	फरक्का एस.टी.पी.एस. चरण III		एन.टी.पी.सी.	यू-6	500	08/2010	2570.44	0	140.11	362.56

मेजिया विस्तार		डी.वी.सी.	यू-1	500	01/2009	4676.89	0	397.46	663.22
			यू-2	500	01/2010				
रघुनाथपुर टी.पी.पी. फेज-1			यू-1	600	09/2010	4122.00	0	0.41	396.20
			यू-2	600	12/2010				
बक्रेश्वर टी.पी.एस.	राज्य	डब्ल्यू.बी.पी.डी. सी.एल.	यू-5	210	11/2008	2100.00 (यू-4 सहित)	0	1170.00	505.00
संथालडीह टी.पी.पी. विस्तार चरण-2			यू-6	250	07/2009	1000.00	0	25.00	110.00

विवरण-II

केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना/क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	चालू होने का वर्ष	के दौरान हुआ व्यय (करोड़ रुपये)		
						2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	हिमाचल प्रदेश							
1.	पार्वती चरण-II एन.एच.पी.सी.	केंद्रीय	4x200=800	3525.25	2011-12	382.09	373.19	252.21
2.	चमेरा-III एन.एच.पी.सी.	केंद्रीय	3x77=231	1532.52	2010-11	50.52	101.37	202.27
3.	पार्बती-III एन.एच.पी.सी.	केंद्रीय	4x130=520	2129.89	2010-11	48.34	127.47	193.37
4.	कोल डैम एन.टी.पी.सी.	केंद्रीय	4x200=800	4527.15	2009-10	283.82	406.48	314.43
5.	रामपुर एस.जे.वी.एन.एल.	केंद्रीय	6x68.67=412	2047.03	2011-12	22.82	52.77	141.82
6.	उहल-III व्यास वैली पावर कारपोरेशन लि.	राज्य	3x33.33=100	431.56	2010-11	36.52	53.39	52.30
7.	स्वारा कुड्डु पब्बार वैली कारपोरेशन (पी.वी.सी.)	राज्य	3x36.6=110	648	2011-12	19.80	14.35	58.78

	जम्मू व कश्मीर							
8.	उड़ी-II एन.एच.पी.सी.	केंद्रीय	4x60=240	1351.88	2010-11	16.38	101.38	169.74
9.	सेवा-II एन.एच.पी.सी.	केंद्रीय	3x40=120	849.98	2009-10	93.81	133.80	174.91
10.	चुटक एन.एच.पी.सी.	केंद्रीय	4x11=44	747.10	2011-12	4.38	28.47	94.02
11.	निम्मू बाजगो एन.एच.पी.सी.	केंद्रीय	3x15=45	723.99	2011-12	4.94	35.02	89.44
12.	बगलीहार-I जे.के.पी.डी.सी.	राज्य	3x150=450	5200	2008-09 (एक यूनिट चालू)	611.85	810.74	710.34
	उत्तराखंड							
13.	कोटेश्वर टी.एच.डी.सी.	केंद्रीय	4x100=400	1301.56	2010-11	65.02	121.42	224.30
14.	लोहरी नागपाला 4x150=600 मेगावाट	केंद्रीय	एन.टी.पी.सी.	2895.10	2011-12	95.95	43.67	61.68
15.	तपोवन विष्णुगाड 4x130=520 मेगावाट	केंद्रीय	एन.टी.पी.सी.	2978.48	2011-12	72.62	20.39	70.73
	आंध्र प्रदेश							
16.	प्रियदर्शिनी जुराला 6x39=234 मेगावाट	राज्य	ए.पी. जेनको	547	2008-10 (2 यूनिटें चालू)	30.05	154.03	85.84
17.	नागार्जुन सागर टी.आर. 2x25=50 मेगावाट	राज्य	ए.पी. जेनको	464.70	2009-10	5.72	21.15	44.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	पुलिचिंटाला 4x30=120 मेगावाट	राज्य	ए.पी. जेनको	380	2011-12	शून्य	0.01	2.21
19.	लोअर जुराला 6x40=240 मेगावाट	राज्य	ए.पी. जेनको	908.34	2011-13 (3 यूनिटें 11वीं योजना में)	शून्य	0.17	1.96
	केरल							
20.	कुटियाडी अतिरिक्त विस्तार 2x50=100 मेगावाट	राज्य	के.एस.ई.बी.	168.28	2008-10	32.31	24.63	15.63
21.	पल्लीवसल 3x20=60 मेगावाट	राज्य	केरल/के.एस.ई.बी.	242.95+ यूएस $ 57एम	2010-11	–	–	1.62
	कर्नाटक							
22.	वाराही विस्तार 2x15+230 मेगावाट	राज्य	के.पी.सी.एल.	291	2008-09	0.94	53.45	63.61
	तमिलनाडु							
23.	भवानी बैराज-II 2x15=30 मेगावाट	राज्य	टी.एन.ई.बी.	400.59	2010-11	0.93	8.96	28.22
24.	भवानी बैराज-II 2x15=30 मेगावाट	राज्य	टी.एन.ई.बी.	398.60	2009-10	0.58	1.25	20.60
	पश्चिम बंगाल							
25.	तीस्ता लो डैम-II 4x33=132 मेगावाट	केंद्रीय	एन.एच.पी.सी.	1073.29	2009-10	102.61	187.61	266.45

26.	तीस्ता लो डैम-IV 4x40=160 मेगावाट	केंद्रीय	एन.एच.पी.सी.	1061.38	2010-11	39.61	30.29	137.43
	अरुणाचल प्रदेश							
27.	सुबानसिरी लोअर 8x250=2000 मेगावाट	केंद्रीय	एन.एच.पी.सी.	7451.99	2011-12	287.95	275.25	452.19
28.	कामेंग 4x150=600 मेगावाट	केंद्रीय	नीपको	2496.90	2011-12	140.10	157.71	134.31
	मेघालय							
29.	मिंत्दू 2x42=84 मेगावाट	राज्य	एम.ई.एस.ई.बी.	671.29	2009-10	61.10	104-84	95.39
30.	न्यू उमत्रू 2x20=40 मेगावाट	राज्य	एम.ई.एस.ई.बी.	194.30	2011-12	शून्य	शून्य	–

विवरण-III

निर्माणाधीन परमाणु विद्युत यूनिटें

करोड़ रुपये में

राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्र	क्रियान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	तुल्यकालन की प्रत्याशित तारीख	अद्यतन परियोजना लागत	2005-06 विस्तार	2006-07 विस्तार	2007-08 विस्तार
कर्नाटक										
	कैगा ए.पी.पी.	केंद्रीय	एन.पी.सी.आई.एल.		220	03/2009	3282.00 (यू-3 सहित)	434.00	381.00	205.00
राजस्थान										
	राजस्थान ए.पी.पी.	केंद्रीय	एन.पी.सी.आई.एल.		220	12/2008	3072.00	424.00	407.00	209.00
					220	2009				
तमिलनाडु										
	कुदानकुलम ए.पी.पी.	केंद्रीय	एन.पी.सी.आई.एल.		1000	2009	13171.00	2081.00	1897.00	1092.00
					1000	12/2009				
	प्रोटो टाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर	केंद्रीय	भवानी		500	02/2011	3492.00	179.00	216.00	380.00

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए योजनाएं लागू कर रहे गैर-सरकारी संगठन

1120. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**

श्री सुब्रत बोस:

श्री गिरिधारी यादव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महिलाओं के लिए विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के स्कीम-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम क्या-क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को सरकार द्वारा जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को महिलाओं के लिए 'शार्ट स्टे होम्स' सहित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुदानों के संवितरण में किसी अनियमितता का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) यह सूचना मंत्रालय की वैबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय द्वारा आवेदक संगठनों को राशि की संस्वीकृति अथवा संवितरण के संबंध में कोई अनियमितता ध्यान में नहीं लाई गई है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) सहायता

1221. **श्री सुग्रीव सिंह:**

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री अजीत जोगी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में 2007-08 और 2008-09 के दौरान परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो मंजूर की गई, अस्वीकृत की गई और केन्द्र सरकार के पास अभी तक लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा लिया गया ऋण

1222. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार से लिए गए ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण हेतु किन-किन राज्यों ने अनुरोध किया है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय में किसी भी राज्य सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय ऋण के लिए अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

01-04-2008 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य पर बकाया केन्द्रीय ऋण (वित्त मंत्रालय)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14896.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	405.85
3.	असम	2098.94
4.	बिहार	8200.60
5.	छत्तीसगढ़	2085.96
6.	गोवा	680.95
7.	गुजरात	10486.69
8.	हरियाणा	1990.18
9.	हिमाचल प्रदेश	953.62
10.	जम्मू-कश्मीर	1833.80
11.	झारखंड	2485.93
12.	कर्नाटक	9250.82
13.	केरल	5426.94
14.	मध्य प्रदेश	8566.85
15.	महाराष्ट्र	8214.58
16.	मणिपुर	916.72
17.	मेघालय	313.61
18.	मिजोरम	302.27
19.	नागालैंड	323.40
20.	उड़ीसा	8247.91
21.	पंजाब	3179.07
22.	राजस्थान	7405.72
23.	सिक्किम	175.67
24.	तमिलनाडु	6694.11
25.	त्रिपुरा	453.06
26.	उत्तराखंड	367.27
27.	उत्तर प्रदेश	20707.38
28.	पश्चिम बंगाल	13933.03
	कुल	140597.35

आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा

1223. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या विसंगतियां पायी गयी हैं; और

(ग) इसे सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) दांडिक न्याय प्रणाली के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोगों/समितियों का गठन किया गया था। दांडिक न्याय प्रणाली के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति पत्र का प्रारुपण करने के लिए 3-5-2006 को प्रोफेसर माधव मेनन की अध्यक्षता के अधीन एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में सुझाव दी गई प्रमुख सिफारिशों में अन्य बातों के साथ, पीड़ितों को सशक्त करने के उद्देश्य से अपराधों के पुनः वर्गीकरण, न्याय के शीघ्र तथा प्रभावी प्रदाय, प्रयोजनशील दंड के लिए दंडादिष्ट करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, कमजोर वर्गों के हित के सुरक्षोपायों, दांडिक न्याय सुधारों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा पीड़ितों के लिए प्रतिकर आदि से संबंधित सुझाव सम्मिलित हैं।

इस बात पर विचार करते हुए कि दांडिक न्याय प्रणाली भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है और उन सिफारिशों की व्यापक विस्तार वाली विवक्षाएं हो सकती हैं, रिपोर्ट की प्रतियों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और साथ ही केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों को, उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए भेजा गया है।

[अनुवाद]

खिलौनों की तस्करी

1224. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों के सीमा क्षेत्र से चीन में निर्मित खिलौनों की तस्करी के मामलों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। पूर्वोत्तर राज्यों के सीमा क्षेत्र के जरिए चीन में विनिर्मित खिलौनों की तस्करी की कुछेक घटनाएं हुई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में पता लगाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मामलों की संख्या	मूल्य (लाख रुपये में)
2005-06	20	18.00
2006-07	19	09.61
2007-08	19	10.19
2008-09 (सितम्बर, 08 तक)	11	04.70

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों और राजस्व आसूचना निदेशालय को खिलौनों की तस्करी के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए चौकस एवं सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

भुगतान न किया गया सीमाशुल्क

1225. मो. मुकीम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन दवा कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने चीन से दवाओं के आयात हेतु सीमाशुल्क का भुगतान नहीं किया है;

(ख) क्या डी.आर.आई. द्वारा कुछ कम्पनियों के विरुद्ध अधिक बीजक बनाने के मामलों का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) चीन से दवाओं के आयात के लिए सीमाशुल्क अदा न करने वाली दवा कम्पनियों के विवरण निम्न अनुसार है:-

वर्ष		दवा कम्पनियों के नाम
2005-2006	(i)	मै. जी.पी.पी.एल.
	(ii)	के.डी.एल. बायोटेक
2006-2007		शून्य
2007-2008	(i)	के.डी.एल. बायोटेक
	(ii)	यूनीमार्क रेमेडीज

यह आरोप है कि उपर्युक्त आयातकों ने निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के तहत दवाओं का शुल्क मुक्त आयात किया था और माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अपवर्तित कर दिया था।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	मामलों की संख्या	दवा कम्पनियों के नाम	माल का मूल्य
2005-06	5	(i) सिधि इम्पैक्स	2043.25
		(ii) मेजदा इंटरनेशनल	192.15
		(iii) हेल्पलाइन	549.50
		(iv) वेंकट फार्मा ।ले.	11961.86
		(v) एस. इम्पैक्स (प्रा.) लि.	2194.97

(घ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के तहत कार्रवाई आरंभ की गई थी तथा शुल्क की मांग करने के लिए और अर्थदंड/जुर्माना लगाने के लिए दोषी दवा कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

कौशल विकास

1226. **श्री के.एस. राव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) के वित्त पोषण का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों के लिए कौशल मानव शक्ति की कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्च विकास तथा अत्यधिक रोजगार की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए बुनियादी संरचना के विकास तथा बड़ी संख्या में ट्रेडस में प्रशिक्षण सुविधाओं हेतु एन.एस.डी.सी. के विकास तथा कार्यकरण में निजी क्षेत्र को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) को 31 जुलाई, 2008 को एक सीमित देयताओं वाली, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत "लाभ के लिए नहीं" पब्लिक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसका पूंजी आधार 10 करोड़ रुपए होगा। जिसमें से 51 प्रतिशत पूंजी का अभिदान प्राइवेट क्षेत्र करेगा।

(ख) कुशल मानव शक्ति की कमी का कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है और इस संबंध में क्षेत्र-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को विश्व श्रेणी का कौशल प्रदान करने के लिए प्राइवेट क्षेत्र के नेतृत्वाधीन एक कंपनी के तौर पर परिकल्पना की गई है जिसे बाजार की आवश्यकताओं द्वारा संचालित किया जाता है। कंपनी के निगमन पर कंपनी द्वारा अनुसरणीय उद्देश्यों में से एक है बहुत से क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थानों और पोलिटेक्निकों की स्थापना करना, उनका प्रबंधन संचालन और संवर्धन करना।

कुपोषण

1227. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कुपोषण के कारण बड़ी संख्या में बच्चों की मौतें हुई हैं, जैसा कि दिनांक 13 सितंबर, 2008 के है "हिंदुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कुपोषण के कारण हाल ही में बच्चों की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। तथापि, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बताया है कि उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के चार जिलों में मई, 2008 से आज तक कुपोषण के कारण 6 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। तथापि, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कुपोषण अधिक व्याप्त है तथा बच्चों में बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु में कुपोषण का भी योगदान है।

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने के लिए बाल संजीवनी अभियान, परियोजना मुस्कान, बाल शक्ति योजना, मंगल दिवस, परियोजना शक्तिमान आदि जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

राज्य सरकार भी स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करती है और अत्यधिक कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भेजती है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी योजना की समीक्षा

1228. श्री अजीत जोगी: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आंगनवाड़ी योजना की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत (i) पूरक पोषण; (ii) प्रतिरक्षण; (iii) स्वास्थ्य जांच; (iv) रेफरल सेवाओं; (v) स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा; तथा (vi) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा की छह सेवाओं के पैकेज के माध्यम से छह वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत बुनियादी स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र ये छह सेवाएं प्रदान करने वाले मंच का कार्य करता है।

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम की समीक्षा निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा राज्य सचिवों के स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठकों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श के माध्यम से समय-समय पर इस स्कीम की समीक्षा की जाती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

ईसाई अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: "माननीय सदस्यों, मुझे सर्वश्री रामजी लाल सुमन, देवेन्द्र प्रसाद यादव, पी.सी. थामस, बसुदेव आचार्य और गुरुदास दासगुप्त से ईसाई अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मुझे नियम 193 के अधीन उड़ीसा और अन्य राज्यों की घटनाओं का खास उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बारे में भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं नियम 193 के अधीन इस विषय पर चर्चा की अनुमति देने का इच्छुक हूं। सर्वश्री बसुदेव आचार्य, रामजी लाल सुमन, राजीव रंजन सिंह 'ललन' ने भी नियम 193 के अधीन सूचनाएं दी हैं। हम चर्चा कर सकते हैं। श्री बसुदेव आचार्य सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के पश्चात् चर्चा आरंभ कर सकते हैं।"

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, कल आपने हमें बताया कि आप मुझे अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह बात कही थी। चलिए देखते हैं। चर्चा महत्वपूर्ण है। आप चर्चा आरंभ करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या चल रहा है? श्री जार्ज, आप क्या करना चाहते हैं?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): मैं सूचना भी दे चुका हूं महोदय, परंतु मेरे नाम का उल्लेख नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: किसलिए?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: स्थगन प्रस्ताव के लिए।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, मैंने सूचना दी है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: तब मैं देखूंगा। यदि गलती से यह नहीं हुआ है तो मुझे खेद है, इसे सम्मिलित किया जाएगा।

माननीय सदस्यों, मुझे विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं मिली हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं?

डा. सी. कृष्णन: महोदय, मैंने सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। आप खड़े हो जाते हैं और जो चाहे वह कहते हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मेरा निवेदन यही है। मैंने स्थगन की सूचना दी है क्योंकि यह मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण है। हम अल्पकालीन चर्चा के अंतर्गत अपनी पसंद का कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। परंतु चर्चा करने हेतु सभा की कार्रवाई के स्थगन का अर्थ है कि सभा देश में विशेषकर उड़ीसा, कर्नाटक, असम और अन्य स्थानों पर जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय पर किए गए हमले को अधिक महत्व देती हैं।

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष के निर्णय पर संदेह करने की आदत पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की धारणा न अपनाई जाए। कृपया सरकार से पूछिए कि क्या उसे स्थगन के मुद्दे को उठाने पर कोई आपत्ति है। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने दीजिए।

अपराह्न 12.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे प्रधानमंत्री के विरुद्ध सर्वश्री बसुदेव आचार्य, रूपचंद पाल, के. येरननायडु, वरकला राधाकृष्णन, एन.एन. कृष्णदास और पी. राजेन्द्रन, संसद सदस्यों से विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री ने 22 जुलाई, 2008 को विश्वास प्रस्ताव पर अपने उत्तर में, जिसे सभा पटल पर रखा गया था, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् बताया:

> "मैं पूरी निष्ठा के साथ यह कहता हूं कि यह सत्र और वाद-विवाद अनावश्यक था क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि आई.ए.इ.ए. और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा पृष्ठांकित किए जाने के पश्चात् परमाणु करार को इस सम्मानित सभा में, इस पर विचार व्यक्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। मैंने अपने वामपंथी साथियों से यही कहा था: कृपया हमें बातचीत की प्रक्रिया पूरी करने दीजिए और मैं परमाणु करार को मूर्त रूप देने से पूर्व संसद में आऊंगा।"

सदस्यों ने यह दलील दी है कि प्रधानमंत्री ने परमाणु करार को मूर्त रूप देने से पूर्व संसद में न आकर संसद में दिए गए अपने आश्वासन का उल्लंघन किया है जो सभा के विशेषाधिकार का हनन तथा अवमानना है।

प्रधानमंत्री दूसरे सदन के सदस्य हैं। कौल और शकधर के अनुसार, "संसद का कोई भी सदन दूसरे सदन के किसी सदस्य पर न तो अपने प्राधिकार का दावा कर सकता है और न ही उसका प्रयोग कर सकता है। परिणामस्वरूप कोई भी सदन स्वयं, दूसरे सदन के किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा किए गए किसी विशेषाधिकार भंग या अवमानना के लिए उसे दंड नहीं दे सकता है।" यह कौल और शकधर के पांचवें संस्करण के पृष्ठ 300 पर दिया गया है।

ऐसे मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कौल और शकधर द्वारा पृष्ठ संख्या 301 पर निम्नवत उल्लेख किया गया है:-

"...जब किसी सभा में सभा के विशेषाधिकार भंग या

अवमानना का ऐसा प्रश्न उठाया जाता है, इसमें दूसरी सभा के सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी का मामला अंतर्गस्त होता है तब इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिस सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है उसका पीठासीन अधिकारी दूसरी सभा के पीठासीन अधिकारी को उस मामले को भेज देता है, लेकिन ऐसा वह तभी करता है जब वह उस सदस्य की बात से संतुष्ट हो जाता है, जिसने उस मामले को उठाया है अथवा उस दस्तावेज का, जिसके आधार पर शिकायत की गई है, गहन अध्ययन करने के पश्चात् ऐसा निर्णय लेता है कि विशेषाधिकार भंग हुआ है।"

चूंकि प्रधानमंत्री दूसरे सदन के सदस्य हैं, अतः दूसरे सदन के माननीय पीठासीन अधिकारी को मामला सौंपे जाने से पूर्व, सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार, इस सदन के पीठासीन अधिकारी होने के नाते, जहां पर यह मामला उठाया गया है मेरे लिए यह आवश्यक है कि पहले मैं संतुष्ट हो जाऊं कि इसमें विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

मैंने 20 अक्तूबर, 2008 को इस मामले में श्री बसुदेव आचार्य की बात सुनी थी। चूंकि अन्य सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना श्री बसुदेव आचार्य द्वारा दी गई सूचना के लगभग समान ही है, अतः यह आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्यों को सुना जाए। प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोप यह है कि उन्होंने 22 जुलाई, 2008 को इस सदन में दिए गए अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के उद्धरण की विषय-वस्तु को भी देखा है जैसा कि सूचना में दिया गया है और पहले उद्धरित किया गया है।

कौल और शकधर के अनुसार यह सुस्थापित है कि "मंत्री द्वारा सभा में दिए गए आश्वासन को क्रियान्वित नहीं किया जाना न तो सभा का विशेषाधिकार भंग है और न ही उसकी अवमानना है..." (पांचवां संस्करण, पृष्ठ 293)

इस संबंध में पहले भी विनिर्णय दिए गए हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि प्रधानमंत्री द्वारा विशेषाधिकार का हनन हुआ है। अतः दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी से संदर्भ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार मैं विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना को अस्वीकार करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): वे ताली क्यों बजा रहे हैं?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा है।

अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। हमें चर्चा आरंभ करनी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप प्रस्ताव ला सकते हैं कि अध्यक्ष ने सभा को भ्रमित किया है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे लिखिए। यदि आवश्यक हुआ तो मैं विचार करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि मेरी गलती हुई तो मैं विचार करूंगा। आप मुझे लिखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, आप क्या कह रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मुझे प्रधानमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाने का पूरा अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक का विशेषाधिकार है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप जो भी चाहें, कदम उठा सकते हैं अथवा कार्यवाही कर सकते हैं। आप विशेषाधिकार पर नया कानून लिखिए जो मैं देखूंगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

[श्री पी. चिदम्बरम]

(1) शेयर बाजार घोटाले तथा तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की मई, 2008 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्यवाही के बारे में 10वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9143/08]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत रिवर्स मोर्टगेज स्कीम, 2008, जो 30 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2310 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9144/08]

(3) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वित्तीय वर्ष 2007-2008 की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रूझानों की तिमाही समीक्षा संबंधी विवरण।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9145/08]

(दो) वित्तीय वर्ष 2008-2009 की पहली तिमाही की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की तिमाही समीक्षा संबंधी विवरण।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9146/08]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9147/08]

...*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9148/08]

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9149/08]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत (चेयरमैन तथा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2008 जो 13 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 373(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9150/08]

(2) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आ.सं. 27(अ) जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार का निर्धारण किया गया है।

(दो) आ.सं. 31(अ) जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार का निर्धारण किया गया है।

(तीन) आ.सं. 60(अ) जो 29 मई, 2008 के भारत

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार का निर्धारण किया गया है।

(चार) आ.सं. 62(अ) जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार का निर्धारण किया गया है।

(पांच) आ.सं. 59(अ) जो 29 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 12 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 282/जी.जे./2006 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(छह) आ.सं. 61(अ) जो 30 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 17 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या 282/बी.आर./2007 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9151/08]

(3) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9152/08]

(4) भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (अग्रिम जमानत) द्वारा यथासंशोधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के बारे में 203वां प्रतिवेदन - दिसम्बर, 2007।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9153/08]

(दो) वर्ष 2005 के अधिनियम 39 द्वारा यथासंशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 204वां प्रतिवेदन - फरवरी, 2008।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9154/08]

(तीन) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा अन्य संबद्ध विधियों का संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 205वां प्रतिवेदन - फरवरी, 2008।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9155/08]

(चार) सम्पूर्ण भारत पर लागू नए कोरोनर्स अधिनियम को अधिनियमित किए जाने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 206वां प्रतिवेदन - जून, 2008।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9156/08]

(पांच) किसी महिला की अपनी अर्जित सम्पत्ति बिना उत्तराधिकारी को छोड़कर निर्वसीयत मृत्यु हो जाने की स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 का संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 207वां प्रतिवेदन - जून, 2008।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9157/08]

(छह) "विभाजन" की परिभाषा में मौखिक विभाजन और कुटुम्ब व्यवस्था को सम्मिलित करने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के स्पष्टीकरण का संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 208वां प्रतिवेदन - जुलाई, 2008।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9158/08]

(सात) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 से धारा 213 का लोप किए जाने संबंधी प्रस्ताव के बारे में 209वां प्रतिवेदन - जुलाई, 2008।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9159/08]

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रेमचंद गुप्ता की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

[श्री जयप्रकाश नारायण यादव]

(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/111/2008, जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी प्रैक्टिस प्रमाण पत्र के शुल्क का निर्धारण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9160/08]

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9161/08]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9163/08]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): महोदय, मैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9164/08]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9165/08]

(2) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9166/08]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2007-2008 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9167/08]

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9168/08]

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, हजरतबल।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9169/08]

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेंज), बंगलौर।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9170/08]

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सेन्टर फॉर रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट), चंडीगढ़।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9171/08]

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (जे.एस.एस. इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च) धारवाड़।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9172/08]

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापत्तनम।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9173/08]

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरुवनंतपुरम।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9174/08]

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (द गांधीग्राम इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एण्ड फैमिली वेल्फेयर ट्रस्ट), डिंडीगुल।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9175/08]

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9176/08]

(ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9177/08]

(बारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9178/08]

(तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, वडोदरा

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9179/08]

(चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, सागर।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9180/08]

(पन्द्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 9181/08]

(सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स), पुणे।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 9182/08]

(सत्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 9183/08]

(अठारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 9184/08]

(2) उपर्युक्त केन्द्रों के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9163/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रेल) (2008 का संख्यांक पी.ए. 8) का प्रतिवेदन - कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9185/08]

(दो) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक -

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

संघ सरकार (रेल) (2008 का संख्यांक पी.ए. 18) का प्रतिवेदन - सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9186/08]

(तीन) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रेल) (2008 का संख्यांक सी.ए. 6) का प्रतिवेदन - अनुपालन लेखापरीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9187/08]

(चार) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (सिविल) (2008 का संख्यांक पी.ए. 3) का प्रतिवेदन - स्वायत्तशासी निकाय - कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9188/08]

(पांच) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (सिविल) (2008 का संख्यांक पी.ए. 2) का प्रतिवेदन - वैज्ञानिक विभाग - कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9189/08]

(छह) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (सिविल) (2008 का संख्यांक पी.ए. 1) का प्रतिवेदन - अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9190/08]

(सात) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (सिविल और डाक विभाग) (2008 का संख्यांक पी.ए. 1) का प्रतिवेदन - कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9191/08]

(आठ) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2008 का संख्यांक पी.ए. 4) का प्रतिवेदन - थल सेना और आयुध निर्माणियां (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9192/08]

(नौ) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2008 का संख्यांक पी.ए. 5) का प्रतिवेदन - वायु सेना और नौसेना (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9193/08]

(दस) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (वाणिज्यिक) (सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के चुनिंदा कार्यकलापों की समीक्षा) (2008 का संख्यांक पी.ए. 15) का प्रतिवेदन - कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9194/08]

(ग्यारह) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (2008 का संख्यांक पी.ए. 13) का प्रतिवेदन - राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार सहायता (मिड डे मील स्कीम) - (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9195/08]

(बारह) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (सिविल) (2008 का संख्यांक पी.ए. 11) का प्रतिवेदन - राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9196/08]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय रेल के विनियोग लेखे - भाग I - वर्ष 2006-2007 के लिए समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल के विनियोग लेखे - भाग II - वर्ष 2006-2007 के विस्तृत विनियोग लेखे।

(तीन) भारतीय रेल के विनियोग लेखे - भाग II - वर्ष 2006-2007 के विस्तृत विनियोग लेखे (उपाबंध-छ)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9197/08]

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9198/08]

(4) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :-

(एक) हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9199/08]

(दो) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9200/08]

(तीन) मेघालय रूरल बैंक, शिलांग

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9201/08]

(चार) एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक, पाली-मारवाड़

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9202/08]

(पांच) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9203/08]

(छह) वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9204/08]

(सात) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9205/08]

(आठ) उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9206/08]

(नौ) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9207/08]

(दस) नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, इंदौर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9208/08]

(ग्यारह) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9209/08]

(बारह) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हल्द्वानी

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9210/08]

(तेरह) काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक, वाराणसी

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9211/08]

(चौदह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9212/08]

(पंद्रह) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9213/08]

(सोलह) रीवा सिधी ग्रामीण बैंक, रीवा

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9214/08]

(सत्रह) कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9215/08]

(अठारह) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9216/08]

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9217/08]

(बीस) हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9218/08]

(इक्कीस) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9219/08]

(बाईस) प्रगति ग्रामीण बैंक, बेल्लारी

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9220/08]

(तेईस) पल्लवन ग्राम बैंक, सलेम

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9221/08]

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

(चौबीस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9222/08]

(पच्चीस) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9223/08]

(छब्बीस) सोलापुर ग्रामीण बैंक, सोलापुर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9224/08]

(सत्ताईस) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कादापा

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9225/08]

(अट्ठाइस) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9226/08]

(उनतीस) नागालैंड रूरल बैंक, कोहिमा

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9227/08]

(तीस) रत्नागिरि सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरि

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9228/08]

(इकतीस) जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जयपुर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9229/08]

(बत्तीस) झारखण्ड ग्रामीण बैंक, रांची

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9230/08]

(तैंतीस) नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9231/08]

(चौंतीस) मिजोरम रूरल बैंक, आइजॉल

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9232/08]

(पैंतीस) कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक, मैसूर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9233/08]

(छत्तीस) फरीदकोट-भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9234/08]

(सैंतीस) लांग्पी देहांगी रूरल बैंक, दिफू, कर्बी अंगलांग

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9235/08]

(अड़तीस) अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, पापुम-पारे

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9236/08]

(उनतालीस) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, लखनऊ

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9237/08]

(चालीस) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अलवर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9238/08]

(इकतालीस) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9239/08]

(बयालीस) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मलप्पुरम

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9240/08]

(तैंतालीस) उत्कल ग्राम्य बैंक, बोलंगीर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9241/08]

(चवालीस) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9242/08]

(पैंतालीस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9243/08]

(छियालीस) डेक्कन ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9244/08]

(सैंतालीस) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9245/08]

(अड़तालीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9246/08]

(उनचास) त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ओरई जालौन

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9247/08]

(पचास) श्रेयस ग्रामीण बैंक, अलीगढ़

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9248/08]

(इक्यावन) सुरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुरगुजा

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9249/08]

(बावन) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9250/08]

(तिरपन) वाणगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9251/08]

(चौवन) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तौड़

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9252/08]

(पचपन) रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9253/08]

(छप्पन) सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सतपुड़ा
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9254/08]

(सतावन) जम्मू रूरल बैंक, नरवाल, जम्मू
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9255/08]

(अठावन) सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक, मेरठ
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9256/08]

(उनसठ) महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9257/08]

(साठ) नीलांचल ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9258/08]

(इकसठ) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9259/08]

(बासठ) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9260/08]

(तिरसठ) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9261/08]

(चौसठ) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, अजमेर
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9262/08]

(पैंसठ) चम्बल-ग्वालियर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्वालियर
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9263/08]

(छियासठ) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9264/08]

(सड़सठ) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शीदाबाद
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9265/08]

(अड़सठ) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जबलपुर
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9266/08]

(उनहत्तर) लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीतापुर
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9267/08]

(सत्तर) उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9268/08]

(इकहत्तर) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9269/08]

(बहत्तर) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9270/08]

(तिहत्तर) मध्य भारत ग्रामीण बैंक, सागर
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9271/08]

(चौहत्तर) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मोडया
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9272/08]

(पचहत्तर) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9273/08]

(छिहत्तर) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड़
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9274/08]

(सतहत्तर) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9275/08]

(अठहत्तर) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9276/08]

(उनासी) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9277/08]

(अस्सी) कलिंग ग्राम्य बैंक, कटक
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9278/08]

(इक्यासी) बैतरणी ग्राम्य बैंक, बारीपद मयूरभंज
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9279/08]

(बयासी) पांड्यन ग्राम बैंक, विरुद्धनगर
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9280/08]

(तिरासी) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9281/08]

(चौरासी) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल
[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9282/08]

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

(पचासी) चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9283/08]

(5) भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित बैंकों के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदनों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर लेखा परीक्षण का प्रतिवेदन।

भारतीय स्टेट बैंक

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9284/08]

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9285/08]

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9286/08]

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9287/08]

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9288/08]

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9289/08]

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 9290/08]

स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 9291/08]

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9292/08]

(दो) आन्ध्रा बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9293/08]

(तीन) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9294/08]

(चार) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9295/08]

(पांच) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9296/08]

(छह) केनरा बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9297/08]

(सात) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9298/08]

(आठ) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9299/08]

(नौ) देना बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9300/08]

(दस) इंडियन बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9301/08]

(ग्यारह) ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9302/08]

(बारह) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9303/08]

(तेरह) सिंडीकेट बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9304/08]

(चौदह) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9305/08]

(पंद्रह) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9306/08]

(सोलह) यूको बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9307/08]

(सत्रह) विजया बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9308/08]

(अठारह) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9309/08]

(उन्नीस) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9310/08]

(7) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 13 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. आई.आर.डी.ए./रेग/3/44/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 14 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आई.आर.डी.ए./रेग/4/45/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (चौघ संशोधन) विनियम, 2008 जो 11 अगस्त, 2008 जो 11 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आई.आर.डी.ए./रेग/5/47/2008 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 9311/08]

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(क) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 9312/08]

(ख) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 9313/08]

(ग) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9314/08]

(9) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2868 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2869 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2870 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2871 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) वाणगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2872 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) झारखण्ड ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2873 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2874 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) बड़ौदा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2875 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) बड़ौदा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2876 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) बड़ौदा गुजरात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2877 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2878 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) श्रेयस ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2879 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) प्रगति ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2880 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) चम्बल ग्वालियर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2881 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2882 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2883 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2884 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) देना गुजरात ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2885 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) पल्लवन ग्राम बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2886 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2887 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) नीलाचल ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2888 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) पंजाब ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2889 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2890 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) राजस्थान ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2891 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) हरियाणा ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2892 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2893 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) जयपुर थार ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2894 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2895 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) कलिंग ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2896 में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2897 में प्रकाशित हुए थे।

(इकतीस) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2898 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) असम ग्रामीण विकास बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2899 में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2900 में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2901 में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) देना आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2902 में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2903 में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) वनांचल ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2904 में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) उत्तरांचल ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2905 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) मध्य भारत ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2906 में प्रकाशित हुए थे।

(चालीस) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2907 में प्रकाशित हुए थे।

(इकतालीस) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2908 में प्रकाशित हुए थे।

(बयालीस) उत्कल ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2909 में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतालीस) कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2910 में प्रकाशित हुए थे।

(चवालीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2911 में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतालीस) एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2912 में प्रकाशित हुए थे।

(छियालीस) डेक्कन ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 2007 जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2913 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9315/08]

(10) बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) बीमांकक (परिषद के लिए सदस्य का नामांकन) नियम, 2008 जो 7 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 341(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमांकक गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (बैठकों की प्रक्रिया, तथा अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें तथा भत्ते) नियम, 2008 जो 7 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 342(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमांकक अधिकरण (पीठासीन अधिकारी और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2008 जो 7 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बीमांकक (परिषद के लिए निर्वाचन) नियम, 2008 जो 2 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बीमांकक (वृत्तिक तथा अन्य अवचार की जांच की प्रक्रिया) नियम, 2008 जो 2 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 395 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9316/08]

(11) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड (उपक्रम का इंडियन ओवरसीज बैंक के अंतरण) संशोधित स्कीम, 2007 जो 30 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 501(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9317/08]

(12) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत सामान्य बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों का सुव्यवस्थीकरण और अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) स्कीम, 2008 जो 19 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1499(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 23 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1831(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9318/08]

(13) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 25 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 209(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9319/08]

(14) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2008/24/139426 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9320/08]

(15) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डाकघर बचत जमा (संशोधन) नियम, 2008 जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 478(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर सावधि खाता (संशोधन) नियम, 2008 जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 479(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2008 जो 26 जून, 2008 के भारत के

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 480(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) डाकघर बचत बैंक सामान्य (संशोधन) नियम, 2008 जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 504(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) डाकघर बचत खाता (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 26 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 611(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) डाकघर बचत बैंक सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 2 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 630(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9321/08]

(16) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत "शहीद भगत सिंह जन्मशताब्दी वर्ष (1907-2007)" के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ रुपये और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2007 को 26 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 507(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9322/08]

(17) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2032(अ) जो 12 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 12 अगस्त, 2008 की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9323/08]

(18) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत संदाय और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड विनियम, 2008 जो 12 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.एस.एस./194/02-11-01/2007-2008 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9324/08]

(19) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1033(अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1075(अ) जो 2 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 1143(अ) जो 15 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1245(अ) जो 28 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1285(अ) जो 3 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की

अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 1459(अ) जो 16 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 1551(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 1595(अ) जो 30 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 1864(अ) जो 28 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 1932(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सीमा शुल्क टैरिफ (न्यूनतम विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमान स्कीम के अंतर्गत उत्पादों के उद्‌भव का निर्धारण) नियम, 2008 जो 13. अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2041(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 2053(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 2109(अ) जो 26 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 2144(अ) जो 1 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का.आ. 2204(अ) जो 16 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 2278(अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 102/2008-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

(सत्रह) का.आ. 2296(अ) जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. 2366(अ) जो 1 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ. 718(अ) जो 6 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय न्यूनतम विकसित देशों के लिए नकारात्मक सूची में वर्तमान में मूल सीमा शुल्क पर रियायत दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 599(अ) जो 18 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 671(अ) जो 22 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 147/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 302(अ) जो 23 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित वस्तुओं को ढाका-दर्शाना-गेडे-कोलकाता मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से भारत में आयातित करते समय उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्रदान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 1945(अ) जो 15 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का.आ. 1978(अ) जो 23 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पॉप्पी सीड्स का टैरिफ मूल्य अंतर्राष्ट्रीय दरों के आधार पर निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 1990(अ) जो 27 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 2074(अ) जो 3 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताइस) सा.का.नि. 2137(अ) जो 17 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाइस) का.आ. 2184(अ) जो 26 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी

मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) का.आ. 2(अ) जो 1 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) का.आ. 89(अ) जो 15 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) का.आ. 158(अ) जो 28 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) का.आ. 237(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) का.आ. 337(अ) जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) का.आ. 397(अ) जो 26 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) का.आ. 419(अ) जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) का.आ. 429(अ) जो 4 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 6/2008-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) का.आ. 519(अ) जो 17 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) का.आ. 525(अ) जो 18 मार्च,, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीयमुद्रा में तथा भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) का.आ. 535(अ) जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 59/2005-सी.शु. (एन.टी.), में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

(चालीस) का.आ. 742(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्राओं के विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतालीस) का.आ. 887(अ) जो 16 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(20) उपर्युक्त (19) की मद संख्या (तेईस) से (इकतालीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 9325/08]

(21) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) सा.का.नि. 215(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अंतरवर्ती माल को 1 अप्रैल, 2003 से 8 जुलाई, 2004 की अवधि तक के लिए उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 216(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पशु से प्राप्त सुगंधित दुग्ध को उस पर लगने वाले पूरे उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 213(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 सितंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-के.उ.शु. (गैर) में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 214(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है और अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्र के लिए उन्हें मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की सभी शक्तियां निहित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2008 जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 677(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 421(अ) जो 2 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 सितंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 431(अ) जो 5 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा लेखापरीक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है और उनके समतुल्य रैंक के अधिकारियों की शक्तियां निहित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 619(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथे जिनका आशय उसमें उल्लिखित माल को 1 जुलाई, 2008 को या उसके पश्चात् भारत से बाहर निर्यात किए जाने पर शुल्क

में छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 620(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 2008 जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 694(अ) में प्रकाशित हुए थे एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 697(अ) जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 39/2004-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.कानि. 698(अ) जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 17/2006-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) उपर्युक्त (21) की मद संख्या (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9326/08]

(23) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 659(अ) जो 18 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताइपेई और इंडोनेशिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित मेलिक एनहाइड्राईड के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9327/08]

(24) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 175(अ) जो 11 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या 30/2005-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) विवाद निराकरण स्कीम नियम, 2008 जो 4 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 427(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेवा कर (संपत्ति की अनंतिम कुर्की) नियम 2008 जो 1 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम 2008 जो 2 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम 2007 जो 12 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 586(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9328/08]

(25) धन शोधन निवारण, अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

(एक) धन शोधन निवारण (अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2008 जो 31 मार्च, 2008 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 255(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन संशोधन निवारण (न्याय निर्णयन प्राधिकरणों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2007 जो 31 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 62(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) धन शोधन निवारण (न्याय निर्णयन प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2008 जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 199(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) न्याय निर्णयन प्राधिकरण प्रशासनिक अधिकारी और अधीक्षक (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 2008 जो 22 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 395(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) न्याय निर्णयन प्राधिकरण सहायक और स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2008 जो 22 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 396(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) धन शोधन निवारण (अपीलीय अधिकरण के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2008 जो 5 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 430(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अपीलीय अधिकरण निजी सचिव (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2008 जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 477(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(26) उपर्युक्त (25) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9329/08]

(27) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 695(अ) जो 29 सितंबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित प्रारूपों को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9330/08]

(28) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 33 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 696(अ) जो 29 सितंबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9331/08]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मैं श्री आनंद शर्मा की ओर से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 29 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9332/08]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं जयराम रमेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9333/08]

(3) (एक) नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 9334/08]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9335/08]

(दो) एन.एच.पी.सी. लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9336/08]

(तीन) नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9337/08]

(चार) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9338/08]

(पांच) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9339/08]

(छह) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9340/08]

अपराह्न 12.09 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2008 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी दिनांक 22 अक्तूबर, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि

[महासचिव]

इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.09½ बजे

53वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव: मैं नई दिल्ली (भारत) में 21 सितंबर से 30 सितंबर, 2007 तक हुए 53वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन का हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 9341/08]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वहां क्या हो रहा है? कृपया सभा में शांति बनाए रखिए। आप क्या करने जा रहे हैं? यह बड़ा अजीब व्यवहार है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.10 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - *जारी*

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 23 अक्तूबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित असंगठित क्षेत्र कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं दिनांक 23 अक्तूबर, 2008 को राज्य सभा द्वारा यथापारित असंगठित क्षेत्र कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.10½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(एक) अध्ययन दौरा संबंधी प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जुलाई, 2008 के दौरान कोलकाता, गंगटोक और सिलिगुड़ी के अध्ययन दौरे के संबंध में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) विवरण

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) "केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन" विषय के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्यवाही विवरण।

(दो) "सिंडिकेट बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजम तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की गई ऋण सुविधाएं" विषय के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्यवाही विवरण।

अपराह्न 12.11 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

25वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के 'देश में उपभोक्ता आंदोलन, विषय पर समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

---

अपराह्न 12.11½ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

32वां और 33वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:-

(1) वर्ष 2008-09 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन; और

(2) वस्त्र मंत्रालय की 'हथकरघा क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं' विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति का 33वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.12 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

(एक) 21वां और 22वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (विशाखापत्तनम): मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए रणनीति' के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन; और

(2) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09)' के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, मैं समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के कार्यकलाप - एक समीक्षा' के बारे में 12वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा); और

(2) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 14वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.12½ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

87वां और 88वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत): मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

[श्री काशीराम राणा]

(1) विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) के कार्यकरण के बारे में समिति के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 87वां प्रतिवेदन; और

(2) भारत में पेटेंट और व्यापार चिन्ह प्रणाली के बारे में 88वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.13 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(एक) 32वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): मैं नैदानिक स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2007 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 32वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

डा. करण सिंह यादव: मैं नैदानिक स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2007 के बारे में समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.14 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश पर, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 73क का पालन करते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यन्वयन की स्थिति पर एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) ने वर्ष 2007-08 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच की और इस विषय में दिनांक 28-4-2007 को अपनी 25वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदान मांग 2007-08 पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों/पर्यवेक्षणों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निहित है।

इस रिपोर्ट में 22 सिफारिशें हैं। समिति द्वारा की गई सभी 22 सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुलग्नक में दर्शाई गई है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9342/08।

अपराह्न 12.14½ बजे

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): मैं लोक सभा बुलेटिन भाग-दो दिनांक 1 सितंबर, 2004 के माध्यम से माननीय अध्यक्ष लोक सभा के निदेश के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-08) की 35वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य रखता हूं।

ग्रामीण विकास से संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का 35वें प्रतिवेदन 17 अप्रैल, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन ग्रामीण विकास

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9343/08।

मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है। समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 8-8-2008 को समिति को भेज दी गई थी।

उक्त प्रतिवेदन में समिति द्वारा 43 सिफारिशें की गई थीं जहां सरकार की ओर से कार्रवाई करने की मांग की गई थी। ये सिफारिशें मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु सतर्कता एवं निगरानी समिति, सूचना का अधिकार तथा बी.पी.एल. सूची को अंतिम रूप देना आदि से संबंधित योजनाओं से जुड़े मुद्दों से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाई गई है, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पठित समझा जाए।

अपराह्न 12.15 बजे

(तीन) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में समिति के 191वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 205वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): मैं, दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के, लोक सभा समाचार भाग-दो में जारी किए गए माननीय अध्यक्ष लोक सभा के निदेश 73क के अनुसरण में महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 205वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य सभा पटल पर रख रही हूं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9344/08।

मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 205वां प्रतिवेदन 05-12-2007 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित है।

समिति की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शायी गयी है, जो कि सभा पटल पर प्रस्तुत है। अनुरोध है कि इसे मेरे द्वारा पढ़ा गया माना जाए।

अपराह्न 12.15½ बजे

(चार) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-दो के तहत जारी किए गए माननीय अध्यक्ष लोक सभा के निदेश 73-क के अनुसरण में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

उर्वरक विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य देश में कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है तथा इस उद्देश्य के लिए उर्वरक क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना तथा उर्वरकों के आयात और वितरण की योजना बनाना और व्यवस्था करना है।

उर्वरक विभाग की मुख्य गतिविधियों में उर्वरक उद्योग के संवर्धन और विकास की योजना तैयार करना, उत्पादन कार्यक्रम बनाना और निगरानी करना, मूल्य-निर्धारण, उर्वरकों,

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9345/08।

[श्री विजय हान्डिक]

का आयात और आपूर्ति तथा स्वदेशी और आयातित उर्वरकों की राजसहायता/रियायत के जरिए वित्तीय संसाधन का प्रबंधन करना शामिल है। विभाग सांकेतिक अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर किसानों को उपलब्ध कराई गई रियायत योजना के अंतर्गत नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों को भुगतान भी करता है।

इसके अलावा, उर्वरक विभाग के कार्यकलापों में उर्वरक क्षेत्र के निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहकारी समितियों का प्रशासनिक नियंत्रण करना भी शामिल है:-

(i) एफ.सी.आई. (बंद किया जा रहा है)

(ii) फैक्ट

(iii) एम.एफ.एल.

(iv) एन.एफ.एल.

(v) आर.सी.एफ.

(vi) बी.वी.एफ.सी.एल.

(vii) एच.एफ.सी. (बंद किया जा रहा है)

(viii) पी.डी.आई.एल.

(ix) पी.पी.सी.एल. (परिसमापन के अधीन)

(x) एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम मिनरल्स इंडिया लिमिटेड

(xi) कृभको

कार्यपालक निदेशक, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ.आई.सी.सी.) का कार्यालय भी उर्वरक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। यह कार्यालय एफ.आई.सी.सी. को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है जो यूरिया हेतु नई मूल्य निर्धारण योजना (एन.पी.एस.) को प्रशासित और प्रचालित कर रहा है।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी 26वें प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि संबंधित प्रतिवेदन 16 अप्रैल, 2008 को लोक सभा में और 23 अप्रैल, 2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है। सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में समिति ने बताया है कि स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट कुल 20 सिफारिशों में से उर्वरक विभाग द्वारा अभी तक 6 सिफारिशों को लागू किया गया है और 9 सिफारिशों को लागू करने संबंधी कार्रवाई चल रही है। राजसहायता के वितरण उर्वरक नीति को अंतिम रूप देने, मौजूदा यूरिया इकाइयों को कठिनाइयां दूर करने/उनका पुनरुद्धार करने/आधुनिकीकरण करने, उर्वरक इकाइयों को प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने, रुग्ण और घाटे में चल रही तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बंद उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार करने संबंधी 22वें प्रतिवेदन में क्रम संख्या 6, 11, 16, 17 और 18 पर की गई सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

उर्वरक विभाग ने समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 18 सिफारिशों के उत्तर दे दिए हैं जो मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने, किसानों को सीधे राजसहायता का वितरण करने, निवेश के लिए उर्वरक नीतियों, बंद/घाटे में चल रही इकाइयों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन, किसानों के लिए "संकट हरण बीमा योजना", उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण तथा उनकी निगरानी, राजसहायता राशि में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन से संबंधित है। अधिकांश सिफारिशों के संबंध में उर्वरक विभाग ने पहले ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और इसमें हुई प्रगति की जानकारी उत्तर में दी गई है।

अपराह्न 12.16 बजे

(पांच) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): श्री आनन्द शर्मा की ओर से मैं, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-दो द्वारा जारी लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73(क) के अनुसरण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों का ब्यौरेवार मांगों की 2008-09 के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पचपनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट-

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9346/08।

सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) का गठन 5 अगस्त, 2007 को किया गया था। समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों, जिन्हें सभा पटल पर 18 मार्च, 2008 को रखा गया था, पर विचार किया। समिति ने 28 मार्च, 2008 को मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति का पचपनवां प्रतिवेदन 16 अप्रैल, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें 44 सिफारिशें/टिप्पणियां हैं।

पचपनवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सभी 44 सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा-की-गई-कार्रवाई टिप्पण 9-7-08 को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को प्रेषित किए गए थे।

पचपनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट उपरोक्त 44 सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.17 बजे

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन संबंधी अधिसूचना की स्वीकृति के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में 13 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 78/2008-सीमा शुल्क [सा.का.नि. 457(अ) दिनांक 13 जून, 2008] का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की उक्त दूसरी अनुसूची की शीर्ष संख्या 11 के अंतर्गत आने वाले लौह अयस्क, सभी प्रकार के, पर उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क को 300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर मूल्यानुसार 20% किया जा सके।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में 13 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 78/2008-सीमा शुल्क [सा.का.नि. 457(अ) दिनांक 13 जून, 2008] का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की उक्त दूसरी अनुसूची की शीर्ष संख्या 11 के अंतर्गत आने वाले लौह अयस्क, सभी प्रकार के, पर उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क को 300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर मूल्यानुसार 20% किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.17½ बजे

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में संशोधन संबंधी अधिसूचना की स्वीकृति के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं, निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में 13 जून, 2008 को अधिसूचना संख्या 39/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क [सा.का.नि. 460(अ) दिनांक 13 जून, 2008] का अनुमोदन करती है जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है ताकि पहली अनुसूची की टैरिफ मद संख्या 8702 10 11, 8702 10 12, 8702 10 19, 8702 90 11, 8702 90 12, 8702 90 19, 8703 23 10, 8703 23 91, 8703 23 92, 8703 23 99, 8703 24 10, 8703 24 91, 8703 24 92, 8703 24 99, 8703 32 10, 8703 32 91, 8703 32 92, 8703 32 99, 8703 33 10, 8703 33 91, 8703 33 92, 8703 33 99 और 8703 90 90 के अंतर्गत आने वाले मोटर यानों तथा मोटर

[श्री पी. चिदम्बरम]

कारों पर उद्ग्रहणीय मूल उत्पाद शुल्क को मूल्यानुसार '24%' से बढ़ाकर मूल्यानुसार '24%+20,000 रुपए प्रति इकाई' किया जा सके।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में 13 जून, 2008 को अधिसूचना संख्या 39/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क [सा.का.नि. 460(अ) दिनांक 13 जून, 2008] का अनुमोदन करती है जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है ताकि पहली अनुसूची की टैरिफ मद संख्या 8702 10 11, 8702 10 12, 8702 10 19, 8702 90 11, 8702 90 12, 8702 90 19, 8703 23 10, 8703 23 91, 8703 23 92, 8703 23 99, 8703 24 10, 8703 24 91, 8703 24 92, 8703 24 99, 8703 32 10, 8703 32 91, 8703 32 92, 8703 32 99, 8703 33 10, 8703 33 91, 8703 33 92, 8703 33 99 और 8703 90 90 के अंतर्गत आने वाले मोटर यानों तथा मोटर कारों पर उद्ग्रहणीय मूल उत्पाद शुल्क को मूल्यानुसार '24%' से बढ़ाकर मूल्यानुसार '24%+20,000 रुपए प्रति इकाई' किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.18 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, विशेषकर उड़ीसा और अन्य राज्यों में हुई घटनाओं के संदर्भ में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके नेता को बुलाया है। यदि आप उनके बीच में व्यवधान डालना चाहते हैं तो यह आपकी इच्छा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उनकी बात समझ नहीं पा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं इस महीने की 20 तारीख से, गत चार दिनों से स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे रहा हूं क्योंकि हमारा मानना है कि उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों में जिस प्रकार ईसाई अल्पसंख्यकों की नृशंस हत्याएं हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जाना आवश्यक है।...*(व्यवधान)* मैं आपसे बात करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि आपने आजमगढ़ में क्या किया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं इससे सहमत हूं कि इसके आधार पर स्थगन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है लेकिन मैंने इस पर विस्तृत चर्चा करने हेतु नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कराना **अधिक** उपयुक्त समझा। आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे लेकिन कृपया चर्चा को आगे बढ़ाएं।

श्री बसुदेव आचार्य: हम इसे स्थगन प्रस्ताव हेतु उचित मामला मानते हैं। इसीलिए मैंने प्रतिदिन इस मामले को उठाने का प्रयास किया था।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी बात को भी सुनने का प्रयास किया है।

श्री बसुदेव आचार्य: लेकिन मुझे इसकी अनुमति नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। हमें पिछली बात छोड़ देनी चाहिए मुझे इस संबंध में बहुत कुछ कहना है। आपने मुझे उत्तेजित भी किया, लेकिन मैं चुप रहा।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश के अल्पसंख्यकों से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत उठाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय: अब एक नई बात सामने उभरकर आयी है कि अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्न उठाया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं आपके निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप मुझसे यह बार-बार पूछ रहे हैं कि मैंने इसे स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत क्यों नहीं शामिल किया।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं आपके निर्णय पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। मैं आपसे इस विषय पर बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, पूरा देश और पूरा विश्व इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। इस मुद्दे पर हमारे देश के बाहर चर्चा की गई है और संपूर्ण देश भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है लेकिन संसद में हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दिन की कार्यवाही का वीडियो अंश पुनः दिखाऊंगा और आप पता चलेगा कि इसकी अनुमति और कब दी जा सकती थी।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री आचार्य, आपने अपनी बात कह दी है। आपने अध्यक्ष के प्रति अपनी अप्रसन्नता व्यक्त कर दी है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, नियम पुस्तिका के पृष्ठ 31 पर धारा (2) में यह कहा गया है, मैं इसे उद्धृत करता हूं:

> "यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाए तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहेगा और तद्नुसार यदि कम से कम पचास सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है। यदि पचास से कम सदस्य उठें, तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है।"

महोदय, इस नियम के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि सरकार स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत वाद विवाद अथवा चर्चा के दौरान आपत्तियां उठाती है। मैं आपके प्राधिकार पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं केवल नियम पुस्तिका को उद्धृत कर रहा हूं। सरकार निश्चित रूप से यह कहे कि यह स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है और केवल तभी ऐसी ही स्थित में, आप जो भी निदेश देना चाहें, दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अत्यंत वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन आप राज्य सभा में थे। नियम 60 के उपनियम (1) में कहा गया है, "अध्यक्ष यदि अपनी सहमति देता है..." मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है इसलिए इस मामले में यह नियम लागू ही नहीं होता है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: आप इस नियम से बंधे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं अनुमति देने हेतु विवश नहीं हूं। आप कैसी बात कर रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: आप यह सुनिश्चित करने हेतु अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं कि यह स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने यह अत्यंत आपत्तिजनक बात कही है। मेरी समझ से माननीय उपाध्यक्ष सभा की कार्यवाही संचालित करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मुझसे चिढ़ने लगे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: ऐसी बात नहीं है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा लग रहा है। आप बारंबार जानबूझकर मेरे अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप जानबूझकर अध्यक्षपीठ के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। यदि इससे आपका राजनैतिक उद्देश्य पूरा होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने पांच दिनों तक इसकी अनदेखी की है। हर किसी के धैर्य की सीमा होती है। आप सभी ने मुझे चुना है, मैं तत्काल अपना पद छोड़ने हेतु तैयार हूं। यदि सभा मुझसे कहे मैं अपना पद तत्काल छोड़ने को तैयार हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: इसमें कोई राजनीति नहीं है। मै केवल नियमों को ही उद्धृत कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है। अध्यक्षपीठ का अपमान मत कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी सभा का अपमान कर रहे हैं। आप जानबूझकर यह कर रहे हैं। आप या तो जानबूझकर अथवा अज्ञानतावश यह कर रहे हैं। मैं यह रियायत भी देने हेतु तैयार हूं, यदि आप अध्यक्षपीठ का अपमान करना चाहते हैं और सभा का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं इसके लिए भी तैयार हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया सभा

[अध्यक्ष महोदय]

की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं मैं अध्यक्षपीठ के आसन पर नहीं बैठूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसी प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। आपकी सभा के प्रति कर्तव्य की कोई भावना नहीं है। इस सभा में क्या हो रहा है? कुछ भी बोला जा सकता है। यह कहा जा रहा है कि मैंने चार दिनों से इसकी अनुमति नहीं दी है। यह प्रश्न कब उठाया जा सकता था। आपने 11 बजे से ही शोर करना शुरू कर दिया है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक इस मामले पर चर्चा जारी रखने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं सभी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। आप बारंबार अध्यक्ष पर दोषारोपण कर रहे हैं। मैंने क्या किया है।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, उनकी बात पर ध्यान नहीं दें।

अध्यक्ष महोदय: ये सभा के सम्माननीय सदस्य हैं। मुझे उनकी बात पर ध्यान देना होगा।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, हम आपके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। यह यातना सहने के समान है।

जी हां, श्री आचार्य, मैं आपसे अपनी बात कहने का अनुरोध करता हूं। मैंने स्वयं कहा है कि यह मामला महत्वपूर्ण है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं यह कह रहा था कि पूरा देश उड़ीसा, कर्नाटक और देश के अन्य भागों में हुई घटना की चर्चा कर रहे हैं। इससे संबंधित सूचना अत्यंत भयानक है। राज्य में 50 से अधिक ईसाईयों की हत्या की गई है।

अपराह्न 12.25 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उनमें से कई व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया और ईसाईयों के 4500 मकान ध्वस्त, तबाह और तोड़ दिए गए। जनजातीय और दलित समुदाय के 50,000 से अधिक दलित ईसाई आवासविहीन हो गए हैं और वे राहत कैंपों में रह रहे हैं।

महोदय एक 28 वर्षीय युवा नन का दिनदहाड़े सामूहिक बलात्कार किया गया...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मुझे इस पर घोर आपत्ति है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपकी पार्टी की बारी आएगी, उस समय आप इसका जवाब दीजिएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: एक हिन्दू महिला को बुरी तरह पीटा गया और उसे जला दिया गया। उसे भूलवश क्रिश्चयन समझ कर मार डाला गया...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप बोलिए। जब आपकी बोलने की बारी आएगी, तब आप बोलना।

[अनुवाद]

यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, स्वामी लक्ष्मणानन्द की हत्या माओवादियों द्वारा की गई थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह बात सब जानते हैं और माओवादी नेता ने स्वयं इस बात का दावा किया है कि स्वामी जी की हत्या माओवादियों ने की है...*(व्यवधान)* उन्होंने स्वामी लक्ष्मणानन्द की हत्या किए जाने के कारण भी बताए

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं *(व्यवधान)*। स्वामी लक्ष्मणानन्द की हत्या के एक घंटे के अंदर बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के सदस्य बंदूकें, लाठियां, हथियार, तलवारें आदि लेकर एकत्र होने लगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपकी पार्टी की बारी आएगी तब आप बोलना। अभी आप आचार्य जी को बोलने दें, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप बोलना।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: उसके बाद वे ईसाई समुदाय पर हमला करने लगे।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: ईसाई समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी गई...*(व्यवधान)* ईसाइयों के लाखों घर जला दिए गये। उनमें से हजारों को बेघर कर दिया गया *(व्यवधान)* महोदय, उड़ीसा राज्य की पुलिस और प्रशासन क्या कर रहे थे? *(व्यवधान)*

महोदय, वे मूक दर्शक बने रहे। *(व्यवधान)* उन्होंने हिन्दुओं को ईसाइयों पर हमला करने से नहीं रोका। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, इस समय मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं। जब आपकी बारी आएगी उस समय आप जो कहना चाहते हैं, कह लीजिएगा। मैं इस समय आपको अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह घटना हमें गुजरात राज्य में 2002 में घटी घटना की याद दिलाती है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, इस समय मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: 2002 में गुजरात में घटी घटनाओं

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की भांति यह भी * अतिवादी ताकतों द्वारा अल्पसंख्यकों के विरुद्ध * रचित सुनियोजित हिंसक घटना है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: उड़ीसा में दशकों से ईसाइयों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैडम, आप बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: लालू जी, आप बैठ जायें।

***श्री लालू प्रसाद:** इन्होंने 356 का विरोध किया। अगर ये 356 का विरोध नहीं करते, तो आप यहां नहीं होते। (व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वैस्ट है, इधर भी और इन भाइयों से भी कि जब आपकी बारी आएगी, आपकी पार्टी का स्पीकर बोलेगा, तो जो उन्होंने बोला, उसका जवाब दे दिया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया मेरी बात सुनिए। कृपया धीरज रखिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पहले मेरी बात सुनिए। यदि कोई आपत्तिजनक बात है, तो मैं उसे देख लूंगा और इसे कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकलवा दूंगा।

[हिन्दी]

इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि जब आपकी बारी आएगी, उस वक्त आप जो चाहे बोल लेना, लेकिन यह नहीं कि बोलते वक्त दूसरे को डिस्टर्ब करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हम सबको इस बात पर सहमत होना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: उड़ीसा में ऐसी घटनाएं दो महीनों से घट रही हैं। उड़ीसा में घटी घटनाएं हमें गुजरात में 2002 में 20 फरवरी से शुरू हुई घटनाओं की याद दिलाती हैं।

गुजरात में उस समय 2000 मुसलमान मारे गये थे। उनमें से बहुतों को जिंदा जला दिया गया था। मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार कर उनके टुकड़े कर दिये गये। सरकार मूक दर्शक बनी रही। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वे इतने बेचैन क्यों हो गये हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। क्या आप बैठने की कृपा करेंगे?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: यही घटना उड़ीसा राज्य में भी घटी। वे उड़ीसा को हिन्दुत्व की दूसरी प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: देव जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: सलीम जी, आप इतने सीनियर मेंबर हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आपकी कसर रह गई थी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

नियम 193 के अधीन चर्चा - *जारी*

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार विशेषकर उड़ीसा और अन्य राज्यों में हुई घटनाओं के संदर्भ में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, सभा स्थगित होने से पहले मैं कह रहा था कि उड़ीसा, कर्नाटक और अन्य राज्यों में जो हुआ वह बहुत जघन्य था और वह सब स्वतःप्रेरित था।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके पास दस मिनट का समय है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह क्रिश्चयन अल्पसंख्यकों पर पूर्व नियोजित आक्रमण किया गया। 23 अगस्त, 2008 को स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या कर दी गई। उससे पहले, पिछले वर्ष, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर पूरा कंधमाल जिला सुलग रहा था। पिछले वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जब गिर्जाघरों पर आक्रमण हो रहे थे, तो उस समय राज्य सरकार की क्या भूमिका थी?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि जब आपकी पार्टी का बोलने का समय आयेगा तब आपको जो बोलना है, बोल दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री बसुदेव आचार्य: जब गिरजाघरों पर आक्रमण हो रहे थे, सभी पुलिस बल हटा लिए गए और क्रिश्चयन अल्पसंख्यक असहाय हो गए। हिन्दुत्व के गुंडों को खुली छूट दी गई। ...*(व्यवधान)* पुलिस बल को...*(व्यवधान)* राजधानी में होने वाले समारोहों में सहयोग करने के लिए बुला लिया गया। ...*(व्यवधान)* जब ईसाईयों पर हमले हुए और गिरजाघरों को ढहा दिया गया,...* से एक वक्तव्य आया। उन्होंने कहा:

> "आप केवल टायर जला रहे हैं। कितने ईसाई घरों और गिरजाघरों को जलाया गया है? क्रांति के बिना, शांति नहीं हो सकती है।..." गुजरात में क्रांति की गई है। इसी कारण वहां शांति है।"

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। क्या वह सभा के सदस्य हैं? वह उनका नाम कैसे ले सकते हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं देखूंगा।

श्री हरिन पाठक: महोदय, श्री बसुदेव आचार्य ने अभी-

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हरिन पाठक]

अभी जिन दो व्यक्तियों का उल्लेख किया है, वे इस सभा के सदस्य नहीं हैं।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: दोनों नाम कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिए गए हैं।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बार-बार बीच में उठकर बोल रहे हैं। जब आपकी पार्टी से कोई सदस्य बोलेगा, तब क्या ये लोग उन्हें बोलने के लिए एलाऊ करेंगे?

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने दोनों नाम कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिये हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उसे एक्सपंज कर दिया है।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, क्रिश्चयन अल्पसंख्यक पर आक्रमण छिटपुट नहीं था।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। जो कोई भी सभा में उपस्थित नहीं है, यदि उनके नामों का उल्लेख किया गया है, वे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिए गए हैं।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, जनजातियों का अपना धर्म होता है।...(*व्यवधान*) भारत में उनका अपना धर्म है।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उन व्यक्तियों के नाम निकाल दिए हैं जो सभा में उपस्थित नहीं हैं।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: जो हिन्दू धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

हम 1999 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के मनोहरपुर में घटी जघन्य घटना को भूले नहीं हैं।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया इस तरह से बाधा उत्पन्न न करें।

श्री बसुदेव आचार्य: जब ग्राहम स्टेन्स...(*व्यवधान*) ग्राहम स्टेन्स ने क्या अपराध किया था? महोदय, कई वर्षों के लिए वह...(*व्यवधान*) के कल्याण में लगे हुए थे। सुबह से शाम तक वह कुष्ठ रोगियों का इलाज करते थे...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। जब वह बैठ जाते हैं, तो आप खड़े हो जाते हैं, यह क्या है? वह चुप हो जाते हैं, तो आप बोलने लगते हैं। आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: एक दिन, अपना कार्य समाप्त करने के बाद...(*व्यवधान*) उन्होंने अपने दोनों बच्चों को लिया और वह जीप में सो रहे थे...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मेहताब जी, बड़ी देर के बाद हाउस में थोड़ी शांति हुई है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: जब वह जीप में सो रहे थे, अचानक रात में, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दारा सिंह के नेतृत्व में उन्हें जिन्दा जला दिया...(*व्यवधान*) क्या बी.जे.पी. कह सकती है कि दारा सिंह बजरंग दल का नहीं है? ...(*व्यवधान*) मशालों के साथ जीप को आग लगा दी गई ...(*व्यवधान*) ग्राह्म स्टेन्स और उनके दो बच्चों को जिन्दा जला दिया गया...(*व्यवधान*) यह बहुत आश्चर्यजनक है, वर्ष 1999 में, केन्द्र में एन.डी.ए. सत्ता में थी और उस समय के रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डिज ने कहा, कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। जब ऐसी घटना वर्ष 1999 में मनोहरपुर में हुई उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साजिश दिखाई दी।

महोदय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उड़ीसा का दौरा किया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिश क्या है? यह कहना है:

"क्रिश्चयन अभी भी भय के वातावरण में अत्यंत असुरक्षा के माहोल में जीने के लिए बाध्य हैं कि यदि वे धर्म परिवर्तित कर हिन्दू धर्म नहीं अपनाते हैं, तो उनकी जिन्दगी सुरक्षित नहीं रहेगी और उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी।"

अब क्या किया जा रहा है? जो राहत शिविरों में रह रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): जब ग्राहम स्टेन्स की हत्या की गई तब सत्ता में कौन थे?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**...

श्री बसुदेव आचार्य: हम सत्ता में रहे होंगे...*(व्यवधान)* परन्तु वे केन्द्र में सत्ता में थे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सत्पथी, अब कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य: बी.जे.पी. ने कभी भी इस घटना की निंदा नहीं की...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब हद से ज्यादा हो चुका है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सत्पथी, यह चर्चा का विषय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: इसमें आगे कहा गया है:

"इस समुदाय की संपत्ति, उनके पूजा स्थलों को व्यापक क्षति पहुंची है और सबसे बढ़कर इस घृणित घटना, जो एक वर्ष से भी कम समय में दो बार हुई है, ने उनकी मन:स्थिति को उद्वेलित किया है।"

जब दिसम्बर, 2007 में पहली घटना हुई, तो उस समय लगभग एक महीने तक सैकड़ों गिरजाघर ध्वस्त और अपवित्र किये गये।

ईसाईयों को मारा गया और इनकी हत्या की गई।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: इस घटना के होने के बावजूद अगस्त महीने में उड़ीसा राज्य के उसी जिले में गंभीर घटनाएं हुई हैं। यह भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष बहुजातीय देश जिसकी राजनैतिक मंच पर न केवल विविध संस्कृतियों और आस्थाओं के प्रति सहिष्णुता की भावना दर्शाने की धोखे वाली परंपरा रही है बल्कि जिसने इनके विकास और उत्थान को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है, के पक्ष पर बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहें। उन्हें बाधा न पहुंचायें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जब तक सामान्य हालात बहाल करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाते और ईसाईयों के बीच आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न नहीं की जाती, तब तक हम न केवल हमारे बहुल समाज, जिस पर उड़ीसा को भी गर्व है, को अपूर्णीय क्षति पहुंचाएंगे बल्कि इससे हम असामाजिक अतिवादी तत्वों को एक ऐसे स्थान पर काबिज होने का अवसर देंगे जो सही माइनों में राज्य और सिविल समाज के वर्गों द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दें। मैंने केवल दस मिनट का ही समय लिया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको दस मिनट ही देने थे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: आप उन्हें रोक नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें नियंत्रित कर रहा हूं। मैं उन्हें नियंत्रित करने का भरसक प्रयास कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वे गत 15 मिनट से व्यवधान डाल

[श्री बसुदेव आचार्य]

रहे हैं। आप उन्हें रोक नहीं पाते हैं। अब आप मुझसे भाषण समाप्त करने हेतु कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: अभी मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूं। मैं कर्नाटक, अन्य राज्यों की भी चर्चा करूंगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी से ही अनुरोध कर रहा हूं। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं। कृपया बैठ जाएं। यह अब अपनी बात समाप्त करने जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं, आपके लीडर बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती, आपके नेता बोल रहे हैं, वे खड़े हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप तो बैठ जाएं, आपके लीडर बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें तो मैं चुप कराऊंगा ही, लेकिन आप तो बैठ जाएं। आपकी पार्टी के लीडर बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: हमारे समुदाय के दलित वर्ग के विरुद्ध अपराध हो रहा है। मैं जानता हूं कि दो समुदायों के बीच आरक्षण के मामले को लेकर कतिपय मतभेद हैं। सब समुदाय दलित ईसाई है। वे आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमारी भी यह मांग है कि दलित ईसाईयों को आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: एक सम्प्रदायिक दल, बल्कि एक फासीवादी पार्टी सरकार चला रही है। इसीलिए सरकार...में अनिच्छुक है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: वह भी बैठेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पेशेंस रखें।

[अनुवाद]

वे अपना भाषण समाप्त करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

उनके बाद आपकी बारी आएगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: देखिये, अगर इस तरह से आप व्यवहार करेंगे, तो मुझे हाउस को एडजर्न करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती (जाधवपुर): महोदय, कृपया उनसे व्यवधान नहीं डालने के लिये कहें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपके लीडर बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आप उनसे भी ज्यादा रौला डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: राम कृपाल जी, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, अब कर्नाटक राज्य में बी.जे.पी. की सरकार पहली बार सत्ता में आयी हिंदुत्व, और बजरंग दल ने संगठित अपराध करके ईसाईयों पर हमला करना शुरू कर दिया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तथागत सत्पथी: उपाध्यक्ष जी, वे आपको भी नहीं मान रहे हैं, वे आपको भी माइनोरिटी बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: कर्नाटक राज्य में ईसाईयों के गिरजाघरों और संस्थाओं को ध्वस्त और अपवित्र किया गया। ईसाइयों की हत्या की गई।...*(व्यवधान)*, महोदय, आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें नियंत्रित करने का भरसक प्रयास कर रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं अपनी बात कैसे कहूं? महोदय, आप कृपया सभा में व्यवस्था बहाल करें।

हम अल्पसंख्यकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने आपको बोलने दिया है और मैंने आपको बोलने के लिये पर्याप्त समय दिया है। अब आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, बजरंग दल के अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके नेतृत्व में कई गिरजाघर ध्वस्त किए गए हैं। इसके बावजूद राज्य की सरकार बजरंग दल के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में विफल रही है ...*(व्यवधान)* राज्य सरकार की पुलिस ने ईसाई महिलाओं की पिटाई की थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं अपनी बात कैसे समाप्त कर सकता हूं? मैंने अभी कर्नाटक का उल्लेख किया है ...*(व्यवधान)* ईसाईयों और उनकी संस्थाओं के विरुद्ध हमले एक सुनियोजित योजना के तहत किये गये हमले प्रतीत होते हैं, और कर्नाटक राज्य सरकार गुजरात सरकार की तरह ही कोई ध्यान नहीं दे रही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात दो अथवा तीन मिनट में समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे अपनी बात दो अथवा तीन मिनट में समाप्त करने जा रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हिंदुत्व ताकतें कर्नाटक में धर्म परिवर्तन की प्रयोगशाला स्थापित करना चाहती हैं जैसाकि उन्होंने गुजरात में किया है। एन.सी.एम. दल द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

> "ऐसा प्रतीत होता है कि ईसाईयों और उनके संस्थानों पर हुए हमले सुनियोजित थे। यह देखते हुए कि अगस्त, 2008 में पहले हमले हो चुके थे, राज्य सरकार के पास 14 सितंबर, 2008 को हुए नए हमलों के लिए तैयारी हेतु पर्याप्त समय था। इसके बावजूद, ऐसे हमले नहीं होते यदि राज्य ने पर्याप्त सावधानियां बरती होती।"

जब अगस्त महीने में कर्नाटक में एक घटना घटी, तब राज्य सरकार कोई कार्रवाई करने में विफल रही।

14 सितंबर, 2008 को पुनः ईसाई अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। अल्पसंख्यक आयोग द्वारा राज्य में एक वर्ष में विशेषकर कर्नाटक की वर्तमान सरकार के 100 दिनों में हुए धर्म परिवर्तनों की संख्या के रिकार्ड सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए, पर उन्हें सफलता नहीं मिली...*(व्यवधान)*

हालांकि, बड़े पैमाने पर धर्म-परिवर्तन के संबंध में शिकायतें की गईं, परन्तु धर्म-परिवर्तन का एक भी साक्ष्य नहीं पाया जा सका। बजाए इसके कि ईसाईयों के शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्रों में किए गए योगदान और उनके संगठनों द्वारा दलित लोगों, विशेषकर विधवाओं और अनाथों के सहयोग के लिए किए कार्यों के प्रति सामान्य स्वीकार्यता है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

महोदय, बजरंग दल के अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकार किया था, परन्तु उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात्, जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उस स्थान का दौरा किया तो उन्होंने इस बारे में पूछा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की। उसे गिरफ्तार किया गया परंतु अगले ही दिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया जबकि आज तक बड़ी संख्या में निर्दोष ईसाई लोग जेल में पड़े हुए हैं।

हमारे देश के विभिन्न भागों में पिछले कई वर्षों से जो किया जा रहा है वह केवल देश को बांटने के लिए है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया लगातार टिप्पणियां नहीं करें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आतंकवाद के नाम पर उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और देश के अन्य भागों में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, अदिलाबाद जिले में एक परिवार के छह सदस्यों को जलाकर मार डाला गया। कई राज्यों में ऐसी अनेक घटनाएं घट रही हैं...*(व्यवधान)* वे मुझे असम का उल्लेख करने के लिए कह रहे हैं। अब, मैं असम के बारे में उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आप पहले ही 30 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: परन्तु उन्होंने मेरे भाषण में व्यवधान डालकर कितना समय लिया है?...*(व्यवधान)*

असम में, समस्या जमीन से संबंधित है। बोडो और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद था जिसमें एक की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे जो अब राहत शिविर में रह रहे हैं। इस सूचना के बाद कि यह समस्या पुनः उभरेगी असम की राज्य सरकार वैसा करने में विफल रही जो उसे करना चाहिए था।

महोदय, आज वह है ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यदि हम ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं और सांप्रदायिक ताकतों को उभरने देते हैं तो हमारा देश एकजुट नहीं रह पाएगा। हमने 1992-93 में मुंबई के सांप्रदायिक दंगे को देखा है जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। हमने बी.जे.पी. के हुड़दंगियों द्वारा बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद हुए सांप्रदायिक दंगे भी देखे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, मैं अगले वक्ता का नाम ले रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं अब अपना भाषण तुरंत समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, अब वह अपना भाषण समाप्त करने जा रहे हैं। मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, केन्द्र सरकार से क्या अपेक्षा की जाती है?

राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक बुलाई गई और इस राष्ट्रीय एकता परिषद् से भी कुछ नहीं निकल कर आया। एक परामर्शदायी टिप्पण (एडवाइजरी नोट) भेजा गया था परन्तु अनुच्छेद 355 के अंतर्गत कोई निदेश नहीं दिया गया। महोदय, राज्य सरकार के विरुद्ध अनुच्छेद 356 लगाने की मांग हुई है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप समाप्त करने जा रहे हैं या नहीं?

श्री बसुदेव आचार्य: वामपंथी दलों की ओर से हम अनुच्छेद 356 लगाने के खिलाफ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। अब, मैं श्री बैसीमुथियारी से अनुरोध करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: मुझे समाप्त करने दीजिए। मैं शुरू कर रहा हूं। आपको मुझे अधिक समय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको सारा समय लेना चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने कितना समय लिया है? आप मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। इसलिए, मैं नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, धन्यवाद। यदि आप नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं श्री एस.के. बैसीमुथियारी से एक मिनट बोलने का अनुरोध करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने समाप्त नहीं किया है। आप क्या कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: आपने कहा कि मैं बोलने नहीं जा रहा हूं। आपने ऐसा कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य: आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप मुझे अपना भाषण समाप्त नहीं करने दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपको एक मिनट के अंदर समाप्त करना है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमने केवल एक बार समर्थन किया था और जब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी तब हमने अनुच्छेद 356 लगाने के लिए कहा था। यह उन तीन राज्य सरकारों के संबंध में है जिन्होंने सहायता की और बाबरी मस्जिद ढहाने में प्रत्यक्ष तौर पर सहयोग किया। हमने इन तीन सरकारों के विरुद्ध अनुच्छेद 356 लगाने की मांग की और इन तीन सरकारों को हटा दिया गया। वे उच्चतम न्यायालय में चले गए और उच्चतम न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा। इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, अब मैं श्री बैसीमुथियारी से अनुरोध करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। बजरंग दल ने संविधान का उल्लंघन किया है। आप देख सकते हैं कि जब कभी भी आतंकवादी कार्यकलाप या बम विस्फोट होते हैं वे एक समुदाय पर दोष मढ़ देते हैं। अब, यह मालेगांव, गुजरात और मणिपुर में उजागर हो चुका है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। अब, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बैसीमुथियारी, आप केवल एक मिनट बोलिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)...*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया श्री बैसीमुथियारी को सुनिए। आप केवल एक मिनट बोलिए।

अपराह्न 2.33 बजे

सभा में अपने आचरण पर सदस्य द्वारा खेद के बारे में

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अत्यन्त विनम्रतापूर्वक मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहूंगा :-

महोदय, 3 और 4 अक्तूबर को बोडोलैंड के अंतर्गत उदलगिरी जिले और असम के एक अन्य जिले दरांग में हुई दुर्भाग्यपूर्ण, अवांछनीय, भयावह और हिंसक घटनाओं के संबंध में लोकमहत्व के गंभीर मामले को उठाने का ईमानदार प्रयास करते हुए इन दो प्रभावित जिलों की सर्वाधिक संकटपूर्ण और भयावह स्थिति के कारण 20 अक्तूबर 2008 को इस मामले को सभा में उठाने की अनुमति लेने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के निकट सोच-समझ कर जाने को बाध्य हुआ, पूर्ण होशोहवास तथा संयम में था।

उपर्युक्त स्थितियों में, उस दिन उस क्षण विशेष में जो भी अशोभनीय स्थिति हुई मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.35 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा - *जारी*

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार विशेषकर उड़ीसा और अन्य राज्यों में हुई घटनाओं के संदर्भ में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री खारबेल स्वाई से बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): धन्यवाद महोदय, आपने सी.पी.आई. (एम) के नेता श्री बसुदेव आचार्य द्वारा दिए गए अत्यधिक लम्बे विस्तारित भाषण को सुना। उनके भाषण का मुख्य बल इस बात पर था कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में समूहों ने कन्धमाल जिले में ईसाईयों की हत्या की, चर्च जलाए और उन्हें जंगलों में भागने पर मजबूर कर दिया तथा ननों से बलात्कार किया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। कृपया माननीय सदस्य की बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: ये श्री बसुदेव आचार्य द्वारा लगाए गए मुख्य आरोप थे।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): ये आरोप नहीं थे।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यह आरोप किसके विरुद्ध लगाया? उन्होंने यह आरोप भारत के सबसे शालीन, विनम्र और ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से एक श्री नवीन पटनायक पर लगाया। उन्होंने यह आरोप उनके विरुद्ध लगाया...*(व्यवधान)*

श्री टी.के. हमजा: कुछ गलत नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें। कृपया बाधा न डालें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: मैं एक बात समझना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मैं उनकी समस्या समझता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको क्या परेशानी है? कृपया उनकी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: महोदय, मुझे उन्हें संभालने की अनुमति दें। मैं उन्हें संभाल लूंगा।

मैं श्री बसुदेव आचार्य की कठिनाई समझता हूं। चुनाव आ रहे हैं। अब वे पश्चिम बंगाल में भी नहीं बल्कि केरल में अपने निर्वाचन क्षेत्र को संबोधित कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि जब भी उड़ीसा में कुछ होता है, उसकी लहरों का प्रभाव केरल में भी आता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल श्री खारबेल स्वाई का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री खारबेल स्वाई: तरंग प्रभाव सी.पी.आई. (एम) द्वारा पैदा किया गया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री संदीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): महोदय, यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। कुछ भी कार्रवाई वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: मैं यह भी कहता हूं कि चुनाव आ रहे हैं। श्री दीक्षित, जिनकी मां दिल्ली की मुख्य मंत्री हैं, चर्चा आरंभ होने के समय सभा में उपस्थिति नहीं थे। वे सभा में अचानक प्रवेश करते हैं और वक्तव्य देना चाहते हैं क्योंकि वह लोगों को बताना चाहते हैं कि वह इतने धर्मनिरपेक्ष हैं...*(व्यवधान)* वह सभा में चर्चा के समय बिलकुल उपस्थित नहीं थे...*(व्यवधान)* महोदय, वह चुनावी राजनीति की बाध्यताओं

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को समझते हैं। महोदय, जब भी उड़ीसा में कुछ हो रहा होता है केरल में उसका प्रभाव पड़ता है और प्रभाव सी.पी.आई. (एम) द्वारा पैदा किया जाएगा। वे कौन सा अभियान चलाएंगे? यह ऐसा है - 'ओह! ईसाइयो - देखो - संघ परिवार भारत में अन्य स्थानों पर आपकी हत्या कर रहा है; उड़ीसा में वे आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वे आपके चर्च जला रहे हैं, आपके घर जला रहे हैं। अतएव हम ऐसा दल हैं जो आपके पक्ष में है; सी.पी.आई. (एम) को ही वोट दें।" यही कारण है जिसके लिए वह यह मामला बना रहे हैं...*(व्यवधान)*

महोदय, अब माननीय गृह मंत्री यहां मौजूद हैं, जो इस सभा के लम्बे समय से सदस्य हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।

उन्होंने कन्धमाल क्षेत्र का दौरा किया। कन्धमाल का दौरा करने के पश्चात् उनकी टिप्पणी क्या थी? उन्होंने कहा कि यह मूलतः जातिवादी संघर्ष है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह हिन्दू-ईसाई झगड़ा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बजरंग दल के लोगों ने जाकर ईसाइयों पर हमला किया। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा - मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं - क्योंकि उन्होंने वास्तव में इसे समझा। हमने वह समाचारपत्रों में पढ़ा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दीक्षित जी, माननीय गृह, मंत्री बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय कृपया अपनी बात कहते हुए ऐसा मत कहें कि उक्त बात मैंने कही है। ...*(व्यवधान)* अब आपको जो कहना है वह कहें, परन्तु ऐसा न कहें कि मैंने कुछ कहा है...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जो यहां उपस्थित हैं से पूछूंगा कि क्या उन्होंने ऐसा कहा कि यह हिन्दू-ईसाई विवाद था। वह इसका उत्तर देंगे...*(व्यवधान)* तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा?...*(व्यवधान)*

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले ही लगभग 1000 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। जिले की तीनों जेलों में अब जगह नहीं है। अब अखबार लिख रहे हैं कि गिरफ्तार लोगों को जेल में सार्डिन मछली की तरह रखा और भरा गया है। अखबारों में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है। फूलबनी, उदयगिरी और बालीगुडा जेलों में कोई जगह नहीं बची है। अतः सरकार अब गिरफ्तार किए गये लोगों को पड़ोसी जिले के दिगपहांडी विशेष जेल भेज रही है।...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): अब आप सहमत हैं कि कुछ हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: जी हां, कुछ हुआ है। मैं वह भी बता रहा हूं कि क्या हुआ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**...

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यदि कोई सूचना नहीं चाहते हैं, तो यह अलग बात है क्योंकि अधिकांश लोगों की सामान्य प्रवृत्ति यह होती है कि वे सच सुनना नहीं चाहते हैं, वे अपनी पसंद की ही बात सुनना चाहते हैं। शायद वह यही सुनना चाहते हैं कि बजरंग दल खराब है और विश्व हिन्दू परिषद खराब है। वह यही बात सुनना चाहते हैं। श्री जार्ज, यदि आप सच सुनना चाहते हैं, तो सुनिए। उसके बाद आप उत्तर दे सकते हैं। आप मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनके बोलते समय आप बीच में विघ्न मत डालिए। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं दस्तावेज के रूप साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। मुझे 19 अक्तूबर के "द टाईम्स ऑफ इंडिया" के भुवनेश्वर संस्करण में प्रकाशित समाचार बताने दीजिए। आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री खारबेल स्वाईं]

साम्प्रदायिक अखबार है। इसमें बैनर का शीर्षक क्या दिया गया है? इसमें लिखा हुआ है कि "फीयर ऑफ एरेस्ट फोर्सेस हिन्दु ट्राइबल्स टु फ्ली (गिरफ्तारी के भय से हिन्दू आदिवासी भागने के लिए बाध्य हो जाते हैं)"। अतः श्री जार्ज निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि यह क्या है...*(व्यवधान)*। मैं यह आपको दूंगा। मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य: यह अक्तूबर में लिखा गया है, अर्थात दो महीने बाद...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: अब मैं निष्कर्ष पर आ रहा हूं। "द टाईम्स ऑफ इंडिया" में एक अन्य बैनर शीर्षक भी दिया गया है "उड़ीसा इज सेफ : पुरी इटैलियन टेल्स फ्रेन्ड्स"। यह बात द टाईम्स ऑफ इंडिया में छापी जा रही है। इटली की एक महिला है, वह महिला स्वयं भी ईसाई है, वह इटली के अपने मित्र को पत्र लिखकर बता रही है कि "उड़ीसा पूर्णरूपेण सुरक्षित है। आप यहां क्यों नहीं आती?" यह द टाईम्स ऑफ इंडिया का समाचार है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: उसमें यह भी लिखा हुआ है : "द कंधामल क्रिश्चियन्स डिमांड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट"। यह भी यहां उल्लिखित एक मुख्य समाचार है। इन स्थानीय अखबारों, अर्थात भुवनेश्वर में छपने वाले स्थानीय संस्करण, में कुछ अन्य बातें और दिल्ली संस्करण में कुछ और बातें क्यों छापी जाती है? मैं मीडिया से यह पूछ रहा हूं। ये सारी बातें द टाइम्स आफ इंडिया के भुवनेश्वर संस्करण में छापी जा रही हैं लेकिन दिल्ली संस्करण में नहीं छापी जा रही। इसलिए यदि वे हर वक्त झूठी खबरें छापेंगे तो उसके बाद उस अखबार को उड़ीसा में कोई नहीं पढ़ेगा। अतः वे सच छापते हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वे उनसे भयभीत हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: श्री स्वाईं, हमें एक सर्वदलीय संसदीय शिष्टमंडल उड़ीसा भेजना चाहिए और हमें अपनी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खातिर इसका पता लगाना चाहिए कि वहां क्या हुआ है ...*(व्यवधान)*। हम समाचार-पत्र की खबर पर भरोसा क्यों करें?...*(व्यवधान)*। हम सब वहां जाएंगे और स्वयं यह देखेंगे कि वहां क्या घटना घटी है।...*(व्यवधान)* उसके बाद हम किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: यदि वहां कुछ नहीं हुआ है, तो हम आपकी दलील का समर्थन करेंगे *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में श्री स्वाईं के भाषण के अलावा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: मैं उस विषय पर आऊंगा। देश के माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा भी इसे हिन्दू-ईसाई दंगा क्यों नहीं बताया गया था? इसे जातीय संघर्ष क्यों कहा गया? इसका कारण यह है कि कंधामल में दो प्रमुख जातीय समूह है। पहला आदिवासी हैं, जिन्हें कंधास कहा जाता है। वे पूरी आबादी का 52 प्रतिशत हैं। दूसरा स्थान अनुसूचित जाति का है जिन्हें उड़िया भाषा में पनास कहा जाता है। यह संयोग की बात है कि 70 से 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति या पनास का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बना दिया गया है और केवल 5 प्रतिशत आदिवासी, जो कि कंधास है, का भी धर्म परिवर्तन किया गया है। कंधास अधिकांशतः हिन्दू होते हैं और आदिवासी हिन्दू हैं, एवं अनुसूचित जातियों में अधिकांश ईसाई हैं। यही बात है।

लगभग एक वर्ष पहले की बात है, अनुसूचित जाति के पनास समुदाय के लोगों जो ईसाई बन गये हैं, ने उच्चतम न्यायालय में एक मामला दर्ज किया और यह मांग की कि राजस्थान के गुज्जरों की भांति उन्हें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। उस संबंध में राजस्थान में घटी घटनाओं से सभी लोग भलीभांति परिचित हैं। जब गुज्जरों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग की, तो अनुसूचित जनजाति के मीना समुदाय के लोगों ने आपत्ति की। यही घटना कंधामल में घटित हो रही है। कंधामल में पनास अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग कर रहे हैं और कंधास इसका विरोध कर रहे हैं। वे इसका

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विरोध क्यों कर रहे है?...(*व्यवधान*) ऐसा मौजूदा नियम के कारण हो रहा है। मौजूदा नियम क्या हैं? नियम यह है कि गैर जनजातीय लोग जनजातीय लोगों की जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन एक जनजाति के लोग दूसरी जनजाति के लोगों की जमीन खरीद सकते हैं। इसलिए कंधास या जनजाति के लोग यह सोच रहे हैं कि यदि पनास या अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो वे आदिवासियों की सब जमीन खरीद लेंगे। यही कारण है कि वे यह चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। (*व्यवधान*)

उनके दो और आरोप हैं, पनास ईसाइयों की स्थिति शैक्षिक रूप से बहुत अच्छी है। इतना ही नहीं, बेहतर शिक्षा और सरकारी तंत्र में बेहतर पैठ के बल पर वे वित्तीय और सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ हैं और उन्होंने आदिवासियों की अधिकांश भूमियों को भी ले लिया है।

जिस जमीन पर आदिवासी सैकड़ों वर्षों से खेती कर रहे थे, उसका पट्टा अनुसूचित जातियों को दे दिया गया है और ऐसा उनको बताए बगैर किया गया है। इसी कारण से वे विरोध कर रहे हैं।

दूसरी आपत्ति यह है कि ईसाई बन चुके अनुसूचित जाति के लोगों, जिनका शैक्षिक स्तर बेहतर है, वे किसी न किसी तरह आदिवासी होने के नकली प्रमाणपत्र बनवा लिये हैं और वे सरकारी नौकरी भी ले चुके हैं।

महोदय, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। वह अब राज्य सभा के सदस्य हैं और वह कांग्रेस पार्टी से हैं। वह पनास ईसाई हैं लेकिन उन्होंने किसी तरह आदिवासी होने का नकली प्रमाणपत्र हासिल किया और आई.ए.एस. बन गये। वह इस समय राज्य सभा के सदस्य हैं। अब सी.बी.आई. उनके विरुद्ध मामले की जांच कर रही है।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री खारबेल स्वाई: यही प्रमुख कारण जिसकी वजह से कंधास या आदिवासी लोग पनास लोगों से पूरी तरह से खफा हैं। उनका मानना है कि पनास ईसाई ही सारी तरह के उलट-फेर कर रहे हैं ताकि अनुसूचित जनजातियों को उनकी जमीन और नौकरी से वंचित कर सकें। यही प्रमुख कारण है। यह हिंदुओं और ईसाईयों के बीच संघर्ष नहीं है।

महोदय, वे बजरंग दल के विरुद्ध सभी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। मैं उन्हें निश्चित रूप से आंकड़े दूंगा। ...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। श्री खारबेल स्वाई के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

(*व्यवधान*)*...

श्री खारबेल स्वाई: मैं उन्हें निश्चित रूप से आंकड़े दूंगा। उस जिले से चार विधायक और एक सांसद सदस्य हैं। वह माननीय संसद सदस्य यहां बैठे हुए हैं। उस जिले के माननीय संसद सदस्य बजरंग दल के नहीं हैं; वह बी.जे.पी. से नहीं आते हैं; और वह बीजू जनता दल के हैं। आप कह सकते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं, परन्तु आप यही बात श्री नवीन पटनायक या उनके दल के बारे नहीं कह सकते हैं। ये उस क्षेत्र से संसद सदस्य हैं। चार विधायकों में से, दो बीजू जनता दल के हैं, एक कांग्रेस के हैं और एक बी.जे.पी. से हैं। यदि आपको लगता है कि विश्व हिन्दू परिषद वहां इतनी शक्तिशाली है, यदि बजरंग दल वहां इतना शक्तिशाली है तब उस जिले से केवल एक बी.जे.पी. विधायक क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि बजरंग दल वहां कभी शक्तिशाली रहा ही नहीं है; विश्व हिन्दू परिषद वहां कभी शक्तिशाली नहीं रही है; और हमारी वहां कोई खास विद्यमानता नहीं रही है।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें सुनिए और कोई शोर नहीं कीजिए।

श्री खारबेल स्वाई: उस विवाद में हमारी कोई भूमिका नहीं है। चूंकि वे हमारे विरुद्ध आरोप लगाना चाहते हैं, और इस देश में बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद, बी.जे.पी., संघ परिवार और आर.एस.एस. के विरुद्ध कुछ भी कहना एक फैशन है और वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा कहना उनके कानों को प्रिय लगता है।...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: *कल के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में छपे समाचार के बारे में आपको क्या कहना है?*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आप इस तरह से व्यवधान नहीं डालें। कम से कम, मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता हूं। आप एक वरिष्ठतम माननीय सदस्यों में से एक हैं और

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

आपको अन्य लोगों को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, भारतीय जनता पार्टी ईसाईयों के विरुद्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व के ईसाईयों को अत्यंत सभ्य, शिक्षित और आधुनिक लोगों के रूप में देखती है। हम कम्युनिस्टों के जैसे भी नहीं हैं जिन्हें अमेरिका या पश्चिम के बारे में निराधार भय है। हमारा दल अमेरिका के विरुद्ध नहीं है; हमारा दल पश्चिम के विरुद्ध नहीं हैं। हम विश्व में फैले आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के मित्र के रूप में उसके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं, हम ईसाइयों के विरुद्ध नहीं हैं। हमें ईसाईयों के विरुद्ध क्यों लड़ना चाहिए जिनकी आबादी इस देश की आबादी का केवल दो या तीन प्रतिशत है? कृपया हमारे साथ इसे सहन करने का प्रयत्न करें। हम यह नहीं कर रहे हैं।

वास्तव में भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार किसी के विरुद्ध नहीं है। यदि कोई जातीय दंगा होता है, तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? अब, यदि आप अधिक से अधिक जनजातियों, आदिवासियों को गिरफ्तार करते हैं तो वे नाराज हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि गिरफ्तारी के भय ने हिन्दू आदिवासियों को भागने पर बाध्य कर दिया। अब मैं इसमें से कुछेक भाग पढ़ूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, वह अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: वह अब अपना भाषण समाप्त करने जा रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं अगले पांच, छह मिनटों में अपना भाषण समाप्त करूंगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: श्री स्वाईं, क्या आप कुछ देर के लिए अपने भाषण को विराम देंगे?

श्री खारबेल स्वाईं: मैं आपकी बात कुछ देर बाद सुनूंगा। मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर रहा हूं, महोदय, वह क्यों बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह अपना भाषण समाप्त नहीं कर रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, अब मैं इस वर्ष 13 अक्तूबर को छपे 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' से पढ़ूंगा। यह श्री आनंद सनदास की रिपोर्ट थी जो उड़िया नहीं है और जिन्हें इस पर रिपोर्ट करने के लिए मुख्यालय से कंधमाल के लिए भेजा गया था। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? मुख्य शीर्षक है, "कंधमाल क्राइसिस - ए मेश ऑफ कनफ्लिक्टिंग इन्टरेस्ट्स"। इसमें लिखा है:

"अब, इसके साथ आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धी उपभोक्तावाद आता है, कोन्ध इसे पसंद नहीं करते हैं जबकि पण, जो अपनी ईसाई शिक्षा के कारण बेहतर स्थिति में हैं, बेहतर सेलफोन लेकर चलते हैं और बड़े घरों में रहते हैं। महेश्वर प्रधान, एक कोंध ने कहा, "ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद इन्हें अपने आपको अनुसूचित जाति कहने का कोई हक नहीं है।" "अंततः क्या वे हमारा हक नहीं छीन रहे हैं?"

यही बात आदिवासी कह रहे हैं। आदिवासी कह रहे हैं कि ये पण ईसाई हैं जिन्होंने सभी चीजों का अपने ढंग से इस्तेमाल किया; उन्होंने वह सब कुछ ले लिया जो उनकी थी। हम क्या कर सकते हैं? आप केवल हमारे साथ क्यों लड़ते हैं? आप ने इस देश के आदिवासियों का दोहन किया। आदिवासी आपके विरुद्ध हैं। और आप बी.जे.पी. के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, यह व्यवधान डालने का समय नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री खारबेल स्वाईं: अब दस वर्षों के बाद भी, श्री बसुदेव आचार्य ने आरोप लगा दिया, उन्होंने 1999 में हुई ग्राहम स्टेन्स की हत्या के उत्पन्न पुराने रिकार्ड का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ननों का बलात्कार किया गया। महोदय, संभवतः वह नहीं जानते हैं, मैंने पिछले दस वर्षों के समाचार पत्रों की कतरनें संभाल कर रखी हैं। यह 'एशियन एज' में छपा था जिसके संपादक उस समय श्री एम.जे. अकबर थे। उस समय भी एक नन ने आरोप लगाया कि चलती कार में उसका बलात्कार हुआ। मैं मेडिकल

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रिपोर्ट से दो, तीन वाक्य पढ़ूंगा। मेडिकल रिपोर्ट डा. एम.के. मोहन्ती, एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेन्ट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसीन और टॉक्सीलॉजी द्वारा तैयार किया गया था। वह कहते हैं, "योनिच्छद से प्राप्त निष्कर्षों, पीड़ित महिला की योनिक जांच से यह कहा जा सकता है कि पीड़ित महिला ने आरोपित घटना से पहले सेक्स का पूर्व अनुभव किया है।" मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, आप संसद को...* द्वारा हाईजेक करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। यह बहुत हो गया। वह बलात्कारियों का बचाव नहीं कर सकते हैं। ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, वह अप्रमाणीकृत दस्तावेज से उल्लेख कर रहे हैं।

मोहम्मद सलीम: ये...* हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि कुछ आपत्तिजनक है, मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

मोहम्मद सलीम: आप उन्हें बलात्कारियों को बचाने के लिए दस वर्ष पुराने समाचारपत्रों से पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि कुछ आपत्तिजनक है, मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री खारबेल स्वाई: उन्होंने यह आरोप लगाया। जब यह साबित नहीं हो पाया तो वे अदृश्य हो गए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण हिन्दू समाज, सभी उड़िया लोग बलात्कारी हैं। अब वे...हैं *(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: किसने यह कहा? आप हिन्दू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आप उड़ीया संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: आपके साथ क्या समस्या है?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दीक्षित, यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाई: मैं अब दूसरी बात पर आ रहा हूं, नन बलात्कार मामले पर, जो वर्तमान नन बलात्कार मामला है। यह उड़ीसा सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट है। कृपया मुझे दो या तीन वाक्य पढ़ने दें। एक नन के बलात्कार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; तीन को केरल से गिरफ्तार किया गया है - उड़ीसा अपराध शाखा का दल केरल गया और वहां से तीन लोगों को गिरफ्तार किया और अन्य छह व्यक्ति उड़ीसा से गिरफ्तार हुए। महानिरीक्षक (आई.जी.) रैंक की अधिकारी श्रीमती जी. राधिका, आई.पी.एस. के नेतृत्व में महिला पुलिस अधिकारियों का एक दल नई दिल्ली आया ताकि वह (नन) को उसके गृह राज्य में उसकी वापसी हेतु उसे सुरक्षा प्रदान कर सके तथा उस दल ने उससे यह भी अनुरोध किया कि वह अभियुक्त का पहचान करने में अपना सहयोग दे। किंतु, उक्त (नन) ने उस दल के साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मा. सदस्यगण, कृपया आप बैठ जाईये।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: वे उच्चतम न्यायालय गये और उन्होंने यह मांग की कि...*(व्यवधान)* और उच्चतम न्यायालय ने इन्कार कर दिया। वे उच्चतम न्यायालय गये...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि यह मामला छानबीन हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के पास जाना चाहिये...*(व्यवधान)* उच्चतम न्यायालय ने दो दिन पूर्व ही इन्कार किया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मा. सदस्यगण, यह कोई तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जॉर्ज, आप कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

श्री खारबेल स्वाई: नन के मामले को जांच हेतु फॉरेन्सिक लेबोरेट्री में भेजा गया था। फॉरेन्सिक लेबोरेट्री में एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया कि साधुनी नन के वस्त्र पर

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री खारबेल स्वाईं]

बलात्कार का कोई निशान मौजूद नहीं है। साथ ही, नन आकर सहयोग करने की इच्छुक भी नहीं है। वह फादर, जिसने यह आरोप लगाया और पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज कराई, कहीं चला गया; उनका एक साथी केरल गया और उससे अनुरोध किया कि वह वापस आ जाये और उनके साथ सहयोग करे और अपराधी की पहचान करे, उसने कहा, "मैं नहीं आऊंगा"...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: आपको दारा सिंह पर तो गर्व है किंतु आप ग्राह्म स्टीन से शर्मिन्दा हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम जी, ऐसा न करें। यह एक आरोप है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जॉर्ज, आप कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: हम क्या करते हैं? सरकार समस्त सुरक्षा देगी। सरकार सामान्य प्रक्रिया से अलग हटकर अपने ढंग से कार्य कर रही है, पुलिस अधिकारियों को केरल और दिल्ली भेज रही है तथा अभियोक्ता से अनुरोध कर रही है कि वह आये और पहचान करे। सरकार ने जो बेतुका काम किया है, क्या आपको उसकी जानकारी है? हिरासत में लिये गये इन नौ लोगों में से एक बाप-बेटे का और दूसरे भाई-भाई का समूह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बाप-बेटा दोनों ने मिलकर नन का बलात्कार किया और दोनों भाईयों ने भी मिलकर उसका बलात्कार किया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मा. सदस्यगण, आप कृपया बैठ जाइये। यह कोई ढंग नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं जी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, अब आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: वे अब अपनी बात समाप्त करेंगे। श्री स्वाईं, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: उन्होंने आरोप लगाया और चले गये। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह पूरे राष्ट्र के लिए बदनामी की बात है। मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि यदि इस नन से संबंधित बलात्कार का मामला सिद्ध नहीं होता, तो जिन लोगों ने समस्त हिन्दु समुदाय पर आरोप लगाया है वे राष्ट्रीय स्तर पर क्षमा मांगें।

उपाध्यक्ष महोदय: केवल श्री स्वाईं जी का भाषण ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं, कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: हजारों वर्ष पूर्व जयचन्द नाम का एक हिन्दू हुआ करता था। उसने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया। ये लोग स्वभाव से ऐसे हिन्दु हैं।...प्राप्त करने के लिये...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। अब श्री मधुसूदन मिस्त्री जी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: अतः, मेरी विनम्र अपील है कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे अब एक अपील करेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं इस देश के ईसाई समुदाय से अपील करता हूं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। यदि कोई ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाई: यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलती की हो...*(व्यवधान)* हम क्षमा मांगते हैं। हम आपकी हर संभव सहायता करेंगे। बजरंग दल, वी.एच.पी. अथवा संघ परिवार कोई भी आपके विरुद्ध नहीं है। आप पर हुये अत्याचार से हमारा कोई लेना-देना नहीं है...*(व्यवधान)* हम पर विश्वास करें। उन पर विश्वास मत करें...*(व्यवधान)*। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): महोदय, चूंकि उन्होंने 40 मिनट से अधिक समय तक लंबा भाषण दिया है, अतः, मैं उनसे दो स्पष्टीकरण चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आप कंटीन्यू करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप अपनी बात जारी रखें।

*(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय: श्री स्वाई, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: स्वाई जी, अब आप बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आप अपना भाषण आरंभ न करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। मधुसूदन जी, आप शुरू करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री फ्रांसिस जॉर्ज और श्री स्वाई, आप इस पर सदन के बाहर चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया श्री मिस्त्री जी को सुनिये।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, आपने मुझे इस विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं थोड़ी सी व्यथा का अनुभव कर रहा हूं क्योंकि अब तक हुई चर्चा अधिकांश उन घटनाओं के बारे में हुई है, जो कर्नाटक और उड़ीसा में हुई हैं। ऐसी घटनायें भारत के अन्य भागों में भी हुई हैं। यह भी दुख की बात है कि इस प्रकार की घटनायें रुक नहीं रही हैं। वास्तव में, ये घटनायें माह दर माह और वर्ष दर वर्ष बढ़ रही हैं, जो कि अचंभे वाली बात है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप सुन लीजिये, जब आपकी टर्न आये, तब बोलिएगा।

[अनुवाद]

यह भी व्यथित करने वाली बात है कि ऐसी घटनायें बढ़ रही हैं और वे एक क्षण के लिए भी रुक नहीं रही हैं। इससे हमारा ध्यान इस बात की ओर जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य अपने कर्त्तव्यों, जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, का निर्वहन करने में असफल रहे हैं।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

उनमें से एक कर्तव्य यह है कि अपने नागरिकों की जानोमाल की सुरक्षा करें। किंतु, मुझे लगता है कि यह उन लोगों की असफलता है जो व्यवस्था के नियंत्रक हैं और उन संबंधित राज्यों में सत्तासीन हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वे एक जिले के भीतर हुई हिंसा को कई दिन तक नियंत्रित क्यों नहीं कर पाये। गुंडे और अन्य लोग जैसे चाहें, जब चाहें किसी भी व्यक्ति पर आक्रमण कर सकते हैं और राज्य सरकार की एजेंसियां मात्र मूक दर्शक बन कर बैठी हुई हैं। अतः, वे संविधान में वर्णित अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। यह राज्य की संपूर्ण असफलता है...*(व्यवधान)* श्री महताब, आप चुप हो जायें। मैं बीच में ही नहीं रुक रहा हूं। अपनी बारी आने पर आप बोल सकते हैं। मैं आपको तंग नहीं करूंगा। यह क्या है...? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपकी बारी आयेगी, तब वे अगर गलत कह रहे हों, तो आप जवाब दे दीजिएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि वे सभी राज्य अपने नागरिकों के जानमाल की रक्षा करने में असफल रहे हैं। यह संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन है। इस तरह की घटनायें बढ़ रही हैं। ऐसी घटनाबें राज्य दर राज्य हो रही हैं। ऐसी घटनायें 2002 में हुई थीं। मैं श्री स्वाईं से पूछ रहा हूं कि जब उनके प्रधानमंत्री जी ने गुजरात दंगों को राष्ट्र पर एक कलंक बताया था और बोला था कि मैं दुनिया को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या आप राष्ट्र से उसके लिए माफी मांगेंगे? यदि वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि यदि देश के किसी भाग में ऐसी घटनाएं होती है तो यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है, तो इसमें क्या गलत है? आप अपनी सरकार से क्यों नहीं कहते कि वह एक छोटे से जिले में कई दिनों तक हिंसा को नियंत्रित नहीं कर सके? अब मैं एक अन्य मुद्दे पर आता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अन्य सदस्यों को न उकसायें। यह आपके हित में नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: भगवान के लिए कृपा करके रुक जाइए। मैं जानता हूं वह व्यथित हैं। जब से यह चर्चा शुरू हुई है तब से वह परेशान कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। परन्तु जब से यह चर्चा शुरू हुई है तब से श्री सत्पथी हर बार खड़े हो जाते है और अध्यक्ष महोदय की विचारधारा में व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात सुनिए?

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। अधिकांश राज्यों में, चाहे गुजरात हो या राजस्थान या कर्नाटक या उड़ीसा हो, राज्य पुलिस...*(व्यवधान)* महोदय, जब उनकी बारी आए तो वह बोल सकते हैं...*(व्यवधान)* जब आपकी टर्न आए तब बोलिएगा।...*(व्यवधान)*

चूंकि संविधान के तहत कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए अधिकांश राज्य सरकारें पुलिस बलों का अपनी मनमर्जी से उपयोग कर रही हैं। कुछ दिन पूर्व मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोरासो नगर में जहां शत प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या है, बम विस्फोट हुआ था। एक लड़का मारा गया और नौ लोग घायल हो गए। इसके अलावा, अहमदाबाद में विस्फोट हुए जहां बम पेड़ों पर टंगे हुए थे; सूरत में भी विस्फोट हुए, जहां दरवाजों के फ्रेम पर बम टंगे हुए थे। मुझे यह जानकर निराशा हुई कि विस्फोट के 25-30 दिन बाद पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय के ही 200 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया इनमें वे लोग भी शामिल थे जो उस क्षेत्र में 1972 में रहते थे। उन्होंने और किसी को गिरफ्तार नहीं किया। राज्य सरकार, गृह मंत्री और मुख्य मंत्री को ही संतोष है। उन सभी का पुलिस और अन्य संस्थानों के साथ टकराव रहता है। उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे "सिमी" आतंकवादी थे या अन्य संगठनों के आतंकवादी थे। यह केवल हमारे राज्य में ही नहीं हो रहा है अपितु इस देश में हर जगह हो रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है क्योंकि जिन राज्यों में अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ है, उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने अपने पुलिस बलों का उपयोग अपने राज्यों में राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आम चुनाव निकट आ रहे हैं। पुलिस का अधिकाधिक उपयोग समाज के ध्रुवीकरण

के लिए किया जा रहा है...*(व्यवधान)* आप अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि उस इलाके के लोगों से, जो शत प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या बहुल है और जहां बम रखे गए थे, पूछताछ करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। ठीक तीन दिन पूर्व ही खबर आई है कि यह हिन्दू जागरण मंच था *(व्यवधान)* यह घटना उन्हीं के समर्थन से हुई थी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं तथ्य बता रहा हूं। मैं आपके मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की तरह नहीं हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उत्तेजक भाषण न दें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: लोगों को डी.जी.पी., डी.एस.पी.-प्रभारी के पास ले जाया गया। गृहमंत्री उपस्थित थे। उस रात मैं भी वहीं था। पुलिस को यह बताया गया कि मीडिया के समक्ष उन्हें क्या कहना है। पुलिस का राज्य प्रशासन से टकराव था। संबंधित मंत्री ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता और प्रैस को एक विशेष बयान दिया जाए जिससे मेरे अपने नगर में अल्पसंख्यक समुदाय पर दोषारोपण तथा दायित्व डाला जाए। मैं इस शहर के हिन्दू और मुस्लिम, दोनों समुदायों के लोगों के प्रति शुक्रगुजार हूं कि सौभाग्यवश कोई दंगा नहीं हुआ। दंगे मालेगांव में हुए परन्तु मोरासा में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों ही समुदाय एक साथ थे। वे गुजरात सरकार के नापाक इरादों के शिकार नहीं हुए। उनका इरादा संसद के आगामी चुनावों को जीतने का था...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं दृढ़तापूर्वक महसूस करता हूं कि जहां भी राज्य कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के नाम पर पुलिस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां भी सत्तारूढ़ दल अपने फायदे के लिए पुलिस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे रोका जाना चाहिए। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। मैं जांच करने वाली एजेंसियों की बात कर रहा हूं। केन्द्रीय जांच एजेंसियों सहित सभी जांच एजेंसियों के कार्यकरण की बारीकी से जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। पिछले वर्षों के दौरान यह देखा गया है कि जब भी कोई बम विस्फोट होता है, वे कहते हैं कि उन्होंने मुख्य षड्यन्त्रकारी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद फिर एक और विस्फोट होता है और हर बार निर्दोष लोग मारे जाते हैं, संपत्ति को लूटा जाता है और लोगों के साथ सभी प्रकार का भेदभाव किया जाता है। यह इस देश के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, हम इस देश में इस तरह की स्थिति को सहन नहीं कर सकते। मेरी मांग है कि कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की नहीं होनी चाहिए। इसे समवर्ती सूची के तहत लाया जाए और यदि हमें इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़े तो हमें संविधान में संशोधन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि मेरे सभी साथी हमारा साथ दें तो मुझे बहुत खुशी होगी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खारवेनथन, कृपया बैठ जाएं। आपके दल के एक सदस्य बोल रहे हैं और आप उनके बीच में व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मेरे मित्र और आपके मुख्यमंत्री कह रहे थे कि केन्द्र ने गुजकोका (सी.जी.ओ.सी.ए.) को संस्वीकृति नहीं दी है। वे महाराष्ट्र के मकोका और गुजरात के गुजकोका के संबंध में बोल रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र या मुख्यमंत्री यह नहीं जानते कि दोनों अधिनियम अलग-अलग हैं। उनके अलग-अलग प्रावधान हैं। गुजकोका का यह उपबंध इतना कठोर है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन होता है। इसके अतिरिक्त, यह मुख्यमंत्री के विरोध में उठाई गई आवाज को दबाने के लिए है। आप उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री के विरुद्ध अपनी आवाजें उठाते है। इस पूरे अधिनियम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि गिरफ्तार करने वाली पुलिस को नहीं बल्कि गिरफ्तार व्यक्ति को ही यह सिद्ध करना होगा कि वह निर्दोष है। पुलिस को यह सिद्ध नहीं करना है कि वह व्यक्ति दोषी है। यही पूरे मामले की जड़ है। मेरी मांग है कि इस प्रयोजार्थ संविधान में संशोधन लाया जाए। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि संविधान में संशोधन किया जाए। सांप्रदायिक सद्भाव का उपदेश देने वाले सभी दलों

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

को इसमें सहयोग करना चाहिए। मेरे मित्र कह रहे थे कि उन्हें इससे कोई लेना-देना नहीं है। एक ओर वे कह रहे हैं कि उनके मन में ईसाईयों के प्रति कोई द्वेष नहीं है और दूसरी ओर वे उन पर हमला कर रहे हैं...*(व्यवधान)* यह असहनीय है...*(व्यवधान)* सभा में इस बात पर सहमति होनी चाहिए कि कानून और व्यवस्था को समवर्ती सूची में लाया जाए। देश में कहीं भी किसी भी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध ऐसी हिंसा को नियंत्रित करने में जब राज्य सरकार जानबूझ कर असफल रहती है तो केन्द्र सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं स्थिति को जानता हूं लेकिन मैं तो अपने साम्यवादी मित्रों से इसकी आशा कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली): जी नहीं...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: कोई भी केन्द्र को कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपना नहीं चाहेगा। कोई भी कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहेगा। यह वास्तव में दयनीय है कि जो सांप्रदायिक सद्भाव का उपदेश देते हैं, वे ही इससे सहमत नहीं है। यदि मेरे मित्रों की नीयत ठीक है तो वे इससे सहमत क्यों नहीं हो सकते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम इस मामले में स्वतंत्र हैं, और हम उन राज्यों में सेना भेज सकते है? केन्द्र सरकार को राज्य में केन्द्रीय बल भेजने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता क्यों है। मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्ष 2002 में हम तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जो वहां उपस्थित थे से मिलने गए थे। हमने उनसे गुजरात में सेना तैनात करने और शहर को सेना के हवाले करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था, "हम सेना तैनात करेंगे, लेकिन शहर को सेना के हवाले नहीं करेंगे।" प्रतिदिन गुजरात में वर्ष 2002 के दंगों में 100 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे और वे उस समय मूक दर्शक बने रहे। टाडा और पोटा के अंतर्गत लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि ये गिरफ्तारियां गलत रूप से की गई थी और इस प्रकार गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। यह समीक्षा समिति की रिपोर्ट थी। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री से यह पूछता हूं कि जेल में इस प्रकार बंद लोगों के कितने वर्ष बर्बाद हुए। ये सभी निर्दोष व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के थे। पुलिस द्वारा इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया जो किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं थे। इसका कारण क्या था। क्या यह केवल इसलिए किया गया क्योंकि वे मुसलमान थे? क्या यह इसलिए किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मेरी अनुमति के बिना बोला गया कोई भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, निर्दोष व्यक्तियों का बहुमूल्य जीवन जेलों के अंदर सिर्फ पुलिस स्थापना के मनमानेपन अथवा राज्य सरकार की इस मंशा कि वे समाज के केवल एक ही वर्ग के रक्षक हैं, दूसरे के नहीं, के कारण व्यतीत नहीं होना चाहिए।

उनका दावा है कि वे पांच करोड़ व्यक्तियों के हितों की रक्षा करते हैं। लेकिन वे भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि देश के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा को रोकने में विफल रहने वाले राज्यों के विरुद्ध संविधान में अनुच्छेद 355 अथवा 356 की तरह कतिपय प्रावधान होने चाहिए जिनके द्वारा उनसे ऐसी घटनाओं के बारे में केंद्र सरकार को तत्काल सूचित करने हेतु कहा जाए और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें प्रथम स्थान पर नहीं बना रहना चाहिये और उन्हें तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। मैं यह भी मांग करता हूं कि संविधान में आवश्यक संशोधन किया जाए और सरकार द्वारा देश भर में अल्पसंख्कों को संरक्षण प्रदान करने हेतु अति कठोर उपाय किए जाएं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): क्या हम अपने भाषण सभा पटल पर रख सकेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मेरा व्यवस्था अथवा आपत्ति संबंधी एक गंभीर प्रश्न है। हम अपराह्न 3.30 बजे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेंगे। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए केवल यही एक दिन नियत किया गया है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: हम अपराह्न 3.30 बजे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): महोदय, हमारे साथी श्री बसुदेव आचार्य ने जिस विषय पर चर्चा आरंभ की है, वह विषय हमारी देश की एकता और अखण्डता के लिए चिन्ता का विषय है। भारत के संविधान ने माइनारिटीज के लिए भी फण्डामेंटल राइट्स के अन्तर्गत ही उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ ही उनकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का मौलिक अधिकार प्रदान किया है। लेकिन हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद हम जैसे-जैसे आगे बढ़े, साम्प्रदायिक शक्तियां ही ताकतवर होती चली गयीं। शायद यही वजह थी कि फण्डामेंटल राइट्स में इन अधिकारों की गारंटी होने के बाद भी 42वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया ताकि यह स्थिति और भी स्पष्ट हो सके कि हमारी व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन इसके बाद भी देश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बहुसंख्यक समुदाय की जिम्मेदारी होती है कि अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करे। डा. लोहिया ने कहा था कि जहां पर हिन्दू बहुमत में हैं और किसी अल्पसंख्यक की जान खतरे में हो, तो बहुसंख्यक हिन्दू अपनी जान देकर भी अल्पसंख्यक की रक्षा करें और अगर कहीं पर मुसलमान बहुमत में हैं और वहां पर हिन्दू अल्पमत में हों, तो बहुसंख्यक मुसलमान अपनी जान देकर भी हिन्दू की जान की रक्षा करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब 3.30 बज चुके हैं, अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: इस चर्चा का क्या होगा। हम इंतजार कर रहे हैं...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात समझ सकता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हमें अपराह्न 3.30 बजे से गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करनी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: इस बारे में सदन की क्या राय है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए और इस चर्चा को कांटिन्यु किया जाए।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): हम इस चर्चा को जारी रखना चाहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा किसी अन्य दिन की जा सकती है जैसाकि राज्य सभा में किया जाता है...*(व्यवधान)* हम इस पर किसी और दिन चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: सदन में मेजारिटी की राय है कि इस चर्चा को ही कांटिन्यु रखा जाए।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करने का दिन है। इस पर चर्चा होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस कब लिया जाएगा?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। वे नियम 193 के अधीन चर्चा के समाप्त होने के पश्चात् एक विधान लाने का प्रयास करेंगे। आज वितरित की गई कार्यसूची में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के पश्चात् कोई सरकारी कार्य नियत नहीं है। अतः इस चर्चा के पश्चात् कोई सरकारी कार्य नहीं हो सकता है। उनकी आम परिपाटी सरकारी कार्य को समय पर न लाने की है', और इसे कार्यसूची में भी शामिल नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे हाउस की राय लेने दीजिए। आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम: महोदय, इस चर्चा के पश्चात् कोई सरकारी कार्य नहीं होना चाहिये।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: उनके पास दो अध्यादेश हैं जिन्हें प्रतिस्थापित किया जाना है। सरकार अध्यादेशों को पुनः जारी कर सकती है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: राधाकृष्णन जी आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: उन्होंने 13 अक्तूबर, 2008 को अध्यादेश जारी किये हैं और उसके बाद सभा की बैठक 17 अक्तूबर, 2008 को बुलाई गई है...*(व्यवधान)* अतः सूचना जारी करने के पश्चात् अध्यादेश जारी करना अनुचित है। इस मामले में लोक सभा का अभी सत्र जारी है और इसका सत्रावसान नहीं किया गया है। सभा का सत्र तीन महीने से जारी है और यह सभा दिसम्बर, 2008 तक सत्र में रह सकती है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस में आज ट्राइबल्स पर चर्चा होनी है।...*(व्यवधान)* यह सरकार ट्राइबल्स के बारे में चिंता नहीं करते...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): आपको इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: सभा के सत्र जारी रहने की व्यवस्था से सदस्यों को उचित समय पर नियमित सत्र यथा मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र आयोजित करने के अधिकारों से वंचित रखा गया है...*(व्यवधान)*। उनकी मंशा उनके विरुद्ध लाये जाने वाले किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोकने की है ...*(व्यवधान)* वे इस सत्र को विश्वास मत प्रस्ताव सत्र के जारी रहने के रूप में सत्रावसान किए बगैर जारी रखना चाहते हैं...*(व्यवधान)* वे सामान्यतया राज्य सभा का सत्रावसान करेंगे...*(व्यवधान)* यह अभूतपूर्व है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। कृपया मुझे सभा की भावना से अवगत होने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, आज का दिन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत है। अतः सर्वप्रथम हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को 6 बजे तक पूरा करेंगे तब हम आठ बजे तक इस चर्चा को जारी रखेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, हमने विगत में ऐसा कई बार किया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज सारा देश जल रहा है इसलिए इस पर चर्चा कराई जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। कृपया उनकी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, यह वास्तव में शर्मनाक है...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय गृह मंत्री जी की बात सुनें। वे बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसका संबंध हमारे देश की एकता और अखंडता से है। यदि वे अपनी बात

कह सकें और अपने विचार प्रकट कर सकें, तब यह सरकार और लोगों के लिये अत्यंत उपयोगी होगा और हम सभी को यह निर्णय लेना है कि इस मामले पर हमें क्या आचरण करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे सरकार द्वारा सभा के समक्ष लाया गया हो। यह गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित मुद्दा है। श्री बसुदेव आचार्य सरकार में शामिल नहीं हैं। वे एक गैर सरकारी सदस्य हैं...*(व्यवधान)* अतः एक प्रकार से यह गैर सरकारी सदस्यों का कार्य है। मेरा निवेदन यह है कि हम समझते हैं कि गैर सरकारी सदस्यों का संकल्पों पर विचार प्रकट करने का अधिकार है अथवा वे विधेयक ला सकते हैं। लेकिन यह किसी अन्य दिन भी किया जा सकता है जैसाकि हम करते रहे हैं। अब हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तब मेरा निवेदन यह है कि इसे बीच में ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये। इसे जारी रखा जाए। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को आपके द्वारा ही नियत किसी अन्य दिन लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर आपके द्वारा स्वयं अथवा इस सभा द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आम सहमति इस चर्चा को जारी रखने पर है।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। क्या इस पर किसी को आपत्ति है?

कुछ माननीय सदस्य: जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा जारी रखते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: प्राइवेट मैम्बर विजनेस नैक्स्ट टाइम जब मिलेंगे उसी दिन शामको लिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल: यह ठीक है। आज हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा पूरी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद कोई सरकारी कार्य नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: यह ठीक है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: नैक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, शाम को दूसरे बिजनैस के बजाए प्राइवेट मैम्बर बिजनैस लिया जायेगा। आज यह डिस्कशन अंडर रूल 193 में कान्टिन्यू रखेंगे।

[अनुवाद]

श्री बी. विनोद कुमार (हनमकोंडा): महोदय, आज गैर सरकारी सदस्यों का कार्य चर्चा हेतु नियत है...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, क्या गैर सरकारी सदस्यों की कार्य सूची दूसरे दिन भी समान रहेगी? कृपया इसे स्पष्ट करें...*(व्यवधान)* क्या कार्यसूची वही रहेगी अथवा नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय: यह जारी रहेगी। वही विषय जारी रहेगा। अब प्रो. रामगोपाल यादव अपनी बात जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: यह महत्वपूर्ण विषय है देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तब भी लगातार ऑब्ट्रेक्शन रहा लेकिन बाद में यह चर्चा ठीक तरीके से प्रारम्भ हो सकी। उड़ीसा के कंधमाल में जो कुछ हुआ या देश के कई हिस्सों में हुआ वह योजनाबद्ध तरीके से हमेशा किया गया। हमारे गुजरात के सम्माननीय साथी यहां बैठे हुए हैं जब गुजरात में डांग इलाके में चर्चों को जलाया जा रहा था तो मौके पर जिला हैडक्वार्टर पर और कई जगह मैं गया था और लोगों से बात की। तब भी यह स्पष्ट था कि यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। जब-जब इस देश में चुनाव आने को होते हैं तब-तब साम्प्रदायिक शक्तियां उन्माद पैदा करके उससे लाभान्वित होने के लिए माइनोरिटीज को तंग करने और उनका उत्पीड़न करने का काम करती हैं। कंधमाल में जो कुछ हुआ वह सारी दुनिया ने देखा। मुझे आश्चर्य हुआ जब बी.जे.पी. के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। लोगों को मैं कोट करना चाहता हूं कि जब उस नन ने मना कर दिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगी तो क्यों मना कर दिया? वहां जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, वहां बहनों को प्रोटैक्शन नहीं दे सकती। क्रिश्चियन माइनोरिटीज वहां घर छोड़ने के लिए विवश हैं और वहां

[प्रो. राम गोपाल यादव]

गांव के गांव जला दिये जाते हैं, 100-100 घर एक साथ जला दिये जाते हैं, लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ग्राहम-स्टेन को भी तो जिंदा जला दिया गया था और यही लोग दारासिंह चौहान की वकालत कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें उस पर गर्व है।

महोदय, जब गुजरात में ऐसी घटना हुई, तब हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री को वहां के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था या नहीं कहा था? उसका क्या अर्थ था? राजधर्म का पालन बी.जे.डी.-लेड उड़ीसा की सरकार भी नहीं कर रही है, मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है। यह देश बंट जाएगा, टूट जाएगा, जहां आप ऐसा माहौल पैदा करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप रूल किस पर करोगे? हमारे देश की विशेषता ही यह रही है कि यह बहुत बड़ा देश है। यूनिटी इन डायवर्सिटी हमारे देश की विशेषता रही है। छोटे-छोटे देश टूट गए हैं। अगर इस तरह की बातें बढ़ेंगी, तो यूरोप में बाल्कन कंट्रीज़ और जो छोटे-छोटे देश हैं, उनके टुकड़े-टुकड़े हो गए, फिर हमारा तो बहुत बड़ा देश है।

अपराह्न 3.41 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन हुए*]

इस मनोवृत्ति को, हम सत्ता पर कब्जा पाने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ मैजोरिटी को भड़काने का काम करें, ऐसा मत कीजिए। यह देश के हित में नहीं है। जब आप लोग संसद सदस्य बन कर पहले दिन शपथ ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेते हैं। शपथ इसलिए लेते हैं कि कम से कम यहां हम देश के लिए इस तरह का काम करने की कोशिश करेंगे कि देश में जो कमजोर हैं, कम संख्या में हैं, उनके मन में यह आतंक न हो कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जो गुजरात में हुआ है और हो रहा है, अगर वह नहीं रुकता है, तो जो सख्त से सख्त कदम उठाया जा सकता है, चाहे आर्टिकल 356 का प्रयोग हो, उसकी भी जरूरत पड़े, तो उसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार के यहां प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अगर उनका कोई नाम आता है, तो उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। कर्नाटक में भी यह हुआ है। अल्पसंख्यकों को आपने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उनकी रक्षा करने का दायित्व हम सबका है। राज्य सूची से कनकरेन्ट लिस्ट में लाने का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकारों को ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार से अधिकार प्राप्त हैं। हमारा सिस्टम क्वासी फेडरल है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जब राज्य सरकार के पास ज्यादा पॉवर्स आ जाती हैं, तो यूनिटरी गवर्नमेंट जैसा स्वरूप भी हो जाता है। केंद्र को तो हमेशा अधिकार है कि अगर कोई भी राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। कंधमाल में जो हो रहा है, उस बारे में सरकार को सख्त निर्णय लेने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से श्री बसुदेव आचार्य जी ने यह जो चर्चा प्रारम्भ की थी, उसका मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी): महोदय, मैं देश में अल्पसंख्यकों पर हमले के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री बसुदेव आचार्य द्वारा शुरू की गई चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं।

अपनी स्थापना की तारीख से ही बी.जे.पी. और इसके सहयोगी दल हमारे देश में अल्पसंख्यकों का निरन्तर विरोध कर रहे हैं और उन पर हमला भी कर रहे हैं। विशेष रूप से विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और हिन्दू जागरण समुदाय का प्रयास इस देश से सभी अल्पसंख्यकों को हटाने का है। हाल ही में उड़ीसा में ईसाईयों के विरुद्ध हुए हमले इस देश में हुई सर्वाधिक शर्मनाक घटनाओं में से एक है। कंधमाल में लगभग 36 व्यक्तियों की हत्या की गई, और 315 गांव प्रभावित हुए हैं। 15000 लोगों को राहत शिविरों में जीवन यापन करने के लिये विवश किया गया और 3269 घर जलाए गए और 154 गिरजाघरों को क्षति पहुंचाई गई। ईसाईयों पर हमले आज तक भी जारी हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं इस देश में हुई घटनाओं के बारे में कतिपय तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूं। वर्ष 2001 से 2007 तक मध्य प्रदेश में 14 घटनाएं हुई और 6 व्यक्ति मारे गए। गुजरात में 12 घटनाएं हुई और 54 व्यक्ति मारे गए, राजस्थान में 7 घटनाएं हुई और 3 व्यक्ति मारे गए, और उत्तर प्रदेश में 16 घटनाएं हुई और 15 लोग मारे गए। अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। मंगलौर शहर, दक्षिण कन्नड़, बगलुरू और उडुपी जिले में लगभग 14 गिरजाघरों पर हमले किए गए।

गत कई वर्षों से विश्व हिन्दू परिषद और इसके सहयोगियों ने उड़ीसा के ईसाईयों को अपना निशाना बनाया है। वे अल्पसंख्यक हैं और उनकी संख्या राज्य की कुल आबादी का मात्र 2.44 प्रतिशत है। हम वर्ष 1999 में हुई घटना को नहीं भूल सकते जब बजरंग दल के कार्यकर्त्ताओं ने आस्ट्रेलिया के एक मिशनरी ग्राह्य स्ट्रेन्स और उनके लड़कों को जिंदा जला दिया था। विश्व हिन्दू परिषद यह दावा कर रही है कि ईसाई मिशनरी हिन्दुओं का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बना रहे हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह बिल्कुल झूठ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत "अंतःकरण की स्वतन्त्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का हक" की मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी दी गई है। इसका विरोध विश्व हिन्दू परिषद और अन्य व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईसाई मिशनरी द्वारा की गई सेवा को भूल नहीं सकते। आयरलैंड के पादरियों और महवासिनियों द्वारा पर्वतीय और दूरदराज के क्षेत्रों में निचले तबके के बच्चों को शिक्षा प्रदान की गई है और कुष्ठ रोगियों का इलाज किया गया है। उन्होंने कभी भी किसी हिन्दू का धर्मान्तरण कर उसे ईसाई बनाने का कोई प्रयास नहीं किया है। अब उन पर इन साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा हमले किए जा रहे हैं।

उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकारें इस मुद्दे का निपटान कुशलतापूर्वक और उचित ढंग से नहीं कर पा रही हैं। वे इन अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने इस घटना को 'राष्ट्र के लिए' शर्म की बात कहा है। हम इन घटनाओं की अनदेखी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमले केवल ईसाईयों पर हुए हमले न होकर पूरे भारतीय समाज पर हुए हमले हैं। हमें इस देश के सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु निश्चितरूप से कदम उठाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, कंधामाल जिले में ईसाई समुदाय के विरुद्ध हिंसा की शुरुआत दिसम्बर, 2007 में क्रिस्मस दिवस से ठीक पहले शुरू हुई। जब कतिपय ग्रामीणवासी अगले दिन के समारोह की तैयारी गिरजाघरों के परिसर को सजाने से कर रहे थे, कुछ हथियारबंद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन यह घटना सुनियोजित लगती है क्योंकि 10 से अधिक स्थलों पर एक साथ ही हमले किए गए। ये हमले लगातार तीन दिन तक जारी रहे। लगभग एक सौ गिरजाघर अथवा प्रार्थना कक्ष ध्वस्त अथवा क्षतिग्रस्त हो गए। ईसाईयों के सैंकड़ों घरों को जला दिया गया, ईसाईयों की अनेक कानवेंट और अन्य संस्थाओं को ध्वस्त और क्षतिग्रस्त किया गया। पांच लोग मारे गये और सैकड़ों ईसाईयों को घायल कर दिया गया। राज्य सरकार हमलावरों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध समय पर उचित कार्यवाही करने में विफल रही। तत्पश्चात् ईसाई लोग खतरे और भय के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये हमलावर कतिपय धर्मान्द हिन्दू ग्रुप के थे। वे ईसाईयों को धमकाते रहे और उन्होंने उन पर हिंदू धर्म अपनाने के लिये दवाब डाला।

जिन स्थानों पर हमले हुए थे, मैंने उनका जनवरी, 2008 में दौरा किया था और दिसम्बर, 2007 में हुई घटनाओं का प्रत्यक्ष अध्ययन किया था।

केंद्र सरकार की अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने और उनमें विश्वास जगाने में विफल रही।

हाल की घटनाओं की शुरुआत 23-8-2008 को हुई जब विश्व हिन्दू परिषद के नेता स्वामी लक्ष्मणानन्द सरस्वती, जो एक हिन्दू धार्मिक नेता थे, की कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बन्दूकों सहित उनके घर पर आकर गोली मारकर हत्या कर दी गई।

हालांकि एक नक्सली दल ने खुलेआम इस बात की जिम्मेवारी ली कि उन्होंने स्वामी जी की हत्या की है। अधिकारीगण उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके और न ही वे इस जघन्य हत्या पर कोई उचित कार्यवाही कर सके।

कतिपय अतिवादी हिन्दू नेताओं ने आरोप लगाया कि ईसाई लोग स्वामीजी की हत्या के लिये जिम्मेवार हैं। उन्होंने ईसाईयों के विरुद्ध अभूतपूर्व हिंसा शुरू कर दी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी.सी. थामस]

ऐसा बताया जाता है कि 23-08-2008 से अब तक ईसाईयों के विरुद्ध चल रही हिंसा में लगभग 70 ईसाईयों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई है। स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। सैंकड़ों की संख्या में ईसाई समुदाय के गिरजाघरों, प्रार्थना गृहों, घरों और संस्थानों को ध्वस्त कर दिया गया है और उनमें आग लगा दिया गया है। 40000 से भी अधिक ईसाईयों को जंगलों और दूसरी जगह पर भागना पड़ा उनमें से अधिकांश लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं।

1 अक्तूबर, 2008 को जब मैंने एक राहत शिविर का दौरा किया, तो कंधामल जिले के रूप गांव के रविन्द्र प्रधान ने मुझे बताया कि उसके भाई रोशन लाल (35) को 24-08-08 को उसके घर में ही जिंदा जला दिया गया। वह शारीरिक रूप से विकलांग था इसलिए भाग नहीं सका। अपराधियों के नाम बताए जाने के बावजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया इसलिए श्री रविन्द्र प्रधान ने ठिकाबली स्थित स्थानीय थाने को एक रजिस्टर्ड शिकायत भेजी। उस शिकायत को "लेने से मना कर दिया" की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया। इससे पुलिस के नकारेपन और सरकार की निष्क्रियता का पता चलता है।

एक नन के साथ बलात्कार किया गया। कई लड़कियों के साथ बलात्कार किए गये। गिरजाघरों के पुजारी, ननों और पादरियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया।

अपराधियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई स्थानीय हिन्दू अतिवादियों और नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया जबकि ईसाईयों के विरुद्ध लगातार अपराध हो रहे हैं।

इसे केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं समझा जा सकता है। यह अल्पसंख्यकों का जनसंहार और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है।

केन्द्र सरकार भी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में असफल रही है। ऐसे आक्रमण दूसरे स्थानों पर भी और अन्य राज्यों में हुए हैं। कर्नाटक में इस घटना की पुनरावृत्ति बड़े ही भयावह ढंग से हुई है वहां गिरजाघरों और ईसाईयों पर बेरहमी से आक्रमण किए गये हैं। मध्य प्रदेश भी इन घटनाओं से अछूता नहीं रहा है।

अल्पसंख्यक आयोग को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए, ताकि वे कार्रवाई कर सकें। लेकिन यदि वे घटनास्थलों का दौरा करते हैं और कार्रवाई करते हैं, तो उनकी सिफारिशों को महज सुझाव समझा जाता है।

प्रधानमंत्री जी को उड़ीसा जाना चाहिए। वहां संसद सदस्यों की एक टीम भी भेजी जानी चाहिए। सरकार को मानवाधिकार आयोग और अल्प संख्यक आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं है, तो केन्द्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए।

कंधामल जिले में शांति स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रभावित सरकारी राहत शिविरों में बेचारे ईसाईयों की स्थिति काफी दयनीय है। भारत सरकार और उड़ीसा राज्य सरकार को कंधामल दंगे के शिकार भाई-बंधुओं की मदद करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुमति देनी चाहिए। प्रभावित लोगों का पुनर्वास गिरिजाघरों और अन्य संस्थानों का पुनर्निर्माण तथा लोगों में विश्वास जगाया जाना चाहिए।

अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा हमारे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। पोप (वैटिकन) सहित विश्व के नेताओं ने इस हिंसा की निंदा की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब नाभिकीय समझौतों पर फ्रांस के प्राधिकारियों से बात करने के लिए फ्रांस गये, तो उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति, जो यूरोपियन काउंसिल यूरोपिय यूनियनों की (एक निकाय) का अध्यक्ष भी हैं, के कुछ असहज प्रश्नों का सामना करना पड़ा। अपनी संस्कृति, सहिष्णुता और सर्व धर्म समभाव के लिए सदियों से जाने वाले भारत की किरकरी हुई है। इसके लिए सहिष्णुता और सर्व धर्म समभाव के लिए सुप्रसिद्ध हिन्दू धर्म को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए।

केवल कुछ अतिवादी और अन्य समूहों के लोग भारत के अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाईयों पर अमानवीय ढंग से आक्रमण करके, उनकी हत्या करके भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं।

भारत सरकार स्थिति के अनुसार कार्रवाई करे और इस महान राष्ट्र की गरिमा की रक्षा करे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, सदन में अत्यंत ही संवेदनशील, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं विगत दिनों में उड़ीसा के कंधमाल जिले में, कर्नाटक के मंगलौर

में, मध्य प्रदेश के रतलाम में अल्पसंख्यक समुदाय पर हुई हैं, उन पर सदन में चर्चा हो रही है। खास कर ईसाई धर्मस्थलों और यहां तक कि ईसाई महिलाओं पर भी हमला किया गया है। गिरजाघरों पर भी सुनियोजित ढंग से एक योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया है, इससे मैं समझता हूं कि एक ऐसी मानसिकता पैदा की जाती है कि जब-जब चुनाव का समय आता है, तब-तब ऐसा किया जाता है।

महोदय, आपको याद होगा कि पिछली बार चुनाव के समय में गुजरात को एक्सपेरिमेंटल स्थल बनाया गया था। वहां अल्पसंख्यकों पर हमला करके दो हजार अल्पसंख्यकों को मारा गया। वर्ष 2002 में खास तौर से मुसलमानों को टार्गेट बनाकर मारा गया था और यह घटना गुजरात में घटी थी। जब लोक सभा का चुनाव आसन्न है और पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव होने वाला है, ऐसे वक्त को चुना जाता है। आखिर इस तरह के समय को चुनने के पीछे कोई न कोई योजना है, कोई न कोई प्लानिंग है। सैंकड़ों घरों को आग लगा देना, यहां तक कि जिंदा जला देना, इस तरह का जो निरंतर हमला हो रहा है, यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है।

महोदय, कट्टरपंथ विचारधारा के बारे में प्रोफेसर साहब ने ठीक कहा है। यह संविधान के प्रिएंबल में है और धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है। संविधान के रहते हुए इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देकर हमले किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं और उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मानंद की चर्चा हुई लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच करें, जो हत्याएं हुई हैं उसके दोषी को सजा दें। पूरी कम्युनिटी, खास तौर से ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय को टार्गेट बनाना कहां का जस्टिफिकेशन है? कहां का न्याय है? निश्चित रूप से कम्युनल वायरस वाला दिमाग और कट्टरपंथी विचारधारा आतंकवाद का स्वरूप है। ईसाईयों को टार्गेट बनाकर हमला करना, यह नए किस्म की गतिविधि है, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह मानसिकता जो कट्टरपंथियों की है, यह आतंकी मानसिकता है और इसके चलते सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा गया। दो दिन तक लगातार सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम हुआ। जिस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाएगा उस देश में आंतरिक सुरक्षा महफूज नहीं रह सकती है और यहां सांप्रदायिक सद्भाव को पूरी तरह से बिगाड़ा गया। जब सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा तो आंतरिक सुरक्षा पर भी खतरा होगा और राष्ट्रीय एकता, अखंडता पर भी आघात होगा। इस तरह से राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर आघात पहुंचाने का काम किया गया, इसलिए ऐसे तत्वों को चिन्हित करना चाहिए। हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे कि हम इसके पक्ष में हैं, बी.जे.पी. मित्र बोल रहे थे हम ईसाइयों के पक्ष में हैं। चाल, चरित्र और चेहरा सब इनका है। मैं साफ और स्पष्ट रूप से प्रचार करना चाहता हूं कि...* कम्युनल वायरस वाले आदमी की प्रेरणा कुछ राज्यों में पड़ रही है, जहां एन.डी.ए. की सरकार है। चाहे उड़ीसा में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): ये मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं।

सभापति महोदय: नाम हटा देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं मानता हूं ये मुख्यमंत्री हैं और सांप्रदायिक मानसिकता के नहीं हैं। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये जिस जनता परिवार से आए हैं, भले ही एन.डी.ए. में रहे हों लेकिन स्वाभाविक रूप से कम्युनल नहीं हो सकते, मैं ऐसा मानता हूं। उड़ीसा की मजबूरी है क्योंकि उनका समर्थन लेना है, जो कम्युनल वायरस वाली पार्टी है, जो कट्टरपंथी विचार वाली पार्टी है, उनके समर्थन के चलते उड़ीसा सरकार विवश हो गई। जब तक कार्रवाई शुरू की गई तब तक खेल खराब हो गया। ...*(व्यवधान)* आप चुप रहिए। सोशलिस्ट लोगों को धैर्य नहीं रहता है। आप भी सोशलिस्ट परिवार से आए हैं,...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): अब तो आप में भी घुस गया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: देश में सोशलिस्ट हैं और अब आपके दल में भी घुस गया है। सोशलिस्ट आदमी जहां भी रहेगा वह अपनी विचारधारा के बारे में कहेगा।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आप भी तो तब हमारे साथ थे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आपकी कब्र इसी सदन में 2002 में खुद गई थी जब मैंने वोट किया था तब गुजरात में दंगा हुआ था। क्या आपको याद नहीं है तब हम अलग हो गए थे। एन.डी.ए. से उसी दिन घोषणा हुई थी। आप सदन का रिकॉर्ड देखिए। जब कत्ल करेंगे, गुजरात में

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

2000 मुसलमानों का कत्ल किया गया और इसका जवाब इनके पास नहीं था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? उनकी नसीहत का पालन तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था। आपको इतिहास याद नहीं है और एन.डी.ए. के बारे में बोलते हैं। विचारधारा वाला आदमी अपने विचार को नहीं बदल सकता है। यह चलता रहा है, जनता परिवार मिला दोगे तो कब्जा हो जाएगा। दिमाग में कम्युनल वायरस घुस गया है। इस कम्युनल वायरस के कारण ये घटनाएं घट रही हैं। इस कम्युनल वायरस को दूर करने के लिए हम केन्द्र सरकार से अर्ज करते हैं कि उसे हस्तक्षेप करना चाहिए और जो पहले से बनी हुई धारा 355 है, उसमें अमेंडमैन्ट करना चाहिए। अमैन्डमैन्ट करने का मतलब यह है कि यदि किसी राज्य में कम्युनल वायरस वाले लोग जिले को टारगेट बनाकर अल्पसंख्यक लोगों पर हमला करें, वहां दंगा फैलायें, साम्प्रदायिक दंगा करते हों तो केन्द्र सरकार को बिना राज्य की अनुमति लिये हुए वहां डायरेक्ट पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। केन्द्र सरकार तो सेक्युलर संविधान की रक्षा करने की गारंटी है। आम लोगों की, नागरिकों की जान-माल की रक्षा का दायित्व केवल राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था का विषय कह कर नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे प्रोफेसर कनकरेन्ट लिस्ट की बात कह रहे थे। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यदि राज्य सरकार विफल हो जाए तो क्या उस समय केन्द्र सरकार चुपचाप टुकुर-टुकुर देखती रहेगी? क्या केन्द्र सरकार केवल बयान देगी? केन्द्र सरकार को धारा 355 में अमैन्डमैन्ट लाना हो तो यह संसद अमैन्डमैन्ट करने के लिए सक्षम है। ऐसे कम्युनल वायरस को जब तक मिटाया नहीं जायेगा, तब तक हम सेक्युलर संविधान की रक्षा कैसे कर सकते हैं? क्या भारतीय संविधान के खिलाफ आचरण करने का किसी कट्टरपंथी को अधिकार हो गया? क्या इस देश में कट्टरपंथी विचारधारा को कम्युनल वायरस फैलाने का राइट है? यह बजरंग दल क्या है? विश्व हिन्दू परिषद क्या है? वह इन्हीं का वर्ग संगठन है। ये लोग उसे रखे रहते हैं और जब-जब चुनाव का वक्त आता है, सामाजिक आधार पर और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करके इंसानों के दिलों को तोड़कर वोट का मशीन बना लिये हैं। ये लोग वोट के लिए जो वर्ग संगठन खड़ा किये हुए हैं, वे बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद हैं। निश्चित रूप से जो घटनाक्रम आया है और जो 90 प्रतिशत गिरफ्तारियां हुई हैं, वे बजरंग दल और विहिप के लोग हैं। इसलिए यह स्पष्ट हो गया है कि इस तरह के संगठन को बैन करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद पर बैन लगाना चाहिए। एक माननीय सदस्य हिन्दू की बात कर रहे थे। हमारे एक मित्र विद्वान आदमी हैं, काफी स्टडी करते हैं, काफी सीनियर भी हैं। स्वाईं जी, आपका भी तीन-चार बार हो गया है। लेकिन जो घटना हुई है, आप ईमानदारी से स्वीकार कर लीजिए। उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश का पक्ष क्यों लेते हैं? जनजातियों, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में झगड़ा है। इन्होंने यह बात इतनी बढ़िया बुद्धि से निकाली है।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद): आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हुआ है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: चाहे जहां भी हुआ हो, हमारा उसमें यह कहना नहीं है कि आप कहां का नाम ले रहे हो। जहां भी हो, चाहे कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जहां भी हो, अल्पसंख्यक समुदाय ईसाईयों पर कट्टरपंथियों द्वारा जो निरन्तर भारी हमला हुआ है, यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय चिंता का विषय है और इस पर केन्द्र सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रण की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बजरंग दल और विहिप द्वारा खुलेआम मानवाधिकर का उल्लंघन किया गया है, साथ ही साम्प्रदायिक सद्भाव को खुलेआम बिगाड़ा गया और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया गया। मैं समझता हूं कि इस तरह की गतिविधियों को आतंकवादी गतिविधियों में शुमार करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए। एक तरह के कम्युनल वायरस के आधार पर ये आतंकवादी गतिविधियां हैं और जब ये आतंकवादी गतिविधियां हैं तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान की धज्जी उड़ाने की इजाजत हिंदुस्तान में किसी नागरिक को नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में धर्म के आधार पर, अपनी पूजा-पाठ करने या उसमें आस्था रखने की स्वतंत्रता है। लेकिन साम्प्रदायिक दंगा फैलाने की आजादी किसी को नहीं होनी चाहिए। इसमें केन्द्र सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। इसीलिए हमने अर्ज किया कि इस तरह से वहां हिंसा का जो तांडव हो रहा था, जिन राज्यों में अल्पसंख्यकों के जान-माल को असुरक्षित किया गया और वहां सरकार पूरी तरह विफल रही। वहां

निश्चित रूप से जो धार्मिक उन्माद फैलाया गया, यह उन्माद फैलाने वाले लोगों पर सख्ती करने की जरूरत है और वहां केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इसके लिए धारा 355 में संशोधन करना चाहिए। चूंकि अभी भी जो धारा 355 है, उसके द्वारा या आप वहां लॉ एंड ऑर्डर में हस्तक्षेप करिये। यदि कहीं दंगा होता है तो आप राज्य सरकार से पूछते हैं, उनकी रिपोर्ट अपने ढंग से दी जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश में जहां भी इस तरह का साम्प्रदायिक दंगा हो, इस तरह से अल्पसंख्यकों पर, चाहे अल्पसंख्यक माइनोरिटी हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी अल्पसंख्यक हो, जहां भी इस तरह का अटैक होता है, उसमें केन्द्र सरकार को डायरेक्ट हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। उसमें संविधान में कोई संशोधन लाना पड़े, तो सरकार को संशोधन लाना चाहिए। चूंकि आपका संकल्प है, आपने ओथ ली है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उसको हम महफूज रखेंगे। लेकिन उसे आप महफूज कैसे रखेंगे? उसके लिए आपको धारा 355 में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। इसलिए धारा 355 में संशोधन लाकर केन्द्र सरकार ऐसे जिलों को चिन्हित करके केन्द्रीय बल, पैरा मिलिट्री फोर्स वहां भेजे और सेन्ट्रल एजेंसी भेजकर भी वहां जांच कराने का अधिकार केन्द्र सरकार को होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: अगर धारा 355 में नहीं हो सकता है तो धारा 356 में करिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: ये धारा 355 में ही आता है। धारा 356 की बात तो अलग है। बहुत पार्टीज इसमें सहमत हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। फिर स्टेट और सेंटर के फैडरल स्ट्रक्चर का सवाल आएगा, स्टेट और सेंटर के रिलेशंस का सवाल भी आता है। इसीलिए मैं धारा 355 में संशोधन लाने की बात कह रहा हूं और हमें खुशी भी हुई थी कि माननीय गृह मंत्री जी का 6 महीने पहले एक वक्तव्य आया था। जहां-जहां इस तरह की घटना होती है, उसमें नक्सली हिंसा की बात थी और कुछ विद्रोही अलगाववाद की भी बात थी। यह अभी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ने की घटना है। जो लोग भी अल्पसंख्यकों पर अटैक कर रहे हैं, उसका दुनिया में क्या संदेश जा रहा है कि हिन्दुस्तान में जिस तरह की घटना हो रही है, अभी मालेगांव में जो घटना घटी, उसमें ए.बी.वी.पी. द्वारा प्रायोजित हिन्दू जागरण मंच की बात आई। कानपुर में बम विस्फोट होता है, विश्व हिन्दू परिषद के आदमी वहां बम विस्फोट में संघटित रूप से लिप्त पाए जाते हैं। गुजरात की घटना को देखा जाए। संघटित रूप से बहुसंख्यक लोगों द्वारा इस तरह का कम्युनल वायरस फैलाकर देश को बांटने की एक कोशिश की जा रही है। इसीलिए समाज में नफरत या जहर फैलाने की इजाजत देश में किसी भी ताकत को या किसी भी तत्व को नहीं दी जानी चाहिए।

इसीलिए नये तरह का जो आतंकवाद फैल रहा है, आतंकवाद का मतलब केवल बाहरी आतंकवाद से नहीं है, ग्लोबल टैररिज्म से तो संकल्प यही है कि हम इसका मुकाबला करें लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों पर भी सख्ती और अंकुश लगाने की जरूरत है। जब तक हमारी आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित नहीं रहेगी तो जो विदेश के आतंकवादी हैं, जो देश पर हमला करते हैं और जो हम उनको संघटित रूप से रोकना चाहते हैं, उसमें बाधा आएगी। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि अगर हमारा साम्प्रदायिक सद्भाव नहीं रहेगा तो हम आतंकवादियों का मजबूती से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डा. लोहिया ने कहा था कि दुनिया के दुश्मन से लड़ने के लिए आंतरिक साम्प्रदायिक सद्भाव को काफी मजबूत करना चाहिए तभी हम दुनिया के आतंकवादी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। यदि घर में हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में रहेगी और समुदाय के आधार पर बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर हमला किया जाएगा, तो न लोकतांत्रिक व्यवस्था का तानाबाना बचेगा और न धर्मनिरपेक्ष जो सिद्धांत हैं, जिनके लिए हम संकल्पित हैं उन पर भी खतरा होगा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर भी आघात लगेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस नये किस्म के आतंकवाद को परिभाषित करना चाहिए। जो विदेशी आतंकवादी हैं, उनसे मुकाबला कीजिए लेकिन जो घरेलू आतंकवाद का तांडव रच रहे हैं, बर्बर हिंसा में क्या-क्या घटनाएं इन दो महीनों में लगातार घटी हैं, चाहे कर्नाटक में घटी हों या रतलाम हो या मध्य प्रदेश हो या उड़ीसा या आन्ध्र प्रदेश हो, जो भी राज्य हो, जहां भी इस तरह की घटना होती है, इस तरह की गतिविधि को रोकना चाहिए। यह देश के हित में है और इस पर आज राष्ट्रीय बहस हो ही रही है। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार इस पर तुरंत काबू पाए। जानमाल की रक्षा करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की भी है। भारतीय संविधान के विरुद्ध आचरण करने का अधिकार किसी को नहीं है। उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए चाहे इसके लिए स्वरूप को बदलना पड़े तो उसे भी बदलवाना चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और हमारा देश एक रह सके,

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रह सके, इसलिए केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और धारा 355 में संशोधन लाना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री इलियास आजमी (शाहबाद): सभापति महोदय, अभी हमारे साथी श्री डी.पी. यादव बोल रहे थे। वह बिलकुल सही बोल रहे थे कि आतंकवाद की बहुत सारी किस्में हैं। उन किस्मों में एक सरकारी आतंकवाद भी है। मैंने अपने मन में तय कर लिया था कि इस लोक सभा का जितना टर्म बाकी है, उसमें मैं अपने विचार नहीं रखूंगा। हालांकि मैं ज्यादा से ज्यादा विचार रखने वाला सांसद गिना जाता हूं। इसलिये मेरे नाम के साथ आजमी लगा हुआ है क्योंकि मैंने आजमगढ़ में जन्म लिया है और मैं बी.एस.पी. के अलावा किसी संगठन में नहीं हूं। केन्द्र सरकार की दिल्ली पुलिस के दिल्ली को लेकर आजमगढ़ तक इतना आतंकवाद जनता में फैलाया जितना दिल्ली पुलिस का जामिया नगर से लेकर आजमगढ़ तक पाया है। यह एक गम्भीर मसला था जिस पर संजीदगी से बहस नहीं हो सकी। जो मसला श्री आचार्य जी ने उठाया था, वह गम्भीर मसला था। मुझे अफसोस है कि कभी उधर से और कभी इधर से इस मसले पर गम्भीरता से गौर नहीं होने दिया गया। यह मसला कोई मेरा नहीं है, किसी सदस्य का नहीं है। यह मसला पूरे देश का है और पूरी सोसायटी का है। पहले जब एक पार्टी का एकछत्र राज्य हुआ करता था तो बड़े पैमाने पर पुलिस की मदद से मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। ऐसे हजारों वाकयात हुये हैं जिसमें लाखों इन्सान मारे गये। जब उसके बाद एक पार्टी का एकछत्र राज्य समाप्त हो गया तो यह सिलसिला रुक गया। लोग यह समझने लग गये कि शायद हमेशा के लिये इस देश को कम्युनल रायट्स से छुट्टी मिल गई है। मुझे भी पूरा यकीन हो गया था कि देश की आवाम जाग चुकी है और अब कम्युनल रायट्स नहीं होंगे परन्तु उसकी शक्ल बदल दी गई। आतंकवाद के नाम पर एक तबके के लोगों को कई राज्यों में टारगेट करके अपनी कम्युनल जेहनियत - चाहे दिल्ली हो या हैदराबाद हो या मुम्बई हो या अहमदाबाद हो - राजनेताओं ने अपनी भावनाओं की तसकीन करने के लिए पुलिस द्वारा फर्जी एनकाऊंटर करके एक तबके के लोगों को टॉरचर करके, भयभीत करके उसकी फर्जी एनकाऊंटर की कहानी दिखाकर मारा गया। सोहराबुद्दीन हो या कौसर बीबी हो, ये मामले हमारे सामने हैं। अभी गुजरात सरकार ने कहा कि यह फर्जी इनकाऊंटर नहीं था लेकिन यह फर्जी एनकाऊंटर साबित हो चुका है। जिस तरह ख्वाजा युनूस भाग गया, पुलिस ने फर्जी एनकाऊंटर में मार डाला लेकिन पुलिस ने कभी नहीं कहा कि यह फर्जी एनकाऊंटर था। हम समझ रहे थे कि ख्वाजा युनूस पुलिस हिरासत से भाग गया है। लेकिन जब उसकी लाश मिली और इन्क्वायरी हुई तो मुकदमा चला।

सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि श्री डी.पी. यादव ने बिलकुल सही कहा है जिसकी मैं ताईद करूंगा। प्रो. राम गोपाल यादव ने जो कहा है उन्होंने जिस दर्द का इजहार किया है, मैं उसकी ताईद करता हूं। ये लोग मानते नहीं हैं। अपनी साम्प्रदायिक भावना की तसकीन होती है। पुलिस एनकाऊंटर के नाम पर कत्ल कराना - यह गम्भीर मसला है। अफसोस की बात तो यह है कि यह मसला अब कर्नाटक तक पहुंच गया है जहां कभी कम्युनल रायट्स नहीं होते थे। साऊथ में कम्युनल रायट्स बहुत कम या कभी होते नहीं थे। उड़ीसा एक पीसफुल स्टेट है। वहां अब मुसलमान नहीं तो ईसाईयों का सिलसिला चला है। कर्नाटक के साथ मिले हुये आन्ध्र प्रदेश में 6-6 इन्सानों को जिन्दा जलाया गया। वहां तो किसी कम्युनल पार्टी की सरकार नहीं है और न किसी कम्युनल पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है। मैं पूछता हूं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? सब से ज्यादा फर्जी एनकाऊंटर महाराष्ट्र में हुए जहां एक तबके के 50 नौजवानों को मार दिया गया। वहां तो कोई गुजरात वाला मुख्यमंत्री नहीं बैठा हुआ था। वहां तो बी.जे.पी. या आर.एस.एस. की सरकार नहीं है। हमें इन सब सवालों पर संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। मैं कोट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को, उन्होंने दो-तीन महीना पहले नहीं, एक साल से भी पहले राज्य सभा में कहा था।

अपराह्न 4.05 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद *पीठासीन हुए*]

अगर कहीं पर रॉयट होता है और वह चंद घंटों से ज्यादा चलता है, रॉयट कहीं भी हो सकता है, झगड़ा कहीं भी हो सकता है। हम यहां पर 25, 30, 50 लोग बैठे हुए हैं। यहां भी झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वह झगड़ा घंटा, दो घंटा, चार घंटा से ज्यादा चलता है तो यह समझ लीजिए कि स्टेट सरकार निकम्मी है, या स्टेट गवर्नमेंट की

मर्जी से या उसकी शह पर या उसको खुश करने के लिए झगड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हूं और मैं अपने तजुर्बे के बेस पर कह सकता हूं कि झगड़ा कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अगर झगड़ा बहुत ज्यादा देर तक चलता है, एक दिन या दो दिन चलता है तो मान लीजिए कि राज्य सरकार निकम्मी है। आज क्या हो रहा है? आन्ध्र प्रदेश कई-कई दिन जलता रहा, कई-कई दिन जलता रहा, बुरहानपुर कई-कई दिन जलता रहा, कंधमाल कई-कई महीने जलता रहा, कर्नाटक भी कई-कई दिन जलता रहा। मैं यह बिल्कुल नहीं मान सकता कि यह कोई इत्तिफाक की घटना थी। कुछ सरकारें लॉ एंड आर्डर के लिए बिल्कुल जिम्मेदार हैं। या तो उनकी शह पर यह हुआ है या उनकी नालायकी की वजह से यह हुआ है। मैं उनसे कह रहा हूं और खासकर यह जहां हुआ है, महाराष्ट्र में, आन्ध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और कर्नाटक में। मैं वहां की सरकारों से कहूंगा कि अगर उनको ढंग नहीं है तो वे लखनऊ आ जाएं और ट्रेनिंग ले लें। उत्तर प्रदेश में कम से कम एक दर्जन से अधिक जगहों पर फसाद कराने की कोशिश उग्रवादी हिन्दू संगठनों ने की। वहां घटनाएं भी हुईं। कोई भी रिकार्ड नहीं बता सकता कि कहीं पर दो घंटे से ज्यादा फसाद चला हो। एक घंटे से दो घंटे में काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश में जितनी कोशिशें हुई हैं अगर सरकार चौकस न होती, सरकार जागरूक न होती, सरकार हस्सास न होती तो कम से कम उत्तर प्रदेश सर-ए-फेहरिस्त होता, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। एक दर्जन, दो दर्जन से ज्यादा घटनाएं वहां फसाद कराने की कोशिश की गई, लेकिन आधा घंटा, एक घंटा से ज्यादा कहीं कोई कामयाब नहीं हो सका। इसलिए मैं उन प्रदेशों की सरकारों से कहूंगा कि अगर उनको ढंग नहीं है तो लखनऊ आओ, हम ट्रेनिंग कैम्प बनाते हैं। लखनऊ में बैठी मुख्यमंत्री से तुम ट्रेनिंग ले लो कि कैसे इन दंगों को कंट्रोल किया जाता है?

दोस्तो आखिर में मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं यह चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदी भी आकर ट्रेनिंग ले लें। जो लोग सही हो रहे हों, और ज्यादा सही हो जाएंगे। आप अपने पुराने लोगों से कहिए वह भी ट्रेनिंग ले लें। उत्तर प्रदेश में आ जाएं ट्रेनिंग ले लें तो एक घंटा, दो घंटा से ज्यादा कहीं कोई झगड़ा नहीं चल पाएगा।

सभापति महोदय, आखिर में मैं एक बात बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप बैठकर न बोलें। टोका-टाकी न करें।

श्री इलियास आजमी: बहुत गौर से मैंने प्रोफेसर साहब की बात सुनी है।

सभापति महोदय: आप अपना भाषण जारी रखिए। आप टोका-टाकी में मत फंसिए।

श्री इलियास आजमी: आखिर में मैं एक बात कहूंगा, इस सबके पीछे भावना यह है कि हिन्दू भाईयों ने, कुछ क्रिमिनल तत्वों ने कुछ फासिस्ट तत्वों ने फैला दिया कि कनवर्जन के जरिए हिन्दू अल्पमत में आ जाएंगे। यह एक खौफ उनके अंदर पैदा किया है और खौफ पैदा करने का ही यह नतीजा हुआ है। मैं यह कह रहा हूं कि दुनिया में कभी भी कोई भी अपना धर्म न लालच से बदल सकता है और न दबाव से बदल सकता है। बड़े हिन्दूवादी लोग यहां बैठे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं। यहां गरम हिन्दुत्व वाले भी हैं और नरम हिन्दुत्व वाले भी हैं। मैं दोनों से कहूंगा कि इस मुल्क में हिन्दुओं की आबादी अस्सी प्रतिशत से ऊपर होगी, कम नहीं होगी। जम्हूरी निजाम में, मेजोरिटी के लोग और दौलत 99 प्रतिशत हिन्दुओं के हाथ में है। सारे बड़े पूंजीपति हिन्दू हैं। लाओ सारी दौलत खर्च करके हमारे जैसे मुसलमानों को खरीदकर हिन्दू बना लो। झगड़ा करने की क्या जरूरत है? अगर धन के बल पर कोई कनवर्शन संभव है तो आपके पास सारा धन है। अकेला अंबानी सारे ईसाईयों को खरीदकर हिन्दू बना सकता है, अकेला एक पूंजीपति ऐसा कर सकता है। सारे पूंजीपति आपके हैं। झगड़ा करने की क्या जरूरत है? आप धन खर्च करके सबको बदलवा लीजिए।...*(व्यवधान)* अगर धर्म परिवर्तन डर पर होता, भय पर होता तो हजारों कम्यूनल रायट्स हुए, हजारों-हजार मुसलमान मारे गए, इसी दिल्ली में 2000 सिखों को जला दिया गया, पूरी सरकारी ताकत लगाकर सब कुछ हुआ। गुजरात में किया, बाकी जगहों पर और लोगों ने किया, लेकिन क्या एक मुसलमान का धर्म भय के बल पर बदलवा सके? नहीं बदलवा सके। इसलिए यह बात बिल्कुल गलत है कि कोई आदमी अपना मजहब पैसे के बल पर बदल सकता है या खौफ के बल पर बदल सकता है। आज दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क यूरोप और अमेरिका हैं। वहां इस वक्त सबसे ज्यादा कनवर्शन हो रहा है। उतना कनवर्शन हमारे देश में नहीं हो रहा है। यूरोप और अमेरिका की सोसाइटी कनवर्ट हो रही है। उसका रेशियो हमारे यहां से बहुत ज्यादा है। वहां तो ताकत भी बहुत

[श्री इलियास आजमी]

ज्यादा है, दौलत भी बहुत ज्यादा है, किसी चीज की कमी नहीं है। आखिर कनवर्शन क्यों हो रहा है? इसलिए इस चीज को मिटाइए, दिमागों से निकालिये जो हिन्दू भाइयों के दिमाग में डाल रहे हैं कि कन्वर्शन से तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। अरे! कनवर्शन होता है जब किसी इंसान को उसका घर पसंद नहीं आएगा तो वह अपना घर बदल लेगा, चाहे किराए का हो।

सभापति महोदय: आप कनक्लूड कीजिए।

श्री इलियास आजमी: मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश पर सब लोग मिलकर रहम करें, इस देश के साथ दया करें। यहां के लोग बहुत मासूम हैं। इतने शरीफ लोग दुनिया के किसी मुल्क में नहीं पाए जाते, चाहे वे हिन्दू या मुसलमान हों, सिख या ईसाई हों, उनकी भारी मेजारिटी है। 99 प्रतिशत लोग जितने शरीफ और बेहतर इस मुल्क के हैं, दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इनके ऊपर सारी पार्टियों को मिलकर दया करनी चाहिए, इनके साथ रहम कीजिए, इनको मत बरगलाइए, इनको मत लड़ाइए। ये धंधा बंद कर दीजिए, वरना जब यह देश नहीं रहेगा, तो न हम रहेंगे, न आप रहेंगे। जब सोसाइटी बिखरेगी, तो बहुत बुरा होगा। इसलिए इस सोसाइटी पर रहम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, पूरा देश हमारे संविधान का निर्माण करने वाले पुरोधाओं की धर्मनिरपेक्ष भावना की प्रशंसा करता है। संविधान निर्माण के समय हुए वाद-विवादों से हमें अपने प्राचीन इतिहास के साथ-साथ हमें यह भी जानकारी मिलती है कि पूरे ब्रिटिश राज में स्वतंत्रता संग्राम कैसे शुरू हुआ तथा लोगों में भार्तृत्व की भावना कैसे पैदा की गई? लेकिन इस देश को आजादी उस समय मिली जब दो समुदाय एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। साम्प्रदायिक तनाव इस देश में कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस देश में ऐसे भी स्थान हैं जहां इस तरह का तनाव बार-बार होता है। हमें उड़िया होने के नाते गर्व है कि उड़ीया पिछले पांच-छः दशक से साम्प्रदायिक तनाव से तुलनात्मक रूप से मुक्त रहा है।

मैं एक ऐसे संकल्प या विषय पर बोल रहा हूं जिससे न केवल इस देश के लोग ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लोग भी इससे आहत हैं क्योंकि उड़ीसा पिछले दो महीने से साम्प्रदायिक और जातीय हिंसा का केन्द्र बना हुआ है। हम इसे स्वीकार करते हैं। हम इसे भारी मन से स्वीकार करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करते हैं। मैं जब भी सदन में खाली कुर्सियों को देखता हूं, तो मैं अपनी पीड़ा उसी ढंग से व्यक्त कर सकता हूं जैसे कुछ संसद सदस्यों ने इसे आज दोपहर बाद उठाया था, हम बी.जे.पी. के सदस्य तथा उड़ीसा के प्रतिनिधि के रूप में जिस बात को सुनने लायक भी नहीं समझता थे, उसी को बोलने के लिए बाध्य हैं, हम इससे लज्जित हुए हैं।

दो घटनाएं घटी हैं। पहली घटना 2007 में और दूसरी घटना अगस्त 2008 में हुई। इन दोनों घटनाओं के बीच साढ़े सात महीने का अंतराल है। आज जब हमें इन दोनों घटनाओं पर चर्चा कर रहा हूं तो हमें यहां गृहमंत्री का उत्तर सुनने के लिए बैठना होगा। कई कारणों से मैं उनकी प्रशंसा करता हूं लेकिन एक कारण मैं यहां बताना चाहता हूं कि वह ऐसे व्यक्ति हैं कि वह अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में विश्वास नहीं रखते है जबकि मेरे बायीं ओर बैठे कई लोगों की प्रवृति इसके विपरीत है और उनके विचार से वही राजनीति है।

एक निर्वाचित सरकार के दायित्व के बारे में उड़ीसा सरकार के मुख्यमंत्री, श्री नवीन पटनायक जैसे व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके साढ़े आठ साल के शासनकाल के दौरान मात्र यही दो घटनाएं घटी हैं। 2000 से दिसम्बर 2007 तक और जनवरी से मध्य अगस्त तक उड़ीसा में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अमन-चैन की स्थिति बेहतर रही है। उड़ीसा में कानून और व्यवस्था की स्थिति अन्य पड़ोसी देशों से बहुत अच्छी है। लेकिन यह भी स्वीकार करता हूं कि इन दो घटनाओं ने हमें, उड़ीसा सरकार के साथ-साथ भारत सरकार को भी सावधान किया है कि हमें ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि इस तरह की घटनाएं विशेष प्रकार के लोगों द्वारा विशिष्ट प्रयोजन के लिए कराई जाती हैं। यहां प्रशासन को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसमें कोई शक नहीं कि इसके लिए राज्य सरकार को तो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन केन्द्र सरकार का भी कतिपय दायित्व है।

यह घटना 23 अगस्त को उस समय हुई जब स्वामी लक्ष्मणानंद, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, कोंध जनजातियों और पना अनुसूचित जातियों के साथ

मिलकर उत्थान का कार्य कर रहे थे। वह वहां पिछले 40 से 45 वर्ष से थे। वह वहां पांच-दस वर्ष पहले नहीं गये थे। वह वहां पिछले पांच दशक से सेवारत थे।

चार अन्य लोगों के साथ-साथ जिस तरह से यह हत्या हुई उससे माओवादियों की तीव्रता का पता चलता है। वह समूह जो कन्या आश्रम में आया और एक लड़की के माता-पिता की हत्या कर दी - तेजी से आया, और हत्या करके निकल लिया। कुछ लोगों का कत्ल कर दिया गया और यह बताने की जरूरत ही नहीं कि उस रात वहां क्या-क्या हुआ। इसकी आवश्यकता नहीं है। उस रात जघन्य अपराध हुए और 90 मिनट के अंदर वे लोग त्वरित गति से निकल लिए। वे स्वचालित हथियार और अत्याधुनिक गोलाबारूद लेकर आए थे। उनमें से कुछ गिरफ्तार कर लिए गये हैं और कुछ को शंका के आधार पर पकड़ा गया है। लगभग 21 से 30 दिन के बाद एक माओवादी दृश्य-श्रव्य मीडिया और प्रिंट मीडिया में आकर उस घटना को संज्ञान देने का दावा करता है। धीरे-धीरे स्थिति स्पष्ट हो रही है।

कई बातें मीडिया में नहीं बताई गई है। मैं मीडिया पर दोषारोपण नहीं करूंगा क्योंकि मीडिया ने वहीं दिखाया जो इन्हें बताया गया है। उनमें से कुछ लोग उस स्थान पर गये, लेकिन उसकी एक सीमा है। वे उन्हीं लोगों से मिल पाए जो जिनसे वे मिल सकते थे। अधिकांश लोग ऐसा भी नहीं कह रहे हैं लेकिन यह एक ऐसा स्थान या जिला है जो राजधानी और शहरी क्षेत्रों से दूर है। यह वनाच्छादित जिला है। कोई, यह प्रश्न पूछ रहा था। यह कहा गया कि: "यदि यह यू.पी. में हो सकता है तो आप यह उड़ीसा में करने में सक्षम क्यों नहीं हैं? हम दो घंटे में दंगों पर नियंत्रण पा सकते हैं।" आपके पास दंगों से निपटने का पिछले छह दशकों का अनुभव है, परन्तु हमारे पास यह नहीं है। आपने उस तकनीक में महारत हासिल कर ली है, परन्तु हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। यह बहुत घने जंगलों वाला क्षेत्र है। गांवों में मुश्किल से 50 घर या 100 घर हैं और एक गांव तथा दूसरे गांव के बीच की दूरी 5 से 10 कि.मी. से कम नहीं है। वे बिखरे हुए हैं और वहां संचार तथा सड़क सुविधा न के बराबर है।

23 तारीख की रात को क्या हुआ? मुख्यमंत्री ने तुरंत केन्द्रीय बलों की मांग की और केन्द्रीय बल 27 तारीख को पहुंचे।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, नहीं। राज्य सरकार इसी बात को कह रही है। हमने किसी बात के लिए राज्य सरकार को दोष नहीं दिया है। परन्तु यह कहने के लिए कि वे इस स्थिति पर नियंत्रण क्यों नहीं पा सके, वे यह कह रहे हैं। जब मैंने दूरभाष पर मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि: "हमें चार बटालियन दें", और हमने उन्हें 11 बटालियन दिया।

श्री भर्तृहरि महताब: परन्तु जिस तारीख...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: शुरुआत में, उन्होंने चार बटालियनों की मांग की थी और हमने उन्हें 11 बटालियन दिया है। इसके अतिरिक्त, हमने बटालियनों को हवाई जहाज से भी भेजा है। हमने हटाया है क्योंकि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बलों की मांग आई और हमने उन्हें दिया है। इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है। परन्तु यह कहने के लिए कि वे इस स्थिति पर नियंत्रण क्यों नहीं पा सके, यदि वे यह कह रहे हैं, तो यह उनका विचार है।...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: मैं आपके समक्ष उत्पन्न विकट परिस्थिति को समझता हूं। यह देश बहुत बड़ा है। देश के विभिन्न भागों में कई घटनाएं घट रही हैं। मैं आपके समक्ष उत्पन्न विकट परिस्थिति को समझता हूं, परन्तु महोदय इस सभा को भी वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए।

यह हत्या 23 तारीख की रात को हुई। उड़ीसा में कई जिले, जैसा कि सभा में सभी जानते हैं माओवादियों से प्रभावित हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए। यहां, एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई। आप सभी गांव, सभी मंडल, मुख्यालयों में पुलिस तैनात नहीं कर सकते हैं। तत्काल तैनाती आवश्यक थी; हेलिकॉप्टर मांगे गए। हेलिकॉप्टर कब आए? हमें यह तत्काल चाहिए थे; मैं समझता हूं कि हेलिकॉप्टर की आवश्यकता 25 तारीख को थी।

श्री शिवराज वि. पाटील: आपने यह नहीं कहा था; हमने आपको यह दिया है।

श्री भर्तृहरि महताब: इसकी आवश्यकता थी; आप जो कह रहे हैं सही नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरा तात्पर्य है, यह आवश्यक नहीं है कि आपको इन मुद्दों को उठाना चाहिए। यह तरीका सही नहीं है। आपने इसकी मांग नहीं की थी, आपने उन हेलिकॉप्टरों का उपयोग नहीं किया जो हमने आपको दिए थे।

श्री भर्तृहरि महताब: यह सही नहीं है। ये हेलिकॉप्टर 27 तारीख को आए; हमें इनकी आवश्यकता 25 तारीख को थी क्योंकि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे और सड़कों को बाधित किया गया था; इसलिए हेलिकॉप्टरों की आवश्यकता थी। परन्तु हेलिकॉप्टर और अधिकतर अन्य चीजें 27 तारीख को आईं। उस समय तक, हमारे पुलिस बलों, हमारे प्रशासन ने सड़कों से बाधाएं हटाकर साफ कर दिया था और वे आंतरिक इलाकों में पहुंच गए थे।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात समाप्त करूं? मैंने तो अभी तक शुरू ही नहीं किया है।

सभापति महोदय: आप 15 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: तब मैं क्या कहूं आप क्या चाहते हैं?

सभापति महोदय: आप 15 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: मुझे मेरा भाषण समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय: आपने अपना भाषण अपराह्न लगभग 4.20 बजे शुरू किया था। कृपया अपना भाषण अगले दो या तीन मिनट के अंदर समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: यह एक पहलू है। रिकार्ड के लिए, मैं कहूंगा कि उस एक जिले में 2,400 गांव हैं जो एक-दूसरे से काफी दूर-दूर स्थित हैं और सभी को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि यह सांप्रदायिक संघर्ष है, आपको अवश्य जानना चाहिए कि उड़ीसा में 30 जिले हैं और ईसाई केवल उस जिले तक सीमित नहीं हैं। सुंदरगढ़ और रायगादा में ईसाईयों की भारी संख्या है, परन्तु न तो पहले और न ही वर्ष 2008 में एक भी घटना घटी है। क्यों? तब, यह कंधमाल में क्यों हुआ? यह प्रश्न है जिस पर विचार किए जाने और जिसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। तीन या चार दिन पहले, मैंने इस सभा में उस विषय को उठाया था। कितनी विदेशी राशि आ रही है?

श्री गिरिधर गमांग (कोरापुट): श्री महताब, क्या आप एक मिनट के लिए रुक सकते हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं। जब आपकी बारी आएगी आप भाग ले सकते हैं क्योंकि अध्यक्षपीठ द्वारा मुझे मेरा भाषण समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है।

श्री गिरिधर गमांग: मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब: रायगादा का प्रतिनिधित्व श्री गमांग करते हैं और सुंदरगढ़ का प्रतिनिधित्व श्री जुएल ओरांव करते हैं।

यह कंधमाल में क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि कंधमाल का 200 वर्ष पुराना इतिहास है। यह कोई इतनी आसान चीज नहीं है जिसके बारे में हम चार घंटे में चर्चा कर सकते हैं और फिर घर जाकर अच्छी नींद सो सकते हैं। यह औपनिवेशिक काल से जुड़ी बात है। यह विवाद केवल धर्म से संबंधित नहीं है, यह विवाद भूमि से संबंधित है, यह विवाद आर्थिक असमानता से संबंधित है, यह विवाद कृषि उत्पाद और वन उत्पाद के विपणन से संबंधित है, यह विवाद सामाजिक मान्यता से संबंधित है। कई विवाद हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहूंगा इस पर विचार किया जाना चाहिए कि यह चुनावों से आठ या दस महीने पहले क्यों हुआ है? वर्ष 1994 में, सात महीने से अधिक सांप्रदायिक तनाव और जातीय संघर्ष चलते रहे। जब उड़ीसा में गैर-कांग्रेसी सरकार और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। यही चीज संसदीय चुनाव से एक वर्ष पहले हुई है। क्या इनके बीच कोई संबंध है? क्या 1994 के संघर्षों और 2008 के संघर्षों के बीच कोई संबंध है? यदि कोई संबंध है तो वह है कांग्रेस। यह संबंध बी.जे.पी. से नहीं है; बजरंग दल से नहीं है, जैसा कि कुछ सदस्य दिखाना चाह रहे हैं; यह संबंध कांग्रेस से है। यह मेरा आरोप है। ये इन संघर्षों के कारण राजनीतिक हैं। इसका परेशान करने वाला पहलू है इसमें माओवादियों का आना। यह हमें परेशान कर रहा है।

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के केन्द्रीय भाग में रह रहे जनजातीय नागरिकों की उपेक्षा की गई है। उस स्थान को लेने के लिए प्रतिस्पर्धा है। श्री अवनीकांत बोराट, जो सी.पी.आई. के एक प्रमुख नेता हैं, ने उस क्षेत्र में लोगों को संगठित करने के लिए अपनी ओर से बेहतर प्रयास किया था ताकि वह वहां कार्य कर सकें। परन्तु वह विफल हो गए। वह विफल हो गए क्योंकि वहां उस क्षेत्र में मिशनरियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। हमारे यहां

ईसाई मिशनरियां थीं; हमारे यहां हिन्दू मिशनरियां थीं; और अब हमारे यहां माओवादी मिशनरियां हैं। क्या राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व उस जिले पर अपना प्रभुत्व कायम कर सकती है? यह झारखंड के कुछ भागों में विफल रही है? यह हमारी चिंता है। इससे कई प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं।

मैं कहूंगा कि सी.आर.पी.एफ. कंपनियां उपलब्ध कराना, बलों को एकत्र करना चलता रहेगा। यह आवश्यक है और यह किया जा रहा है। उड़ीसा सरकार ने उस जिले के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जा रहे हैं। न्यायिक जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस कार्य को उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर रहे हैं। परन्तु जब गलत बातें, झूठी और मनगढ़न्त बातें सुबह से शाम तक कही जाती हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि कुछेक बातों को स्पष्ट किया जाए। ऐसी एक बात कथित रूप से इस नन बलात्कार मामले की है।

एफ.आई.आर. में उसने क्या आरोप लगाया है? उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि केवल एक व्यक्ति वहां था। एफ.आई.आर. कहता है कि यह एक व्यक्ति था। परन्तु लगातार कई माननीय सदस्यों ने इस सभा में कहा है कि यह सामूहिक बलात्कार था। एफ.आई.आर. कहता है कि यह एक व्यक्ति था। बाद में वह मीडिया के समक्ष आती है और कहती है कि कई अन्य दर्शक थे। यह एफ.आई.आर. में नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हम कानून निर्माता हैं। साक्ष्य अधिनियम में स्पष्ट रूप से क्या प्रदर्शित है? ये तकनीकी पक्ष हैं परन्तु इन्हें बताए जाने की आवश्यकता है। जब चिकित्सा जांच की जाती है, क्या यह सार्वजनिक दस्तावेज है? इसे कब प्रकाशित किया जा सकता है और इसे प्रकाशित करने का प्राधिकार किसके पास है?

आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है परन्तु इनकी पहचान किया जाना बाकी है। वह बाहर आती है और कहती है कि उसे राज्य सरकार के प्रशासन में विश्वास नहीं है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कुछ अन्य मामलों की तुलना में इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले में सी.बी.आई. जांच का कोई मामला नहीं बनता है।

माननीय मंत्री जी यहां नहीं हैं परन्तु वह इस सभा के सदस्य हैं। श्री राम विलास पासवान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अनुच्छेद 356 लगाने और श्री नवीन पटनायक सरकार को बर्खास्त करने का वक्तव्य दिया। अन्य कुछ सदस्यों ने भी उनका एक साथ समर्थन किया। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि अनुच्छेद 356 को लगवाने वाले लोग तदुपरान्त ऐसा करवाने से पीछे हट गये किंतु बाद में क्या हुआ। उड़ीसा में शांति बहाल करने के लिये जो भी सर्वोत्तम किया जा सकता था, वह किया गया है।

मुझे पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखित संक्षिप्त टिप्पण का स्मरण हो आया है जिसे 50 वर्ष पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों को भेजा गया था। अक्तूबर, 1958 में जवाहर लाल नेहरू ने लिखकर यह बताया कि जनजातियों के लिये भारत की नीतियां कैसी हों। उन्होंने आग्रह किया कि देश में जनजातियों के अधिकारों का और वनों का संरक्षण किया जाये। जनजातीय कला और संस्कृति का आदर हो और उसमें नयापन लाया जाये तथा जनजातीय लोग अपने प्रशासन में स्वयं शामिल हों। मैं उनकी बात को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था:

> "हमें जनजातीय क्षेत्र में बहुत से बाहरी लोगों (आउटसाइडर्स) को लाने से गुरेज करना चाहिये तथा जनजातीय क्षेत्रों में सरकार की योजनायें जनजातीय लोगों के स्वयं के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों के माध्यम से ही कार्यान्वित हों, न कि वे उनके विपरीत ढंग से कार्यान्वित हों।"

नेहरू ने कहा था कि लोगों को स्वयं की बौद्धिकता से ही अपना विकास करना चाहिये और हमें लोगों पर कोई भी चीज थोपनी नहीं चाहिये। जवाहर लाल नेहरू ने ऐसा 50 वर्ष पूर्व कहा था। उस परामर्श के कारण तत्कालीन उड़ीसा सरकार धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी कानून बनाने को तत्पर हो गई। इससे संबंधित विधेयक पुरःस्थापित किया गया और उसे बाद में 1967 में अधिनियमित किया गया किंतु यह विधेयक शीर्ष न्यायालय तक गया और उस पर सहमति बन गई। तदुपरान्त, यह अधिनियम लागू हुआ। 1989 में नियम बनाये गये और इसका परिणाम यह हुआ कि उस नियम की शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री को तत्काल उसके पद से हटा दिया गया।

यहां समस्या का मुख्य कारण धर्म परिवर्तन (कन्वर्जन) है। धर्म परिवर्तन ही वह कारण है जो वास्तव में स्थिति को भयावह बना रहा है। भूमि विवाद (अधिकारों को मान्यता),

[श्री भर्तृहरि महताब]

शिक्षा हासिल करना आदि सब प्रकार की चीजें मौजूद हैं। किंतु, मैं यह कहने को उत्सुक हूं कि इसाईयत हमारे लिये कोई नई चीज नहीं है। हमने इसाईयत को यूरोपीय लोगों से भी काफी पहले देखा है। हमने इसाईयत को ईसा के आने के मात्र सौ वर्ष पश्चात् ही देखा दो हजार वर्ष पूर्व देखा है। हमने उनका आदर किया, उन पर विश्वास किया और एक प्रकार से ये सब सामंजस्यपूर्ण ढंग से विद्यमान रहा है। केवल हाल ही के समय में...(*व्यवधान*) मैं अपनी बात समाप्त करने ही वाला हूं।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइये। आपने पहले ही 25 मिनट का समय ले लिया है।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। केवल हाल ही में ईसाई समुदाय के एक वर्ग ने धर्मान्तरण होने के समय बदनामी और खिन्नता का सामना किया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है। काफी समय पहले ही उन्होंने कहा था कि जो ईसाई समुदाय में पैदा हुये हैं, उन्हें अच्छा ईसाई बनना चाहिये; जो मुस्लिम समुदाय में पैदा हुये हैं, उन्हें अच्छा मुस्लिम बनना चाहिये और जो लोग हिन्दू समुदाय में पैदा हुये हैं, उन्हें भी अच्छा हिन्दू बनना चाहिये। मुझे गर्व है कि मैं एक हिन्दू हूं और मैं अन्य धर्मों का भी आदर करता हूं तथा उड़ीसा में हम सभी धर्मों का आदर करते हैं क्योंकि उड़ीसा का धर्म जगन्नाथ सम्प्रदाय है।

अपराह्न 4.41 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक* - *जारी*

[अनुवाद]

महा सचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:-

> "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 24 अक्तूबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित सीमित देयता भागीदारी विधेयक, 2008 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

*सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 24, अक्तूबर, 2008 को यथापारित सीमित देयता भागीदारी विधेयक, 2008 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 4.42 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार विशेषकर उड़ीसा और अन्य राज्यों में हुई घटनाओं के संदर्भ में - *(जारी)*

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, हम एक महत्वपूर्ण विषय, एक ऐसी समस्या पर चर्चा कर रहे हैं जिससे हमारी धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र और सामाजिक प्रगति का भविष्य प्रभावित होगा। मुझे खुशी है कि यह मुद्दा हमारे सहयोगी श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठाया गया और इससे हमें इस समस्या पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री महताब ने यह कह कर अपनी बात समाप्त की कि जन्म से हिन्दू को अच्छा हिन्दू बने रहना चाहिए और जन्मजात मुस्लिम को अच्छा मुस्लिम बने रहना चाहिए। वह स्वामी विवेकानन्द का उद्धरण दे रहे थे। अतः वह धर्म परिवर्तन के प्रश्न पर ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहे थे। यह प्रश्न इस स्थिति को उत्पन्न करने वाले विवाद की जड़ था। मेरा विचार है कि मुख्य कारण असहनशीलता है। इस देश में ईसाई, मुस्लिम, हिन्दू सभी हैं। यदि आप यह देखना चाहें कि वे किस प्रकार से शांतिपूर्वक रह सकते हैं, तो केरल का उदाहरण दिया जा सकता है। वहां बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और बहुत बड़ी संख्या में ईसाई अल्पसंख्यक है, हिन्दू भी हैं, परन्तु अन्य स्थानों की अपेक्षाकृत वहां शांति है। यह राज्य सांप्रदायिक विद्वेष के लिए नहीं जाना जाता। यह संभव हुआ क्योंकि उस राज्य में कुछ वास्तविकताओं को स्वीकार किया गया। शिक्षा, पत्रकारिता, मुद्रण, प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में ईसाइयों द्वारा किए गए योगदान को सभी ने माना है।

वास्तव में धर्म परिवर्तन तो होता ही रहेगा अन्यथा यहां दूसरे धर्म कैसे फले फूलेंगे। आप यह नहीं कह सकते कि यहां जन्मजात ईसाई रहेंगे। यह एक ऐसा धर्म है जो बाद में आया और स्वाभाविक है कि अनेक लोगों ने इस धर्म को अपनाया। मेरा विचार है कि हमें ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि विभिन्न धर्म ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग

बता रहे हैं। हर धर्म यह दावा करता है कि वे ऐसा कर रहे हैं और सभी धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इसलिए विवेकानन्द जी ने कहा था कि हम सभी भाई हैं।

कोई किसी भी धर्म से संबंधित हो, सब भाई भाई हैं। यदि स्वामी विवेकानन्द के इस सूत्र को याद रखा जाता, तो संभवतः इन सभी बातों से बचा जा सकता था।

महोदय, उड़ीसा में दंगे होने के तुरंत बाद हम वहां थे। मैं यह भी कहूंगा कि मेरे मित्र श्री गुरुदास दासगुप्त, श्री सुरेश कुरुप भी वहां थे। उड़ीसा सरकार ने हमें वहां जाने से रोक दिया, जबकि उन्होंने श्री प्रवीण तोगड़िया जैसे व्यक्तियों को वहां जाने और आग उगलते जहरीले भाषण देने की अनुमति दी। इस तरह से घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। हम वहां सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने नहीं गए थे। हम वहां यह देखने गए कि वहां क्या हो रहा है; हम वहां यह देखने गए कि हम साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते है। परन्तु हमें रोका गया, जबकि दूसरी ओर, बेकार साम्प्रदायिक तत्वों को वहीं जाने की अनुमति दी गई। यह प्रशासन करने का अच्छा तरीका नहीं था...*(व्यवधान)*

महोदय, उन दिनों हम मुख्यमंत्री के कन्धमाल दौरे के बारे में समाचार पत्रों में समाचार पढ़ रहे थे। हम वहां उस स्वामी के आश्रम में गए जिन्हें मार दिया गया था। मुझे कोई परेशानी नहीं है। वह वहां जा सकते थे। वह स्वामी जी की सेवाओं की प्रशंसा कर रहे थे और उन्होंने उस दंगे या वहां जो कुछ भी हुआ, उसके पीड़ितों को राहत देने के पेशकश भी की। परन्तु मुख्यमंत्री उन लोगों के प्रति, जो नौ शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे, वैसी सहानुभूति दर्शाने में असफल रहे...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): वह राहत शिविरों में गए थे...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं आपको बाधित नहीं कर रहा था। यह समस्या है...*(व्यवधान)* यह अपनी बात कहने का अत्यन्त असभ्य तरीका है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: श्री महताब, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री चन्द्रप्पन, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मुख्यमंत्री ने उनके प्रति उतनी चिंता और सहानुभूति नहीं दिखाई जितनी उन्हें दिखानी चाहिए थी...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपना भाषण पूरा करने दें ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: सिस्टर निर्मला ने क्या कहा था? ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं इस विषय पर नहीं बोल रहा कि उन्होंने क्या कहा था। मैं यहां अपना अनुभव बता रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, जब वे सभी चिल्ला रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: हुआ यह कि उड़ीसा सरकार पीड़ित लोगों को सुरक्षा दिलाने में असफल रही...*(व्यवधान)* यह बताया गया कि हजारों लोग, 40000 से भी अधिक लोग जंगलों में भगा दिए गए...*(व्यवधान)* यद्यपि सरकार ने हमें कन्धमाल जाने से रोका तथापि हम उन लोगों से मिले जो जंगलों से बच निकले और वाई.एम.सी.ए., भुवनेश्वर में, शरणार्थियों के लिए खोले गए प्रथम शिविर में जाकर रहने लगे।

अतः हम उन्हें भुवनेश्वर शिविर में मिले...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, वे मेरी बात को अपने इच्छानुसार सही करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उस कैम्प में रहने वाले बता रहे थे कि उन पर किए गए अत्याचार कितने नृशंस थे और कैसे बजरंग दल के अत्याचारों का शिकार बने लोगों की सरकार ने सहायता नहीं की। यह एक अत्यन्त विचित्र स्थिति है जिससे

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

राज्य में संघर्ष उत्पन्न हुआ। मैं कहूंगा कि जब वहां इस तरह की घटनाएं घट रही थी और लोग बेबस थे, गृह मंत्री जी अपेक्षित तात्कालिकता से वहां नहीं गए। आप वहां पहुंच सकते थे किंतु आप बहुत देर से पहुंचे। मुझे समझ नहीं आता कि वहां का दौरा करने वाले गृह राज्य मंत्री को अनुमति क्यों नहीं दी गई...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): उनका हेलीकॉप्टर नहीं आया था...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मुझे इन तकनीकी बातों का ज्ञान नहीं है। किंतु गृह राज्य मंत्री को अनुमति नहीं दी गई ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपस में बातचीत मत कीजिये। श्री चंद्रप्पन जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: समस्या यह है कि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी को और अधिक जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करना चाहिये था। जैसा कि वे कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर देरी से आ रहा था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन जी, आप कृपया सभापति को संबोधित कीजिये।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: ये जो कुछ भी है, मेरे विचार में उन्होंने कहा जो भी मिला उसमें लाचारी नजर आ रही थी। इससे आक्रमण के शिकार हुये लोगों में किसी प्रकार का विश्वास नहीं जागा। मैं इसकी शुरुआत के बारे में बताऊंगा। चुनावों के दौरान, देश में ऐसे तत्व होते हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं। कई बार समुदाय के नाम पर तो कई बार क्षेत्रवाद के नाम पर ऐसा हो सकता है। वे उन्माद और पागलपन की स्थिति पैदा करते हैं और दंगे करवाते हैं और फिर वे इन चीजों से फायदा लेने का प्रयास करते हैं।

आप महाराष्ट्र में शिव-सेना का कारनामा देख सकते हैं। शिवसेना ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास कर रही है जिससे देश में आग भड़केगी। शिवसेना उत्तर भारतीयों के विरुद्ध है। शिवसेना ने अपनी शुरुआत बाल ठाकरे के नेतृत्व में तथा दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ बोलकर की। दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ उत्तेजक उन्माद को जन्म देकर एक संगठन बनाया गया। अब उनका भतीजा उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ उन्माद पैदा कर रहा है और वह अपने चारों ओर एक नया साम्राज्य, एक नयी राजनीतिक शक्ति बनाने का प्रयास कर रहा है। क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है? यह क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का रही है। इसी प्रकार, अल्पसंख्यक समुदाय विरोधी भावनाओं को भड़काया जाता है। शिवसेना कई बार मुसलमानों को कई बार ईसाई लोगों के खिलाफ हो जाती है। इन सबका एक राजनीति एजेंडा है। यह लोगों की भावनाओं को भड़का कर चुनाव जीतने का राजनीतिक एजेंडा है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता एकता खतरे में पड़ जाएगी।

इस खतरे का डटकर सामना करना होगा। क्या केन्द्र के पास ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है?

मेरे विचार में, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में एक मद रही है जिसके बारे में आजकल कोई अधिक बात नहीं करता। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में, एक विधेयक लाये जाने का वायदा किया गया था जिसका आशय यह था कि साम्प्रदायिक घटनाओं को रोका जाये तथा घटनाओं के शिकार लोगों का पुनर्स्थापन किया जाये। एक विधेयक गृह संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया। मेरे विचार में, इस पर कार्यवाही की गई थी। किंतु, मेरे विचार में, इसे पुरःस्थापित और पारित नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि इस बाबत कोई प्रयास नहीं किया गया। किंतु, उस प्रयास को सफल करने के लिये गृह मंत्रालय पर्याप्त पहल नहीं कर रहा है।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): कृपया इस बात को समझें कि वह विधेयक राज्य सभा में है। इसे पुरःस्थापित किया गया है और यह स्थायी समिति के पास भी गया था। अतः, इस विधेयक को पुनः पुरःस्थापित किये जाने की जरूरत नहीं है। यह विधेयक राज्य सभा में है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: आपके कार्यकाल का पांचवां वर्ष है।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैंने इसे सभा को दे दिया है। सभा को निर्णय लेना है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बात आती है...*(व्यवधान)* यदि आप किसी विधान को पारित कराना चाहते हों, तो आप ऐसा कर सकते हो। हमने कल और परसों यह देखा है कि आप विधान को पारित करवाने के जिले विधानमंडल को किस तरह से मनमाने ढंग से चला रहे थे। किंतु, इस विधान के लिये, आपको विधानमंडल को मनमाने ढंग से चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे ला सकते थे और हम इसे पारित कर सकते थे।

आप जो उत्तर दे रहे हैं वह उत्तर पारंपरिक है। गृह मंत्री होने के नाते यह देखकर कि देश की स्थिति में किस तरह से गिरावट आ रही है और इस विधान का क्या महत्व है, आपको इस बाबत और रूचि लेनी चाहिये थी कि यह विधेयक लोक सभा और राज्य में पारित हो जाये। मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार की पहल आपकी ओर से नहीं हो रही है।

मैं एक और बात कहना चाहूंगा। अतः आखिरकार हमें चुनावों का सामना करना है। साम्प्रदायिक ताकतें लोगों को उकसाने का प्रयास कर रही हैं। क्या अब आप इस सभा को यह आश्वासन देंगे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करेंगे और इस समस्या पर चर्चा करके प्रधानमंत्री स्वयं मुख्यमंत्रियों द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय कार्य सूची बनाएंगे ताकि शांति, अमन-चैन और सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित किया जा सके और यह सुनिश्चित करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के लिए उपयुक्त स्थिति सृजित की जाए? मुझे आशा है कि गृहमंत्री ऐसी बैठक का आह्वान करने के लिए पहल करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: ऐसा पहले ही किया जा चुका है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या आप राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक के संदर्भ में कह रहे हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: जी हां, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई है। मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया और संकल्प पारित कर दिया गया है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या यह पर्याप्त है?

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं नहीं जानता कि यह पर्याप्त होगा या नहीं। पर जो आप सुझाव दे रहे हैं वह पहले ही किया जा चुका है। मैं आपको केवल यह जानकारी दे रहा हूं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यहां तक तो ठीक है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यदि स्थिति से निपटना है तो इससे अधिक किए जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सरकार अधिक दृढ़ निश्चय से कार्य करेगी और सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की घटनाएं इतनी अधिक न हों।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अभी हमारे पास नियम 193 पर बोलने वाले 15 माननीय सदस्यों की लिस्ट है। इसलिए हमारी रिक्वैस्ट है कि जो माननीय सदस्य बोलें, वे पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें, ताकि सभी माननीय सदस्य बोल सकें। माननीय सदस्य अगर कम समय लेंगे तो हाउस जल्दी उठ जाएगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): हाउस कब तक उठ जाएगा?

सभापति महोदय: माननीय गुरूदास दासगुप्त जी, यह तो माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे कितना समय लेते हैं। अगर माननीय सदस्य तीन-तीन मिनट का समय लेते हैं तो जल्दी उठ जाएगा। हम तो लिस्ट के अनुसार चल रहे हैं। कृपया माननीय सदस्य समय का ख्याल रखें।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): सभापति महोदय, मैं बिलकुल समय का ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं उड़ीसा से आता हूं और वह विषय उड़ीसा से संबंधित है, इसलिए मुझे बोलने के लिए थोड़ा अधिक समय देंगे, यह मैं आपसे पहले ही विनती करता हूं।

महोदय, आज बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा हो रही है और यहां स्वयं गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। उड़ीसा से होने के नाते मेरे मन में एक बात आई है। श्री चन्द्रप्पन जी एक छोटी पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन वह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और सदस्य हैं। इस घटना के मूल में श्री महताब जी ने धर्मांतरण को बताया। लेकिन उन्होंने बताया कि धर्मान्तरण मुद्दा नहीं है। मैं श्री चन्द्रप्पन जी को याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि वह इस सदन के एक अनुभवी नेता हैं कि पिछली सदी के प्रारम्भ में हमारे उड़ीसा में एक

[श्री धर्मेन्द्र प्रधान]

नेता थे, जिनका नाम मधुसूदन दास है, वे पढ़ने के लिए कलकत्ता गए। वहां उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, लेकिन वह बाद में उड़ीसा में आकर उड़िया समाज के जननेता रहे।

मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं कि जब अंग्रेजों ने पुरी मन्दिर की सम्पत्ति को हड़पने के लिए षड्यंत्र किया कि इस मंदिर का संचालन पुरी के राजा के पास नहीं रहे, क्योंकि पुरी का राजा कोई व्यक्ति नहीं होता है, यह उड़िया समाज के पास नहीं रह सकता है, जब उन्होंने पुरी मंदिर को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले लिया, तब पुरी की राजमाता मधुसूदन दास के पास पहुंचीं, एक क्रिश्चियन के पास पहुंचीं। मधुसूदन दास जी ऐसे व्यक्तित्व थे, उन्होंने मना नहीं किया कि मैं क्रिश्चियन हूं, इसलिए मैं हिंदुओं की वकालत नहीं करूंगा, यह उड़ीसा की संस्कृति है। यह समझते हुए उन्होंने पुरी के मंदिर की ब्रिटिश राज से सुरक्षा की। क्रिश्चियनों का राज था। लेकिन ऐसा किसी ने सोचा नहीं था और पुरी के मंदिर को क्रिश्चियनों से लड़कर अगर कोई लाया, तो वह उड़ीसा का एक क्रिश्चियन लाया। चंद्रप्पन जी, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस सदन में जो हमारे मित्र उड़ीसा को न समझते हुए बोल रहे हैं, उनसे भी हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।

उड़ीसा क्या है, उड़ीसा की संस्कृति क्या है, उसके लिए हमें लोगों से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार उड़ीसा आइए। उन दिनों आपको सुरक्षा के कारण उड़ीसा आने से मना किया था, आप अब उड़ीसा आइए। आपको मैं स्वयं कंधमाल ले चलता हूं। हमने बताया है कि दो घंटे में वहां दंगे को क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सका। माननीय गृह मंत्री जी वहां गए थे, उनको उसका अनुभव है। कंधमाल की भौगोलिक स्थिति और पृष्ठभूमि को देख कर वह खुद अनुभव कर सकते हैं।

सभापति जी, दो महीने में इसके बाद भी कई घटनाएं हुईं। मैं श्री महताब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि हम मूल कारण को देखें। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने विवेकानंद जी का उल्लेख किया। मैं बताना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस के नेतृत्व में आज देश की सरकार चल रही है, जो कांग्रेस गांधी जी के हेरिटेज को आगे ले जाने वाली पार्टी होने का दावा करती है, गांधी जी ने धर्मांतरण के लिए क्या कहा था। गांधी जी ने हरिजन में 23 जनवरी, 1937 को क्या लिखा था, मैं उसे कोट करता हूं-

> "धर्मांतरण का जो तरीका आज भारत में और अन्य स्थानों पर चल रहा है मेरे लिए उसे स्वीकार करना असंभव है। यह एक ऐसी गलती है जो संभवतया शांति की ओर विश्व की प्रगति की देश में सबसे बड़ा अवरोध है। एक ईसाई हिन्दू को इसाईयत में क्यों धर्मांतरित करवाना चाहता है? उसे इस बात से संतुष्ट क्यों नहीं होना चाहिए कि कोई हिन्दू अच्छा या धर्मपरायण व्यक्ति है।"

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): इसीलिए आपने उनकी हत्या कर दी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदय, अगर भारत सरकार के मंत्री नौजवान सांसद के भाषण में रोक-टोक करेंगे, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, उन पर प्रभु दया करे। माननीय रवि जी आपने 1967 के शासनकाल की घटना को कोट किया। उस समय उड़ीसा में न तो जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, न विश्व हिंदू परिषद थी, न बजरंग दल था, केवल आपकी सरकार थी। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, अरुणाचल प्रदेश में आपकी सरकार थी। तीन प्रांतों ने धर्मांतरण लॉ पारित किया, जो उड़ीसा में 1989 में अमल में आया।

मैं एक तथ्य का आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। 1961 में कंधमाल जिले में जनसंख्या के अनुसार तीन लाख हिन्दू थे और क्रिश्चियन 19,000 थे तब धर्म परिवर्तन में किसी को आपत्ति नहीं हुई। चन्द्रपाल जी ने कहा इतनी बड़ी संख्या में क्रिश्चियन हो नहीं सकते। अगर कोई क्रिश्चियन धर्म की तरफ आकृष्ट होकर जाता है तो हमें क्या आपत्ति है? हम 2001 की जनसंख्या को देखें तो हिन्दुओं की संख्या 3,00,000 से बढ़कर 5,70,000 हुई जबकि क्रिश्चियनों की संख्या 6,20,000 तक पहुंची। इस तरह से यह छः गुना से ज्यादा हुई और हिन्दुओं की संख्या दो गुना भी नहीं हुई। सबने संविधान के बारे में बात कही, लेकिन गैर संवैधानिक काम कौन कर रहा है? उड़ीसा में संविधान के तहत विधान सभा में इस संबंध में रूल बनाया गया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप चेयर को कोऑपरेट कीजिए। आपको बोलते हुए छः मिनट हो गए हैं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: मैं आपका सम्मान करता हूं। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको कोऑपरेट भी करता हूं। मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार बहुत दावा करती है कि सूचना का अधिकार लाकर देश में क्रान्ति लाए हैं। सूचना के अधिकार के तहत किसी व्यक्ति ने पूछा और 1989 रूल कहता है कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आपको जिला कलक्टर को बताना पड़ेगा कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कलक्टर की अनुमति से 1990 से 2008 तक सिर्फ दो व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किया है। यही मुख्य अंश है कि जन्माष्टमी के दिन स्वामी जी की हत्या की गई। स्वामी जी के बारे में मेहताब जी ने उल्लेख किया है, इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन हिन्दू संत की हत्या करेंगे? जब इंदिरा जी की हत्या हुई, तब राजीव जी का बयान आया कि एक बड़ा पेड़ गिरेगा तो हलचल होगी, धरती हिलेगी। अगर संत की हत्या होगी तो आप कहेंगे कि यह सारी चीज क्या हो गई? मैं किसी प्रकार की हिंसा को जस्टीफाई नहीं करता। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इससे ज्यादा कोई घृणा का कार्य नहीं हो सकता है। मैं समुदाय विशेष से पूछना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सी.बी.आई. इंक्वायरी नहीं चाहिए, राज्य सरकार ठीक काम कर रही है, राज्य सरकार की पुलिस पर भरोसा कीजिए, तब आप पत्रकार वार्ता में क्यों कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, हमें सी.बी.आई. इंक्वायरी चाहिए। यह मामला इतना नहीं बढ़ता, अगर इसमें राजनीति नहीं आती। मैं आप पर आरोप लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे बहुत अपेक्षा थी जब गृह मंत्री उड़ीसा पहुंचे थे। रक्षा मंत्री के बारे में कहा जाता है कि ये क्रिश्चियन के घर गए और बाद में मैरी लेडीज होस्टल गए, लेकिन गृह मंत्री जी ने इतनी सहृदयता नहीं दिखाई। वह समस्या को देखने के लिए विशिष्ट वर्गों के पास गए। वह तो होस्टल नहीं गए, लेकिन स्वामी जी के पास गए। ऐसा कहा जाता है कि विदेश में हमें बदनाम किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री आते-आते फ्रांस में गए तो फ्रांस के प्रधानमंत्री की आपत्ति सुननी पड़ी। फ्रांस अपने देश में अल्पसंख्यकों को जीने नहीं देता है और उनके सर्टीफिकेट पर भारत में हलचल होती है? हमें अनुच्छेद 356 को लेकर केन्द्र सरकार ने धमकाया। नरेंद्र मोदी को अनुच्छेद 355 दिखाया और अब अनुच्छेद 356 दिखाकर धमकाया गया। कैबिनेट की बैठक हुई तो सूचना मंत्री बाहर आकर बोले कि हमें जरूरत होगी तो उड़ीसा में अनुच्छेद 356 लगाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम बार-बार सब लेते हैं जबकि उन्हें गुजरात में दो बार जनादेश मिल चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने बढ़िया बयान दिया था, शायद मैडम को उड़ीसा में अनुच्छेद 356 की कैंडल लाइट की सलामी देने के लिए इतनी जल्दबाजी हुई। हम आह्वान करना चाहते हैं अगर केन्द्र सरकार में हिम्मत है तो इसे दोनों बैठकर सुलझाएं क्योंकि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। मैं आपको * की कहानी बताता हूं। * किस ढंग से...*(व्यवधान)*

श्री गिरिधर गमांग (कोरापुट): * नाम क्यों लेते हैं वे राज्य सभा के एम.पी. हैं?

सभापति महोदय: नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: गमांग जी, * को आपसे अच्छा कौन जान सकता है? आप राजनीतिक कारणों से गोवा के बारे में नहीं बोलते हैं? लेकिन उनकी भूमिका क्या है? ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेता। लेकिन गमांग जी, आग लगाने का काम किसने किया? यह आपसे बेहतर कौन जान सकता है। वहां की आदिवासी सभ्यता से छेड़छाड़ किसने की? ...*(व्यवधान)* आपसे अधिक कौन जान सकता है।

सभापति महोदय: आप नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह सदन में अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं। आप उनका नाम न लें।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: सभापति जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस राजनीति छोड़ दे, तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीति छोड़ दे। यहां कहा जाता है कि माइनोरिटी पर अत्याचार हुआ है। दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी पुलिस चलती है। गृह मंत्री जी, जामिया नगर में हमला करके उग्रवादियों को मारा गया, बाद में ये लोग क्या कहते हैं। कुछ निर्दिष्ट वर्ग को ध्यान में रखते हुए राजनीति करते हैं। आपकी कांग्रेस भी कहती है कि जामिया नगर वाले मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और ये लोग हमें फूलबनी और कंधमाल के बारे में नसीहत देंगे, जो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित हैं। जिन्हें अपनी कुर्सी के सिवाय कुछ नहीं दीखता है। मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि उड़ीसा के सफल नेतृत्व को छोड़ दीजिए, हम उसे संभाल चुके हैं। उड़ीसा को और खराब करने की

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री धर्मेन्द्र प्रधान]

आपको और हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हमें अपने आप ठीक करने का मौका दीजिए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): सभापति महोदय, श्री महताब ने हमें श्री जवाहरलाल नेहरू का एक उद्धरण याद दिलाया कि हमें पूरे देश की और विशेष रूप से मध्य-भारत की जनजातियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। पंचायती राज मंत्री के रूप में, मैं इस ओर ध्यान दिलाने पर मजबूर हुआ हूं कि इसके लिए कानूनी प्रावधान पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम में मिलेंगे, जिसे संसद द्वारा 1996 में एकमत से पारित किया गया था, इस अधिनियम के तहत ऐसी सभी सुरक्षाएं दी जा सकती हैं। दुर्भाग्यवश, उड़ीसा में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कई खामियां हैं।

यह कहने के पश्चात्, मैं उन्हें जवाहरलाल नेहरू के एक और उद्धरण की याद दिलाना चाहूंगा। यह उद्धरण श्री महताब द्वारा दिए गए उद्धरण से सात वर्ष पूर्व अक्तूबर, 1951 में दिया गया जब श्री जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी के जन्मदिवस पर रामलीला मैदान में, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दी; मेरे विचार से इससे बेहतर परिभाषा अब तक नहीं दी गई है।

उन्होंने कहा:

"यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या ऐसी धमकी देता है तो मैं सरकार में रहूं या बाहर, उससे मैं अपनी अंतिम सांस तक लडूंगा।"

यदि यह धर्मनिरपेक्षता की कसौटी है, तो हमें उड़ीसा सरकार से विशेषतः उड़ीसा के मुख्यमंत्री से पूछना होगा कि क्या वह उस कसौटी पर खरे उतरे हैं।

महोदय श्री महताब की तरह मुझे भी कोई शक नहीं हैं कि जब श्री नवीन पटनायक कहते हैं कि वह पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष हैं तो वह हृदय से ऐसा कह रहे होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी धर्मनिरपेक्षता में कहीं कोई कमी नहीं हैं। परन्तु और अनेक लोगों की धर्मनिरपेक्षता में संदेह और उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि क्या उड़ीसा सरकार का व्यवहार श्री जवाहरलाल नेहरू की परिभाषा के उस अंश के अनुरूप है, कि यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना है या ऐसी धमकी देना है तो मैं उससे लडूंगा।..."

श्री भर्तृहरि महताब: कृपया यही प्रश्न असम के श्री तरुण गोगोई से पूछें।

श्री मणि शंकर अय्यर: ठीक है, मेरा विचार है कि इससे मैं अपनी दूसरी बात पर आ पहुंचा हूं जो मैं कहना चाहता हूं।

श्री महताब ने दो घटनाओं के बारे में बताया, पहली दिसम्बर 2007 की और दूसरी घटना अगस्त 2008 की है। क्या मैं उन्हें याद दिला दूं कि यह अगस्त 2008 की ही एक घटना नहीं थी जिसके संबंध में हम यहां बात कर रहे हैं? जिस घटना का उन्होंने उल्लेख किया वह उस स्वामी की नृशंस हत्या के बारे में है जिनका सम्मान किया जाना चाहिए था और जिनकी उम्र का भी ख्याल रखने की आवश्यकता थी। यह सभा उस घटना के संबंध में बात नहीं कर रही अपितु उन सभी घटनाओं के संबंध में बात कर रही है जो 23 अगस्त की घटना के बाद घटती चली गई। इस सभा में कोई भी 23 अगस्त की घटना का समर्थन नहीं करता। परन्तु मैं इस बात से व्यथित हूं कि घटनाओं का एक पूरा क्रम बन गया जिसमें कम से कम दसियों हजार लोग और संभवतः लाखों लोग प्रभावित हुए इसके पश्चात् हमें उत्तर यह दिया गया है कि यह 200 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक समस्या है। यह संभवतः सैंकड़ों हजारों वर्षों की ऐतिहासिक समस्या है।

महोदय स्वयं श्री महताब ने दावा किया था कि उड़ीसा शांति और अमन चैन का राज्य है और 1994 और पुनः 2008 के अतिरिक्त और कोई घटना नहीं घटी है।

यदि ऐसा है तो जनता के विभिन्न वर्गों के मध्य संभावित असमानता या भूमि के कारण ऐसा क्यों नहीं हुआ है। मैं सोचता हूं कि अंततः सच तब सामने आया जब श्री महताब ने कहा, "पेचीदा मामला" और मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं, उन्होंने कहा, "मामले की पेचीदगी है...धर्मान्तरण"

अतः हम पिछले दो सौ या अधिक वर्षों के इतिहास

पर वापिस आते हैं: पुरी के मन्दिर की रक्षा करने में श्री मधुसूदन दास का जो कुछ भी योगदान रहा हो, धर्म निरपेक्षता के संरक्षण के लिए बीजू पटनायक की कुछ भी विरासत रही हो, 23 अगस्त और उसके बाद के दो महीने के अधिकांश समय की कसौटी पर उतरने की बात आई, और इस कसौटी पर उड़ीसा सरकार असफल रही और यह असफल रही क्योंकि धर्मान्तरण की पेचीदगी के मूल प्रश्न पर इसकी मनस्थिति सम्भ्रमित है।

आप धर्मान्तरण को सामूहिक हत्या के लिए बहाना नहीं बना सकते, आप धर्मांतरण को लोगों के सामूहिक अपमान के लिए बहाना नहीं बना सकते, आप धर्मांतरण को सामूहिक आगजनी, सामूहिक हत्याओं और सामूहिक विस्थापन का बहाना नहीं बना सकते। जो कि उड़ीसा में हुआ। आज हमें इस सभा में उन मुद्दों को सुलझाना चाहिए न कि इस बात को कि हमारे संविधान या 1989 में तथा इसके बाद बनाए गए कानूनों में धर्मांतरण का उल्लेख है या नहीं।

इस सभा का सदस्य बनने के समय जिस संविधान के प्रति श्री महताब ने हम सभी की तरह निष्ठा की शपथ ली थी, हिन्दू धर्म सहित किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने की स्पष्ट अनुमति देता है और ऐसा निश्चित रूप से इसी कारण से ऐसे हिन्दू हैं जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वास्तव में रामकृष्ण मिशन स्वयं को मिशन कहता है और इसे उन लोगों के धर्मांतरण करने में कोई हिचक नहीं होती जो किसी अन्य धर्म से हिन्दू बनना चाहते हैं। इस संबंध में बिना यह स्पष्टीकरण दिए कि कौन सा धर्म प्रचार कर सकता है, इसका कहना है कि प्रत्येक धर्म को प्रचार का अधिकार है।

जब यह प्रचार होता है, तब यदि राज्य सरकार उस तरह के नियम विनियम लागू करती है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों द्वारा उल्लेख किया गया है तो यह बड़ी ही बेकार बात है कि धर्म क्या है इसके संबंध में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों को जिलाधीश प्रमाणित करे। भारतीय जनता पार्टी के उक्त सदस्य, आदतन इस सभा से पलायन कर गए हैं - वे हमेशा अपनी बात कह कर भाग जाते हैं। मैं उन्हें याद दिला दूं कि तमिलनाडु में ऐसा ही एक कानून पारित किया गया और उसी विधायिका को इसे वापस लेना पड़ा जो इसे लाई थी। क्या आई.ए.एस. या पोप यह निर्णय करेंगे कि क्या आप कैथोलिक हैं? यह बेतुकी बात है और इस सबके पीछे हमारे संविधान को नष्ट भ्रष्ट करने, और किसी धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को रोकने का षड्यंत्र है। इसीलिए हमें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है...*(व्यवधान)* मैं श्री स्वाईं की बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: क्या वे इस षड्यन्त्र के संबंध में आज जानते थे? वह इसके संबंध में पहले नहीं जानते थे। वे अब इसकी योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पलायन करने की आदत है और उनकी आदत है कि बस अभी आओ और एक व्यक्ति का उल्लेख करो। मैंने भी इतनी बातें कहीं है। उन्हें मेरा भी उल्लेख करना चाहिए। वह जानेंगे कि मैंने क्या कहा है...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहूंगा कि यह बोलने वाले सज्जन द्वारा पूर्णतः अनुचित व्यवधान है। मैं टेलिविजन पर उन्हें देख रहा था और उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा पर स्तब्ध और अचम्भित रह गया। मैं यहां उपस्थित हूं और मेरा उत्तर उनके और श्री महताब दोनों के लिए है...*(व्यवधान)*

महोदय, यहां महत्वपूर्ण प्रश्न यह उभर कर आया है कि अगर आपकी ऐसी मानसिकता हो कि किसी धर्म का प्रचार करने से कुछ गलत है और आप लोगों को घृणित कार्य करने के लिए उत्तेजित करें और तत्पश्चात उसे यह कहकर-न्यायसंगत ठहराने का प्रयास करें। आप धर्मांतरण को रोकने की कोशिश कर रहे है, इसी मानसिकता के परिणामस्वरूप कंधमाल में यह दुखद त्रासदी हुई है।

मुझे इस बात का अत्यंत खेद है कि उड़ीसा सरकार ने श्री प्रवीण तोगड़िया जैसे लोगों को जो इस प्रकार का उत्तेजनापूर्ण कार्य कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में जाकर कठिनाइयां उत्पन्न करने की अनुमति देना उचित समझा। इन लोगों ने वहां जाने के इच्छुक लोगों को रोकने का भी कार्य किया है।

क्या आप कृपया बैठ जायेंगे?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मणि शंकर अय्यर की बात को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया अपने स्थान पर, बैठ जाइए?

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: माफ कीजिये, यहां पर सभ्यता की कोई कमी नहीं है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि मैंने इनके भाषण को सुनकर सोचा कि यह मेरा दायित्व बनता है कि मैं एक हिन्दुस्तानी के नाते, संविधान के समर्थक के नाते, यहां आकर समझाऊं कि हमारे संविधान में क्या लिखा है और किस किस्म की राजनीति हमारे साथी स्वाईं साहब और इनके साथीगण कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, कृपया उनसे बैठ जाने के लिए कहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री मणि शंकर अय्यर की बात को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया आप अपने स्थान पर जाइए मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप मेरी अनुमति के बिना कैसे बोल सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं यह अच्छी बात नहीं है। श्री मणि शंकर अय्यर की बात को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं जिस प्रश्न को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था उसी को जारी रखते हुए श्री महताब द्वारा इससे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था - कि क्या हम राजनैतिक नेतृत्व को शीर्ष स्थिति प्रदान नहीं कर सकते हैं? उड़ीसा में एक निर्वाचित सरकार है। श्री नवीन पटनायक लोगों के समर्थन से ही दूसरी बार मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं। अतः कंधमाल में कौन सा राजनैतिक नेतृत्व कार्य करेगा। क्या यह श्री प्रवीण तोगड़िया का राजनैतिक नेतृत्व होगा अथवा श्री नवीन पटनायक का। उनके उड़ीसा के मुख्य मंत्री बनने के कई वर्ष पूर्व से ही वे मेरे निजी मित्र रहे हैं और मैं उनके परिवार को उस समय से जानता हूं जब मैं सात आठ वर्ष का था। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वे एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। यदि श्री नवीन पटनायक, एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं, जैसाकि वे कहते हैं और मैं उनकी बात का विश्वास करता हूं, तो क्या कारण है कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का संचालन करने वाले एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति अगस्त में उत्पन्न स्थिति से निपटने में असफल क्यों रहे। निश्चितरूप से 1994 और 2004 के बीच कोई संबंध नहीं है लेकिन आपके और श्री खारबेल स्वाईं और उनके लोगों के बीच संबंध अवश्य है जिसकी वजह से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता हूं कि श्री नवीन पटनायक जैसा व्यक्ति जो मेरे साथ विद्यालय में साथ पढ़े हैं, जिन्होंने मेरी तरह ही प्रार्थना, गीत गाया है, सांप्रदायिक हो सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने बिस्तर पर सांप पालेंगे तो संभवतः यह आपको काट लेगा। यह सांप्रदायिकता अपने आप पैदा नहीं हुई है। यह स्वयंभू नहीं है। यह ऐसे लोगों पर राजनैतिक निर्भरता का परिणाम है जो हमारे देश के ढांचों को ध्वस्त करने के प्रति दृढ़ संकल्प हैं...*(व्यवधान)*

मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हम इसे सांप्रदायिक विषाणु क्यों कहते हैं। ऐसा इसलिए है कि श्री खारबेल स्वाईं के दल के नेता, जो आज दुर्भाग्यवश सभा में उपस्थित नहीं हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और मेरा आशय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी से है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे राष्ट्रीयता और भारतीयता तथा हिन्दुत्व में कोई अंतर नहीं मानते हैं।

कुछ माननीय सदस्य: ठीक है।

श्री मणि शंकर अय्यर: मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। इसी प्रकार इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि भारत में किसी ईसाई द्वारा भारतीय ईसाई ही कहना पर्याप्त नहीं है।

उसे स्वयं को हिन्दू ईसाई कहना चाहिए। मैंने यह भी कहा है कि भारत के किसी मुसलमान द्वारा स्वयं को भारतीय मुसलमान ही कहना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा था कि वह अपने आपको हिन्दू मुसलमान घोषित करे। इसलिए मैंने श्री आडवाणी से एक प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला है, कि यदि कोई भारतीय मुसलमान हिन्दू मुसलमान है और भारतीय ईसाई हिन्दू ईसाई है तो

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप कृपया यह बताएं कि आप हिन्दू हैं अथवा हिन्दू हिन्दू हैं। यह एक ऐसे राष्ट्र के बीच अंतर करने की अक्षमता है जो धर्म पर आधारित है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: श्री हन्नान मोल्लाह, क्या आपने श्री आडवाणी को यह कहते हुए सुना है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कृपया बैठ जाइए।

श्री मणि शंकर अय्यर की बात को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: यह अक्षमता ऐसी है जिसकी वजह भारत के एक धर्म को भारत राष्ट्र के साथ जोड़ा जाता है, भारत के अन्य धर्मों को भारत की बहुल जनसंख्या के अधीनस्थ समझा जाता है। यह उड़ीसा में होने वाले अत्याचार जैसी घटनाओं का मूल कारण है। हम जब तक इस मानसिकता को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम अपने समक्ष स्थिति के अनुकूल साबित नहीं हो सकते हैं।

मेरा मानना है कि श्री बीजू पटनायक स्वयं एक अत्यंत धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। उनके परिवार के सदस्य भी धर्मनिरपेक्ष हैं। मेरा यह भी मानना है कि बीजू जनता दल की नीतियां और सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हैं। लेकिन उड़ीसा से स्थापित सरकार की प्रकृति के कारण ये जघन्य घटनाएं हुई हैं।

मेरा उनसे अनुरोध है कि यदि राजनैतिक कारणों से आपको उनका समर्थन प्राप्त करना है तो आप उनका समर्थन प्राप्त करें लेकिन अपने प्रशासन में सांप्रदायिकता की इस मानसिकता को हावी नहीं होने दें। यही कारण है कि यह उड़ीसा के अमन-चैन से जुड़ी घटना है, जिसका आपने उल्लेख किया है, यह उड़ीसा के सभी दलों का गुण रहा है, उड़ीसा राज्य में शांति थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद यह शांति भंग हुई है। वास्तव में वहां ...*(व्यवधान)* इसीलिए जब आप बार-बार व्यवधान डाल रहे थे, और आप यह भी बता रहे थे, कि वहां ईसाइयों और हिन्दुओं की कितनी संख्या है तो मैं बहुत परेशान था। मैं नहीं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मणि शंकर अय्यर, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए?

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं समझता हूं कि, मैं श्री महताब से अनुरोध करूं कि जब उन्हें लगे कि जब कोई भारत, उड़ीसा के लोगों और कंधमाल के लोगों को, उनकी संख्या के आधार पर विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वे उस समय हस्तक्षेप करें। ये तथ्य हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस प्रकार का प्रयास करना और निर्णय करना, मेरी उम्मीद के अनुकूल है। लेकिन बीजू जनता दल (बी.जे.डी.) द्वारा भी इसी प्रकार का निर्णय लेने से मुझे ठेस पहुंचती है क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि उड़ीसा में एक छोटा सा दल, भारतीय जनता दल भी सरकार की मनःस्थिति पर हावी होने का प्रयास कर रही है। यह आपको अपनी मनःस्थिति से दूर कर रही है। यदि आप सत्ता में रहना चाहते हैं तो आप उनके साथ रहिए? किंतु मैं आपको यह चेतावनी दे रहा हूं कि यदि आप प्रवीण तोगड़िया को तो घूमने की अनुमति देते हो और श्री गुरुदास दासगुप्त को उस जिले में जाने से रोकते हो, तो इसका परिणाम ऐसा होगा जो आप यहां देख चुके हैं। श्री महताब ने ऐसा होने के वक्त भी इस बात का संकेत दिया था और इसके बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि जिन लोगों का धर्म-परिवर्तन के सवाल से कोई लेना-देना नहीं है किंतु जो माओवादियों और आतंकवादियों की बात करते हैं, वे वही लोग हैं जो कि स्वामी जी की हत्या के लिये जिम्मेदार हैं। यदि कोई माओवादी आकर स्वामी जी की हत्या कर देता है तो इसका बदला सैकड़ों-हजारों ईसाई लोगों से क्यों लिया जाता है और उसका उस झगड़े से क्या लेना देना है जोकि भूमि अथवा आर्थिक असमानता अथवा विपणन को लेकर हो सकता है?

ये वास्तविक मुद्दे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं जी, आप पहले ही बोल चुके हो। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: श्री मणि शंकर अय्यर जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, ये वास्तविक मुद्दे हैं तथा मुझे आशा थी कि आज हम इसके संबंध में रचनात्मक उत्तर सुनेंगे। इसके बजाय, हमें बताया गया है, हमें उड़ीसा के बुनियादी भूगोल में एक व्याख्यान दिया जाता है कि कन्धामल में ऐसे गांव हैं, जो जंगलों में फैले हुए हैं और उड़ीसा के कई भाग माओवादी प्रभावित हैं तथा उनके पास तत्काल उन्हें कन्धामल जिले में वापस धकेलने के लिये सेना की टुकड़ियां नहीं हैं और उत्तर प्रदेश के उलट जहां उन्हें साम्प्रदायिक दंगों से निपटने का दशकों का अनुभव है, परन्तु उड़ीसा में शांति व्याप्त होने के कारण, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि उनसे कैसे निपटा जाये। यदि तर्क-वितर्क केवल उसी मुद्दे तक सीमित रहा होता तो हो सकता है कि मैं यह सोचता कि हमें इस बारे में विचार करना चाहिये। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि उड़ीसा सरकार दक्षिण उड़ीसा के घने जंगलों में इन माओवादियों से काफी लंबे समय से निपट रही है, इसलिये उनको यह अनुभव होगा कि जहां विद्रोह की ज्वाला जल रही है, ऐसे क्षेत्र में तेजी से किस तरह से कदम उठाये जायें। किंतु वे कहते हैं कि उन्हें माओवादियों से निपटने का अनुभव है, किंतु उनके पास साम्प्रदायिक समस्या से निपटने का अनुभव नहीं है। यह असफलता को स्वीकार करने वाली बात है।

अतः, यदि उस क्षेत्र में काफी तेज गति से प्रशासनिक तैनाती की जाती, और यदि ऐसा कहने का दृढ़ निश्चिय कर लिया गया होता कि तोगड़िया जैसे लोगों को बाहर कर दिया जाये और गुरुदास दासगुप्त जैसे लोगों को आने दिया जाये, तो इस देश की समस्त धर्मनिरपेक्ष ताकतें इस साम्प्रदायिक समस्या से निपटने में आपके साथ होती और आपको यह कदाचित न कहतीं कि आप सरकार को छोड़ दें।

किंतु यह इस बात को स्वीकार करने में विफल है कि आपको अपने हित में इन लोगों के साम्प्रदायवादी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकजुट करने की आवश्यकता है। यही असफलता की जड़ है जो हमने कन्धामल में देखी है। मुझे विश्वास है कि कन्धामल की समस्या से निपटा जा सकता था। हम यह नहीं कहते कि कोई घटना बिल्कुल भी नहीं होती। किंतु जैसे ही हमने देखा तो ऐसा लगा कि जैसे वहां कोई ज्वाला भड़क गयी है, तो यदि उड़ीसा सरकार वास्तविक इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय और बीजू पटनायक की धर्मनिरपेक्ष के प्रति प्रतिबद्धता के साथ चलती, तो और बातों को तो छोड़िये, मेरे विचार में, इस प्रकार की घटना न हुई होती। जो घटना वहां घटित हुई है, वह एक त्रासदी है।

अब, मेरे विचार में, हमें सही शिक्षा लेने की जरूरत है। सही शिक्षा संवैधानिक प्रावधान की इस पुनः पुष्टि में है कि हर व्यक्ति को न केवल अपने धर्मान्तरण का अधिकार है बल्कि उसे यह अधिकार भी है कि वह दूसरे लोगों का भी धर्मान्तरण करने का प्रयास कर सके। और यह चीज भारी संख्या में निर्दोष लोगों पर बिना वारंट के प्रहार करने का कारण नहीं बन सकती। अगर केन्द्र से सहायता लेने की आवश्यकता है, तो यह विश्वास के साथ मांगी जानी चाहिये और इसे प्राप्त किया जाना चाहिये। गृह राज्य मंत्री जी भुवनेश्वर में बैठे हुये थे, किंतु जब उन्होंने पूछा, तो उनके रास्ते में बाधा डालने की बजाय उन्हें कंधामल में लाने का हर प्रयास किया जाना चाहिये था। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री जी को जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी उस स्थल पर जाने का प्रयास करना चाहिये था। उन्हें अग्नि को बुझाने का हर प्रयास करना चाहिये था। किंतु उसकी बजाय, और इस संबंध में इनमें से कोई भी कार्रवाई अपेक्षित तत्परता से करने की बजाय, हमने यह तमाशा देखा कि प्रवीण तोगड़िया अपने त्रिशूल को लेकर घूम रहे हैं और बेचारे गुरुदास दासगुप्त जी को वहां जाने से रोका जा रहा था। क्या यह मानवीय समस्या से निपटने का सही दृष्टिकोण है, जो कि आपसे यह आह्वान करता है कि ऐसे समय में संविधान की रक्षा करें जब इसका उल्लंघन किया जा रहा हो? यदि मुद्दा है।

हमें उड़ीसा के पुराने और बहुमूल्य इतिहास के बारे में और भारत की संस्कृति और सभ्यता के निर्माण में उड़ीसा के व्यापक योगदान पर भी उतना ही गर्व है जितना श्री महताब और उड़ीसा के उनके सभी साथियों को है। श्री मधुसूदन, जिनका मुझसे पहले बोलने वाले उड़ीसा के हमारे मित्र ने हवाला दिया था, जिन्होंने उड़ीसा के लोगों के लिये न्याय सुनिश्चित करने हेतु अपने धर्म को एक तरफ रख दिया, जैसे लोगों के बारे में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि आप इन साठ वर्षों में देश के कतिपय...अन्य भागों की तुलना में उड़ीसा में शांति अक्षुण्ण रख पाये हैं, तो उस

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

समय क्या हुआ कि जब बीजू पटनायक के सुपुत्र के सामने पहली चुनौती आई तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं? ऐसा कहने में कोई बात नहीं है कि मैं हर तरह से धर्मनिरपेक्ष हूं जब तक कि धर्मनिरपेक्षता को कोई चुनौती न हो, उन्हें जवाहर लाल नेहरू के शब्द याद हैं और वह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति पर उंगली उठाता है, तो मैं आखिरी दम तक उससे लड़ूंगा, चाहे सरकार के भीतर रहकर लड़ना पड़े अथवा बाहर से लड़ना पड़े। यह नेहरू के सिद्धान्तों का अनुपालन करने संबंधी वही कसौटी है जिस पर आप असफल हो गये और इसे उचित प्रकार से कार्यान्वित करने में असफल रहने पर आप जवाहर लाल नेहरू की दूसरी कसौटी पर भी असफल हो रहे हो जिसे आपने अक्तूबर, 1958 में पढ़ा था। जब तक हम श्री खारबेल स्वाईं जैसे लोगों के नजरिये को पूर्णतः नहीं बदल देते, तब तक हम उड़ीसा के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को अक्षुण्ण रखने की उम्मीद नहीं कर सकते।

***डा. प्रसन्न कुमार पटसाणी** (भुवनेश्वर): महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण चर्चा के संबंध में अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं, उड़ीसा राज्य में कुछ अप्रिय घटनायें घटी हैं। किंतु हमने स्थिति को शांत करने हेतु प्रत्येक कदम उठाया है। माननीय सभापति महोदय, इन पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा एक पैकेज की घोषणा की गई है। इस पैकेज में मृतकों के निकटतम संबंधी को 2 लाख रुपये का नकद मुआवजा, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिये 50,000 रुपये की गृह निर्माण सहायता घरेलू सामान और कारोबार पुनः आरंभ करने के लिए सहायता शामिल हैं। दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों, छात्रावासों, औषधालयों और अस्पतालों आदि जैसी संस्थानों के लिए भी 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है।

पीड़ित लोगों की अपने-अपने गांवों को लौटने में मदद करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गांव स्तर पर इन लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों की शुरुआत की गई है।

एक तपस्विनी (नन) के साथ बलात्कार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आई.जी. रैंक के एक अधिकारी (श्रीमती राधिका, आई.पी.एस.) के नेतृत्व में महिला पुलिस की एक टीम तपस्विनी को अपने गृह राज्य पहुंचाने के लिए सुरक्षा की पेशकश हेतु, नई दिल्ली आई और इस टीम ने तपस्विनी से अभियुक्तों की पहचान करने में सहयोग करने का अनुरोध किया। हालांकि तपस्विनी ने उस टीम को सहयोग करने से मना कर दिया। संबंधित थाना, जिसके क्षेत्र में यह घटना घटी, के प्रभारी-निरीक्षक को इस मामले की जांच में अनुचित विलम्ब करने कारण निलंबित कर दिया गया है। अपराध शाखा का आई.जी. व्यक्तिगत रूप से इस मामले का पर्यवेक्षण कर रहा है।

कंधमाल जिला में घटी इन घटनाओं के पीछे विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त शंका और क्रोध का एक लंबा इतिहास है। ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है कि आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों द्वारा हड़प ली जाती है। जाति के नकली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। जिला में हाल के महीनों में नक्सलियों की गतिविधियों ने इस जटिल स्थिति को और भी अधिक पेचीदा बना दिया है।

इस जिले की कुछ बुनियादी समस्याओं का निराकरण करने के लिए राज्य सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है। जाति प्रमाणपत्र से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए दस पुलिस निरीक्षकों की एक टीम उस जिले में भेजी गई है। उस जिले में आठ नई तहसीलें शीघ्र खोली जाएंगी ताकि लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का हल किया जा सके। अनेक गांवों में श्रम सघन निर्माण कार्य शुरू किए गये हैं। प्रत्येक ब्लॉक में, जहां होस्टल की सुविधा नहीं है, लड़कियों के लिये 250 सीटों वाला होस्टल बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उपर्युक्त सभी उपायों पर निगरानी रखने के लिए जिले के लिए विशेष प्रशासक की नियुक्ति की गई है।

राज्य में साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए इस सरकार का आठ वर्ष से भी अधिक समय का लम्बा ट्रैक रिकार्ड रहा है और इस अवधि के दौरान कंधामल जिले में हुई दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर राज्य में कहीं भी साम्प्रदायिक हिंसा नहीं हुई। सरकार ने कंधामल जिले के हरेक वर्ग के लोगों से अपील की है कि वे विगत समय के अपने पुराने मतभेद भुलाकर समझबूझ और शांति से सामान्य जीवन व्यतीत करें।

***श्री सुग्रीव सिंह** (फूलबनी): मैं उड़ीसा, जहां से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, सहित देश के विभिन्न भागों में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सुग्रीव सिंह]

व्याप्त साम्प्रदायिक तनाव पर होने वाली चर्चा में भाग लेने के लिये यहां उपस्थित हुआ हूं। स्थिति अब सामान्य हो रही है। मैं इस सभा से आग्रह करूंगा कि ऐसी बातें न कही जाए जिससे वहां की स्थिति और खराब हो जाए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे शांति और सद्भाव में खलल पड़े।

हाल के कई सप्ताह में कंधमाल जिले की कानून और व्यवस्था की स्थिति 23-08-2008 की रात्रि को स्वामी लक्ष्मनानंद सरस्वती की हत्या के कारण बिगड़ गई थी। जैसे ही यह घटना घटी, मुख्य मंत्री महोदय ने केन्द्रीय गृह मंत्री से बात की और अतिरिक्त सी.आर.पी.एफ. कार्मिक तथा बलों के संचलन के लिए हेलीकॉप्टर भेजने का उनसे अनुरोध किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और आर.डी.सी. (दक्षिणी प्रभाग) तुरंत उस जिले में गये। उपलब्ध बलों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया। लेकिन लगभग 100 स्थानों पर सड़कों पर भारी संख्या में पेड़ गिर जाने के कारण सैन्य बलों की आवाजाही बुरी तरह से बाधित हुई। केन्द्रीय बल 27-08-2008 के बाद वहां पहुंचे। 23-08-2008 से 27-08-2008 की अवधि के बीच दंगे अपनी चरम सीमा पर थे। 27-08-2008 के बाद हिंसक घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है। सभी प्रमुख शहरों में हिंसक घटनाएं बंद हो चुकी हैं। मोटर साइकिल से पुलिस पैट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सभी महत्वपूर्ण सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दी गई हैं। राज्य सरकार आदि की सशस्त्र पुलिस के साथ-साथ वहां केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की 53 कंपनियां तैनात हैं। तथापि हमें यह याद रखना चाहिए कि कंधमाल जिले में पहाड़ी और वन क्षेत्रों में फैले छिटपुट आबादी वाले 2400 गांव हैं। जिले के विभिन्न भागों में विभिन्न समूहों के बीच अनेक कारणों से वर्षों पुराने टकराव की वजह से हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

व्यावहारिक रूप से 1 अक्तूबर 2008 से कंधमाल जिले में हिंसा की कोई घटना नहीं घटी है।

अपराध शाखा कंधमाल जिले से संबंधित इन सभी मामलों की जांच कर रही है। पूरे राज्य में अब तक 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें से 600 लोगों की गिरफ्तारी केवल कंधमाल जिले से हुई है। स्वामी जी की हत्या के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इन घटनाओं की न्यायिक जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। यह आयोग शीघ्र ही जिले का दौरा करेगा।

जब चारों ओर दंगे मचे हुए थे, उस समय सरकार ने कंधमाल जिले के विभिन्न राहत कैम्पों में 23,000 लोगों को आश्रय दिया था। यह संख्या ज़िले में ईसाई आबादी के 20 प्रतिशत के बराबर है। अब शिविरों में रहने वाले लोगों की संख्या घटकर लगभग 13,000 हो गई है।

राहत कैम्पों में रहने वाले पीड़ित लोगों को भोजन, कपड़ा, चिकित्सा सहायता तथा बच्चों के लिए पुस्तकें आदि निःशुल्क दिए गये हैं केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की सहायता से इन शिविरों को पर्याप्त सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। शारीरिक हमला अथवा पुनर्धर्मपरिवर्तन आदि की किसी धमकी अथवा भय संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए विभिन्न शिविरों में रजिस्टर रखे गये हैं।

सभापति महोदय: अब, श्री असादुद्दीन ओवेसी बोलें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

महताब जी, आप ऑलरेडी बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: क्या यह वाद-विवाद नहीं है?

सभापति महोदय: कोई टोका-टोकी नहीं।

श्री खारबेल स्वाईं: संभवतः, उन्हें लगता है कि यदि झूठ को लगातार कई बार बोला जाए तो वह सत्य बन जाता है।...*(व्यवधान)* एक कहावत है; कई बार बोला गया झूठ सत्य बन जाता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने अगला नाम पुकारा है। श्री स्वाईं कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं श्री असादुद्दीन ओवेसी को अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री असादुद्दीन ओवेसी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

सभापति महोदय: श्री असादुद्दीन ओवेसी, आपको अपना भाषण शुरू करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री ओवेसी, आपके भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

सभापति महोदय: टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

ओवेसी जी, आप अपना भाषण शुरू करिए।

[अनुवाद]

सभापति की अनुमति के बिना, वह कैसे बोल सकते हैं?

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): महोदय, मैं भारी मन से इस महान सभा का ध्यान विशेषकर उन घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो हमारे देश में पिछले डेढ़ वर्षों में घटी हैं, जहां जब कभी भी बम विस्फोट होते हैं चाहे वह हैदराबाद, गुजरात, बैंगलोर, जयपुर, दिल्ली, कश्मीर, उड़ीसा या कहीं और हों, उसके लिए विशेषकर मुस्लिम समुदाय को दोषी साबित करने की अत्यंत खतरनाक बात हो रही है।...*(व्यवधान)* आपके अपने अच्छे राज्य, उड़ीसा में आपके वहां पर होने के बावजूद लोगों का कत्लेआम किया गया है।

मैं आपके माध्यम से इस महान सभा के समक्ष जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि हालांकि हम सभी इन आतंकवादी विस्फोटों और उन लोगों की निंदा करते हैं जिन्होंने ऐसे घृणित अपराध को अंजाम दिया है, परंतु जिस प्रकार से इसके लिए विशेषकर मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वह अत्यंत खतरनाक बात है जो हो रही है। इसका कारण संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को गलत करार देने वाली ताकतें, राजनीतिक अजेंडा है जिसके बारे में माननीय मंत्री श्री मणि शंकर अय्यर जी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उल्लेख किया गया है। किसी विशेष समुदाय को दोषी ठहराना चाहे वह ईसाई हो या मुस्लिम, ध्रुवीकरण की ओर ले जाता है। फिर ध्रुवीकरण से चुनावों में राजनीतिक विजय होती है। अब, सरकार क्या कर रही है? यह उसका उत्तरदायित्व है। मेरी शिकायत गैरों से नहीं है, अपनों से है।

मैं बी.जे.पी. के माननीय संसद सदस्य को बहुत उत्सुकता से सुन रहा था। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात की। परन्तु मैं इसे समझ पाने में असमर्थ रहा। हमने उन्हें हमेशा ग्रंथालय में कार्य करते हुए, पढ़ते हुए और अपना ज्ञानवर्द्धन करते देखा है। परन्तु, महोदय, किसी तथ्य के लिए आप अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 और हिन्दू संहिता, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956, और हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 देखिए। यहां तक कि जनगणना 2001 में अनुसूचित जनजातियों की जनगणना के लिए अलग से सूची है।

इन सभी चारों अधिनियमों, जिनका मैंने उल्लेख किया है के परन्तुक में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ये अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होते हैं। अब, यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, आप उसे 'घर वापसी' कार्यक्रम कैसे कह सकते हैं? अनुसूचित जनजातियां हिन्दू नहीं हैं। यही कानून कहता है।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: नहीं, यह सही नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री असादुद्दीन ओवेसी: यही कानून कहता है। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैंने उन्होंने जो कहा है उसे सुना है।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यह क्या है?...*(व्यवधान)* वह सभा में धर्म परिवर्तन का समर्थन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री असादुद्दीन ओवेसी: कानून यही कहता है। आप हिन्दुओं की रक्षा करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं।...*(व्यवधान)*, कृपया समझिए। इसलिए, यदि अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति...

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यह क्या है?...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। श्री ओवेसी को बोलने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री खारबेल स्वाईं: क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इस देश के निर्वाचित लोग गलत हैं?...(*व्यवधान*)

श्री असादूद्दीन ओवेसी: मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं उस बात को नहीं सुनूंगा जो आप कहना चाह रहे हैं। कृपया समझिए।...(*व्यवधान*)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।...(*व्यवधान*)

श्री असादूद्दीन ओवेसी: इसलिए जब कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है, आप...रोक नहीं सकते हैं।...(*व्यवधान*)

श्री खारबेल स्वाईं: आप ऐसा करने में पिछले सैकड़ों और हजारों वर्षों में भी सक्षम नहीं हो पाए।...(*व्यवधान*)

श्री असादूद्दीन ओवेसी: हम ऐसा बलपूर्वक नहीं करेंगे। चिंता मत करिए।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर कोई अवांछित बात होगी, तो उसे देख लिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, श्री ओवेसी जो कह रहे हैं उसमें गलत क्या है?...(*व्यवधान*) यहां हो क्या रहा है? वे इन्हें क्यों रोक रहे हैं?...(*व्यवधान*)

श्री असादूद्दीन ओवेसी: महोदय, वे जो कह रहे हैं वह सही नहीं है। मैं उनकी बात का उत्तर नहीं दूंगा। ...(*व्यवधान*)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, वह धर्म-परिवर्तन को सही ठहरा रहे हैं।...(*व्यवधान*)

श्री असादूद्दीन ओवेसी: इसलिए, यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई या इस्लाम धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकता है।...(*व्यवधान*) इसलिए मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय से मांग आती है कि अनुच्छेद 341 को आप संशोधित कीजिए।...(*व्यवधान*) जी हां, संविधान धर्म-परिवर्तन की अनुमति देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। धर्म का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।...(*व्यवधान*) कोई भी व्यक्ति जैसे श्री प्रवीण तोगड़िया या संघ परिवार मुझे मेरे धर्म का प्रचार करने से रोक नहीं सकता है। मुझे पूरा अधिकार है। कल यदि उसे लगता है कि इस्लाम सही है, तो क्या मैं उसे इस्लाम अपनाने से रोक सकता हूं? मैं नहीं रोक सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वह समझते हैं और इसे पढ़ते हैं। ये अलग बात है। परन्तु धर्म का प्रचार एक मौलिक अधिकार है।...(*व्यवधान*) दुर्भाग्यवश आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं।

अब, मैं उस विषय पर वापस आता हूं जिसकी मैंने शुरुआत की थी। उदाहरणस्वरूप बम विस्फोटों के मामले को लीजिए। जब कभी बम विस्फोट होता है? तब क्या होता है? माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं? मेरे राज्य में, मई, 2007 में मक्का मस्जिद में विस्फोट हुआ था; अगस्त, 2007 में हैदराबाद में दो विस्फोट हुए थे जिसके बाद 110 मुस्लिम युवकों को उठाया गया था, 19 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और छह महीने वे जेल में रहे। उनमें से एक को पुलिस के विशेष क्षेत्र में रखा गया। उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। उनके गुप्तांगों में बिजली के झटके दिए गए। उसके बाद, हम क्या जानते हैं? छह युवक जिन्हें मुंबई में गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने हैदराबाद में लुंबिनी पार्क और गोकुल चाट में विस्फोटों में संलिप्तता स्वीकार की है। उन 19 मुस्लिम लड़कों के जीवन को कौन लौटाएगा जिनके मान-सम्मान को तहस-नहस कर दिया गया है, जिनकी नौकरियां ले ली गई है, जिन्हें वहां समुदाय से निकाल दिया गया है और उनके पड़ोसी उन्हें आतंकवादी के रूप में संबोधित कर रहे हैं? ...(*व्यवधान*) कृपया, राजा साहिब, यह संसद है। यह आपके सामंती राज्य का आवास नहीं है...(*व्यवधान*) मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं...(*व्यवधान*) उन 19 मुसलमान लड़कों की जिंदगी कौन वापिस करेगा। उनका क्या होगा?

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): जो लोग मारे गए, उनके बारे में भी बोलिए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी: उनकी जिंदगी कौन वापिस

करेगा? उनका क्या होगा? यहां यह बात समझनी पड़ेगी। मैं इस अवधारणा से सहमत नहीं हूं कि तथाकथित 'फसाद' या मुसलमानों अथवा ईसाईयों का उत्पीड़न केवल तभी होगा जब धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं रहेगी। यह उन सभी ताकतों का सुनियोजित कार्यक्रम है जो भारत को विभाजित करने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। मैं यहां उपस्थित अपने मित्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि सत्ता स्थायी नहीं होती है। आज यू.पी.ए. की सरकार है, कल आप सत्ता में हो सकते हैं हालांकि मैं यह नहीं चाहता हूं। लेकिन यह स्थायी नहीं है। लेकिन यदि हम घृणा, विभाजन की राजनीति करेंगे, जिसमें पूरे मुसलमान अथवा ईसाई समुदाय को नाराज करेंगे, तो भारत में क्या बचेगा। आतंकवाद के बीज आप बो रहे हैं, हम नहीं बो रहे हैं बल्कि आपके घृणित प्रचार के कारण ऐसा हो रहा है।

माननीय गृह मंत्री महोदय, यह कैसे संभव होता है कि हैदराबाद में बम विस्फोट होने के दस-पंद्रह मिनट पश्चात ही आपकी एजेंसी कुछ जानकारी देने लगती है? आपकी एजेंसियों के पसंदीदा लोग सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों, टी.वी. चैनलों में हैं जिसमें कहा जाता है कि इसके लिए 'मुसलमान जिम्मेवार हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र आतंकवादियों की शरणस्थली बन गये हैं?' आप इसे क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं। यह यू.पी.ए. की सरकार है। यह डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार है। यह सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली साकार नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री असादुद्दीन ओवेसी: मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

सभापति महोदय: कन्क्लूड कीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: इसीलिए हम बता रहे हैं कि बाटला हाउस का जो एनकाउंटर हुआ, मैं बराबर उसकी मज़म्मत करता हूं। शर्मा साहब को जो मारा गया, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। जिन लोगों ने शर्मा साहब को मारा, हिन्दुस्तान के मुसलमान यह कहेंगे कि उनको सूली पर चढ़ाओ, वरना अगर कानून इजाजत देगा तो चौरास्ते पर रखकर गोली मारो। मगर सवाल यह पैदा होता है कि मैं अगर यह मुतालबा करता हूं कि बाटला हाउस के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, तो आपको कौन हक देता है कि मेरी वफादारी पर शक करें। क्या आप कानून को फालो नहीं करेंगे? आप जो कहेंगे, वह सच, हम जो कहेंगे, वह झूठा। लक्ष्मणानंद स्वामी को मारने वाले माओइस्ट थे, आप कह रहे हैं क्रिश्चियन, मुसलमान मारे तो इंडियन मुजाहिदीन, यानी क्रिश्चियन माओइस्ट हो गए, मुसलमान इंडियन मुजाहिदीन हो गए, आई.एस.आई. हो गए, यह कब तक चलेगा? इसीलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले आपको यह काम करना है कि आप अपनी एजेंसीज में, चाहे वह सेंट्रल आई.बी. हो, उसमें बड़े-बड़े ओहदों पर सेक्युलर जेहन रखने वाले आफीसर को लाइए। आपका नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर यह कहता है कि बजरंग दल पर हम पाबंदी इसलिए आयद नहीं कर सकते क्योंकि बजरंग दल आर्गेनाइजेशन नहीं है। क्या यह मनमोहन सिंह जी की सोच है, क्या यह यू.पी.ए. की सोच है, मैं यह जानना चाहता हूं? होम मिनिस्टर साहब आप हमें जवाब दीजिए। हिन्दुस्तान का मुसलमान यह जानना चाहता है कि क्यों आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यह कहता है कि बजरंग दल पर पाबंदी आयद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सन् 2002 के इंतेखाबाद के बाद मुसलमानों के सपोर्ट से इक्तेदार आपको मिला, आपका इडवाइजर यह कहता है कि बजरंग दल पर पाबंदी आयद नहीं करनी चाहिए। छः मुसलमानों को हिंदू वाहिनी के लोगों ने आदिलाबाद में जिंदा जलाकर मार दिया, मैंने जाकर लाशें उठायीं। आपकी हुकूमत तेलंगाना बनाने के लिए सोच रही है। अभी तेलंगाना नहीं बना तो हमारे जवानों को जिंदा जलाकर मारा जा रहा है। क्या आप तेलंगाना बनाकर हमको उन लोगों के हाथों में लड़ते हुए छोड़ देंगे? याद रखिए, अगर तेलंगाना आप बनाएंगे, तो यकीनन दोनों तरफ इजाफा होगा। सियासी तौर पर...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कंक्ल्यूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: विषय पर आइए, विषय से बाहर मत जाइए। आप विषय से बाहर हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री असादुद्दीन ओवेसी: अगर तेलंगाना आप बनाएंगे, ...*(व्यवधान)* बीस किलोमीटर दूर है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: तेलंगाना अलग मामला है।

...*(व्यवधान)*

श्री असादुद्दीन ओवेसी: आप बैठ जाइए।...*(व्यवधान)* जहां

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

मुसलमानों पर हमला हुआ...(*व्यवधान*) यहां बैठकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं।...(*व्यवधान*) चुनाव से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।...(*व्यवधान*) हम यह अहम बात बोलना चाह रहे हैं। अगर तेलंगाना बना तो इनकी सीट पर असर होगा, इनको अपनी टिकट की पड़ी है और मुझे अपनी जान की पड़ी है, मुझे अपने मुस्तकबिल की पड़ी है।

आखिरी बात, गुजरात के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। साढ़े छः साल से गोधरा के जिन लोगों पर इल्जाम लगाया गया, जो लोग भी जिम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोटा नहीं लगा सकते। होम मिनिस्टर साहब आपकी हुकूमत क्या कर रही है? नानावती कमीशन के जो कन्क्लूजन्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी धज्जियां उड़ा दीं कि नहीं, उन पर पोटा नहीं लगाया जा सकता, तो आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? आप मुझे बताइए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप उन लोगों पर पोटा नहीं लगने देंगे? आखिर में हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि यू.पी.ए. की हुकूमत का यह तरीका नहीं चलने वाला है। आप उसूल की बुनियाद पर हमसे इंसाफ करिए, वरना हिंदुस्तान का जो नौजवान मुसलमान है, यकीनन मायूस हो रहा है। सिस्टम से उसका ऐतमाद हट रहा है। इसके बावजूद भी ऐसी जगहों से, इस ऐवान से, हिंदुस्तान के तमाम जस्टिसों से उनको इंसाफ की उम्मीद है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, तो यकीनन इन तमाम चीजों में इजाफा होगा। अगर ये ऐवान, ये गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर इंसाफ नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? हमें कौन देगा इंसाफ? इंसाफ करिए, जो जानमाल पर हमला है, उसे रोकिए। आपके इंसाफ करने से, दिलों और दिमागों को साफ करने से ही इंसाफ किया जा सकता है।

[अनुवाद]

***श्री ब्रह्मानन्द पंडा** (जगतसिंहपुर): महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा की जा रही चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। अपराध शाखा कंधमाल जिले से संबंधित सभी मामलों की जांच कर रही है। अब तक पूरे राज्य में लगभग 1000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें से 600 व्यक्ति केवल कंधमाल जिले के हैं। स्वामी जी की हत्या के संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्थिति पर नियंत्रण पाने हेतु सभी संभव प्रयास किए हैं। केंद्र ने वहां 27 अगस्त, 2008 तक सी.आर.पी.एफ. कार्मिक और हेलीकाप्टर नहीं भेजे थे।

राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इन घटनाओं की न्यायिक जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। आयोग शीघ्र ही जिले का दौरा करेगा।

दंगे की चरम स्थिति में सरकार ने कंधमाल जिले के विभिन्न राहत शिविरों में 23000 लोगों को शरण दी थी। यह इस जिले की ईसाई आबादी का लगभग 20 प्रतिशत है। अब इन शिविरों में लोगों की संख्या घटकर लगभग, 13,000 रह गयी है।

इन राहत शिविरों में रहने वाले पीड़ितों को निःशुल्क भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधा और बच्चों के लिए पुस्तकें इत्यादि प्रदान की गई हैं। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की सहायता से इन शिविरों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न शिविरों में धमकी अथवा शारीरिक हमले अथवा पुनः धर्मांतरण इत्यादि से संबंधित किसी शिकायत को दर्ज करने हेतु रजिस्टर भी रखे गए हैं।

उड़ीसा सरकार ने आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है ताकि पीड़ितों को लाभ मिल सके।

हमारी राज्य सरकार की लोकप्रिय छवि को बिगाड़ने हेतु ही इस प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी की गई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

अब, जैसाकि आपको ज्ञात है, कंधमाल क्षेत्र में और सौहार्द बहाल है। दिन का कर्फ्यू हटा लिया गया है। रात्रि का कर्फ्यू भी हटा लिया गया है और लोग अपने घरों को वापिस लौट चुके हैं और वे प्रसन्न और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की चर्चा की शुरुआत करना अति आवश्यक है।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि आधुनिक उड़ीसा के संस्थापक श्री मधुसूदन दास ईसाई थे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ मंदिर के लिए संघर्ष किया।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हिंदुस्तान में चाहे उड़ीसा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे असम हो, सब जगह माइनेरिटी लोगों के ऊपर जो इतने जुल्म हो रहे हैं, उसकी मैं निंदा करता हूं। माइनेरिटी बोलने का अर्थ सिर्फ ऐसे धर्मियों की, जिनकी संख्या कम है, सिर्फ उन लोगों को माइनेरिटी नहीं कहा जा सकता है। हमारे असम में जितने बोडो ट्राइबल लोग हैं, वे भी भाषा के तौर पर और कल्चर के तौर पर माइनेरिटीज हैं। मैं आप सभी लोगों को एक बहुत तकलीफ की बात बताना चाहता हूं। जिस घटनाक्रम को मैंने विगत दिनांक 20 अक्तूबर को इस सदन में उठाने की कोशिश की थी।

अक्तूबर महीने की 3 और 4 तारीख को असम के बोडोलैंड सुशासित अंसल के उदलगुरी नाम के एक जिले और उसके अगल-बगल के दोरांग जिले में हमारे इनडिजीनस बोडो ट्राइबल, गारो ट्राइबल, असम के बेगुनाह लोगों के ऊपर, नान-मुस्लिम लोगों के ऊपर आक्रमण किए गए। आज तक कम के कम पचास बोडो आदिवासी ट्राइबल लोगों के गांव जला दिये गये। कम से कम पचास बोडो आदमी, गारो आदमी, असमी आदमी, बंगाली बेगुनाह आदमियों को अपनी जान देनी पड़ी। यह सारी घटना पुलिस के सम्मुख हुई, सी.आर.पी.एफ. की आंखों के सामने हुई। दोरांग जिले के एक एस.पी., जो रिलीजियस माइनॉरिटी के हैं, उनकी गाड़ी रास्ता खराब होने की वजह से स्टकअप हो गयी थी। उन्होंने तीन गारो लोगों से कहा कि मेरी गाड़ी को थोड़ा धक्का लगा दीजिए। उन्होंने गाड़ी को धक्का लगा दिया। एस.पी. के सम्मुख ही तीन माइनॉरिटी के लोगों को लैथल वैपन से खत्म कर दिया गया, लेकिन उन्होंने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। झार गांव में 75 साल की एक बोडो बुढ़िया को घर में जिन्दा जला दिया गया। झकुआपरण नाम के गांव में एक परिवार के तीन बोडो लोगों को जीवित जला दिया गया। कम से कम एक लाख बोडो ट्राइबल लोगों, गारो लोगों को आज रिलीफ कैम्प में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। आज तक उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम नहीं हो पाए। असम में पुलिस प्रशासन टोटली फेल्योर हुआ है। बोडोलैंड के एम.एल.ए., मंत्री ने 30 सितम्बर को मुख्य मंत्री के पास जाकर एक दरखास्त दी कि अमुक-अमुक गांव में कई कत्ल हो गये हैं और वहां पुलिस पिकेट देने की जरूरत है। मुख्य मंत्री ने आर्डर भी दे दिया, लेकिन उनके उस आर्डर को डी.जी.पी. ऑफिस से सैबोटेज किया गया। उसके कारण तीन और चार तारीख, दो दिन में कम से कम दो हजार बोडो परिवारों के घर जला दिए गए। सरकार की तरफ से कुछ केन्द्रीय मंत्री और लीडर्स को वहां भेजा गया था, लेकिन वे कुछ रिलीफ कैम्प देखकर चले आए। जो गांव जल गए, उन्हें देखने कोई नहीं गया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वहां जो हिंसक कांड हुआ, उस बारे में सी.बी.आई. या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए शीघ्र इन्क्वारी करवाई जाए और दोषी लोगों को सजा दी जाए। हम 20 तारीख को प्रधान मंत्री जी से मिले थे और 21 तारीख की सुबह गृह मंत्री जी से मिलकर अपनी दरखास्त दी कि उदलगुरी में जो कांड हुआ, उसके ऊपर इंक्वायरी कराने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: 19 अक्तूबर की शाम को एक असमी औरत और एक बोडो औरत के साथ सी.आर.पी.एफ. की नाइन्थ बटालियन के जवानों ने रेप किया, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई।

[अनुवाद]

मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है। मैंने लिखित रूप से उन्हें एक शिकायत पत्र 28 अक्तूबर को भेजा है लेकिन अब तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है।

वर्तमान स्थिति में मूल बोडो जनजातीय लोग असम राज्य में अधिक समय तक साथ-साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि असम को पुनर्गठित करने और अलग से बोडो लैंड राज्य सृजित करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें। असम को पुनर्गठित करने की आवश्यकता समय की मांग है। यह असम राज्य में भारतीय बोडो लोगों की भावना को और राजनैतिक समस्या का एक मात्र स्थायी समाधान है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि वहां जो कांड हुआ, उसके ऊपर इंक्वायरी करने, देखभाल करने के बारे में कदम उठायें? हमारा कहना है कि उसे देखने के लिए आपको लोक सभा और राज्य सभा की तरफ से एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की जरूरत है। श्री सोनिया गांधी जी ने संभवत: 8 अक्तूबर को श्री ई. अहमद, एम.ओ.एस., एक्सटर्नल अफेयर्स को वहां पर भेजा, लेकिन वह सिर्फ दो रिलीफ कैम्प ही देखकर वापिस आ

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

गये और जिन गांवों को जलाया गया था, उसे वे देखकर नहीं आये। उसके बाद अक्तूबर की 11-12 तारीख को श्री मुकुटमिठी को सभापति बनाकर तीन सदस्यीय कमेटी वहां भेजी गयी, जिनमें श्री शकील अहमद, एम.ओ.एस., होम अफेयर्स और मिस्टर खान, एम.पी. सदस्य थे।

[अनुवाद]

उनका वहां कैसा अनुभव रहा है? वे प्रभावित गांवों में नहीं गए हैं। उन्होंने मात्र कतिपय राहत शिविरों का ही दौरा किया है। उन्होंने केवल एक अथवा दो राहत शिविरों का दौरा करके क्या देखा है? अतः मैं माननीय गृह मंत्री जी से उन प्रभावित लोगों का दौरा करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 5.57 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय: अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं भारत सरकार से उदलगुडी और दरांग जिलों में हुए घृणित अपराध और भयानक घटनाओं की उच्च-स्तरीय जांच सी.बी.आई. अथवा उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराये जाने की मांग करता हूं। साथ ही साथ मैं इस माननीय सभा से एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने और इस द्वारा उन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किये जाने का भी अनुरोध करता हूं ताकि राष्ट्र यह जान सके कि, वास्तव में वहां क्या घटित हो रहा है। मैं भारत सरकार से यह भी अपील करता हूं कि एक भारतीय बोडो महिला और एक असमिया महिला के साथ सामूहिक बलात्कार में लिप्त सभी दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाये।

सभापति महोदय: अब अपनी बात समाप्त करें, कई अन्य वक्ता भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं काफी लम्बे समय से लंबित एक अलग बोडो राज्य के सृजन की अपनी मांग को दुहराता हूं। एक पृथक बोडोलैण्ड राज्य के सृजन के बिना असम के बोडो लोगों की सुरक्षा, संरक्षा और संप्रभुता संभव नहीं हो सकती। अतः असम का पुनर्गठन समय की मांग है और यही हमारी समस्या का स्थायी समाधान है।

सभापति महोदय: अभी कोई अलग विषय चल रहा है और आप किसी आम विषय का उल्लेख कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम लोग इस अगस्त हाउस में चर्चा कर रहे हैं। परमपूज्य बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया। उस संविधान के मुताबिक किसी भी जाति, धर्म और भाषा का आदमी हो, हम सब लोगों ने एक दूसरे से प्रेम करने की प्रतीज्ञा ली थी। हमारे देश में छः धर्म के लोग रहते हैं, छः हजार से भी ज्यादा जातियों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं के लोग यहां रहते हैं, अगर आज देखा जाये, तो संविधान को स्वीकारने के बाद हमने 50 साल पूरे किये हैं और 59वां साल हम पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन चाहे हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा हो, हिन्दू-दलित का झगड़ा हो, हिन्दू-क्रिश्चियन का झगड़ा हो, मतलब इस तरह का जो संघर्ष चल रहा है।...*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री आठवले, आप कृपया बैठ जाएं।

अब सायं के 6 बज चुके हैं और अभी तीन और सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। यदि सभा सहमत हो तो बैठक का समय 7 बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

सभापति महोदय: बैठक का समय 7 बजे सायं तक बढ़ाया जाता है।

श्री आठवले, कृपया अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: मैं बता रहा था कि भारत देश के आदमी ही, भारत के आदमियों की हत्या करना, बम बलास्ट करना, भाषा के नाम पर मुंबई में नार्थ-इण्डियन लोगों का विरोध करना, हिन्दुओं द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराना, किसी के द्वारा मंदिर को गिराना, किसी अन्य द्वारा मस्जिद या गुरुद्वारे को गिराना, इन चीजों से हमारे देश की एकता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई, उसकी

जांच करवाएं। पाटिल जी यहां बैठे हैं। जिन लोगों ने स्वामी जी की हत्या की उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए, लेकिन वहां जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, उनके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए।...* चर्च पर हमला हुआ, बहुत सारे लोगों को मारने का प्रयत्न किया गया है। क्या यही बात हमारे संविधान में बताई गयी है? बम ब्लास्ट करने वाला व्यक्ति चाहे हिन्दू हो या मुसलमान या फिर कोई अन्य, उस पर कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई समाज आतंकवादी नहीं हो सकता है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे देश में आज यह जो मुस्लिम आतंकवाद है, वह आडवाणी जी ने जब सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकाली, हिन्दुओं को भड़काने का प्रयत्न किया और छः दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया, उसके बाद शुरू हुआ। मैं बम ब्लास्ट करने वालों का समर्थन नहीं करता हूं, बम ब्लास्ट करने वालों को फांसी दे दीजिए, लेकिन पूरी मुस्लिम कम्यूनिटी आतंकवादी है, यह कहना उचित नहीं है, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि इसका सपोर्ट कीजिए। बजरंग दल और आर.एस.एस. पर बैन लगाने की आवश्यकता है। ये संगठन बी.जे.पी. को ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ठीक से काम करना है, तो उनके ऊपर बैन लगाने के बारे में आप एनाउंस कीजिए। जब तक उन पर बैन नहीं लगेगा, चाहे कर्नाटक हो या उड़ीसा, इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि मुंबई में जो भी संगठन आज भाषावाद के नाम पर उत्तर भारतीय लोगों का विरोध कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि मुंबई उनके बाप की जागीर है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मुंबई उनके बाप की जागीर नहीं है। मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है और वहां किसी भी व्यक्ति को आकर रहने का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी बात कन्क्लूड कीजिए।

श्री रामदास आठवले: मैं ऐसे लोगों को समझाना चाहता हूं कि दिल्ली शहर में हमारे तीन-चार लाख मराठी लोग रहते हैं, गुजरात में दस लाख मराठी लोग रहते हैं, इसी तरह देश के अन्य प्रमुख शहरों में लाखों मराठी लोग रहते हैं। इसलिए मराठी लोगों के लिए काम करना तो ठीक है, लेकिन हिन्दीभाषी लोगों का अगर कोई विरोध करता है तो वह बाबा साहेब अम्बेडकर की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी उसका विरोध करेगी। यह मुंबई शहर किसी के बाप की जागीर नहीं है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: आठवले जी, अब आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

सायं 6.05 बजे

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं धार्मिक संस्थानों पर हमलों, विशेषकर उड़ीसा, कर्नाटक और भारत के किसी भी भाग में हुई हाल की घटनाओं की निंदा करता हूं। यदि किसी धार्मिक संस्थान पर हमला होता है, तो उसकी निंदा होनी चाहिए। मैं किसी भी धार्मिक संस्थान या किसी धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा की प्रत्यक्ष घटना की निंदा करता हूं।

अनेक सदस्यों ने उड़ीसा से संबंधित विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं आचार्य जी और अन्य माननीय सदस्यों ने यदि असम के मुद्दे पर भी कुछ कहा होता, तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

श्री कीरेन रिजीजू: आपने केवल इसका उल्लेख किया है, परन्तु आपने इसकी निंदा नहीं की। यही मेरी चिंता का विषय है। देश में जो कुछ भी होता है, सभी राजनीतिक दलों को उस पर चिंता दर्शानी चाहिए। असम की स्थिति विलक्षणीय है। असम में मूलतः बाहरी लोगों द्वारा हमारे भू-भाग के विरुद्ध, क्षेत्र के मूल लोगों के विरुद्ध, वास्तविक भारतीयों के विरुद्ध बाह्य उग्रवाद का कार्य चल रहा है। माननीय गृह मंत्री स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।

पहले भी मैंने यह कहा था कि यह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मैं सरकार को सावधान कर सकता हूं कि यह केवल शुरुआत है। यदि सरकार का यही रवैया जारी रहता है, तो हमारे देश की एकता को खतरा हो सकता है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कीरेन रिजीजू]

[हिन्दी]

मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज वहां एस्टीमेटेड 55 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए पूर्वोत्तर में रह रहे हैं, जबकि असम के मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि असम की धरती पर एक भी बांग्लादेशी नहीं है। मैंने उस समय उन्हें चैलेंज किया था। मैं धर्म के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं। चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो या बुद्धिस्ट हो। हमारा तो यह कहना है कि कौन भारतीय है और कौन बाहर का है। जब हमें पता चलता है कि यह बाहर का व्यक्ति है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए क्या किया जा सकता है, यह सरकार को देखना चाहिए। उस समय असम के मुख्य मंत्री जी ने कहा था। जब उनके ही राज्य की पुलिस ने किसी इल्लीगल माइग्रेंट को अरेस्ट किया तो उसने पुलिस स्टेशन में बयान दिया कि हम बांग्लादेश से आए हैं और हमारा पता बांग्लादेश में यह है। इस पर हमने मुख्य मंत्री जी से कहा कि आपकी बात सही नहीं निकली इसलिए आप इस्तीफा दें तो उन्होंने नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो फिर क्या है?

कांग्रेस पार्टी में भी कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो स्थापित नीति है, उस पर जाकर वे भी स्थापित हो जाते हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा और कहा, आप एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप ऐसे प्रधान मंत्री हैं जो कांग्रेस पार्टी की स्थापित और पारम्परिक नीतियों को नहीं अपनाएंगे। लेकिन चूंकि वह कांग्रेस के प्रधान मंत्री हैं, कांग्रेस का नोन कल्चर है, जो सबको पता है, वह भी उस पर चल रहे हैं। हमें गृह मंत्री जी से बहुत उम्मीद थी। जब इन्होंने गृह मंत्रालय का पद सम्भाला ही था, तो मुझे उम्मीद थी कि इनका पूर्वोत्तर के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। हम लोगों ने इन्हें शिलांग बुलाया था और वहां इन्होंने बैठक की थी। हमने तब इनसे कहा था कि आप पूर्वोत्तर को अलग दृष्टिकोण से देखें। यहां सदन में समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैं उम्मीद कर रहा था कि आप उड़ीसा की घटना की तो निंदा करेंगे ही, साथ ही पूर्वोत्तर में जो जमीन से जुड़े इंडीजिनस लोगों पर आक्रमण किया गया है, उसकी भी निंदा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। किसी भी नेता ने इस सम्बन्ध में प्रेस में भी कोई बयान नहीं दिया। इससे यह लगता है कि आप लोग सिर्फ कहने के लिए कहते हैं। जो सेंस ऑफ एलीनिएशन पूर्वोत्तर में फैला हुआ है, उस पर ध्यान देना चाहिए। यही कारण है कि जब हम लोक सभा में चर्चा कर रहे हैं और जितना कंसर्न कर्नाटक, उड़ीसा के लिए दिखा रहे हैं, उतना पूर्वोत्तर के लिए भी दिखाना चाहिए था, वह दिखाई नहीं दिया। आपकी पार्टी का कंसर्न बिल्कुल क्लियर नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): एकदम क्लियर है।

श्री कीरेन रिजीजू: क्लियर नहीं है। जब अटैक हुआ था, कितने बोडो लोगों को मारा गया। आप अपनी पार्टी के लोगों को वहां भेजियेगा और हम लोग भी साथ चलेंगे। जब आपको जमीनी हकीकत पता चलेगी, तब आपको जो मैं कह रहा हूं वह महसूस होगा।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री कीरेन रिजीजू: सर, हमारी पार्टी का कितना समय है?

सभापति महोदय: पांच-पांच मिनट सभी सदस्यों को समय दिया है। आपका समय ज्यादा हो गया है। पांच मिनट में सभी सदस्यों को अपना भाषण समाप्त करना है।

श्री कीरेन रिजीजू: सर, दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं पिछले सप्ताह ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में गया था और हम इसके बारे में चिंतित हैं।

श्री कीरेन रिजीजू: आप पूर्वोत्तर के लिए चिंतित हैं, परन्तु आपने आक्रमण करने वालों की निंदा नहीं की है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप चेयर को संबोधित कीजिए।

श्री कीरेन रिजीजू: सर, इनीशिएट आचार्य जी ने किया है और मैंने इन्हें बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए जिस मसले को इन्होंने यहां मैंशन नहीं किया है, इसलिए उसे मैं यहां कह रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू: मैं कम्प्लीट कर रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर में, सिर्फ असम नहीं, आज मेघालय का, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम में बंगला देश से जो घुसपैठिये आ रहे हैं उनकी कोई रोक-टोक नहीं है। बंगलादेशियों को पनाह देने वाला जो सबसे बड़ा संगठन है वह आज कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी उन्हें वोट-बैंक के नजरिये से देख रही है। जब तक कांग्रेस पार्टी का नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक पूर्वोत्तर में सुरक्षा में कमी रहेगी। इसलिए मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि आप खुद बोडो-लैंड जाइये, असम जाइये और सर्वे कीजिए और जो अभी घटना हुई है, उस पर जोरदार कार्रवाई कीजिए।

[अनुवाद]

महोदय, मैं अपना भाषण पूरा नहीं कर सका। क्या मैं अपने भाषण का एक भाग सभा पटल पर रख सकता हूं?

सभापति महोदय: जी हां।

***श्री कीरेन रिजीजू:** पिछले वर्ष 14 अगस्त को, "मुस्लिम यूनाइटेड स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन (एम.यू.एस.ए.) नामक एक संघ ने बंद का आह्वान किया था और लोगों को आमंत्रित किया कि वे उनको आह्वान के प्रति पूर्ण सहयोग दें। विद्यार्थी संघ की मुख्य मांग यह थी कि वे सभी व्यक्ति जिनके विदेशी राष्ट्रीय नागरिक अर्थात बांग्लादेशी होने का पता चला है और पड़ोसी राज्यों नामतः अरुणाचल प्रदेश आदि से भेजे गए हैं, वे बांग्लादेशी विदेशी लोगों के रूप में बस गये होंगे। विद्यार्थी संघ बंद को जबरदस्ती सफल बनाना चाहता था उन्होंने रावता, भालुमारी, हाटखोला बाजार क्षेत्र नामक स्थानों पर निर्दोष लोगों पर हमले की कुछ घटनाएं की। पेशे से मिठाई बेचने वाले श्री दीपक रावा (20) पर आपराधिक हमला किया गया जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई। उन्हें उपचार के लिए तेजपुर क्रिश्चियन अस्पताल ले जाया गया जहां के डाक्टरों ने उन्हें उसी दिन मृत घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद स्थिति गंभीर रूप से तनावपूर्ण हो गई। तथापि जागरूक स्थानीय लोगों के एक वर्ग के सद्भावनापूर्ण प्रयास से स्थिति को सहनीय स्तर तक नियंत्रण में लाया गया हालांकि दरांग और उदलगुड़ी दोनों ही जिलों में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। परन्तु ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार और पुलिस प्रशासन गहन निंद्रा में थे। इसके मद्देनजर हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों सहित स्थानीय लोगों ने शांति समिति गठित की और संबंधित क्षेत्रों में शान्ति बनाये रखने के लिये अत्यधिक प्रयास करते हुए रात्रिकाल के लिये गार्डों की व्यवस्था की।

परन्तु कुछ दिन बाद अर्थात् पिछले वर्ष 3 अक्तूबर को प्रातःकाल, जब एक गार्ड श्री राकेश स्वर्गीवरी रात्रिकाल गार्ड-ड्यूटी पूरी कर नित्यकर्म से निवृत्त होने के लिए गए, मुस्लिम समुदाय के कुछ शरारती तत्वों के समूह ने उन पर तेज धार वाले हथियारों से हमला कर दिया और उनके शरीर को गंभीर चोटें पहुंचाई। इस नृशंस और अकारण घटना के तुरंत पश्चात् दरांग और उदलगिरी दोनों जिलों में स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई। उदलगिरी जिले के ग्राम सं.-एक गोपचर (मोहनबाड़ी) में स्थिति बहुत गंभीर हो गई और उपद्रवी तत्वों ने वहां के ग्रामीणों के बहुत से घरों को आग लगा दी। परन्तु घटनाओं के बारे में जानकारी होते हुए भी और आगजनी की घटनाओं को देखने के बावजूद पुलिस प्रशासन और असम सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों ही मूक दर्शक बने रहे। उपद्रवियों की ऐसी नृशंस कार्रवाईयों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त समय पर कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई।

मुस्लिम समुदाय के उपद्रवियों ने अन्य समुदायों नामतः बोडो, रावा और वहां रहने वाले सभी मूल निवासियों की सुरक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता का फायदा उठाया और उन्होंने अन्य मूल निवासियों के ग्रामों सहित बोडो, रावा बहुल ग्रामों पर अंधाधुंध हमले आरंभ कर दिए। उदलगिरी जिले के सोनारीपाड़ा ग्राम में, जिसमें अधिकांशतः बोडो समुदाय के लोग रहते हैं, भारत विरोधी मुसलमानों ने पाकिस्तानी झंडे फहराए जिससे सभी मूल निवासी लोगों के दिल को चोट पहुंची। साथ ही ये उपद्रवी निर्दोष लोगों के घरों को जलाते रहे जिससे गरीब लोगों के खाद्यान्न और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों सहित कीमती संपत्तियों को क्षति हुई। जिन लोगों की नृशंस हत्या की गई, वे बंगाली भाषा बोलने वाले हिन्दुओं और अन्यों सहित बोडो और रावा समुदायों के थे।

पुलिस और नागरिक प्रशासन की भूमिका

सच बात यह है कि पुलिस और नागरिक प्रशासन की भूमिका दोनों ही जिलों में पूर्णतया नकारात्मक रही। समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस कार्मिकों को नियुक्त किया गया था। आगजनी और हत्या की घटनाओं के बाद पुलिस कुछ घटनास्थलों पर पहुंची परन्तु पीड़ितों के जानमाल की रक्षा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री कीरेन रिजीजू]

करने के स्थान पर, उन्होंने भेदभाव की अभूतपूर्व भूमिका निभाई अर्थात नागरिक प्रशासन और पुलिस दोनों ने बंगलादेशी मुस्लिम उपद्रवियों का पक्ष लिया। यह सत्य है कि दोनों ही जिलों अर्थात दरांग और उदलगुरी की पुलिस तथा नागरिक प्रशासन नृशंस हत्या और आगजनी जैसी घटनाओं से पूर्णतया अवगत है परन्तु उन्होने स्थिति को रोकने के लिए समय पर कार्यवाही नहीं की। अब राहत शिविरों में रहने वाले अनेक प्रत्यक्षदर्शियों, जिनमें बोडो विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल रावा और अन्य लोग भी शामिल हैं द्वारा यह उजागर किया गया है कि मुस्लिम उपद्रवियों द्वारा किए गए सभी हमले पूर्व नियोजित थे और राज्य सरकार को इसकी पूरी जानकारी थी। दोनों ही जिलों के पुलिस और नागरिक प्रशासन को स्थानीय संगठन के नेताओं सहित, विभिन्न वर्गों द्वारा आसन्न खतरे के बारे में बता दिया गया था, परन्तु यह सब व्यर्थ गया। पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया और वे पूर्णतया निष्क्रिय बने रहे। इस संबंध में यह न केवल आश्चर्यजनक है अपितु गंभीर चिंता का विषय है कि श्री आई.एच. बोरा, पुलिस अधीक्षक दरांग जिला ने बंगलादेशी मुस्लिम उपद्रवियों को पूर्ण सहयोग दिया और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से संबंधित क्षेत्र के हिन्दू समुदाय के भारतीय नागरिकों पर हमला करने को उकसाया। उन्होंने निराशाजनक ढंग से निष्पक्ष रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की नीति के विपरीत कार्य किया। कतिपय घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि पुलिस अधीक्षक श्री आई.एच. बोरा की गाड़ी भक्तपाड़ा ग्राम में कीचड़ के कारण रुक गई थी जिसमें उनकी गाड़ी का पहिया फंस गया। पुलिस अधीक्षक श्री आई.एच. बोरा ने कार को बाहर धकेलने में मदद मांगी और कुछ स्थानीय बोडो लोगों को कार को आगे धकेलने के लिए कहा। बोडो लोग आगे आए और उन्होंने मदद की। परन्तु उसी समय मुस्लिम उपद्रवियों का एक समूह हथियार लेकर वहां आ गया और उन्होंने बोडो लोगों को क्रूरतापूर्वक टुकड़े-टुकड़े कर डाला और इस प्रकार बोडो लोगों की उपर्युक्त पुलिस अधीक्षक जिला दरांग की आंखों के सामने बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गयी। यह एक भयावह घटना है। लेकिन एस.पी. श्री आई.एच. बोरा ने तो पीड़ित लोगों की सुरक्षा करने और न ही अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई कदम उठाए क्योंकि वे हत्यारे मुस्लिम समुदाय के हैं, केन्द्र तथा राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है जो मुस्लिम समुदाय को जरा भी नाराज करना नहीं चाहती है।

श्री मधुराम मुचहरी नामक एक दूसरे चश्मदीद गवाह ने बताया कि दोनों जिलों में हुजी के प्रवेश की जानकारी पुलिस प्राधिकारी के साथ-साथ सिविल प्रशासन को भी इस घटना के लगभग एक महीना पहले ही दे दी गई थी। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उपर्युक्त दोनों प्राधिकारियों ने उक्त दुखद घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। उन्होंने पुलिस तथा सिविल प्रशासन से हिन्दुओं की जानमाल की रक्षा करने की अपील की थी लेकिन उनकी अपील पर कोई अमल नहीं किया गया। कुछ और बर्बरतापूर्ण घटनाओं का जिक्र नीचे किया गया है। 02 अक्तूबर, 2008 को रमजान के महीने (ईद त्यौहार) के अवसर पर आप्रवासी मुस्लिमों ने एक पूर्व-नियोजित रणनीति के तहत हिन्दू अल्पसंख्यक गांवों, जहां आप्रवासी बंगलादेशी बहुसंख्यक है, पर धावा बोल दिया। दरंग और उदलगुड़ी जिले के अंतर्गत 22 गांवों के हिन्दू समुदाय के 90,000 से भी अधिक लोग अब तक बुरी तरह से प्रभावित हुए है और 61 से अधिक निर्दोष लोग मारे गये जिसमें से 24 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गये और प्रभावित लोगों की उक्त संख्या में से 2418 मुसलमान हैं। जिला के (1) सोनारीपाड़ा (2) कोपटीमारी (3) झारगांव (4) अठाईबाड़ी (5) कायलबाड़ी (6) फकिड़िया (7) भालुकमारी (8) मोहनपुर (9) कदमतल (10) बताहबाड़ी (11) सिमालुगुड़ी (12) सपमारी (13) इकड़ाबाड़ी (14) कजामती (15) दरंगीपाड़ा (16) बरंगबाड़ी (17) सियालमारी (18) रंगोगड़ा आदि तथा दरंग जिला के (1) मुदईपाड़ा (2) भकतपाड़ा आदि को मुस्लिम समुदाय के अपराधियों द्वारा लगभग जला ही दिया गया है और दर्जनों निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई। जिसके फलस्वरूप संबंधित स्थानीय लोगों की पहल से 60 से भी अधिक राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। अब ऐसी आशंका है कि लगभग 50-55 हजार ऐसे आप्रवासी बंगलादेशी मुसलमानों ने राहत शिविरों में अपने नाम पंजीकृत करवा रखे हैं जिनकी मंशा सरकार द्वारा और अन्य संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राहत सामग्री और अन्य सहायता प्राप्त करना है।

04 अक्तूबर 2008 को मां दुर्गा की प्रतिमा पर आक्रमण

जब मां दुर्गा की प्रतिमा को दरंग जिले के कलईगांव से धेकियाजुली ले जाया जा रहा था, तो उस समय मुस्लिम समुदाय के संदिग्ध अपराधियों ने मां दुर्गा के प्रतिमा पर आक्रमण कर उसे तोड़ डाला। उन्होंने उस प्रतिमा को धोकिया जुली ले जा रहे ट्रक के चालक को भी गंभीर रूप

से जख्मी कर दिया। इस घटना ने आग में घी का काम किया और दोनों जिले के लोग भावुक और उत्तेजित हो गये।

पीड़ित लोग

3 अक्तूबर, 08 को मुस्लिम समुदाय के अपराधियों ने सोनाटीपाड़ा, कोपटीमाड़ी और झारगांव गांवों पर आक्रमण कर दिया और 75 वर्ष की एक बूढ़ी महिला, श्रीमती कटेरी बोरो को आग में जिंदा जला दिया।

(2) बी.टी.ए.डी. उदलगुड़ी जिला के फकिड़िया गांव के नियासी श्री कंदुरा डेका (62 वर्ष) को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नृशंसतापूर्वक पीटा और उसे आग में जिंदा फेंक दिया और इस प्रकार जिससे उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई।

(3) दलगांव थाना के संख्या दो सियाल माड़ी गांव के मुखिया (गावबुराह), श्री जादुराम स्वरगियारी (54) को उसके दो भाइयों के साथ मुस्लिम अपराधियों द्वारा मार डाला गया।

(4) दरंग जिला के धुला थाना के अंतर्गत भकतपाड़ा क्षेत्र के बरदुआंजा गांव के निवासी श्री फ्रांसिस संगमा (45 वर्ष), श्री प्रतीश माराक (40 वर्ष), श्री नरेन मारक (44) को मुसलमानों ने मार डाला।

हत्या की उपर्युक्त घटनाओं से सभी भारतवासी और स्वदेशी लोग अति क्रोधित और उत्तेजित हुए और इसके फलस्वरूप, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हिन्दु समुदाय के कुछ लोगों ने भी आत्मरक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाई जिसने आगे चलकर आक्रमण का रूप ले लिया।

मुस्लिम आतंकवादी और जेहादी बलों दोनों के पूर्व नियोजित आक्रमण

शिष्टमंडल ने उन स्थितियों, जिनमें हिंसक घटनाएं घटी, का सावधानीपूर्वक मुआयना किया और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:-

1. यह सच है कि दारंग और उदलगुड़ी जिले के विभिन्न मुस्लिम आप्रवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर मुस्लिम आप्रवासियों द्वारा सुनियोजित ढंग से आक्रमण किया गया, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने मौजूदा आवासीय क्षेत्र से भगाना था और इसका कारण आप्रवासी मुसलमानों की जमीन की आवश्यकता समझी जाती है। मुस्लिम आप्रवासी के कब्जाधीन अधिकांश भूमि पर आदिवासी समुदाय अर्थात बोडो आदि का अधिकार था। लेकिन अंतरण के परिप्रेक्ष्य में अब उस भूमि पर आप्रवासी मुसलमानों का कब्जा है और उस भूमि के जो वास्तविक स्वामी है, बोडो आदि उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर बस गये है। भूमि-हरण की यह प्रक्रिया जारी रही तथा मुस्लिम आप्रवासी स्वदेशी नागरिकों जैसे बोडो, रवा और उस क्षेत्र के अन्य स्थायी निवासियों की अधिक से अधिक जमीन हथियाने की आकांक्षा पाले हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, एक सुस्थापित सच है कि हजारों बंगलादेशी आप्रवासियों की विदेशी नागरिकों के रूप में पहचान की गई है जिन्हें अरुणाचल प्रदेश आदि जैसे पड़ोसी देशों से वापस भेज दिया गया है। असम राज्य सरकार ने उन्हें विदेशी नागरिक मानने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया और बंगलादेशी मुस्लिम आप्रवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में स्वीकार किया है और उन्हें असम में बसाने की योजना बनाई है। अरुणाचल प्रदेश और असम के अन्य जिलों से भगाए गये अधिकांश बंगलादेशी आप्रवासियों ने समस्या प्रभावित स्थानों में शरण ली है। अतः उन बंगलादेशी आप्रवासियों को वोट बैंक का हिस्सा बनाने के लिए उन्हें बसाने हेतु जमीन की आवश्यकता है। इन दोनों जिलों में मौजूदा समस्या के प्रमुख कारण निसंदेह वास्तविक और महत्वपूर्ण हैं।

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (मरमुगावो): महोदय, यह इस देश की एकता से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

कुछ समय पहले घटी घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और निंदनीय हैं और अभी भी यह घटनाएं उड़ीसा, और कर्नाटक में जारी हैं जहां ईसाईयों के गिरिजाघरों, चैपलों और अन्य उपासना स्थलों को अपवित्र किया गया है और उनमें से कुछ को स्वामी और उनके सहायक की जघन्य हत्या का बदला लेने के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया जिसकी न केवल उड़ीसा में बल्कि पूरे देश में भर्त्सना की गई है।

महोदय, जब माओवादियों ने इस अपराध के लिए पहले से ही जिम्मेदारी ले ली है, तब निर्दोष ईसाई समुदाय पर अत्याचार क्यों होने चाहिए? क्या यह इस देश के

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना]

धर्मनिरपेक्ष ढांचे का अपमान नहीं है? एक ओर, हम विश्व में सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र होने की बात कहते हैं और दूसरी ओर ऐसे अपराध किए गये जहां हजारों ईसाईयों को अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर जंगल में भागना पड़ा और इनके घरों को बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद् के गुंडों द्वारा लूट लिया गया अथवा आग लगा दी गयी और इसके लिए क्या दलील दी गई - तथाकथित जबरन धर्मांतरण की।

महोदय, ईसाई शांतिप्रिय और ईश्वर से डरने वाले लोग हैं। वे हमेशा राष्ट्रभक्त रहे हैं और उन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। क्या अभी तक आपने कभी किसी ईसाई आतंकवादी या देशद्रोही को देखा है? जहां भी ईसाई मिशनरीज पहुंचे हैं, उन्होंने हमेशा विद्यालय और अस्पताल खोले हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि यदि समुदाय को उन्नति करनी है, तो उसे स्वस्थ और शिक्षित होना चाहिए। ईसाईयों का विश्वास था कि उदाहरण बेहतर शिक्षक है और ईसाई संस्थापक के अनुसार ईसाईयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुकरणीय आचरण करें। महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि इन अपराधों में शामिल बजरंग दल और संघ परिवार के इन गुंडों को किसने रोका है इन्होंने यह अपने आका बी.जे.पी. के आशीर्वाद से यह किया है - ईसाई मिशनरियों की तरह कोई अच्छा कार्य करने से इन्हें किसने रोका है?

यदि कुछ लोगों को धर्मान्तरणों की आलोचना करने का अधिकार है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इन व्यक्तियों को अपना स्वयं का धर्म चुनने का अधिकार नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी प्रकार की धर्मांधता और कट्टरता बुरी है और हमें ऐसे गलत कार्यों का समर्थन नहीं करना चाहिए।

महोदय, मैं बी.जे.पी. के अपने एक साथी का भाषण सुन रहा था। वह ऐसे बोल रहे थे जैसे वह बजरंग दल के प्रभारी हों और वह आश्वासन दे रहे थे। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि ईसाई ऐसे आश्वासनों पर विश्वास नहीं करते हैं। इस देश में सभी को अपना धर्म चुनने का अधिकार है जब तक की यह जबरन न हो। इसलिए, कोई भी किसी व्यक्ति को, जैसा कि संविधान में वर्णित है, किसी धर्म को मानने से रोक नहीं सकता।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करूंगा और न केवल ईसाईयों के विरुद्ध बल्कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो भी अत्याचार किए जा रहे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। सभी संविधान की उद्देशिका से अवगत हैं। इसमें कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं:

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न - समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए; तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प करते हैं।"

पहली बार हमने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था। संविधान के मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक से सौहार्द को बढ़ावा देने और धार्मिक तथा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर भारत के लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को जगाने की मांग करते हैं। यह संवैधानिक स्थिति है। परन्तु चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से इस देश ने 8,000 सांप्रदायिक दंगे देखे हैं जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गये थे। अल्पसंख्यक संस्थानों के विरुद्ध हाल ही में हुई हिंसा में, न केवल उड़ीसा, कर्नाटक के गिरिजाघर शामिल हैं, बल्कि असम, मध्य प्रदेश केरल और देश के विभिन्न अन्य भागों के गिरिजाघर भी शामिल हैं। इसे राष्ट्रीय शर्म कहा जा सकता है। प्रत्येक राजनीतिक दल, इस देश में प्रत्येक नागरिक को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। यह न केवल अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है, बल्कि हाल ही में अदिलाबाद जिले में छह लोगों को जिंदा जला दिया गया और उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगे में 10 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। इस देश में यह स्थिति है।

चुनाव जल्द होने वाले हैं। हर कोई राजनीतिक लाभों के लिए समाज को अपनी ओर झुकाना चाहता है। यह निंदनीय है। राजनीति में किसी को भी सांप्रदायिक तनाव पैदा कर लाभ नहीं लेना चाहिए। ऐसी घटनाओं में 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के बाद वृद्धि हुई है।

उड़ीसा में हुई घटना के संबंध में मैं कहना चाहूंगा

कि भारत सरकार ने तत्काल कार्रवाई नहीं की। केन्द्र सरकार ने इस मामले में कई दिनों बाद हस्तक्षेप किया। संविधान के अंतर्गत, अपने नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों, दलितों और जनजातियों के जीवन और साथ ही उनकी संपत्तियों की रक्षा करना केन्द्र सरकार तथा इसके साथ-साथ राज्य सरकारों का भी कर्त्तव्य है। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी चुनी गई सरकार का यह प्रथम संवैधानिक उत्तरदायित्व है। यदि कोई राज्य सरकार अपने कर्त्तव्य में विफल रहती है, तो केन्द्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और स्थिति को नियंत्रण में लाने में सहयोग करना चाहिए, अन्यथा इस देश में चुनी हुई सरकारों पर लोगों का भरोसा कैसे रहेगा? पहले भी, पोटा के निरसन के समय, यह कहा गया था कि वर्तमान विधान इन आतंकवादी कृत्यों और सांप्रदायिक विवादों, तथा ऐसी अन्य सभी चीजों को नियंत्रण में करने के लिए पर्याप्त है। यह ठीक है। उस दिन, माननीय गृह मंत्री जी ने इस सभा को यह बताया था। पुनः, इस देश के माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा है कि हमें आतंकवाद, सांप्रदायिकता, अल्पसंख्यकों पर हमले और ऐसे कृत्यों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है।

यदि सरकार इस संबंध में किसी भी प्रकार का विधान लाना चाहती है, तो हम सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अंततः, देश को एक रहना चाहिए। हमें राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करनी है। यही इस देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रथम उत्तरदायित्व है। यह हमारा प्रथम उत्तरदायित्व है। आप ऐसे कार्यकलापों पर रोक लगाने के लिए कोई भी विधान ला सकते हैं। हम 10 दिसंबर को पुनः मिल रहे हैं।

ऐसा विधान लाने से पहले, आपको मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए। कुछ सदस्य कह रहे थे कि कानून और व्यवस्था को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। सदस्य ऐसा सुझाव दे रहे हैं। ऐसा कदम उठाने से पहले मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाना बेहतर है। कानून और व्यवस्था राज्य सूची में है। आपको सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की राय लेनी चाहिए और केवल तभी आपको इस संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। यह एक जटिल विषय है। मुख्यमंत्रियों की जानकारी और राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना आपको इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं लाना चाहिए। कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया है। उन्होंने संघीय कानून के बारे में भी कहा।

अतः इस स्थिति में ऐसी घटनायें निंदनीय हैं और भारत सरकार को ईसाई समुदाय के संस्थानों, खासकर गिरिजाघरों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठाना चाहिए। टी.डी.पी. ने ऐसी घटनाओं की पहले ही निंदा की है। इसलिये, भारत सरकार को देश में शांति कायम रखने और सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिये आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): महोदय, मैं, माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

यह एक बहुत सनसनीखेज विषय है। अतः, मैं इस मामले का विस्तृत विवरण नहीं दे रहा हूं। आजादी मिले लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं। इस समय हमारे देश की स्थिति कैसी है? हमारे देश की एकता और अखंडता को कमजोर किया जाता है। हमारी परंपरा क्या है? मुझे इसके बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। हमने पारसियों, जोरास्ट्रियनों, ईसाईयों और मुसलमानों का स्वागत किया है और उनके सिद्धान्तों को भारत में प्रचारित एवं प्रसारित भी होने दिया है। अतः, भारत में एक मिश्रित संस्कृति की अनुमति है। इसी मिश्रित संस्कृति से धर्मनिरपेक्षता जन्मी है। धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र का फल है। वर्तमान में, वह धर्मनिरपेक्षता विलुप्त हो गई है और लोकतंत्र भी असफल हो गया है। इस साल हमारे देश में यह स्थिति व्याप्त है। मैं इस मामले में किसी समुदाय अथवा किसी व्यक्ति पर दोष नहीं लगाता।

मैं इस मुद्दे पर एक बात कहूंगा। अल्पसंख्यक, समुदायों के लोग पहले से ही परेशान हैं। गुजरात, उड़ीसा और देश के अन्य भागों में यही स्थिति है। इस प्रकार का तनाव वाला माहौल कई बार असम में और कई बार बिहार में चलता ही रहा है। मेरे हिसाब से, तनाव पैदा करने वाली घटनाएं राजनीति से प्रेरित हैं। वे लोग जो इन साम्प्रदायिक उथल-पुथल का माहौल बनाते हैं वे अपने समुदाय पर विश्वास नहीं करते। वे अपने धर्म पर विश्वास नहीं करते। कोई भी धर्म ऐसी सलाह नहीं देता कि दूसरे धर्म पर लांछन लगाया जाये। अतः, वे लोग जो इस तरह का उथल-पुथल वाला माहौल पैदा करते हैं, वे अपने धर्म में विश्वास नहीं करते। वे किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये उथल-पुथल पैदा करने की कोशिश करते हैं। मेरे विचार से, केन्द्र सरकार को इस मामले में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई अवश्य करनी चाहिये।

[श्री टी.के. हमजा]

हमारे माननीय सदस्य श्री मिस्त्री जी ने कहा कि संविधान में संशोधन करना होगा ताकि केन्द्र सरकार वह राज्यों से संबंधित मामलों में भी कदम उठा सके। मैं इस विचार से ऐसे सहमत नहीं हूं। जब किसी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है, तो केन्द्र सरकार उस राज्य के मामले में भली भांति सुविधापूर्वक कदम उठा सकती है। उड़ीसा, असम, बिहार, गुजरात और अन्य स्थानों पर लगातार उथल-पुथल वाला माहौल पैदा हो रहा है और लोगों की हत्या की जाती है। अतः, वहां कानून-व्यवस्था का अभाव है। केन्द्र सरकार वहां भी भली प्रकार से कदम उठा सकती थी।

इसलिये, भारत सरकार को इस मामले में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिये ताकि बगैर किसी भय अथवा पक्षपात के देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। मेरा यही सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़): सभापति महोदय, मैं अपनी बात एक-दो मिनट में खत्म करूंगा और मैं आपकी अनुमति से अपनी बाकी स्पीच सदन के पटल पर ले कर दूंगा। मैं पूरी डिबेट नहीं सुन पाया हूं, आधी डिबेट ही सुन पाया हूं। मुझे बहुत दुख हुआ कि जब हम देश की इंटीग्रिटी, सिक्युरिटी और सेक्युलरिज्म पर बात कर रहे हैं तो ऐसा पार्टिजन एटीट्यूड हमारे रूलिंग पार्टी वाले क्यों ले रहे हैं, इसे मैं देख रहा था। मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में जो घटना हुई, वह घटना एक विशेष परिस्थिति में हुई, जैसे स्वामी जी की हत्या हुई, उसके तुरंत बाद कुछ रीएक्शन हुआ। इसे मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। यह रीएक्शन नहीं होना चाहिए था, यह कंट्रोल में आना चाहिए था। हमारी राज्य सरकार ने कोशिश करके इसे कंट्रोल किया। लेकिन मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आसाम की घटना का कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने उल्लेख नहीं किया। यह कितनी गंभीर बात है। हमारे दो सदस्यों श्री बैसीमुथियारी जी और श्री कीरेन रिजीजू ने इस बारे में बोला। 14 अगस्त को मुसावल के मुस्लिम यूनाइटेड स्टूडेन्ट ऑर्गेनाइजेशन (एम.यू.एस.ए.) और एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बंद का आह्वान किया। वहां दीपक रावा नाम के एक आदमी को मार दिया गया। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बंद किया गया, इसका क्या कारण था और उसमें उनका क्या लाभ था? इसके बारे में सरकार के पास छानबीन की क्या रिपोर्ट है, कृपया हमें रिटन में बतायें। क्योंकि सभापति महोदय स्पीच ले करने के लिए बोल रहे हैं, इस वजह से मंत्री जी पूरा उत्तर नहीं देंगे, इसलिए बाद में आपके विभाग से हमें उत्तर आना चाहिए।

इसके बाद 30 सितम्बर को सैकिंड इंसीडैन्ट हुई, सेम (एम.यू.एस.ए.) ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम फंडामैन्टल ऑर्गेनाइजेशन ने तीन आदमियों को फिर मार दिया। उसमें क्या एक्शन लिया गया, आपको इस बारे में भी बताना चाहिए। वहां उस दिन दस गांवों को जलाया गया था। उसके बाद तीन-चार अक्तूबर को जो घटना हुई है, यह अकेली घटना नहीं है, उससे पहले बीच-बीच में छिट-पुट घटनाएं होती रहीं। आपके पास आई.बी. और बहुत सी सैन्ट्रल इंटेलीजेन्स एजेन्सीज हैं, उनकी इस बारे में क्या रिपोर्ट है। मुझे एक बात का बहुत दुख हुआ आपने आर्टीकल 355 में चार बार हमारी राज्य सरकार को फटकार लगाई। चार बार आपने हिदायत दिया कि आप ठीक करो, नहीं तो हम आपके यहां 356 लगाने वाले हैं। लेकिन असम सरकार के बारे में ऐसा क्यों नहीं किया।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एस.पी. दारांग गाड़ी लेकर जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी एक गांव भक्तपुरा में फंस गई, जैसा बैसीमुथियारी जी ने उल्लेख किया है। एस.पी. ने गाड़ी निकालने के लिए सहायता मांगी। तीन व्यक्ति, मैं उनके नाम ले रहा हूं।

सभापति महोदय: आप नाम मत लीजिए।

श्री जुएल ओराम: मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, क्योंकि वहां लोग मर रहे हैं। इन लोगों को वहां मार दिया गया, इसलिए मैं उनके नाम ले रहा हूं। इनके नाम मैं विद अथॉरिटी ले रहा हूं, मैं प्रूफ के साथ ले रहा हूं। मैं वहां आसाम का डेलिगेशन लेकर गया था, इसलिए मैं बता रहा हूं। * इन तीन आदमियों ने एस.पी. की फंसी हुई गाड़ी को धकेलकर निकाल दिया। उन्हीं के सामने पांच सौ से ज्यादा बंगलादेशी मुस्लिमों ने आकर उन्हें पीसेज में काट दिया। क्या आपने आज तक एस.पी. से शो-काज मांगा है? क्या यह बात सही नहीं है कि 11 तारीख को जब श्री तरुण गोगोई ने भक्तपुरा का कैम्प अटैंड किया तो वहां पब्लिक ने बोला कि उस एस.पी. को फांसी दो। यह बात वहां

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोगों ने कही। वहां इतनी बड़ी घटना हुई, इतने गांव जल गये, पचास से ज्यादा रिलीफ कैम्प हैं, जिनमें डेढ़ लाख प्रभावित लोग हैं। मैं वहां दो दिन घुमकर आया हूं। आपने उस स्टेट को 355 लिखकर क्यों नहीं दिया?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी स्पीच ले कर दीजिए।

श्री जुएल ओराम: मैं अपनी रिटन स्पीच ले कर रहा हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में भी ध्यान करेंगे।

[अनुवाद]

*तीन अक्तूबर को दारंग एस.पी. की जीप को भक्ता पारा गांव में टक्कर मारी गई। उन्होंने मदद मांगी और तीन लोगों नामतः (1) फ्रांसिस संगमा - (पुरुष-45 वर्ष), (2) पैटरोस मारक - (पुरुष-40 वर्ष), (3) हरेन मारक - (पुरुष-40 वर्ष) आगे आये और उन्होंने एस.पी. की मदद की। इसके तुरन्त पश्चात्, एक भीड़ आयी और उसने उक्त तीनों लोगों की नृशंस हत्या कर दी और एस.पी. ने एक भी शब्द नहीं कहा। वे मूक दर्शक बने रहे। उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। क्या कोई मामला दर्ज किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार राज्य सरकार को यह निर्देश देगी कि वह कार्रवाई करे?

3 और 4 अक्तूबर को असम राज्य के दारंग और उदलगुड़ी जिले के कई भागों में चरमपंथियों/राष्ट्र-विरोधी ताकतों ने पाकिस्तान के झंडे को फहराया और इस बात को असम के मुख्यमंत्री ने परोक्ष रूप से स्वीकार किया है और यह कहा है कि "अक्तूबर में उदलगुड़ी के मोहनपुर में फहराया गया वह झंडा पाकिस्तान का झंडा नहीं था किंतु वह ईद का झंडा था" (रविवार, 12 अक्तूबर, 2008 के द सेन्टिनल डिब्रुगढ़ से उद्धरण) क्या असम सरकार ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुये सी.बी.आई. जैसी अपनी किसी भी केन्द्रीय एजेंसी से जांच करायेगी।

आसपास के गांवों के लोगों नामतः दिलवार दिवानी, रूस्तम अली करीम अली, उस्ताद अली (लगभग 500 मुस्लिम लोगों के साथ) ने जंकुआपाड़ा गांव के जदु स्वारी गयरी, उसके भाई लखन और माता बेदारी को जान से मार डाला। उपरोक्त अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्या मामले दर्ज किये गये हैं, यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार को यह निर्देश देगी कि वह इन रूढ़िवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे।

दारंग जिले के धेकियाजुली में राष्ट्र-विरोधी ताकतों ने "दुर्गा देवी" की मूर्ति पर हमला किया और उसे तोड़ दिया। राष्ट्र-विरोधी ताकतों ने "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे भी लगाये। क्या असम सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया है? यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार को यह निर्देश देगी कि वह बंग्लादेश के मुस्लिम लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करे?

उड़ीसा राज्य में कन्धमाल में शांति बहाल करने के लिये विश्वास बहाली के निम्नलिखित उपाय किये जायें:-

(क) समस्त झूठे जाति प्रमाण पत्रों को रद्द करने तथा कड़ा दंड देने के लिये जांच कराई जानी होगी और कठोर कार्रवाई करनी होगी।

(ख) जनजातीय लोगों से ली गई समस्त भूमि को उन्हें तुरंत वापस किया जाये।

(ग) गौ हत्या और तस्करी को तुरन्त रोका जाये।

(घ) धार्मिक कार्य करने की आजादी को दृढ़ता से कार्यान्वित किया जाये।

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों/विदेशी धनराशि के प्रवाह पर कड़ी निगरानी रखी जाये।

(च) स्वामी लक्ष्मणानंदा सरस्वती की हत्या में संलिप्त अपराधी के विरुद्ध तुरन्त मामला दर्ज किया जाए।*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया है। दुनिया में जिस तरह से हमारे देश की एक अलग पहचान है, हमारा देश एक अनूठा देश है।

यहां हर जाति, हर धर्म के लोगों को अपने-अपने धर्म का पालन करने की आजादी है मगर हमारे देश में अनेक भाषाएं भी हैं और अनेक धर्म भी हैं और हमें आजादी मिले हुए लगभग 60 वर्ष हो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश की अपनी एक पहचान बनी है। लेकिन पिछले

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री राम कृपाल यादव]

दिनों से देश के कुछ हिस्सों में जो स्थिति पैदा हुई है, उससे लगता है कि देश की एकता और अखंडता को भी खतरा उत्पन्न हो गया है और देश की पहचान पर कुछ न कुछ धब्बा लग गया है।

अभी चर्चा हो रही है कि ईसाइयों पर हमला हुआ। अभी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इसी तरह की घटनाएं घटी हैं और अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं तथा ये बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि चाहे वह राज्य की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो निर्दोष लोग हैं, उनके ऊपर कोई कत्लेआम नहीं हो, हमले नहीं हों, उनकी सुरक्षा करने का दायित्व सबसे पहले तो राज्य का है क्योंकि विधि व्यवस्था का मामला राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन कंधमाल में जिस तरह से हमला हुआ, नन्स के साथ बलात्कार हुआ, विभिन्न इलाकों में ईसाइयों के घर जलाये गये, क्रिश्चियन्स और पादरी लोगों पर हमला हुआ, उनके पूजास्थल को नष्ट किया गया, मैं समझता हूं कि यह शुभ संकेत नहीं है और देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर किसी सरकार की इच्छाशक्ति मजबूत है तो हम किसी भी कीमत पर अपने प्रदेश के किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी भाषा, किसी भी जाति का सम्प्रदाय के जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा हम करेंगे, इस तरह का यदि निश्चित तौर पर एक कमिटमेंट हुआ होता तो कंधमाल में जिस तरह से घटना घटी, शायद वह न होती। हम उस घटना की भी निंदा करता चाहते हैं, विश्व हिन्दू परिषद के जो नेता थे, उनके ऊपर हमला हुआ, स्वामी लक्ष्मानंद जी की हत्या कर दी गई, यह एक अत्यंत ही दुखद घटना है। किसी एक खास समुदाय पर हमला करना जैसे ईसाइयों पर हमला हो गया तो मैं समझता हूं कि सरकार को अविलम्ब चाहिए था कि वहां पर अपने दायित्वों का निर्वहन करे और उनके हितों की रक्षा करे। मैं समझता हूं कि यह बात सही है कि जब चुनावी समय आता है, तब खास तौर से एक साम्प्रदायिक माहौल खड़ा करके उसका लाभ लेने के लिए एक सोची-समझी साजिश के तहत हमला होता है। उसका हम वर्णन करना चाहते हैं कि जिस तरह से गुजरात में पिछले दिनों हुआ, चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक समुदाय के 2000 निर्दोष लोगों को मारा-पीटा गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, मां के कोख के बच्चे को भी मार दिया गया, वह अपने आप में एक इतिहास है। हम सब जानते हैं और सारी दुनिया इस बात को जानती है। अगर इसी तरह का ट्रेन्ड रहा तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए अल्पसंख्यक समुदाय या किन्हीं भी लोगों को मारकर, तनाव पैदा करके, साम्प्रदायिकता का वातावरण उत्पन्न करके राजनीतिक सत्ता को हथिया लें तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारा देश सब लोगों के लिए है। हम सब लोगों को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना वहां की राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का दायित्व है। पिछले दिनों कुछ इलाकों में आतंकवाद का माहौल पैदा किया गया।

बम विस्फोट हो रहे हैं। इस देश में क्या हो रहा है? यह देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है और साम्प्रदायिक माहौल में अगर हम रहेंगे तो हम देश को कैसे बचा सकते हैं? किसी वर्ग, तबके और जाति को तथा किसी खास समुदाय के लोगों को टार्गेट करके यदि हम कार्रवाई करेंगे तो वह भी ठीक नहीं है। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आक्रोश में भी हैं और भय के वातावरण में भी जी रहे हैं। हमारा फैडरल स्ट्रक्चर है, हम इस बात को मानते हैं मगर केन्द्र सरकार के पास अधिकार हैं, धाराएं हैं, कानून हैं जिनके तहत वह जो राज्य सरकार अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रही है, उसको नियंत्रण में कर सकती है और नियंत्रण में करके उस राज्य सरकार को कम्पैल करेगी कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए नहीं तो मजबूरी में हमें आपके बीच में आना पड़ेगा। हमारी केन्द्र सरकार और हम जिस सेकुलर मानसिकता के हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम सब लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, हम मूकदर्शक बनकर नहीं बैठे रह सकते हैं। केन्द्र सरकार को ऐसी प्रदेश सरकारों पर अंकुश लगाने की जरूरत है चाहे वह धारा 355 लगाने की बात हो या धारा 356 लगाने की बात हो या और भी किसी अन्य कोई उपाय के साथ नियंत्रण करने का अधिकार रखना चाहिए और आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व केन्द्र सरकार पर है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से विशेष तौर पर निवेदन करूंगा कि आप ऐसी प्रदेश सरकारों पर अंकुश लगाने का निश्चित तौर पर प्रयास कीजिए, आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करिए चाहे ईसाई भाई हों या मुसलमान भाई हों चाहे कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, जो सहमे हुए हैं या जो परेशानी की हालत में हैं, उनको आप बचाने का काम कीजिए।

सभापति जी, मैं एक और निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जिस तरह से दिल्ली में एनकाऊंटर हुआ, उससे एक नया माहौल खड़ा हुआ है। उससे कई तरह के प्रश्न आ रहे हैं। आम लोगों की एक डिमांड आ रही है। बुद्धिजीवियों, पत्रकारों के दिमाग में आया है और शक की सुई उस ओर जा रही है कि बटाला हाऊस में जो एनकाऊंटर हुआ है, उसकी जांच कराई जाये जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाये। जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों के मन में बात आयी है, उनका शक दूर किया जाये।

सभापति जी, आज लोगों में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। आज जिस तरह से एक नये आतंकवाद का बीज बोया जा रहा है, यह देश के लिए खतरनाक है। देश के समाचार पत्रों में छपा है कि विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के लोगों ने प्लान करके अटैक करने का काम किया है। यहां नफरत की भावना और नफरत के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। इससे देश के लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होगी। अगर देश में नफरत के बीज बो दिये जायेंगे तो देश क्या बचेगा? मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के लोगों का नाम आया है, इन संगठनों पर बैन लगाया जाना चाहिये। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाया जाये। इन संगठन के लोगों को मुसलमानों, हिन्दुओं और ईसाईयों के खिलाफ भावना भड़काने की इजाजत नहीं दी जाये, नहीं तो देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा हो जायेगा। जो भावना भड़काने वाले सौदागर हैं, उनके प्रति सख्त कार्यवाही की जाये, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी दल का समर्थक हो। अगर कोई इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, अपनी राजनीति की रोटी सेकेगा, देश की जनता देख रही है, वह उसका मुंहतोड़ जवाब देगी।

सभापति जी, एक निवेदन यह भी है कि जो भय के वातावरण में रह रहे हैं, उनके अंदर असुरक्षा की भावना है, उन्हें न्याय मिलना चाहिये।

*हमारा देश अनूठा है। हमारे देश में अनेक धर्म एवं अनेक पंथ को मानने वाले रहते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं अनेक रीति-रिवाजें, अनेक परमपराएं हैं। "सर्वधर्म समभाव वाचदेयह" भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय नागरिक अलग-अलग धर्म मानने और अलग-अलग भाषाएं बोलने और अलग-अलग के रीति-रिवाजें एवं परम्पराएं मानने के लिए स्वतंत्र हैं।

धर्म के आधार पर किसी को प्रताड़ित एवं उत्पीड़न करने का अधिकार किसी को नहीं है।

लेकिन विगत कुछ दिनों से उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के ईसाईयों पर कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा निरंतर हमले किए गए, जो राष्ट्रीय चिन्ता की बात है। इस मुद्दे पर गहन चिन्तन एवं मनन होना चाहिए।

महोदय, उड़ीसा में विश्व हिन्दू परिषद नेता स्वामी लक्ष्मणानन्द सरस्वती की हत्या एक बेहद दुखद घटना है। इसकी निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए तथा हत्यारों को संविधान सम्मत सजा मिलनी चाहिए।

लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है कि कथित 5 हत्यारों को सजा दिलाने के बदले में बजरंग दल तथा विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने पूरे ईसाई समाज पर जघन्य हमला किया। धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा उड़ीसा में दो लोगों को जिन्दा जला दिया गया, जिसमें एक पादरी तथा एक नन थी। इसके अलावा एक नन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इन घटनाओं से मानवता शर्मसार हो गई है। अनेक राज्यों में निर्दोष एवं निहत्थे ईसाईयों के घरों, गिरिजाघरों, अनाथ आश्रमों, स्कूलों में आग लगा दी। यह लोकतंत्र पर हमला है। इस तरह के आतंकवादियों से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, लेकिन साम्प्रदायिक हिंसा से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता पर खतरा है।

महोदय, ईसाईयों पर हमलों के मामलों में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो या तो बजरंग दल के या विश्व हिन्दू परिषद के लोग धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। राज्य सरकार मौन रहीं। राज्यों में ईसाईयों पर हमले हो रहे हैं और राज्य सरकारें मौन हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए तथा संविधान की धारा 355 के तहत आंतरिक अशांति को रोकने का निर्देश उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं राज्यों को देना चाहिए। संविधान की धारा 256 और 257 के तहत भी इन राज्यों को हिंसा तत्काल रोकने का निर्देश देना चाहिए।

देश में आतंकवाद रोकने के लिए सरकार ने कदम

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री राम कृपाल यादव]

उठाते हुए 32 संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया है। देश की एकता और अखंडता पर प्रहार राष्ट्र विरोधी कार्य है।

अतः देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए 32 आतंकवादी संगठनों की तरह बजरंग दल तथा विश्व हिन्दू परिषद पर भी भारत सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए जिससे धार्मिक नफरत का वातावरण और अधिक बढ़ाया नहीं जा सके।*

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): माननीय महोदय, नियम 193 के तहत इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं।

महोदय, चाहे उड़ीसा हो या कर्नाटक एक समुदाय द्वारा ईसाईयों के विरुद्ध की गई अत्याचार की घटनाओं पर बोलते हुए मुझे पीड़ा और व्यथा हो रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह केवल व्यथा का ही मामला नहीं है, अपितु गहन चिंता का भी मामला है। इस सभा के सभी वर्गों ने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं जो उनके अनुसार धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक ढांचे से संबंधित मुद्दे हैं। विचार है कि यह समूची माननीय सभा इस राष्ट्र में संवैधानिक प्राधिकार को कायम रखने के प्रति प्रतिबद्ध है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सभा को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस राष्ट्र में अल्पसंख्यक, चाहे वे ईसाई हों, मुसलमान, सिख या अन्य समुदायों के हों, वे सभी राष्ट्र तथा इसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के प्रति प्रतिबद्ध हैं। कुछ भी हो जाए, ये राष्ट्र की उसी प्रतिबद्धता और अधिकार के साथ सेवा करेंगे जो संवैधानिक अधिकारों के तहत उन्हें प्रदत्त है।

संविधान के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों के परिणामस्वरूप, चाहे वे अनुच्छेद 29 के तहत दिये गये हो अथवा अनुच्छेद 30 के तहत, अल्पसंख्यकों ने इस राष्ट्र की अपनी जनसंख्या की तुलना में अत्यधिक योगदान दिया है। चाहे शिक्षा का मामला हो, विधवाओं की समस्याओं, राष्ट्र के अनाथ लोगों की समस्याओं, को निपटाने का मामला हो, चाहे चिकित्सक वर्ग की समस्याएं हों, ईसाईयों और मुसलमानों ने कुछ न कुछ ऐसा किया है जो इस देश के इतिहास में अभूतपूर्व है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे तत्व है जो डर की राजनीति विवाद की राजनीति, और विरोधाभासों की राजनीति करते हैं और कहते है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, जिसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों के प्रति कुछ न कुछ चिंता करने वाली बात हो जाती है। उन्होंने कहा कि एक तरीके विशेष से अल्पसंख्यक लोग जनसंख्या में वृद्धि के एक निश्चित स्तर से अधिक विस्तार कर रहे हैं अथवा बढ़ रहे हैं और इसलिये इस देश में किसी अन्य समुदाय के लिए यह चिंता का विषय बन जाता है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि इस देश के कोई भी आंकड़े, चाहे वह जनगणना के आंकड़े हों, राज्यों से प्राप्त रिपोर्टें हों, यह संकेत नहीं देते कि वे एक सीमा से अधिक स्तर तक बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यक जनसंख्या के मामले में कमोबेश स्थिर रहे हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इस प्रकार का भयोन्माद (फीयर सायकोसिस) जो समाज के एक वर्ग द्वारा फैलाया जा रहा है, राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को अकथनीय हानि पहुंचा रहा है और सत्ता संभाल रही सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विशेषरूप से अल्पसंख्यक लोग इस राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिये कोई खतरा नहीं है।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि ईसाई और मुस्लिम समुदायों की प्रतिष्ठा को कायम रखने की आवश्यकता है।

मैं नहीं जानता कि इस संबंध में गृह मंत्री के मन में क्या है, परन्तु मैं सोचता हूं कि अल्पसंख्यकों को यह आश्वस्त और पुन आश्वस्त करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है कि उन्हें प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा के अधिकारों को सुदृढ़ किया जाएगा और लागू किया जाएगा और जो समुदाय किसी भय विशेष के कारण इस तत्व को नष्ट कर रहे हैं, उनसे उपयुक्त तरीके से निपटने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री फ्रांसिस फैन्थम: महोदय, कुछ अन्य मुद्दे भी हैं, जो मैं कहना चाहूंगा। परन्तु क्योंकि आप चाहते है कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं निश्चय ही यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि यदि चर्चों को तोड़ा गया है, यदि विद्यालयों को जलाया गया है, तो राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है ताकि पुनः उन्हें वे सम्मान दिया जा सके जो वास्तव में उन्हें दिया जाना चाहिये।

मैं अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

*महोदय, इस महान राष्ट्र के संविधान में अनुच्छेद 30(1) के तहत अपनी पसन्द के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का मौलिक अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 29 के तहत अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बढ़ावा देने का अधिकार दिया गया है। परिणामस्वरूप, अल्पसंख्यकों विशेष रूप से ईसाईयों ने असामान्य गुणवत्ता परिपूर्ण सेवा प्रदान की है और इस देश को अपनी संख्या की तुलना में अधिक योगदान दिया है।

महोदय, उड़ीसा में समस्या तब उत्पन्न हुई जब कन्धमाल क्षेत्र में हिन्दू समुदाय के एक वर्ग द्वारा ईसाई समुदाय पर प्रहार किया गया। महोदय, हाल के कुछ वर्षों में राष्ट्र को जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक हितों के विवाद के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है क्योंकि देश में ईसाई जनसंख्या बढ़ रही है, परन्तु यह इस संबंध में वास्तविकता से भिन्न है।

महोदय, 25 अगस्त, 2008 को स्वामी लक्ष्मणानन्द की हत्या के संबंध में यह अफवाह यह फैलाई गई कि उनकी हत्या ईसाइयों ने की है; परिणामवश 45 लोगों को जिंदा जला दिया गया, 400 घर जला दिये गए, दर्जनों विद्यालयों, गिरिजाघरों को जला दिया गया अथवा क्षति पहुंचायी गयी। एक नन का बलात्कार हुआ और एक पादरी को नग्न घुमाया गया - और राज्य पुलिस मूक दर्शक बनी रही।

परिणामस्वरूप ईसाई समुदाय अत्यधिक पीड़ित हुआ और उन्होंने अपनी इस व्यथा का प्रदर्शन 29 अगस्त, 2008 को 45000 संस्थानों को बंद करके किया।

विरोध के रूप में रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में, जब समुदाय ने विरोध किया तो शिक्षा मंत्री ने उन्हें और उनके विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करने की धमकी दी।

महोदय ईसाई समुदाय राष्ट्रीय एकता का पालना रहा है और इसने अपने शैक्षणिक, चिकित्सा और सामाजिक संस्थानों के द्वारा राष्ट्र की सेवा की है। इस समुदाय ने सभी वर्गों के लिए हाथ बढ़ाया है राष्ट्र को आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ाया है।

ईसाई समुदाय की मर्यादा की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, विस्थापित लोगों के घरों की संरक्षा और सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की देखरेख सुनिश्चित की जाए, उनके गिरिजाघरों और विद्यालयों का पुनर्निर्माण किया जाए, और जिन लोगों ने मानवता के विरुद्ध अपराध किया है, उन्हें सजा दिए जाने की आवश्यकता है और चाहे उड़ीसा हो या कर्नाटक, पुलिस को उनके पक्ष पर अकर्मण्यता के चलते ईसाई समुदाय के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। इस मामले की सी.बी.आई. जांच करवाई जाए।*

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं नियम 193 के अंतर्गत होने वाली इस चर्चा के बिल्कुल अन्त में बोल रहा हूं। अतः, मैं अपनी बात यथासंभव संक्षिप्त रूप में ही कहूंगा।

सबसे पहले, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले राज्य सभा के एक माननीय साथी द्वारा पहले तो एक अन्य टेलीविजन पर और दूसरे दिन लोक सभा टेलीविजन पर कुछ कहने के लिये किये गये प्रयास की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और उड़ीसा में जो कुछ भी हुआ, वह जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने के कारण हुआ तथा अपने इस वक्तव्य के समर्थन में, उस माननीय सदस्य ने महात्मा गांधी द्वारा 1941 में लिखित एक पुस्तक को भी दिखाया। मैं, न केवल इस सम्माननीय सभा बल्कि पूरे देश की भलाई के लिये अब जो भी स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, वह यह है कि महात्मा गांधी ने 1941 में जो कुछ लिखा था, वह धर्मान्तरण के समर्थन में कदाचित नहीं था। यह भी स्पष्ट करना होगा कि इस राष्ट्र को इस बाबत भ्रमित करने का प्रयास किया गया कि महात्मा गांधी भी धर्मान्तरण के पक्षधर थे। सच से कुछ भी दूर नहीं हो सकता। उस दिन चैनल पर टेलीविजन कैमरा के सामने जो पुस्तक दिखाई गई, उसमें महात्मा गांधी द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिये गये भाषण शामिल हैं और उन्होंने कहा था कि जिन लोगों का उनके मूल धर्म से धर्मान्तरण कराया गया है, यदि वे अपने मूल धर्म को वापस अपनाने के इच्छुक हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। उन्होंने ऐसा इसलिये कहा था क्योंकि उस समय इस बात का काफी विरोध हुआ था कि जिन लोगों का धर्मान्तरण हुआ है, उनको अपने मूल धर्म में वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। अतः यह राष्ट्र को भ्रमित करने के लिये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया एक प्रयास था तथा मैं इस राष्ट्र के समक्ष इस भाव को सही करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। मेरी पहली बात तो यह है।

दूसरे, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री निखिल कुमार]

जो कुछ भी उड़ीसा और कर्नाटक में हुआ, उसे इस देश के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मूलभूत प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। केवल इन सभी घटनाओं का संज्ञान लेने के लिये ही नहीं, बल्कि इन राष्ट्र-विरोधी घटनाओं में संलिप्त उन सभी लोगों को सबक सिखाने के लिये कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिये और इसके लिये, मैं इस सभा के समक्ष संघीय अपराध की एक संकल्पना रखता हूं।

हमें संघीय अपराध के इस प्रश्न पर चर्चा करने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि हम इस संकल्पना के प्रति एक स्पष्ट रुख अपनायें। मुझे पता है कि इसका काफी विरोध हो रहा है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यदि संघीय अपराध की संकल्पना को मूर्त रूप दे दिया जाता है, तो इससे राज्य के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप होगा।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि इस संकल्पना जिसे संवैधानिक समर्थन भी प्राप्त करना होता है, को मूर्त रूप दे दिया जाता है, और यदि किसी संघीय जांच एजेंसी की स्थापना करके इसको अपनाया जाता है, तो यह बात स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि इससे राज्य के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं होगा। इस प्रकार के अपराध पर राज्य का क्षेत्राधिकार जारी रहेगा और इस अपराध की परिभाषा केवल कुछ सीमित अपराधों को इसके अन्तर्गत शामिल करके की जायेगी, केवल उन्हीं अपराधों को इसके अन्तर्गत शामिल किया जायेगा जो कि राज्य, इस देश और इस राष्ट्र के विरुद्ध किये गये अपराध हों। अतः हमेशा के लिये यह बात स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि आज इस देश के सभी राज्य एकजुट हों और राष्ट्र हित में इस संकल्पना को समझें तथा संघीय अपराध की संवैधानिक स्थिति को स्वीकार करें और एक संघीय जांच एजेंसी को ऐसे अपराध का स्वतः संज्ञान लेने की अनुमति दी जाये।

कर्नाटक और उड़ीसा में जो कुछ भी हुआ, यदि कोई संघीय एजेंसी अस्तित्व में होती तो वह इन अपराधों का स्वतः संज्ञान लेने की स्थिति में होती और वह कार्रवाई भी करती तथा वह ऐसा नहीं करती जैसा कि उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है, उसका कारण यह है कि वहां पर केन्द्रीय बल नहीं पहुंचे। वास्तव में, यह अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करने का केवल एक तरीका है। यदि उड़ीसा राज्य के उस जिले का प्रशासन हो रही घटनाओं के प्रति सचेत रहता, तो वह इस समस्या को इसकी शुरुआत में ही खत्म कर देता तथा इस समस्या को इतना तूल देने और केन्द्रीय बलों को भेजने की आवश्यकता ही न पड़ती।

मैं पुरजोर ढंग से यह कहता हूं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये भाषण की कदाचित आवश्यकता नहीं थी। यह उनका अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक प्रयास था। उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि उड़ीसा में जो कुछ भी हुआ है, वह केन्द्र की असफलता के कारण हुआ है। ऐसा नहीं है, मैं फिर कहता हूं कि ऐसा नहीं है।

सच तो यह है और मैं पुनः दोहराता हूं कि यदि हमारे पास संघीय अपराध की कोई संकल्पना होती, तो केन्द्र इस स्थिति में होता ही कि वह इस अपराध पर स्वयं ध्यान देकर उसका संज्ञान लेता और शिकायतों के निवारण हेतु पर्याप्त कार्रवाई करता।

[हिन्दी]

**डा. वल्लभभाई कथीरिया* (राजकोट): मैं दुःखी ह्रदय से चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि यह स्थिति देश को बरबादी की ओर ले जा सकती है। माईनोरिटी के मायने क्या हैं। कश्मीर में आज कौन माईनोरिटी में है? मिजोरम, पंजाब में कौन माईनोरिटी में है? यदि जिलों की तरफ देखा जाये तो आज मुस्लिम बहुल जिलों में कौन माईनोरिटी में है?

आज हम देश को जात-पात, भाषा-संप्रदाय, धर्म, रंग में बांटे जा रहे है। देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने के बजाय हम वोट बैंक की राजनीति को नजर में रखते हुए, देश का बंटवारा कर रहे हैं। 1947 में तो देश एक बार बंट गया - अब कितनी बार और बंटवारा चाहते हैं? बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि देश के नागरिक इस पंथ संप्रदाय से पहचान में गौरव महसूस करते हैं।

जब हम माईनोरिटी पर अटैक की बात करते हैं, तब देखना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है, किसने शुरुआत की और क्यों प्रतिघात हुआ?

उड़ीसा की ही बात करें, तो पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद जी और उनके साथ जो कार्य कर रहे थे, उनकी हत्या किसने की और क्यों की? एक पूज्य स्वामी जंगल में आदिवासियों के बीच अपना जीवन बिताकर बनवासी बंधुओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे थे, शिक्षा और

... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

आरोग्य के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई - इसलिए कि उनकी टीम आदिवासी विस्तार में क्रिश्चियन मिशनरी की तरह चैरिटी का काम कर रही थी और इसी वजह से करोड़ों बनवासी धर्मपरिवर्तन करने से बच रहे थे।

अपने देश में धर्म परिवर्तन कोई लाभ-लालच देकर नहीं करा सकता। पूरे देश में क्रिश्चियन मिशनरी यही काम करते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं करता।

हमारे साथियों को यहां बार बार गुजरात याद आता है। मैं कहूंगा कि आपको गोधरा कांड याद नहीं आता है, आपको 1984 के दिल्ली के दंगे क्यों याद नहीं आते? सिख कम्युनिटी को कैसे जलाया गया था? तब राजनीतिक प्रतिक्रिया होती थी कि कोई पेड़ गिरता है तो जमीन तो हिलेगी ही। यह कोई प्रतिवाद नहीं है।

यानि कोई भी बचाव की स्थिति में नहीं है। अपने देश का मूल धर्म सनातन धर्म-हिन्दू धर्म इतना उदारवादी है कि यहां की सब माइनोरिटीज सबसे ज्यादा सुरक्षित है। देखिये विश्व के अन्य देशों की स्थिति। वहां क्या हो रहा है? पाकिस्तान में हिन्दू समुदाय की स्थिति क्या है? कश्मीर से आज हिन्दू कश्मीर वैली के बाहर कैसे निकाल दिये गए हैं? वास्तव में हिन्दू धर्म सर्वधर्म सम्भाव को मानता है, वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति को मानता है। अहिंसा उनका आधार स्तम्भ है।

फिर भी आजादी के बाद केवल वोट बैंक की राजनीति ने इस देश के नागरिकों में बंटवारे का काम किया है। धर्म, संप्रदाय पंथ में भेदभाव का निर्माण करने का पाप किया है। यही कारण है कि आज दंगे हो रहे हैं। आज आतंकवाद की स्थिति पैदा हो गई है।

हिन्दू समाज की उदारमनवादिता की आज कसौटी पर है। हिन्दुओं की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। अमरनाथ मार्ग पर जगह की बात हो, रामसेतु की आस्था का प्रश्न हो, राम जन्म भूमि का मामला हो, अनेक हिन्दू धर्म के मानबिंदु, यात्रा स्थानों की बात हो, आज हिन्दू को लगता है कि मैं अपने ही देश में निःसहाय हूं। माइनोरिटी मैजोरिटी के नाम पर हिन्दू पर अन्याय हो रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हिन्दू बागी हो जायेगा, हिन्दू सेंटीमेंटस को ज्यादा भड़काने में स्थिति और बिगड़ सकती है।

ऐसी स्थिति में, इस देश में माइनोरिटी अपने आपको पारसी समाज की तरह अपने को राष्ट्र के राष्ट्रीय प्रवाह के साथ जोड़ दें। इस देश को अपना देश मानकर, इस मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, आस्था और विश्वास करें, इस देश की संस्कृति को मानें, और समरस समाज की रचना में सहयोग करें, तभी देश बचेगा, समाज बचेगा, हम सब बचेंगे। हम सब, आओ, मातृभूमि की एकता और अखंडता को बनाये रखें। ऐसी कनिष्ठ राजनीति छोड़कर, सामाजिक सदभावना का वातावरण पैदा करें।

[अनुवाद]

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। असम, खासतौर से बोडोलैण्ड और उदलगुड़ी में हाल ही में हुई जातीय हिंसा असम राज्य सरकार की अकर्मण्यता और असफलता का नतीजा है। असम राज्य सरकार कानून-व्यवस्था कायम रखने और असम के लोगों की जान-माल की सुरक्षा करने में पूर्णतः विफल रही है।

असम राज्य में अतिवादी समूह के वोट के कारण ऐसी घटनायें नियमित तौर पर हो रही हैं। इसी कारणवश असम की धरती पर पाकिस्तानी झंडा भी फहराया जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक यह सहन नहीं करेगा कि देश में ऐसा हो। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिये एक बड़ा खतरा है। इसीलिये, हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह इस मामले की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच का तुरंत आदेश दे तथा इस विशेष मुद्दे पर भारत सरकार एक श्वेत-पत्र भी जारी करे और असम सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाये क्योंकि वह कानून और व्यवस्था कायम रख पाने में पूर्णतः विफल रही है। असम के लोगों तथा असम राज्य में रह रहे सदाशयी भारतीय नागरिकों के समक्ष अपनी पहचान को कायम रख पाने का भी संकट है। यह भारत के लोगों के लिये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिये इसे उच्च प्राथमिकता दी जाये। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। यह मात्र असम का ही मुद्दा नहीं है। इसलिये, भारत सरकार को राष्ट्रीय कार्यकलापों संबंधी अपने एजेंडे में इसे उच्च प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिये।

महोदय, मैं आपकी सूचनार्थ यह कहना चाहता हूं कि अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं और राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया है। ऐसी घटनायें लगातार हो रही हैं। महोदय, मुझे आपको यह बताते हुये बहुत खेद हो रहा है कि भारत सरकार और असम राज्य सरकार अब तक चुप्पी साधे हुई हैं। कम से कम वे पाकिस्तानी

[श्री सर्बानन्द सोनोवाल]

झंडा फहराये जाने के संबंध में तो सख्त कार्रवाई कर सकती थीं। आप इस प्रकार की स्थिति को कैसे सहन कर सकते हैं? हम ऐसा होना कैसे सहन कर सकते हैं? क्या हम वास्तव में ही अपनी मातृभूमि को पाकिस्तानी बलों के हाथों में बेच रहे हैं? कोई भी भारतीय इस बात को कैसे सहन कर सकता है? यह देश के लिये एक शर्मनाक बात है। इसलिये, मैं आज गृह मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि वे खासतौर से इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): महोदय, हम जिस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, वह बहुत संवेदनशील और ज्वलंत समस्या है। संक्षेप में, मैं मात्र कुछ बातें ही कहूंगा। मैं असम सरकार के खिलाफ लगाये गये आरोपों का पुरजोर खंडन करता हूं। ये सभी आरोप निराधार हैं। राज्य सरकार ने स्थिति पर काबू पाने हेतु सभी संभव प्रयास किये हैं। मात्र 72 घंटे के भीतर ही, इतने बड़े स्तर पर हुई हिंसा पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। एक पुलिस अधीक्षक और एक अपर पुलिस अधीक्षक को पहले ही निलंबित कर दिया गया है और एक उपायुक्त का सजा के तौर पर स्थानांतरण कर दिया गया है। दूसरी तरफ, मुख्य मंत्री जी ने एक सी.बी.आई. जांच कराये जाने की पहले ही घोषणा कर दी है...*(व्यवधान)* माननीय मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई ने एक सी.बी.आई. जांच कराये जाने की पहले ही घोषणा कर दी है। दूसरी ओर, मुस्लिम लोगों पर भी कुछ आरोप लगाये गये हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि यह एक बाह्य आक्रमण है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग इसमें शामिल हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बांग्लादेश के लोग शामिल हैं। ये सभी बातें निराधार हैं...*(व्यवधान)*

श्री सर्बानन्द सोनोवाल: वहां जो झंडा फहराया गया था वह पाकिस्तान का झंडा था...*(व्यवधान)*

श्री अनवर हुसैन: आपने अपनी बात कह ली है; मुझे अपनी बात कहने दीजिये।

महोदय, वहां रहने वाले सभी लोग स्थानीय हैं। उन्हें इसका इतिहास मालूम होना चाहिये क्योंकि 1906 में बंगाल का विभाजन हुआ था और असम को पूर्वी बंगाल के साथ मिला दिया गया और ढाका राजधानी थी। उस समय ये लोग वहां आये। अतः, ये लोग वहां पर 100 वर्ष पूर्व आये। ये लोग बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान अथवा अन्य किसी देश के लोग कदाचित नहीं हैं। ये सभी लोग भारतीय हैं। लोग पुलिस हिरासत में भी रह रहे हैं। कुछ लोग मर भी गये। कुछ लोग अस्पतालों में भर्ती हैं; कुछ लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इन सब बातों के रिकॉर्ड पुलिस और प्रशासन के पास मौजूद हैं। मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि यदि ये लोग यह साबित कर दें कि इन लोगों में से कोई भी बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान का है, तो मैं इसी क्षण इस सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। यह मेरी चुनौती है। वे वहां मुस्लिम लोगों के चरित्र पर दाग लगाने के लिये उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

ये लोग भड़के हुये हैं। मैं एक विद्यालय में नौकरी करता था। चार साल की लंबी अवधि तक उन्होंने मुझे मेरे विद्यालय में जाने नहीं दिया। अन्ततः, मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उनके ऐसे कार्यकलाप हैं। मैं एक भारतीय हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसके अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

सभापति महोदय: वे अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं। इस बात की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनवर हुसैन: मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बाद में एम.एल.ए. बना, मंत्री भी बना और फिलहाल मैं एक संसद सदस्य हूं किंतु वे हमें बांग्लादेशी समझ रहे हैं। यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

सभापति महोदय: कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनवर हुसैन: दूसरी ओर, जहां तक पाकिस्तान के झंडे की बात है, यह ईद-उल-फितर वाले दिन की बात है। सभी मुसलमान यह जानते हैं कि संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में ईद-उल-फितर के मौके पर वे एक ऐसे झंडे को फहराते हैं जिस पर आधा चांद छपा होता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बीच में व्यवधान न डालें। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।...

*(व्यवधान)**...

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनवर हुसैन: ईद-उल-फितर दो तारीख को मनाया गया; और यह सारा फसाद तीन तारीख को शुरू हुआ। अतः, ये सभी आरोप निराधार हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

...*(व्यवधान)*

सायं 6.55 बजे

इस समय श्री सर्वानन्द सोनोवाल आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापस जायें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनवर हुसैन: सी.बी.आई. सच्चाई का पता लगा लेगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री सर्वानन्द सोनोवाल, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

...*(व्यवधान)*

सायं 6.56 बजे

इस समय, श्री सर्वानन्द सोनोवाल अपने स्थान पर वापस चले गये।

सभापति महोदय: श्री अनवर हुसैन, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनवर हुसैन: अब मैं आखिरी बात पर आता हूं। असम सरकार ने मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को तीन लाख रु. की अनुग्रह राशि मुआवजे के तौर पर देने तथा जिन लोगों का घर और सम्पत्ति जल कर राख हो गयी है, उन्हें 50,000 रु. बतौर मुआवजा देने तथा प्रत्येक घायल व्यक्ति के ईलाज हेतु 15,000 रु. की राशि देने की पहले से ही घोषणा की है।

महोदय, राज्य सरकार ने सब कुछ किया है। अतः, ये आरोप पूर्णतः बेबुनियाद हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

श्री अनवर हुसैन: महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने गृह मंत्री जी का नाम पहले ही लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनवर हुसैन: सी.बी.आई. पता लगायेगी कि क्या इस फ़साद के लिये मुस्लिम लोग जिम्मेदार हैं अथवा यह फसाद गैर विधिक और सशस्त्र संगठन एन.डी.एफ.बी. द्वारा कराया गया है।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, आपकी पार्टी के सदस्य आपकी आज्ञा नहीं मानते...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं वे आज्ञाकारी हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया शांत रहें। अब, माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): सभापति महोदय, मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहना चाहता हूं।

सभी माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मेरे विचार से उनके द्वारा कही गयी सभी बातों पर राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार ध्यान देंगी, तथा हम उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं।

माननीय सदस्यों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का अनुकरण करता है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि संविधान की उद्देशिका में इस बाबत संशोधन किया गया था ताकि उसमें 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा जा सके जिससे इस बात पर बल दिया जा सके कि यह ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है जिन्हें भारत अपनायेगा। हम इस सिद्धान्त का अक्षरशः पालन करवाने के लिये हर संभव कार्य करेंगे। दुर्भाग्यवश, कुछ स्थानों पर सांप्रदायिक घटनायें हुई है।

हम निश्चित तौर पर उड़ीसा में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। कर्नाटक, असम और अन्य स्थानों पर हुई सांप्रदायिक घटनाओं के संदर्भ दिय गये हैं। किंतु, मैं भारत में हुई सभी सांप्रदायिक घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

महोदय, माननीय सदस्यों ने कहा है कि इन घटनाओं को किसी मकसद के साथ अंजाम दिया गया है। अनेक सदस्यों ने यह भी कहा कि इस घटना को किसी मकसद

[श्री शिवराज वि. पाटील]

के साथ आरंभ किया गया और राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार, संसद सदस्यों और भारत के लोगों को यह बात याद रखनी होगी।

सायं 7.00 बजे

उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी घटनायें चुनावों के समय होती हैं। ये घटनायें तब हो रही हैं जबकि देश में चुनाव होने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये घटनायें इसी समय क्यों हो रही हैं?

सभापति महोदय: गृह मंत्री जी, एक मिनट रुकिये। माननीय सदस्यगण, बढ़ाई गई समयावधि भी समाप्त हो चुकी है। यदि सभा की सहमति हो, तो सभा की कार्रवाई को आधा घंटा और आगे बढ़ाया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां, कृपया ऐसी घोषणा कर दी जाये।

सभापति महोदय: अतः, सभा की कार्रवाई को आधा घंटा और आगे बढ़ाया जाता है। मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह बात भी याद रखनी होगी। कुछ सदस्यों ने कहा है कि कुछ स्थानों पर लोग अपने-अपने स्थानों पर लौटने से डरते हैं। मैं भी उड़ीसा गया हूं, मैं वहां कुछ गांवों में भी गया हूं और मैंने वहां के लोगों के चेहरों पर भय स्पष्ट रूप से देखा था। यह देखना राज्य सरकार के लिए और हमारे लिए भी जरूरी है कि उनमें आत्म-विश्वास हो और वे अपने-अपने स्थानों पर लौटकर जीवन जीने के लिए आश्वस्त महसूस करें।

श्री भर्तृहरि महताब: वे वापस लौट रहे है।

श्री शिवराज वि. पाटील: वहां जो कुछ किए जाने की आवश्यकता है वह राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और यदि वे अपने-अपने स्थानों को वापस लौट रहे हैं, तो यह अच्छी खबर है। लेकिन यदि वे वापस नहीं लौट रहे हैं, तो हमें उन्हें वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

महोदय, इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन हैं? हमें इन चीजों को भी समझना होगा। मेरे विचार से इन सारी चीजों के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत सीमित है। वे हरेक व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलना नहीं चाहते हैं। वे कहते हैं कि "हम आप से अच्छे हैं"। उनका कहना है कि "उन्हें सभी लाभ मिलने चाहिए, चाहे वे लाभ आपको मिलें या न मिलें।" ऐसे ही लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। वे इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे है? मेरे हिसाब से वे ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे जीवन के प्रति स्वार्थ से भरे हुए हैं। यही कारण है कि वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और कारण नहीं हो सकता है।

कुछ सदस्यों का कहना था कि इन सारी घटनाओं के पीछे सीमा पार की ताकतों का हाथ है। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि यदि हम विश्व पटल पर हो रहे सत्ता के खेल का अध्ययन करते हैं तो उन्हें ऐसा कहते हुए पाते है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का उद्देश्य होता है कि पड़ोसी ताकतवर न बन जाए। यह बात भी याद रखनी होगी। इस संबंध में माननीय सदस्यों ने सदन में जो कुछ कहा उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सारी घटनाएं ऐसे समय में घट रही है, जब चुनाव होने वाले हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राजनीतिक क्रियाकलाप में शामिल लोग भी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। यदि लोग यह सोच रहे हैं कि "हमारे पास कोई सिद्धान्त तथा दर्शन है और उसका उपयोग कर हम अधिक से अधिक वोट प्राप्त कर सकेंगे" - तो वे गलत हैं। भारत के आम लोग या इसके आम नागरिक संकीर्ण मानसिकता के नहीं हैं, वे ऐसे सिद्धान्त और दर्शन के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी, वे कह रहे हैं कि: "एक राज्य में मैंने ऐसा किया और यही काम हम दूसरे राज्य में करेंगे, और हम वोट प्राप्त करेंगे।" इस प्रकार के सिद्धान्त ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके लिए सहायक सिद्ध नहीं होगा।

धर्म को लेकर लोगों की अतिवादी प्रवृत्ति कि - "मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से अच्छा है" - भी इसके लिए जिम्मेदार है। वे लोग यह बात भूल जाते है कि भारत में हजारों वर्षों से लोग कहते रहे हैं कि हमारी मंजिल एक है लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते अलग-अलग हैं। हमें यही बात बताई गई है; लेकिन ये भूल जाते हैं और कहने लगते है कि "मेरा धर्म आपके धर्म से अच्छा है और आपका धर्म मेरे धर्म के जैसा अच्छा नहीं है।" यही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

क्या किया जा सकता है? वास्तविक सवाल यह है

कि: क्या किया जा सकता है? हम लोग पुलिस पर निर्भर रहते है। इसे नियंत्रित करने के लिए हम सरकारी तंत्र पर निर्भर है। यह स्वभाविक ही है कि देश किसी भी भाग में घटने वाली इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस और सरकारी तंत्र की होती है। इसे रोकने के लिए राज्य की पुलिस और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। केन्द्र सरकार और केन्द्र की पुलिस निश्चित रूप से सहायता करेगी। वे जिम्मेदार हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। मैं इस बात पर बाद में आऊंगा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा।

वर्षों से दिन भर यदि समाज के किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष, किस धार्मिक समुदाय के लोगों के विरुद्ध छींटाकशी की जा रही है, यदि उन पर विषमरे शब्दों से आघात किया जा रहा हो, तो उसका परिणाम क्या होगा? यदि वह एक बार भड़कते हैं, तो आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह उसे नियंत्रित करे। लेकिन आप हर समय समाज में अलगाववादी प्रवृत्ति के बीज बोते रहते है। यह मददगार कैसे होगा? अतः कार्रवाई घटना घटते समय नहीं बल्कि घटने के पहले की जानी अनिवार्य हो गयी है। यह देखना अनिवार्य हो गया है कि विष नहीं फैलाया जाए। हम अपनी आंख से देख रहे होते हैं और कान से सुन रहे होते है कि कुछ लोग ऐसा काम कर रहे है। यदि इसे नहीं रोका गया, तो यह हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा।

समय पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। किसी घटना के घटने का पूर्वानुमान लगाकर समय से कार्रवाई की जाए। यह कहने की बजाय कि हम जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप जिम्मेदार है और घटना का पूर्वानुमान लगाकर समय पर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आप समय पर कार्रवाई नहीं कर रहे है, यदि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यह फायदेमंद नहीं होगा और इसे रोकना ही होगा और हम राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि वे ऐसा करें।

यहां उपस्थित कुछ माननीय सदस्य ऐसा कह रहे थे। आप ने यह या वह कार्य क्यों नहीं किया। ठीक है, हम उनकी चिंता समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि वे बस इतना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो लेकिन उन्हें संवैधानिक उपबंधों को भी समझना होगा। यह राज्य सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि वह आवश्यक कार्रवाई करे। भारत सरकार की पुलिस हर जगह नहीं है। संबंधित स्थानों पर राज्य सरकार की ही पुलिस हो सकती है। यदि आप यह कह रहे है कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है बल्कि केन्द्र सरकार जिम्मेदार है, तो आप राज्य की जिम्मेदारी अनावश्यक रूप से केन्द्र पर डाल रहे है। इसे साफ-साफ समझ लिए जाने की आवश्यकता है। कभी-कभी मैं यह समझ नहीं पाता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा ऐसा रुख क्यों अपनाया जाता है। कभी-कभी मुझे लगता है कि वे संवैधानिक उपबंधों का सम्मान नहीं करते हैं। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक कारणों से भी ऐसा किया जा सकता है। कृपया ऐसा न करें।

कुछ माननीय सदस्यों ने कतिपय सुझाव दिए हैं। उनमें से एक सुझाव है कि हमें फेडरल एजेंसी स्थापित करनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर संसद में कोई एक बार नहीं बल्कि कई बार चर्चा हुई है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, यह फेडरल एजेंसी के पक्ष में है, लेकिन हरेक मामले में नहीं बल्कि चुनिंदा मामलों में कार्रवाई करने के लिए, ताकि किसी जगह भी घटित होने वाली घटना को नियंत्रित किया जा सके।

यह मानने पर कि हिंसक वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति एक राज्य में रहता है, वह घटना को अंजाम किसी और राज्य में देता है और किसी तीसरे राज्य में छुप जाता है, तो इस स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई करना राज्य पुलिस के लिए कठिन हो जाता है। यदि हम फेडरल एजेंसी को कार्रवाई करने की अनुमति देते हैं, तो यह संभव हो जाता है। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना सहज जो जाता है। यह अपेक्षित है इस संबंध में जो आवश्यक है, वह है राज्य सरकारों का सहयोग। राज्य सरकारों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं होगा।

ऐसा सुझाव दिया गया था कि इस प्रयोजन के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए।

मेरे विचार से माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस मुद्दे पर एक बार नहीं बल्कि कई बार सम्मेलन आयोजित किए जा चुके है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस मुद्दे पर सभी राज्य सरकारों को राजी करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाया है। यही कारण है कि संभव नहीं है कि फेडरल एजेंसी की परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाए। इस विषय पर चर्चा और राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करते रहेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

एक माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया था कि कानून और व्यवस्था तथा पुलिस विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया जाए। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। सभा में दो-तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन पारित कराने के बाद ही हम ऐसा कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए देश के आधे राज्यों की विधान सभाओं की स्वीकृति भी अपेक्षित है...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पुलिस तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी बोडोलैंड ऑटोनोमस काऊंसिल को दी जाए। पुलिस तथा कानून और व्यवस्था बहाल रखने में कमी के कारण लोग कष्ट उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इसका उल्लेख अपना भाषण समाप्त करने के पश्चात् करूंगा।

महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण बात का उल्लेख कर रहा था। एक सुझाव आया था कि इन विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए। इस उद्देश्य हेतु यह प्रक्रिया अपनानी होगी। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करना आसान नहीं होगा। यह कहना कठिन है कि इस कार्य को आसानी से किया जा सकता है।

महोदय, वहां घटनाएं हुई हैं। हमें उनकी सहायता के लिए क्या करना चाहिए? उड़ीसा, कर्नाटक, असम और अन्य राज्यों में भी लोगों को परेशानी हुई है। हमें सबसे पहले वहां के लोगों की सहायता करनी चाहिए, पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। हमने राज्य सरकारों से पीड़ितों की सहायता करने का अनुरोध किया है। हम यहां से भी पीड़ितों की सहायता करना चाहते हैं। हमारी एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत पीड़ित परिवारों को पर्याप्त धन दिया जा सकता है और हम निश्चितरूप से धन देंगे। इस योजना के अंतर्गत जिला कलक्टर के इसके बारे में केंद्र सरकार को सूचना देने की आवश्यकता है और हम यहां से परिवार के मुखिया के नाम चेक द्वारा धन भेज देंगे जिसे बैंकों में भी तीन वर्ष तक रखा जा सकता है और उससे ब्याज प्राप्त किया जा सकता है इससे वे अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं इसके अलावा अन्य प्रकार का मुआवजा भी दिया जा सकता है। उस प्रकार का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने अल्पसंख्यकों के ऐसे कई घरों को देखा है जिन्हें राख कर दिया गया है...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): कृपया, मुझे एक मिनट बोलने का समय दीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, वे आपकी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। आप अपना प्रश्न उनके भाषण के पश्चात पूछ सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया मेरे विचारों की लय में बाधा मत डालिए।

महोदय, इन घरों को जलाकर राख कर दिया गया है। राज्य सरकार के लिए यह सुनिश्चित कराना आवश्यक है कि इन लोगों के घरों का पुनर्निर्माण कराकर उन्हें दिया जाए।

तीसरी बात यह है कि गिरिजाघरों, विद्यालयों और अस्पतालों को भी क्षति पहुचाई गई है। जब, मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जहां तक विद्यालयों और अस्पतालों का प्रश्न है, इनका पुनर्निर्माण कर उन्हें देना कठिन नहीं होगा। लेकिन जहां तक पूजास्थलों का प्रश्न है, यह कठिन कार्य होगा। इसके बाद मैंने इन राज्यों के अपने मित्र मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप पूजास्थलों के निर्माण हेतु धन नहीं दे सकते हैं लेकिन जब ये स्थल क्षतिग्रस्त हो गए है तो इनके पुनर्निर्माण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैंने ठीक यही बात कही है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यही व्यवस्था दी है। इसलिए हमारे लिए धर्मस्थलों के पुनर्निर्माण के लिए कोई मुआवजा संभव हो सकेगा।

हम संविधान और कानून के अनुसार धर्मस्थलों के निर्माण हेतु धन नहीं दे सकते हैं क्योंकि यदि कोई धर्म स्थल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह सुनिश्चित करना पूरे समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका पुनर्निर्माण किया जाए। मैं समझता हूं कि इस में कोई कठिनाई नहीं होगी। राज्य सरकार भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण सहमत हो जायेगी और हम यहां से यथासम्भव सहायता देंगे।

एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत तभी स्वतंत्र हो पाया था, जब सभी भारतीय एकजुट थे। भारत तभी शक्तिशाली हो सका और स्वतंत्रता प्राप्त कर सका जब सभी धर्मों के लोग एकजुट हुए। कभी-कभी ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं और उन पर चर्चा की जाती है कि भारत एक विशाल देश है और यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न भाषा भाषी और विभिन्न धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग एक साथ रहें और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उस सिद्धांत को भारत की भूमि पर क्रियान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। यह बात समझने की है। जब किसी मस्जिद, मंदिर और गिरिजाघर पर हमला किया जाता है तो यह केवल उस ढांचे पर हमला मात्र नहीं है बल्कि यह देश की एकता पर हमला है। यह बात ध्यान में रखने की है और हमें इस प्रकार के छलावे में नहीं आना चाहिए।

यदि किसी कारणवश राज्य सरकार इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है, जैसाकि आप सभी ने सभा में कहा है, तो यह भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि ऐसा न हो और यह सुनिश्चित करना भी भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषी लोगों को जो विभिन्न सांस्कृतिक लोकाचार मानते हैं, यहां समान नागरिक की तरह रहने दिया जाए।

हम इसके लिए राज्य सरकार से अनुरोध करते रहेंगे और यदि वे इसमें विफल रहती हैं तो आप स्वयं हमसे पूछेंगे कि हमने इस मामले में क्या किया है? हमने संविधान के उपबंधों को लागू क्यों नहीं किया है? हम संविधान के उपबंधों को बहुत हल्के ढंग से नहीं ले सकते हैं। जब हम यह कहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है तो हमें यह चुनौती दी जाती है कि आप ऐसा करें, 'हम इससे निपटेंगे'। अब यह चुनौती देना कि यदि हिम्मत हो तो करके दिखाएं, एक आम बात बन गई है। हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम अनुरोध कर रहे हैं, हम यह अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया स्थिति को और अधिक मत बिगड़ने दीजिए और यदि आपको इसमें कोई कठिनाई है, तो हम उसे समझने के लिए तैयार हैं। आप भारत सरकार, यू.पी.ए. की सरकार अथवा गृह मंत्रालय पर किसी राज्य सरकार अथवा मुख्य मंत्री द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने के कारण की गई आलोचना का आरोप नहीं लगा सकते हैं। हमने निजी तौर पर भी उनसे चर्चा की होगी, हमने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया है और सहायता दी है। लेकिन यदि इसके प्रत्युत्तर में आप हमें चुनौती देते हैं तो यह किसी के लिए उचित नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। यह कहना एक आम बात है कि आप मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही तो करें, मैं आपको देखता हूं कि आप यह कैसे कर सकते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में इस प्रकार की चुनौती देने की जरूरत नहीं है। हमें एक दूसरे को समझाने का प्रयास करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने की अपील करनी चाहिए। यदि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जाता है और यदि कभी अनावश्यक रूप से...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। उनके भाषण के बीच में व्यवधान मत डालिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यदि ऐसा किया जाता है तो कृपया ऐसा मत होने दीजिए।

यदि सभा में उपस्थित सभी सदस्यों में से कोई सदस्य किसी को चुनौती देता है तो उसे स्वीकार करना अथवा उसका विरोध करना अथवा अन्य कोई कार्यवाही करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। हम इस सम्मानित सभा में केवल यही अपील कर सकते हैं कि यह चुनौती देने का स्थान नहीं है, यह स्थान परस्पर समझदारी पैदा करने, सहयोग की भावना का विकास करने तथा देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए है।

आप आश्वस्त रहें कि हम सब देश की एकता बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। आप आश्वस्त रहें कि हम इसमें विफल नहीं होंगे।

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्यों को केवल एक अथवा दो प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा जिन पर माननीय गृह मंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: आपने हर बात को विस्तार से बताया है किंतु आपके उत्तर से यह प्रतीत होता है कि केन्द्र द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। मैंने सांप्रदायिकता को रोकने के लिये एक विधेयक का सुझाव दिया था जिसका वायदा किया गया था। क्या आप इस बात का विश्वास दिलायेंगे कि यह विधेयक सभा में लाया जायेगा और इसे यथाशीघ्र पारित किया जायेगा?

श्री सर्बानन्द सोनोवाल: माननीय सभापति, मैंने माननीय

[श्री सर्वानन्द सोनोवाल]

गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि सरकार वक्तव्य दे। हम खासकर हाल ही में हमने असम में पाकिस्तान का झंडा फहराये जाने के संबंध में एक श्वेत-पत्र जारी किये जाने की मांग की थी। मैंने माननीय गृह मंत्री द्वारा विस्तार से दिये गये उत्तर को ध्यानपूर्वक सुना है, किंतु इस उत्तर में किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः, मैं उनसे पुनः अनुरोध करता हूं कि वह दोबारा उत्तर दें।

श्री सानछुमा खुंगुर बेसीमुथियारी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं। मैं असम में बोडोलैण्ड क्षेत्र में उदलगुड़ी जिले और बोडोलैण्ड से लगते अन्य जिले दारंग में 3 और 4 अक्तूबर को हुई अनुचित, नृशंस और भयानक घटनाओं की सी.बी.आई. अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग करता रहा हूं। भारत सरकार इस संबंध में कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है?

दूसरी बात यह है कि क्या गृह मंत्री मुझे इसकी जानकारी दे सकते हैं? बोडो जनजातीय गांवों में आये अतिवादियों ने भारतीय बोडो लोगों के बैथन धर्म के प्रतीक माने जाने वाले अति पवित्र फैकट्स के पौधों के टुकड़े क्यों किये? ऐसा क्यों किया गया?...*(व्यवधान)* असम के मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं असम राज्य में मंडरा रहे जेहादी खतरे के बारे में की जाने वाली टिप्पणी के बावजूद भी असम के मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाये?...*(व्यवधान)*

श्री अनवर हुसैन: महोदय, कृपया मुझे माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिये...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हां, कृपया पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री अनवर हुसैन: महोदय, 66 लोग...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: हम बोडो समस्या का समर्थन करते हैं...*(व्यवधान)* और असम में कांग्रेस सरकार पूर्णतः विफल हुई है...*(व्यवधान)* हम अपने भाई-बंधुओं का समर्थन करते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है और न ही आपको बोलने की अनुमति दी है। मैंने दूसरे माननीय सदस्य से कहा है कि वह प्रश्न पूछ लें।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: धन्यवाद। अब, आप मेरा नाम पुकार सकते हैं...*(व्यवधान)* हम उनका समर्थन कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं उनका नाम पहले ही पुकार चुका हूं। कृपया ऐसा न करें। इसकी अनुमति नहीं है। मैंने पहले ही दूसरे सदस्य को बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: शर्म की बात है कि असम में राज्य सरकार विफल हो गई है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: शर्म की बात है कि सीमावर्ती राज्य होने के नाते, केन्द्र कुछ नहीं कर पा रहा है और राज्य सरकार...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने उनको पहले ही प्रश्न पूछ लेने की अनुमति दे दी है, और आपको बोलने की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही सारांश में सम्मिलित न करें। जो कुछ भी मेरी अनुमति के बगैर कहा गया है, उसे कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

श्री अनवर हुसैन: बोडो लोगों, मुस्लिम, गारो और बंगाली हिन्दुओं समेत एक साथ 66 लोगों की हत्या की गई; 118 लोग घायल हुए और 2500 घरों को जला दिया गया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना प्रश्न माननीय मंत्री जी पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनवर हुसैन: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं कि वह उन्हें 1984 में दिल्ली में हुये दंगों की तर्ज पर मुआवजा अथवा अनुग्रह राशि दे।

श्री शिवराज वि. पाटील: पहला प्रश्न साम्प्रदायिक हिंसा निवारण विधेयक के बारे में था। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि हमने यह विधेयक दो वर्ष पूर्व राज्य सभा में पुरःस्थापित किया था और वहां से वह विधेयक स्थायी समिति को भेज दिया गया था। स्थायी समिति ने भी उस विधेयक पर विचार किया और उसके बारे में अपना प्रतिवेदन तैयार किया। हमने स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा संशोधनों को भी तैयार कर लिया है जिन्हें सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा।

यह विधेयक राज्य सभा में लंबित है। यदि अवसर मिलेगा तो हमें इस विधेयक को पारित करवाने में प्रसन्नता होगी। यदि अवसर न मिला, तो आप यह आशा नहीं कर सकते कि मंत्री जी सभा की कार्यवाही चलाकर इसे पारित करवा लेंगे। ऐसा करना कार्यपालिका का काम नहीं है। इस विधेयक की रूपरेखा तैयार करने में मेरा भी योगदान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी यदि यह विधेयक पारित कर दिया जाये। यदि ऐसा नहीं होता तो इसके लिये कार्यपालिका को दोषी न ठहराया जाये।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: गृह मंत्री जी पहल करें और यह कहें कि ऐसा करना आवश्यक है।

श्री शिवराज वि. पाटील: दूसरी बात, असम में किसी दूसरे देश के झंडे के फहराये जाने का बारे में है। हम इस बारे में राज्य सरकार से जानकारी मांगेंगे। उचित कार्रवाई करने के लिये...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी ने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: जहां तक राज्य पुलिस द्वारा की जाने वाले जांच की बात है, वह इसकी जांच कर रही है। अगर वे सुझाव दें कि अन्य जांच एजेंसी कुछ करे तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, किंतु उन्हें इसके लिए कहना होगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसकी अनुमति नहीं है क्योंकि मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

*(व्यवधान)**...

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: व्यवधानों को कार्यवाही सारांश में सम्मिलित न किया जाये।

श्री शिवराज वि. पाटील: कुछ लोगों को नुकसान हुआ है और राज्य सरकार से अवश्य कहेंगे कि वह सभी त्रस्त लोगों की मदद करे, और हम यह भी देखेंगे कि हम राज्य सरकार की किस प्रकार मदद कर सकते हैं कि वह उनकी सहायता करे। धन्यवाद।

सभापति महोदय: अब, सभा में अनुपूरक कार्य लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री जी ने अपना उत्तर पहले ही समाप्त कर दिया है। आपको यह प्रश्न पहले ही पूछना चाहिये था।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको यह प्रश्न उनका उत्तर समाप्त होने से पूर्व पूछना चाहिये था, न कि उसके पश्चात्। अब, इस विषय पर होने वाली चर्चा समाप्त हो गई है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

*(व्यवधान)**...

सभापति महोदय: इसको कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

सायं 7.28 बजे

राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा आज के लिए सूचीबद्ध अनुसूचित अनुपूरक कार्य शुरू करेगी।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, ' ,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2 दिनांक 24-10-08 में प्रकाशित।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित * करता हूं।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने हेतु, चर्चा करेगी।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं प्रस्ताव * करता हूं:

"कि राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्तुत।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.31 बजे

राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक*, 2008

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शिवराज वि. पाटील: मै विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूं।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं प्रस्ताव ** करता हूं:

"कि उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम 1997 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम 1997 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2 दिनांक 24-10-08 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्तुत।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.34 बजे

संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक* 2008

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वायालार रवि: मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूं:

सभापति महोदय: अब मंत्री जी विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्तुत करें।

श्री वायालार रवि: मैं प्रस्ताव ** करता हूं कि:

"संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए?"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए?"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: अब मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री वायालार रवि: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.35 बजे

राज्यपाल उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार (संशोधन) विधेयक* 2008

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): मैं प्रस्ताव करता

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2 दिनांक 24-10-08 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्तुत।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2 दिनांक 24-10-08 में प्रकाशित।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

हूं कि राज्यपाल (उपलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्यपाल (उपलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं:

सभापति महोदय: अब मंत्री जी विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्तुत करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्यपाल (उपलब्धियां भत्ते, और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्यपाल (उपलब्धियां भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: अब मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.38 बजे

अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

दिनांक 10 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए सभा का स्थगन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यो, माननीय अध्यक्ष को संसदीय कार्य मंत्री से 24 अक्तूबर, 2008 का एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि सरकार संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा के पश्चात 'बुधवार 10 दिसम्बर, 2008 को समवेत होने के लिए सभा को आज स्थगित करना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष ने अनुरोध पर सहमति जताई है और तदनुसार, सभा बुधवार, 10 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.39 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 दिसम्बर, 2008/19 अग्रहायण, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री उदय सिंह श्री हरिसिंह चावड़ा	101
2.	श्री हन्नान मोल्लाह श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	102
3.	श्री किन्जरपु येरननायडु	103
4.	श्री टेक लाल महतो श्री एस. अजय कुमार	104
5.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार श्री जुएल ओराम	105
6.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम	106
7.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	107
8.	श्री सुब्रत बोस श्रीमती करुणा शुक्ला	108
9.	श्री आर. प्रभु	109
10.	श्रीमती सुमित्रा महाजन श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	110
11.	श्री हंसराज गं. अहीर	111
12.	श्री अबु अयीश मंडल	112
13.	श्री बापू हरी चौरे श्री सांताश्री चटर्जी	113
14.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री जीवाभाई ए. पटेल	114
15.	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी श्री सी.के. चन्द्रप्पन	115
16.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	116
17.	श्री के. सुब्बारायण श्री के.सी. पल्लानी शामी	117
18.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	118
19.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री आनंदराव विठोबा अडसुल	119
20.	श्री बसुदेव आचार्य	120

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	1102
2.	आचार्य श्री बसुदेव	1130, 1167, 1184, 1206
3.	अडसुल, श्री आनंदराव विठोबा	1166, 1167, 1169, 1176
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1161, 1208
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1162, 1196, 1209, 1219
6.	अजय कुमार, श्री एस.	1167
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	1127
8.	आठवले, श्री रामदास	1121, 1179, 2105, 2116, 1222
9.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1141
10.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	1141, 1187

1	2	3
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1113, 1162, 1196, 1208, 1219
12.	बर्मन, श्री हितेन	1096, 1149, 1192
13.	बर्मन, श्री रनेन	1087
14.	भगोरा, श्री महावीर	1117, 1124, 1175
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1115, 1172, 1201
16.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1134, 1182, 1224
17.	बोस, श्री सुब्रत	1220
18.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	1227
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1120, 1178
20.	चालिहा, श्री किरिप	1114
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1208
22.	चौरे, श्री बापू हरि	1164, 1197, 1211
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1168
24.	चौधरी, श्री पंकज	1124
25.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1128, 1181
26.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1160, 1195, 1214, 1217
27.	गंगवार, श्री संतोष	1108
28.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	1086
29.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	1090, 1144
30.	जगन्नाथ, डा. एम.	1127, 1158

1	2	3
31.	जयाप्रदा, श्रीमती	1111, 1126, 1180, 1227
32.	जोगी, श्री अजीत	1140, 1188, 1209, 1221, 1228
33.	करूणाकरन, श्री पी.	1131
34.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1111
35.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1089, 1104, 1143, 1189, 1210
36.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1092, 1145, 1190
37.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1123
38.	कृष्ण, श्री विजय	1200
39.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1100
40.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1165, 1180
41.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1208
42.	महरिया, श्री सुभाष	1101, 1155
43.	महतो, श्री नरहरि	1129
44.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1115, 1138
45.	महताब, श्री भर्तृहरि	1119, 1177, 1204
46.	महतो, श्री टेक लाल	1159, 1194, 1208, 1218
47.	माझी, श्री परसुराम	1139
48.	माने, श्रीमती निवेदिता	1160, 1195, 1207, 1214, 1217

1	2	3
49.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1095
50.	मुकीम, मो.	1109, 1225
51.	मंडल, श्री अबु अयीश	1163
52.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1164
53.	नन्दी, श्री अमिताभ	1103, 1180
54.	नायक, श्री अनन्त	1098, 1118, 1186
55.	निखिल कुमार, श्री	1110, 1170, 1200, 1213, 1214
56.	ओराम, श्री जुएल	1185, 1208
57.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	1133
58.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1150, 1191
59.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1135, 1164
60.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1171
61.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1116, 1173, 1202, 1215, 1221
62.	पाठक, श्री हरिन	1120
63.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1107, 1112, 1167
64.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	1086
65.	राई, श्री नकुल दास	1084
66.	राजगोपाल, श्री एल.	1136, 1183
67.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	1099
68.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1088
69.	रामदास, प्रो. एम.	1115
70.	राव, श्री ई. दयाकर	1083, 1126, 1148, 1183, 1211
71.	राव, श्री के.एस.	1091, 1153, 1226
72.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1132, 1162
73.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1105
74.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1167, 1203
75.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1157, 1158
76.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1196
77.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1146
78.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1147
79.	साय, श्री नन्द कुमार	1116, 1122, 1173, 1202, 1251
80.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	1125
81.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1104, 1156
82.	सेन, श्रीमती मिनाती	1196
83.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1106
84.	शर्मा श्री मदन लाल	1115
85.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1167, 1169, 1176, 1199
86.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1085, 1142, 1162, 1202, 1203
87.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1171
88.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1112
89.	सिंह, श्री रेवती रमन	1204

1	2	3
90.	सिंह, श्री सुग्रीव	1116, 1173, 1202, 1215, 1221
91.	सिंह, श्री उदय	1152, 1193, 1207
92.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	1118
93.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1093
94.	सुब्बारायण, श्री के.	1104
95.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1097, 1151
96.	सुमन, श्री रामजीलाल	1165, 1180
97.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1160
98.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	1094, 1158, 1223
99.	तुम्मर, श्री वी.के.	1168
100.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1166, 1198, 1212, 1220
101.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1107, 1161
102.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1154
103.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1167, 1169, 1176, 1199
104.	यादव, श्री गिरिधारी	1112, 1220
105.	यादव, श्री मित्रसेन	1137, 1203
106.	यास्खी, श्री मधु गौड	1160, 1174, 1195, 1214, 1217
107.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1158

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	
वित्त		103, 108, 109, 112, 113, 116, 117, 118, 119
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
विधि और न्याय	:	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	
विद्युत	:	104, 105, 107
ग्रामीण विकास		106, 114, 120
जनजातीय कार्य	:	
शहरी विकास	:	102, 111, 115
महिला और बाल विकास		101, 110.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य		1109
वित्त		1083, 1085, 1087, 1088, 1089, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1102, 1103, 1106, 1107, 1110, 1111, 1116, 1117, 1122, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1134, 1136, 1138, 1139, 1149, 1150, 1152, 1153, 1155, 1157, 1165, 1168, 1169, 1174, 1175, 1180, 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1190, 1191, 1195, 1201, 1204, 1206, 1207, 1210, 1213, 1214, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	1095, 1137, 1163, 1178
विधि और न्याय	:	1101, 1121, 1124, 1158, 1193, 1200, 1217, 1223
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा		1114, 1115, 1162, 1167, 1188
विद्युत	:	1090, 1097, 1098, 1118, 1123, 1142, 1148, 1159, 1166, 1170, 1194, 1219
ग्रामीण विकास	:	1100, 1119, 1133, 1146, 1154, 1156, 1160, 1176, 1189, 1198, 1199, 1208, 1212, 1218

जनजातीय कार्य	1105, 1113, 1125, 1140, 1161, 1173, 1179, 1183, 1203, 1209
शहरी विकास	1084, 1086, 1099, 1108, 1112, 1120, 1141, 1143, 1144, 1145, 1151, 1171, 1172, 1177, 1202, 1205, 1215, 1216
महिला और बाल विकास	1104, 1135, 1147, 1164, 1192, 1196, 1197, 1211, 1220, 1227, 1228.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की **निम्नलिखित वेबसाइट** पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण **सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे** लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/35/8/2008/(एन.)

232

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अ
प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।